एमएपीएसटी-03

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

अपराध शास्त्र : पुलिस के परिप्रेक्ष्य में

एमएपीएसटी – 03

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

अपराध शास्त्र : पुलिस के परिप्रेक्ष्य में

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

विषय सूची

अपराध शास्त्र : पुलिस के परिप्रेक्ष्य में

इकाई सं.	इकाई का नाम	पृष्ठ सं
इकाई-1	अपराधशास्त्र : परिभाषा, प्रकृति और विस्तार	8–22
इकाई-2	अपराधशास्त्र के विभिन्न दृष्टिकोण एवं सिद्धान्त	23–33
इकाई-3	अपराध विज्ञान : समसामयिक समाज में इसका महत्व	34–50
इकाई-4	प्रकृति, क्षेत्र एवं अपराध की परिभाषाएँ	51–60
इकाई-5	विदेशों में और भारत में अपराध के तौर तरीकों का विश्लेषण	61–74
इकाई-6	कम्यूनिटी पुलिसिंग और अपराधों की रोकथाम	75–85
इकाई-7	अपराध के समसामयिक स्वरूप	86–105
इकाई-8	महिलाओं, बच्चों और समाज के अन्य असुरक्षित समूहों के विरुद्ध अपराध	106–120
इकाई-9	अपरोधों की रोकथाम में पुलिस की भूमिका	121–135
इकाई-10	अपराधी सुधार एवं पुनर्वास-सुधारात्मक अवधारणा	136–150
इकाई-11	दंड की प्रकृति तथा प्राचीनकाल, मध्यकाल एवं वर्तमानकाल में दंड का स्वरूप	151–160
इकाई-12	अपराधशास्त्र में सामाजिक अनुसंधान का महत्व एवं उपयोगिता	161–170
इकाई-13	बाल अपराध प्रवृति का निदानशास्त्र	171–183
इकाई-14	पहचान और गिरफ्तारी में पुलिस की भूमिका	184–198
इकाई-15	किशोर न्याय अधिनियम : क्रियान्वयन तथा पुलिस की भूमिका	199–216
इकाई-16	अपराध का बचाव और नियंत्रण : बाधाएँ और महत्व	217–230
इकाई-17	पीड़ित एवं पीड़ित विज्ञान : संकल्पना एवं महत्व	231–244
इकाई-18	आपराधिक उत्पीड़न : प्रतिमान एवं प्रभाव	245–255
इकाई-19	भारत में पुलिस कार्य से जुड़े सामाजिक और सांस्कृतिक प्रश्न	256–268

पाठ्यक्रम अभिकल्प समिति

अध्यक्ष

प्रोफेसर (डॉ.) नरेश दाधीच

निवर्तमान कुलपति

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

संयोजक एवं सदस्य

संयोजक

डॉ. अशोक शर्मा

सह आचार्य, राजनीति विज्ञान, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

सदस्य

1. **श्री ओ.पी. माथुर (आई.पी.एस)**
कुलपति
रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय,
अहमदाबाद, (गुजरात)
2. **श्री एम. एल. कुमावत (आई.पी.एस.)**
कुलपति
सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं
आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर
3. **श्री भूपेन्द्र सिंह (आई.पी.एस)**
निदेशक
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर
4. **श्री बी. एन. राय (आई. पी. एस)**
निदेशक
सरदार वल्लभ भाई पटेल
राष्ट्रीय पुलिस अकादमी,
हैदराबाद
5. **श्री ऋषिराज सिंह (आई. पी. एस)**
निदेशक
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, मुम्बई
6. **श्री राजीव त्रिवेदी (आई. पी. एस)**
निदेशक
आंध्र प्रदेश पुलिस अकादमी,
हैदराबाद
7. **श्री निखिल जे. गुप्ता (आई. पी. एस)**
उपनिदेशक
महाराष्ट्र पुलिस अकादमी, नासिक
8. **प्रो. पी.डी. शर्मा**
सेवानिवृत्त आचर्य
राजनीति विज्ञान विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
9. **डॉ. लीलाराम गुर्जर**
सह आचार्य, राजनीति विज्ञान
वर्धमान महावीर खुला विश्व विद्यालय,
कोटा

सम्पादक एवं पाठ लेखन

संपादक

श्री संदीप मित्तल, आई.पी.एस. एवं

उप पुलिस महानिरिक्षक (प्रशासन)
लोकनायक जयप्रकाश नारायण
राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

भाषा सम्पादक

प्रो. (डॉ.) बी. एन. चट्टोराज संस्थान

अधिष्ठाता (शैक्षिक)
लोकनायक जयप्रकाश नारायण
राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान
गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

डॉ. मीता शर्मा

सहायक आचार्य, हिन्दी
वर्धमान महावीर खुला विद्यालय,
कोटा (राज.)

लेखक

1. **श्री विजय सूबेदार** (1,2)
विधि अधिकारी,, महाराष्ट्र पुलिस अकादमी, नासिक
2. **सुश्री दिव्या प्रियदर्शिनी** (3)
क्वाटर नं. 1 टाइप IV,सेक्टर-5, आर. के. पुरम, नई दिल्ली
3. **प्रो. जे. एन चौधरी** (4, 12)
सेवानिवृत्त आचार्य, समाज शास्त्र विभाग, राज. वि.वि., जयपुर
4. **श्री राम अवतार यादव** (5)
सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक, आन्ध्रप्रदेश
5. **श्री के. डी. दिव्वेदी** (6)
उप महानिरीक्षक पुलिस, मुख्यालय, सेंट्रल फ्रंटीयर,
8. **श्री राधाकान्त सक्सेना** (10)
सेवानिवृत्त महानिरीक्षक, कारागृह, जयपुर
9. **सुश्री पल्लवीसुपेकर** (13, 14)
विधि अधिकारी, महाराष्ट्र पुलिस अकादमी, नासिक
10. **श्री कमल शेखावत** (15)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर
11. **सुश्री शीतल माखीजा** (16)
सीसी-108सी, शालीमार बाग, नई दिल्ली
12. **डॉ. हनी मटियानी** (17)
सहायक आचार्य, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय,

भारत तिब्बत सीमा पुलिस, भोपाल, मध्य प्रदेश

6. **डॉ शंकर सुरोलिया (आई. पी. एस) (7, 9)**
सेवानिवृत्त, पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान पुलिस, जयपुर

7. **सुश्री भारती काले (8, 11)**
विधि अधिकारी,, महाराष्ट्र पुलिस अकादमी, नासिक

अहमदाबाद, गुजरात

13. **श्री अरुण सोम (18)**
गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सेक्टर 30,
गांधी नगर, गुजरात

14. **प्रो. पी. डी. शर्मा (19)**
सेवानिवृत्त आचार्य, राज. शास्त्र विभाग, राज. वि. वि., जयपुर

अकादमी एवं प्रशासनिक व्यवस्था

प्रोफेसर (डॉ.) विनय कुमार पाठक
कुलपति
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रो. (डॉ.) बी. के. शर्मा
निदेशक
संकाय विभाग

प्रो. (डॉ.) पी. के. शर्मा
निदेशक
क्षेत्रीय सेवाऐं

पाठ्यक्रम उत्पादन

योगेन्द्र गोयल
सहायक उत्पादन अधिकारी
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालया, कोटा

उत्पादन - मार्च 2013 **ISBN13/978-81-8496-377-9**

इस सामग्री के किसी भी अंश को व. म. खु. वि. कोटा की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में अथवा मिमियोग्राफी(चकमुद्रण) द्वारा या अन्यत्र पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं हैं।

व. म. खु. वि., कोटा के लिये कुलसचिव व. म. खु. वि., (कोटा राजस्थान) द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।

इकाई - 1

अपराधशास्त्र : परिभाषा, प्रकृति और विस्तार

इकाई की रूपरेखा

1.0 उद्देश्य

1.1 प्रस्तावना

1.2 अपराधशास्त्र का उद्देश्य, अभिप्राय एवं परिभाषा

1.3 अपराधशास्त्र की अवधारणा (व्यवस्थित अध्ययन)

1.4 अपराधशास्त्र - क्या यह एक विशिष्ट विज्ञान है?

1.5 अपराधशास्त्र - इसकी प्रकृति और विस्तार

1.6 अपराधशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र

1.7 अपराधशास्त्र, दण्डशास्त्र और आपराधिक कानून में सम्बन्ध

1.8 अपराधशास्त्र के लाभ

1.9 अपराधशास्त्र का महत्व

1.10 सारांश

1.11 अभ्यास प्रश्न

1.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप :

- अपराध शास्त्र के विभिन्न पहलुओं से अवगत हो पाऐंगे ।
- अपराध शास्त्र के व्यवस्थित अध्ययन पर प्रकाश डाल पाऐंगे ।
- अपराध शास्त्र की प्रकृति एवं विस्तार की जानकारी प्राप्त कर पाऐंगे ।
- अपराध शास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र के विषय में प्रसिद्ध अपराध शास्त्रियों के विचारों से अवगत हो पाऐंगे ।
- अपराध शास्त्र के लाभों एवं महत्व को समझ पाऐंगे ।
- अपराध शास्त्र के नैतिक व सामाजिक मूल्यों पर प्रकाश डाल पाऐंगे।

1.1 प्रस्तावना

प्रसिद्ध इटालियन अपराध विज्ञानी / शास्त्री एनरिको फेरी ने एकबार कहा था कि बहुत से विकसित देश वर्तमान में अपने लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए ऐसी नीतियों को अपना रहे हैं जिससे कि अपराध और अपराधियों से सर्वोत्तम तरीके से समाज की रक्षा हो सके । निश्चय ही समाज से अपराधों को समाप्त करने में सफलता मिल सकती है जिसे प्राय: सामाजिक सुरक्षा के नाम से जानते है, इस पर निर्भर करती है कि किसी एक देश के आपराधिक विधि प्रशासन की कार्यक्षमता कैसी है? यही कारण है कि वर्तमान शताब्दी अपराध विज्ञान के विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तनों और आपराधिक

नीतियों के आवर्ती परिवर्तन की साक्षी बनी है। आधुनिक अपराधशास्त्री एक ऐसी समान दण्डसंहिता के कार्यक्रम बनाने में लगे है, जो विश्व के सभी देशों में समान रूप से स्वीकार्य हो।

1.2 अपराधशास्त्र का उद्देश्य, अभिप्राय एवं परिभाषा

1.2.1 अपराध शास्त्र का उद्देश्य

अपराध की घटनाओं को कम करना अपराधशास्त्र का अन्तिम लक्ष्य है । आपराधिक न्याय की विभिन्न एजेन्सियों जैसे न्यायालय, पुलिस, बन्दीगृह, सुधारगृह और अन्य आधुनिक दण्डसंस्थाओं आदि के प्रभावी प्रशासन के द्वारा अपराध की घटनाओं को कम करना अपराधशास्त्र का अन्तिम लक्ष्य है ।

1.2.2 अपराधशास्त्र का अभिप्राय

"क्रिमिनालॉजी शब्द क्रिमिनल तथा ओलोजी नामक शब्दों से मिलकर बना है । जिसका शाब्दिक अर्थ है - 'अपराधियों का एक व्यवस्थित अध्ययन'। अपराधशास्त्र, एक ऐसा महत्वपूर्ण विज्ञान है, जो अपराधों के अध्ययन, उनकी प्रकृति, कारण, पहचान और उनकी रोकथाम से सम्बन्धित है।

1.2.3 अपराधशास्त्र की परिभाषा

अपराधशास्त्र की कई विद्वानों ने परिभाषायें दी है, जिनमें से निम्नांकित विचारणीय है -

एडविन एच.सदरलैण्ड के अनुसार अपराधशास्त्र की परिभाषा

सन् 1947 में अमेरिकी अपराध शास्त्र के संस्थापक विद्वानों में से एक श्री सदरलैण्ड ने अपराध शास्त्र कीनिम्नलिखित परिभाषा दी "Criminology is the body of knowledge regarding crime as a social Phenomenon. It Includes within its scope the process of making laws, of breaking laws and of reacting towards the breaking of laws .... The objective of criminology is the development of a body of general and verified principles and of others types of knowledge regarding this process of law, crime, and treatiment or prevention." अर्थात् अपराधशास्त्र विज्ञान का वह संकाय है, जिसमें अपराध सामाजिक घटना के रूप में अपराध से सम्बन्धित है । इसके विस्तार के कानून बनाने और तोडने की प्रक्रिया और कानून तोड़ने के बाद की प्रतिक्रिया आदि सम्मलित है। अपराधशास्त्र का उद्देश्य ऐसे सामान्य और विविध विद्धान्तों के संकाय और दूसरे प्रकार के विज्ञान का विकास करना है, जो कानून की प्रक्रिया अपराध और उसके निदान अथवा रोकथाम से सम्बन्धित है।

वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार अपराध शास्त्र की परिभाषा

"The scientific of crime as a social phenomenon, or of criminals and their mental traits habits and discipline, etc. अर्थात् सामाजिक घटना के रूप में अपराध का, अथवा अपराधियों और उनके मानसिक लक्षणों, आदतों और अनुशासन इत्यादि का वैज्ञानिक अध्ययन ही अपराधशास्त्र का अर्थ है ।

इलियट एम.ए. मेरिल के अनुसार

अपराध शास्त्र को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें अपराधियों और उनके निदान का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है।

डी.आर. टैफ्ट के अनुसार

अपराध शास्त्र एक ऐसा अध्ययम है जिसमें उन सभी विषयों को सम्मिलित किया जा सकता है जो अपराधों की रोकथाम के साथ ही उनके दण्ड तथा अपराधियों और आरोपियों के निदान को समझने के लिए आवश्यक है ।

1.3 अपराधशास्त्रकी अवधारणा व्यवस्थित अध्ययन

1.3.1 व्याख्या

अपराधशास्त्र एक ऐसा व्यवस्थित अध्ययन है, जिसमें अपराधशास्त्री न केवल हत्या, बलात्कार, डकैती नकबजनी, धोखाधड़ी इत्यादि पर विचार करता है, बल्कि एक समाजशास्त्री की तरह लगातार मानवीय जीवन की सभी गतिविधियों और सभी भौतिक ओर सामाजिक विज्ञानों का परीक्षण करता है । वह केवल अपराधों तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि उसके परे भी जाता है । वह अपराधों का उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि के साथ परीक्षण करता है, और ऐसे अपराध के कारणों की भी जांच पडताल करता है । इस प्रकार अपराधशास्त्र सामाजिकघटनाओं के रूप में अपराध, अपराधियों, उनकी मनोस्थिति, आदतें, अनुशासन इत्यादि का अध्ययन है।

1.3.2 अपराधशास्त्र का विकास

अपराधशास्त्र का स्वरूप एक विज्ञान के रूप में मात्र एक सदी पूर्व ही प्रस्फुटित हु आ है । सन् 1885 ई. में सर्वप्रथम इटली में रफेल गैरोफालो नामक कानून के इटालियन प्रोफेसर ने क्रमिनोलोजिया (Criminologia) पद का प्रयोग किया । 1887 ई. में पॉल टोपीनार्ड नामक फ्रेंच मानवशास्त्री (Anthropologist) ने प्रथम बार फ्रांसीसी में क्रिमिनोलॉजी पद का प्रयोग किया । तदुपरान्त यह विषय अत्यन्त ही तेजी से विकसित हु आ । जैसे-जैसे शिक्षा, संस्कृति, तकनीकी इत्यादि का विश्व में विकास हुआ, वैसे ही अपराधों की दर भी बढ़ी ।

अतएव अपराधशास्त्रियों का ध्यान अपराधों को समाप्त करने की ओर केन्द्रित हु आ, और यदि इन्हें पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं हु आ, तो इन्हें कम से कम किया जा सके, यह अपराधशास्त्रियो के ऊपर अत्यन्त ही महत्वाकांक्षी और अपेक्षापूर्ण कार्य था । अपराधशास्त्र एक ऐसा वैज्ञानिक, व्यवस्थित सांख्यिकीय, संरचनात्मक और सक्रिय अध्ययन है और जो मानवीय जीवन के सभी भौतिक व मनावैज्ञानिक पक्षों से सम्बन्धित है । अपराधशास्त्र अब एक विज्ञान अथवा एक अनुभचवादी विज्ञान के रूप में मान्य है विशेषत: यह एक सामाजिक और व्यावहारिक विज्ञान के रूप में जाना जाता है।

1.4 अपराधशास्त्र - क्या यह एक विशिष्ट विज्ञान है ?

अपराधशास्त्र एक अलग प्रकार का विज्ञान है या नहीं? यह वाद-विवाद का विषय है । अत: निम्नलिखित बिन्दुओं में इसकी समीक्षा की गई है -

1.4.1 समीक्षा

अपराधशास्त्र की समीक्षा करते वक्त एक तर्क यह भी दिया जाता है कि यह विज्ञान नहों है और यह विज्ञान की सार्वभौमिक वैद्यता की सामान्य प्रस्तावना पर आधारित है । ऐसे प्रस्ताव मात्र स्थिर और एकरूप इकाइयों के सम्बन्ध में दिये जा सकते हैं । चूंकि अपराध एक स्थिर और समान इकाई नहीं कहे जा सकते है, क्योंकि ये देश और काल के अनुसार परिवर्तित होते है । अत: अपराध से सम्बन्धित मामलों में सार्वभौमिक प्रस्तावना को लागू नहीं किया जा सकता है । अत: आपराधिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन सम्भव नहीं है।

1.4.2 मेक्स वेबर का मत

जर्मन विचारधारा की वकालत करने वाले मेक्स वेबर ने समाजशास्त्र को मूल्यमुक्त माना है क्योंकि यह इस बात का उत्तर नहीं देता, कि लोगों को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए । इस दृष्टिकोण के अनुसार एक विज्ञान मूल्य आधारित नहीं हो सकता और वैज्ञानिक समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक घटनाओं को समझाना है । मूल्य आधारित समाधान देना नहीं । अत: यह प्रतीत होता है कि यदि अपराधशास्त्र का उद्देश्य मात्र अपराध, अपराधियों, आपराधिक कानून और कारागार इत्यादि का अध्ययन करना ही है, तो यह एक विज्ञान नहीं हो सकता है । इस प्रकार जर्मन विचारधारा का समर्थन करने वाले इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि अपराधियों और कारागारों के अध्ययन से यह हमें कभी मालूम नहीं होगा कि हमें अपराधी का निदान किस प्रकार करना चाहिए, जबकि परमाणु के अध्ययन से हमें यह अवश्य पता चलेगा कि परमाणु बम का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए।

1.4.3 निर्भरता

दूसरा तथ्य यह है कि अपराधशास्त्र सामाजिक विज्ञानों से सम्बन्धित विविधता पर निर्भर है । अत: अपराधशास्त्र एक निर्भर अथवा अधीनस्थ विज्ञान है । इसके अपने आत्मनिर्भर वैज्ञानिक तरीके और तकनीक नहीं है । समकालीन समय के महान् अपराधशास्त्रियो में से एक “हर्मन मैनहीग” ने कहा कि अब तक अपराध शास्त्र में स्वयं की कोई विशिष्ट प्रविधि का विकास नहीं हुआ है । सारांशत इसकी शोध तकनीकें अन्य सामाजिक विज्ञानों में प्रयुक्त होने वाली तकनीकों के समान ही है ।

यद्यपि यह सत्य है कि अपराधशास्त्र के अनुसार व्याख्याकार मूलत: समाजशास्त्री, मनोविज्ञानी मनोचिकित्सक, नृतत्त्वशास्त्री इत्यादि है, और विश्वविद्यालयी शिक्षण से एक अलग विषय के रूप में अपराधशास्त्र अपेक्षाकृत नया है परन्तु तकनीकों और शोध अध्ययनों में दूसरे सामाजिक विज्ञानों की निर्भरता के आधार पर अपराधशास्त्र को अध्ययन के एक विशिष्ट विषय के रूप में नजरन्दाज नहीं किया जा सकता है । अब तक स्वयं इसका दो शताब्दियों पूर्व का साहित्य है और लम्बा शोध इतिहास है । यहां तक कि अपराध के अध्ययन में अभिरूचि रखने वाले समाजशास्त्री अथवा मनोविज्ञानी यह पाते है कि उन्हें इस विषय में पारगत होने के लिए और अध्ययन की आवश्यकता है । जिसके परिणामस्वरूप वे एक समाजशास्त्री अथवा मनोवैज्ञानिक अपराधशास्त्री बनने की प्रकृति रखता है, बजाय इसके कि वह अपराध अध्ययन में सामान्य रूचि रखने वाला विशेषज्ञ अपराधशास्त्री बने । अपराधशास्त्र निश्चय ही मानवीय व्यवहार से सम्बन्धित है और मानवीय व्यवहार के साथ विज्ञान के अनुप्रयोग एक सामाजिक विज्ञान के रूप में जाना जाता है । यह एक निश्चित सामाजिक समस्या के सम्बन्ध में विविध

अन्वेषण करता है जिसकी जड़े समाजशास्त्र मनोविज्ञान, जीवविज्ञान और दूसरे विविध विषयों में है और स्वतंत्र शोध करने के लिए विविध स्त्रोतों का प्रयोग करता है । इस प्रकार अपराधशास्त्र अध्ययन का एक विशेष क्षेत्र बनाता है । अत: यह एक स्वतंत्र विषय का दावा कर सकता है ।

1.4.4 अपराधशास्त्री एल.एन.बर्गर का मत

एल. एन. बर्गर ने दूसरे विज्ञान और विशेषकर सामाजिक विज्ञानों के सम्बन्ध में अपराधशास्त्र के पूरे प्रश्न का परीक्षण किया । उसने बताया कि यहां तक कि प्राकृतिक विज्ञानों में भी कुछ जैसे वनस्पतिशास्त्र अथवा जन्तु विज्ञान जो तथ्यों के अध्ययन के बारे में है और जो स्पष्ट रूप से विशिष्ट और वैयक्तिक नहीं है, तथा भौतिक शास्त्र अथवा गणित की तरह सामान्य घटनाक्रम से सम्बन्धित नहीं है । उसने सामाजिक विज्ञानो में यह निष्कर्ष निकाला कि अपराधशास्त्र एक्औषधिशास्त्र की तरह है । अपराधशास्त्र दूसरे सामाजिक विज्ञानों पर उसी तरह आधारित है, जिस प्रकार औषधि शास्त्र, शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान, भौतिकशास्त्र, रसायन शास्त्र इत्यादि पर आधारित है न तो औषधिशास्त्र और न ही अपराधशास्त्र पूर्णत: सैद्धान्तिक है और न ही अपने प्रायोगिक अनुप्रयोग से कोई अर्थ निकालते हैं । जिस प्रकार औषधिशास्त्र की सार्थकता चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर निर्भर है उसी प्रकार अपराधशास्त्र दण्डसुधार और दण्डविधान अपराधों की रोकथाम पर निर्भर है । दोनों में ही मूल्याधारित निर्णय की प्रक्रिया है - औषधि का स्वास्थ्य, बीमारी और निदान तथा अपराधशास्त्र का न्याय, जिम्मेदारी, अपराध और दण्ड से सम्बन्ध है । दोनों में ही मानवीय सम्बन्धों के तत्त्व का समावेश है, जो उसे दूसरी अकादमिक विधाओं से इन्हें विशेष बनाते है और दोनों के ही नैतिक उद्देश्य है तथा जिनकी अभिव्यक्ति औषधि के लिए कपटपूर्ण शपथ और अपराधशास्त्र के लिए उनकी रोकथाम में जो दण्ड से बेहतर है और सुधार का जो उसके भय से बेहतर है, से समझा जा सकता है।

1.5 अपराधशास्त्र -इसकी प्रवृति और विस्तार

सामान्य : यह कहा जा सकता है कि अपराधशास्त्र, आपराधिकता की घटना का इसकी सम्पूर्णता के साथ अध्ययन करना है। अपराधशास्त्र के विज्ञान को दो भागों में बांटा जा सकता है, जो निम्नलिखित है -

1. सैद्धान्तिक और शुद्ध अपराधशास्त्र
2. व्यावहारिक और अनुप्रयुक्त अपराधशास्त्र

प्रो. डब्लू. ए. बींगर सैद्धान्तिक अपराधशास्त्र को निम्नलिखित उपशीर्षकों के अन्तर्गत अध्ययन करने को वरीयता देते हैं।

1. आपराधिक नृतत्वविज्ञान
2. आपराधिक समाजशास्त्र
3. आपराधिक मनोविज्ञान
4. आपराधिक अन्त: मनो - रोगविज्ञान
5. दण्डशास्त्र

दूसरी ओर अनुप्रयुक्त अपराधशास्त्र में ठोस निष्पत्तितात्मक निष्कर्षो पर आधारित आपराधिक नीति और आपराधिक स्वास्थ्य का अध्ययन सम्मिलत है ।

उक्त दो के अतिरिक्त अपराधशास्त्र की एक और शाखा है, जिसे अपराधसांख्यिकी (Crimimalistics) कहते हैं । इसका सम्बन्ध अपराध के पहचान की पुलिस तकनीकों से है।

डॉ. कैनी का अभिमत है कि अपराधशास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जो अपराध के कारणों, विश्लेषण और उनकी रोकथाम से सम्बन्धित है ।

अपराधशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है, जिसका सम्बन्ध व्यक्ति के व्यवहार के उन निश्चित आचरणों से है, जिन्हें समाज के द्वारा निषेधित किया गया है । इस प्रकार यह एक सामाजिक अध्ययन है, जिसमें आपराधिकता के कारणों की खोज करने का प्रयास किया जाता है, और अपराधों को कम करने के तरीकों का सुझाव दिया जाता है । यद्यपि समाजशास्त्री अपराधशास्त्र के प्रति उनके विचारों से सहमत नहीं है । उनके मतानुसार प्रत्येक समाज विरोधी कृत्य आपराधिक प्रवृजि से निष्पन्न होता है और जिसका निदान भी समाज के द्वारा किया जाना आवश्यक है । इस प्रकार अपराध की अवधारणा को दूसरे सामाजिक और परिवेशीय कारकों के साथ संयोजित करने का प्रयास करते है । जबकि अपराधशास्त्र के प्रति न्यायिक दृष्टिकोण सुझाव देता है कि किसी भी कृत्य को अपराध के रूप में सिद्ध करने के लिए आपराधिक उत्तरदायित्व के दो मूल सिद्धान्तों का होना आवश्यक है, जिनके नाम निम्न प्रकार है -

1.5.1 नुलुम्म क्रिमेन साइनलेगे

पहले सिद्धान्त के अनुसार किसी पर भी आपराधिक उत्तरदायित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता, जब तक कि उसने किसी ऐसे कृत्य को न किया हो, जो मुखर रूप से वर्तमान आपराधिक कानून के अन्तर्गत प्रतिबन्धित हो, और साथ ही इसको करने में उसकी मनःस्थिति निन्दनीय हो।

1.5.2 नुल्ला पोना साइनलेगे

दूसरा सिद्धान्त सुझाव देता है कि किसी को भी किसी कृत्य के लिए दण्डित नहीं किया जा सकता, जब तक कि वह कानून के अन्तर्गत दण्डनीय न किया गया हो ।

इस प्रकार यह सन्देह है कि एक तैराक, जो एक तालाब में एक बच्चे को डूबते हुए देखता रहता है, और उसके जीवन को बचाने का कोई प्रयास नहीं करता है तो क्या उसे आपराधिक कानून के द्वारा उसे बच्चे को न बचाने के जुर्म में दण्डित किया जा सकता है?

जैसा कि पहले कहा गया है कि एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत अपराधशास्त्र की परिभाषा देना असंभव प्रतीत होता है। अपराधशास्त्री हमेशा इस विषय के प्रति दृष्टिकोणों के बारे में मत विभिन्नता रखते रहे हैं । अपराधशास्त्र के प्रति कानूनी दृष्टिकोण, समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों, जीववैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों से एकदम भिन्न है । कानूनविद इस मामले को आपराधिक दृष्टिकोण से हल करते हैं । हालांकि वे इसके सामाजिक पक्ष को एकदम से अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि अपराध समाज में मानवीय व्यवहार का वह आचरण है, जो कानून के द्वारा प्रतिबन्धित है और जिसका उल्लंघन करना दण्डनीय है, और इसका तात्विक रूप से समाज से सम्बन्ध है । कुछ विद्वानों का सुझाव है कि अपराधशास्त्र सभी समाज विरोधी कृत्यों के चर्चित अध्ययन से सम्बन्धित है और जिन्हें समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है, परन्तु यहां यह बताया जा सकता है कि समाज विरोधी पद अपने में ही बहुत समावेशी है, और इसका विस्तार बहुत ज्यादा है। यहां बहुत सी ऐसी दशायेंहै, जो अन्ततः

अपराध की घटना में सहयोग करती है । किशोर आपराधिकता के मामले में एक बच्चा, जिसकी विधिवत् देखभाल नहीं की जाती, प्राय वह समाज की स्वीकृत मान्यताओं के साथ अपना समायोजन नहीं कर पाता । अब एक समाज विज्ञानी का यह दायित्व हो जाता है कि अब वह उन दशाओं और कारणों का पता लगाये, जिसने बच्चे की आपराधिक प्रकृति को बढ़ाने में मदद की । लेकिन फिर से विशुद्ध सामाजिक दृष्टिकोण ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि विशेषकर आधुनिक प्रजातांत्रिक समाजों में, जहां व्यक्ति की महत्ता अधिक बढ़ गई है । एकबार यह विश्वास किया जाता था कि कुछ निश्चित लोग बुरी प्रकृति के साथ ही जन्म लेते हैं । अत: उन्हें जन्मजात अपराधी अथवा प्राकृतिक अपराधी के रूप में जाना जाता था, और जिनके बारे में मान्यता थी, कि इनमें सुधार की गुंजाइश नहीं है और इन्हें दूर रखने का एक ही तरीका था, कि उन्हें समाज से पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए । बाद में 18वीं शताब्दी के मध्य में आधुनिक अपराधशास्त्र के विद्वान "बेकारिया" के द्वारा आपराधिक व्यवहार के शास्त्रीय सिद्धान्त की वकालत की गई जो व्यक्ति की स्वतन्त्रच्छा पर आधारित था उन्होंने व्यवस्थित शोध कार्यो की श्रंखला के द्वारा सफलतापूर्वक जन्मजात अपराधी के सिद्धान्त को नकार दिया और यह स्थापित किया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं का स्वामी है और वह स्वेच्छा के अनुसार कार्य करने को स्वतंत्र है । इस प्रकार एक व्यक्ति आपराधिक कृत्य को करने के लिए अपनी बुद्धि और स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है । जबकि बाद में बेकारिया के स्वेच्छा सिद्धान्त (फ्रीविल थ्योरी) को लोम्नोर्सो और टार्डे जैसे प्रकार्यवादियो ने चुनौती दी, और उन्होंने यह सुझाया कि व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करने के लिए आत्मनिर्णय लेने वाला अभिकर्ता नहीं है, बल्कि मूलत: वह एक ' जैविक प्राणी है । अत: इस प्रकार इसके जैविक कारक ही उसके कृत्यों और व्यवहार को निर्धारित करते है । व्यक्ति एक जैविक प्राणी के रूप में स्वयं को सामाजिक परिवेश के अनुरूप समायोजित करने का प्रयास करता है । वस्तुत: इस पूर्वानुमान के आधार पर ही समाजविज्ञान ने अपराध को परिवेश के साथ सहसम्बन्धित करते हुए विभेदक समागम (डिकरेसिन्यल एशोशियन) के सिद्धान्त का प्रतिपादन दिया । आपराधिक विज्ञान के विकास और ज्ञान के वृद्धि के साथ ही यह क्रमश: अनुभव किया गया कि कोई भी जन्मजात अपराधी नहीं होता, यह परिस्थितियाँ ही हैं, जो उसे ऐसा बनाती है, क्योंकि यह नहीं कि वह अपराधी बनना चाहता हैं, बल्कि वह आपराधिकता में प्रवेश करने के लिए विवश किया जाता है । अब समाजविज्ञानियो ने सूक्ष्मदर्शी दृष्टि से अपराध के मूल कारणों का अनुमान लगाना प्रारम्भ कर दिया है जो मनोवैज्ञानिक, रोग निवारक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक अथवा सामाजिक हो सकते हैं । अत: इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि परिवेश अपराध की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इस बिन्दु को और अधिक स्पष्ट करने के लिए यह कहां जा सकता है कि औद्योगीकरण के द्वारा सम्मिलित परिवार व्यवस्था में बिखराव हुआ, जिसके फलस्वरूप महिलाओं के रोजगार को बल मिला और इसने अन्तत: माता-पिता का उनके बच्चों पर नियंत्रण ढीला या कमजोर कर दिया । परिणामस्वरूप हाल के ही वर्षो में किशोर आपराधिकता में प्रभूत बढ़ोत्तरी हुई । तलाक के उदारवादी विधेयकों और कुछ मामलों में गर्भपात को कानूनी सम्मति देने से कामाचार के विविध अपराध बढ़े। भारतीय स्वतंत्रता के वाद गैर कानूनी और अनैतिक राजनैतिक गतिविधियों के द्वारा भी राजनैतिक अपराधों में भी काफी मात्रा में बढोत्तरी हुई । सफेदपोश अपराधों जैसे जमाखोरी-तस्करी, कालाबाजारी, एकाधिकारी इत्यादि ने देश की आर्थिक स्थिरता को वस्तुत: लकवाग्रस्त कर दिया।

यद्यपि यह सोचना त्रुटिपूर्ण होगा कि अपराधशास्त्र का विस्तार केवल अपराध नियंत्रण की नीतियों और अपराध उत्पत्ति के समन्वित सिद्धान्त तक ही सीमित है । अध्ययन के उद्देश्य के लिए यह कुछ गैर आपराधिक व्यवहारों का संज्ञान भी लेता है । उदाहरण के लिए किशोर आपराधिकता के मामलों में किये जाने वाले अन्वेषण से यह मालूम होता है कि वे इस रास्ते पर इसलिए चल पड़ते है कि क्योंकि उनकी ऊर्जा को उपयुक्त रूप से दिशा नहीं दी जाती । इस प्रकार आधुनिक अपराधशास्त्री अपने दृष्टिकोण में अधिक यर्थाथवादी है । वे अपराध उत्पत्ति के कारणों की विविधता पर अधिक बल देते हैं, क्योंकि वे सहमत है कि अपराध एक सामाजिक घटना है और राजनैतिक समाज इस पर दण्ड निदान अथवा रोकथाम के तरीकों के माध्यम से प्रतिक्रिया करता है और आदान-प्रदान का यह क्रम ही अपराध शास्त्र का अन्तिम उद्देश्य है।

1.6 अपराधशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र

अपराधशास्त्र एक ऐसा वृहद् विषय है, जिसकी सीमायें नहीं है और यह उन सभी विज्ञानों के साथ संलग्न हो जाता है, जो व्यक्ति और उसके सामाजिक संगठन से सम्बन्धित है। इस प्रकार अपराधशास्त्र, आपराधिक व्यवहार और अभियुक्तों के अध्ययन से सम्बन्धित है । इसके अलावा यह अपराध नियंत्रण और उनकी रोकथाम तथा अपराधी के निदान और पुनर्वास से भी सम्बन्धित है । इसके अध्ययन और शोध का क्षेत्र बहुत विस्तृत है।

1.6.1 अपराधशास्त्र के विस्तार और अध्ययन के क्षेत्र के विषय में प्रसिद्ध अपराधशास्त्रियों के विचार

1. कानून के उल्लंघन की सूचना, गिरफ्तारी के द्वारा उल्लंघन को रोकना, अपराधी की पहचान करना (विधि विज्ञान (Forensic Science) प्रयोगशालाओं का संचालन सहित) और अपराघ को दर्ज करना, अपराधियों को गिरफ्तार करना एवं उल्लंघनकर्ता की पहचान करने के तरीकों में सुधार करना ।
2. सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था से सम्बन्धित विविध देशों के आपराधिक कानूनों का तुलनात्मक अध्ययन करना, जिसमें आदिवासी समाजों में पारम्परिक प्रतिबन्धों की व्यवस्था और विकासशील देशों में संक्रमणकाल पर विशेष ध्यान दिया गया है।
3. कानूनी प्रक्रिया में एक निश्चित समय पर किशोर और प्रौढ़ अपराधियों की जननांकीय विशेषताओं के विवरण (सामान्यत: गिरफ्तारी के समय अथवा दण्ड अथवा सुधार संस्थानों में प्रवेश के समय) जहां तक यह संभव हो, उम्र, मूल निवास, जाति समूह, वैवाहिक स्थिति, रोजगार, शैक्षणिक स्तर, अपराध का स्थान तथा निवास स्थान इत्यादि को दर्ज करना । जनसंख्या की विशिष्टताओं का ऐसा पंजीकरण समाजशास्त्रीय विशेषज्ञों को निम्नलिखित गणना करने में सहायक होता है-

   (अ) अपराध और किशोर अपराधों में लिप्त होने के वर्गीकृत खतरे

   (ब) अपराधो तथा अपराधियों के निवास स्थान के क्षेत्र और उनके आंचलिक वितरण
4. उन परिकल्पनाओं और सिद्धान्तों की संरचना, परीक्षण और पुर्नाभ्यास करना, जो अपराध और किशोर अपराधों को सामान्यत: अथवा अपराध के किसी निश्चित तरीके अथवा आपराधिक गतिविधि की विशेष तौर से व्याख्या करने का प्रयास करते हैं।

5. उन व्यवहारों के मूल तत्त्वों की पहचान और वर्णन करना, जो विश्व के विभिन्न देशों में कानूनी तौर पर अपराधी और अभियुक्त है जो उस वर्गीकरण के नजदीक है, जिन्हें प्राकृतिक वैज्ञानिकों ने वर्गीकृत किया है आपराधिक व्यवहार की व्यवस्थाओं और आदेशों के सम्बन्ध में भी इसी तरह की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, जैसे भारत में डकैती, तस्करी, नकल, महिलाओं और लड़कियों की खरीद फरोख्त, मादक द्रव्यों (नारकोटिक्स ड्रग्स) के व्यापार तथा अमेरिका में गिरोहबाजी इत्यादि इसमें शामिल है।
6. आदतन अपराधियों और दोबारा अपराध करने के अभ्यासी का अध्ययन तथा प्रथम बार अपराध करने वाले, बार-बार अपराध करने वाले, गम्भीर अपराधी, जिसमें वे अपराधी भी शामिल है जो अपराध और अभियोगों में शामिल हो जाने वाली।
7. विचलन की उन समस्याओं को नियंत्रित और अध्ययन करना जिनका असामान्य यौन अभियुक्तों, वैश्यावृत्ति, आत्महत्या मादक द्रव्य सेवन, शराबियों, जुआरियों, भिखारियों इत्यादि जैसे अपराधों से निकट सम्पर्क हैं।
8. कानून अनुपालन लागू करना और उनका अध्ययन करना तथा आदतन अपराधी कानूनों और असामान्य काम अभियुक्तों के कानूनों जैसे विशेष कानूनों को संचालित करना ।
9. अपराधियों के पुनर्वास और निदान के लिए उठाये गये कदमों के प्रभाव का अध्ययन करना जो दण्ड और सुधारात्मक संस्थानों के द्वारा परिवीक्षा के द्वारा और देखभाल सेवा अर्थात् कारावकाश के बाद उठाये गये हैं । इसके साथ ही ट्रायल अथवा निपटारे की प्रतीक्षा करते समय निरूद्ध किये जाने का प्रभाव का अध्ययन किया जाना शामिल है ।
10. उन कार्यक्रमों का संचालन और मूल्यांकन करना, जो अपराध और अभियोगों की रोकथाम के लिए है।

1.6.2 मैनुअल लोपेज फ्रे का मत

1. इनके अनुसार अध्ययन के क्षेत्र के विषय में गलत धारणा को निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर एक नये अपराधशास्त्र की ओर देखते हुए संशोधित अथवा मिटाया जा सकता है- अपराध और अभियोग अलग अवधारणायें नहीं है । बल्कि एक ही है । इनको संयुक्त करते हुए यह मानना नहीं है कि किशोर दुर्व्यवहार के सभी विविधि स्वरूपों को इसमें सम्मलित करना चाहिए बल्कि केवल उन्हें ही जो आपराधिक अभियोग बनाते हैं । जैसे कि प्रौढ़ अभियुक्त के मामले में ।
2. अपराध और अभियोग आवश्यकरूप से व्यवहार के विचलित अथवा असंगठित स्वरूप नहीं है । इसके विपरीत प्राय: ये वर्तमान और यहां तक कि स्वीकृत जीवन पद्धति को प्रतिबिम्बित करते है, जो क्रमश: समाज के एक निश्चित ढांचे का परिणाम है । अत: अपराधियों और उनके अपराधों को अलग रूप से मानने की बजाय दोनों का ही अध्ययन उन सामान्य समाजविज्ञानी ढाँचे के अन्तर्गत करना चाहिए जिसमें वे प्रवेश करते हैं ।
3. समसामयिक अपराधशास्त्र की गम्भीर समस्या अपराधियों की नहीं बल्कि अपराध और अभियोगों के रोकथाम की है । यह रोकथाम उन अनुमानों के द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती, कि कौन संभवत एक अपराधी बनेगा, बल्कि अपराधशास्त्रियों के द्वारा सक्रिय सहयोग करते

हुए सामाजिक औद्योगिक और आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों को बनाने तथा लागू करने से ही प्राप्त की जा सकती है ।

4. समसामयिक अपराधशास्त्र में कारणों और तथ्यों के पारम्परिक अर्थ तक ही सीमित करने की बजाय, व्यक्तिगत और सामूहिक दृष्टिकोण को भी शामिल करना चाहिए । इसका कारण है कि अपराध और दोष एक निश्चय कृत्य के कारकों के परिणाम के बजाय सीखने की प्रक्रिया का परिणाम अधिक है ।
5. समसामयिक अपराधशास्त्र में चिकित्सा मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों और तरीकों के सहयोग की आवश्यकता है । परन्तु इनका प्रयोग किसी भी प्रकार से अपराधशास्त्र के समाजविज्ञानी चरित्र से वंचित करना नहीं है । इसका अर्थ है कि तात्विक रूप से आपराधिक कानून और नैतिक एवं सामाजिक मूल्य ही किसी अपराध विज्ञानी शोध के प्रारम्भ और परिणाम के बिन्दु होना चाहिये ।
6. आपराधिक और दोषी व्यवहार के निदान के लिए शोध जारी रहना चाहिए, हालांकि वर्तमान में प्रयोग की जाने वाली मान्यताओं और तकनीकों में सुधार और परिष्कार आवश्यक है । इस सम्बन्ध में ग्ल्युक्स, मैनहीम और फ्रे तथा अन्य दूसरे बहुत से विद्वानों के द्वारा किये गये कार्यो के द्वारा आपराधिक व्यवहार के नये पक्षों का उद्घाटन किया गया जो विशेष महत्व के हैं । दो प्रकार के सुधारों के बीच निदान में बेहतर उपलब्धियों की संभावनायें प्रतीत होती है । किसी भी तरह निदान के उपकरणों को किसी व्यक्ति के संभावित आपराधिक दोषी व्यवहार के विषय में अनुमान के लिए एक मात्र उपकरण के तौर पर कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए।
7. अन्ततः न केवल अपराधी बल्कि पीड़ित भी आपराधिक अथवा दोषी व्यवहार के बेहतर निदान और समझ के लिए एक महत्वपूर्ण तत्त्व के रूप में विचारित किया जाना चाहिए ।

1.7 अपराधशास्त्र, दण्डशास्त्र और आपराधिक कानून में सम्बन्ध

इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपराधशास्त्र, अपराधविज्ञान की एक शाखा है, जो अपराध और आपराधिक व्यवहार के सामाजिक अध्ययन से सम्बन्धित है । जिसका उद्देश्य आपराधिकता के कारणों और अपराधों को कम करने के लिए प्रभावी तरीकों की खोज करना है ।

यह अभिरक्षा, निदान, अपराधों के नियंत्रण और रोकथाम के साथ भी सम्बन्धित है, और अध्ययन के उद्देश्य के लिए इसे दण्डशास्त्र के रूप में कहा जा सकता है । अपराधशास्त्र और दण्डशास्त्र की जुड़वा शाखाओं के द्वारा मान्य आपराधिक नीतियों को आपराधिक कानूनों के साधन के माध्यम से लागू कराना । दूसरे शब्दों में आपराधिक नीतियों की अनुपालना आपराधिक कानून के अभिकरण के माध्यम से होती है । इस प्रकार अध्ययन की सुविधा के लिए सम्पूर्ण विषय को निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है -

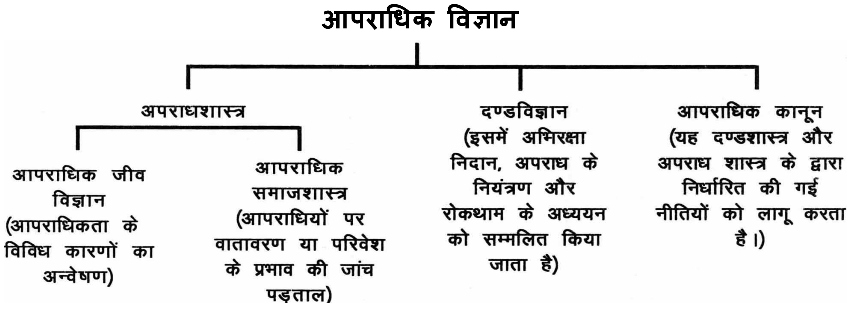

यह सामान्यत: कहा जाता है कि आपराधिक कानून सभ्यता का एक मापदण्ड होता है, क्योंकि यह सामाजिक ढाँचे और सोच विचार के परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होता है । यही कारण है कि प्रो. फ्राइडमैन इसे नैतिक सोच विचार का बैरोमीटर कहते हैं । वैक्सिटर के अनुसार अपराध (वर्जित आचरण की) औपचारिक सामाजिक भर्त्सना है जिसे रोकने के लिए सुविचारित प्रतिबन्ध लगाये गये हैं । इस प्रकार अपराध शास्त्रियों के समक्ष तीन प्रमुख समस्यायें आती है -

1. कौन से आचरण प्रतिबन्धित होने चाहिए और इन आचरणों के ऊपर परिवेश के प्रभाव की जांच-पड़ताल करना ।
2. ऐसे मामलों में कौन सा निषेध या भर्त्सना उपयुक्त है ?
3. इन आचरणों की रोकथाम के लिए किस प्रकार के प्रतिबन्ध श्रेष्ठ हैं ?

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपराधशास्त्र, दण्डशास्त्र और आपराधिक कानून परस्पर सम्बन्धित है और एक दूसरे के बिना वास्तव में कार्य नहीं कर सकते । आपराधिक नीति निर्धारण तत्वत: अपराध के उन कारणों और तथ्यो पर निर्भर करता है जो इनकी आपराधिक कानून के माध्यम से अनुपालना करते समय सम्बन्धित होकर प्राप्त किया जाता है। जैसा कि प्रो. सेलिन का मत है -

अपराधशास्त्र का उद्देश्य उस क्रम का अध्ययन करना है जिसमें कानून बनाने, कानून तोड़ने और कानून तोड़ने की वह प्रतिक्रिया शामिल है जिसमें कानून की नियंत्रण विधि की क्षमता की दृष्टि भी सम्मिलित है । डोनाल्ड टैफ्ट के अनुसार अपराधशास्त्र अपराध और अपराधियों का वैज्ञानिक विश्लेषण और निरीक्षण है जबकि दण्डशास्त्र का सम्बन्ध अपराधियों के दण्ड और निदान से है । उनके विचार से अपराधशास्त्र का विकास दण्डशास्त्र की तुलना में कहीं अधिक बाद में हुआ क्योंकि प्रारम्भिक काल में अपराध के कारणों के वैज्ञानिक अन्वेषण के बजाय अपराधियों के निदान पर अधिक जोर दिया जाता था ।

1.8 अपराधशास्त्र के लाभ

आम लोगों का विश्वास है कि अपराधशास्त्री मात्र अपराध और अपराधियों का अध्ययन करते है । यह गलत धारणा है कि वह पूरे देश को खोजी आखों अथवा सूक्ष्मदृष्टि से देखता है । वह मानव जीवन के सभी घटना क्रमों का बिम्ब उतार लेता है । उदाहरण के लिए एक किशोर का दुकान से वस्तुओं का उठाना, गलियों के अनाथ बच्चे, पारिवारिक झगड़े, पति-पत्नी के झगड़े, छात्र आन्दोलन, अपने वेतन भत्तों के लिए कर्मचारियों का असन्तोष, श्रमिक समस्यायें, सरकार की नीतियां, (कालाबाजारी, मादक पदार्थ, जुआ, व्यभिचार, हत्या, कृषकों की समस्यायें, राजनीतिक संकट, बेरोजगारी, सामाजिक दुर्बलताएं, अशिक्षा, गरीब और अमीर, बस एवं ट्रेन में लूट पाट इत्यादि । पृथ्वी पर ऐसा बहुत कम

होता है जो अपराधशास्त्रियो और आपराधिक न्याय व्यवस्था की अभिरूचि और महत्व का न हो । उसका क्षितिज गली कूचों से सुदूर संसद तक फैलता है । वस्तुत: दुनिया में कहीं भी ऐसा बहुत कम होता है जो अपराध विज्ञानी मस्तिष्क को चुनौती न देता हो । अपराधशास्त्र का अध्ययन करने के बहुत से लाभ है । ज्यादातर वे अपराधों की रोकथाम और समाज में शान्ति और समृद्धि स्थापित करने से जुड़े है । कुछ को निम्न प्रकार से समझाया गया है ।

1.8.1 अपराधों की रोकथाम

अपराधशास्त्री अपराधों के सभी कारकों या तथ्यों और उनके कारणों का विश्लेषण करते हैं तथा उपयुक्त कानून योजनाएं और तरीके बनाते हैं तथा इन्हें शैक्षणिक संस्थाओं अथवा सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते हैं । कानून आयोग संस्थाओं अथवा सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते हैं । कानून आयोग उनके मूल्यवान प्रतिवेदनों के महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार करता है और तदनुसार अपराधशास्त्रियों के उपयुक्त सुझावों को सरकार के द्वारा विचार किया जाता है । इस प्रकार अपराधशास्त्री समाज से अपराधों को दूर करने का प्रयास करते हैं अथवा कम से कम अपराधों की दर को कम करने का प्रयास करते हैं । किशोर न्याय व्यवस्था, पेरोल बोर्स्टल स्कूल व्यवस्था जेलों में अच्छी साफ सफाई 'और रहने का स्तर नैतिक प्रशिक्षण, कैदियों के शैक्षणिक और तकनीकी पाठ्यक्रम इत्यादि बीसवीं शताब्दियों के अपराधशास्त्रियों के अच्छे कार्यो के फल हैं।

1.8.2 अपराधियों का मनोविज्ञान

अपराधियों के मनोविज्ञान में आपराधिक कानून का प्रवेश नहीं होता। यह केवल आपराधिक कृत्य और अपने समक्ष प्रस्तुत किये गए नियमों को देखता है और तदनुसार ही अपराधियों को दण्ड देता है। आपराधिक कानून "मैन्सरिया' और "एक्टस रुआस देखता है । यह अपराधियों के सहानुभूतिपूर्ण सामाजिक पृष्ठभूमियों और उसके वास्तविक या सच्चे इरादों की चिन्ता नहीं करता । जबकि अपराधशास्त्री अपराधियों के मनोविज्ञान और समाज की प्रवृत्ति का परीक्षण अत्यन्त ही गहराई और सूक्ष्म दृष्टि से करता है । इस उद्देश्य के लिए वे चिकित्सा और दूसरे विज्ञानों की सहायता लेते हैं ।

1.8.3 आपराधिक कानूनों में सुधार

अपराधविज्ञान अपराधों को समाप्त करना चाहता है अथवा अपराधों की दरों को कम करना चाहता है । इस उद्देश्य के लिए यह अपराधियों के सुधार के लिए निश्चित योजनाएं बनाता है । यह आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए विविध तरीकों का सुझाव देता है । यह राजनैतिक सत्ता को भी निर्देशित करता है ताकि वह बुरी नीतियों पर पुनर्विचार और कुछ अमानवीय कानूनों को समाप्त कर सके। अपराध विज्ञान अपराधियों पर सहानुभूति पूर्ण विचार करता है और अपराधों के पीछे के कारणों की पहचान करता है । आपराधिक कानून अपराधियों को समाप्त करना चाहता है जबकि अपराधशास्त्र समाज से अपराधों के कारणों को समाप्त करना चाहता है ताकि पूरा समाज अपराध मुक्त हो सके और शान्ति और समृद्धि के साथ रह सके।

1.8.4 सांख्यिकी

यह देश के प्रत्येक कोने में होने वाले अपराध के दस्तावेजों को एकत्रित करता है और सर्वसम्बन्धित के समक्ष सांख्यिकी प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता है । यह एक ऐसे केन्द्रीय बिन्दु का निर्माण करता है जो अपराधों के कारणों पर विचार कर सके ।. यह समाज की सभी कमियों की व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीकों से व्याख्या करता है । अपराध की बढ़ती संख्या ऐसे वास्तविक अपराधशास्त्री को जो देश के लिए अधिक चिन्ता करता है, हृदयाघात दे देगा । वह अपराधों की वास्तविक स्थिति कल, आज और आने वाले कल में व्याख्या करता है ।

1.8.5 सफेदपोश अपराध

आपराधिक कानून मात्र गम्भीर अपराधों जैसे बलात्कार, हत्या, नकबजनी, चोरी इत्यादि की चिन्ता करते हैं । परन्तु अपराध शास्त्र मानवीय जीवन के सभी क्षेत्रों की परवाह करता है । निकट दशकों में प्रत्येक देश में सफेदपोश अपराधों में वृद्धि हुई है। भारत के बहुत से बड़े राजनेता और दूसरे देशों में भी सफेदपोश अपराधों में संलग्न पाये गये है । अपराध विज्ञानी इनकी बहुत सावधानी पूर्वक परीक्षा करता है और समाज से ऐसे अपराधों को समाप्त करने के लिए उपायों की भी सलाह देता है।

1.8.6 नैतिक और सामाजिक मूल्य

अपराधशास्त्री समाज में नैतिक और सामाजिक मूल्यों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं । इस प्रकार वे अपराधों की दरों को कम करने का प्रयास करते है। वे समाज से समाज विरोधी तत्वों को समाप्त करने का प्रयास करते है, और एक समृद्ध शान्तिपूर्ण और अपराधविहीन समाज का निर्माण करना चाहते है । प्राकृतिक अपराध का अर्थ, उन कृत्यों से है, जो दया और शुचिता की मूल नैतिक भावनाओं के विरूद्ध हैं । अपराधशास्त्री समाज में नैतिक और सामाजिक मूल्यों को बढ़ाने के लिए योजना बनाते हैं, ताकि अपराधों के प्रति प्रवृत्ति को घटाया जा सके ।

1.9 अपराधशास्त्र का महत्व

1. अपराधविज्ञान (जिसमें अपराधशास्त्र दण्डशास्त्र और आपराधिक कानून शामिल है) के अध्ययन की आवश्यकता तत्वत: उन मनोवैज्ञानिक खतरों से उत्पन्न होती है, जो लोगों की सम्पत्ति, स्वतंत्रता और जीवन की असुरक्षा के बारे में है यह सम्पत्ति के प्रति ललक, इच्छाओं की पूर्ति, दूसरे के प्रति घृणा और सन्देह जैसे गुण है, जो व्यक्तियों को आपराधिक व्यवहार की ओर ले जाते है, और अपराध की घटनाओं में संलिप्त करते हैं । अत: अपराधशास्त्र के विज्ञान का उद्देश्य विविध अपराधों का उनके मामलों के अनुसार अध्ययन करना है और ऐसे तरीको का सुझाव देना है जिससे अपराधियों के बीच सहयोग, सम्मान और परस्पर विश्वास की भावना भर सके । इस दिशा में हाल के ही दण्डशास्त्रीय सुधारों ने पर्याप्त सफलता प्राप्त की है । आपराधिक कानून भी आधुनिक सुधारवादी नीति को आत्मसात करने के लिए सम्यक रूप से बदल दिया गया है । मृत्युदण्ड के आपराधिक कानून में सुधार के माध्यम से समाप्त करने के अभिमत को एक उदाहरण के तौर पर इस बिन्दु को समझा जा सकता है ।

2. इस अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यह अपराधी को अपनी एक मात्र चिन्ता के रूप में स्वीकार करता है। यह अपराधी के अध्ययन को मूलभूत मान्यता के अनुरूप प्रारम्भ करता है, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जन्मजात अपराधी नहीं होता है । यह दण्ड के उद्देश्य को सुधार के रूप में, और व्यक्तिकरण को इसकी विधि के रूप में लेता है । अधिकांश अपराधशास्त्री और दंडशास्त्री अब इस बात पर सहमत है कि प्रत्येक अपराधी सुधारा जा सकता है यदि समुचित निदान और परिवेश उपलब्ध कराया जाए।
3. टैफ्ट के अनुसार अपराधशास्त्र का अध्ययन व्यवसाय की एक पृष्ठभूमि और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए एक अवसर भी उपलब्ध कराता है । पुलिस, वकील, एटार्जी, न्यायाधीश, न्यायकर्ता, परिवीक्षा अधिकारी जासूस और दूसरे विशेषज्ञ जैसे मनोविज्ञानी, मनोचिकित्सक, समाजशास्त्री इत्यादि को अपराध शास्त्र और आपराधिक प्रशासन का उचित ज्ञान आवश्यक है।
4. अपराध शास्त्र उन अनुकूल दशाओं का निर्माण. करने में भी सहायक होता है जो सामाजिक एकता को बढ़ावा देती है। यहां तक कि साथ में यह भी संकेत करने का प्रयास करता है कि कौन से व्यवहार समाज विरोधी और कौन से तिरस्कार योग्य है? यह अपने दण्डात्मक प्रतिबन्धों के माध्यम से अपराधियों को यह समझाने का प्रयास करता है कि उनकी ओर से किया गया बुरा आचरण उन्हें दण्ड, परेशानी, चिन्ता और समाज में असम्मान अवश्य दिलायेगा । प्रथम बार अपराध करने वाले, किशोर अपराधियों और पागल अपराधियों को सुधारवादी निदान, निश्चित रूप से स्पष्ट कर देता है कि अपराधशास्त्री, अपराधी को समाज के एक उपयोगी सदस्य के रूप में पुनर्वासित करना चाहता है । इस उद्देश्य को पाने के लिए विविध सुधारवादी तरीको को अपनाया जाता है । अन्तिम उद्देश्य सामाजिक समरसता प्राप्त करने के विचार से एक अपराधहीन समाज बनाना है ।
5. यह और आगे देखा जा सकता है कि वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीक के विकास के साथ ही जीवन की जटिलतायें कई गुना बढ गई हैं । इसके फलस्वरूप अपराध की दर में अत्यन्त ही बढ़ोत्तरी हुई है, और बहुत से नये अपराध जो अब तक अज्ञात थे, हाल में ही उत्पन्न हो गये हैं । कुछ उदाहरण के तौर पर आटोमोबाईल की चोरी, दुकानों से उठाईगिरी तस्करी, धोखाधड़ी और उसी तरह के अन्य अपराध लगातार बढ़ रहे हैं । पुन: वर्तमान शताब्दी के चालिसवें दशक के दौरान अपराधशास्त्रियों का ध्यान सफेदपोश अपराधों ने आकर्षित किया है । जिसके फलस्वरूप अपराधशास्त्रियो ने नई विधियों और तकनीकों का विकास इन नई समस्याओं को वैज्ञानिक शोधों के माध्यम से हल करने के लिए किया है।

1.10 सारांश

अपराधी भी समाज के अंग होते है और उनके द्वारा किये गये अपराध की मात्रा के अनुसार ही न्यायिक व्यवस्था अपराधियों के उत्तरदायित्व का निर्धारण करती है। समाजशास्त्री उन परिस्थितियों और कारणों का विश्लेषण करता है, जो समाज में कथित रूप से अपराध किया गया है और ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए प्रभावी तरीकों पर सोच विचार करता है, तथा समाज की कमियों को दूर करने के लिए योजना बनाने का प्रयास करता है । जो व्यक्ति अपराधविज्ञान का अध्ययन करते है, वे

अपराधशास्त्री कहलाते है और उनका कर्त्तव्य समाज के सम्बन्ध में अपराधियों और अपराधों का अध्ययन करना है । अपराधशास्त्री, अपराध शास्त्र के विज्ञान का अध्ययन, वैज्ञानिक और, व्यवस्थित ढंग से करता है । इस उद्देश्य के लिए वे विविध वैज्ञानिक तकनीकों और विधियों का प्रयोग करते हैं। वे सामाजिक कानूनों, नियमों की संरचना और कार्य, तथा उनका समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अन्वेषण करते हैं। वे न केवल अपराधों की घटनाओं पर ध्यान देते हैं अपितु अपराधी की ओर समाज की प्रतिक्रिया और समाज की ओर अपराधी के व्यवहार पर भी ध्यान देते है । भारत में पुलिस के लिए आवश्यक है कि वह कम से कम अपराधशास्त्र के प्रमुख आधारभूत सिद्धान्तों को सीखे, ताकि वह और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सके।

1.11 अभ्यास प्रश्न

1. अपराधशास्त्र की प्रकृति और विस्तार की व्याख्या कीजिये ।
2. "अपराधशास्त्र भौतिकी और रसायनशास्त्र की तरह शुद्ध विज्ञान नहीं है, परन्तु इसकी विधियां निःसन्देह वैज्ञानिक हैं टिप्पणी कीजिये ।
3. अपराधशास्त्र का क्या अर्थ है? आपराधिक कानून और अपराधशास्त्र के बीच सम्बन्ध की व्याख्या कीजिये ।
4. "अपराधशास्त्र उन अध्ययनों का सुझाव देता है, जो अपराध और अपराधियों से सम्बन्धित है ।" टिप्पणी कीजिये।
5. "अपराधशास्त्र, अपराध के सभी पक्षों का व्यवस्थित अध्ययन है। "व्याख्या कीजिये।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. प्रो. (डी.) एन. वी. पंराजपे : क्रिमिनोलॉजी एण्ड पीनोलॉजी
2. प्रो. वी. के. गोस्वामी : ए. क्रिटिकल स्टडी आफ क्रिमिनोलाजी एण्ड पीनोलॉजी
3. जे. पी. एस. सिरोही : क्रिमिनोलॉजी एण्ड क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन

इकाई - 2

अपराधशास्त्र के विभिन्न दृष्टिकोण एवं सिद्धान्त

इकाई की रूपरेखा

2.0 उद्देश्य

2.1 प्रस्तावना

2.2 व्यक्तिवादी दृष्टिकोण (अपराध की व्याख्या)

2.3 पर्यावरणीय दृष्टिकोण (अपराध की व्याख्या)

2.4 दण्डात्मक दृष्टिकोण (अपराध के प्रति प्रतिक्रिया)

2.5 सुधारवादी दृष्टिकोण (कारागृह सुधार)

2.6 सुधारात्मक (बाल अपचारी संस्थायें)

2.7 सारांश

2.8 अभ्यास प्रश्न

2.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप :

- अपराध के विभिन्न दृष्टिकोणों को समझ पाऐंगे ।
- अपराध के विभिन्न दृष्टिकोणों से उत्पन्न सिद्धान्तों पर प्रकाश डाल पाऐंगे ।
- व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के अन्तर्गत लोम्ब्रोसों तथा एम. नाइटन के नियम समझ पाऐंगे ।
- पर्यावरणीय दृष्टिकोण के अन्तर्गत सामाजिक व समाजशास्त्रीय दृष्टि से अपराध और अपराधी का अध्ययन कर पाऐंगे।
- अपराध के प्रति प्रतिक्रिया का दण्डात्मक दृष्टिकोण समझ पाऐंगे।
- बाल अपचारिता के सन्दर्भ में सुधारात्मक दृष्टिकोण समझ पाऐंगे।

2.1 प्रस्तावना

सभी अपराधशास्त्रीय दृष्टिकोणों का मूल आधार अपराध की गतिविधियों की व्याख्या और उनका वर्णन है। ये उन सभी आयामों को सम्मिलित करते हैं जो अपराधियों की व्यक्तिगत प्रवृत्तियों तथा आपराधिक व्यवहार में प्रदर्शित होते हैं । आमतौर पर तथ्यों को अपराध के घटित होने की स्थिति से जोड कर देखा जाता है और आपराधिक व्यवहार के कारणों की व्याख्या की जाती है । इस संदर्भ में 'कारण' शब्द की व्याख्या का प्रश्न उठता है जिसका उत्तर दार्शनिकों द्वारा ही दिया जा सका है।

2.2 व्यक्तिवादी दृष्टिकोण (अपराध की व्याख्या)

घोर निर्दयता और निरंकुशता युक्तआपराधिक कानून और उनकी कठोर प्रक्रिया के कारण यूरोप में 18 वीं शताब्दी में क्लासिकल स्कूल अस्तित्व में आया। इसके प्रवर्तक बेंथम और बेकारिया थे। आधुनिक अपराधशास्त्र पर किसी भी आयाम पर विमर्श सिजोर बेकारिया से शुरू होता है। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक **ऐसेज ऑन क्राइम्स एंड पनिशमेन्ट्स** को पूरे यूरोप में सराहा गया । उसने आधुनिक पश्चिमी अपराधशास्त्र को विकसित किया । मनुष्य के नैसर्गिक अधिकारों के मद्देनजर उसने आपराधिक विधि

को उदार बनाया। वह बेरहम दंड के खिलाफ था, वह यातनापूर्ण मृत्युदंड आदि के विरूद्ध था। व्यभिचार, समलैंगिक यौन सम्बन्ध तथा अवैध संतानों की हत्या के मामलों में उसने विधिक लड़ाई लड़ी । यद्यपि बेकारिया मनुष्य की स्वतंत्र इच्छाशक्ति के सिद्धान्त का पक्षधर था, उसने यह बुनियादी प्रश्न उठाया कि उपर्युक्तअपराध क्यों होते हैं। वाल्टेयर ने उसके विधिक योगदान कासमर्थन किया। परिणामस्वरूप यूरोप में आपराधिक विधि में उदारता आ गयी और कुछ देशों में तो मृत्युदण्ड ही समाप्त कर दिया गया।

बेकारिया के विधिक योगदान के परिणामस्वरूप विधिवेत्ताओं की रूचि अपराध और अपराधी में बढ़ने लगी और उन्नीसवीं शताब्दी के मध्यकाल में नियो-क्लासीकल स्कूल अस्तित्व में आया । इस विचारधारा के अन्तर्गत यह आग्रह किया गया कि अपराध किये जाने की स्थिति में अपराधी की मनोदशा की अनदेखी नहीं होनी चाहिए । इसके फलस्वरूप, बाल अपचारियों और पागल अपराधियों के विधिक बचाव की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी।

2.2.1 लोम्ब्रोसों का सिद्धान्त

सिजारे लोम्ब्रोसों वर्तमान अपराधशास्त्र का जनक माना जाता है जिसने आपराधिक व्यवहार की वेज्ञानिक व्याख्या की और विधिशास्त्रियों का ध्यान अपराध के बजाय अपराधी पर केन्द्रित किया। लोम्ब्रोसों का व्यक्तित्व बहुआयामी था वह एक सुप्रशिक्षित चिकित्सक और मनोरोगविज्ञानी था । यह मात्र एक संयोग था कि वह अपराधियों के समाजशास्त्रीय अध्ययन की ओर आकृष्ट हुआ । जब वह सेना में डाक्टर था तो उसने देखा कि जो लापरवाह और अपराधिक प्रवृत्ति के सैनिक थे उनमें से अधिकांश के शरीरों पर 'टैटू आकृतियां गुदी हुई थी बजाय अनुशासित सैनिकों के । पागल रोगियों रो वास्ता पड़ने पर उसने उनके रोग को नहीं बल्कि उनको व्यक्ति के रूप में समझना शुरू किया । उसने उनकी खोपड़ियों की साइज, संवेदनशीलता के स्तर का मापन करते हुए उन्हें तीन श्रेणियों में वगीकृत किया-

पागल

अपराधी

सामान्य व्यक्ति

उसने समाजशास्त्रीय तथ्यों पर आधारित यह निष्कर्ष निकाला कि अपराधी घटिया किस्म के लोग होते हैं । वे अपने वनमानुष जैसे पूर्वजों के अधिक नजदीक होते हैं बजाय निरपराध स्वभाव वाले संयत पूर्वजों के । ये अपराधी अपनी प्रवृत्तियों और शारीरिक लक्षणों के आधार पर निरपराध व्यक्तियों से अलग पहचाने जा सकते हैं । उसके अनुसार इनके जबड़े बड़े तथा कुत्तों जैसे मजबूत दाँत होते हैं। ये शारीरिक लक्षण मांसाहारियों में पाया जाता है । कच्चा मांस नोंच कर खा जाते हैं । उनकी लम्बाई की तुलना में उनके हाथ लम्बे होते हैं । यह लक्षण वनमानुषों में पाया जाता है। उपर्युक्त लक्षणों के पैदा होने वाला व्यक्ति शर्तिया अपराधी होता है। अपराधियों में एक-तिहाई व्यक्ति इस प्रकार के शारीरिक लक्षणों से युक्त) पाये जाते हैं।

2.2.2 आलोचना

आधुनिक अपराधशास्त्रियो द्वारा लोम्ब्रोसों के सिद्धान्तों की कटु आलोचना की गयी । यह कहा गया कि उसने पूर्वजों से हासिल किये गये संस्कारों को उदारता से लिया । उसकी इस अवधारणा का कि आपराधिक व्यवहार और पूर्वजों से हासिल किये गये संस्कारों में सम्बन्ध है, कोई वैज्ञानिक आधार

नहीं है । वह यह समझने में असफल रहा कि अपराधिक और निरपराध व्यक्तियों के व्यवहार एक ही समाज के विभिन्न तात्कालिक गतिविधियों से प्रसूत होते हैं । आधुनिक अपराधशास्त्रियों ने सिद्ध किया है कि अपराध के विभिन्न कारण हो सकते हैं परन्तु देहिक संरचना उसका कारक नहीं है। फिर भी, लोम्ब्रोसों अपराधशास्त्र का जनक है। आधुनिक अपराधशास्त्री वैज्ञानिक आधार पर अपराधों के अन्वेषण और रोकथाम का प्रयास कर रहे हैं।

2.2.3 अपराधियों में मानसिक दौर्बल्य

दूसरी महत्वपूर्ण अवधारणा जो व्यक्तिवादी है, वह यह कहती है कि अपराधियों में मानसिक दुर्बलता होती है। हेनरी एच. गोडर्ड ने पाया कि मानसिक दुर्बलता ही, धोखाधड़ी के अपराधों को छोड़ कर, अपराधों की जड़ है। गोडर्ड ने 395 आपराधिक मामलों का अमेरिका में अध्ययन किया जिन्हें सदरलेण्ड ने प्रकाशित किया। मेरी वुडवर्ड ने इन सब मामलात का अध्ययन किया और यह पाया कि मन्दबुद्धि अपचारिता का कारक नहीं है । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मन्दबुद्धि का अपराध के घटित होने में सीधी-सीधी कोई भूमिका नहीं होती । मन्दबुद्धि वाले व्यक्ति के. लिए सामाजिक परिस्थितियों से तालमेल बिठाने में कठिनाई होती है।

2.2.4 मानसिक विकार /असंतुलन

मानसिक स्तर पर अपराधी साधारण या रूग्ण या असामान्य हो सकता है। रूग्ण अपराधी उनके असामान्य होने की स्थिति के अनुसार निम्न प्रकार से वर्गीकृत किये जा सकते हैं -

1. सर्वाधिक असामान्य (साईकोटिक्स) वर्ग
2. न्यूरोटिक्स तथा साइकोपेख्स (मनोरोगी) वर्ग
3. मानसिक विकृतियों से ग्रस्त शेष असामान्य वर्ग

इनमें भी दो वर्ग हो सकते हैं - दैहिक विकृतियों के कारण असामान्य अथवा मनोवैज्ञानिक कारणों से असामान्य।

2.2.5 'एम' नाइटन के नियम

डेनियम एम नाइटन ने भ्रान्त मानसिक स्थिति में पील के सचिव की हत्या कर दी । हत्या का अभियोग चला और उसे पागल करार देकर बरी कर दिया गया । इंग्लैण्ड के हाउस ऑफ लॉर्डस में इस मुद्दे पर विचार-विमर्श हु आ और कानून की स्पष्टीकरण की मांग उठाई गयी । तत्पश्चात हाईकोर्ट ने पागल अपराधियों के बचाव में एम' नाइटन नियम बनाये जो इंग्लैण्ड, भारत और अमेरिका आदि में लागू है ।

उपर्युक्त नियमों का सारांश प्रस्तुत है -

1. प्रत्येक व्यक्ति को विवेकशील माना जाता है जब तक कि वह पागल सिद्ध न हो जाये ।
2. एक पागल अपराधी के बचाव में यह कहा जा सकता है कि वह मानसिक रोग से ग्रस्त है । अपराध करते समय उसे पता नहीं था कि सही क्या है और गलत क्या है? उसे यह भी भान नहीं था, वह क्या गलत कर रहा है ।

3. यदि कोई व्यक्ति उन्माद की मनोदशा में अपराध करता है तो वह अपराध के उत्तरदायित्व से मुक्तनहीं है। जिस भ्रान्त काल्पनिक स्थिति में उसने अपराध किया वह यदि वास्तव में होता तो भी वह अपराध करता।

2.3 पर्यावरणीय दृष्टिकोण (अपराध की व्याख्या)

2.3.1 सामाजिक एवं समाजशास्त्रीय दृष्टि से अपराध और अपराधी का अध्ययन

पर्यावरणीय दृष्टिकोण के दो स्वरूप है. पहला तो यह है कि सामाजिक संरचना के संदर्भ में अपराध और अपराधी का अध्ययन किया जाये दूसरा यह कि पारिवारिक रिश्तों, शिक्षण संस्थाओं, आर्थिक परिस्थितियों, धार्मिक विश्वासों और संचार साधनों के संदर्भ में अपराध के घटित होने के कारकों का पता लगाया जाये।

2.3.2 सामाजिक विखंडन के सिद्धान्त

गतिशील समाज में परिवर्तन अवश्यंभावी है। परिवर्तन होना अपने आप में अनुचित नहीं कहा जा सकता परन्तु कभी-कभी विखंडन, टूटन, अन्तर्द्वद, दुविधा, सांस्कृतिक अनिश्चय की स्थितियाँ उत्पन्न होती है। यह समाज में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलाव के कारण है । भारत जैसे विकासशील देश वह सबकुछ एकदम हासिल करना चाहते हैं जिसे हासिल करने में औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों को शताब्दियाँ लग गयीं। यह अस्वाभाविक गतिशीलता समाज में अव्यवस्था और टूटन पैदा करती है । उद्देश्य तो वही है जो विकसित देशों का है, परन्तु हमारे यहाँ परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग तरह की हैं । हमारे यहाँ अत्यधिक आबादी, 'कम उत्पादनशीलता और ढुलमुल राजनीतिक सहयोग और सहभागिता की समस्यायें हैं । सामाजिक टूटन की पृष्ठभूमिका में बदलते मूल्यों के कारण उत्पन्न सांस्कृतिक द्वन्ह होता है । नये और पुराने मूल्यों में टकराव होता है । आयातित और देशी परम्परागत मूल्यों में टकराव होता है । कई बार मूल्य सरकार तथा अन्य एजेन्सियों द्वारा भी समाज पर थोपे जाते हैं । सामाजिक विखंडन के सिद्धान्तों की भी कटु आलोचना हुई है । यह एक व्यक्तिनिष्ठ दृष्टि है कि आपको समाज में एकजुटता परिलक्षित होती है अथवा विखंडन या टूटन । एक गतिशील समाज में कुछ घटक ज्यादा विकसित हो जाते हैं और कुछ घटक पीछे धकेल दिए जाते हैं । यह सोच भी मात्र एक दृष्टिकोण है।

2.3.3 आपराधिकता तथा विभेदक तत्व

विभेदक तत्त्वों पर आधारित आपराधिकता का सिद्धान्त सदरलेण्ड द्वारा प्रतिपादित किया गया । जिसका सारांश निम्नलिखित है. व्यक्ति अपराधी तभी होता है जब कानून का उल्लंघन करने की सोच उस पर हावी हो जाती है । आपराधिक व्यवहार का सम्बन्ध व्यक्ति की संगति से है । अपराध व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों की संगति का उत्पाद है । कुछ लोगों से व्यक्ति की अंतरंगता होती है। जैसी उसकी संगति होती है, वैसी ही व्यक्ति की मानसिकता होती है क्योंकि वह अपने चारों तरफ की संस्कृति को जज कर लेता है । सदरलेण्ड के अनुसार अपराधी अकेला नहीं होता है : उसकी संगति होती है। इस प्रकार वह सामाजिक विखंडन के सिद्धान्त को नकारता है । सदरलेण्ड के मतानुसार समाज

में दो तरह की संगठनात्मक शक्तियां सक्रिय रहती हैं - एक तो जो आपराधिक प्रकृति की है और दूसरी जो आपराधिक प्रवृत्ति के विरूद्ध है। समाज में लोगों के द्वन्द्वात्मक संगठन निर्मित हो जाते हैं।

2.3.4 आलोचना

सदरलेण्ड के विभेदक तत्त्वों के सिद्धान्त की बहुत आलोचना हुई है । पहला तर्क यह दिया गया कि अपराधियों के सम्पर्क में आने से कोई अपराधी नहीं बन जाता । सदरलेण्ड का सिद्धान्त सभी अपराधों के संदर्भ में लागू नहीं हो सकता। यह माना गया है कि सदरलेण्ड का सिद्धान्त न तो अनपढ़ ग्रामीण अपराधियों पर लागू होता है, न पढ़े लिखे शहरी अपराधियों पर और न व्यक्तिनिष्ठ अपराधों पर जो संयोगवश, क्षणिक आवेश में, भावुकता के वशीभूत होकर घटित किये जाते हैं । ऐसे अपराध उन लोगों द्वारा किये जाते हैं जो आदतन अपराधी नहीं है । उनके अपराधों के पीछे तात्कालिक आवेश, क्रोध या भावनात्मक तनाव हो सकता है । ऐसे अपराधों में हत्या तक भी हो जाती है ।

सदरलेण्ड के सिद्धान्त में मद्देनजर यह कहा जा सकता है परिस्थितिवश अपराध करने वाले तथा जो भावनात्मक आवेश और तनाव के वशीभूत होकर अपराध कर बैठते हैं, वे व्यापक अर्थो में अपराधी नहीं है । सदरलेण्ड के आपराधिकता के विभेदक तत्त्व का सिद्धान्त इस प्रकार के अपराधियों की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है।

2.3.5 बाल-अपचारिता के संदर्भ में सिद्धान्त

यद्यपि गरीबी और निम्न सामाजिक स्तर लाजिमी तौर पर बाल अपराधी पैदा नहीं करते परन्तु वे बाल समुदाय को प्रभावित करते हैं। बाल-समुदाय में आपराधिक प्रवृति अधिक प्रबलता से अभिव्यक्त होती है बजाय अकेले बालक के । बाल-अपचारियो में गैंग निम्न सामाजिक तबकों के बालकों में अधिक होते हैं बजाय मध्यवर्गीय सामाजिक तबकों के । कारण स्पष्ट है - सामग़जिक-आर्थिक स्तर । फ्रेडरिक एम. थेशर ने अपना ध्यान बाल अपचारियो के गैंग की पृष्ठभूमि पर केन्द्रित किया। दूसरे शब्दों में, उसने यह अध्ययन किया कि वे किस तबके से आते हैं । इसलिए हर बाल अपचारी को उसके सामाजिक पृष्ठभूमि के अन्तर्गत् - अर्थात् परिवार, अडौस-पडौस, स्थानीय विद्यालय, धर्म, व्यवसाय को समझा जाना चाहिए । अलबर्ट के. कोहेन ने पाया कि बाल अपचारी गैंग अपनी उप संस्कृति की संहिता विकसित कर लेते हैं जो आपराधिक प्रकृत्ति की होती है । यह आपराधिक अपसंस्कृति गैंग की परम्परा के रूप में निर्मित हो जाती है । इन गैंगों में सम्मिलित बाल अपचारी महानगरों में अलग-अलग क्षेत्रों में आपराधिक वारदातों को अंजाम देता है. ऐसा अमेरिकन अन्वेषण और अध्ययन में ज्ञात हुआ है । कोहेन के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि बालअपचारी गैंग के सदस्यों की अनेक व्यक्तिगत समस्यायें होती है जिनके निराकरण के लिए वे गैंग की आपराधिक संहिता से सम्बद्ध हो कर वारदात करते हैं । अक्सर ये बाल-अपचारी समाज के निम्न तबकों से आते हैं । घोर दरिद्रता और अभावग्रस्तता में पले हुए ये बाल अपचारी वही अरमान मन में संजोये रहते हैं जो मध्यवर्ग के युवकों में होते हैं। वे अत्यधिक महत्वाकांक्षी होते हैं और मध्यवर्गीय जीवनशैली में प्रविष्ट होना चाहते हैं । जहाँ सामाजिक उत्तरदायित्व, शिष्टाचार, अनुशासन और शालीनता जीवन का ढंग है । निम्न सामाजिक स्तर से निकले इन बाल-अपचारियो के लिए मध्यवर्गीय युवाओं की जीवन शैली में ढलना अभावग्रस्तता के कारण असंभव प्रतीत होता है । उनका सटीक सामाजिक रूपान्तरण नहीं हो पाता ।

2.3.6 आर्थिक व्यवस्था एवं अपराध का बोंगर का सिद्धान्त

अपराध और समाज की आर्थिक संरचना के अन्तःसम्बन्ध को समझने में, सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान विलियम एड्रियन (1876-1940) का है । उसने मार्क्सवादी नजरिये से अपराध की व्याख्या की । उसने पर्यावरणीय / सामाजिक कारकों को अपराधियों अथवा महापुरूषों के बनने से जोड़ कर देखा। उसका प्रसिद्ध शोध मथ है **"अपराध शास्त्र का एक परिचय : आपराधिकता एवं आर्थिक परिस्थितियाँ".** बोंगर ने अमेरिकन और ब्रिटिश बुद्धिजीवियों को अच्छा खासा प्रभावित किया । उसके अनुसार अपराध पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उत्पाद है । यह व्यवस्था व्यक्ति में स्वार्थपरता और संग्रह की प्रवृत्ति पैदा करती है । पूंजी के विनिमय में मुनाफाखोरी निहित होती है । इस व्यवस्था के अन्तर्गत व्यक्ति न्यूनतम खर्चे से अधिकतम लाभ कमाना चाहता है । बोंगर ने पूंजीवादी व्यवस्था के अनेक नुख्स रेखांकित किये। पूंजीवादी व्यवस्था अपराधों की जननी है । उदाहरणार्थ बालश्रम की व्यवस्था पूर्णरूपेण पूंजीवादी सामाजिक संरचना का अभिन्न आयाम है जो बाल अपचारिता के लिए उत्तरदायी है । बाल श्रमिकों द्वारा लम्बे समय तक श्रम किया जाना, उनके उपर अमानवीय यातनापूर्ण प्रभाव छोड़ता है । फिर उनकी अशिक्षा, चूंकि वे समाज के दरिद्रतम तबके से आते हैं, अपराध घटित करने में सहायक होती है।

2.3.7 सामाजिक नियंत्रण के सिद्धान्त

सामाजिक नियंत्रण के सिद्धान्त उन सभी पूर्ववर्ती सिद्धान्तों का पुरजोर खंडन करते हैं जो अपराध की व्याख्या सामाजिक, जैविक और दैहिक कारकों के आधार पर करते है कि अपराधी और निरपराध व्यक्ति मूलत: लाजिमी तौर पर अलग-अलग तरह के होते हैं । सामाजिक नियंत्रण के सिद्धान्त अपराधियों की कोई श्रेणी नही मानते । इनके अनुसार समाज में ऐसी शक्तियाँ हैं जो व्यक्ति को अपराध करने से रोकती हैं । जब ये शक्तियाँ निस्तेज और निष्क्रिय होती हैं, तो अपराध हो जाते हैं। दुरखीम और फ्रायड के सिद्धान्तों में भी यही अवधारणा अन्तर्निहित है ।

सामाजिक नियंत्रण के सिद्धान्त 20 वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षो में अस्तित्व में आये । अलबर्ट जे. रेस, जेक्सन टोबी, इवान नाई, वॉल्डर सी. रेकलेस इन सिद्धान्तों के प्रतिपादक रहे।

इवान नाई के अध्ययन के अनुसार परिवार ही वह सर्वाधिक महत्व की सामाजिक इकाई है जो बालक की प्रकृत्ति को नियंत्रित करती है। तत्पश्चात्, वाल्टर सी. रेकलेस ने नियंत्रण का सिद्धान्त दिया । उसके अनुसार बाल मन विभिन्न प्रकार के दबाव और तनाव बर्दाश्त करता है परन्तु आत्मनिर्धारित नियंत्रण शक्ति से उन पर विजय पा लेता है । इस नियंत्रण के बाहरी और अन्दरूनी आयाम हो सकते हैं । बाह्य नियंत्रण या अनुशासन पारिवारिक जीवन शैली, उसके नैतिक व्यवहार में प्रदर्शित होता है । इससे किशोर का जीवन संयमित होता जाता है - उसमें महत्वाकांक्षा, एकसूत्रता और अनुशासन स्वत: उत्पन्न होता है । आन्तरिक नियंत्रण आत्मानुभव का परिणाम है । इसे आत्म संयम, जीवट, स्वाभिमान, निजता, सहिष्णुता, उत्तरदायित्व की भावना उद्देश्यपरकता और जीवन में सन्तुष्ट रहने की योग्यता से जोड कर देखा जा सकता है।

2.4 दंडात्मक दृष्टिकोण (अपराध के प्रतिप्रतिक्रिया)

2.4.1 परिचय

मानव सभ्यता के विभिन्न चरणों में अपराध के प्रति समाज में प्रतिक्रियायें बदलती रही हैं। अपराध के प्रति समाज विशेष की प्रतिक्रिया उसके तत्कालीन मूल्यों पर निर्भर रहा है । मूलरूपेण बदलते हुए समाज और विकसित होती हुई मानव सभ्यता के विभिन्न दौरों में तीन प्रतिक्रियायें अपराध के संदर्भ में उभर कर सामने आयी हैं । प्रथम तो सामान्य रूप से परम्परागत दंडात्मक है । यह अपराधी को मुख्य रूप से खतरनाक और चरित्रहीन मानती है । उसे दंडित करने के पीछे समाज में अपराधों की पुनरावृत्ति रोकने का उद्देश्य अन्तर्निहित है । दूसरा दृष्टिकोण, जो तुलनात्मक दृष्टि से नया है, यह मानकर चलता है कि अपराधी अप्रिय परिस्थितियों का शिकार है । उसका अपराध कई सामाजिक कारकों का उत्पाद है । यह दृष्टिकोण अपराधी को रूग्ण और बीमार मानते हुए उसके सुधार और चिकित्सा का पक्षधर है । तीसरा दृष्टिकोण अपराध के रोकने से सम्बन्धित है । बजाय अपराधियों पर ध्यान केन्द्रित करने के, यह दृष्टिकोण अपराध के घटित न होने पर ध्यान केन्द्रित करता है । उन कारकों को ही समाप्त किया जावे जो अपराध के लिए उत्तरदायी हैं । किसी न किसी स्तर तक ये तीनों दृष्टिकोण आदमी की मानसिकता में होते हैं । जेरोम हाल के मुताबिक कि शासन की ओर से अपराधी को कठोर से कठोर शारीरिंक यातनापूर्ण दंड दिया जाये । इसके लिए पूर्व-निर्धारित नियम हों । उनके उल्लंघन की स्थिति के अनुसार दंड का फैसला हो । दंड विधिक नियमों के उल्लंघन का अवश्यंभावी परिणाम है । जिसने कुछ न कुछ गलत किया है, वह दंड का भागी है । बेन तथा फ्लू ने दंड के बारे में कहा है :

(1) दंड में शारीरिक यातना होना चाहिए जिसका परिणाम अप्रिय हो । (2) यह कानून के उल्लंघन के कारण दिया जाता है। (3) यह उसी व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जिसने वास्तव में अपराध किया हो । (4) दंडस्वरूप यातना शासन द्वारा अधिकृत अधिकारी / कर्मचारी द्वारा ही दी जा सकती है ।

2.4.2 प्रतिकार का सिद्धान्त

दंड प्रणाली में प्रतिकार का सिद्धान्त अत्यंत महत्वपूर्ण है । महान जर्मन दार्शनिक हेगल के अनुसार दंड अपराध को निष्क्रिय करता है। यह समाज में कानून और व्यवस्था बनाये रखता है जिसे अपराधी अस्थिर और विचलित करते हैं । अपराधी को दंडस्वरूप यातना इसलिए भी दी जानी चाहिए ताकि उसके अपराध से पीड़ित व्यक्ति को और समाज को सन्तोष हो।

यदि किसी द्वीप के निवासी सर्वसम्मति से यह फैसला कर ले कि उन्हें यह द्वीप छोड़कर अन्यत्र बसना है। वे कहीं भी जाकर अपना घर-परिवार बसा सकते हैं । यह सब करने के पूर्व उन्हीं कारागृह में हत्या के अन्तिम अपराधी को मृत्युदण्ड देना होगा ताकि द्वीपवासी अपराध अभ्यास से मुक्त। हो कर ही दुनियाँ से विसर्जित हों । अपराध के प्रतिकार स्वरूप यह कहा जा सकता है कि -

1. प्रतिकार अपराधी को सही सामाजिक मूल्यों की ओर प्रेरित करता है । उसके दंडित किये जाने से यह संदेश जाता है कि उसने कुछ गैर-कानूनी कृत्य किया था । प्रतिकार वास्तव में प्रतिशोध नहीं है ।
2. अपराध पीड़ितों के प्रति अन्याय होगा यदि अपराधी दंडित नहीं किया जाता ।

3. यह समाज के लिए अन्यायपूर्ण और अनैतिक है यदि अपराधी को अपने अपराध की सजा नहीं दी जाती ।

2.4.3 उपयोगितावादी सिद्धान्त

जैसा कि पहले ही जिक्र किया जा चुका है उपयोगितावादी सिद्धान्त यह मानता है कि फौजदारी कानून की मदद लेकर अपराधी को दंडित करना कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है । दंड एक साधन है जिसके द्वारा अपराधों में कमी आती है । दंड इसीलिए दिया जाता है कि समाज में अपराध की पुनरावृत्ति न हो, उस पर रोक लगे, नौसिखिये-अपराधी, अपराधिक कृत्यों को अंजाम नहीं दे सकें तथा शातिर अपराधी, अपराध करने में असमर्थ हो जायें । दंड द्वारा सुधार भी इस विधान की अन्तर्दृष्टि है। हालांकि यह विवादास्पद है कि क्या दंड द्वारा अपराधी को सुधारना संभव है ।

उपयोगितावादी यह मानते हैं कि अपराधी को दंडित करने से सकारात्मक परिणाम हासिल होते हैं । यह भी विवादास्पद मुद्दा है । ऐसी भी परिस्थितियाँ हो सकती है जब दंड निरर्थक और अर्थहीन साबित हो । कभी-कभी दंड के कारण अन्य समस्यायें उत्पन्न हो सकती हैं ।

2.4.4 अपराध के रोकथाम का सिद्धान्त

उपयोगितावादी विधिशास्त्रियों का विवेकपूर्ण तर्क यही है कि दंड अपराध को रोकने में सहायक है । यह दंडित अपराधी को अपराध की पुनरावृत्ति से रोकता है तथा दूसरों को भी अपराध करने से रोकता है । दंडित किये जाने और शारीरिक यातना भुगतने के डर से नौसिखिये अपराध करने का दुस्साहस नहीं जुटा पाते । वे अनैतिक और अनुचित कृत्य से बचना चाहते हैं । यह रोकथाम का सिद्धान्त अप्रत्यक्ष रूप से अपराध के दंड द्वारा प्रतिकार का ही सिद्धान्त है । यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि क्या दंडित अपराधी मुक्त होने पर फिर कभी अपराध नहीं करेगा या समाज में अपराध होंगे ही नहीं।

2.5 सुधारवादी दृष्टिकोण (कारागृह सुधार)

2.5.1 हथकड़ी लगाना

हथकडी लगाना परम्परागत रूप से मुल्जिमान के अवांछनीय हरकतों को नियंत्रित करने की तरकीब है । हथकडी लगाकर मुल्जिमान को कारागृह से अदालत लाया-ले जाया जाता है । यह बहुत अपमानजनक है । हथकडी लगाना बहुत ही खतरनाक और शातिर अपराधियों के लिए है जिनके लिए बहुत ज्यादा निगरानी और सावधानी जरूरी है ।

प्रेमशंकर बनाम दिल्ली प्रशासन (1960)3 SCC 526,SCC(फौज) 815 में सुप्रीम कोर्ट ने यह मन्तव्य स्पष्ट किया कि हथकडी लगा कर घुमाना संविधान की धारा 14,19,21 में अन्तर्निहित नागरिक के मूलभूत अधिकारों का हनन है । पंजाब पुलिस रूल्स में इसे स्वीकार किया गया । सुलीन बत्रा के मामले में हथकडी लगाने को अमानवीय करार दिया गया । बहुत ही गम्भीर स्थितियों में विधिक बचाव करते हुए ही अभियुक्त को हथकड़ी लगाने की बात कही गयी ।

2.5.2 कैदियों के अधिकार

कैदियों के अधिकारों को लेकर अनेक मामले भारतीय न्यायालयों में प्रस्तुत किये जाते रहे हैं । जिनका कैदियों के हक में उदारता से -व्याख्या की गयी है । संविधान की धारा 21 में स्वतंत्रता

की प्रक्रिया की नई व्याख्या की गयी है । यह रवैया मेनका गांधी बनाम भारत सरकार (1978)।SCC248 के उस फैसले से शुरू हुआ जिसमें विधिक /ज्यूडिशियल सक्रियता का दौर प्रारंभ होता है । संवैधानिक दृष्टि से कैदियों के अधिकार बहुत व्यापक हैं जो व्यक्तिगत और राजनीतिक प्रकृति के हैं । वे धर्म, चुनाव आदि के आयाम को कवरेज देते हैं । यह सब कारागृह सुधार की भूमिका है -

1. अभियुक्त / कैदी द्वारा न्यायालय तथा विधिक सुविधाओं तक पहुँच ।
2. परिजनों एवं मित्रों से उसका मिलन ।
3. अभिव्यक्ति और सम्प्रेषण का अधिकार ।
4. क्षतिपूर्ति का अधिकार ।

2.5.3 महिला बन्दी

यह निर्विवाद है कि महिला अभियुक्तों के लिए पृथक कारागृह की व्यवस्था होना चाहिए । सभी समितियों ने जिनमें 1919-1920 की, 1980-1983 की तथा राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति (महिला बन्दी), 1986-1987 सम्मिलित हैं, यही अनुशंसा करती रही है कि महिला के लिए अलग कारागृह होना चाहिए । परन्तु अभी तक यह आदर्श व्यवस्था अपूर्ण है। सूचना के अनुसार आक, महाराष्ट्र, तमिलनाडू और उत्तरप्रदेश में महिलाओं के लिए पृथक कारागृह की व्यवस्था है । बिहार और राजस्थान में केन्द्रीय कारागृह में इस तरह की व्यवस्था है । सुधार समिति ने अनुशंसा की है कि इन संस्थाओं में महिलाओं को ही स्टाफ नियुक्त होना चाहिए । यही दृष्टिकोण सुधार समिति की अनुशंसाओं में है -

1. पुलिस द्वारा महिलाओं से पूछताछ किसी परिजन की उपस्थिति में या उसके वकील .की उपस्थिति में महिला स्टाफ सदस्य द्वारा की जानी चाहिए । महिलाओं को पूछताछ के लिए थाने में नहीं बुलाया जाना चाहिए ।
2. पुलिस द्वारा महिलाओं के प्रति शालीनता का व्यवहार किया जाना चाहिए । जब भी पूछताछ की जा रही हो अथवा जब महिलायें कारागृह में हो तो शिष्टाचार और व्यवहार में गरिमा बनी रहनी चाहिए ।
3. पुलिस हिरासत में महिलायें, महिला पुलिस अधिकारी की देखरेख में होना चाहिए । जब कभी उन्हें कहीं लाया-ले जाया जाये तो महिला अधिकारी साथ में होना चाहिए ।
4. हिरासत में लिए गये महिला अभियुक्तों की जमानत उदारता से मंजूर होना चाहिए ।
5. प्रोबेशन ऑफ आफेन्डर्स एक्ट के तहत महिला अभियुक्तों के हित में उन्हें यथासंभव कारागृह से बचाया जाना चाहिए।

2.6 सुधारात्मक दृष्टिकोण (बल अपचारी संस्थाएं)

2.6.1 पुलिस और बाल-अपचारिता

पुलिस की बाल-अपचारिता की रोकथाम और सुधार में बहुत संवेदनशील और महत्वपूर्ण भूमिका है । जाहिर तौर पर बाल-अपचारिता से निपटने में पुलिस का वह रवैया नहीं हो सकता जो वयस्क अपराधियों से निपटने में प्रयुक्त होता है। सेक्सन 63 बाल न्याय (बाल सुरक्षा अधिनियम, 2009) में प्रावधान किया गया है कि अलग से पुलिस युनिट प्रशिक्षित की जाये जो बाल-अपचारिता के मामलों

से प्रभावी ढ़ंग से निपट सके। प्रत्येक थाने पर एक ऐसा पुलिस अधिकारी हो जो बाल कल्याण की भावना से आत्मप्रेरित हो और उसका पदनाम भी बाल कल्याण अधिकारी' हो । वह अन्य पुलिसवालों के साथ तालमेल रखकर बाल-अपचारिता के मामले संवेदनशीलता के साथ निपटाये।

2.6.2 पृथक संदर्भो में पुलिस की भूमिका की समीक्षा

पुलिस की भूमिका की बाल अपचारिता के सम्बन्ध में 2 बिन्दुओं पर समीक्षा हो सकती है-

1. कानूनी प्रावधानों के अनुसार पुलिस को प्रदत्त कर्त्तव्य के सम्बन्ध में ।
2. बाल-अपचारिता की रोकथाम के उद्देश्य से पुलिस द्वारा संचालित प्रोग्राम और गतिविधियाँ।

2.6.2.1 अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस के कर्त्तव्य

बाल अधिनियम के अन्तर्गत सर्वप्रथम बाल-अपचारी पुलिस अधिकारी के सम्पर्क में आता है। पुलिस तय करती है कि अमुक बालक घर छोड़ कर भागा हु आ है या अपराधी है । तत्पश्चात् कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ होती है । हिरासत में लिए जाने के बाद, बाल-अपचारी को छोड़ देना अथवा कोर्ट के समक्ष जमानत करवाना पुलिस पर निर्भर करता है । पुलिस अधिकारी मामले की गंभीरता पर विचार करता है कि इसके छोडे जाने पर यह शातिर अपराधी के चंगुल में तो नहीं फंस जायेगा । इससे उसके छोड़े जाने का उद्देश्य ही खत्म हो जायेगा।

2.6.2.2 पुलिस के अन्य कार्य और गतिविधियाँ

पुलिस को संभावित बाल-अपचारियों पर नजर रखनी चाहिए ताकि अपराध घटित न होने पाये । इसके लिए पुलिस को काफी एतिहात बरतने की जरूरत है । ब्रिटेन में विशेष रूप से चयनित पुलिस अधिकारी द्वारा अनौपचारिक रूप से संभावित आपराधिक क्षेत्रों में निगरानी की जाती है । पुलिस संभावित आपराधिक क्षेत्रों में गश्त कर सकती है। पुलिस युवाओं को विधिक जानकारी देने हेतु कार्यक्रम संचालित कर सकती है । यह संभावित बाल-अपचारियों के अभिभावकों से सम्पर्क कर सकते हैं । इस सम्बन्ध में बी. के. भट्टाचार्य ने जानकारी जुटायी है।

भारत में 1952 में जुवनाइल एड पुलिस युनिट की मुम्बई में स्थापना की गयी थी जो सार्थक कार्य कर रही है। इसके मुख्य कार्य निम्न हैं -

1. अपराध की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त करना ।
2. यह अन्य इलाकों में मनोरंजनात्मक कार्यक्रम संचालित करती है ।
3. यह वेश्यावृत्ति के अड्डों, शराब घरों, नृत्य के विद्यालयों और बदनाम स्थानों पर दबिश देकर संभावित अपराधियों की धड-पकड करती है।

2.7 सारांश

आधुनिक पर्यावरणीय सिद्धान्तों के कारण व्यक्तिवादी दृष्टिकोण अपनी विश्वसनीयता खो चुका है । इस दृष्टिकोण की दुर्बलता यह है कि यह इस तथ्य को नहीं स्वीकारता कि अपराध एक सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधि है और जो मात्र व्यक्ति की दैहिक और मानसिक संरचना तक ही सीमित नहीं है । टाफ्ट और इंग्लैण्ड के अनुसार व्यक्ति द्वारा विधिक प्रावधानों को स्वीकार करना अस्वीकार

करना सामाजिक-सांस्कृतिक धारणा है । यह ठीक वैसा ही है जैसे व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध अंग्रेजी बोलना या नहीं बोलना । इसे व्यक्ति की दैहिक या मनोवैज्ञानिक असामान्यता से जोड़ कर देखना अनुचित है। फिर भी यह काबिले तारिफ है कि संविधान निर्माताओं और विधिशास्त्रियों ने अपराधी के व्यक्तित्व को दर किनार नहीं किया। यह आधुनिक अपराधशास्त्र के विकास में 'सही दिशा में' सही कदम था।

पर्यावरणीय दृष्टिकोण में लोम्ब्रोसों से लेकर अब तक के सभी दृष्टिकोणों का सर्वे किया गया है । इन सिद्धान्तों पर विहंगम दृष्टिपात वास्तव में बहुत ही निश्छल लगता है क्योंकि उन्हें अपराध के सामाजिक-आर्थिक कारकों में मद्देनजर प्रस्तुत किया गया है।

सुधारवादी व दण्डात्मक दृष्टिकोण के अध्ययन के पश्चात् कुछ प्रश्न उठते हैं? क्या निगरानी कार्य के लिए पूर्व-सजायाफ्ता लोगों को पुलिस में शामिल किया जा सकता है जबकि लाखों युवा बेरोजगार हैं अथवा अपनी योग्यताओं को दर किनार कर छोटी नौकरियाँ कर रहे हैं क्या बन्दियों को पौष्टिक और संतुलित भोजन उपलब्ध कराया जाना वांछनीय और आवश्यक है जबकि बाहर लोगों को दो समय का भोजन नसीब नहीं होता? क्या विधिक शिक्षा के जरिये अपराधियों के चरित्र-सुधार हेतु पुलिस अधिकारी, मनोवैज्ञानिकों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं आदि की सेवायें हासिल करने के लिए संसाधन जुटाना वांछनीय होगा? कई आर्थिक और नैतिक प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं । तृतीय विश्व के देशों की तुलना में विकसित उत्तरी अमेरिकन और यूरोपियन देशों में आबादी का बहुत ही छोटा हिस्सा दरिद्र और अभावग्रस्त है, अशिक्षित है और बेरोजगार है । अमीर देशों में, अब भी किसी अपकृत्य का कोई कारक पहचाना जाता है, उसके लिए संसाधन और संचालन के लिए तत्काल स्वीकृति मिल जाती है। विकासशील देशों में, जहाँ घोर दरिद्रता, अशिक्षा और बेरोजगारी है, आपराधिकता को इनसे सतही रूप से जोड़ कर देखना अर्थहीन है। सामाजिक-आर्थिक स्तर पर सम्पूर्ण बदलाव के पश्चात् ही हमारी सोच में बदलाव संभव है । फिर भी यह कोई गारन्टी नहीं है कि नवीन परिप्रेक्ष्य में नवीन अपराध नहीं होंगे। विकसित देशों में भी कुछ अपराध तो अक्सर होते रहते हैं।

2.8 अभ्यास प्रश्न

1. उन आर्थिक-सामाजिक कारकों की समीक्षा कीजिए जिनकी अपराध घटित होने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है ।
2. अपराध के सामाजिक विखंडन के सिद्धान्त को संक्षेप में वर्णन कीजिए ।
3. आपराधिकता पर लोम्ब्रोसों के सिद्धान्त पर विचार विमर्श कीजिए ।
4. बाल अपराधियों के समूहों के सिद्धान्त का विस्तार से वर्णन कीजिए ।
5. व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के अन्तर्गत एम. नाइटन के नियम पर प्रकाश डालिए ।
6. सामाजिक नियंत्रण के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए ।
7. दण्डात्मक दृष्टिकोण के अन्तर्गत प्रतिकार व उपयोगितावादी सिद्धान्त पर प्रकाश डालिए ।

संदर्भ ग्रन्थ

1. प्रो. अहमद सिद्दीकी : क्रिमिनोलॉजी प्रोब्लम एंड पर्सपेक्टिव्ज
2. प्रो. एन. वी. पराजंपै क्रिमिनोलॉजी एंड पिनोलॉजी
3. प्रो. जे. पी. एस. सिरोही : क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन

इकाई - 3

अपराध विज्ञान :समसामयिक समाज में इसका महत्व

इकाई की रूपरेखा

3.0 उद्देश्य

3.1 प्रस्तावना

3.2 वर्तमान में अपराध विज्ञान की प्रासंगिकता और महत्व

3.3 अपराध विज्ञान का महत्व एवं प्रासंगिकता

3.4 पुलिस : एक आवश्यक एजेंसी

3.5 पुलिस की भूमिका और कार्य

3.6 पुलिस : अपराध विज्ञान परिप्रेक्ष्य

3.7 सामाजिक परिवर्तन और पुलिस

3.8 किशोर और पुलिस

3.9 आर्थिक अपराध और पुलिस

310 समसामयिक अपराध और पुलिस

3.11 पीड़ित और पुलिस

3.12 सारांश

3.13 अभ्यास प्रश्न

3.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप जान सकेंगे -

- अपराध विज्ञान की परिभाषा, प्रासंगिकता और वर्तमान में इसका महत्व ।
- पुलिस की भूमिका व कार्य और पुलिस की भूमिका, अपराध विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में ।
- सामाजिक परिवर्तन के साथ-साथ पुलिस के बदलते दायित्व ।
- वर्तमान में होते विभिन्न प्रकार के अपराध और पुलिस की बदलती भूमिका।
- आर्थिक, समसामायिक अपराध व पुलिस के विभिन्न पहलू ।
- पीड़ित और पुलिस से सम्बन्धित विभिन्न तथ्य।

3.1 प्रस्तावना

लातिनी कहावत है कि बिना कानून के अपराध नहीं होते, बिना अपराध के सजा नहीं दी जा सकती । अपराध विज्ञान समाजशास्त्र की ऐसी शाखा है जो समाज एवं व्यक्तिगत स्तर पर अपराध का अध्ययन करती है । अपराध विज्ञान में अपराध, उसके कारणों, बचाव और समस्याओं तथा अपराधियों की सजा और समान अपराध की प्रतिक्रिया विकास और अपराधियों से निपटने के तरीकों के विकास का अध्ययन किया जाता है । अपराध विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में अपराध के विभिन्न प्रकार तथा घटनाओं के साथ ही उसके कारण और परिणाम जानने का विज्ञान है । इसमें समाजिक

और सरकारी नियम-कानून तथा अपराध की प्रतिक्रिया शामिल है। अर्थात सीधे और सरल शब्दों में अपराध विज्ञान को अपराध से बचाव, सुधार और उसके परिणामों का वैज्ञानिक अध्ययन कहा जा सकता है। अपराध विज्ञान अन्य वैज्ञानिक शाखाओं से भिन्न है क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के अपराध के होने के कई और विभिन्न कारण हो सकते हैं । (श्रीवास्तव, 2002) यह ऐसा विषय है जिसमें सतत परिवर्तन होता रहता है। यह स्थायित्व वाला विषय नहीं है तथा यह समाज में अपराध कम करने के लिए अपराधियों से निपटने के नए-नए तरीकों व प्रतिक्रियाओं की खोज करता रहता है । भारत में धर्मशास्त्र दण्ड देने का कार्य करते थे । मुस्लिम राज के दौरान भी भयावह सजाएं दी जाती थीं । आज भारत में जो कानून प्रचलित है वह कुछ ब्रितानवी तथा कुछ भारतीय धारणाओं पर आधारित है और काफी समय से प्रचलित है । आज की सोच अपराधियों को सुधारने की सोच है । इसमें प्रामाणिक तौर पर सुधार करने की जरूरत है ना कि भय या प्रतिशोध की । (श्रीवास्तव, 2002)। कानून का यह बदलाव ही अपराध विज्ञान के अध्ययन का परिणाम है, यह परस्पर सहयोग का क्षेत्र है जिसमें विशेषकर समाजशास्त्रियों, मनोचिकित्सकों तथा अपराधन्यायविदों का सहयोग जरूरी है । समाजशास्त्र, अपराधशास्त्र के क्षेत्र का बड़ा विभाजन है जिसमें पुलिस प्रशासन का मुख्य उद्देश्य अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और मानवविज्ञान के माध्यम से अपराध से बचाव है । अपराध शास्त्र के अन्तर्गत दण्ड विज्ञान-जेलों और जेलों की कार्यशैली का अध्ययन, शारीरिक अपराध शास्त्र अर्थात अपराधिक व्यवहार का जीव वैज्ञानिक अध्ययन, महिला अपराध विज्ञान अर्थात महिला और अपराध में उसकी भागीदारी का अध्ययन तथा उनके प्रति अपराधों का आकलन जो न्यायिक विज्ञान तथा अन्य क्षेत्र से सम्बन्धित है।

अपराध विज्ञान के अनुसार अपराध विज्ञान कानून बनाने की प्रक्रिया, कानून तोड़ने की प्रक्रिया, समाज में कानून तोड़ने की प्रक्रिया की प्रतिक्रिया का अध्ययन है। (सदरलैण्ड, 1939)

3.2 वर्तमान में अपराध विज्ञान की प्रासंगिकता और महत्व

आधुनिक अपराध विज्ञान को समझने के लिए उसका इतिहास जानना अत्यन्त आवश्यक है। अगर हमें अपराध विज्ञान के प्रमुख विषयों को समझना है तो हमें इसके द्वारा चिहित विषयों का अध्ययन जरूरी है । अगर हमें इस क्षेत्र के संस्थानिक अनुभव और चिन्तन का सम्बन्ध देखना है तो हमें कुछ मुख्य बिन्दुओं और उनकी धारणाओं को समझना होगा तथा साथ ही हमें इस विज्ञान से सामान्य प्रश्न करने होंगे, जिसके तहत ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को देखना होगा, जिससे अधिकारिक न्यायिक विशेषता हासिल की गई है । अपराध विज्ञान विषय के रूप में हाल ही में प्रचलित हुआ है लेकिन इसका उपयोग तथा क्रियाशीलता कब से है यह कहा नहीं जा सकता । अपराध विज्ञान परस्पर सहयोग के क्षेत्र का अध्ययन है । जिसमें विद्यार्थी, समाजशास्त्र तथा व्यवहारिकता के गूहन विशेषज्ञों के साथ कई प्राकृतिक विज्ञानों का परस्पर अध्ययन किया जाता है। हालांकि 20वी शताब्दी के उत्तरार्द्ध से अपराध विज्ञान के अध्ययन केन्द्रों की स्थापना होने के बाद शैक्षणिक प्रचार-प्रसार होने के कारण तथा अपराध और न्याय सम्बन्धी कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देने से अपराध विज्ञान एक महत्वपूर्ण व्यवसायिक क्षेत्र के रूप में उभरा है । जिसमें क्रमबद्ध अनुसंधान के माध्यम से निहित विषय का गूहराई से अध्ययन कर ज्ञान अर्जन किया जाता है। (जैनसन, 2003)

अपराध विज्ञान की शुरूआत 18वीं शताब्दी के अन्त से मानी जाती है । उस समय के लेख ऐसा दर्शाते हैं कि अपराधिक न्याय तथा दण्ड देने की पद्धतियों में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया

गया और उस समय की दण्ड की प्रक्रिया को क्रूर, अमानवीय तथा बदले की भावना से प्रेरित बताया है । ये पुरानी पद्धतियां न्याय में समानता नहीं रखती थी तथा इसमें बहुत अधिक भ्रष्टाचार भी था । सताने तथा मृत्युदण्ड का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता था । 18वीं शताब्दी में लोगों तथा समाज के प्रति नैसर्गिक दर्शन काफी बढ़ गया था । मोन्टेस्क्यू वॉल्टेयर, सीजर बेकारिया तथा जर्मी बैन्थम जैसे दर्शनशास्त्रियों ने राजनैतिक और न्यायिक संस्थानों की भर्त्सना करते हुए सामाजिक सुधारों के लिये आवाज उठाई और कहा कि लोग विवेकपूर्ण और विचारशील हैं । इस विचार के माध्यम से अपराधिक कानून अपराध तथा अपराध के प्रति उचित प्रतिक्रिया के लिये प्रथम महत्वपूर्ण प्राकृतिक वैज्ञानिक और आदर्श संस्थान की स्थापना की गई । आदर्श सिद्धांतवादियों का मानना है कि अधिकतर लोग सोच समझ कर तथा फायदा देकर ही अपराध को चुनते हैं । इसी नियम के तहत ही कानून बनाये और लागू किये जाते है।

जैनसन (जैनसन 2003) ने अपराध विज्ञान के ऐतिहासिक विकास सम्बन्धी किताब में अपराध विज्ञान क्षेत्र में यूरोपियन दृष्टाओं के योगदान पर जोर दिया है। उन्होंने तर्कपूर्ण दर्शन के साथ ही प्राकृतिक संसार के अध्ययन के लिये वैज्ञानिक टिप्पणियों की बढ़ती स्वीकार्यता पर जोर दिया है। 19वीं शताब्दी के मध्य की यही जानकारी यूरोपिय दृष्टाओं के कार्य से मिलती है । इन दृष्टाओं ने सरकारी अंकेक्षण के अनुसार अपराध और अन्य सामाजिक समस्याओं की रूपरेखा बनाई, जिसमें अपराध विज्ञान के इतिहास को समझने के लिये कारगर साबित हुई । बेल्लियम (एडोल्फ क्यूटेलेट), फ्रांस (ए.एम. गुटी), जर्मनी (एलेक्लेंडर वीन ओटिजन) तथा इंग्लैण्ड (हैनरी मेध जोसफ पलेयर, चार्ल्स बूथ) में दार्शनिकों ने अपराध के आकड़े एकत्र कर उनका अंकेक्षण किया । ये पहले लोग थे जिन्होंने यह पहचान की कि अपराध सम्पत्ति अथवा क्षेत्र, या सामाजिक व्यक्त था तथा अपराधिता से सम्बन्ध. न हो कर वरन् अपराधिक व्यवहार व्यक्तिगत होता है । यूरोपीय दार्शनिकों के कार्यो से उद्धरण लेकर फ्रांसीसी समाजशास्त्री एमली डर्कहीम (1658- 1917) ने भी अपराध विज्ञान के प्रभाव पर कार्य किया । डर्कहीम ने भी सभी समाजों के अपराधिक व्यवहार को सामान्य बताने वाली बात को काल्पनिक बताया है । उनका कहना है कि किसी भी समाज में नैतिकता का बोध एकसार नहीं हो सकता । सभी समाजों को अपराधिक परिवर्तनों सहित कुछ परिवर्तनों की इजाजत देनी होगी अन्यथा उनमें स्थायित्व आ जाएगा। उन्होंने समाज में अपराधी की स्वतंत्रता के लिये कुछ मूल्य चुकाने के बाद स्वीकार्य बताया । भौगोलिक और पारिस्थितिक विचार को केन्द्र मानते हुए उन्होंने कहा कि आत्महत्या और अपराध की हर समाज के हर वर्ग में सामान्य है जिसे धर्म परिवार तथा राजनैतिक आचरण के अनुभव से जोड़ा जा सकता है।

19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में चार्ल्स डारविन का विभिन्न क्षेत्रों पर पडने वाले प्रभाव के आगे यूरोपीय दार्शनिकों का कार्य गौण हो गया । डारविन के मत का प्रभाव अपराध विज्ञान के दो प्रमुख संस्थान इटेलियन पॉजिटिव्य तथा अमेरिकी के शिकागो सिद्धांत पर पड़ा । हालांकि अपराध विज्ञान के अध्ययन के लिये वैज्ञानिक तरीकों को सबसे पहले अपनाने वाले यूरोपीय दार्शनिक थे लेकिन इतालवी फिजिशियन सीजट लोम्ब्रोसों को अपराध विज्ञान में वैज्ञानिक क्षेत्र का जनक माना जाता है। लोम्ब्रोसों का सकारात्मकता का प्रस्ताव था कि सामान्य रूप से अपराध और अपराधिकता पड़ताल और समाज एवं उसके लोगों के मूल्यांकन (विज्ञान की सकारात्मक तरीकों को लागू कर) से ज्ञात होती है ।

बीसवीं शताब्दी के पूर्व में सिग्मंड फ्रायड द्वारा प्रतिघटित समस्यात्मक व्यवहार (अपराध सहित) के सिद्धांतों के साथ मनोविशलेषण सिद्धांत से अपराध विज्ञान क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास हुआ। मनोवैज्ञानिक विचारधारा ने यह जोर देकर बताया है कि सभी मानव बिना वास्तविकता व परिणाम अथवा सामाजिक परिस्थिति जाने अपराधिक प्रवृति के हो सकते है। बाद के वर्षो में ऑगस्ट एछौहॉर्न (1936) एवं केट फॉइडलैंडर (1947) ने अपचारी युवाओं पर सापेक्ष मनोवैज्ञानिक पद्धतियां अपनाई । इसके बाद कई विद्वानों और लेखकों ने अपराध और अपराधिक विचार में विभिन्न शोध द्वारा अपना योगदान दिया लेकिन सभी ने अपने-अपने विषयों पर ही बात कही । वर्ष 1924 के दौरान एडविन सदरलैंण्ड ने अपनी शिकागो यूनिवर्सिटी से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपनी पुस्तक प्रिन्सिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में अपराध और अपराधिक मामलों को विस्तार और तरीके से समझाया । वर्ष 1939 के संस्करण में अपराध और अपराधिक समस्याओं पर काफी सटीक प्रस्ताव दिए। उनके प्रस्ताव में -

1. सामाजिक ढांचे में अपराध के बटवारे की सामान्य व असामान्य चरित्र की परिभाषा तथा
2. व्यक्तिगत आपराधिक गतिविधि पर अलग-अलग समूह के लोगों द्वारा अलग-अलग परिभाषा को समझाने में मदद मिली।

बाद में कोहन तथा मेरटन जैसे विद्वानों ने एमली डर्कहीम के कार्यो को आगे बढाते हुए अपराध विज्ञान में जोड़ा । उन्होंने अपचारियो की उपसंस्कृति तथा अपराधिक प्रवृति एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों को समझाने की कोशिश की है तथा उद्देश्यों की आपूर्ति व इससे अपराध विज्ञान के उद्देश्य को धीरे-धीरे प्राप्त किया जा सका । इससे सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में यह फैल गया तथा समाज में अराजकता तथा उससे बचने के उपाय से सम्बन्धित नये मत प्रतिपादित हुए और अपराध विज्ञान, विषय की मुख्य संभावना बनी।

मार्क्सवादी विचारधारा से विद्वत्वजनों का एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया जो मार्क्स के विचारों के माध्यम से ही अपराध विज्ञान को देखते थे । इस विचार से विवेचनात्मक अथवा मूलभूत अपराध विज्ञान ने और गति पकड़ी । मूलभूत अथवा विवेचनात्मक अपराध विज्ञान परस्पर विरोधी मत पर आधारित विचारधारा की एक शाखा है जिसका आधार मूल रूप से मार्क्सवादी विचारधारा है । मूलभूत अपराध विज्ञान मार्क्सवादी परिवर्ती सिद्धान्त पर आधारित थी जैसा कि कार्ल मार्क्स (1818- 1883) की "इन्स्ट्रूमेंटल मार्क्सिज्म" से स्पष्ट है । आधुनिक पूंजीवादी समाज कुछ रईसों (मध्यम मार्गीयों) के हाथ में उत्पादन के तमाम स्रोत (फैक्ट्री, कच्चा माल, उपकरण, तकनीक आदि) है जबकि इसके अलावा सभी (सर्वहारा या मजदूर वर्ग) को मजदूरी या वेतनभोगी होने तक सीमित कर दिया गया था। हालांकि मार्क्स ने कभी भी अपराधिक न्याय की व्यवस्थाओं को सुचारू रखने की भूमिका के बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहा है, उनके लेखों से ही मौलिक सिद्धान्त निकला। इसी परिप्रेक्ष्य के अनुसार विशेष तरह के अपराध अलग-अलग चरित्र दर्शाते हैं । चोरी को अमीरों से लेने की कोशिश माना जा सकता है । एरिक हॉब्स वाथन इसे "सामाजिक डाका" मानते हैं । आन्दोलन करने वाले कर्मचारियों की हिंसा असल में क्रांति की शुरूआत है । जिसका परिणाम कर्मचारियों या मजदूरों की पूर्ण कांति द्वारा न्यायपूर्ण समाज की स्थापना है।

3.3 अपराध विज्ञान का महत्व एव प्रासंगिकता

इतिहास के हर युग में मानव जाति की चिंता अपराध के प्रति रही है । यही रूचि जैसे - भावनाओं की स्थिति, जैसे - डर, बदला, दया या सहयोग के अनुसार सामने आती है । अपराध विज्ञान बहुत

महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके सिद्धान्त अपराध के हर पहलू चाहे वह उत्पत्ति मूलक हो या फिर बचाव की बात भी देखता है । अपराध या अपराधियों पर अनुसंधान के लिये प्रेरित करने का मूल कारण उनके चरित्र का अध्ययन है ' । दूसरा कारण लोगों की जिज्ञासा, कि स्वयं की नकारात्मक स्थिति से भविष्य में बचाव कैसे हो सकता है। अपराध की चिन्ता या रूचि व्यक्तिगत ही नहीं होती बल्कि इसमें सामाजिकता भी शामिल रहती है। यह स्थिति मीडिया, न्याय व्यवस्था तथा पुलिस में काफी स्पष्ट रूप से नजर आती है । अखबार और टीवी चैनल्स के रिपोर्टर अपराध और अपराधियों के लिये विशेष कार्यक्रम, लेख आदि तैयार करते है । निजी टीवी चैनल्स न्याय के गठन या क्षणिक गर्मी से सम्बन्धित कार्यक्रम तैयार करते हैं।

ऐसा दावा किया जाता है कि समाज में जागरूकता के लिये समाज का अध्ययन में रूचि लेना लाभदायक है । असल में समाज जांच करता है कि आपराधिक कानून और नियमों की पालना ठीक से हो रही है या नहीं । नतीजतन अपराधियों को प्रभावी रूप से दंडित होते देख समाज में राज्य और न्याय प्रणाली के प्रति विश्वास को जन्म देती है, जबकि न्यायपालिका प्रणाली की अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने में असफलता जैसे कारक, राज्य के कानून और न्यायपालिका प्रणाली ठीक से काम न करने और सजा के ढीलेपन के खिलाफ लडने में विफल रहने के कारण लोग इनमें अपना विश्वास खो देते हैं।

इस सन्दर्भ में समाज अपराध विज्ञान में रुचि रखता है । विभिन्न अपराध विज्ञान अनुप्रयोग के माध्यम से कानून को और अधिक कुशल बनाने व समझने में मदद करता है और अभियोजन पक्ष अच्छी तरह से इस प्रगति से वाकिफ है।

इसके अलावा, असुरक्षा की भावना समाज में उत्पन्न होती है क्योंकि अपराध से अधिक महत्वपूर्ण है, सीधा नुकसान के कारणों को जानना, यह अत्यंत कठिन है क्योंकि इसमें पहले से पुलिस में अविश्वास की वजह से क्षति निर्धारित कर सकते हैं और गहराई तक न्यायपालिका प्रणाली फैली हुई है और वास्तव में संचार नेटवर्क विकसित होने के कारण, मीडिया में अपराध तत्काल प्रदर्शित होते है कभी-कभी ऐसे अविश्वासी प्रसार अतिरंजना का कारण बनता है । लोगों के बीच इस तरह के अविश्वास अंतरराष्ट्रीय आयाम हासिल कर लेते हैं । जबकि घरेलू और विदेशी कंपनियों को अपने निवेश और जीवन और संपत्ति सुरक्षा की वजह और संघर्ष टालने के लिए ऐसे पर्यटकों को ऐसे स्थानों पर नहीं जाने देते । इस अविश्वास की भावना से समाज के भीतर बने डर को 'आपराधिक डर' कहा जाता है, अपराध का डर समाज में बाधित और कमजोर सामाजिक संबंधों को तथा आम तौर पर रहने वाली खुशी को नष्ट कर देता है । अक्सर देखा गया है कि जिस तरह से जन संचार माध्यम अपराध और अपराध की दिशा में समाज के समक्ष अनावश्यक अतिरंजित कर प्रस्तुत कर रहे हैं उससे प्रमुखता से और अपराध का डर भविष्य में हिंसा को जन्म देता है । पुलिस की मुख्य भूमिका नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना है । आज समाज के हर तबके में अविश्वास की भावना पनपने लगी है । लोग मनुष्य से ज्यादा मशीनों और उनके दूसरे उपकरणों पर विश्वास करने लगे हैं । इस स्थिति का आपराधिक दिमाग के लोगों ने फायदा उठाया है । इस तरह के मौजूदा समाज में पुलिस को व्यापक भावना समझने की जरूरत है । संगठन सहयोगात्मक माध्यम और विस्तृत शोध के साथ वर्तमान समाज के लिए अधिक प्रासंगिक तरीकों द्वारा विकसित अपराध विज्ञान के ज्ञान के साथ इसमें मदद करता है । उदाहरण के लिए, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था समकालीन समाज को और अधिक सुरक्षित समाज बनाने में पुलिस

की मदद कर रहा है । अपराध विज्ञान के विभिन्न सिद्धांत लागू करने और उन में समकालीन प्रारूप बनाने, विभिन्न एजेंसियों हमेशा प्रयोगात्मक उपकरणों के साथ शामिल रहती है अन्य देशों में पुलिस समुदाय और इसकी प्रभावशीलता की क्षमता का आकलन करती है जो हम सब देख और आकलन कर सकते हैं।

इसके अलावा सर्व हित में, कुछ व्यावसायिक समूह अपने कार्य की वजह से अपराधों और अपराधियों में विशेष रुचि रखते हैं । यहाँ, वकील, पुलिस, कैदखाना प्रबंधक, सजा देनेवाले, शिक्षक, और राजनेता, सामाजिक सेवा विशेषज्ञों के लिए अभियोजन पक्ष के रूप में अपराध विज्ञान काफी महत्वपूर्ण है । दरअसल, ऐसे लोगों को अपराधियों और अपराध के कारण समझने, अपराध के विरुद्ध लड़ने के लिए कम से कम सामान्य रूप में अपराध विज्ञान की जानकारी रखनी जरूरी है।

इसलिए संक्षेप में अपराध विज्ञान के मुख्य उद्देश्य नीचे दिये गये हैं :-

1. अपराध की रोकथाम और उसे हतोत्साहित करना,
2. अपराध उसके कारणों और अन्य विशिष्ट मुद्दों पर आपराधिक न्याय के मुद्दों के लिए सम्मान के साथ महत्वपूर्ण विवेचनात्मक सोच विकसित करना,
3. आधुनिक अपराध विज्ञान के विकास के लिए अपराधिक सोच से संबंधित ज्ञान और कौशल प्राप्त करना जिससे अपराध और कानून के क्षेत्र में नये आयाम मिल सकें,
4. अपराध विज्ञान के सिद्धांत और अन्य क्षेत्रों में योगदान जैसे विधि, समाजिक विज्ञान आदि के क्षेत्र के व्यवहार को एकीकृत करना
5. कानून का पर्याप्त और प्रक्रियागत ज्ञान,
6. समग्र रूप से समाज के अध्ययन से संबंधित विभिन्न व्यवसायों और शैक्षिक क्षेत्रों के लिए लागू करना।

अपराध की प्रासंगिकता

1. समझ एक व्यक्ति के अपराधी-पथभ्रष्ट बनने की प्रक्रिया को रोकने के लिए बलों की सूझ-बूझ में गतिशीलता में सहायता करता है,
2. अपराध की रोकथाम और नियंत्रण के लिए रणनीति तैयार करने में मदद करता है,
3. अपराधियों से निपटने में इस तरह से मदद करता है है कि समाज उनसे सुरक्षित रहता है,
4. आपराधियों में सुधार कैसे आए और सामाजिक जीवन की मुख्य धारा में वापस किस तरह लौटे इसका संकेत देता है,
5. मुश्किल अपराधियों से वेज्ञानिक पूछताछ के द्वारा जवाब जानने के लिए पुलिस की मदद करता है,
6. बेहतर अभियोजन के लिए अपराधियों के वातावरण और उनके बीच की बातचीत समझने में अभियोजक की मदद करता है,
7. उपयुक्त सजा विकल्प को चुनने के मामले में न्यायाधीशों की मदद करता है,
8. जेल अधिकारियों को कैदी में सुधार की जरूरत का आकलन करने में मदद करता है,

9. परिवीक्षार्थी के खुद को ठीक करने के लिए उपयोगी परिवीक्षा अधिकारी की उपयोगी सामुदायिक संसाधन पहचानने में मदद करता है,
10. अपराध रोकथाम नीति मामलों में पर्याप्त आँकड़ेउपलब्ध कराने के माध्यम से मदद करता है,
11. अनुभवजन्य अध्ययन के लिए तथा प्रस्तावित कानून की स्वीकार्यता के कार्यान्वयन की आवश्यकता का आकलन कर प्रभावी कानून बनाने के लिए कानून निर्माताओं की मदद करता है ।

अपराधी का प्रालेख

अपराध विज्ञान की हाल की प्रासंगिकता को दोषी के प्रालेख (प्रोफाइल) आपराधिक रूपरेखा के रूप में जाना जा सकता है और यह हमेशा जांच में सहायता करने की कोशिश करती है । अपराधिक रूपरेखा इस विश्वास से तैयार की जाती है कि अपराध की विशेषताओं का परीक्षण करके एक अपराधी की विशेषताओं को जाना जा सके । आइंस्वर्थ का कहना है कि आम तौर पर अपराध, और अपराध के दृश्य और पीड़ित के बारे में सभी उपलब्ध जानकारी का उपयोग कर क्रम में संदिग्ध की रूपरेखा रचने की प्रक्रिया को प्रोफाइलिंग कहते हैं।

कनाडा जैसे कई देशों में पुलिस, अपने सिलसिलेवार अपराधिक जांच करने के लिए अधिकतर आपराधिक रूपरेखा के कुछ तरीकों पर भरोसा कर सहायता ले रही है । प्रोफाइलिंग की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका की एफबीआई से हुई, यह प्रस्ताव 1970 में मुख्य रूप से एफबीआई के व्यवहार विज्ञान इकाई (बिहेवियरल साइंस यूनिट) द्वारा विकसित तकनीक पर आधारित है। एफबीआई जांचकर्ताओं ने अपराध दृश्यों की विशेषताओं का अध्ययन और जेल में रखे सीरियल अपराधियों का साक्षात्कार कर अपराधी की रूपरेखा का निर्माण कर इस प्रकार के अपराधियों की पहचान और आसान बना रही है।

आपराधिक प्रोफाइलिंग का उद्देश्य अपराधी द्वारा किये गए अपराध की प्रमुख विशेषताओं, व्यक्तित्व और व्यवहार के आधार पर सिलसिलेवार अपराधियों का सम्पूर्ण विश्लेषण कर उनकी पहचान करना है।

हाल के वर्षों में, आपराधिक जांच समर्थन में रूपरेखा की दो और सामान्य दृष्टिकोण से व्यवहार विज्ञान का उपयोग करने के लिए सम्मिलित किया गया है । एफबीआई मॉडल की तैयार 'आपराधिक खोजी विश्लेषण', रूपरेखा उचित योग्य पुलिस अधिकारियों द्वारा पेश की गई सेवाओं में से एक है। एफबीआई दृष्टिकोण के जैसे ही कुछ मायनों में, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया में, इसी तरह की सेवाओं के समान सेवा योग्य फॉरेंसिक मनोवैज्ञानिक भी अपने क्षेत्र में इस तरह के अभ्यास को बढ़ावा दे रहे हैं।

आधुनिक अपराध विज्ञान में, खोजी गई अपराधी रूपरेखा को आम तौर पर विज्ञान की तीसरी लहर माना जाता है :

1. पहली लहर सुराग का अध्ययन जिसका सबसे पहले 19 वीं सदी में स्कॉटलैंड यार्ड ने बीड़ा उठाया,
2. दूसरी लहर ही अपराध (आवृत्ति अध्ययन, आदि) का अध्ययन किया गया,
3. यह तीसरी लहर अपराधी की मानसिकता का अध्ययन है ।

'अपराधी रूपरेखा' अपराध के पहलुओं की वह प्रतिबद्धता है जो एक अपराधी के बारे में परिणाम की व्युत्पति के लिए ली जाती है । इस प्रक्रिया के लिए व्यक्तिगत राय और आनुभविक आधारित विज्ञान के आधार पर बिना काटछांट किए आपराधिक गतिविधि के कई पहलुओं की विशेष जांच की जरूरत होती है । इसलिए, एक अनुमान लगाया जा सकता है कि ऊपर के अनुभाग से यह महत्वपूर्ण है कि बदलते समाज में अपराध विज्ञान की कितनी भूमिका रही है । सिर्फ अपराध और दंड की बात करने से ही सामाजिक बदलाव इसके दायरे में आ जाता है । केवल अपराधियों और दोषियों की बात करने से ही नहीं वरन् यह पीड़ितों का भी ध्यान रखता है। यह अब पुलिस के दृष्टिकोण से तो वाकिफ कराता ही है साथ ही असहाय भोले-भाले लोगों पर भी ध्यान देता है।यह पुलिस और न्याय प्रणाली में सुधार के लिए शोध तथा कार्य करता है । यह लोगों को अपने और दूसरों के अधिकार जानने और रक्षा करने की समझ बनाने में सहायता करता है।

इसका अध्ययन और अनुप्रयोग समाज को निष्पक्ष, सही बनाने और उन सब की सहायता करता है जो समाज की संरचना के लिए जिम्मेदार हैं । अपराध विज्ञान को महत्वपूर्ण दर्जा हासिल है क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जो सार्वजनिक और निजी सुरक्षा दोनों के लिए आवश्यक है । अपराध और अपराध की रोकथाम के लिए अपराध विज्ञान क्षेत्र में विकास के लिए काफी ध्यान दिया जा रहा है।

3.4 पुलिस : एक आवश्यक एजेंसी

अपराध विज्ञान ने एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल कर ली है क्योंकि यह ऐसा क्षेत्र है जो आमजन और निजी सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है । अपराध रोकने की दृष्टि से अपराध विज्ञान के विकास पर काफी अधिक ध्यान दिया जा रहा है। अपराधिक न्याय व्यवस्था के चार स्तंभों में पुलिस भी शामिल है । पुलिस के कार्य में वह सभी जिम्मेदारियां शामिल हैं जो सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हैं । समाज में पुलिस की भूमिका, लक्ष्य, उद्देश्य अथवा कार्य समझने के लिए हमें अपराध विज्ञान और उससे संबंधित क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं और संबंधों को समझना होगा। ग्लीकार (2000) का कहना है कि पुलिस मूलत: एक आकाशीय व्यवहार (अंतरिक्ष का नियंत्रण) के समान है, मैक्स वेबर (1930) के एक राज्य के आपरेशनल पहले अभिलक्षण को पूरा करने वाले क्षेत्रीयता, वैधता, और बल के प्रयोग के एकाधिपत्य को पूर्ण करता है। पुलिसिंग उन कुछ विधाओं में से है जिसका सामाजिक जीवन, सामाजिक प्रगति तथा सामाजिक बदलाव से बहुत निकट के संबंध है, ये तीनों ही अपराध विज्ञान के दायरे में आते हैं।

अपराध के विभिन्न पहलुओं को समझने में अपराध विज्ञान सफल है, इसके शोध अधिकतर अपराध का कारण तलाशने, रोकने और उत्पत्ति पर ही केंद्रित रहे हैं । पुलिस उन एजेंटों में से एक है जो कानून के शासन की रक्षा करती है तथा नागरिकों को सुरक्षित और निडर वातावरण प्रदान करती है । पुरातन काल से ही अपराध के अध्ययन, अपराध के प्रकार और फैलाव में बदलाव आता रहा है। अपराध ज्ञान और उस पर लगातार शोध के कारण ही अपराध विज्ञान और उसकी शाखाएं अपना कार्य करते हुए सभी समाजों में इस पर रोक लगा पाई है, सभ्यता की शुरुआत से ही लोगों की स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा के लिए संस्थानों की स्थापना होती रही है । समय के बीतने के साथ ही समाजों के स्वरूप में पेचीदगियां आ गई और इसी से आधुनिक पुलिस का सृजन हुआ । पुलिस अधिकारियों

को पहले नगरपाल कहा जाता था, जिसका अर्थ था नगर का रक्षक, यह धारणा और दण्ड पर आधारित था । दण्डनीति शासन कला का एक महत्वपूर्ण तत्व हुआ करता था ।

भारत में अपराध विज्ञान का आधार प्राचीन लिपि मनुस्मृति को माना जाता है, इसमें अपराध से बचाव और अनुसंधान और वैदिक काल के दौरान खुफिया सूचना इकट्ठा करने की प्रणाली के बारे में बताया गया है । वेदों में विभिन्न प्रकार अपराध और अपराधियों के लिए दंड का प्रावधान था। मौर्य और गुप्त काल के दौरान, पुलिस व्यवस्था की गई थी । कौटिल्य का अर्थशास्त्र पुलिस और उनके संगठन के कार्यो की एक स्पष्ट तस्वीर देता है । मुगल काल के दौरान, कानून और व्यवस्था प्रशासन फौजदार के नीचे किया गया था । पुलिस स्टेशन के प्रभारी थानेदार थे जो फौजदार की सहायता करते थे । वह राजस्व कार्यो के लिए भी जिम्मेदार था । कोतवाल का पद काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह शहर पुलिस का प्रमुख था । उसके कार्यो में अपराध और सामाजिक बुराइयों की रोकथाम और जेलों की व्यवस्था, खुफिया सूचना संग्रह, रात में शहर में गश्त शामिल था ।

ब्रिटिश काल के दौरान, पुलिस प्रणाली को मुगलों के तहत समय की बदलती जरूरतों साथ जारी रखने की अनुमति दी गई थी । आधुनिक दुनिया में आज भी निरंतर उन्नति और सुधारों के लिए पुलिस संगठन की बेहतरी का कार्य किया जाना चाहिए और पुलिस क्षेत्र के कुशल संचालन के लिए शोध की आवश्यकता है, भारत सरकार ने ऐसे संगठन जैसे बीपीआरएण्डी (ब्यूरो फॉर पुलिस रिसर्च एण्ड डवलपमेंट), एनआईसीएफएस (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एण्ड फोरेंसिक साइंस) और एनसीआरबी (नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो) की स्थापना की है।

अत: यह अवलोकन किया जा सकता है कि पुलिस और अपराध विज्ञान बहुत प्राचीन समय से एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। अपराध विज्ञान का स्थिर क्षेत्र नहीं है, यह भी समाज में होने वाले परिवर्तन के साथ बदलता रहता है, इस प्रकार के परिवर्तनों को अपने विभिन्न विषयों में समाविष्ट करने को बढ़ावा देना चाहिए, चाहे वह पुलिस न्याय व्यवस्था, अभियोजन, पीड़ित, अपराधियों आदि से सम्बंधित हो।

पुलिस राज्य का विषय है और इसका संगठन और कार्य राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों द्वारा संचालित होता है । ये नियम और विनियम राज्य पुलिस बलों की पुलिस नियमावली में रेखांकित हैं । प्रत्येक राज्य / संघ क्षेत्र का अपना अलग पुलिस बल है । पुलिस बलों की विविधता के बावजूद, बहुत कुछ उन लोगों के बीच एक जैसा है । इस के चार मुख्य कारण हैं

1. राज्य पुलिस बलों की संरचना और कार्य 1861 के पुलिस अधिनियम द्वारा अधिशासित होते हैं, जो देश के अधिकांश भागों में लागू हैं, या ज्यादातर अधिनियम राज्य पुलिस के 1661 के विधान पर अधारित हैं ।
2. प्रमुख अपराध कानून, जैसे भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आदि समान रूप से देश के लगभग सभी भागों के लिए लागू हैं ।
3. भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) एक अखिल भारतीय सेवा है, जिसकी भर्ती, प्रशिक्षण और प्रबंध केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है और केंद्र राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को बड़ा बेड़ा प्रदान करता

4. भारतीय राजनीति के अर्ध संघीय चरित्र, संविधान में विशिष्ट प्रावधानों के साथ पुलिस मामलों और यहां तक कि अधिकारियों को केंद्र के लिए कुछ केंद्रीय पुलिस संगठन स्थापित करने के लिए एक समन्वयक और परामर्शी की भूमिका अदा करने की अनुमति देता है।

3.5 पुलिस की भूमिका ओर कार्य

वर्तमान में भारतीय पुलिस प्रणाली 1861 के पुलिस अधिनियम पर आधारित है, इस अधिनियम के तहत पुलिस को कार्यकारी सरकार के अधीनस्थ कर दिया गया था । बाद में, पुलिस संरचना के साथ कार्य प्रणाली में कई परिवर्तन किये गये । लेकिन बुनियादी संरचना और विशेषताओं के रूप में 1881 के पुलिस अधिनियम में उल्लिखित व्यवस्था को ही जारी रखा। 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक, पुलिस प्रशासन सर्वोत्तम प्रणालियों में से एक के रूप में विकसित हो चुका था । आजादी के बाद भारत सरकार ने महसूस किया कि यह प्रणाली नई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है और अच्छी तरह से स्थिरता बनाए रखने के लिए नई सरकार की मदद करने के लिए सक्षम है ।

सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव और अपराध की रोकथाम पुलिस का प्रमुख कार्य रहे हैं। 1861 अधिनियम के अनुसार, पुलिस का कार्य अपराध घटना और सार्वजनिक उपद्रवों को रोकने, न्याय के लिए अपराधियों लाने, सार्वजनिक शांति को प्रभावित करने वाली जानकारी इकट्ठा और इन बदलते राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को देखते हु ए सभी सार्वजनिक स्थानों में व्यवस्था बनाए रखने का है। 1970 में आयोजित संयुक्तराष्ट्र की अपराध रोकथाम की कांग्रेस ने शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, जनसंख्या वृद्धि, आंतरिक प्रवास, सामाजिक गतिशीलता और प्रौद्योगिकीय परिवर्तन आदि को अपराध उत्पत्ति के कारकों के रूप में पहचाना। सांप्रदायिक और अन्य सामाजिक तनाव भी अपराध के कारणों में माने जाते हैं इसकी वजह से सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ जाती है और हिंसा फूट पड़ती है।

पुलिस का मुख्य कार्य नागरिकों की रक्षा, उनकी संपत्ति ' की रक्षा और कानून व्यवस्था लाग करना है । पुलिस को सामाजिक रक्षा योजना में एक सकारात्मक भूमिकाअदा करनी होती है । इस भूमिका से वे बच नहीं सकते । एक लोकतांत्रिक समाज में पुलिस की भूमिका समाज सेवा से जुड़ी है, यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां पुलिस को सामाजिक कानून के संबंध में एक सकारात्मक भूमिका सौंपी गई है । ये विधान विभिन्न स्थानों पर असंख्य लोगों के जीवन पर प्रभाव डालते हैं। यह लोगों की सेवा के लिए विभिन्न अवसर प्रदान करता है साथ ही यह चुनौती भरा भी साबित होता है । बदलते राजनीतिक संदर्भ में, पुलिस कानून के अधिकारियों के रूप में के कार्य करती है न कि सत्ता में पार्टी या सरकार के अधिकारियों के रूप में । भारत सरकार द्वारा 1977 में स्थापित राष्ट्रीय पुलिस आयोग के अनुसार, पुलिस के कर्त्तव्यों और जिम्मेदारियों निम्नलिखित हैं :-

1. सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने और बढ़ावा देना,
2. अपराध की जांच-पड़ताल करना,
3. उन समस्याओं और स्थितियों को पहचाना जिनसे अपराधों की उत्पत्ति की संभावना हो,
4. अपराध की उत्पत्ति के लिए अवसरों में कमी के लिए निवारक गश्त और अन्य उपयुक्त पुलिस के उपाय करना,

5. अपराधों की रोकथाम के लिए उपाय और अन्य संबंधित एजेंसियों को उचित सहायता लागू करने में सहयोग करना,
6. जो व्यक्ति शारीरिक नुकसान के खतरे में हैं उनकी सहायता,
7. समाज को सुरक्षा प्रदान करते हुए सुरक्षा की भावना बनाए रखना,
8. लोगों और वाहनों की आवाजाही की सुव्यवस्थित सुविधा प्रदान करना,
9. संघर्षो को सुलझाने और सौहार्द को बढ़ावा और परामर्श देना, और
10. कठिन स्थितियों में लोगों को राहत और अन्य उचित सेवाएं प्रदान करना, तथा
11. सार्वजनिक शांति, सामाजिक, आर्थिक अपराधों, राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा सहित अपराध को प्रभावित करने के मामलों में सूचना एकत्र करना ।

भारतीय संदर्भ में पुलिस की भूमिका काफी संदिग्ध है । ऐसा कहा जाता है कि हाल के वर्षो में घटने वाले अपराधों से लड़ने के लिए अकुशल, अयोग्य और पूर्ण रूप से सुसज्जित नहीं है । प्रौद्योगिकीय प्रगति और विभिन्न प्रकार के नए प्रायोजित अपराधों में तेजी के कारण तथा सामरिक होने से अपराध के बढ़ते रूपों की ओर ध्यान केंद्रित कर पाना पुलिस के लिए मुश्किल हो गया है । अपराध विज्ञान ऐसे अपराधों की पहचान, निपटने की रणनीति विकसित करने और इसके खिलाफ लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ।

उदाहरण के लिए संगठित अपराधों जो बहुत लंबे समय से प्रचलित थे, लेकिन आम जनता के लिए एक खतरा कभी नहीं माने जा रहे थे लेकिन हाल ही में हमारे समाज के सूक्ष्मतम अनुभाग में बाधा डालने वाला पाया गया । मकोका के अधिनियमन इसके खिलाफ लड़ने की दिशा में एक कदम है ।

कंप्यूटर जिनका आविष्कार मानव जाति की मदद तथा जीवन की जटिलता कम करने के लिए किया गया था, वे अब मानव जीवन अस्तित्व के लिए ही बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं । सभी आतंकवादी गतिविधियों में साइबर प्रौद्योगिकियों. का सहारा ले रही ही हैं । अपराध विज्ञान ने कंप्यूटर से संबंधित अपराध के सभी प्रकारों की पहचान करने की कोशिश की है और इसके गंभीर खतरे को रोकने के लिए रणनीति विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया है । समाज को बेहतर सेवा और सभी के लिए एक सुरक्षित और भय मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए पुलिस और अपराध विज्ञानी एक साथ काम कर एक दूसरे की मदद करते हैं । निम्न अनुभाग में पुलिस की भूमिका का विश्लेषण कर अपराध विज्ञान के साथ अपने संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है । इसके अलावा, यह भी महत्वपूर्ण है कि आज के तेजी से बदलते समाज में हर घटक को समझने और उस पर ध्यान देने की जरूरत है । पुलिस एक ऐसा एजेंट है जो समाज के किसी भी रूप में विचलन के होते ही आम जनता के संपर्क में आ जाती है। आपराधिक न्याय प्रणाली के किसी भी अन्य वर्ग से परिचय कराने से पहले पुलिस समाज को संभालती है शांति बनाए रखने और तसल्ली देने का कठिन काम करती है।

3.6 पुलिस : अपराध विज्ञान परिप्रेक्ष्य

आज, आधुनिक समाज में पुलिस को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है । भारत में, पुलिस राज्य का निग्रह बल है, जिसे राज्य का बुनियादी कर्तव्य सौंपा गया है जैसे कानून और व्यवस्था बनाए रखना, व्यक्तियों और समुदायों के बीच सुरक्षा भावना को बढ़ावा देने के साथ शासन में मदद भी शामिल है।

इसलिए, कानून और व्यवस्था प्रशासन ने केन्द्र, राज्य, रेंज, जिला और उप जिला, ग्रामीण और शहरी स्तर पर महत्व हासिल कर लिया है । बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और राजनीतिक चेतना के तेज विकास से कानून व्यवस्था की समस्या को बढ़ावा मिला है । भूमि संबंधी और आदिवासी विद्रोहों, राजनीतिक, जाति और सांप्रदायिक हिंसा, श्रमिक, छात्र अशांति और आतंकवाद तथा महिलाओं के खिलाफ अपराध दरों में बढ़ोतरी, साइबर खतरा, बाल अपराध या भगोड़े बच्चे आदि कानून और व्यवस्था तथा समाज की शांति को प्रभावित करने वाली समस्या के संकेत हैं । सभी समाजों में, विशेष रूप से विकासशील समाजों में, ये संघर्ष और तनाव अपरिहार्य है और कई अलग रूपों में प्रकट हो रहे है । जब तक इन बुनियादी मुद्दों को ठीक से न जाना जाय तब तक स्वतंत्रता और स्वाधीनता का कोई अर्थ नहीं है

3.7 सामाजिक परिवर्तन ओर पुलिस

स्वतंत्रता के बाद के युग में भारतीय समाज बेहद बदल गया है । यह अभी भी बदल रहा है और प्रगति की गति व्यवस्थित तरीके से तेजी से आगे बढ़ रही है। 1991 की आर्थिक नीति और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास ने इस परिवर्तन को नया आयाम दिया है । दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह परिवर्तन का आयाम, तकनीकी, सामाजिक, और आर्थिक रूप में है । जब हमारे जैसे एक बहुलवादी समाज के व्यक्तिगतकरण पर एक बढ़ते हुए लहजे के साथ लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष और कल्याणकारी राज्य के संवैधानिक ढांचे के भीतर आए परिवर्तन की गतिशील प्रक्रिया है, ऐसी स्थिति में हलचल की एक निश्चित मात्रा अपरिहार्य है । इन क्षेत्रों में प्रभावशाली और वास्तविक पुनर्निर्माण के पर्याप्त प्रदर्शन में खामियों से ऊंची उम्मीदों के बीच टकराव पैदा होता है । यह स्वाभाविक रूप से सामान्य प्रशासन और पुलिस के लिए समस्याओं को जन्म देता है, विशेष रूप से, और इन समस्याओं से निपटने में व्यापक धारणा और उनके कारण तथा परिणाम के रूप में अच्छी तरह से विकास की गहरी अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है ।

आज के संदर्भ में परिवर्तन के प्रबंधन और बदलते परिवेश में निहित संघर्ष महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिसमें पुलिस से कुशलतापूर्वक कार्य करने की उम्मीद की जाती है । यह रिकॉर्ड पर है कि भारतीय पुलिस ने आजादी के बाद पिछले छह दशकों के दौरान विविध कानून और व्यवस्था की सामाजिक परिवर्तन के प्रभाव से पैदा समस्या का सराहनीय मुकाबला किया । हालांकि, विशाल तकनीकी क्रांति और वैश्वीकरण के युग में पुलिस पुराने यंत्र और पुराने तरीकों के द्वारा सामाजिक परिवर्तन ला सके।

बदलते सामाजिक परिवेश के साथ भारतीय पुलिस के लिए सबसे अहम् और प्रथम बात इस दिशा में ध्यान रखने योग्य यह है कि वह भली भांति अपने कार्य में परिपक्व, प्रशिक्षित और कुशल है । अपने कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए जरूरी है कि वह बदलते सामाजिक परिवर्तन के अनुसार कुशल प्रबन्धन के गुण सीखें । परंतु इसमें समाहित सभी दिशाओं के तनावों से बचने के लिए संगठनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसमें मानव संसाधन सम्बन्धी योजना, आधुनिकीकरण और प्रभाव उपयोग हो । भारतीय समाज के बदलते परिवेश, वैश्वीकरण (नवीनतम तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, विकसित समाज के उद्देश्यों के साथ-साथ पुलिस की भूमिका के परिवर्तन को देखना चाहिए।

यह उचित समय है कि आधुनिक भारत में पुलिस की भूमिका और कार्यो को देखा जाऐ, जिससे पुलिस सामाजिक परिवर्तन में अभिकर्त्ता बने । यही हम यह देखते हैं कि अपराध विज्ञान देश के विकास और स्थायित्व में अहम् भूमिका रखती है । अपराध विज्ञान का क्षेत्र है कानून को बनाना, कानून को तोड़ना और कानून तोड़ने पर समाज की प्रतिक्रिया को देखना, जिससे की वर्तमान में चल रहे कानून को समझा जा सके और नए कानून बनाए जा सकें। जो कि सामाजिक परिवर्तन का आधार हों। इन्हीं कानून को लाग करने में पुलिस की निर्णायक भूमिका होता है।

3.8 किशोर ओर पुलिस

कुछ लोगों का मानना है कि किशोरों के प्रति व्यवहार देश की पुलिस के कार्य से बाहर है; परन्तु कोई इस तथ्य को नकार नहीं सकता कि पुलिस के कार्यो में बाल अपराधियों को ढूँढ़ना भी शामिल है ।

आज का विश्व बहुत तेज गति से बदल रहा है । औद्योगिकीकरण और वैश्वीकरण समाज और हमारे घरों में हर रूप में अपनी जड़ें जमा चुका है चाहे वह शिक्षा हो या व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकतायें । नौजवान पीढ़ी की इच्छाएं और जरूरतें भी दिन-ब-दिन बदलती जा रही हैं । वह बहुत संशय में, डरे हुए और आशंकित हैं । वह उन वस्तुओं की ओर लालायित हैं जो अमीर वर्ग के बच्चे रखते हैं और कार्य को करने की जल्दी में रहते हैं । जिससे वर्तमान की नौजवान पीढ़ी भटकी हुई और आपराधिक होती जा रही है । पहले कभी इतनी तीव्र गति से परिवर्तन नहीं हुआ ना ही हमारे मूल्यों में और ना ही जीवन जीने के तरीकों में । परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष यात्रा, स्वचालन की ललक, सांस्कृतिक परिवर्तन, बढ़ती आबादी, परिवार गतिशीलता, जन पत्रकारिता का बढ़ता प्रभाव आजकल की नौजवान पीढ़ी को बदलने में योगदान कर रहा है। यह नौजवानों की जीवन शैली को व्यापक रूप से प्रभावित कर रहा है।

एक बार जब नौजवान अपने आपराधिक मार्ग की तैयारी करते हैं, उनका पहला सम्बन्ध बाल अपराधियों से होता है । जो पुलिस अफसर के माध्यम से बाल न्याय व्यवस्था में मिलवाता है । इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए जो पुलिस की भूमिका है उसकीशुरुआत हो जाती है परंतु अपराध विज्ञान की भूमिका उस बिन्दु से प्रारम्भ होती है जब नौजवान कानून को मानने वाले बच्चे अपनी राह से भटककर अपराध कर बैठते हैं । इन कार्यो के पीछे के कारण को समझना, यह जानना कि इस अपराध का जन्म कहां से हुआ और उसकी रोकथाम का रास्ता ही अपराध विज्ञान द्वारा किया जाना चाहिए । पुलिस के द्वारा अपराध विज्ञान के तमाम तरीकों में से एक तरीका है । अपराध विज्ञान की मदद से या समझ से पुलिस और न्यायिक प्रणाली ऐसे अपराधियों को समझ सकती है । इन अपराधियों के स्वभाव और परिस्थिति के सम्बन्ध को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है क्योंकि वही नोजवानों को बहुत हद तक प्रभावित करता है । बालकों के लिए, पुलिस की भूमिका बहुत जरूरी है, क्योंकि नौजवानों कट नजरिया (कानून लागू करने की ओर) पुलिस अफसर के परिचय से प्रभावित. होता है । बाल अपराधी बहुत अधिक संख्या में अपराधों से जुड़े होते हैं । इसलिए कानून बनाने और लाग करने में यह बहुत बड़ी चुनौती है कि इनसे कैसे निपटा जाए।

भारत में, बाल अपराधियों को लेकर व्यवहार और कानून, बाल न्यायिक व्यवस्था अधिनियम, 2000 पर आधारित है । यह कानून बाल अपराधियों का कानून से द्वन्ह और इसके प्रति. उनका व्यवहार

के बारे में बताता है । साथ में यह भी बताता है कि बच्चों की देखभाल और सुरक्षा कैसे की जाए । पुलिस की भूमिका इन बाल अपराधियों के लिए और भी व्यापक इसीलिए होती है क्योंकि उन्हें कई गैर-आपराधिक मामले जैसे सामान्य नियमों का उल्लंघन (जैसे - भाग जाना, कर्फ्यु का उल्लंघन) और कर्त्तव्यत्यागी (कामचोर) व अन्य गैर आपराधिक मामलें जैसे गाली-गलोच या गुमशुदगी इत्यादि को भी देखना पड़ता है । अधिक बड़े शहरों में विशेष पुलिस इकाई या बाल अपराधी ब्यूरो बढ़ते बाल अपराधों की वजह से बनाए गए हैं । बाल अपराधियों के लिए नियुक्त किए गए विशेष अफसर गुमशुदा बच्चों की रिपोर्ट, भाग जाने के केस, बाल अपराध की छानबीन, बाल अपराधियों से वार्ता, उनके माता-पिता या अन्य सहयोगी से बातचीत, अपराधिक परिस्थिति सम्बन्धित शिकायत, बाल अपराधियों का रिकार्ड और बाल न्यायालय में पेशी जैसे कार्यो को करते हैं।

3.9 आर्थिक अपराध और पुलिस

दूर संचार के माध्यमों का विकास और सूचना तकनीकी में विकास, के कारण राज्यों की सीमा होते हुए भी राज्यों की सरहदें पार करके भी अपराध, भ्रष्टाचार और धोखा-धड़ी बढ़ती जा रही है । अपराधी आर्थिक अपराध उच्च तकनीक के माध्यम से कर रहे हैं और फिर भी कानून के लम्बे हाथों से छूटते जा रहे हैं । आर्थिक अपराध में एक विशेष व्यक्ति पीड़ित नहीं होता, परंतु इससे देश की सामान्य अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है । जिससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि एवं विकास पर प्रभाव पडता है । आर्थिक अपराध के भयानक परिणाम सामने आते हैं जैसे - मुद्रा स्फीति में बढोतरी का दबाव, काले धन का बनना आदि। ब्रिटिश जन जिन्होंने IPC, 1860 का निर्माण किया था, कभी-कभी मानव अंगो का व्यापार, बैंक घोटाले, शेयर घोटाले, क्रेडिट कार्ड घोटाले इत्यादि अपराधों का वर्णन करते हैं जिनके बारे में समझा या सुना नहीं गया था। अत: IPCमें बाह्य तौर से आर्थिक अपराधों के बारे में वर्णन नहीं है और इनसे कैसे निपटा जाए इस बारे में बताया गया है । उदाहरण के लिए : कॉपी राइट एक्ट, 1957, पुलिस/ सीबीआई को कम्प्यूटर अपराध और साफ्टवेयर पाइरेसी के लिए सशक्त किया । परंतु पुलिस कार्मिक अक्सर कम्प्यूटर सम्बन्धी ज्ञान में इस विषय में जानकारी भी रखता है, तब भी उनकी सेवाओं का इस कार्य के लिए अधिकतम उपयोग नहीं किया जाता।

नए तरीकों को विकसित करने की जरूरत है जिससे ऐसे अपराधों पर रोक लग सके । पुलिस को नवीनतम तकनीकियों से सम्बन्धित प्रशिक्षण देना चाहिए, जिससे की वह अपराध के नए तरीकों को जान सकें और यथासम्भव रोक लगा सकें। अपराध वैज्ञानिक नए तरीकों को विकसित करने में पुलिस की मदद करें और आपराधिक न्यायिक कार्मिक को पनपते हुए नवीन अपराधों की जानकारी रहे। जिससे उन्हें रोकने में मदद मिल सके।

3.10 समसामयिकअपराध और पुलिस

समसमयिक अपराधिक तरीकों से मतलब है कि वर्तमान समाज में ऐसे अपराधों का जाल बन चुका है । आज के विश्व में जो अपराध हो रहे हैं, वह समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है । विकास के साथ, समाज को सिर्फ फायदा नहीं हो रहा है, अपितु इसके बहुत भयभीत करने वाले परिणाम भी सामने आ रहे हैं । आतंकवाद, व्यवस्थित अपराध और साइबर या कम्प्यूटर सम्बन्धी अपराध आज के समाज में अपनी जडें जमा चुका है और मानवीय जनसंख्या को नुकसान भी पहुँचा रहा है। वर्तमान

में आतंकवाद अतंर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में राष्ट्रों की एकता पर खतरा बना हुआ है और तबाही मचा रहा है। डब्लू टी. सी. पर हुए हमले से हमारी आंखे खुली, जिसने भारत और दक्षिण ऐशियाई देशों की त्रासदी और अशांति के बारे में समस्त विश्व को आतंकवाद की गवाही दी। आतंकवाद का लक्ष्य प्रजातंत्र को दुर्बल करना और अशांति को जन्म देना है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था और सामाजिक नियमों को कमजोर करना है। वर्तमान दौर में आतंकवाद से निपटने के लिए, अत्याचार और आतंकवाद के पुराने नियम, आतंकवाद के बदलते स्वभाव से निपटने में अक्षम है। आज के लिए यह जरूरी है कि पुराने गैर-आतंकवाद कानूनों को बदलकर, नए और सख्त नियम बनाए जाऐं। पुलिस इकाइयाँ बहुत मेहनत के साथ आतंकवाद का मुकाबला कर रही हैं परंतु फिर भी वह आतंकियों से कुछ कदम पीछे ही रहती हैं क्योंकि इनको इसके अतिरिक्त अन्य असंख्य कार्य करने होते हैं। यदि विकसित होती नई पॉलिसी और तरीकों को अपराध वैज्ञानिकों के कंधों पर दे दिया जाए, तब ना केवल पुलिस फोर्स ज्यादा ध्यान केन्द्रित होगी अपितु बनाए गए कानूनों का भी सख्ती से पालन होगा।

व्यवस्थित अपराध भी देश के लिए गंभीर चुनौतीपूर्ण अपराध है और आतंकवाद के साथ एक ही श्रेणी में रखा जा सकता है। यह धन और बल शक्ति पर आधारित है, जो कि प्रजातांत्रिक देश की राजनीति / मूल्यों पर प्रश्न चिह्न लगाता है। यू एड. ए. ने इसकी जोखिम की रोकथाम के लिए कानून की शृंखला तैयार की है; दि ऑर्गेनाइक्राइम कंट्रोल एक्ट, 1970, दि रेकटइयरस इह्मलेन्सड एण्ड करप्ट एक्ट, 1970, दि विटनस सेक्युरिटी रिफोर्म एक्ट, 1965। इन कानूनों को लागू किया गया, जब आतंकी समूह के सदस्य बहुत प्रभावी और शक्तिशाली हो गए सजा से बचते रहे क्योंकि बेहद अनिच्छा के साथ गवाह होते। उपरोक्त बताए गए कानून के अलावा, अमरीकियों ने आतंकवाद विरोधी एक्ट, 1995 में बनाया जिसके द्वारा उन्होंने बहुत हद तक आतंकवादी गतिविधियों को रोका। ब्रिटिशों के द्वारा भी अपनी स्टेच्यू बुक में आतंकवाद की रोकथाम एका, 1989 का निर्माण किया और समय-समय पर इस कानून को मजबूती दी। आतंकवाद और व्यवस्थित अपराध से लड़ने में भारत भी किसी से कम नहीं है। भारत द्वारा MCOCAएक्ट, को लागू करना, अपने आप में स्वयं व्याख्या करता है कि भारत ने आतंकवाद को रोकने के पर्याप्त प्रयास कर रहा है। परंतु यह एक्ट केन्द्रित नहीं है और केवल दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे कुछ ही राज्यों ने इसे लागू किया है। इसके अतिरिक्त, पुलिस का कार्य इनके दस्तावेजों को इकट्ठा करना और मिलान बहुत मुश्किल होता है क्योंकि अंततःऐसे अपराध में सभी दस्तावेज खत्म कर दिए जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, अपराध वैज्ञानिक इस पर विस्तृत जानकारी हासिल कर और अपराध सम्बन्धी सारी सैद्धान्तिक जानकारी इकट्ठा कर के उसे अपराध-अपराधी से मिलान करकेपुलिसका समय बचा सकते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे केस का जल्दी और सही निपटारा हो सकता है। इस सम्बन्ध में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, एन. आई. ए. (दि नेशनल इन्वेसिटिंग ऐजेन्सी) का निर्माण किया गया, जो कि केन्द्र-राज्य की साझेदारी, जिसमें ऐसे अपराधों की छानबीन और आतंकवाद आदि के अभियोजन पर नजर रखे। आई. पी. सी. में राज्य (दंड 121 से 130) के खिलाफ अपराध और मुद्रा व बैंक (दंड 489ए से 489 ई) सम्बन्धित अपराध दोनों को एन. आई. ए. की जिम्मेदारी पर सौंपा गया है।

साइबर अपराध या कम्प्यूटर सम्बन्धित अपराध आज की समाज में जड़े जमा चुका है। कम्प्यूटर ने विश्व को संकीर्ण बना दिया है और जिंदगी के सभी पहलुओं से कम्प्यूटर जुड़ चुका है।

कुछ की मिनटों में खरीददारी, दोस्त से बातचीत, मुख्य और गोपनीय दस्तावेजों का रखरखाव, पैसे का लेन-देन और अन्य भी सभी गतिविधियां कम्प्यूटर के द्वारा पूर्ण होनी सम्भव हैं । कम्प्यूटर पर निर्भरता दिनों दिन बढ़ती जा रही है । इसी वजह से कम्प्यूटर से सम्बन्धित अपराध और कम्प्यूटर से उपजे अपराध बढ़ते जा रहे हैं । प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह बहुत आसान लक्ष्य बन गया है, यदि किसी को नुकसान पहुँचाना हो । अपराधियों को कम्प्यूटर की जानकारी प्राप्त है, अत: अपराध करना सरल हो ' गया है क्योंकि वह अपने आप को पीछे रखकर, आसानी से अपराध कर रहे हैं । सबसे सही तरीका ऐसे अपराधों को रोकने का सिर्फ यही है कि कानून को सही तरह से लागू किया जाए और तकनीक व बाजार-आधारित हल खोजें जाऐं । परंतु राज्य की सीमित शक्तियों से ऐसा हो पाना मुश्किल है । अपराध विज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों से ऐसा सम्भव है । पुलिस अकेले ही ऐसे उच्च-तकनीक अपराधों को रोक नहीं सकती और ना ही यह किसी एक देश के द्वारा सम्भव है । पुलिस, न्याय-व्यवस्था, अभियोजन, अपराध वैज्ञानिक और राज्य मिलकर इन अपराधों को रोकने में सक्षम हैं।

3.11 पीड़ित ओर पुलिस

पीड़ित का नजरिया या पीड़ित विज्ञान ऐसा विज्ञान है जो पीड़ित का अध्ययन करता है । इस शब्द की खोज 1949 में फ्रेडरिच वर्थम द्वारा की गई थी । अपराध विज्ञान सभी मनुष्यों को समान मानते हुए (बिना किसी अंतर के)सभी के अधिकारों की रक्षा करता है । अत: हम कह सकते हैं कि अपराध विज्ञान के द्वारा पीड़ित विज्ञान का जन्म हुआ है । पीड़ित विज्ञान वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर यह अध्ययन करता है कि परिस्थिति व संभावित कारक जिनकी वजह से कोई पीड़ित हुआ और ऐसे तरीकों की खोज करता है जिनके द्वारा इन्हें रोका जा सके। ऐसे हालात में पुलिस की भूमिका भी चुनोतीपुर्ण हो जाती है क्योंकि पीड़ित पुलिस विभाग को सहायता व न्याय के लिए तलाशता है । पीड़ित का पहला मुकाबला पुलिस से होता है । पीड़ित कोई भी हो सकता है वह जो दोषी है और जिसे जेल में डाला गया, पीड़ित माना जाता है क्योंकि वह जेल में हो रही परिस्थिति से पीड़ित है । पीड़ित वह भी है जिसको चोट पहुँचाई गई है, वह व्यवस्था से पीड़ित है । पुलिस ही वह होती है जो पीड़ित के सम्बन्ध में सबसे पहले आती है । अत: उसका सबसे बड़ा दायित्व है कि वह पीड़ित का ध्यान रखे और उसे पूरा सहयोग दे । एफ. आई. आर. के द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों को खोजे, कोर्ट में दस्तावेज उपलब्ध कराए और पीड़ित की संवेदनाओं का ध्यान रखे । उच्च खतरे की स्थिति में पुलिस, पीड़ित को सुरक्षा भी मुहैया करवाए । वह पीड़ित को समझाए और उससे सत्यता जानने का प्रयास करे।

3.12 सारांश

उपर्युक्त पाठ के अध्ययन के बाद हम यह कह सकते हैं कि पुलिस समाज के हर दायरें में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है । नए-नए प्रकार के अपराधों के उद्भव और उनकी समझ तभी आ सकती है जब कोई व्यक्ति या संस्था इसमें विशिष्टता रखता हो और छानबीन करने वाली संस्था मदद करे । अपराध वेज्ञानिक चुनौतीपूर्ण कार्य करते हैं । वे बतलाते हैं कि समाज को कौन प्रभावित कर रहा है और असंतुलन बना रहा है । किस प्रकार से ऐसे असंतुलन को रोका जाए, जिससे की समाज में शांति व सौहार्द्ध बना रहे । पुलिस के लिए चूंकि वह किसी भी अपराध की प्रथम अनुभव (दृश्य) लेने वाले होते हैं, अत: अपराध वैज्ञानिकों की मदद से वह उन पर काबू पा सकते हैं । इन्होंने अपराध

व अपराधी को समझने में योगदान दिया है । दिन-ब-दिन बदलते समाज के लिए अपराध करने के नवीन तरीकों की जानकारी, समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है । पुलिस व समाज का सह-सम्बन्ध है । वह समाज की संवेदनाओं के रक्षक हैं और समाज को सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं। अपराध विज्ञान की जानकारी होने से पुलिस ज्यादा हौंसले के साथ अपराध व अपराधी को समझ सकती है। अत: कहा जा सकता है कि आज समसामयिक समाज में अपराध विज्ञान की जानकारी आवश्यक है। अपराध विज्ञान जैसे विषय का प्रशिक्षण, सिर्फ पुलिस को नहीं अपितु न्यायिक संस्थाओं और अभियोजन को भी दिया जाना चाहिए जिससे की बनाए गए नियमों को भली प्रकार से समझकर लागू किया जा सके।

3.13 अभ्यास प्रश्न

1. अपराध विज्ञान से आप क्या समझते हैं? आज के समाज में इसकी क्या आवश्यकता है'
2. “पुलिस और समाज का सह-सम्बन्ध है ।" उदाहरण देकर इस कथन को विस्तार से समझाइये।
3. देश में बाल अपराधियों की संख्या निरंतर बढती जा रही है । अपराध विज्ञान इसमें पुलिस की किस प्रकार से मदद कर सकता है?
4. अपराध विज्ञान का महत्व व इसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए ।
5. "पुलिस की भूमिका व कार्य" विषय पर निबन्ध लिखिए ।
6. आर्थिक, समसामयिक अपराध व पुलिस के विभिन्न पहलूओं पर प्रकाश डालिए ।

संदर्भ ग्रंथ

1. राम आहुजा : क्रिमिनोलॉजी, नई दिल्ली, रावत पब्लिकेशन, 2000
2. डेविड गार्लेड : क्राइमस एण्ड क्रिमिनलस : दि डवलपमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी इन ब्रिटिन, दि ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ क्रिमिनोलॉजी 2011 (2-7)
3. पीटर ग्रबोस्की : कम्प्यूटर काइमस : ए क्रिमिनोलॉजीकल ओवरव्यू2000
4. एस. के. झा : पुलिस एज एन एजंट ऑफ सोशल चेंज, दि इंडियन पुलिस जर्नल, LVII(8-12)4 2010
5. www.fdindi/publication
6. www.sagepub.com/upm-data/305805
7. सुरेन्द्र सहाय श्रीवास्तव : क्रिमिनोलॉजी एण्ड क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन, सैंट्रल ली एजेन्सी, इलाहाबाद, 2003

इकाई-4

प्रक्रति क्षेत्र एवं अपराध की परिभाषाएँ

इकाई की रूपरेखा

4.0 उद्देश्य
4.1 प्रस्तावना
4.2 अपराध की प्रवृति
4.3 अपराध के लक्षण
4.4 अपराध का क्षेत्र
4.5 अपराध की परिभाषाएँ
4.6 सारांश
4.7 अभ्यास प्रश्न

4.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप :

- अपराध की कानूनी व सामाजिक परिभाषाओं को समझ सकेंगे ।
- अपराध की प्रकृति को समझ सकेंगे ।
- अपराध किस तरह के किये जाने वाले व्यवहार को कहते हैं यह समझ सकेंगे ।
- अपराध का क्षेत्र या विस्तार के बारे में जान सकेगें और किस किस तरह का व्यवहार अपराध की श्रेणी में आता है यह समझ सकेंगे।
- अपराध की विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई समाजशास्त्रीय परिभाषाओं के दृष्टिकोणो से अवगत हो सकेंगे।

4.1 प्रस्तावना

अपराध एक सार्वभौमिक समस्या है जो कि प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में पाई जाती है । प्रत्येक समाज में सदस्यों के हितों व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम बनाये जाते हैं ताकि उस समाज की सामाजिक संरचना तथा व्यवस्था बनी रह सके । इनमें से समाज द्वारा निर्मित प्रथाओं, रूढ़ियों जनरितियो एवं सामाजिक मानदण्डों की बडी महत्वपूर्ण भूमिका होती है । इनमें से कुछ के विपरीत आचरण करने पर निन्दा की जाती है, कुछ का उल्लंघन अनैतिक माना जाता है, तो व्यवहार के कुछ प्रतिमानों के विरूद्ध कार्य करने पर समाज द्वारा कठोर दण्ड दिया जाता है । यद्यपि अपराध एक सार्वभौमिक तथ्य है, फिर भी समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार इसकी अवधारणा बदलती रहती है । एक ही प्रकार का व्यवहार एक स्थान पर अपराध माना जाता है, किन्तु दूसरे स्थान पर उसी के लिए पुरस्कृत किया जाता है। साधारणत: यदि कोई किसी की हत्या कर देता है तो हत्यारे को मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। जबकि युद्ध में अधिकाधिक दुश्मनों को मारने वाले को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है । कुछ वर्षो पहले तक जाति के बाहर विवाह करना अपराध माना जाता था परन्तु आज नहीं । इसी प्रकार बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा पूर्व

में उचित माना जाता था किन्तु आज इस तरह के व्यवहार कानून की दृष्टि में दण्डनीय अपराध माना जाता है । इस संबंध में मैनहिम (MANNHEIM) ने भी कहा है कि "अपराध कानून से ही सम्बन्धित नहीं होते।"

बीसवीं शताब्दी में अपराध और अपराधी के प्रति एक तार्किक और सामाजिक दृष्टिकोण का विकास हुआ जिसमें अपराध को समाज कल्याण विरोधी प्रक्रिया मानकर उसके उपचार की विधियों का विकास हुआ । आज भी आदिम समाजों तथा ग्रामीणों में यह धारणा प्रचलित है कि अपराध ईश्वरीय नियमों का उल्लघंन है अत: वह पाप हैं। यदि कोई अपराधी समाज की नजर से बच भी जाये फिर भी वह ईश्वर के द्वारा इस लोक या परलोक में दण्ड अवश्य पायेगा । धर्म एवं नैतिकता का घनिष्ठ संबंध रहा है । अत: अपराध को नैतिक दृष्टि से ऐसा कार्य समझा गया है कि जिसे नीतिशास्त्र अनैतिक मानता है । इस प्रकार अपराध का संबंध समय समय पर धर्म, नैतिकता, समाज और राज्य से जोड़ा जाता रहा है । अत: अपराध की अवधारणा को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझना आवश्यक है।

4.2 अपराध की प्रकृति

1. अपराध समाज के लिए एक हानिकारक किया है।
2. अपराध वह है जिसे राज्य द्वारा समाज विरोधी माना गया है ।
3. अपराध वह क्रिया है जो सार्वजनिक हितों के विरूद्ध माना गया हो ।
4. उपर्युक्त में से किसी के भी होने पर कानून द्वारा अपराधी को दण्ड दिये जाने की व्यवस्था होती है।

इसी प्रकार से **प्रसिद्ध अपराधशास्त्री डी. आर. टेफ्ट** ने भी कानूनन रूप से अपराध निर्धारण के लिए निम्नलिखित मानदण्डों का उल्लेख किया गया है :

1. किसी कृत्य को अपराध मानने के लिए यह आवश्यक है कि उसे करने वाला पूर्णत: वयस्क हो ।
2. अपराधिक कृत्य स्वेच्छा से तथा बिना किसी प्रकार के दबाव के किया गया हो ।
3. अपराधी कृत्य इरादतन (अर्थात अपराधिक उद्देश्य) होना जरूरी है ।
4. अपराधिक कृत्य द्वारा राज्य अथवा राज्य से सम्बन्धित सम्पति को हानि पहुंची हो ।
5. अपराधिक कृत्य के लिए दण्ड दिये जाने की व्यवस्था हो।

उपरोक्त तथ्यों की विस्तार से व्याख्या किये बिना टेफ्ट के दृष्टिकोण को नहीं समझा जा सकता ।

1. बिना कानून के किसी कृत्य को अपराध नहीं कहा जा सकता

बिना विधि के कोई कृत्य अपराध नहीं है । इस कथन के पीछे कानूनी आशय यह है कि अपराध को केवल उन्हीं रीति रिवाजों तक सीमित किया गया है जिसकी पालना न करना समाज के हित में नहीं होता । इस प्रकार के कानून के अन्तर्गत अपराधशास्त्रियो ने चार बातों का होना आवश्यक माना है । (1) राजनीतिकता (2) दण्ड शक्ति (3) विशिष्टता तथा (4) एकरूपता

(1) **राजनीतिकता** से तात्पर्य यह है कि कानून वैधानिक रूप से स्थापित की हुई सरकार द्वारा निर्मित होना चाहिए तभी वह स्वीकार्य होगा।

(2) **दण्ड शक्ति** से तात्पर्य राज्य के उस अधिकार से है जिसका प्रयोग वह राज्य द्वारा प्रतिपादित कानून का उल्लघंन करने वाले के विरूद्ध कर सकता है ।

(3) **विशिष्टता** से तात्पर्य यह है कि जो कानून किसी कृत्य को अपराध घोषित करता है तो उसके लिए विशिष्ट प्रकार का दण्ड भी निश्चित किया गया हो, जो केवल उसी कृत्य के लिए मान्य हो अर्थात अमुक अपराध के लिए अमुक दण्ड की व्यवस्था।

(4) अंत में **एकरूपता** से तात्पर्य यह है कि कानून को समान रूप से बिना किसी भेदभाव के लागू किया जाये ।

2. अपराध केवल अपराधिक कानून का ही उल्लघंन है ।

अर्थात् सभी प्रकार के कृत्य जो मनुष्य को हानि पहुँचाते है, अपराध नहीं माने जा सकते। केवल वे ही कृत्य अपराध की श्रेणी में माने जाते है जिनको अपराधिक कानून के अन्तर्गत अपराध माना गया है। जो सार्वभौमिक रूप से समाज के हितों के विरूद्ध माना गया हो, जो आचरण गंभीर रूप से समाज के लिए हानिकारक हो।

3. वैधानिक औचित्य के अन्तर्गत किया गया कृत्य अपराध नही माना जाता

यदि कोई कृत्य विधि द्वारा उचित ठहराया हुआ है तो उसे अपराध नहीं माना जाता जैसे आत्मरक्षा में किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को चोट पहुँचाना, अपराध नहीं है क्योंकि समाज में सभी को हमले से बचने का अधिकार दिया हुआ है ।

4. बिना उद्देश्य के किया कृत्य अपराध नहीं माना जाता

किसी भी कृत्य को वैधानिक रूप से अपराध मानने के लिए यह आवश्यक है कि उस कृत्य को करने के लिए मनुष्य मानसिक रूप से सक्षम हो । जो व्यक्ति मानसिक -पनप से उद्देश्यपूर्ण कृत्य करने के लिए सक्षम नहीं है, उसके द्वारा किया गया कृत्य अपराध होने पर भी उनके संदर्भ मे अपराध नहीं माना जाता । जैसे कोई नाबालिक बच्चा, मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति द्वारा किया गया कृत्य जो भले ही हानिकारक हो अपराध नहीं माना जाता।

5. वह कृत्य जो वास्तव में किया गया हो या किसी वैधानिक कर्त्तव्य की अवहेलना की गई हो।

किसी भी व्यक्ति को उसके विचारों के लिए दण्डित नहीं किया जा सकता । कुछेक मामलों में 'शब्द' भी कृत्य समझे जाते है, जैसे देश की प्रतिष्ठा के विरूद्ध की गई विपणी या किसी को अपराधिक कृत्य के लिए उकसाने के लिए प्रयोग में लिये गये शब्द विशेष । इसी प्रकार कुछ मामलों में जहाँ कर्त्तव्य की अवहेलना के लिए दण्डित किया जा सकता है। जेसे रेलगाड़ी के आने से पूर्व सिग्नल डाउन ना करना । उसी प्रकार शिशुगृह के संचालन के लिए चिकित्सक की व्यवस्था करना वैधानिक कर्त्तव्य है, यदि वह ऐसा नहीं करता और कोई बच्चा बीमार होकर मर जाता है तो उसे उक्त कर्त्तव्य की अवहेलना के लिए दण्डित किया जा सकता है।

4.3 अपराध के लक्षण

(1) **हानि :-** अपराध व्यावहारिक रूप में कोई ऐसा कार्य करना है जिसे समाज तथा कानून दण्डनीय मानते है । अन्य शब्दों में कोई कार्य तब तक अपराध नहीं है जब तक उससे बाह्य परिणाम या नुकसान न हो । यदि कोई व्यक्ति अपने मन में किसी को नुकसान पहुँचाने का इरादा करता है

या शब्दों में कह भी देता है तो यह सोचना या कहना मात्र अपराध नहीं होगा । कई बार व्यक्ति क्रोध में यह कह देता है कि तुम्हें जान से मार देगें । इसका यह आशय नहीं कि उस पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए । वास्तव में अपराध एक स्पष्ट कृत्य हैं ।

(2) **अपराध के कर्ता का इरादा अपराधमय :-** अपराध करने वाले व्यक्ति का इरादा अपराधमय (जिसे दोषी इरादा भी कहा जाता है) होना चाहिए । उदाहरणार्थ वह डाक्टर जो रोगी के प्राण बचाने के लिए ऑपरेशन करता है परन्तु इससे रोगी की मृत्यु हो जाती है, अपराधी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उसका दोषी इरादा नहीं था ।

(3) **अपराध का उद्देश्य :-** प्राय: अपराधी के व्यवहार का स्पष्टीकरण अपराधी के उद्देश्य के संदर्भ में किया जाता है । प्रयोजन या उद्देश्य का पता इस प्रश्न के उत्तर से मिलता हैं कि अपराधी अपने कृत्य से कौनसी सन्तुष्टि प्राप्त करना चाहता है ।

(4) **अपराधी कृत्य समाज के अस्तित्व के लिए खतरा हो :-** अपराध एक ऐसा कृत्य है जो किसी ऐसे सामाजिक आदर्श या मूल्य के विरोध मे होता है जिसे समाज के अधिकांश सदस्यों का समर्थन मिला होता है तथा जिसका उल्लंघन समाज के अस्तित्व के लिए खतरा हो सकता है।

(5) **अपराधी कृत्य के विरोध में निश्चित ऋणात्मक प्रतिक्रिया का होना :-** समाज के अधिकांश सदस्य अपराधी कृत्य के विरोध मे एक निश्चित ऋणात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं । अर्थात अपराधी के प्रति उदासीन या तटस्थ नहीं रहते अपितु उसके विरोध में आक्रोश प्रकट किया जाता है ।

(6) **अपराध के साथ दण्ड का जुड़ा होना :-** अपराध के साथ दण्ड का तथ्य भी लगा होता है । अपराधी व्यवहार दण्ड की प्रतिक्रिया को जन्म देता है चाहे वह दण्ड जुर्माना, कैद या शारीरिक यातना किसी भी रूप में क्यों न हो । जिससे कि भविष्य मे इस प्रकार के व्यवहार को दोहराया नहीं जाये ।

प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समाज का सदस्य होता है तथा उससे समाज द्वारा निर्धारित रीति-रिवाजों, प्रथाओं मूल्यों ओर आदर्शो के अनुरूप ही व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है । नियमों के पालन से समाज सुचारु रूप से चलता है और स्वयं व्यक्ति की सुरक्षा बनी रहती है एवं उसके हितों की पूर्तिहोती है । समाज मे विभिन्न रूचियों वाले व्यक्ति होते है । अत: व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति एव रूचियों की भिन्नता के कारण जब कुछ व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते है तो अपराध पनपता है । समाज ऐसे व्यक्तियों के लिए दण्ड की व्यवस्था करता है । यद्यपि प्रत्येक असामाजिक व्यवहार अपराध की श्रेणी में नहीं आता । संतान द्वारा माता-पिता की किसी आज्ञा का उल्लंघन या ऊँची जाति के व्यक्ति द्वारा निम्न जाति के व्यक्ति के साथ बैठकर बीड़ी सिगरेट पीना उतना गंभीर अपराध नहीं कहा जा सकता जितना कि अपनी जाति के बाहर विवाह करना । अत: कुछ प्रकार के सामाजिक व्यवहार तो समाज सहन कर लेता है कुछ के लिए हल्की निंदा या आलोचना करता है किन्तु कुछ के लिए जुर्माना और कठोर दण्ड की व्यवस्था भी करता है।

4.4 अपराध का क्षेत्र

अपराध या अपराधी कृत्य एक विस्तृत अवधारणा है जिसके क्षेत्र को अच्छी प्रकार से समझ लेने की आवश्यकता है । अपराध से मिलते-जुलते कई ऐसे शब्द है जो अपराध की श्रेणी मे न होते हुए भी आपराधिक कृत्य होने का अहसास कराते हैं। अपराध के क्षेत्र में हम इन्हीं मिलते-जुलते शब्दों का स्पष्टीकरण कर देना चाहते है

1. अपराध और दुकृति (Crime andTort)

शाब्दिक दृष्टि से अंग्रेजी भाषा का शब्द TORTलैटिन भाषा के 'TORTUM' से बना है जिसका अर्थ है 'TWISTING' अर्थात मरोड़ना या ऐठना। कानूनी दृष्टि से दुष्कृति (जिसे हानि, क्षति, नुकसान या अन्याय भी कहा जाता है) वह कार्य या व्यवहार है जो किसी अन्य व्यक्ति या समूह को हानि पहुँचाता हो या उसके हितों को चोट पहुँचाता हो । जैसे यदि A अपनी भैंस B के दरवाजे के बिल्कुल सामने बॉध दे तो वह छ के नागरिक जीवन की सुविधाओं में बाधा पहुँचाने वाला कृत्य है । इस स्थिति में A दुष्कृति का दोषी है । इसलिएदुष्कृति को सिविल त्रुटि (Civil Wrong or Injury) भी कहा जाता है । इसके लिए कानून पीड़ित पक्ष की क्षतिपूर्ति दुष्कृति के कर्त्ता (Wrong doer) से करके दुष्कृति की दशा को दूर किया जाता है । अत: दुष्कृति वह कार्य या भूल है जो कानून द्वारा वर्जित है तथा जिससे आम जनता या किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन होता है । इसके लिए दुष्कृर्त्ता से हर्जाना वसूल किया जाता है।

स्पष्टत: अपराध और दुष्कृति में निम्न अन्तर है :

i) अपराध समाज या राज्य के प्रति किया गया दोषी आचरण है, जबकि दुष्कृति व्यक्ति का या -व्यक्तियों के अधिकारों को पहुँचायी गई चोट है । इसलिए अपराध के मामले मे पीडित पक्ष राज्य है जबकि दुष्कृति में व्यक्ति ।

ii) अपराध में अपराधी को दण्ड दिया जाता है जबकि दुष्कृति मे दुष्कर्त्ता पीडित पक्ष की हानि पूरी करता है ।

iii) दुकृति के विरोध में पीड़ित पक्ष क्षतिपूर्ति का दावा करता है जबकि अपराध में राज्य स्वयं बिना किसी व्यक्ति की शिकायत के कदम उठाता है ।

iv) अपराध में अपराधी की 'दोषी वृति या इरादा होना आवश्यक है, जबकि दुष्कृति में ऐसी कोई शर्त नहीं है ।

v) दुष्कृति में मुआवजा पीड़ित पक्ष को दिया जाता है जबकि अपराध मे जुर्माना राज्य को मिलता

2. अपराध और दुराचार (Crime and Vice)

नेकी और बदी अर्थात सदाचार और दुराचार (Virtue and vice) मानव चरित्र के दो आन्तरिक पक्षों क्रमश: उज्ज्वल और कलुषित को प्रकट करते हैं । दुराचार से अभिप्राय खराब आचरण से है । यह एक प्रकार से चरित्र का दोष है जो नैतिक मूल्यों के आदतन उल्लंघन से उत्पन्न हो जाता है। दुराचार व्यक्ति के चरित्र का अवगुण है, एक 'बुरी नीयत' और अनैतिक वृत्ति है, जैसे किसी नारी को कुदृष्टि से देखना। इसके लिए अपराध की तरह किसी बाहय आचरण की आवश्यकता नही है । अत: दुराचार का सम्बन्ध व्यक्ति के आन्तरिक पक्ष से है (जबकि अपराध बाहय आचरण है), यदि इसका बाहरी रूप से पता चल जाय तो दुराचार पाप कहा जाने लगता है। यह सदाचार का उल्लंघन है और इससे व्यक्ति को स्वयं हानि होती है । दुश्चरित्र व्यक्ति की समाज निन्दा करता है और उसे बहिष्कृत करता है परन्तु अपराधी को जुर्माने, जेल या शारीरिक यातना आदि द्वारा दण्डित किया जाता है

3. अपराध और अनैतिकता (Crime and Immorality)

व्यक्ति का विवेक ही अच्छे-बुरे अथवा उचित-अनुचित शब्दों की व्याख्या करता है । यही नैतिकता के विषय है । नैतिकता अच्छा-बुरा या उचित-अनुचित का मापदण्ड है । इसलिए नैतिक व्यवहार

किसी व्यक्ति या समूह का वह व्यवहार है जो कर्त्ता के अच्छे लक्ष्यों और उचित साधनों के चुनाव से सम्बन्धित है और अनैतिकता व्यक्ति के व्यवहार का वह पक्ष है जो बुरे लक्ष्यों और अनुचित साधनों के चुनाव को प्रकट करता है । अनैतिकता के विरूद्ध व्यक्ति का विवेक ही प्रताड़ना करता रहता है, समाज भी अनैतिकता की आलोचना, निन्दा व बदनामी करता है, जैसे, यदि कोई व्यक्ति समर्थ होते हुए भी, किसी गरीब एवं असहाय व्यक्ति के हिस्से का राशन का अनाज अपने सत्ता एवं बल के आधार पर ले लेता है तो वह अनैतिकता का दोषी है । परन्तु उसे अपराध नही कहा जा सकता, क्योंकि उसे कानून द्वारा दंड नही दिया जा सकता । दूसरी और, अपराध कानून द्वारा निर्देशित किसी कृत्य को न करना या कानून द्वारा निषिद्ध कार्य को करना है। अतः यह दण्डनीय है । जैसे सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान न करना। ऐसे कार्य व्यक्ति के विवेक की परिधि में नहीं रखे जा सकते । समाज द्वारा स्वीकृत रूढ़ियों, प्रथाओं तथा परम्पराओं का उल्लंघन करना अनैतिकता माना जाता है । यह नैतिक नियमों का उल्लंघन है और इसका दण्ड जन उपहास है, जबकि अपराध अपराधी कानून का उल्लघंन है और इसका दण्ड जेल, जुर्माना या अन्य किसी प्रकार का कष्ट है।

4. अपराध और पाप (Crime and Sin)

पाप वह कृत्य है जिसे दैवीय निर्देशों के विरूद्ध समझा जाता है । यह ईश्वर के प्रति किया गया अपराध है और सामान्यतः पापी को ईश्वर के अदृश्य लेकिन कठोर न्याय के सम्मुख छोड़ दिया जाता है । दूसरी ओर, अपराध समाज के विरूद्ध व्यवहार है जिसे समाज के न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है । उदाहरणार्थ, किसी निरपराधी को सताना, झूठ बोलना, कृतघ्नता, परायी स्त्री की कामना करना तथा पराये धन का लालच पाप है । समाज ऐसे काम करने वालों से घृणा करता है और उनकी निन्दा करता है । परन्तु कानून के अनुसार उन्हें सजा नहीं दी जा सकती है । पाप का सम्बन्ध मुख्य रूपसे धर्म से होता है क्योकि वह धर्म संहिता का उल्लघंन है, जबकि अपराध का सम्बन्ध समाज से है क्योंकि वह अपराधी-कानून का उल्लघंन है । इसलिए पाप का निर्णय सामाजिक मूल्यों के आधार पर होता है।

5. अपराध और जघन्य अपराध (Crime and Felony)

अपराध अनेक प्रकार के होते है । कुछ विद्वानों (जैसे इलियट तथा मैरिल (Eelliot and merrill) ने इन्हें दो श्रेणियों में विभाजित किया है : क्रमशः गम्भीर अपराध (Misdemanour) तथा जघन्य अपराध (Felony)। प्रथम श्रेणी के अपराध कानून की दृष्टि से अधिक गम्भीर नहीं होते तथा इनका न तो किसी अन्य व्यक्ति के लिए घातक परिणाम होता है और न ही अपराध करने वाले को कोई विशेष या कठोर दण्ड दिया जाता है। मद्यपान, बिना टिकिट यात्रा करना, जुआ खेलना, असावधानी के कारण हुई छोटी मोटी दुर्घटना, यातायात नियम का उल्लंघन इसके उदाहरण है। दूसरी ओर, जघन्य अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति के अपराध होते हैं तथा दूसरों के लिए अत्यन्त घातक होते हैं । सामान्यतः इनमे दूसरे पक्ष की मृत्यु हो जाती है। अतः जघन्य अपराध करने वाले व्यक्ति को कठोर दण्ड दिया जाता है जो कि मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास के रूप मे हो सकता है । हत्या करना, बलात्कार, देशद्रोह इत्यादि जघन्य अपराध कहलाते हैं।

4.5 अपराध के परिभाषाएँ

सरल शब्दों में कहा जाय तो, अपराध अपराधी कानून का उल्लंघन है । चाहे कोई कार्य कितना भी अनैतिक या गलत क्यों न हो किन्तु तब तक अपराध नहीं कहलाता जब तक अपराधी कानून मे उसे अपराध न माना गया हो । अथवा हम यो कहे कि कानून का उल्लंघन अपराध कहलाता है । कानूनी दृष्टि में अपराध वह कार्य है जो कि सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक होता है । अपराध की अवहेलना करना दण्डनीय है ।

अपराध अर्थात अंग्रेजी के 'क्राईम शब्द के हिन्दी पर्याय, जो सम्यक अंग्रेजी-हिन्दी कोष मे दिए गए हैं, वह है अपराध, जुर्म, कसूर, दोष, अपकृत्य, घातक, पाप, गुनाह आदि । 'क्राइम' शब्द लैटिन भाषा के शब्द क्रिमेन (CRIMEN) से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ निर्णय देना होता है। ग्रीक में क्रिमेन शब्द का अर्थ अलगाव है और संज्ञा के रूप मे यह किसी निर्णय का बोध कराता है । किंचित संस्कृत शब्द 'कर्म मूलत: इसी बोध को मुखर करता है । कालान्तर में यह शब्द ग्रीस और लैटिन के 'निर्णय' का बोध न रहकर या संस्कृत के शब्द 'कर्म' का पर्याय न रहकर अधकर्म, पापकर्म, अपकृत्य अथवा अपराध का स्थान ले चुका है । जो कृत्य नहीं है क्रिया योग्य नहीं है । जो क्रिया में अधर्म है, वह कुकर्म है और अपराध है।

प्रमुख समाजशास्त्रियों एवं अपराधशास्त्रियों ने अपराध की परिभाषा विविध प्रकार से दी है, जिन्हें हमने सुविधा के लिए विभिन्न श्रेणियों मे विभाजित कर प्रस्तुत की है

(अ) अपराध की कानूनी परिभाषाएँ:-

कुछ विद्वानों ने अपराध को केवल कानूनी दृष्टि से पारिभाषित करने का प्रयास किया है, जो इस प्रकार है :-

इलिएट एवं मैरिल Elliott and Merrill) के अनुसार "अपराध कानून द्वारा निषिद्ध वह कार्य है, जिसके बदले मे उसके कर्त्ता को मृत्यु जुर्माने, कैद, कामघर, सुधारगृह या जेल के द्वारा दण्डित किया जा सकता है। "

टप्पन (Tappan) के अनुसार ' 'अपराध कानून संहिता के उल्लंघन में जानबूझकर किया गया व्यवहार है जो बिना किसी प्रतिरक्षा या औचित्य के किया गया है और जो राज्य द्वारा दण्डनीय है । '

मावरर (Mowrer) के अनुसार ' 'अपराध कोई भी वह क्रिया है जिसके द्वारा कानून का उल्लंघन होता है ।"

माइकिल एवं एडलर Michal and Adler) के अनुसार ' 'अपराध केवल मात्र व्यवहार का वह उदाहरण है जो अपराधी कानून द्वारा वर्जित है।"

हल्सबरी (Halsbury) के अनुसार ' 'एक गैर कानूनी क्रिया या गलती, जो जनता के विरूद्ध अपराध है और इस क्रिया या गलती को करने वाला कानूनी दण्ड का उत्तरदायी है । '

उपयुक्त परिभाषाओंमे कानूनी रूप से वर्जित, विशेष रूप से अपराधी कानून द्वारा निषिद्ध कार्यो को करना अपराध माना जाता है तथा अपराध की गम्भीरता के अनुसार अपराधी को दण्ड दिया जाता है ।

(ब) अपराध की सामाजिक परिभाषाएँ

अनेक विद्वानों ने अपराध को सामाजिक दृष्टिकोण से पारिभाषित किया है । ऐसी कुछ परिभाषाएँ इस प्रकार से है :-

हैकरवाल (Haikerwal) के अनुसार "सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध या बाल अपराध का अर्थ व्यक्ति के ऐसे व्यवहार से है जो मानवीय सम्बन्धों की उस अवस्था में बाधा डालता है जिसे समाज अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक समझता है।"

मार्शल क्लीनार्ड (M.B. Clinard) के अनुसार "अपराध सामाजिक नियमों से विचलन है।'

आर. जी. काल्डवेल R.G. Caldwell) के अनुसार "अपराध किसी निश्चित स्थान पर संगठित समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों के संग्रह का उल्लंघन है।"

ई. वेस्टरमार्क (E-Westermarck) के अनुसार "प्रथाएँ व कानून नैतिक विचारों पर आधारित होते हैं तथा अपराध, व्यवहार के वे प्रतिमान है जो समाज द्वारा अपराध माने जाते है ।"

टी. सेलिन (T. Sellin) के अनुसार " अपराध, व्यवहार आदर्श प्रतिमान के विचलन या इसे भंग करना है । यह विचलन या भंग समाज द्वारा अपने दण्ड विधान द्वारा दण्डित किया जाता है परन्तु दण्ड मूल्य, का एकमात्र आधार नहीं है। धर्म, कला, शिक्षा व अन्य समाजशास्त्रीय अभिकरण भी मूल्यों को प्रकट करते है।"

उपर्युक्त परिभाषाओं में समाज में प्रचलित एवं समाज द्वारा मान्य सामाजिक मूल्यों, प्रथाओं रीतियों आदि के विपरीत आचरण करना सामाजिक दृष्टि से अपराध माना गया है । उदाहरणार्थ हैकरवाल की परिभाषा से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि समाजिक व मानवीय सम्बन्धों से समाज का अस्तित्व बना रहता है । यदि कोई मनुष्य इस प्रकार से कार्य करता है जिससे माननीय सम्बन्ध नष्ट होते हैं या छिन्न भिन्न होते हैं तो यह कार्य सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध है।

(स) अपराध की सामाजिक - कानूनी परिभाषाएँ

कुछ विद्वानों ने अपराध को सामाजिक तथा कानूनी दोनों दृष्टिकोणों से परिभाषित किया है । ऐसी ही कुछ प्रमुख परिभाषाएँ इस प्रकार से है :-

एम. जे. सेथना (M.J. Sethna) के अनुसार ' 'अपराध की परिभाषा एक कार्य अथवा भूल, (गलती) पापमय या गैर-पापमय के रूप मे दी जा सकती है जो सम्बन्धित देश के विशिष्ट समय पर लागू कानून के अन्तर्गत दण्ड योग्य है ।"

बार्न्स एवं टीटर्स (Barnes and Teeters) के अनुसार "अपराध एक ऐसा समाज विरोधी व्यवहार है जिसने सार्वजनिक भावना को कानून से निषिद्ध सीमा तक तोडा है।"

लैण्डिस एवं लींडिस(Landis and Landis) के अनुसार "अपराध वह कार्य है जिसको राज्य में समूह कल्याण के लिए हानिकारक माना है और जिसके प्रति दण्ड देने की शक्ति राज्य के पास रहती है।"

रैडक्तिफ ब्राउन (Radcliffe - Brown) के अनुसार "अपराध उस आचरण का उल्लंघन है जिसके लिए दण्ड देने की व्यवस्था की गई है।"

उपर्युक्त परिभाषाओं में अपराध को सामाजिक तथा कानूनी रूप से ऐसा कार्य करना बताया गया है कि जिसे समाज तथा कानून दोनों अनुचित मानते है । इसी श्रेणी की परिभाषाओं को कुछ विद्धान अधिक उचित मानते हैं । क्योंकि अपराध को न तो सिर्फ कानून की दृष्टि से समझा जा सकता है और न सिर्फ सामाजिक दृष्टिकोण से । अपराध के सही अर्थ को जानने के लिए कानूनी तथा सामाजिक

दोनों दृष्टिकोणों को महत्त्व देना अतिआवश्यक है । इसलिए सम्भवत: आज अपराध की व्यवहार संबंधी व्याख्या अधिक मान्य होने लगी है । जिसमें अपराध को भी एक असामान्य वैयक्तिक व्यवहार अथवा प्रतिमान में विचलन के रूप में देखा जाता है।

4.6 सारांश

प्रत्येक समाज में हर समय कुछ ऐसे व्यक्ति मौजूद रहे हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत परम्पराओं, रीतिरिवाजों नियमों तथा आदर्शो के विपरीत व्यवहार करते आ रहे हैं । समाज से अपराध का पूर्णतया उन्मूलन केवल कल्पना मात्र है । अपराध के जन्म की कहानी समाज के जन्म के साथ जुड़ी हुई है। अत: जब तक समाज रहेगा, अपराध का अस्तित्व भी रहेगा । ही, इसे कम किया जा सकता है । प्रत्येक समाज अपनी सामाजिक संरचना और व्यवस्था को बनाये रखने एवं ठीक प्रकार से चलाने के लिए कुछ नियमों, प्रथाओं, रूढ़ियों, जनरीतियों एवं सामाजिक मानदण्डों को विकसित करता है । इनमें से कुछ के विपरीत आचरण करने पर निन्दा की जाती है । कुछ का उल्लंघन अनैतिक माना जाता है । तो व्यवहार के कुछ प्रतिमानों के विरूद्ध कार्य करने पर समाज द्वारा कठोर दण्ड दिया जाता है । यद्यपि अपराध एक सार्वजनिक सामाजिक तथ्य है, फिर भी एक स्थान और परिस्थिति के अनुसार इसकी अवधारणा बदलती रही है । इसी प्रकार से देश और समाज के अनुसार दण्ड व्यवस्था भी भिन्न रही है । जो आचरण भारत में दण्डनीय माना जाता है वही आचरण पश्चिमी देशों में सम्मानित माना जाता है । अपराध विशेष के लिए दण्ड निर्धारित करने से पहले यह देखा जाता है कि अमुक अपराध के होने पर प्रभावित व्यक्ति या व्यक्तियों को किसी प्रकार की हानि हुई है, उक्त कृत्य के पीछे क्या उद्देश्य रहा है । उक्त कार्य से क्या किसी प्रकार की कानून व्यवस्था का उल्लघंन हुआ है या फिर आपराधिक व्यवहार एवं हानि में कोई संबंध है । अपराध से मिलते-जुलते ऐसे कई शब्द है जिससे कभी-कभी कानूनविज्ञों के सामने अपराध को प्रमाणित करने में कठिनाई आ जाती है । जैसे अपराध एवं दुराचार, अपराध एवं दुराचार, अपराध एवं अनैतिकता, अपराध एवं पाप तथा अपराध और जघन्य अपराध । अपराध को विभिन्न समाजशास्त्रियों एवं अपराधशास्त्रियों ने पारिभाषित किया है । जबकि कुछ ने अपराध की सामाजिक एवं कानूनी परिभाषाएं दे कर अधिक स्पष्ट रूप से समझाया है ।

4.7 बोध प्रश्न

1. अपराध से आप क्या समझते हैं ? अपराध की प्रकृति को समझाइये ।
2. अपराध को पारिभाषित कीजिये । अपराध की प्रकृति एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिये ।
3. अपराध की अवधारणा को स्पष्ट कीजिये एवं इसकी किन्हीं दो समाजशास्त्रीय व्याख्याओं का विश्लेषण कीजिये ।
4. अपराध की सामाजिक एवं कानूनी परिभाषाएं दीजिये ।
5. अपराध किसे कहते हैं? अपराध के लक्षणों को बताइये ।

संदर्भ ग्रंथ

1. डी. आर. टैफ्ट : क्रिमिनोलोजी, 1959
2. ई. सदरलेन्ड : प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलोजी
3. इलियट एण्ड मैरील : सोशियल डिसऑरगेनाइजेशन

4. हेकरवाल : इकोनोमिक एण्ड सोशियल आसपेक्ट्स ऑफ क्राइम इन इण्डिया, १927
5. गिलिन एण्ड गिलिन : कल्चरल सोशियोलोजी

इकाई - 5

विदेशों में और भारत में अपराध के तौर तरीकों का विश्लेषण

इकाई की रूपरेखा

5.0 उद्देश्य

5.1 प्रस्तावना

5.2 आपराधिक व्यवहार तथा सामाजिक प्रतिक्रिया

5.3 अपराध के कारण एवं प्रकृति

5.4 आपराधिक आकड़ों के प्राथमिक स्रोत

5.5 अपराध के तौर तरीकों का विश्लेषण

5.6 विश्लेषण प्रक्रिया

5.7 आपराधिक चार्ट्स तथा आपराधिक विश्लेषण की तकनीक

5.8 शोध की आवश्यकता

5.9 अपराध के विश्लेषणकर्त्ताओं की जरूरत

5.10 सारांश

5.11 अभ्यास प्रश्न

5.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप :

- आपराधिक व्यवहार तथा सामाजिक प्रतिक्रिया को समझ पाऐंगे ।
- प्रकृति, कारण तथा अपराध की उत्पत्ति को समझ पाऐंगे ।
- आपराधिक आकड़ों के स्रोत तथा उनमें सुधार को समझ पाऐंगे ।
- विश्लेषण प्रक्रिया, योजना, संग्रह, मिलान, विश्लेषण, वितरण तथा पुनर्भरण को समझ पाऐंगे।
- अपराध के तौर-तरीकों का विश्लेषण, ऐतिहासिक परिदृश्य तथा परिभाषा को समझ पाऐंगे ।
- आपराधिक चार्ट्स तथा आपराधिक तौर-तरीकों का विश्लेषण समझ पाऐंगे ।
- अपराध अन्वेषण वर्ग तथा शोध की आवश्यकता को समझ पाऐंगे।

5.1 प्रस्तावना

अपराध से लड़ना बहु त जटिल कार्य है । समाज में हमेशा अपराधी रहे हैं और उनके सटीक नियंत्रण के लिए भी हमेशा पुलिस, न्यायपालिका, कारागृह सुधार, आचरण परिवीक्षा जैसी संस्थायें अस्तित्व में रही हैं। अब आकड़ा संग्रहण तकनीकों के विकास के कारण अपराध और आपराधिक व्यवहार कों समझना भी टेकनिकल हु नर हो गया है ।

इसके अतिरिक्त, आवेश में किये गये अपराध, जैसे हत्या, आर्थिक लाभ के मद्देनजर किये जाते हैं क्योंकि बाजार का अस्तित्व है । अपराधी समूहों में संगठित है और उनकी अपनी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत शरण, छिपने का स्थान, आवश्यक संसाधन, वाहन, बहु मूल्यआभूषणों का ठिकाने

लगाना आदि सम्मिलित हैं । आपराधिक आकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि वे कौनसे कारक हैं जिनसे अपराध करने में सुविधा रहती है और पुलिस को क्या नीति अपनानी चाहिए जिससे अपराध का नियंत्रण हो सके । इलेक्ट्रोनिक आकड़ेबाजी इतनी आधुनिक हो गयी है कि उसके आकलन के लिए विशेषज्ञों की जरूरत है । वर्तमान में पुलिस विशेषज्ञों की सेवा लेकर आपराधिक आकड़ों का अध्ययन करती है। इसके अतिरिक्त बदलते आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, पर्यावरण से जोड़ कर आपराधिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है।

5.2 आपराधिक व्यवहार तथा सामाजिक प्रतिक्रिया

अपराध उन सामाजिक नियमों का उल्लंघन है जो समाज व्यवस्था ओर सत्ता के बरकरार रखने के लिए सृजित किये गये हैं । जो व्यक्ति इन नियमों का अतिक्रमण करते हैं वे सरकार द्वारा अभियुक्त। बनाये जाते हैं, सामाजिक रूप से कलंकित हो जाते हैं और उनकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। इस संदर्भ में प्रसिद्ध अपराधशास्त्री एडविन सदरलेण्ड तथा डॉनल्ड क्रेसी ने लिखा है "आपराधिक व्यवहार आपराधिक विधि का उल्लंघन है । अपराध तब तक अपराध की परिभाषा में नहीं आता जब तक कि वह इस आपराधिक विधि का अतिक्रमण कर दंडनीय नहीं होता । यह विधि समाज के सभी नागरिकों पर समान रूपेण लागू होती है।"

अपराध की यह परिभाषा आधुनिक जीवन के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पक्षों को उजागर करती है। जो कृत्य समाज के लिए खतरनाक और अनैतिक हैं जैसे वैश्यावृति, मादक द्रव्यों का सेवन और अश्लील यौनाचार तथा उनमें लिप्त लोगों का सुधार और बचाव समाज का दायित्व है।

5.2.1 अपराध की विधिक परिभाषा

यदि विधिक रूप से किसी कृत्य को अपराध की संज्ञा दी जाये तो उसमें मानसिक और दैहिक तत्त्वों का समावेश होना चाहिए। आरोपी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही के पूर्व यह राज्य को सिद्ध करना होगा कि आरोपी ने ही अपराध किया है और उसका आपराधिक इरादा था। उदाहरणार्थ कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से जबरन और उसकी सहमति के बिना राशि छीनता है तो यह आपराधिक कृत्य है। जिसने यह कृत्य किया है उसकी आपराधिक विचारणा तथा मंशा होनी चाहिए तभी विधिक दृष्टि से उसका कृत्य अपराध हें। यह कार्य स्वेच्छापूर्वक किया जाना चाहिए । यदि यह कृत्य स्वेच्छिक नहीं है तो अपराध की परिधि में नहीं आता । हालांकि इससे किसी का नुकसान हो सकता है । यदि एक मोटर साइकिल सवार जो सावधानी से अपना दुपहिया वाहन चला रहा है, अचानक एक बालक से टकरा जाता है और उस बालक की सड़क पार करते हुए मृत्यु हो जाती है, तो मोटर साइकिल सवार अपराधी नहीं है । परन्तु यदि वह शराब के नशे में धुत होकर लापरवाही से गाड़ी चला रहा होता वह बालक की मृत्यु का अपराधी होता । अपराध के पीछे इरादा होना चाहिए । ईरादतन किया गया अपकृत्य ही अपराध है । इसलिए अपराध को समझने, उसके निदान और रोकथाम की नीति तय करने से पूर्व, घटनास्थल, तात्कालिक परिस्थितियों, सम्बन्धित व्यक्तियों तथा उनके इरादों को जानना आवश्यक है । सभी अपराधी छोटी-मोटी घटनाओं के रूप में शुरू में अपराध करते हैं परन्तु अनदेखी किये जाने के कारण वे शातिर अपराधी बन जाते हैं । आपराधिकता का ग्राफ निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है -

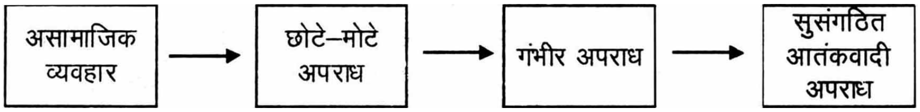

उन लोगों पर जिनका व्यवहार समाज के विपरीत दिखता हो तो पुलिस की निगरानी होना चाहिए । पुलिस एक्शन का ग्राफ निम्न प्रकार से दर्शाया गया है -

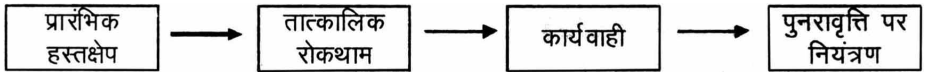

हस्तक्षेप समाज में प्रारम्भिक चरण में आपराधिकता के उन्मूलन में पुलिस, प्रशासन, अदालतों के अतिरिक्त अन्य समाज सुधारक एजेन्सियाँ कर सकती हैं।

5.3 अपराध के कारण एवं प्रकृति

सभी अपराध एक ही प्रकार के नहीं होते इसलिए उन्हे पृथक-पृथक श्रेणियो मै वर्गीकृत किया जाता है। भारत में अपराध मोटे रूप में संज्ञानीय और असंज्ञानीय रूप में वर्गीकृत हैं । संज्ञानीय अपराध वह है जिसमें पुलिस आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करती है और तत्पश्चात् मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करती है। संज्ञानीय अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं । असंज्ञानीय अपराध वे हैं जिनमें पुलिस आरोपी को गिरफ्तार तो कर लेती है परन्तु बाद में जमानत पर छोड़ देती है।

अन्य देशों में भी अपराधों का वर्गीकरण है। संयुक्त। राष्ट्र अमेरिका में अपराध गंभीरता के आधार पर फेलोनीज (संगीन जुर्म) अथवा मिसडिमीनर्स (दुव्यवहार के कृत्य) कहलाते हैं। फेलोनी के अन्तर्गत् हत्या, ब्लात्कार, सशस्त्र डकैती आदि अपराध हैं जिनमें एक दो वर्ष के कारावास से लेकर मृत्युदंड तक हो सकता है। मिसडिमीनर के अन्तर्गत अतिक्रमण, छोटी-मोटी चोरी इत्यादि आते हैं जिनमें एक साल की सजा या जुर्माना होता है।

यातायात के नियमों का पालन सटीक रूप से नहीं करना भी छोटे अपराध में गिना जाता है। ब्रिटेन में भी अपराधों को गंभीरता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है । ऐतिहासिक दृष्टि से भी अपराधशास्त्रियो ने अपराध के कारण और उत्पत्ति का अध्ययन किया है । अपराध के कारक निम्नांकित हैं -

(i) आस-पास सघन आबादी और शहरीकरण का विस्तार,

(ii) आबादी की संरचना में युवाओं की वृद्धि,

(iii) आबादी का स्थिरिकरण (सेटलमेंट),

(iv) आवागमन के साधन और 'हाई वे' यातायात,

(v) आर्थिक स्थिति, दरिद्रता और रोजगार के अवसरों की कमी,

(vi) सांस्कृतिक, शैक्षिक, धार्मिक एवं मनोरंजनात्मक गतिविधियाँ,

(vii) पारिवारिक स्थितियाँ - तलाक एवं पारिवारिक एकजुटता,

(viii) जलवायु,

(ix) प्रशासन एवं कानूनी कार्यवाही,

(x) न्यायप्रणाली में अर्थात कानूनी कार्यवाही, न्यायपालिका, सुधार और मुक्तिकी नीतियाँ आदि,

(xi) नागरिकों का अपराध के प्रति रवैया, और

(xii) व्यक्तियों द्वारा अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराना।

5.4 आपराधिक आंकड़ो के प्राथमिक स्रोत

आपराधिक आंकड़ो के प्राथमिक स्रोत वे सूचनाएँ है जो पुलिस कारागृह तथा अदालतों द्वारा जुटाई गई संग्रहित और प्रकाशित की गयी हैं । ये सूचनायें उन्हीं अपराधों के बारे में हैं जिनकी तफ्तीश पुलिस द्वारा की गयी है । पुलिस में दर्ज अपराधों के आकड़े नेशनल क्राइम रिकॉर्डस ब्यूरो द्वारा नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं । संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ब्यूरो ऑफ जस्टिस स्टेटिस्टिक्स और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन (FBI) आपराधिक आकड़े एवं सूचना प्रकाशित करते हैं । इंग्लैण्ड में गृह विभाग यह कार्य करता है।

इस प्रकार पुलिस, अदालत और कारागृह द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आपराधिक व्यवहार का विश्लेषण किया जा सकता है और नियंत्रण हेतु नीति निर्मित की जा सकती है ।

- पुलिस एवं लॉइन्फोर्स एजेन्सीज के साथ
- CCIS/CCTNS
- तथ्य-अंगुलियों के निशान के आकड़े
- फोरेन्सिक डेटाबेस - डी. एन. ए
- मोटर व्हीकल दुर्घटना के आकड़े
- राज्य पुलिस के आकड़े
- गुप्तचर ऐजेन्सीज के आकड़े
- कारागृह
- अदालतें
- डिपार्टमेन्ट्स तथा सूचना सेवा ऐजेन्सी द्वारा
- युनीफोर्म आइडेन्टीटी कार्ड एवं डेटा आधार
- म्युनिसिपल डेटाबेस
- इन्हमटेक्स एवं सेल्सटेक्स डेटाबेस
- आर्थिक संस्थायें / बैंक /क्रेडिट कार्ड्स
- सूचना सम्प्रेषण - टेलीफोन, सेलफोन
- बिजली, पानी का उपयोग
- पोस्ट आफिस, और
- खुले स्रोत -
    - पुस्तकालय
    - मीडिया
    - रिसर्च पेपर्स
    - रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
    - इन्टरनेट
    - चुनाव मतदाता. सूची
    - जमीन की रजिस्ट्री

5.4.1 आपराधिक आंकड़े : सुधार की जरूरत

पुलिस थानों और राज्यों में अपराध की रिपोर्टिंग एक सी नहीं होती । पुलिस एवं सरकार बढ़ते अपराधों के कारण रिपोर्टिंग में कंजूसी बरतते हैं । इस कारण भारत में आपराधिक आकड़े पूर्णरूपेण विश्वसनीय नहीं होते । अब पुलिस थानों में कम्प्यूटर उपलब्ध करा दिये गये हैं ताकि रजिस्टर्ड अपराध की जानकारी 16000 पुलिस स्टेशनों में सीसीआईएस के जरिये रिकॉर्ड की जा सके । इस सिस्टम को उन्नत कर अब सीसीटीएनएस कहा जायेगा।

दूसरे देशों में भी आपराधिक आकड़ों के संग्रहण और रिकार्डिग की दिक्कते हैं । उदाहरणार्थ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में राज्यों में फौजदारी कानून अलग-अलग हैं जबकि छोटे-मोटे अपराधों के लिए कानून समान हैं । अमेरिका में यूसीआर प्रपत्र में एफबीआई राज्य की पुलिस से सूचना एकत्र करती है । इन यूसीआर प्रपत्रों में अनियमिततायें होती हैं । मिसाल के तौर पर आगजनी एक स्टेट में संगीन अपराध है जबकि दूसरी स्टेट में मात्र दुर्घटना है । गिरफ्तारी की प्रविष्टियों में अनेक अनियमितताये पायी जाती हैं । इन अनियमितताओं को दुरूस्त करने की गरज से एनआईबीआरएस को 1982 से शुरू किया गया।

जैसा कि उपर्युक्त विवरण के ज्ञातव्य है कि सरकारी आँकडे देश में घटित होने वाले अपराधों की सटीक तस्वीर पेश नहीं करते क्योंकि अनेक आपराधिक मामले दर्ज ही नहीं कराये जाते । भारत में स्थिति गंभीर है । विकसित देशों में आपराधिक सर्वे अधिक कुशलता से किया जाता है । ये सर्वे बहु त विस्तृत होते हैं । इनमें जनता के -प्रतिनिधियों तक के साक्षात्कार शामिल होते हैं । कई बार सर्वे में संदर्भित इलाके के विद्यार्थियों तक के स्टेटमेंट होते हैं । इसे क्रॉस-सेक्सन सर्वे कहा जाता है। आपराधिक आकड़ों में पीड़ित से सम्बन्धित सूचना का सटीक कवरेज नहीं देते ।

5.4.2 पीड़ित और उसका शोषण

अपराधशास्त्रियो में हन्स वीन हेंटिग एवं स्टेफन शेफर ने बतलाया कि पीड़ित की भी अपराध घटित होने में भूमिका होती है । उनके अनुसार पीड़ित का व्यवहार और हावभाव अपराध घटित होने की आशंका पैदा करते हैं । अपराध का अध्ययन अपूर्ण है यदि उसमें पीड़ित की भूमिका का उल्लेख न हो । अपराध का कारण कई बार पीड़ित का अनुचित स्थान पर अनुचित समय पर होना पाया गया है । जौखिमभरी जीवन शैली अपराध घटित होने में सहायक है । उदाहरणार्थ किसी महिला का देर रात कहीं जाना और वह भी निर्जन स्थान में तो वह अपराध को निमंत्रित करती है ।

अपराध के सम्बन्ध में पीड़ित की भूमिका के रूचिकर बिन्दु निम्नांकित हैं -

1. पीड़ित के साथ व्यवहार की प्रकृति का अध्ययन किया जावे जो आमतौर पर पुलिस द्वारा रिपोर्ट नहीं किया जाता । कई बार यदि डकैतों द्वारा ब्लात्कार किया जाता है तो उसका जिक्र ही नहीं किया जाता है ।
2. पीड़ित के अनुसार अपराध में नुकसान का मूल्य ।
3. उन कारकों पर ध्यान देना जिनके कारण पीड़ित के साथ अपराध घटित होने की आशंका हो।
4. पीड़ित की ऐसी गतिविधि जो अपराध को निमंत्रित करती हो ।
5. कुछ ऐसी परियोजनायें निर्मित की जायें जिनसे अपराध पीड़ितों की क्षतिपूर्ति और समझाइश में मदद मिले ।

कई बार अपराधी अपराध पीड़ित से भी ज्यादा पीड़ित और आतंकित होते हैं । मिसाल के तौर पर बाल अपचारी जो छोटे-मोटे अपराधों में पकडे जाते हैं, शातिर बदमाशों द्वारा आतंकित किये जाते हैं और उन्हें जबरन संगीन अपराधी बना देते हैं। ब्रिटेन, अमेरिका और आस्ट्रेलिया में इस मद पर पर्याप्त अध्ययन किया गया है।

5.5 अपराध के तौर तरीको का विश्लेषण

अपराध से लडना बहुत जटिल कार्य है। अपराध और अपराधी के प्रति जानकारी जुटाना इस कार्य में प्रमुख तत्व हैं । एरिया विशेष की प्राप्त जानकारी के विश्लेषण से वहाँ के तौर तरीकों का पता चल जाता है। यह आपराधिक सूचना विश्लेषण के पश्चात् निम्न प्रकार से मदद कर सकती है :

- अपराधों की गुत्थी सुलझाने में,
- अपराधियों को तलाश कर गिरफ्तार करने में,
- सफलतापूर्वक पुलिस कार्यवाही करने में
- अपराध की रोकथाम की तरकीबें करने तथा गश्त करने में,
- समाज की समस्याओं को जानने और निराकरण करने में,
- पुलिस अधिकारियों की भर्ती करने एवं संसाधन जुटाने में,
- जनता को अपनी सुरक्षा के बारे में सतर्क करने एवं उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए ।

इस प्रकार आपराधिक आकड़ों का विश्लेषण पुलिस कार्य का महत्वपूर्ण अंग है । आधुनिक पुलिस अनेक प्रकार के विश्लेषण के 'टूल्स' का प्रयोग करती है । जैसे डेटा माइनिंग, चार्टिंग, इन्हरेन्स, डेवेलपमेन्ट क्रियेटिव थिंकिंग इत्यादि । पुलिस ने आपराधिक विश्लेषण को एक विधा का रूप दे दिया है । पुलिस में इस कार्य के लिए सुप्रशिक्षित व्यक्ति लगाये गये हैं ।

5.5.1 ऐतिहासिक परिदृश्य

प्राचीन काल में भी अपराध के तौर-तरीकों के विश्लेषण का अभ्यास किया जाता था । चाणक्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि राजा जनता की मानसिकता का पता लगाये। वह अपराधियों और राज्य के शत्रुओं का पता लगाये । चोरों के नियंत्रण के लिए रास्तों में तथा भीड़-भाड़ के स्थानों में पुलिस नियुक्त की जाती थी । रामायण में जिक्र है कि गुप्तचरों द्वारा यह पता लगाया जा रहा था कि जनता राजा के बारे में क्या सोच रही थी।

सामान्य तथा आपराधिक विश्लेषण के तौर-तरीकों का दो वारदातों से तुलना करके पता लगाया जाता है जो हलके विशेष में पड़ोसी इलाके में घटित हुई हो। हर पुलिस अधिकारी विश्लेषणकर्ता है क्योंकि वह अपने पुराने अनुभव को दूसरे पुलिस अधिकारियों के अनुभव से तुलना करता है । ब्रिटेन में सर्वप्रथम 1840 में लंदन मेट्रोपोलीटन पुलिस में अपराध के तौर-तरीकों के अध्ययन और पहचान हेतु गुप्तचर नियुक्त। किये गये । आपराधिक आकड़े 1847 में प्रकाशित हुए तथा 185० में वारदात करने के विशेष ढंग (मोड्स ऑपरेन्द्वाई) की अवधारणा विकसित की गयी । इसी आधार पर अपराधियों की धरपकड़ शुरू हुई । लंदन में ऐसे पुलिस दस्ते बनाये गये जिनका कार्य आसपास के इलाकों की पुलिस से तालमेल बिठाते हुए अपराधियों को गिरफ्तार करना था । यह गतिविधि दोतरफा थी।

बाद में अपराध अन्वेषण की दिशा में चिकित्सा और भौतिकी के कारण विकास हुआ । अपराधियों के द्वारा घटनास्थल पर छोड़ी गयी सामग्री, अंगुलियों के निशान, पैरों के निशान की सटीक

जाँच होने लगी । मनोवैज्ञानिक विकास के कारण अपराधियों की प्रकृति को, आदतों को तथा आपराधिक व्यवहार के ढंग को समझा गया । इस वैज्ञानिक विकास से पुलिसकर्मी की अपराधों पर पकड़ बढ़ गयी। उन्हें भावी वारदातों का अनुमान लगाने में सुविधा हो गयी और अपराधियों की पहचान भी।

1960 में लंदन में गुप्तचर विभाग की स्थापना की गयी तथा संवेदनशील इलाकों में 'बीट पेट्रोलिंग' गश्त शुरू की गयी । 1974 में, बोम्बर कमीशन ने अनुशंसा की कि अपराध के तौर तरीकों का पता जल्दी से जल्दी लगाया जाये । उसने स्थानीयआंचलिक और राष्ट्रीय स्तर पर गुप्तचर विभाग की स्थापना की अनुशंसा की । इसकी अनुपालना में, गुप्तचर यूनिटस की स्थापना हुई और अपराधों के तौर-तरीकों के विश्लेषण का प्रशिक्षण कार्य शुरू हो गया ।

1986 में रेटक्लिफ रिपोर्ट ने 'नेशनल स्टेण्डर्ड ऑफ इकोर्मेशन' तथा 'नेशनल स्टेण्डर्ड ऑफ इकोर्मेशन इवेत्थूराशन' की स्थापना की और 4x4 सूचना वर्गीकरण प्रणाली विकसित की । राष्ट्रीय गुप्तचर कार्यालय स्थापित हुआ जिसका कार्य आपराधिक समस्याओं, अपराधी गैगों, मादक द्रव्यों, नकली सिक्कों, फुटबाल के क्षेत्र में गुण्डागर्दी पर नजर रखना था । यह इनसे सम्बन्धित सूचना भी प्रकाशित करता था ।

1992 में नेशनल क्रिमिनल सर्विस - एनसीआईएस की स्थापना हुई जो अपराध अन्वेषण तथा संगठित अपराधी-गैगों के विरूद्ध कार्यवाही की अग्रणी ऐजेन्सी हुई । 1993 में, ऑडिट कमीशन ने अपराध नियंत्रण के लिए संसाधनों के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर राष्ट्रीय नीति बनाने की पुरजोर सिफारिश की । इसने अनुशंसा की कि अपराधियों को निशाना बनाया जाये । इससे गुप्तचर-उज़ख पुलिस नीति की बुनियाद पड़ी । इसने अनुशंसा की कि अपराध के अन्वेषण एवं विश्लेषण हेतु प्रशिक्षित स्टाफ हो जो अपराध के तौर-तरीकों को संग्रहण, आकलन एवं अध्ययन कर सकें । इस योजना के अन्तर्गत अपराध विश्लेषणकर्त्ता का प्रशिक्षण शुरू हुआ तथा नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन (NVQ) का कार्य शुरू हुआ जो प्रशिक्षित अन्वेषणकत्ताओं को मान्यता देता था ।2000 में स्पेडिंग रिपोर्ट ने 'नेशनल क्रिमिनल इटेलीजेन्स जैसी प्रमुख ऐजेन्सी की आवश्यकता पर आग्रह किया जो अपराध अन्वेषण और सूचना सम्प्रेषण और संग्रहण का कार्य करे । स्पेडिंग ने अनेक संगठित अपराधों के अध्ययन की बात की ताकि यह पता लग सके कि इससे पीडित, समाज किस प्रकार प्रभावित होते हैं । उसने कहा कि अपराध की तस्वीर पूरी होने में डाटा विश्लेषण और सूचना संग्रहण की प्रमुख भूमिका होती है । इसके परिणामस्वरूप NCIS ने 'UK थ्रेड एनेलीसिस प्रकाशित किया जिसमें संगठित कुख्यात अपराधी गैगों द्वारा दी गयी धमकियों का विवेचन किया गया था।

20 वीं शताब्दी के प्राथमिक वर्षो में, ऑगस्ट वोल्मर, बर्कले ने पुलिस चीफ (केलीफोर्निया) वारदात करने की शैली के आधार पर अपराधियों के वर्गीकरण के ब्रिटिश सिद्धान्त को लागू किया। उसने आपराधिक संवेदनशीलता के आधार पर स्थान विशेष निहित किये । उसने टेलिफोन कॉल्स की जाँच पड़ताल शुरू की। उसने अपने निबन्ध दी पुलिस बीट' में कहा ' 'आपराधिक वारदातों के पैटर्न के आधार पर शहर में भावी अपराधों का अन्दाज लगाया जा सकता है । " इस प्रकार उसने अमेरिका में अपराध के तौर तरीकों के विश्लेषण की नींव रखी ।

प्रो. डब्ल्यू, विलसन, जो शिकागो का पुलिस चीफ था, ने पुलिस की कार्यशैली पर विस्तार से लिखा । उसने बोल्मर के 'बीट सिस्टम' को सुधार दिया । उसने अपराध के पैटर्न के विश्लेषण को

पुलिस का मुख्य कार्य माना । उसने कहा कि पुलिस को चरणबद्ध रूप से आपराधिक वारदातों के पैटर्न का प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन किया जाना चाहिए तथा घटनास्थल, वारदात का समय, आदि अन्य घटित वारदातों से तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए । इससे अपराधियों की पहचान भी हो सकती है।

1960 के दशक में, अमेरिका में अपराध पैटर्न विश्लेषण की पुलिस यूनिट्स बनने लगी जिन्होंने कई शातिर बदमाशों के गैंग का वारदात करने के ढंग का खुलासा किया । इससे उनके अपने-अपने इलाकों में अपराधियों की और उनके द्वारा की गयी वारदातों की पहचान हो गयी।

1968 में, अमेरिका में ओम्नी बस क्राइम कंट्रोल तथा सेफ स्ट्रीट्स एक्ट पारित हुआ जिसमें ला इकोर्समेन्ट असिस्टेन्स एडमिनिस्ट्रेशन (LEAA) की स्थापना हुई । इसके अन्तर्गत स्टेट को योजना, भर्ती, पुलिस स्टाफ प्रशिक्षण, अपराध नियंत्रण चेतना, भवन निर्माण, संगठित अपराध से लड़ने के लिए, दंगे-फसाद रोकने के लिए विशेष पुलिस दस्ते के लिए विशेष मुहैया कराई गयी। LEAAके अधिकारी रोबर्ट ओ हेक ने पैट्रोल एस्फेसिस प्रोग्राम (PEP) को विकसित किया । इससे पुलिस की रात्रिकालीन गश्त सावचेत हो गयी - आपराधिक वारदातों के पेटर्न के विश्लेषण से यह तय हो गया कि रात्रि में कब और कहाँ कितना पुलिस दस्ता होना चाहिए। हेक ने बाद में इंटीग्रेटेड क्रिमिनल एप्रीहेन्हान प्रोग्राम (IACP) विकसित किया । जिसके पीछे यह अवधारणा थी कि अपराधी बार-बार पुलिस के सम्पर्क में आयेंगे । कभी वे गिरफ्तार होंगे, कभी यातायात के नियमों के उल्लंघन में, तो कभी अन्य जाँच पड़ताल में पुलिस के सम्पर्क में आयेंगे ही । वारदातों के पेटर्न के कम्प्यूटरीकृत रिकॉर्ड रखने से अपराधियों की तफ्तीश, गिरफ्तारी तथा कार्यवाही में मदद मिली।

इस प्रकार आपराधिक वारदात का पेटर्न विश्लेषण पुलिस कौशल का प्रमुख कारक हो गया। पूरे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इसे अपना लिया गया।

जब ब्रिटिश शासकों द्वारा उन्नीसवीं शताब्दी के सातवें दशक में भारत में पुलिस प्रणाली स्थापित की गयी तो इसमें गश्त करना, संदिग्ध लोगों की गतिविधि की सूचना संग्रहण, अपराधियों की वारदात करने के ढंग का अध्ययन इत्यादि पुलिस के कार्यो में सम्मिलित किये गये । अपने-अपने इलाके के नक्शों में पुलिस ने अपराधों का मापन और रेखाकन कर संवेदनशील स्थानों की पहचान की। वैसे आपराधिक पैटर्न के शोध में आगे शोध कार्य नहीं हो रहे हैं ।

5.5.2 आपराधिक विश्लेषण परिभाषा की ओर ....

आपराधिक विश्लेषण को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि यह एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जो अपराधों के तौर-तरीकों पर उचित और तात्कालिक सूचना प्रदान करती है तथा कार्यरत पुलिस स्टाफ की योजनाबद्ध आपराधिक रोकथाम, तफ्तीश, गिरफ्तारियों और मुकदमों के फैसलों की समुचित जानकारी देता है। आपराधिक विश्लेषण बहुआयामी है क्योंकि यह पुलिस की तमाम गतिविधियों में जैसे तफ्तीश में, शोध कार्य में, अपराध नियंत्रण में, बजट बनाने में तथा योजना निर्माण में सहायक होता है।

- स्टेवन गोटलेब एवं अन्य, 1994 "आपराधिक विश्लेषण. प्रथम रिपोर्ट से अन्तिम गिरफ्तारी तक"

5.5.3 आपराधिक विश्लेषण के विभिन्न स्वरूप

5.5.3.1 नीतिगत आपराधिक विश्लेषण :

शीघ्रातिशिघ्र अभी-अभी हुए अपराधों के प्रति पुलिस की प्रतिक्रिया जाहिर करता है । यह कार्यरत पुलिस स्टाफ को वारदात की विशिष्ट प्रवृत्ति बतलाते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी में मदद करता है ।

5.5.3.2 पुलिस की रणनीति :

ताजा घटित आपराधिक वारदातों के प्रति तत्काल कार्यवाही करने की जरूरत है । इससे कार्यरत पुलिस स्टाफ द्वारा अपराध की प्रवृत्ति का अन्दाज लगा लिया जाता है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है । मूल उद्देश्य अपराध की प्रकृति और प्रवृत्ति को समझना है । पुलिस द्वारा अपराध का पैटर्न समझने पर वारदात के तौर-तरीकों से कई महत्वपूर्ण सूत्र हाथ लग जाते हैं जिनसे कई अन्य वारदातों के खुलासा होने और गुत्थियाँ सुलझाने में मदद मिलती है।

पुलिस की तफ्तीश को अंजाम देने की नीति से ताजा आपराधिक वारदात का समाधान हो जाता है । इससे गश्त करने तथा स्थान विशेष पर निगरानी करने में सहायता मिलती है । इसका उद्देश्य यही है कि समाज की स्थिति के बदलते हुए आपराधिके गतिविधियों पर पुलिस की पकड़ हो जाये तथा पुलिस अधिक कौशल से समाज को अपनी सेवा मुहैया करा सके।

5.5.3.3 प्रशासनिक पक्ष

प्रशासनिक पक्ष के अन्तर्गत लम्बी अवधि की परियोजनायें हैं । इनके अन्तर्गत आर्थिक, भौगोलिक, पुलिस प्रबन्धन को विधिक सूचना जुटाना है । इसका प्रयोजन आर्थिक, संगठनात्मक, राजनीतिक एवं विधायकी है । इसका कार्य बजट, स्टाफ, सार्वजनिक सूचनाओं और विधिक मुद्दों से है।

5.6 विश्लेषण प्रक्रिया

योजना एवं दिशा

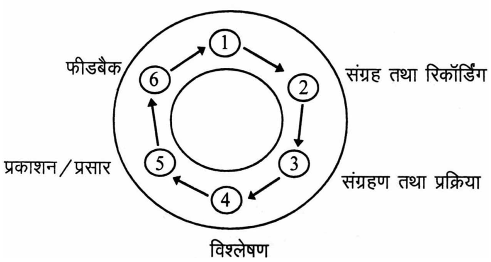

विश्लेषण

विश्लेषण प्रक्रिया, उद्देश्य के निर्धारण की योजना से प्रारंभ होती है । एक बार उद्देश्य सुनिश्चित हो जाये, तब प्रासंगिक डेटा संग्रह का कार्य शुरू होता है । डेटा सिस्टमेटिक ढ़ंग से निश्चित प्रपत्रों में रिकॉर्ड किया जाता है । उदाहरणार्थ, जब एफआईआर. से डेटा ग्रहण किया जाता है तो उससे सम्बन्धित अपराध की जानकारी ली जा सकती है तथा कुछ बिन्दुओं पर जैसे खोये हुए माल की बरामदगी, घटना स्थल की तलाशी, आरोपियों की गिरफ्तारी इत्यादि । इस सूचना को संग्रहीत किया जाता है । यह भी तय किया जाता है कि क्या वारदात करने का तरीका किसी अपराधी गैंग की कार्यशैली से मिलता-जुलता

है या बदमाशों द्वारा पीड़ितों का किस तरह चयन किया गया है औ उनकी किन दुर्बलताओं का फायदा उठाया गया है । यह समस्त विश्लेषण अर्थहीन है यदि इसकी जानकारी तफ्तीश करने वाले पुलिस अधिकारी को नहीं दी जाती । इस तरह विश्लेषण की सूचना का सम्प्रेषण प्रक्रिया का दूसरा चरण है। इससे कार्यरत पुलिस अधिकारी को तफ्तीश में सार्थक मदद मिलती है या नहीं, इसका बाद में आकलन किया जाकर सूचना का पुनर्भरण (फीडबैक) होता है और जो अन्तर रह जाते हैं उन्हें भरा जाता है।

5.7 आपराधिक चार्ट्स तथा आपराधिक विश्लेषण की तकनीकी

5.7.1 आपराधिक चार्ट्स

आपराधिक चार्ट्स से विश्लेषणकर्त्ता को अपराधिक डेटा की व्याख्या करने में मदद मिलती है । डेटा अक्सर अपूर्ण रहता है। यह अपराध की कड़ियों को जोड़ता है और अपराधियों की ओर संकेत करता है। डेटा से चार्ट तैयार करने से पूर्व सूचना की अविश्वसनीयता सुनिश्चित की जाती है। विभिन्न चार्टिग टेक्मीक्स निम्न है

1. लिंग चार्ट्स - इनमें डोट्स और लिंक्स का प्रयोग होता है जो बिन्दुओं के सम्बन्ध दर्शाते हैं ।
2. फ्लो चार्ट्स - इनमें उपभोक्ता वस्तु - धन अथवा मादक द्रव्य - का फ्लो स्थान, संगठन और व्यक्तियों के संदर्भ में दर्शाया जाता है।
3. इवेन्ट चार्ट्स - इसमें विभिन्न घटनायें समय क्रमानुसार दर्शाई जाती हैं ।
4. एक्टीविटी चार्ट्स - इनमें विभिन्न गतिविधियों के परस्पर सम्बन्ध दर्शाये जाते हैं ।

इनके आधार पर ज्ञात निश्चित अथवा संदिग्ध सूत्रों का पता लगाया जाता है और यह अन्दाज लगाया जाता है कि कौनसी आपराधिक वारदात भविष्य में घटित हो सकती है।

5.7.2 आपराधिक विश्लेषण की तकनीकें एवं उनके परिणाम

आपराधिक विश्लेषण की विभिन्न तकनीकें अपराधों का विश्लेषण कर अनके अनुमान लगाती है और यह मूल्यांकन करती है कि कोई अपराधी व्यक्ति के रूप में अथवा अपराधी गैंग पीड़ित व्यक्ति अथवा समाज को कितना नुकसान पहुँचा सकते हैं । विभिन्न तकनीकें निम्नांकित हैं :

1. अपराध के पैटर्न का विश्लेषण
2. जनसंख्यात्मक / सामाजिक रूझान का विश्लेषण
3. अपराधी संगठन का विश्लेषण
4. आपराधिक गतिविधि का परिदृश्य
5. बाजार (आपराधिक उत्पाद) का विश्लेषण
6. जोखिम / खतरे का विश्लेषण
7. परिणामत: विश्लेषण
8. लक्ष्य का परिदृश्य
9. समस्या का विश्लेषण

1. **अपराध के पैटर्न का विश्लेषण** आपराधिक पेटर्न विश्लेषण के अन्तर्गत अपराध, वारदात, अपराध की प्रवृत्ति, संवेदनशील स्थान, आपराधिक गैंग, उनकी व्यक्तिगत पहचान, उनके

सहयोगी, शरणदाता, आर्थिक मदद देने वाले, चोरी का माल कब्जे में रखने वाले, अपराधियों के छिपने के स्थान, उनके परस्पर संदेश, आवाजाही, वारदातों का मौसम से सम्बन्ध, पुलिस द्वारा जब्त, कार्यवाही एवं तफ्तीश आदि आते है।

2. **जनसंख्यात्मक / सामाजिक रूझान का विश्लेषण** इसके अन्तर्गत उन बिन्दुओं को समझना होता है कि आबादी के बदलाव से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा इनसे आपरधिक गतिविधियों पर किस प्रकार समसामयिक सीजनल (मौसमी) अपराध घटित होते हैं और कैसे पुलिस बल उनके नियंत्रण हेतु व्यवस्था करता हे ।
3. **अपराधी संगठन का विश्लेषण** आपराधिक गैंग सुसंगठित होते हैं। उनके संगठन के कुछ नियम होते हैं और विशेषतायें होती हैं । उनकी कुछ दुर्बलतायेंऔर कुछ सामर्थ्य होती हैं । उनकी दुर्बलताओं के कारण वे पकड़े जाते है और पुलिस उन्हें निक्रिय करती है।
4. **आपराधिक गतिविधि का परिदृश्य** आपराधिक कार्य परिदृश्य से आशय अपराधियों के वारदात करने के तौर-तरिकों से है। कैसे वे पीड़ित का चयन करते हैं और कैसे वे पुलिस व्यवस्था की दुर्बलता का लाभ उठाकर वारदात करते हैं।
5. **बाजार (आपराधिक उत्पाद) का विश्लेषण** मार्केट (आपराधिक उत्पाद) विश्लेषण के अन्तर्गत चोरी और लूट के बाजार का खुलासा होता है । चोरी किये गये वाहन, मादक द्रव्यों और वैश्यावृत्ति बाजार से जुड़े होते हैं। इस बाजार का विस्तार कितना है? इसके ग्राहक / खरीददार कौन होते हैं । इसमें माल लानेवाले, ले जाने वाले, संदेश पहुँचानेवाले, ड्राईवर इत्यादि कौन होते हैं? क्या वे हवाला पद्धति अपनाते हैं या बैंक के जरिये लेनदेन करते है? इस आपराधिक बाजारवाद की क्या सामर्थ्य और दुर्बलता है? इसे नियंत्रित करने के लिए किन व्यक्तियों को निशाना बनाया जाये इत्यादि बाते आती हैं।
6. **जोखिम / खतरे का विश्लेषण जोखित विश्लेषण** से आशय है कि भुजबल और धनबल युक्त आपराधिक गैंग समाज और व्यक्ति के लिए खतरनाक हैं । उनकी धर पकड़ में पुलिस को जान की -जोखिम होती है। किस गैंग के विरूद्ध कार्यवाही में कितना जोखिम है, इसका अनुमान जोखिम के विश्लेषण से लग जाता है ।
7. **परिणामत : विश्लेषण** परिणाम का विश्लेषण के अन्तर्गत उन तथ्यों का ऑकलन किया जाता है कि पुलिस द्वारा जो कार्यवाही की गई है उससे क्या हाथ लगा है तथा इस अपराध नियंत्रण तथा स्थिति के सुधार में निम्न संदर्भो में क्या कमी रह गई है :
   अ बीट्स एवं पुलिस गश्त
   ब. अपराध की कमी सम्बन्धी कार्यवाही
   स रोकथाम के अन्तर्गत् आरोपियों की गिरफ्तारी
   द. तफ्तीश
8. **लक्ष्य का परिदृश्य :** अपराधियों के निशाने के परिदृश्य का विश्लेषण यह बतलाता है कि उन्होंने व्यक्ति विशेष संगठन विशेष या स्थान विशेष को ही अपराध का निशाना क्यों बनाया? उनकी क्या कमजोरियां रही थी? क्या उनके मकानों पर ताले ठीक तरह नहीं लगाये गये थे' क्या

वाहनों पर ताले खुले थे? इसके अन्तर्गत आपराधिक वारदात से बचाव के तरीकों की जानकारी दिया जाना भी प्रस्तावित है।

9. **समस्या का विश्लेषण :** समाज में अनेक समस्यायें अस्तित्व में हैं । मादक द्रव्यों का सेवन एक ज्वलंत मिसाल है । इसकी तस्करी होती है । इन मादक द्रव्यों का व्यसन, समाज में दरिद्रता, युवाओं में अवसाद पैदा करता है । आपराधिक नियंत्रण की दृष्टि से कारगर उपाय पुलिस से अपेक्षित हैं । समस्या रेखांकित हो जाने पर, पुलिस अपने सीमित साधनों से प्राथमिकता के आधार पर समस्या से जूझती है । प्राथमिकता तय होने पर ही कार्यवाही करने का निर्णय लिया जाता है । अपराध को घटित होने के पूर्व ही रोका जाना और अपराध घटित हो जाने पर शीघ्रातिशिघ आरोपियों की गिरफ्तारी ही अपराध नियंत्रण की उचित दिशा है।

पुलिस द्वारा किये गये प्रयासों की नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए ताकि यह पता लग सके कि वांछित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं अथवा नहीं । यदि नहीं तो क्यों हासिल नहीं हो रहे हैं? क्या हासिल हो रहा है? इसी के मद्देनजर पुलिस अपने संसाधनों से वांछित परिणाम हासिल करे, यह अपेक्षा की जाती है ।

5.8 शोध की आवश्यकता

सूचना प्रौद्योगिकी, समाज की रीति-नीति में बदलाव ला रही है । इन्टरनेट ने तो एक सामाजिक क्रान्ति का सूत्रपात कर दिया है । सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव समाज की आर्थिक गतिविधि पर दिखलाई पड़ता है । डिजीटल प्लेफील्ड पर सूचना, संचार की तमाम संभावनायें उभर कर सामने आ रही है जैसे तीव्र गति, सार्वजनिकता, बहुआयामीफ्न स्थान-समय की स्वछंदता इत्यादि। अपराधी सूचना प्रौद्योगिकी की बारीकियों को पकड़ कर अपराध के नये तौर-तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं और यदि पुलिस को सूचना प्रौद्योगिकी का निपुण वैज्ञानिक ज्ञान नहीं है तो वे अपने कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी की सहायता से किये गये अपराधों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को 1.6 अरब डालर का नुकसान किया है तथा भारत की जीडीपी को एक अरब डालर की क्षति हुई है । मुम्बई में हुए आतंकवादी हमला इस तथ्य की ज्वलन्त मिसाल है कि कितने खतरनाक तरीके से आतंकवादी टेक्मोलॉजी को प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल करने में सक्षम हैं । कुछ आकस्मिक घटनाओं को छोड़कर हिन्दुस्तान अभी तक टेक्नोलोजी - उज़ख अपराधों की सुनामी से बचा हुआ है । परन्तु भविष्य में खतरे होंगे क्योंकि टेक्मोलॉजी हमारे दैनिक जीवन में प्रवेश कर चुकी है।

भारतीय पुलिस में अभी टेक्मोलॉजी का ज्ञान बहुत ही शोचनीय स्थिति में है । अभी तक टेक्नोलॉजी का उच्चस्तरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुलिस के पास संस्थागत व्यवस्थायें स्थापित नहीं है । पर्यावरणीय परिदृश्य भी मीडिया की घुसपैठ, उच्च शिक्षा, आबादी के बदलाव, त्वरित शहरीकरण, राजनीतिकरण, जनता का आक्रोश, सुरक्षा के खतरों के कारण निरन्तर बदलता जा रहा है । त्वरित शहरीकरण देश के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है । भारत के रजिस्ट्रार जनरल के मुताबिक2026 तक देश की 38 प्रतिशत आबादी (536 करोड़) शहरी क्षेत्रो में निवास कर रही होगी। यह देश की ग्रामीण आचलिक संस्कृति तथा उपनिवेशवादी पुलिस ढर्रे पर घातक प्रहार होगा ।

पुलिस की संगठनात्मक चुनौतियाँ अस्पष्ट उद्देश्यों, ब्रिटिश राज के कठोर अनुशासन, पुरानी किस्म के हथियारों और संसाधनों तथा अकुशल तरीके से प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों के कारण उत्पन्न

होती है । लगभग 90 प्रतिशत कान्स्पेबल तथा हेड कान्हेबल आज भी मैट्रिक पास ही है और पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं । पुलिस की पत्रिकायें एक शताब्दी पूर्व के मामलात का खुलासा कर रही हैं। देश में- औसतन एक लाख आबादी पर 127 पुलिसकर्मी हैं जबकि विकसित देशों में एक लाख पर 350 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं । इसी कारण से पुलिस तंत्र में सुधार की संभावनायें नहीं के बराबर हैं । आधुनिक पुलिसबल प्रशासन में गुणवत्ता हासिल करने का प्रयास नवीन शोध के आधार पर कर रहे हैं । एफबीआई अकादमी ने सर्वप्रथम 1982 में 'भविष्य में कानून व्यवस्था पर एक पाठ्यक्रम घोषित किया और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पुलिस के विशेषज्ञों का सहयोग लेकर भावी पुलिस तंत्र के विकास कार्य में संलग्न हैं । इस प्रकार बदलते सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य में, आबादी, अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में अन्वेषण निहायत जरूरी हो गया है।

5.9 अपराध के विश्लेषणकर्त्ताओ की जरूरत

जैसा कि पहले ही विवेचन किया जा चुका है कि पुलिस बल और आपराधिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले अनेक कारक होते हैं। कई ऐजेन्सियाँ अपराध और उनके कारकों के अध्ययन हेतु विस्तार से डाटा जुटा रही हैं। इसी उद्देश्य से डेटा-माइनिंग तथा स्टेटस्टिकल मॉडलिंग तकनीकों का सूचना की व्याख्यार्थ उपयोग किया जा रहा है। यह ज्ञान सामान्य पुलिसकर्मी की सामर्थ्य से परे है। इसलिए अपराधों के विश्लेषणार्थ विशेषज्ञों की आवश्यकता है जो पुलिस तंत्र एवं सरकार की अपराध नियंत्रण की दिशा में नीति निर्माण करने में सहायता करें। इंटरनेशनल एसोसियेशन ऑफ क्राइम ऐनेलिस्टिस (IACA) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अव्वल नम्बर की संस्था है जो अपराध के विश्लेषणकर्त्ता उपलब्ध करवा रही है और निरंतर प्रयास जारी है।

5.10 सारांश

आपराधिक विश्लेषण अपराध के घटित होने के कारकों को समझने में मददगार है तथा पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण की नीति बनाने में सहायक है । यह अपराधियों के संगठन, बाजार, जोखिम और परिणाम जो अपराध नियंत्रण कार्यवाही में सामने आते हैं, समझने में मददगार है । इससे पता लगता है कि अपराध नियंत्रण कार्यवाही में क्या सार्थक रूप से हासिल हुआ है और क्या नहीं हुआ? यह पुलिस बल को सचेत करता है कि वह अतीत की गलतियों की पुनरावृत्ति न करे। पूरें पुलिस तंत्र के लिए अपराध विश्लेषण अत्यावश्यक हो: गया है क्योंकि उसे सरकार और जनता की आकांक्षाओं को अपने सीमित संसाधनों से पूरा करना पड़ता है।

5.11 अभ्यास प्रश्न

1. आप आपराधिक विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? पुलिस बल को इसकी आवश्यकता क्यों हैं ?
2. आपराधिक विश्लेषण किस प्रकार विकसित हुआ ? बतलाइए ।
3. अपराध के विश्लेषण करने की विभिन्न तकनीकें क्या हैं ?
4. वे कौनसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकि कारण हैं जो अपराधी के व्यवहार को प्रभावित करते हैं ?

5. क्या पीड़ित का व्यवहार भी अपराध घटित होने का कारण हो सकता है ? उदाहरण देकर स्पष्ट करें।

संदर्भ ग्रन्थ

1. स्टीवन गोटलिव : "क्राइम एनेलिसिस. क्रोम फर्स्ट रिपोर्ट टू फाइनल अरेस्ट"
2. जीआईएस, सी. पी. जोनसन : क्राइम मेपिंग एण्ड एनेलिसिस यूजिंग जियोमेटिक्स ग्रुप, सी-डीएसी, यूनिवर्सिटी केम्पस, पुणे
3. आइडेन्टीफाइग एण्ड एनेलाइजिग क्राइम पेटर्न्स
4. श्याम वरण नाथ एल : क्राइम पेटर्न डिटेक्शन यूजिग डेटा माइनिंग, ओरेकल कॉरपोरेशन
5. क्राइम पेटर्न्स एण्ड एनेलिसिस
6. आइडेन्टीफाइंग क्राइम पेटर्न्स
7. अशोक के. दत्त, जी. वेणुगोपाल : स्पेशियल पेटर्न्स ऑफ क्राइम अमंग इंडियन सिटीज
8. विक्टर गोल्ड स्मिथ, फिलिप जी. मेकग्वायर, जोन बी. मोलेनकोफ टिमोथी ए. रोस : एनेलाइजिग क्राइम पेटर्न्स, फ्रन्टियर्स ऑफ प्रेक्टिस

इकाई -6

कम्यूनिटी पुलिसिंग और अपराधों की रोकथाम

इकाई की रूपरेखा

6.0 उद्देश्य

6.1 प्रस्तावना

6.2 कम्यूनिटी पुलिसिंग का अभिप्राय

6.3 कम्यूनिटी या सामुदायिक पुलिसिंग के प्रमुख अवयव

6.4 सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के उपाय

6.5 अपराधों की रोकथाम में सामुदायिक भूमिका

6.6 कम्यूनिटी पुलिसिंग की नीतियों को लागू करने के उपाय

6.7 सारांश

6.8 अभ्यास प्रश्न

6.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप :

- आप कम्यूनिटी पुलिसिंग के आशय या अभिप्राय को समझ सकेंगे ।
- कम्यूनिटी पुलिसिंग के अवधारणात्मक विकास से परिचित हो सकेंगे ।
- कम्यूनिटी पुलिसिंग की अवधारणा के प्रमुख अवयवों की जानकारी मिल सकेगी ।
- अपराधों की रोकथाम में सामुदायिक सहभागिता किस प्रकार बढाई जा सकती है' यह विचार कर सकेंगे ।
- अपराधों की रोकथाम में सामुदायिक भूमिका पर प्रकाश डाल पाएगें ।
- कम्यूनिटी पुलिसिंग की नीतियों को कैसे लागू करें' यह भी विचारणीय है ।

6.1 प्रस्तावना

आपराधिक न्यायिक प्रशासन की व्यवस्था में पुलिस की भूमिका स्पष्टत: पारिभाषित की गई है । विधायक या सांसद कानून बनाते हैं। पुलिस साक्षियों का परीक्षण करके उनके उल्लंघन के तथ्यों को एकत्रित करती है । सरकारी अभियोजक तदनुसार मामले को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है । न्यायालय सम्बन्धित परिस्थितियों और व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में कानून की व्याख्या करते हुए समुचित दण्ड देता है । इस प्रकार उक्त व्यवस्था में सभी सम्बन्धित कारक - पुलिस, गवाह, अभियोजक और ज्यूडिसियरी एक संगठित टीम की कड़ी के रूप में कार्य करते हैं । इस पूरी टीम के किसी भी सदस्य के आचरण एवं दृष्टिकोण का दूसरे अन्य सदस्य घटकों पर भी प्रभावी असर पडता है । उक्त टीम के सभी कारकों में 'गवाह की भूमिका अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है । अत: इसने कोई सन्देह नहीं कि प्रत्येक नागरिक गवाह के तौर पर उन सदाचरणशील एवं सम्मानित पुलिस अधिकारियों की सहायता करके और निष्क्रिय एवं नकारात्मक दृष्टिकोण वाले पुलिसकर्मियों की भूमिका को नियन्त्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है । वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अधिकांश आपराधिक मामलों में यह अत्यन्त

ही दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि प्रत्येक नागरिक गवाह के तौर पर आगे आने से कतराता है । इससे पुलिस का कार्य और भी कठिन हो जाता है।

वर्तमान समय में सामाजिक संरचना और पारस्परिक सम्बन्धों के परिवर्तन ने समाज में पुलिस और उसकी भूमिका को भी प्रभावित किया है । हमें यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि इन परिवर्तनों के कारण न केवल पुलिस की कार्य क्षमता और वे परिस्थितियां जिनके अन्तर्गत वह काय, करती है, बल्कि पुलिस की वर्तमान और निकट भविष्य की मूल अवधारणा भी बदली है । उक्त परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जहां एक नए समाज का स्वरूप सामने आया है, वहीं पर निष्पक्ष एवं साफ सुथरी छवि वाले पुलिस प्रशासन की महत्ता भी बढ़ गई है।

वर्तमान भूमण्डलीकृत सूचना युग में अपराध नियन्त्रण और कानून व्यवस्था का प्रबन्धन वास्तव में पुलिस के लिए अत्यन्त ही संवेदनशील एवं चुनौतीपूर्ण कार्य हो गये हैं । इसमें पुलिस के साथ-साथ ही कम्यूनिटी अथवा सामाजिक समुदायों की सक्रिय भूमिका सामाजिक स्थिरता और विकास के सन्दर्भ में अत्यन्त ही महत्वपूर्ण हो गई है । पुलिस से अपेक्षा है कि वह कानून और व्यवस्था की समस्याओं के समाधान के लिए अपनी कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार करे और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में प्रभावी भूमिका निभाते हुए अपनी सामुदायिक भागेदारी सुनिश्चित करके प्रमुख मुद्दों की पहचान और उनके समाधान का प्रयास करे । हमारे देश में कम्यूनिटी पुलिसिंग की दिशा में किए गये अब तक के प्रयास अधूरे और तदर्थवादी ही रहे हैं । अतएव एक व्यवस्था के रूप में कम्यूनिटी पुलिसिंग विकसित करने के लिए हमें पुलिस व पब्लिक दोनों के स्तर एवं दृष्टिकोण में आमूल-चूल परिवर्तन्: करने होगें।

6.2 कम्यूनिटी पुलिसिंग का अभिप्राय

वस्तुत: यह समाज कल्याण के लिए दोनों के बीच पारस्परिक लाभकारी एव निकट सम्बन्धों के सिद्धान्त पर आधारित है । अमेरिका के **ब्यूरो ऑफ जस्टिस असिस्टेन्स** के द्वारा सन् 1994 में प्रकाशित मोनोग्राफ के अनुसार कम्यूनिटी पुलिसिंग की अवधारणा दो मुख्य अवयवों - सामुदायिक भागीदारी (कम्यूनिटी पार्टनरशिप) और समस्या समाधान (प्राब्लम सॉल्विंग) से मिलकर बनी है । यह मुख्यत: पुलिस और सामुदायिक सहभागिता के संयुक्त प्रयासों के द्वारा समाज की अव्यवस्था और अपराध की समस्या को पहचान कर उनका संभावित समाधान प्रस्तुत करती है।

लुईस.ए. रेडलिट और डेविड एल. कार्टर के अनुसार कम्यूनिटी पुलिसिंग को निम्न प्रकार, से परिभाषित किया जा सकता है - "कम्यूनिटी पुलिसिंग' की अवधारणा केवल रणनीतिक नहीं है, अपितु यह एक दर्शन है । जिसमें पुलिस कार्य की सक्रिय और विकेन्द्रीकृत कार्य योजना निहित है । जो अपराधों एवं अपराधियों के डर एवं अव्यवस्था को कम करने के लिए बनी है और जो कम्यूनिटी की आवश्यकता और माँग के अनुरूप प्रक्रियाशील हो । इस प्रकार कम्यूनिटी पुलिसिंग, पुलिस की जिम्मेदारी समग्र रूप में देखती है । जिसमें समस्याओं का लगातार परीक्षण, उनके कारणों का निर्धारण और उनके समाधान की तकनीक के विकास करने का प्रयास करना है।

यद्यपि कम्यूनिटी पुलिसिंग के विषय में लोगों की अवधारणायें भिन्न-भिन्न हैं । जैसे गश्त कार्यक्रमों से लेकर जनता के बीच दोस्त बनाना या ऐसी योजनायें बनाना, जिसमें पुलिस अधिकारी कानून की अनुपालना बहुत कड़ाई से करते हैं, और उसमें ढिलाई की कोई गुंजाइश न हो, परन्तु इसके

विषय में अधिकांश पुलिस अधिकारियों एवं शोधार्थीयों में सहमति है कि यह पुलिस एवं नागरिकों दोनों के बीच सहयोग एवं समन्वय के द्वारा ही अपराधों की पहचान एवं रोकथाम करती है । इसका एक दूसरा कारक है, जिसमें पुलिस ऐसी भूमिका का निर्वहन करती है जो नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के प्रति उत्साहित करती है । एक अन्य विचार यह भी है कि कम्यूनिटी पुलिसिंग के विकास के लिए वर्तमान पुलिस व्यवस्था की संरचना, प्रबन्धन और कार्यशैली या प्रचलन में बदलाव की आवश्यकता है।

जिसमें निम्नांकित बिन्दु सम्मिलित किये जा सकते हैं -

- अधिकारों एवं शक्तियों का विकेन्द्रीकरण
- कम्यूनिटी या समुदायों का सशक्तीकरण
- पुलिस नागरिक सम्पर्को की बेहतरी के प्रयास
- समस्या समाधान की सर्जनात्मक कार्य योजनाओं का विकास

6.2.1 कम्यूनिटी पुलिसिंग का अवधारणात्मक विकास -

कम्यूनिटी पुलिसिंग की अवधारणा पुलिस के मूल उद्भव के साथ ही जुडी हुई है । 196० के अन्तिम भाग में बुद्धिजीवी वर्ग, सरकारी पदाधिकारी, पुलिस प्रमुख और समाज का अधिसंख्यक तबका यह प्रश्न उठाने स्कग़ कि क्या पुलिस अपना कार्य संभावित श्रेष्ठतम एवं प्रभावी तरीकों से कर रही है? यद्यपि पिछले दो दशकों 'से यह अवधारणा बन गई है कि बहु त से प्रजातान्त्रिक देशों जैसे- अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, सिंगापुर में पुलिस कार्य की वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यक होने लगी है, बजाय उसकी कानून अनुपालन कराने की परम्परा के, जो प्राय: प्रतिक्रियावादी और अधिकांशत: दमनशील है, और जिसके फलस्वरूप पुलिस न केवल निष्प्रभावी हो जाती है, बल्कि आम जनता से अलग थलग भी पड़ जाती है। इस विषय में अमेरिका में सन् 1960 के बाद से ही एक विशिष्ट पुलिस कार्यप्रणाली के दर्शन को विकसित करने के प्रयोग हु ए । जिसमें अमेरिका के विभिन्न नगरों में प्रचलित पुलिस रणनीतियों के द्वारा अपराध और अव्यवस्था से संघर्ष करके सफल होने की प्रकृति का अध्ययन और परीक्षण किया गया।

यद्यपि ब्रिटिश पुलिस के कुछ हिस्सों में निश्चित रूप से कम्यूनिटी पुलिसिंग के तत्त्व मौजूद थे, परन्तु उक्त कार्यक्रम को संवैधानिक सम्बल प्रदान करने हेतु सन् 1984 के पुलिस एण्ड क्रिमिनल एवीडेन्स एक्ट का प्रावधान किया गया । जिसमें पुलिस के वृहत उत्तरदायित्व के साथ, पुलिस कार्य में नागरिक भागेदारी बढ़ाने के लिए पुलिस कन्सलटेटिव कमेटियों पुलिस सहकार (समितियो) की स्थापना की गई। इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण को विधयी समितियों की स्थापना करना था । जिसमें स्थानीय पार्षद और जनता का एक स्थानीय सदस्य शामिल किया जाता था । इस प्रकार ब्रिटेन में कम्यूनिटी पुलिसिंग लोगों के लिए एक ऐसी नयी सामाजिक संविदा का स्वरूप है, जिसमें पुलिस और कम्यूनिटी के बीच सन्तुलन को पुन:स्थापित किया गया है ।

कम्यूनिटी पुलिसिंग की अवधारणा का सम्यक विकास सन् 1992 में बिल्सन और केलिंग द्वारा प्रकाशित "ब्रोकिन विण्डोज. नामक एक लेख के द्वारा हु आ । इस महत्वपूर्ण लेख में लेखकों ने यह जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार शान्ति-व्यवस्था और अपराध एक दूसरे से अविभाज्य तरीके से जुड़े हु ए हैं । इसमें इस बात पर विशेष ध्यानाकर्षण किया गया है कि किस तरह पुलिस को

अपनी कार्यप्रणाली में शान्ति बनाये रखने के कार्य को प्राथमिकता देना चाहिए और जिसमें लोगों के असामान्य व्यवहार को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है ।

इसी प्रकार अमेरिका में भी बेहतर पुलिस सेवा के विकास की अपेक्षा में पुलिस कार्य प्रणाली में विविध प्रवृत्तियों का विकास हुआ । कम्यूनिटी पुलिसिंग की विकसित होती हुई नयी अवधारणा में सम्पूर्ण अमेरिका में विविध प्रारूपों को विकसित और लागू किया गया। जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं :-

1. प्रॉब्लम ऑरियेण्टेड पुलिसिंग (न्यूपोर्ट न्यूज, न्यूयार्क)
2. एक्सपैरिमेण्टल पुलिसिंग डिस्ट्रक्ट (मेडिसन, विस्कोन्सिन)
3. फुट पेट्रोल एण्ड फीयर रिडैमान (न्यूयार्क)
4. पुलिस मिटिगेशन (डेट्राइट)

यू एस. डिपार्टमेण्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा मई 1980 को प्रकाशित जेरोम एच. स्कौलनिक और डेविड एच. बेले के एक अध्ययन के अनुसार 1988 में जापानी पुलिस व्यवस्था को सबसे आधुनिक और कम्यूनिटी पुलिसिंग व्यवस्था के रूप में स्थापित विश्व में सर्वश्रेष्ठ माना गया । यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर उनके यहाँ अतिकेन्द्रीकृत पुलिस व्यवस्था थी, परन्तु वहाँ ऐसी बहुत सी संस्थायें कार्य कर रही थीं, जिसमें कम्यूनिटी पुलिसिंग के विभिन्न अवयव मौजूद थे।

6.2.2 कम्यूनिटी पुलिसिंग का भारतीय सन्दर्भ में विकास

सामान्यत: भारत में पुलिस व्यवस्था को एक केन्द्रीकृत राज्य पुलिस के रूप में और यूरोपीय पुलिस व्यवस्था को म्यूनिसिपल आधारित मान लिया जाता है । परन्तु हमारे ऐतिहासिक और पारम्परिक परिप्रेक्ष्य में ऐसा सिद्ध नहीं होता है । देश के अधिकांश प्रान्तों में कम्यूनिटी पुलिसिंग की व्यवस्था अपने स्वरूप में विद्यमान है । पूर्वोतर प्रान्तों में मणिपुर की पंचायतें, नागालैण्ड की पचफायदा, अरुणाचल प्रदेश में केबोंग और मिजोरम में "यंग मिजो एशोसियन के मजबूत सहयोग से परिचालित "ग्राम रक्षा न्यायालय. इत्यादि कम्यूनिटी पुलिसिंग के उदाहरण उल्लेखनीय हैं । इस प्रकार हमारे देश में पंचायत अथवा म्यूनिसिपलिटी की पुलिस व्यवस्था को विकसित करना अत्यन्त ही समसामयिक और प्रांसगिक आवश्यकता है । इस दिशा में सामुदायिक भागेदारी को सुनिश्चत करने के लिए बहुत से औपचारिक कार्यकमों या योजनाओं को लाग भी किया गया। तमिलनाडु में 'फ्रेण्डस ऑफ पुलिस महाराष्ट्र में "मोहल्ला समितियाँ और भिवण्डी जिला में सद्भाव बनाये रखने के लिए कम्यूनिटी मोबलाइजेशन का "थोरपडे पैटर्न, दिल्ली में "नेबरहुडवॉच और पंजाब में "प्यूपिल आरियेण्टेड पुलिसिंग इत्यादि पर्याप्त प्रभावी रहे हैं।

कर्नाटक 1964 का विलेज डिफेन्स पार्टी एक्ट इस क्षेत्र में प्रमुख विधायी प्रयास सिद्ध हुआ है । जिसमें 'दलपति' की भूमिका विशेष महत्वपूर्ण है, जो पुलिस और ग्रामीण समुदाय के बीच एक कड़ी का कार्य करता है । उड़ीसा सरकार के द्वारा अगस्त 1999 से "सरख्या समिति के नाम से कम्यूनिटी पुलिसिंग का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें जिले का एस. पी. अथवा रेंज डी. आई. जी, जिला मजिस्ट्रेट की सलाह के साथ ग्राम पंचायत और नगरपालिकाओं से 'स्वयंसेवकों को चयनित करके इन समितियों को गठित एवं स्थापित करते हैं । इसी प्रकार राजस्थान में भी 'नागरिक समितियों के रूप

में पुलिस और कम्यूनिटी के बीच संवाद और खुली चर्चा का मंच स्थापित करने का प्रयास किया गया। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तथा जम्मु कश्मीर में "ग्राम रक्षा समितियों ' का स्वरूप भी कम्यूनिटी पुलिसिंग का महत्वपूर्ण प्रयास है।

6.3 कम्यूनिटी पुलिसिंग के प्रमुख अवयव

कम्यूनिटी पुलिसिंग की सफलता के मूल में पुलिसिंग और कम्यूनिटी या समुदाय के सदस्यों के बीच पारस्परिक सद्भाव और समपूरकता उपयोगिता की भूमिका का प्रमुख महत्व है। जिसके अनिवार्य तत्वों में एक प्रमुख शर्त यह है कि पुलिस, समुदाय या कम्यूनिटी के साथ एक सकारात्मक और अपनत्व भरे सम्बन्ध विकसित करे ताकि कम्यूनिटी के सदस्यों की सहभागिता, पुलिस बेहतर तरीके से अपराध नियन्त्रण और उनकी रोकथाम में कर सके । इसके साथ ही अपने उपलब्ध संसाधनों के साथ कम्यूनिटी के संसाधनों को भी जोड़कर समुदायु के सदस्यों की ज्वलन्त समस्याओं को हल करने का प्रयास करे।

6.3.1 जनसहभागिता

वर्तमान समय में कई मामलों में देखा गया है कि पुलिस कर्मियों पर आपराधिक तत्त्वों के द्वारा हमले किये जाते हैं और ऐसे में प्राय: लोग आ दर्शक बने रहते हैं । यद्यपि कुछ लोग सहायता के लिए आगे आते हैं अथवा पुलिस को बुलाते हैं। ऐसे में यद्यपि किसी भी नागरिक के पुलिस अधिकारी बनने की आवश्यकता नहीं है परन्तु उसका यह कर्तव्य अवश्य है कि वह उस पुलिसकर्मी, जो कि उसका साथी नागरिक भी है, को बचाने के लिए और मामले में यदि जरूरत पड़े तो तथ्यों का सत्यतापूर्ण बयान करने के लिए न्यायालय के विटनेस बाक्स में भी उपस्थित हो । परन्तु देखा गया है, जो नागरिक पुलिस से यह अपेक्षा करते हैं, कि वे कानून को लागू करायें, वही उदासीन भाव से खडे -खडे उस पुलिस कर्मी को अपमानित होते अथवा मारे जाते हुए देखते रहते हैं और कोई भी इस विषय में सहयोग देने अथवा उसे रोकने का कार्य नहीं करता । ऐसे में पुलिस अन्वेषण एवं विवेचना का कार्य अत्यन्त ही कठिन हो जाता है, और अपराधी सबके जानते हुए भी दण्ड पाने से साफ बच निकलता है। इस प्रकार यदि जनता को कानून की अनुपालना होते देखना है तो न केवल उन्हें इसके विषय मे इच्छा शक्ति बढ़ानी पड़ेगी और इसके प्रति न केवल दबाव भी बनाना पड़ेगा, बल्कि इसमें ' अपनी भागेदारी भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, क्योंकि कानून की अनुपालना तभी तक संभव है, जब तक अपने सभी नागरिकों की लगातार सहभागिता सुनिश्चित हो । अत: कम्यूनिटी पुलिसिंग की सफलता में जन सहभागिता एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण कारक है।

6.3.2 सामाजिक सरोकार

पुलिस की पारम्परिक कानून अनुपालना कराने की भूमिका के साथ ही कम्यूनिटी पुलिसिंग के सन्दर्भ में उसकी सामाजिक सरोकारों के प्रति संवेदनशीलता एवं सकारात्मक सोच अत्यन्त ही प्रभावी भूमिका निभाती है । इस सर्वजन हिताय एवं उदारवादी दृष्टिकोण में दुर्घटना अथवा अपराध पीड़ितों की मदद करना, उन्हे आकस्मिक चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना, समाज के विभिन्न वर्गों के घरेलू एवं पडोसियों के झगडों को सुलझाने में मदद करना, साथ ही स्थानीय रीति रिवाजों के प्रति सम्मान और सामाजिक-सांस्कृतिक समागमों, उत्सवों आदि में सक्रिय भागेदारी, कम्यूनिटी पुलिसिंग की स्थिति को मजबूती प्रदान करती है । इस प्रकार पुलिस के सन्दर्भ में उसके सामाजिक सरोकार कम्यूनिटी

पुलिसिंग का प्रमुख अवयव है। इससे समुदाय अथवा कम्यूनिटी की भागीदारी को प्रोत्साहन मिलता है।

6.3.3 पारस्परिक विश्वास

पारस्परिक विश्वास कम्यूनिटी की प्रगति का महत्त्वपूर्ण अवयव है । पुलिस को अपना कार्य निष्पादन करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि वे कानून की अनुपालना करने वाले नागरिकों के मित्र, संरक्षक और सेवक हैं, न कि सरकार के सेवक हैं। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि वे राज्य और व्यक्ति के बीच में कोई बाधा हैं, बल्कि उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे कानून जो नागरिकों के अधिकारों और सुविधाओं की सुरक्षा करते हों, उनकी अनुपालना ठीक प्रकार से की जाये। इस प्रकार पुलिस के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि वह किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक साम्प्रदायिक, क्षेत्रीय अथवा अन्य किसी भेदभाव की शंकाओं से दूर रहे और वे वास्तविक रूप में एक राष्ट्रीय समाज के प्रतिनिधि के रूप में जाने जायें ताकि समाज के किसी भी वर्ग का व्यक्ति उन्हें अपना मानकर अपनी निजी समस्याओं को लेकर पुलिस के पास जाये । इस सम्बन्ध में पुलिस की दक्षता से बढ़कर कोई अन्य तथ्य प्रभावी सिद्ध नहीं होगा। इस प्रकार प्रजातान्त्रिक देशों में पुलिस और जनता के बीच पारस्परिक विश्वास और समझ की कम्यूनिटी पुलिसिंग के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण महत्वपुन है । वस्तुतः यही प्रक्रिया कम्यूनिटी की समस्याओं के समाधान में सहायक सिद्ध होती है।

6.4. सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के उपाय

सामाजिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता के साथ ही शान्ति और व्यवस्था की सुरक्षा के लिये पुलिस और कम्युनिटी के बीच भाईचारा और सहभागिता की अत्यन्त ही आवश्यकता है । भले ही हम पुलिस बल में जनशक्ति और संसाधनों के रूप में कितनी ही बढोतरी क्यों न कर लें, परन्तु यदि जनता का सहयोग पुलिस को नहीं होगा, तो अपराध की पहचान और रोकथाम तथा शांति व्यवस्था को बनाये रखने में अधिक सफलता नहीं मिलेगी । सभी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि उन्हें कम्यूनिटी की सहभागिता के साथ सामाजिक धरातल पर ही दूर किया जाये परन्तु कम्युनिटी की सदइच्छा किसी भी प्रकार उपहार में नहीं मिलती बल्कि उसे अर्जित किया जाता है । इस सन्दर्भ में निम्नलिखित प्रयास सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

6.4.1 सामुदायिक सेवा

बदलते सामाजिक परिवेश में यह तथ्य विचारणीय है कि पुलिस की भूमिका एक लोक सेवक के रूप में समाज के समक्ष अधिक मुखरित हुई है या नहीं? वस्तुतः पुलिस को अपने कार्यक्षेत्र में सामाजिक जीवन की गुणवत्ता को विकसित करने के लिये सतत प्रयास करने चाहिए जिसमें लोक सुरक्षा, जागरूकता, विविध आपात स्थितियों में की जाने वाली कम्यूनिटी के सदस्यों की भूमिका और उपलब्ध संसाधनों की प्रयोग विधि आदि के विषय में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना चाहिए। युवा शक्ति को उचित दिशा देने में पुलिस न्याय क्लब, पुलिस यूथ सेन्टर इत्यादि सहायक हो सकते हैं। इसके साथ ही नशामुक्ति, मद्यनिषेध इत्यादि कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर पुलिस अपनी सामुदायिक भूमिका बढ़ा सकती है। सैनिक स्कूलों की तर्ज पर पुलिस स्कूलों की स्थापना, युवा समाज में अनुशासन,

संयम और शिक्षा की बढ़ोत्तरी करेंगे। जिसके फलस्वरूप न केवल जिम्मेदार नागरिक बल्कि एक अच्छे पुलिसकर्मी भी भारत में उपलब्ध होंगे।

6.4.2 जनता की शिकायतों का निवारण

हमें जनता को यह विश्वास दिलाना होगा कि पुलिस उनकी शिकायतों को सुनने और उनके निराकरण मे तत्पर है । इसके लिये शिकायत दर्ज करने और उनके निस्तारण सम्बन्धी तंत्र को सुलभ और सरल बनाया गया है । इस संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अधिकांश लोग निरक्षर और सत्ता से भयभीत रहने वाले होते हैं वहाँ अधिक सावधानी की आवश्यकता है । इसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भागीदारी अधिक सहायक सिद्ध होगी।

6.4.3 पुलिस नियमों एवं कार्यप्रणाली के विषय में प्रचार -प्रसार

सरकार के अन्य विभाग अपने संगठनों के विषय में पर्याप्त प्रचार-प्रसार करते हैं । अत: पुलिस को भी विभिन्न तकनीकियों एवं प्रचार-प्रसार माध्यमों का प्रयोग करते हुए अपने संगठन के विषय में कम्यूनिटी अथवा आम जनता को जागरूक करना चाहिए ।

6.4.4 पुलिस गतिविधियों की कम्यूनिटी को जानकारी

आमतौर पर पुलिस गतिविधियों की जानकारी कुछ प्रचलित पत्र-पत्रिकाओं, हैण्डबुक्स तक ही सीमित रहती है । इसके फलस्वरूप आम जनता इस बारे में अनभिज्ञ ही रहती है । ऐसे में जनता विभिन्न अफवाहों के आधार पर अपने मन में पुलिस की छवि बना लेती है । अत: यह जरूरी है कि पुलिस स्थानीय कम्यूनिटी को लगातार अपनी गतिविधियों, नीतियों, कार्यक्रमों के साथ-साथ अपनी उपलब्दियों के विषय में भी व्यवस्थित तरीके से कम्यूनिटी को जानकारी देती रहे।

6.4.5 पुलिस और मीडिया

पुलिस और कम्युनिटी के बीच कम्युनिटी सहभागिता बढ़ाने एव पारस्परिक सम्बन्धों को बेहतर बनाने में मीडिया की भूमिका अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है । अनावश्यक रूप से सूचनाओं को मीडिया से छुपाये रखना, पुलिस की प्रतिकूल छवि को प्रदर्शित करता है । इस प्रकार पुलिस-मीडिया के स्वस्थ सम्बन्ध एवं उनमें व्यवस्थित सुधार की नीति, लोकहित के सभी मामलों के विषय में कम्युनिटी को सूचित एवं आश्वस्त बनाये रखती है।

6.4.6 पुलिस की सामुदायिक शिक्षा (कम्यूनिटी एजुकेशन)

नागरिक प्रशासन के साथ मिलकर पुलिस को स्कूल पाठ्यक्रमों में युवा छात्रों के मन में उनकी नागरिक जिम्मेदारियों, पुलिस के द्वारा उनकी सुरक्षा और उसके उपाय तथा दूसरे सम्बन्धित विषयों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना चाहिए । इसी प्रकार विश्वविद्यालय स्तर पर भी ऐसी शोध गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहिए जिनके विषय पुलिस तथा कम्यूनिटी के हितों से सम्बन्धित हैं।

6.4.7 सामुदायिक सहभागिता सम्बन्धित कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन

इस सम्बन्ध में संगोष्ठियों और कार्यशालाओं में की गयी चर्चा अत्यन्त ही उपयोगी है । समस्या समाधान के अलावा इनसे पुलिस कम्यूनिटी सम्बन्धों को बेहतर बनाने के लिये नये तरीकों और सुझावों का भी अवसर मिलता है।

6.4.8 सम्पर्क गतिविधियाँ (लाईजन एक्टीविटी)

विविध सामाजिक सेवा संगठनों की गतिविधियों को संयोजित करना और उनकी गतिविधियों को नया स्वरूप देना इत्यादि पुलिस के सम्पर्क अभियान से सम्बन्धित कार्य हो सकते हैं । इससे न केवल परोक्ष रूप से सामुदायिक सहभागिता में बढ़ोत्तरी होती है, बल्कि समाज में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने की प्रक्रिया को भी बल मिलता है।

6.5 अपराधों की रोकथाम में सामुदायिक भूमिका

अपराधों की रोकथाम और उनकी पहचान एक ऐसी भूमिका है, जिसने पुलिस के समक्ष संकट की स्थिति खडी कर दी है। पुलिस और जनता दोनों ही समझते हैं कि अपराधों की रोकथाम वस्तुत: मूल पुलिस कार्य है ।

परन्तु वास्तव में पुलिस अधिकारी अन्य बहुत कार्यो में व्यस्त रहता है और अपराधों की रोकथाम के बारे में बहुत कम समय व्यतीत करता है । इसके अलावा पुलिस का अपराध के कारणों पर कोई अंकुश नही है, वह मात्र उनके घटित होने पर प्रतिक्रिया करने को विवश है, जो प्राय: घट चुकी होती हैं । जहाँ एक ओर पुलिस पेट्रोलिंग के द्वारा अपराधों के घटित होने को कम किया जा सकता है, वहीं कम्यूनिटी को जागरुक करके अपराधों को भी कम किया जा सकता है क्योंकि वस्तुत: अपराध वृत्ति सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारको में छिपी होती है । यह सम्पूर्ण समाज और विषिष्ट संस्थाओं के द्वारा ही रोकी जा सकती है । एक तरफ जहाँ समाज की यह अपेक्षा है कि पुलिस एक सक्षम अपराध नियन्त्रक हो, वही दूसरी ओर यह अपेक्षा है कि वह एक कुशल शान्ति रक्षक और कम्यूनिटी का सामाजिक सेवक हो।

इसके अतिरिक्त प्रथमत: पूर्ण रूप से अपराध नियन्त्रण नितान्त असंभव है, क्योंकि पुलिस के पास सीमित संसाधन और सीमित कर्मचारी ही होते है और दूसरे वह अकेले प्रभावी रूप से अपराध की रोकथाम और नियन्त्रण नहीं कर सकती । महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यदि हम बहुत से हिंसक अपराधों जैसे हत्या, अपहरण इत्यादि के उदाहरण लें तो पाते हैं कि वह प्राय: पुलिस के पहुँचने से पूर्व ही घटित हो चुके होते हैं । इसके अलावा बहुत से ऐसे व्हाइट कालर(सफेद पोश) अपराध अथवा उनके शिकार हैं जैसे - मद्यपान, जुआ, वेश्यावृत्ति आदि जो दिखायी नहीं देते और एकान्त में किये जाते हैं । इसलिए उनकी रोकथाम कठिन हो जाती है ।यद्यपि पुलिस एजेन्सियाँ कुछ समय के लिए संभावित आपराधिक आचरण को रोकने एवं उनके संवेग एवं विकास को दबा सकती हैं, परन्तु जो सामाजिक बुराइयाँ अपराध के साथ जड-मूल के रूप में परस्पर जुड़ी हुई हैं उन्हें वह पूर्णत दूर नहीं कर सकती ।

इससे यह प्रमाणित होता है कि विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक अपराधों को रोकने में सामुदायिक सहभागिता की केन्द्रीभूत भूमिका है, जिसे नजरन्दाज कर इन अपराधों की रोकथाम नही की जा सकती है ।

6.6 कम्यूनिटी पुलिसिंग की नीतियों को लागू करने के उपाय

कम्यूनिटी पुलिसिंग की नीतियों को लागू करने की कार्ययोजना एक कम्यूनिटी से दूसरी कम्यू निटी के बीच तथा एक एजेन्सी से दूसरी एजेन्सी के द्वारा भिन्न-भिन्न हो सकती है । परन्तु विश्व के विभिन्न देशों के अनुभव यह इंगित करते हैं कि हमारे देश में जनता की सदइच्छा और उनके सहयोग लेने के लगातार प्रयासों से कम्यूनिटी पुलिस की भूमिका को प्रभावी बनाया जा सकता है। यहाँ यह भी ध्यान रखने योग्य है कि सामुदायिक सहभागिता और सहयोग के बल पर संघर्षण-प्रबन्धन और अपराध की रोकथाम की पारम्परिक पुलिस-कार्य में कम्यूनिटी पुलिसिंग एक कोटिपूरक भूमिका निभाती है, न कि वैकल्पिक व्यवस्था प्रस्तुत करती है । उक्त योजनाओं को लागू करने की दिशा में जरूरी बदलावों की आवश्यकता होगी । यद्यपि कुछ एजेन्सियों में उनकी संचलन और प्रबन्धन की कार्यप्रणाली पहले ही कम्यूनिटी पुलिसिंग के अनुरूप प्रचलित है । परन्तु दूसरी एजेन्सियों में अधिक बदलाव की आवश्यकता हो सकती है । इस सम्बन्ध में इन्हें लाग करने की दिशा में अत्यन्त ही महत्वपूर्ण तथ्य है- **"संवाद"** । संवाद वस्तुतः सीधा समग्र एवं समय पर होना चाहिए।

पुलिस नेतृत्व के विविध पदाधिकारी (महानिदेशक, महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक इत्यादि) कम्यूनिटी पुलिसिंग की अवधारणा को न केवल पूरे पुलिस संगठन के समक्ष, बल्कि स्थानीय राजनेतिक नेताओं, पब्लिक और प्राइवेट एजेन्सियों के साथ-साथ पूरी कम्यूनिटी के समक्ष बार-बार संवाद बनाकर प्रस्तुत करें । कम्यूनिटी पुलिसिंग की योजनाओं की नीतियों को लागू करने की प्रकिया गतिशील एवं लचीली होनी चाहिए, जिसमें पुलिस संगठन के भीतर और बाहर दोनों तरफ से लगातार सुधारात्मक सुझाव, मूल्यांकन और फीडबैक लेते रहना चाहिए, ताकि कम्यूनिटी पुलिसिंग की संकल्पना वास्तव में फलीभूत हो सके । क्योंकि अनेक अच्छी योजनायें उचित कार्यान्वयन न होने के कारण प्रायः असफल हो जाती :हैं। योजना बनाते समय सामाजिक बदलावों, परिस्थितियों और उनकी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना चाहिए । एक ऐसी सशक्त शोध और योजना क्षमता जिसमें सुझावों और समीक्षा की गुजाइश हो और जो लागू करने की प्रकिया में आवश्यक सुधार एवं परिष्करण कर सके, कम्यूनिटी पुलिसिंग की नीतियों को लागू करने में सहायक सिद्ध होगी ।

इस सन्दर्भ में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों और चुने गये जन प्रतिनिधियों की समझपूर्ण सकारात्मक भागीदारी इसकी सफलता में सहायता करेगें । पुलिस एजेन्सियों और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य तालमेल भी अति आवश्यक है । इस प्रकार सभी शासकीय एजेन्सियों के प्रमुखों के साथ नियमित संवाद और सहयोग उनके विभागीय कर्मियों को कम्यूनिटी के लिए अतिरिक्त सेवा प्रदाताओं के रूप में तैयार कर सकेंगे । इस सम्बन्ध में हमारी पंचायतीराज व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है । इसमें विकास कार्य में संलग्न एजेन्सियों गैर शासकीय संगठनों के साथ ही सहायता-समूहों, ग्रामरक्षा- समितियों आदि के संगठित प्रयासों की आवश्यकता है । जिनके माध्यम से कम्यूनिटी पुलिसिंग की नीतियों को सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता।

6.7 साराश

प्रस्तुत इकाई में कम्यूनिटी पुलिसिंग और अपराधों के रोकथाम की चर्चा की गई । सामान्यत: हमें यह समझ लेना चाहिए कि उत्तर आधुनिक समय और समाज जिसमें विविध सामाजिक मान्यतायें एवं सोच में आमूल चूल परिवर्तन हो रहे हैं, के दौर में अपराधों की रोकथाम के लिए कम्यूनिटी पुलिसिंग की दिन प्रतिदिन आवश्यकता बढ़ेगी । इस प्रकार कम्यूनिटी पुलिसिंग वह वैचारिक व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत पुलिस सामुदायिक सहभागिता से ही अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर सकती है । दरअसल समाज के कल्याण के लिए पुलिस एवं कम्यूनिटी या समुदाय की भागीदारी, दोनों के बीच पारस्परिक लाभकारी एवं निकट सम्बन्धों के सिद्धान्त पर आधारित है । विभिन्न विचारकों ने अलग-अलग दृष्टिकोण से इसे परिभाषित किया है । इसका अवधारणात्मक विकास देश विदेश मे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मे मिलता है । अपने देश के पूर्वोत्तर राज्यों तथा नक्सली एवं आतंकी समस्याओं से घिरे क्षेत्रों में भी कम्यूनिटी पुलिसिंग, स्थानीय आवश्यकताओं एवं चुनौतियों के अनुरूप पर्याप्त प्रचलन में है जिसे समय समय पर समीक्षित एवं दीक्षित किये जाने की आवश्यकता है।

कम्यूनिटी पुलिसिंग के प्रमुख तत्त्वों या अवयवों में जन सहभागिता, पुलिस के सामाजिक सरोकार एवं उनकी सामाजिक सहभागिता, पारस्परिक विश्वास जैसे विचार उल्लेखनीय हैं । सामुदायिक सहभागिता बढाने के उपायों में सामुदायिक सेवा, जनता की शिकायतों का निराकरण या समझाइश, पुलिस नियमों एवं कार्यप्रणाली के विषय में प्रचार-प्रसार, पुलिस गतिविधियों की कम्यूनिटी को जानकारी, पुलिस और मीडिया, सामुदायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण, सामुदायिक सहभागिता सम्बन्धी कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन और सम्पर्क गतिविधियों जैसे विचार बिन्दुओं को रखा जा सकता है।

यह तथ्य समझना अतिमहत्वपूर्ण है कि अपराधों की रोकथाम पुलिस से ज्यादा सामुदायिक या समाज की सहभागिता ही स्थायी उपचार संभव है । पुलिस तो त्वरित कार्यवाही करती है । किन्तु समुदाय या समाज अपराध की जड़ों तक सरलता से पहुँच सकता है और उसे समझाइश के माध्यम से स्थायी रूप से रोक सकता है ।

कम्यूनिटी पुलिसिंग की नीतियों को लागू करने के उपाय स्थानीय परिवेश को ध्यान में रखकर निर्धारित किये जा सकते है, जिसमें समुदाय विशेष की परम्पराओं, रीतिरिवाजों, बोली भाषाओं के साथ-साथ विविध मान्यताओं को ध्यान में रखना अतिआश्यक है। इस प्रकार कम्यूनिटी पुलिसिंग और अपराध की रोकथाम को आप प्राथमिक स्तर पर समझकर अपने साथियों एवं सहकर्मियों की राय भी ले सकते हैं।

6.8 अभ्यास प्रश्न

1. कम्यूनिटी पुलिसिंग की अवधारणा को समझाइये।
2. कम्यूनिटी पुलिसिंग के प्रमुख अवयवों की विवेचना कीजिये ।
3. अपराधों की रोकथाम में कम्यूनिटी की भूमिका को स्पष्ट कीजिए ।
4. कम्यूनिटी पुलिसिंग की विदेशों में स्थिति पर प्रकाश डालिए ।
5. भारतीय सन्दर्भ में कम्यूनिटी पुलिसिंग को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए ।
6. कम्यूनिटी पुलिसिंग के वर्तमान स्वरूपों एवं सम्बन्धों को रेखांकित कीजिए ।

7. निम्न समितियों के प्रान्तों का नाम लिखिए-

- ग्रामरक्षा समिति
- नागरिक समितियाँ
- सरख्यां समिति
- पचफायदा
- कोबान (जापान देश की कम्यूनिटी पुलिसिंग)
- मोहल्ला समिति

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. जी. एस. सिघवी. (सं.) : पुलिस कम्यूनिटी रिलेशन्स (ए कम्पाइलेशन ऑफ प्राइज विनिंग एसेस इन द प्राइम मिनिस्टर्स सिल्वर कप ऐसे कम्पटीशन), सरदार बल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, 1965 ।
2. डी. एस. सुब्रमण्यम : वैलकम टू पुलिस सर्विस (एसोसियेशन फॉर एडवान्समेण्ट ऑफ पुलिस एण्ड सिक्योरिटी साइन्सेज 8-3-73 प्रोफेसर्स कॉलोनी अपोजिट नेशनल पुलिस अकादमी शिवमपल्ली, हैदराबाद, सन् 1993 ।
3. डी. एस. सुब्रमण्यम : अमन राइट्स एण्ड पुलिस (ऐसोसियन फॉर एडवान्समेण्ट ऑफ पुलिस एण्ड सिक्योरिटी साइन्सेज, 8 .373 प्रोफेसर्स कॉलोनी अपोजिट नेशनल पुलिस अकादमी शिवमपल्ली हैदराबाद 1992
4. एस. के. घोष : इण्डियन पुलिस एट क्रासरोड्र, सम्पा, इस्टर्न ली हाउस, कलकत्ता, 1975।
5. आर. के. शर्मा : पुलिस अरेन्तमेण्ट्स फार मेन्टेनिंग पब्लिक ऑर्डर, गर्वनमेन्ट ऑफ इण्डिया प्रेस, मिण्टो रोड नई दिल्ली, सन् 198० ।
6. शाह, बी. पी. : द पुलिस इन फ्री इण्डिया (इट्स ऐसेट्स एण्ड ड्राबैक्स) कोनार्क पब्लिशर्स, दिल्ली, सन् 1989 ।
7. जेम्स वद्क्कुंचेरी : सोसाइटी, पुलिस एण्ड क्राइम्स, टास्क एण्ड चैलेन्तेज़, इण्डियन पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली, सन् 2002
8. पी. डी. शर्मा : इण्डियन पुलिस : ए डवलमेण्टल एप्रोच, रिसर्च पब्लिशर्स इन सोसल साइन्सेज, दरियांगज दिल्ली, 1977 ।
9. रक्षिण (ए जर्नल ऑफ राजस्थान पुलिस अकादमी) जयपुर, वान्यूम 1, न. 1, सन् 2009 एवं वाल्यूम, न. 2ए, सन् 2010।.

इकाई - 7

अपराध के समसामयिक स्वरूप

इकाई की रूपरेखा

7.0 उद्देश्य

7.1 प्रस्तावना

7.2 सफेदपोश अपराध

7.3 संगठित अपराध. अवधारणा

7.4 संगठित अपराधों से निपटना

7.5 साइबर अपराध

7.6 मादक पदार्थो का दुष्प्रयोग (ड्रग अब्यूस)

7.7 सारांश

7.8 अभ्यास प्रश्न

7.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप :

- भारत में समसामयिक अपराधों के नए स्वरूपों को समझ सकेंगे ।
- सफेदपोश और आर्थिक अपराधों के अर्थ, अवधारणा एवं वर्गीकरण को समझ सकेंगे ।
- सफेदपोश और आर्थिक अपराधों के अन्वेषण के विभिन्न मॉडलों एवं विधियों को जान सकेंगे।
- संगठित अपराधों से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों, अवधारणा, वर्गीकरण और अन्वेषणात्मक वर्गीकरण की कार्य विधियों और दृष्टिकोण को समझ सकेंगे ।
- एनडी.पी.एस. अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का विश्लेषण और मादक द्रव्यों के दुरूपयोग का परीक्षण कर सकेंगे ।
- साइबर अपराधों की प्रकृति, विभिन्न प्रकार एवं विधियों के साथ-साथ उनके निस्तारण सम्बन्धी कानूनी प्रावधानों का परीक्षण कर सकेंगे ।

7.1 प्रस्तावना

अपराध, समाज और पुलिस का अन्तःसम्बन्ध यथार्थ है । आज भारत में पुलिस को अपार समस्याओं से जूझना रहा है । उसके समक्ष अपराधों की संख्या में काफी वृद्धि है । शहरी क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक स्थिति में आये बदलाव से अपराधों की घटनाओं को प्रभावित किया है । अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के द्वारा आऐ विविध परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए नगरीय पुलिस के लिए यह आवश्यक हो गया है, कि वह व्यावसायिक रूप से विकसित हो, और नये यर्थाथ या परिस्थितियों में अपने आप को इस प्रकार ढाले, ताकि वे अपनी ड्यूटियां प्रभावी तरीके से कर सके, और लोग उनके प्रति विश्वास उत्पन्न और बनाये रख सके । आर्थिक उदारीकरण के साथ ही पूरा विश्व एक वैश्विक गांव हो गया है । गतिशील संचार व्यवस्थाओं और तीव्र यातायात संसाधनों के फलस्वरूप दुनिया और भी सिमट गई है । अब कोई भी देश अलग-थलग नहीं रह सकता, एक समाज से दूसरे समाज के साथ

निकट सम्पर्क से उनकी मूल्य व्यवस्था में बदलाव के फलस्वरूप नये प्रकार के अपराध उत्पन्न होगें। जिसमें उनकी प्रकृति और कार्य विधि दिनों दिन जटिल होती जा रही है । अब किसी स्थान विशेष से हजारों किमी दूर से भी आपराधिक गतिविधियां की जा सकती है । आर्थिक अपराध नये आयाम प्राप्त करेंगे, और संगठित अपराध तो अपने कई देशों में फैले नेटवर्क के कारण अधिक से अधिक संवेदनशील, गम्भीर और अन्वेषण के लिए कठिन हो जायेगें । दुनिया के एक ग्लोबल गाँव बनने के साथ ही एक देश के आपराधिक समूहों की रणनीतियां और तरीके दूसरे देशों के समूहों के साथ सरलता अधिक बार साझा की जायेगी । जिसके फलस्वरूप अपराधियों की कार्यविधि बदल जायेगी और उसका परिवर्तित स्वरूप नगरीय पुलिस व्यवस्था के समक्ष सुरक्षा प्रबन्धन और अपराधों की पहचान, रोकथाम और अन्वेषण के लिए गम्भीर खतरे और चुनौतियां प्रस्तुत करेगा । विविध राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय गैगो तथा राजनीतिज्ञों, उद्योगपतियों के बीच की सांठ-गांठ से नगरीय क्षेत्रों के अपराध और अधिक संवेदनशील और गम्मीर हो जायेगें । ऐसी आपराधिक गतिविधियों के विरूद्ध अपनी पारम्परिक विधि और व्यावसायिक दृष्टि के साथ पुलिस को संघर्ष करना कठिन होगा । भारत ही बहुत विशाल देश है जिसमें अत्यन्त ही नगरीय और ग्रामीण इलाकों में बदले हुए आयामों, डिग्री और प्रकार के अपराध घटित होते हैं । यहां हिंसक व्यक्तिगत अपराध, कभी कभार के सम्पत्ति अपराध और rajniti, सामाजिक, आर्थिक अपराध, संगठित व्यावसायिक पारम्पारिक और कम्प्यूटर अपराध, यौन अपराध, जन व्यवस्था, दहेज और न्यायिक अपराध होते हैं ।

7.2 सफेदपोश अपराध

भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, ने नये वैश्विक अपराधों का ताना-बाना बुना है । अन्तर्राष्ट्रीय, नारकोटिक अवैध हथियारों की बिक्री, और आतंकी समूहों को विविध तरीकों से हवाला धन उपलब्ध कराना इत्यादि से, धन का प्रवाह बढ़ा है । इन सब अन्तर्राष्ट्रीय अपराधों के बढ़ते हुए खतरों से निपटने के लिए केवल एक ही रास्ता है, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाकर, नये प्रकार के मैकनिज (व्यवस्था) को विकसित किया जाए और वर्तमान अधिनियमों को सख्ती से लाग किया जाए ।

7.2.1 सफेदपोश अपराध की अवधारणा

एक अपराध, जिसका पूरा उद्देश्य धन, सम्पति अथवा अवैध लाभ इकट्ठा करना, जिसे व्यवस्था की कमियों का शोषण करके, दूसरे को नुकसान पहुंचा कर और उन अवसरों का दुरूपयोग करके, जिन्हें राज्य के द्वारा अपने नागरिकों की आर्थिक समृद्धि के लिए दिया गया, और जो स्थापित नियमों और वित्तीय कानूनों का उल्लंघन करते है, मोटे तौर से सफेदपोश अपराध अथवा आर्थिक अपराध के रूप में वर्गीकृत किये जा सकते है, ऐसे अपराधों में यह संभावना होती है कि वे समाज के सामाजिक, आर्थिक ताने-बाने को क्षतिग्रस्त कर दें, प्रजातांत्रिक विकास को विकृत कर दे, और देश की औद्योगिक प्रकृति को रोक दें ।

सतही तौर पर आर्थिक अपराध शिकार-हीन (पीडितहीन) प्रतीत होते है, परन्तु वास्तव में ये पूरे समाज को पीडित करते हैं । ये अपराध सामान्यतौर पर सफेदपोश अपराध के तौर पर जाने जाते

है, क्योंकि इन अपराधों को करने वाले, सामान्यत: वे व्यक्ति होते है, जो जिम्मेदार, उच्च पदों को धारण करने वाले होते हैं, और अपने व्यवसाय के दौरान या तो वे स्वयं अपराध करते है, अथवा दूसरों के द्वारा अपराध करने में मदद करते हैं सफेदपोश अपराध उन जिम्मेदार व्यक्तियों के द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान किये जाते है, जिनकी ऊँची सामाजिक स्थिति है । सफेदपोश / आर्थिक अपराध में वे अपराध है, जिसमें ठगी, धोखाधड़ी, आपराधिक हेर-फेर, एम्बेजिल मेण्ट, क्रिमिनल बीच ऑफ ट्रस्ट, और यहां तक कि भ्रष्टाचार एवं नकली मुद्रा बनाना इत्यादि शामिल हैं।

7.2.2 सफेदपोश अपराधों का वर्गीकरण

आर्थिक अपराध अथवा सफेदपोश अपराधों को मोटे तौर पर निम्न लिखित ढंग से वर्गीकृत किया जा सकता है -

- आय /कार्पोरेट / सम्पत्ति / ब्याज की कर चोरी
- एक्साईज / कस्टम ड्यूटी (उत्पाद /सीमा शुल्क) की चोरी / प्रतिबन्धित वस्तुओं की तस्करी निर्यात' /आयात के फ्रॉड (हेराफेरी) बैंक फ्रॉड ' स्केम, /कम्पनी एक्ट सेवी एक्ट / के अन्तर्गत कारपोरेट फीड /अपराध आदि।
- स्टॉक मार्केट में हेराफेरी जैसे स्टॉक ' मूल्यों की रिगिग जाली उत्तराधिकार प्रमाण पत्रों को जारी करना ।
- बीमा सम्बन्धी फ्रॉड
- विदेशी मुद्रा नियम अतिक्रमण उल्लंघन (हवाला)
- मनी लाण्डरिंग
- मादक द्रव्यों की तस्करी
- भू-सम्पत्तियों का बेनामी हस्तान्तरण
- औद्योगिक गुप्तचरी और नाजायज व्यापारिक प्रचार (कार्य)
- बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघन
- क्रेडिट कार्ड फ्रॉड / पासपोर्ट फ्रॉड / जाली प्रमाण पत्र
- पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में भ्रष्टचार
- नकली शेयर / बाण्ड / करेन्सी या मुद्रा
- अधिकांश पब्लिक फ्रॉड, धोखाधड़ी और फोर्जरी के मामले
- भू और भवन सम्बन्धी घपले तथा दूसरे माकिल
- नकली प्लेसमेन्ट एजेन्सी, विदेशी नौकरी
- कर माफी घपले
- नकली वस्तुओं का उत्पादन और उनकी भूमिका
- पब्लिक फण्ड के लिए फर्जी कम्पनियां बनाना और गुम हो जाना
- नॉन-बैकिंग फायनेंसियल कम्पनियों को बाजार में उतारना और पब्लिक से झूठे वादों के साथ फण्ड करना और फिर कालान्तर में उसको घपला करके हड़प जाना
- रंगदारी टेक्स / संरक्षण धन एकत्रित करना ।
- सरकारी सब्सिडी (छूट) के दुरूपयोग और विशवासघात से सम्बन्धित फ्रॉड

- विदेशी सहायता कार्यक्रमों का दुरूपयोग / गलत प्रयोग
- सॉफ्टवेयर पाइरेसी सहित अन्य साइबर अपराध
- बैंक चैकों ड्राफ्टों की डिकाउटिंग
- बैंकों /वित्तीय संस्थाओं से ऊँचे ऋण कर्ज प्राप्त करने के लिए प्रोजेक्टों की कीमत बढ़ा-चढ़ाकर बताना और बढ़ाई कीमत के हिस्से को पदाधिकारियों में बांटना ताकि वे ऋण अग्रिम को प्रोजेक्ट कीबढी कीमत के अनुसार स्वीकृत करा सके ।

7.2.3 प्रमुख क्षेत्र

आर्थिक अपराध और लोक सेवक घनिष्ठ रूप से मिले जुले हैं । यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि अधिकांश आर्थिक अपराध लोक सेवकों की सक्रिय सात-गांठ के बिना घटित नहीं हो सकते। चरित्रहीन उद्यमी. अपराधों में चरित्रहीन या अनैतिक लोकसेवकों को अपना भागीदार या सहयोगी बना लेते हैं।

7.2.3.1 आयात-निर्यात फ्राड (चालबाजी : कपट)

प्राय: लोक सेवकों की संलिप्तता नकली और अस्तित्वहीन पार्टियों को लाइसेन्स देने, उनके द्वारा झूठे सविदापत्र प्रस्तुति को स्वीकृत करने और लाइसेन्स की वैधता बढ़ाने में पाई जाती है । इन दिनों, अनैतिक आपरेटरों के द्वारा मूल्याधारित अग्रिम लाइसेन्स योजना (बी.ए.बी.ए.एल) के अन्तर्गत निर्यात मूल्य को कम मूल्यांकन करके मनी लाण्डरिंग आपरेशन चलाये जा रहे है । कई बार केवल कबाड़ निर्याततित कर दिया जाता है और निर्यातक के द्वारा हवाला के माध्यम से भुगतान कर दिया जाता है और ड्यूटी फ्री आयात लाइसेन्स प्राप्त कर लिया जाता है । यह मनीलाण्डरिंग का सबसे पसंदीदा रास्ताकालाबाजारियों और कालाधन रखने वालों के द्वारा बना लिया गया है ।

7.2.3.2 यात्रा दस्तावेजों में धोखाधड़ी

वर्तमान में गम्भीर और बहु प्रचलित पासपोर्ट एक्ट सम्बन्धित अपराध जिसमें नौकरी दिलाने जैसे षड्यंत्र शामिल है, बढ़ रहे है। पासपोर्ट रैकटों से सुरक्षा सम्बन्धी उलझनें स्पष्ट हैं क्योंकि ये मुख्यत सीमा पर अपराधियों तस्करों और मादक द्रव्य लाने एवं ले जाने वालों के द्वारा अवश्य होते हैं ऐसे मामलों में सामान्य कार्य पद्वति (मोडस-ओपरेण्डी) निम्न प्रकार होती है -

(अ) फोटो का बदलना

(ब) पृष्ठों का बदलना और जाली किताब

(स) जाली आगमन / प्रस्थान मुहरों को लगाना विशेषकर बच्चों के और की गई इन्दराजों को बदलना

(द) झूठी / छिपाई सूचनाओं के आधार पर पासपोर्ट हांसिल करना ।

(य) झूठे / गडबडी वाले वीजा और हज परमिट को प्राप्त करना ।

प्राय: क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों के लोक सेवक और स्थानीय पुलिस पदाधिकारी इन मामलों में संलिप्त पाये जाते हैं । पासपोर्ट और वीजा में कमियों को दूर करके उनमें ऐसे फीचर्स (प्रणाली) को समावेश करने की आवश्यकता है ताकि उनकी हेर-फेर (फोर्जरी) करना कठिन हो । उदाहरण के लिए मशीन द्वारा पढा जाने वाला पासपोर्ट और वीजा, विशिष्ट वाटर मार्क (चिहं), जटिल प्रिटिंग तकनीक,

चारित्रिक वृत सम्बन्धी आकड़े की स्थायी छाप, उच्च गुणवत्ता की स्याही की सील और अग्रिम यात्री सूचना व्यवस्था।

7.2.3.3 बैंक सम्बन्धी धोखाधड़ी

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के द्वारा बैंकों के द्वारा समय-समय पर उनके आपरेशन (संचलन) सम्बन्धी विविध क्षेत्रों के विषय में दिये गये निर्देशों के अनुरूप विस्तृत कार्य प्रणाली नियमावली / व्यवस्था को बनाया गया है । यदि उक्त निर्धारित नियमों, रीतियों / कार्य प्रणालियों को सख्ती से लागू किया जाय तो बहु त हद तक दुराचरण की संभावना से बचा जा सकता है या उन्हें सीमित किया जा सकता है । बैंकों के द्वारा रिजर्व बैंक को सूचित किये गये धोखाधड़ी के मामलों का विश्लेषण करने पर मोटे तौर से संकेत मिलता है कि इन धोखाखडी के मामलों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है -

1. बैंकों के संघटकों के द्वारा जमा की गई नकदी में हेराफेरी और नकदी के भुगतान में हेराफेरी।
2. फर्जी उपकरणों के माध्यम से जमा खातों से धन निकासी
3. फर्जी / छद्म नाम से खोले गये खातों के द्वारा हस्तान्तरणीय उपकरणों (Instruments) चैक, ड्राफ्ट, मियादी जमा रसीदे इत्यादि) का धोखाधड़ी पूर्ण भुगतान।
4. खाता पंजिकाओं में हेर-फेर करके धोखाधड़ी करना ।
5. नकदी के लेन-देन के माध्यम से धोखाधड़ी करना ।
6. ऋण / धन वितरण में स्वविवेक की शक्तियों का दुरूपयोग अथवा अधिकृत शक्ति का अतिक्रमण करना, निर्धारित पद्धति / प्रक्रियाओं का अनुसरण न करना।
7. बिना समुचित विचार किये बैंक गारन्टी, बिलों की सह-स्वीकृति और साख पत्रों (लेटर्स ऑफ क्रेडिट) को खोलना, जारी करना
8. मुख्यत: एक्सचेज कन्द्रोल मैनुअल प्रोविजन के उल्लंघन के द्वारा विदेशी मुद्रा विनियम में धोखाधड़ी करना ।

7.2.3.4 बीमा सम्बन्धी धोखाधड़ी

सामान्यतया: बीमा सम्बन्धी धोखाधड़ी दो प्रकार की होती हैं जैसे बीमा क्षेत्र के अन्दर की और क्षेत्र के बाहर की । प्रथम प्रकार की धोखाधड़ी निश्चित रूप से लोक सेवकों की साठ-गांठ से होती है । उदाहरण के लिए पार्टी के द्वारा बिना क्लेम या दावा किये और बिना किस्त को चुकाये स्वीकृत किये बीमित कर लेना दुर्घटना अथवा नुकसान सम्बन्धी बीमा धन को उपलब्ध करा देना, बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किये गये दावों को मान लेना, बची परिसम्पत्तियों और दूसरी प्राप्तियों को कुल गणना से कम न करना, ताकि बीमा कम्पनी की क्षति को कम किया जा सके, पूर्ण रूप से झूठे दांवों को स्वीकार करना इत्यादि । दूसरे प्रकार की धोखाधड़ी के उदाहरण अनेक हैं, जिसमें से कुछ निम्नलिखित हैं -

1. बाजार की मन्दी के दौरान, जानबूझकर बीमित वस्तु / फेक्ट्री / गोदाम को आग लगा देना।

2. एक ही दुर्घटना के आधार पर दावों को बार-बार प्रस्तुत करना ।
3. बिना कोई मरम्मत कराये अथवा कोई पुर्जा खरीदे मरम्मरत सम्बन्धी झूठे बिलों के आधार पर दावा प्रस्तुत करना।
4. वस्तुओं के भेजे जाने सम्बन्धी प्रमाण की झूठी ट्रक रसीदों का प्रयोग करते हुए वस्तुओं के न प्राप्त होने का दावा प्रस्तुत करना।
5. जहाँ पर भेजे गये सामान की तुलना में प्राप्त सामान की कीमत अनुपात से अधिक है, वहाँ पर वस्तुओं को कम कर देना और क्षति का झूठा दावा प्रस्तुत करना इत्यादि ।

7.2.3.5 कॉरपोरेट सम्बन्धी धोखाधड़ी

वर्तमान समय में कारपोरेट सम्बन्धी धोखाधड़ी एक प्रमुख अपराध के रूप में उभरा है । कारपोरेट सम्बन्धी धोखाधड़ी में बड़ी तादात में व्यापारिक लोगों / घरानों द्वारा एक दूसरे के प्रति धोखाधड़ी, निवेशकों के प्रति धोखाधड़ी, उपभोक्ताओं के प्रति धोखाधड़ी, कर प्राधिकारियों और कम्पनियों के विरूद्ध उनके निर्देशकों और कर्मचारियों के द्वारा धोखाधड़ी की गतिविधियां शामिल है । इसके लिए विविध कार्य पद्धतियों और स्वरूपों को अपनाया जाता है । मोटे तौर से कर्मचारियों के द्वारा गबन, प्रबन्धन की धोखाधड़ी, निवेश से सम्बन्धित घपले और ग्राहक सम्बन्धी धोखाधड़ी इत्यादि इसकी श्रेणियां है । स्टाक मार्केट की धोखाधडी में जाली शेयरों के प्रमाण पत्रों की बिक्री, छोटे दलालों के द्वारा धोखेबाजी, प्रवर्तन के दौरान अथवा शेयर रजिस्ट्रयों से प्रतिभूतिरग़ें की चोरी शामिल हैं । बैंक धोखाधड़ी का क्षेत्र भी पर्याप्त विशाल है और बैंकिग व्यवस्था के धोखाधड़ी संभावित क्षेत्रों तक फैला हुआ है । जिसमें कर्ज, अग्रिम, भुगतान और विदेशी मुद्रा विनियम शामिल है । 'प्लास्टिक मनी' के प्रयोग ने भी क्रेडिट और चैक सम्बन्धी धोखाधड़ी के अपराधों को उत्पन्न किया है । तकनीकी विकास ने पुराने अपराधों को नये स्वरूपों में प्रवर्तित किया है । उदाहरण के तौर पर 'मल्टी कलर कॉपियर जिसके 'लेजर स्कैनर के द्वारा हूबहू रंग के निश्चित प्रति को बनाया जा सकता है और उसकी प्रिटिंग प्रक्रिया के द्वारा दूसरे छोटी प्रतिकृतियों को बनाया जा सकता है के विकास ने नकली करेन्सी नोटों के रैकेटों को बढाया है । सीधी डायलिंग सुविधाओं, कम्प्यूटर की सहायता से सम्प्रेषण व्यवस्था और फैक्स सन्देशों ने धोखाधड़ी करने वालों को उनके शिकार से उन्हें भौगोलिक रूप से दूरस्थ कर दिया है।

7.2.3.6 नकली मुद्रा / नोट

मुद्रा विभाग संहिता के अन्तर्गत कोषागारों एवं बैंकों में नकली करेन्सी नोटों के प्राप्त होने पर उन्हें उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में जांच पड़ताल के लिए भेजा जाता है । जब भी बैंक के द्वारा नकली मुद्रा का पता चलता है, तो यह एक अपराध का घटित होना मान लिया जाता है और पुलिस इस सम्बन्ध में मामला पंजीकृत कर उसका अन्वेषण कर सकती है । यही सिद्धान्त उन मामलों में लागू किया जाना चाहिए, जिसमें जनता का कोई सदस्य जाली नोटों के प्रचलन के विषय में -सीधे पुलिस स्टेशन को सूचना देता है । नकली नोट के प्रचलन के तुरन्त बाद ही प्रत्येक मामलें में सीआईडी. को स्पेशल रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए और करेन्सी ऑफिसर को भी सूचना देनी चाहिए । यह रिपोर्ट ने निम्नलिखित विवरणों के साथ देनी चाहिए।

(अ) नोटों की श्रेणी और संख्या

(व) मूल्य

(स) वह किनके द्वारा और किन परिस्थितियों में प्राप्त किये गये, तथा उनकी प्राप्ति की तिथि।

(द) नोट प्राप्त करने वाले अधिकारी का पद नाम

(य) यदि मामला दर्ज नहीं किया गया है, तो ऐसा न करने का कारण

(र) कोई अन्य विवरण

(ल) जज किये गये नोटों को रिपोर्ट के साथ करेन्सी ऑफीसर (मुद्रा अधिकारी) के पास भेज देना चाहिए जब मामले में अन्वेषण के लिए नोट की जरूरत हो, तब नोट को अन्वेषण पूर्ण होने के बाद मुद्रा अधिकारी के पास उसकी संख्या और मूल रिपोर्ट की तिथि को दर्ज करते हुए भेजना चाहिए ।

(क) नकली मुद्रा के प्रचलन की जाँच के लिए प्रयुक्त तरीके

नकली नोटों को असली नोटों के साथ मिलाकर और उन्हें बण्डलों में शंका रहित परन्तु लालची ग्राहकों के बीच प्रचलित कर दिया जाता है । इन नकली नोटों को एजेण्टों को कम मूल्यों पर उनके कमीशन को प्रोत्साहन राशि के रूप में देकर दिया जाता है । जिसे व दुकानों पर कीमती सामान खरीदने में प्रयोग करते हैं ।

(ब) पहचान के तरीके

नकली नोटों को उनके कागज, रंग, छपाई की स्पष्टता, वाटरमार्क, सुरक्षा धागा और क्रम संख्या के द्वारा पहचाना जा सकता है। असली नोट का कागज कड़क और छपाई अत्यन्त ही तीखी व स्पष्ट तथा अच्छी गुणवत्ता वाला होता है, और प्रत्येक नोट में अलग संख्या पड़ी होती है । जब नकली नोट की असली नोट के साथ तुलना की जाती है, तब हम पाते है कि संख्याओं की कतार ठीक प्रकार से नहीं होती है । सीआईडी. की अन्वेषण की शाखा के द्वारा सभी प्रचलित नकली नोटों को एकत्रित कर लेना चाहिए और उनके नम्बरों की प्रत्येक श्रेणियों को अलग कर लेना चाहिए । इन विविध श्रेणियों की तुलना व विश्लेषण तथा इनके प्रचलन के क्षेत्रों के द्वारा अन्वेषण अधिकारी को कुछ न कुछ सुराग अवश्य मिलेगा । जब तक की विविध श्रेणियों की तुलना एक ही पैटर्न को प्रदर्शित नहीं करती प्रत्येक श्रेणी अन्वेषण के लिहाज से एक अलग मामला बनायेगी । पुलिस को प्रश्नगत नकली मुद्रा के प्रचलन को जानने के लिए रिजर्व बैंक के साथ निकट सम्बन्ध बनाये रखना चाहिए । नकली नोटों में प्रयुक्त किये गये पेपर के प्रकार, रंगों, वाटर मार्क, सुरक्षा धागे के बारे में विशेषज्ञों की राय यह सुराग उपलब्ध करायेगी कि इसकी सामग्री को उपलब्ध कराने वाले स्रोत कहां है? यह अत्यन्त ही विरल है कि नकली करेन्सी नोट के अन्दर असली सुरक्षा धागा पिरो दिया जाय । यह मात्र एक बारीक लाइन के रूप में दिखाया जाता है। जबकि असली नोट में एक धातु के तार को पेपर के हिस्से के रूप में पिरोया जाता है, और उसके ऊपर नोट प्रिण्ट किया जाता है।

7.2.3.7 मनी लॉण्डरिंग (हवाला)

मनी लाण्डरिग अर्थात गैर कानूनी माध्यमों से अर्जित किये गये काले धन को व्हाइट मनी या वैध धन में परिवर्तित करना वह प्रमुख तरीका है, जो आर्थिक अपराधियों की मदद करता है। अपराधों से प्राप्त धन जिसमें मादक द्रव्यों का व्यापार, हथियारों, और बारूद की तस्करी शामिल है, के

स्थानान्तरण को उपलब्ध कराने के लिए हवाला विनियम प्रचलन में आया है । आर्थिक अपराधों के कारण कुल धन की संलिप्तता पारम्परिक अपराधों जैसे डकैती, चोरी इत्यादि से तुलनात्मक रूप से कहीं ज्यादा है । एक आम आदमी के लिए मनी लॉण्डरिग का अर्थ गैर कानूनी धन या काले धन को वैध धन में बदलना है । इण्टरपोल के द्वारा इसकी इस प्रकार व्याख्या की गई है कि कोई भी कृत्य अथवा कृत्य करने का प्रयास जो अवैध रूप से प्राप्त धन की पहचान को छिपाता है अथवा गुमराह करता है, ताकि ऐसा प्रतीत हो, कि उसे वैध स्रोतों से प्राप्त किया गया है । इसे इस प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है कि (अ) परोक्ष या अपरोक्ष रूप से ऐसे मुद्रा विनिमय से सलंग्न होना, जो उस सम्पत्ति से सम्बन्धित है, जिसे अपराध से प्राप्त धन का अथवा (ब) अपराध से प्राप्त के द्वारा अर्जित किया गया है । धन अथवा सम्पत्ति को सम्बन्धित देश के अन्दर अथवा देश से बाहर प्राप्त करना, ग्रहण करना या कब्जा करना, छिपाना, गुमराह करना, स्थानान्तरित करना, बदलना अथवा निस्तारण करना ।

7.2.4 आर्थिक अपराधों /सफेद पोश अपराधों का अन्वेषण

7.5.4.1 प्राथमिक जांच

वित्तीय अपराधों में दी गई रिपोर्ट में सामान्यत अन्वेषण के अनुरोध के साथ कुछ निश्चित ब्यौरे दिये जाते हैं । रिपोर्ट में किसी संज्ञेय अपराध के विषय में और साथ ही किसी भी. प्रकार की धोखाधड़ी की सूचना का स्पष्ट खुलासा नहीं भी किया गया हो सकता है । लगाये गये आरोपों के समर्थन में दस्तावेजों की तुरन्त उपलखता नहीं हो सकती है । कुछ प्राप्त सूचनाओ में निश्चित प्रकार अपराधों के घटने और उनकी अवधि के विषय में स्पष्ट नहीं हो सकती है, परन्तु इसमें कई बार सामान्य जानकारी उपलब्ध रहती है । कुछ मामलों में अपराध का स्थान एक विस्तृत क्षेत्र में फैला हु आ होता है । वास्तविक तथ्य के रूप में कई बार सूचना मात्र सिविल देनदारी का ही खुलासा करती है । ऐसी स्थिति में एक प्राथमिक जांच करना आवश्यक हो जाता है । जांच अधिकारी को किये गये इन अपराधों और इसके प्रभाव के विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए इसके अलावा कम्प्यूटर अनुप्रयोग, विदेशी मुद्रा विनियम, आयात-निर्यात, उत्पाद और सीमा शुल्क) तथा शेयर मार्केट विनियम इत्यादि की सामान्य जानकारी होनी चाहिए।

7.2.4.2 प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोट) का पंजीयन

किसी सूचना के विषय में प्राथमिकी दर्ज करने और उसका अन्वेषण करने से पूर्व प्राथमिक जांच करना अनुमन्य है । जैसे ही जांच से एक संज्ञेय अपराध किये जाने का खुलासा होता है, तो इसका पंजीकरण और अन्वेषण होना चाहिए । कई बार विभागीय अधिकारी जांच करते है और फिर मामले को दर्ज करने और उसका अन्वेषण करने की शिकायत दर्ज कराते हैं । ऐसे मामलों में जब तथ्य स्पष्ट होते है, और मामले को पंजीकृत कर लेना चाहिए तथा उसका अन्वेषण शुरू करना चाहिए । यदि ऐसी रिपोर्ट किसी अपराध का खुलासा नहीं करती है, तो अधिकारियों को इसकी लिखित में सूचना देनी चाहिए और उन्हें मामले की और जांच पड़ताल तथा स्पष्टीकरण करने व रिपोर्ट भेजने का आग्रह करना चाहिए।

7.2.4.3 दस्तावेजों की भूमिका

आर्थिक अपराध का अन्वेषण अधिकांशत दस्तावेजों और लेन-देन के माध्यमों या उपकरणों पर आधारित होता है । जांच अधिकारी को सभी सम्बन्धित फाइलों और दस्तावेजों को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और कार्यविधि के अनुसार प्राप्त करके सुरक्षित कर लेना चाहिए । दस्तावेजों की खोज और उनकी स्थिति अत्यन्त ही महत्व का विषय है। सरकारी संस्थाओं की संलिप्तता के मामलों में सम्बन्धित फाइलों को कब्जे में करने में समय नहीं गवाना चाहिए । इनमें वे दस्तावेज और फाइलें भी शामिल है, जिन्हें कम्प्यूटर में संग्रहीत किया गया है । वर्तमान में पेपर फाइलों अथवा रजिस्टरों या कोई अन्य दस्तावेजों की बजाय कम्प्यूटरों के अन्दर ही विभिन्न साइजों की फाइलों और नोट बुक्स में सूचनाएं संग्रहीत रहती है । इस प्रकार न्यायालयों के समक्ष श्रेष्ठतम उपलब्ध साक्ष्यों को प्रस्तुत करना चाहिए।

7.2.4.4 गवाहों अथवा साक्षियों का परीक्षण

साक्षियों का परीक्षण और विशेष तौर से उनका जो दस्तावेजों से जुड़े है दूसरा कदम है जो जांच अधिकारी को लेना चाहिए। अभिलेख के सन्दर्भ में एक प्रश्नावली तैयार कर लेना चाहिए, और साक्षियों का बयान दर्ज करना चाहिए। यदि दस्तावेज जांच पदाधिकारियों के पास हो तो गवाहों के द्वारा गुमराह करना अथवा तथ्यों को नकारना कठिन होगा।

7.2.4.5 अभियुक्त का परीक्षण

जाचं के दौरान कब्जे में लिए गये रजिस्टरों और साथ ही अन्य दस्तावेजों में किये गये विभिन्न दर्ज साक्ष्यों के महत्व को जानने के लिए आरोपी व्यक्ति का विस्तृत परीक्षण आवश्यक है । जांच अधिकारी के द्वारा अन्य गवाहों से पूछे जाने वाले प्रश्नों और बिन्दुओं का हवाला देते हुए विस्तृत प्रश्नावली तैयार करना चाहिए । प्रश्नावली के बनाने में जांच अधिकारी की निपुणता का परिचय मिलता है । प्रश्नों को इस प्रकार से नहीं बनाना चाहिए कि जिससे अभियुक्त को जांच अधिकारी के पास उपलब्ध तथ्यों या साक्ष्यों की प्रकृति का पता चल सकें । चूंकि आर्थिक धोखाधड़ी के मामलों में अन्वेषण एक लम्बी प्रक्रिया होती है, अत: यह आवश्यक हो जाता है कि अभियुक्त को पुलिस रिमाण्ड में देने के प्रावधान का उपयोग किया जाए । ऐसे मामलों में जहां आवश्यक हो, लाई डिटेक्टर के द्वारा परीक्षण किया जाना अधिक उपयोगी सिद्ध होगा।

7.2.4.6 सहयोग एवं समन्वय

इन मामलों के अन्वेषण में विभिन्न एजेन्सियों और संस्थाओं के बीच पारस्परिक सहयोग अत्यन्त ही महत्वपूर्ण होता है । साक्षियों अथवा दस्तावेजों की स्थिति पता लगाने के बाद सम्बन्धित दस्तावेजों को प्राप्त करने और साक्षियों की उपस्थिति के विषय में सम्बन्धित प्राधिकारियों का सहयोग बहुत जरूरी है । कोई भी कमी, भले ही वह विभाग में ही पदस्थापित हो अथवा कहीं और कार्यरत हो और उसे विशेषीकृत ज्ञान हासिल है, तो उसकी पहचान कर लेना चाहिए और उसकी सहायता लेने का प्रयास करना चाहिए । ऐसे मामलों में सलाह लेने और दस्तावेजों की छंटाई करने के लिए अधिकांशत: लेखा, बैंकिग, स्टॉक मार्केट उत्पाद और दूसरे कर विभाग तथा चाटर्ड एकाउण्टेड उपयोगी सिद्ध होंगें । आर्थिक उपराधों को हल करने के विषय में सबसे अधिक प्रभावी तरीका है कि सम्बन्धित संक्षिप्त

धन की स्थिति, जो नकद अथवा बैंक जमाओं अथवा स्थायी परिसम्पत्तियों अथवा किसी अन्य स्वरूप में हो, से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करना और उनको जस्त करने के विषय में कार्यवाही करना। उन साक्ष्यों को एकत्रित करना आवश्यक होगा जिससे धन अथवा सम्पत्ति का अभियुक्त के साथ सम्बन्ध सिद्ध हो सके। यही वह क्षेत्र है जिसमें गहन जांच पड़ताल आवश्यक है।

7.3 संगठित अपराध : अवधारणा

संगठित अपराध का अर्थ है किसी व्यक्ति के द्वारा लगातार गैर कानूनी गतिविधियों को करना, चाहे वह इसे अकेला अथवा किसी के साथ मिलकर करे, चाहे वह उसे एक संगठित अपराधी सिडीकेंट के सदस्य के रूप में अथवा ऐसे सिडीकेंट अथवा गैंगो की ओर से ऐसा करे, जिसमें हिंसा अथवा हिंसा की धमकी अथवा धमकाना अथवा डराना अथवा दूसरे गैर कानूनी माध्यमों का इस उद्देश्य से प्रयोग कराना, जिसमें उसे आर्थिक लाभ प्राप्त हो, अथवा आर्थिक और दूसरे लाभ खुद उसके या अन्य व्यक्ति के लिए अवैध रूप से प्राप्त हों । संगठित अपराध सिडीकेंट या गैंग का अर्थ है, ऐसे दो या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह जो या तो अकेले अथवा सम्मिलित रूप से एक सिंडीकेट अथवा गैंग के रूप में संगठित अपराध करने की गतिविधियों में संलिप्त होते हैं । संगठित अपराध ऐसे नेता और उसके सदस्यों, जो उसके प्रति बहुत वफादार होते है, के द्वारा सम्पत्ति, त्रक्तियों और मानव कल्याण के विरूद्ध किये जाते हैं । संगठित अपराध कानून और व्यवस्था, तथा लोक शांति को बड़े स्तर पर प्रभावित करते हैं। सामान्य बोल चाल की भाषा में माफिया अपराध अथवा माफिया गैंगो का प्रयोग संगठित अपराध और अपराधी गैंगो या समूहों के अर्थ में किया जा सकता है । ग्रमइगत संगठित समूहों के द्वारा की गई सहयोगी आपराधिक गतिविधियां संगठित अपराध के रूप में जानी जाती है । इसने बड़े शहरों और विशेष कर महानगरों में एक महामारी के अनुपात का स्वरूप ले लिया है । अपराधियों के ये समूह क्षेत्रफल और कार्यकृत्ति की दृष्टि से अपनी गतिविधियों का दायरा सतत् रूप से बढ़ा रहे हैं । इसके द्वारा इन्हें अपने प्रभावी तन्तुओं को एक ओर कस्वों वहीं दूसरी ओर सहानुग्रतइ रखने वाले विदेशों में भी फैलाने में मदद की है । संगठित अपराधों में वृद्धि इस अर्थ में वैश्विक है, क्योंकि संगठित अपराधियों का बड़े स्तर पर फलना फूलना एक वैश्विक प्रकृत्ति हो गई है । वर्तमान में संगठित अपराध वास्तविक अर्थ में अन्तर्राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय सीमाओं से परे हो गये है और उन्हें एक स्थानीय अल्प उपद्रवों के रूप में हल्के में नहीं लेना चाहिए।

7.3.1 विशेषतायें

कुछ समूह तो इतने अच्छे रूप में संगठित हैं, कि वे बिना पकड़े जाने अथवा दण्डित हुए अपराधों को अन्ताम देने में समर्थ हो चले हैं । इसका अर्थ है उनमें एक निश्चित आचार संहिता, योग्यता, हथियार, समूह के अन्दर आसूचना तथा अपनी मनमानी करने की शक्ति होनी चाहिए । कई बार अपनी मनमानी करने के लिए व्यक्तियों को धमकाने अथवा उन्हें खत्म करने के हथकन्दे अपनाते हैं । कई बार वे उन व्यक्तियों को भी धमकाने और समाप्त करने का प्रयास करते हैं, जो उनके रास्ते में आते हैं, जिसमें गवाह, मुखबिर, पुलिस पदाधिकारी, वकील, जज अथवा राजनीतिज्ञ शामिल है । कई बार इन्हें वे वैकल्पिक रूप से उनके साथ मिलकर अथवा घूस देकर उनका समर्थन प्राप्त करते हैं । वे राजनीतिक पार्टियों में अपनी घुसपैठ बनाते है, और चुनावों में अपने बाहुबल का प्रयोग करके धांधली करते हैं

और यहां तक राजनैतिक, सत्ता की गद्दी हथिया लेते हैं । इस प्रकार विस्तार पटल के जहां एक ओर छोटे आपराधिक संगठन चुपचाप सीमित दायरे में कार्यरत हैं, वहीं दूसरी ओर अति प्रशिक्षित और सुसज्जित समूह, माफिया गैंगों सभी विशेषताओं के साथ लगे हुए हैं । संगठित अपराध का मुख्य उद्देश्य अवैध धन कमाना है । इन संगठित समूहों के पास एक ऐसा जटिल नेटवर्क या जाल और सुपरिभाषित ढांचा तथा कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल है, जिसके द्वारा वे अपराधों को करने के लिए बल अथवा हिंसा का प्रयोग करते हैं।

7.3.2 अन्वेषण का दृष्टिकोण

इस प्रकार संगठित अपराध का अन्वेषण करने के लिए एक अत्यन्त ही व्यावसायिक दृष्टिकोण, आसूचना और अन्वेषण की निपुणता और अन्तर्राष्ट्रीय, अन्तर्राज्यीय और अन्तर्जनपदीय स्तर पर सुव्यवस्थित समन्वय की आवश्यकता है । ऐसे बहुत से कानून है, जिनके द्वारा इन गतिविधियों से निपटा जा सकता है । अत: यह आवश्यक है कि जांच अधिकारी कानून के उन प्रावधानों से अच्छी तरह परिचित हों।

7.3.3 विधिक प्रावधान

अपराध से प्राप्त धन को जस्त करने से सम्बन्धित कानूनी प्रावधान सीआरपीसी. की धाराओं 102, 452, कस्टम एक्ट की 111 से 121, एन. डी. पी. एस. एक्ट की धारा 68 और आन्धप्रदेश कष्ट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 2001 की धारा 20 में दिया गया है । आपराधिक कानून (संशोधन 1944) विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम 1999 (फेमा) और द स्मग्लर्स एण्ड फारेन एक्सचेंज मैनिपुलेशन (फोरफीचर ऑफ प्रापर्टी) एक्ट 1976 भी अपराध के धन को जप्त करने से सम्बन्धित है।

7.3.4 संगठित अपराधी गैंग या समूह

भारत में अपराधी गैंग प्राचीन काल से सक्रिय है । सामान्यत: उन यात्रियों और सार्थवहों का शिकार करते थे, जो घने जंगलों से गुजरने वाले एकांकी रास्तों. से जाते थे । कभी-कभी वे गाँवों और कस्वों पर हमला करते थे, और निर्दोष निवासियों की हत्या और निर्दयतापूर्वक लूटपाट करने में मुका रूप से लिप्त होते थे । हांलाकि आजकल संगठित अपराधी गैंगों की गतिविधियां विभिन्न दिशाओं में फैल गई हैं और वे अधिक जटिल और गम्भीर हो गई है । संगठित अपराध कानून लागू करने वाली एजेन्सियों विशेषकर पुलिस जो जनता के प्रति जवाबदेही की दृष्टि से उनके खिलाफ लड़ने वाले अग्रिम पंक्ति के बल हैं, से उनके लिए दुःस्वप्त की तरह हो नये हैं, क्योंकि इस खतरे से जूझने के लिए कोई सरल रास्ता नहीं है, जो त्वरित परिणाम दे सके।

7.3.5 अपराधी गैंगो की विशेषतायें

व्यवसायिक रूप से संगठित्त अपराधियों के बीच में एक अत्यन्त ही उच्च स्तर की सहमति विद्यमान रहती है जो अपने बारे में, अपने अपराधों के बारे में और पुलिस के बारे में, जिसे वह सांझा शत्रु मानते है, एक सांझा दृष्टिकोण विकसित कर लेते हैं । उनके बीच में एक निश्चित सम्मान देने की संहिता होती है, और भूइमगत समूहों की तरह एक अत्यन्त ही विशिष्ट शब्दावली विकसित कर

ली जाती है, और जिसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानान्तरित की जाती है और वे निम्नलिखित समस्याओं के विषय में एक सांझा दृष्टिकोण भी विकसित कर लेते है

1. कौन सा अपराध किया जायेगा, उसके विषय में निर्णय
2. कार्य करने का भौगोलिक क्षेत्र
3. नये सदस्यों को अंगीकृत करना
4. चुराई सम्पत्ति के निस्तारण का तरीका
5. पकड़े जाने पर गैंग के सदस्य को बचाने की विधि
6. शक्तिशाली लोगों का सहयोग प्राप्त करना
7. समूह की एक सांझी संस्कृति, एक सामूहिक अनुबन्ध और एक सामूहिक संहिता होती है।

7.4 संगठित अपराधों से निपटना

संगठित अपराधों से निपटने के लिए निम्नलिखित कार्य योजना और रणनीति को अपनाना चाहिए -

(अ) पुलिस के ढांचा तथा साजो सामान सम्बन्धी आधुनिकीकरण

संगठित अपराधियों की बहुमुखी प्रतिमा, आपरेशनल तकनीकों का लचीलापन उनके पास उपलब्ध संसाधनों की प्रचुरता आधुनिक तकनीकी नवप्रवर्तनों के साथ उनकी सरल पहुंच, कार्यवाही के दौरान उनकी निर्दयता, राजनैतिक, नौकरशाही और शासन की कानून लागू करने वाली एजेन्सियों को भ्रष्ट करने और प्रभाव हीन करने की क्षमता और इन सबके ऊपर धन और शक्ति के प्रति लगाव या अत्याकर्षण इत्यादि, सभी यह अनिवार्य बनाते हैं, जिसे इनके विरूद्ध संघर्ष का कार्य सौंपा गया है उसे ठीक प्रकार से सुसज्जित किया जाए, ताकि वे संगठित अपराधों की स्थिति से निपट सकें । संगठित अपराधी गैंग पुलिस कार्य क्षेत्रों की सीमाओं को और यहां तक कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं को भी लांघ जाते हैं, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है, कि पुलिस वालों को एक दूसरे के पारस्पारिक सहयोग और समर्थन के साथ इस खतरे का सामना करने के लिए तैयार करना चाहिए।

(ब) विशेष कार्यबल एस. टी. एफ.)

एक पूर्णकालिक और पूर्ण रूप से जिम्मेदार, विशेष कार्यबल गठित करना चाहिए, जो संगठित अपराधों से निपट सकें।

(स) सहयोग और समन्वय

संगठित अपराधी प्राय: पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्रों के बाहर, राज्यों के बाहर वहां तक की राष्ट्रीय सीमाओं के पार कार्यवाही करते हैं अत: इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता की एक समस्या के रूप में लेनै की आवश्यकता हैं । इसमें एक अत्यन्त ही उच्च श्रेणी के पुलिस बलों के बीच में और पुलिस बल के अन्दर समन्वय और सहयोग की आवश्यकता होगी।

(द) व्यापक दृष्टिकोण

मात्र व्यक्तिगत गैंग सदस्यों, जिन्होंने एक अपराध किया है को निशाना बनाने की बजाय पूरे अपराधी गैंग जिसने इसके प्रयास को समर्थन दिया है, कि निशाना बनाना चाहिए।

अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य गैंग के सभी सदस्यों और विशेषकर शीर्ष नेताओं की अभियोजित करने का होना चाहिए।

(य) क्षमता और प्रभाविकता

संगठित अपराधों से दक्ष और प्रभावी रूप से निपटने के लिए अन्वेषण की उच्च स्तर की उन्नतिशील तकनीक और कानून और प्रक्रिया सम्बन्धी सम्यक जानकारी की आवश्यकता है । विशेष कार्यबल में उसके मुख्य भाग के रूप में ऐसी व्यावसायिक अन्वेषण टीम या दल शामिल हो, जिसमें ऐसे अनुभवी पुलिस अधिकारी रखे जाए, जो आपराधिक कानून और प्रक्रिया की अच्छी जानकारी के लिए और एक व्यवस्थित रूप से व गहराई से अन्वेषण सम्पन्न करने के लिए जाने जाते हैं । उनमें अन्वेषण सम्बन्धी रिपोर्ट तैयार करने के लिए आवश्यक रूप से लिखने की ललक और एक विधिपूर्वक व व्यवस्थित तरीके से रिपोर्ट बनाना नितान्त आवश्यक है । इन पुलिस अधिकारियों की सहायता के लिए प्रशिक्षण वित्तीय कार्मिकों जैसे चार्टड एकाउटेंट / लेखाकार, वित्तीय विश्लेषक इत्यादि उपलब्ध होने चाहिए इन विशेष कार्यबलों में अन्वेषण की सशक्त क्षमता होनी चाहिए और इसके अतिरिक्त फारेन्सिक साइन्स प्रयोगशाला की मौके पर उपलब्ता की सहायता और फोटोग्राफिक तकनीकी कार्मिकों के साथ ही हस्तलेखन विशेषज्ञ की सहायता भी मिलनी चाहिए।

(र) विधिक अनुदान और सहायता

यह आवश्यक है कि अन्वेषण शाखा के साथ प्रारम्भ से ही एक अभियोजन या विधिक सलाहकार को शामिल करना चाहिए ताकि अन्वेषण दल को वरिष्ठ न्यायालयों की कानूनी व्यवस्थाओं और न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किये गये अतीत के अनुभवों के प्रकाश में कानूनी सलाह का लाभ मिल सकें । अभियोजक अथवा कानूनी सलाहकार को भी चाहिए कि वह अन्वेषण अधिकारियों को अभियोग पत्र / फाइल तैयार करने और गवाहों को चुनने तथा प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्यों के बारे में मदद करें। अधिक क्या, जब मामला सुनवाई के लिए लाया जायेगा, तो वह विश्वास और क्षमतापूर्ण विशेष सरकारी वकील को समझा सकेगा। जो वास्तव में मामले को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगा अथवा जब अभियुक्त का जमानत के लिए विचारण का मामला सुना जायेगा ।

(ल) आपराधिक आसूचना : सामान्य सन्दर्भ

विश्वस्त, सटीक, पूर्ण और समय पर उपलब्ध करायी गई आपराधिक आसूचना संगठित अपराध के विरूद्ध किसी भी सतत् अभियान का मूलाधार है। एक ऐसी स्वस्थ व्यवस्था को विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें रणनीतिक और सामरिक, दोनों ही प्रकार की आसूचनाओं को एकत्रित किया जा सके । आपराधिक आसूचनायें एकत्रित करने की जिम्मेदारी प्रत्येक पुलिस कर्मी की है । बीट अथवा गश्त में लगा एक पुलिस कर्मी एक निश्चित स्थान पर तैनात ट्रेफिक पुलिस कमी सामान्यत शिकायत की सूचना पर अन्वेषण के लिए आपराधिक इलाकों में जाने वाला एक अधिकारी और एक अन्वेषण- अधिकारी जो एक आरोपी का किसी गैर सम्बन्धित अपराध प्रतीत होने वाले अपराध के बारे में पूछताछ करने वाले ये सभी अत्यन्त ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, यदि इन्हें आपराधिक गैंगों के खिलाफ लड़ाई में इनकी जिम्मेदारियों की पहचान की संवदेनशीलता और जरूरत के बारे में जागरूक बनाया जाए।

7.5 साइबर अपराध

अन्तर्राष्ट्रीय संचार नेटवर्क और सर्वविद्यमान इण्टरनेट ने राष्ट्रीय सीमाओं को धुंधला या समाप्त कर दिया है और कम्प्यूटर अपराध अपने विस्तार और परिणति दोनों में ही ज्यादा से ज्यादा अन्तर्राष्ट्रीय हो गये हैं । इसने पुलिस और दूसरी कानून लागू करने वाली एजेन्सियों के समक्ष एक नई चुनौती प्रस्तुत की है, कि वे यह सुनिश्चित कर सकें, कि कम्प्यूटर नेटवर्क का प्रयोग करने वाले कम्प्यूटर या साइबर अपराध के शिकारी न बने, और साथ ही वे आवश्यक स्वक्षमता और व्यवसायिक दृष्टि के साथ नये उत्पन्न होने वाले अपराधों का अन्वेषण भी कर सकें।

7.5.1 कम्प्यूटर अपराध की अवधारणा

सूचना तकनीक की गतिशील प्रकृति, संचार संरचना और कम्प्यूटर / साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए किये जाने वाले बेहतर प्रयासों हेतु हमेशा परिवर्तनशील कानूनी उपाय इत्यादि जिन्हें अग्रिम पैराग्राफ में दर्शाया गया है, वे कम्प्यूटर अपराध के बारे में एक विस्तृत विवरण नहीं हैं । एक पुलिस अधिकारी को इस विषय पर नवीन कानूनी प्रावधानों का सन्दर्भ लेना चाहिए और कम्प्यूटर / साइबर अपराध मैनुअल पढ़ने चाहिए। कम्प्यूटर / साइबर अपराध की कोई सार्वभौमिक स्वीकृत परिभाषा नहीं है परन्तु मोटे तौर पर सामान्य प्रचलन में कम्प्यूटर अपराध, कम्प्यूटर से सम्बन्धित कोई भी अवैध या अनाधिकृत गतिविधि है । अपराध किसी व्यक्ति अथवा संगठन के अथवा राष्ट्र के खिलाफ हो सकता है, जिसमें उसकी एकता और सुरक्षा को खतरा अथवा खतरे की धमकी हो सकती है । ऐसे अवैध अथवा अनाधिकृत उन रूपों में पाये जा सकते हैं, जिसमें कम्प्यूटर के द्वारा उसकी निर्धारित कार्यवाही को रोकना अथवा उसकी कार्यवाही को धीमा कर देना, भ्रष्ट कर देना अथवा उसके आकड़ों, सॉफ्टवेयर की नकल कर लेना जैसे अपराध शामिल है । इस प्रकार एक कम्प्यूटर अपराध मोटे तौर से ऐसे कृत्य अथवा उस कृत्य को करने के प्रयास अथवा उकसावे के कृत्य के रूप में निम्नलिखित किसी एक अथवा कोई मिश्रित अब्धै गतिविधियों की परिभाषा के द्वारा किया जा सकता है -

(अ) अनाधिकृत तौर से कम्प्यूटर के आकड़ों की पहुंच, बदलाव, जोड़ना, मिटाना अथवा छिपाना।

(ब) कार्यक्रमों अथवा सूचना का अनाधिकृत एक्सेस (पहुँच), अस्ट्रेशन एडीशन, डिलीशन अथवा छुपा देना।

(स) किसी भी तरीके से आँकड़ाएं के प्रोग्राम की चोरी करना।

(द) अनाधिकृत तौर से कम्प्यूटर लैब अथवा नेटवर्क में शामिल हो जाना ।

(य) परिभाषित या पूर्व निर्धारित व्यवस्था में बदलाव या विकल्प देना ।

7.5.2 आपराधिक कार्य पद्धति

डिजीटल अथवा इलेक्ट्रॉनिक, ट्रेस पॉसिंग के लिए बहुत कम उपकरणों या औजारों की आवश्यकता है । जैसे होम कम्प्यूटर अथवा एक नोट बुक कम्प्यूटर अथवा एक डेस्कटॉप कम्प्यूटर और एक टेलीफोन लाइन । अपराधी सबसे पहले उस की पहचान करते है और उसमें प्रवेश कर जाते हैं जिनके साथ कम्प्यूटर जुड़ा होता है । यह एक डायलअप लाइन हो सकती है, जो टेलीफोन लाइन

से जुड़ी होती है अथवा एक लीज्ड लाइन जो टेलीफोन से जुड़ी होती है अथवा जो पब्लिक डाटा सिस्टम नेटवर्क से जुड़ी होती है, इसके बाद वह सिस्टम में लॉक करने के लिए विविध पासवर्डों या चुराये गये पासवर्ड के द्वारा प्रवेश करने का प्रयास करता है । किसी भी आन्तरिक व्यक्ति के लिए सिस्टम के अन्दर अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करना काफी सरल होता है। स्टेण्ड अलोन सिस्टम के मामले में सिस्टम के अन्दर भौतिक पहुंच का काम उसके लिए और भी सरल होता है।

7.5.3 कम्प्यूटर हैकिंग

इसे एक घुसपैठ अथवा क्रेकिंग के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें एक रिमोट सोर्स से कम्प्यूटर नेटवर्क के अन्दर अनाधिकृत एक्सेस प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है । इस कार्यवाही में पासवर्ड को डिकोड करना, सिस्टम में घुसना और उसका अनाधिकृत प्रयोग करना शामिल ' है । हैकरों के द्वारा कम्प्यूटर सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ड्रापिंग को एक तरीके के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है । यह एक गम्भीर समस्या है, क्योंकि अधिकांश विश्व के बड़े कम्प्यूटर सिस्टम कम्प्यूटर नेटवर्क से जुडे होते हैं । इन तरीकों के द्वारा जो अपराध किये जा सकते है, उनमें धोखाधड़ी, तोड़फोड़ और व्यवधान उत्पन्न करने के लिए अनाधिकृत पहुंच शामिल है । हैकिंग को आई॰टी.एक्ट 2000 की धारा 66 में परिभाषित किया गया है । क्रैकिंग में सामान्यत: अपराध करने वाला प्रोग्राम में मामूली बदलाव करता है, जो कॉपी राइट प्रतिबन्धों का उल्लंघन है । जिसमें अपराधी का उद्देश्य अवैध रूप से सूचना को निकाल लेना है।

7.5.4 अन्य प्रकार के कम्प्यूटर अपराध

सॉफ्टवेयर पाइरेसी और अन्य कॉपीराइट उल्लंघन, साइबर प्रोनोग्राफी, साइबर आतंकवाद और जान बूझकर वाइरस प्रवेश करा देना इत्यादि अन्य प्रकार के कम्प्यूटर अपराध है । वस्तुत: अपराधों की यह कड़ी कम्प्यूटरों और सूचना तकनीक के विकास के साथ बढ़ती ही जायेगी । वाइरस, पहचान किये गये कम्प्यूटर अपराधों में सबसे नवीन और सबसे अधिक विघटनकारी कम्प्यूटर अपराध का प्रकार है । इसमें यह क्षमता है कि एक निश्चित परिस्थितियों में एकदम से बहुगुणित होकर अपने आप को प्रोग्राम के साथ जोड़ लेता है, वे कम्प्यूटर सिस्टम, उसके डाटा, और प्रोग्रामों को क्षति पहुंचा सकते हैं । एक प्रोग्रामर जो एक वाइरस लिखता है, जो मात्र कुछ संख्याओं अथवा अक्षरों की लाइने मात्र होती है, जो कम्प्यूटर को निर्दिष्ट करती है कि वह दूसरे कम्प्यूटर के अन्दर की सूचना को बदल अथवा नष्ट कर देता है । वाइरस निर्देश मूल विधिक कार्यक्रमों के अन्दर छिपे होते हैं, जो एक म्प्रेडसीट अथवा वर्डप्रोसेसिंग प्रोग्राम के रूप में हो सकते हैं । वास्तव में ये डिस्क और यहां तक कि फोन लाइनों के माध्यमों में भी हो सकते हैं । कम्प्यूटर, वास्तविक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के साथ ही वाइरस को भी पढ़ता या पहचानता है । छिपे हुए वाइरस निर्देशों के अनुसार कम्प्यूटर प्रतिक्रिया करता है । यह कम्प्यूटर को एक निश्चित तिथि में सूचना नष्ट करने के बारे में कह सकता है अथवा केवल स्कीन में एक हार्मलैस मैसेज फ्लेश कर सकता है । यह कम्प्यूटर को इनफैक्टिड सॉफ्टवेयर की कॉपी को हर दूसरी डिस्क को, जो मशीन के अन्दर डाली गई है में भी रखने का निर्देश दे सकता है । एक वाइरस एक कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर सिस्टम में टेलीफोन लाइन और इलेक्ट्रॉनिक बुलटिन बोर्ड और फ्लॉपी / डिस्क के

माध्यम से भी फैल सकता है । यह कम्प्यूटर मैमोरी को भी क्षतिग्रस्त कर सकता है और पूरे सिस्टम को नष्ट कर सकता है।

7.5.5 कम्प्यूटर अपराधों का अन्वेषण

(i) सामान्य अपराध में साक्ष्यों को एकत्रित करने की तुलना में किसी भी अपराध के स्थान से कम्प्यूटर साक्ष्यों को एकत्रित करने के लिए विशेषडातापूर्ण सावधानी की आवश्यकता हाती है । ऐसा न करने पर गम्भीर समस्यायें खड़ी हो सकती हैं। इसलिए अन्वेषणकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे सी. आई. डी. के कम्प्यूटर अपराध इकाई के विशेषज्ञ को अथवा फॉरेन्सिक साइन्स प्रयोगशाला के कम्प्यूटर फॉरेन्सिक वैज्ञानिक को बुला सकते हैं।

(ii) किसी भी अपराध के अन्वेषण के दौरान जब भी कोई अन्वेषणकर्ता किसी कम्प्यूटर को पाता है, तो उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि इसमें मूल्यवान साक्ष्य का तथ्य उपलब्ध हो सकता है और इसमें आकड़ों की संख्या भी हो सकती है, जो अन्वेषण किये जाने वाले अपराध के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य की ओर ले जा सकता है । इसलिए साक्ष्य की दृष्टि से उसको सुरक्षित रखना अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इस बारे में किसी प्रकार की गलती से महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है, वहीं दूसरी ओर किसी भी तरह की लापरवाही से कम्प्यूटर मालिक को बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है, जिसे हर कीमत पर बचाना चाहिए । अन्देषणकर्ता को यह भी ध्यान रखना चाहिए कई बार कम्प्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़े होते हैं और महत्वपूर्ण आवश्यक साक्ष्यों को स्थानान्तरित अथवा सर्च के स्थान से दूर किसी दूसरी जगह उसे संग्रहीत किया जा सकता है । यहां तक कि सीमापार दूसरे देश में भी सूचना को संग्रहीत किया जा सकता है । इस प्रकार अन्वेषण अधिकारी को कम्प्यूटरों के नेटवर्क के विषय में अत्यन्त ही सावधान रहना चाहिए । यहां यह भी आवश्यक है कि अन्वेषणकर्ता को प्रारम्भ से ही कम्प्यूटर विशेषज्ञ को अन्वेषण में शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि अन्वेषण अधिकारी मैगनेटिक अथवा ऑपटिकल माध्यम में एकत्रित विभिन्न प्रकार के आकड़ों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता है।

(iii) यदि अन्वेषणकर्ता को यह पूर्व जानकारी हो कि अपराध के स्थान पर जिसकी वह सर्च करने जा रहा है, वहां कम्प्यूटर सिस्टम अथवा कम्प्यूटर नेटवर्क उपलब्ध होगा, तो यह सलाह दी जाती है कि उसे सीआईडी. कम्प्यूटर अपराध इकाई के विशेषज्ञ अथवा फॉरेन्सिक साइन्स प्रयोगशाला के कम्प्यूटर फोरन्सिक वेज्ञानिक से सम्पर्क कर लेना चाहिए, यदि हो सके तो उसे सर्च किये जाने वाले संगठन अथवा व्यक्ति के द्वारा प्रयोग किये जाने वाले कम्प्यूटर के मेक, मॉडल, आपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क कनैमान इत्यादि की अग्रिम सूचना एकत्रित कर लेनी चाहिए, क्योंकि यह सूचना अन्वेषण की दृष्टि से मूल्यवान सिद्ध हो सकती है । इस एकत्रित की गई सूचना को तुरन्त ही विशेषज्ञ को दे देना चाहिए, ताकि वह साक्ष्य एकत्रित करने के लिए आवश्यक तैयारी कर सके । यह इसलिए भी आवश्यक है कि कई बार कम्प्यूटर सिस्टम को भौतिक रूप से लगे हुए स्थान से हटाना संभव नहीं हो सकता है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आकड़ों अथवा प्रोग्राम को अपराध स्थल से ही कॉपी करना पड़ सकता है । अन्वेषणकर्ता अथवा विशेषज्ञ, जो सर्च के दौरान पुलिस कर्मियों के साथ जाते हैं उन्हें आवश्यक इलेक्ट्रोनिक माध्यम जो डिस्क, आप्टिकल डिस्क, टेप, टूल्स, सापटवेयर्स,

लेबल्स और दूसरी विशेष वस्तुए हो सकती हैं, अपने साथ ले जाना चाहिए इसके साथ ही उन्हें आवश्यक पैंकिंग मैटिरियल भी ले जाना चाहिए जिससे एकत्रित किये गये इलेक्ट्रोनिक लक्ष्यों को नष्ट होने से सुरक्षित रखा जा सके। क्योंकि मैगनेटिक माध्यम के आंकड़ों को दूसरे माध्यमों धूल और इलेक्ट्रोस्टेटिक परिवेश के द्वारा नष्ट किया जा सकता है।

(iv) यदि कम्प्यूटर उपकरण को हटाना या निकालना पड़े तो उसे ठीक प्रकार से पैक करने में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, और यदि आवश्यक हो तो ऐसा मैटेरियल लगाना चाहिए जिससे अचानक झटके या बल प्रयोग के कारण रीड और राइट करने वाले हिस्से, पुर्जों में होने वाली किसी भी गड़बड़ी या क्षति होने से उसे बचाया जा सके। यदि अपराध स्थल पर लगा हुआ कम्प्यूटर सिस्टम आकार में बहुत बड़ा है तो उसको ठीक प्रकार से ट्रान्सपोर्ट और स्टोरेज करने की व्यवस्था में विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि साक्ष्य के उद्देश्य से उसमें उपलब्धआँकड़ो को सुरक्षित रखा जा सके। यदि आवश्यक और संभव हो तो वह स्थल जिसमें ऐसे कम्प्यूटर लगाये गये हैं ठीक प्रकार से सील और गार्ड करने चाहिए, जब तक कि सम्बन्धित साक्ष्य एकत्रित करने के इन्तजाम न कर लिए जाये।

(v) सर्च के दौरलँ अन्वेlषणकर्ता के द्वारा कम्प्यूटर सिस्टम के किसी भी भाग को आरोपी अथवा संदिग्ध व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में छूने नहीं देना चाहिए। यहां तक कि यह ध्यान रखना चाहिए कि एक माउस अथवा कुन्ती मात्र को दबाने मात्र से सम्पूर्ण आकड़ो को मिटाया जा सकता है। इन दिनों यहां तक संम्भव है कि रिमोट, की बोर्ड और माउस की सहायता से आकड़ो को डाला अथवा हटाया जा सकता है। इसलिए यह सावधानी रखनी चाहिए कि आरोपी अथवा संदिग्ध के द्वारा किसी भी ऐसे' माध्यमों से कम्प्यूटर को किसी भी प्रकार का निर्देश देने की सम्भावना नहीं होनी चाहिए। कई बार यह आवश्यक होता है कि संदिग्ध अथवा आरोपी व्यक्ति सर्च के दौरान जरूरी सूचना एकत्रित करते समय उपस्थित रहे, विशेष तौर से जब कोई डाटा यूजर आई डी अथवा पासवर्ड से सुरक्षित किया गया हो। ऐसी स्थितियों में अन्देषणकर्ता को यह सावधानी रखनी चाहिए कि आरोपी / संदिग्ध व्यक्ति कम्प्यूटर सिस्टम की पहुंच से दूर रखा जाये और ऐसे व्यक्ति के द्वारा बताये गये पासवर्ड अथवा पहचान का प्रयोग करते हुए डाटा को रिकवर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसे निश्चित रूप से ऐसी परिस्थिति में एक विशेषज्ञ की सहायता लेनी चाहिए।

(vi) आजकल, अधिकांश कम्प्यूटर एक नेटवर्क के हिस्से होते हैं, जो केवल रेडियो लिंक, टेलीफोन, फाइबर ऑप्टिकल्सं के द्वारा जुड़ा होता है। एक नेटवर्क में अकेला कम्प्यूटर सिस्टम एक स्टेण्ड अलोन मशीन के रूप में कार्यरत हो सकता है, जिसमें महत्वपूर्ण डेटा अथवा प्रोग्राम हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर एक भौतिक रूप से रिमोट क्षेत्र में सूचना कहीं और पायी जा सकती है, क्योंकि नेटवर्क के साथ यदि सर्वर जुडा हो। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि स्टोरेज की लोकेशन की पहचान के लिए विशेषज्ञ की मदद ली जाये। एक नेटवर्क में प्रयोग की जाने वाली स्टोरेज व्यवस्था का प्रकार सर्च और सीजर के तरीके को निर्धारित करेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि जब भी कोई नेटवर्क परिवेश की तलाश की जाय तो सामान्य अन्वेषणकर्ताओं के साथ आवश्यक तकनीकी कार्मिकों को भी ऐसे कामों में लगाया जाये। यदि यह पाया जाय कि सर्वर अथवा डाटा स्टोरेज भारत की सीमाओं से बाहर स्थित है तो

सक्षम न्यायालय के माध्यम से तुरन्त जरूरी कार्यवाही की जाय, ताकि सी॰आर॰पी॰सी. की धारा 166 (ए) के प्रावधानों के अन्तर्गत लेटर रोगेटरी जारी की जा सके । ऐसे मामलों में नेशनल क्राइम ब्यूरो (एन॰सी॰बी) जिसका सीबीआई के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है कि सहायता भी ली जा सकती है।

(vii) अत: यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है कि सर्च के दौरान आरोपी / संदिग्ध व्यक्ति कम्प्यूटरमें संचित सूचना को विकृत न कर सके । अन्वेषणकर्ता को यह सलाह दी जाती है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे सभी कनेशनों को हटा दिया गया है, डेटा कम्यूनिकेशन सुविधाओं को शीघ्रातिशीघ्र विच्छेदित कर दिया गया है विशेषज्ञ की सहायता ली जाय।

7.6 मादक पदार्थो का दुष्प्रयोग (ड्रग अब्यूस)

7.6.1 कुछ परिप्रेक्ष्य

नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ मानव और जानवरों के लिए आवश्यक है । इनका प्रयोग विभिन्न प्रकार की दवाईयों को बनाने में आधारभूत घटकों के रूप में किया जाता है । विभिन्न प्रकार की दवाईयां, चाहे वे सेडेटिब्स एस्फेटामाइन्स अथवा हज्यूसिनोजिन्स हों, उनमें साइकोट्रोपिक पदार्थो के कुछ नारकोटिक्स स्वरूप उनके मूल घटकों के रूप में होते हैं । इस प्रकार नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ मानवों और जानवरों, दोनों की ही बीमारियों की पहचान, निवारण और उपचार व रोकथाम के लिए किया जाता है । जबकि चरित्रहीन और अपराधियों के द्वारा नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक्स पदार्थो के दुष्प्रयोग में विविध प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं और खतरों को उत्पन्न कर दिया हैं और उन्होंने स्थानीय, राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय स्तर पर ऐसी गतिविधियों की कड़ी को चालू कर दिया है, जिसमें उक्त मादक पदार्थो के दुष्प्रयोग और तस्करी को बढ़ावा दिया है । कानून लागू करने वाली प्रमुख संस्था के रूप में पुलिस से यह अपेक्षा है कि वह मादक द्रव्यों की तस्करी और उनके दुरूपयोग की पहचान और रोकथाम के क्षेत्र में प्रभावी और दक्ष भूमिका अदा करें।

7.6.2 एन. डी. पी. एस. अधिनियम और अन्य प्रयास

नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक पदार्थ (एन. डी. पी. एस.) अधिनियम 1965 के अन्तर्गत किये जाने वाले अपराध गम्भीर प्रकृति के होते हैं, और परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से अधिसंख्य लोगों को जहर देने और अन्तत: मृत्यु देने के समान माने जोते है । यह अपराध पीड़ित व्यक्ति: के जीवन के लिए एक गम्भीर खतरा है, और सामान्य रूप से समाज के समक्ष भी एक खतरा उत्पन्न करता है । विश्व में सभी देशों की पुलिस इन अपराधों से संघर्ष कर रही है । एनडी.पी.एस. एक्ट ने ओपियम एक्ट और डेंजर्स ड्रग्स एक्ट का स्थान ले लिया है । इस अधिनियम में 20 साल की जेल और दो लाख रूपयों के अर्थ दण्ड के प्रावधान के द्वारा दण्ड व्यवस्था ने एक निवारक का कार्य किया है । बहु त से विभागों को, जिसमें पुलिस भी शामिल है, इन मामलों से निपटने के लिए अधिकृत किया गया है । इस अधिनियम के अन्तर्गत किये गये अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है।

7.6.3 शक्तियां. विधियां और अधिकरण

(अ) सभी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट और उन विभागों के राजपत्रित अधिकारी, जिन्हें इन मामलों से निपटने की शक्तियां प्रदान की गई है, सन्देहास्पद परिसरों की सर्च करने के लिए या तो स्वयं अथवा कांस्टेबल या अटेण्डर के रैंक के ऊपर के व्यक्ति के माध्यम से वारन्ट निर्गत कराने में सक्षम है ।

(ब) आपात स्थितियों में उन अधिकृत राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा निर्गत किये गये सर्च वारन्ट की अपेक्षा में भी उक्त पदाधिकारी उन स्थानों की बिना वारन्ट सर्च कर सकते हैं, परन्तु सर्च के तुरन्त बाद सर्च और सीजर की रिपोर्ट उन अधिकारियों को दी जाय, जो सर्च वारन्ट निर्गत करने के लिए सक्षम है।

(स) परन्तु अधिनियम में उपलब्ध कराये गये 'अन्वेषण के लिए विशेष कार्य प्रणाली को पुलिस के द्वारा अंगीकृत करना आवश्यक है।

(द) सर्च और सीजर के दो अलग तरीके है । जबकि परिसर की सर्च करने की विधि ऊपर दिये गये अनुसार है, वहीं व्यक्ति की सर्च करने का तरीका दूसरा निर्धारित किया गया है, जब किसी व्यक्ति की तलाशी लेनी हो, तो उसे यह लिखित में सूचना देनी चाहिए कि वह तलाशी लेने वाले पुलिस अधिकारी के द्वारा अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा एक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अपनी तलाशी करवाना चाहता है। (धरा 50) यदि वह विकल्प देता है कि उसे राजपत्रित अधिकारी या एक मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाए तो तलाशी लेने वाला व्यक्ति तब तक रोके रह सकता है।

(य) कोई राजपत्रित अधिकारी या कोई व्यक्ति जिसे राजपत्रित अधिकारी द्वारा वारन्ट के माध्यम से यह काम सौंपा गया है अथवा जब ऐसा व्यक्ति आपातकाल में बिना वारन्ट के सर्च करता है, यदि वह व्यक्ति एस एच.ओ. नहीं है तो वे गिरफ्तार किये गये व्यक्ति और जप्त किये गये पदार्थ को बिना अनावश्यक देर किये, निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे (धारा 52) और वह प्रभारी अधिकारी उनको अपने प्रभार में लेगा उन वस्तुओं को सुरक्षित रखेगा, जब तक कि उस सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट का आदेश न मिल जाये (धारा 55) गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को पुन: गिरफ्तार किया जायेगा तथा निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष रिमाण्ड के लिए प्रस्तुत किया जायेगा । (सी॰आ॰रपी॰सी. धारा 43)

(र) पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के द्वारा उक्त कार्यवाही में असफल रहना अथवा ऐसे व्यक्ति अथवा पदार्थ प्रभार लेने से मना करना उस प्रभारी अधिकारी को एक वर्ष की सजा अथवा अर्थदण्ड अथवा दोनों दी जा सकती है । (एन॰डी॰पी.एस. दंड 59)

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की 15 से 32 तक की धाराओं में विविध अपराधों के लिए दण्ड की व्यवस्था दी गई है। बहु त से अपराधों, केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए छोटी मात्रा में रखने के अलावा कम से कम दस वर्ष और अधिक से अधिक बीस साल की जेल के दण्ड के योग्य है।

7.7 सारांश

आज भारत में पुलिस को अपार समस्याओं से जूझना पड़ रहा है । उसके समक्ष अपराधों में ज्यादा वृद्धि हु ई है । शहरी क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक स्थिति में आये बदलाव से अपराधों की घटनाओं को प्रभावित किया है । अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के द्वारा आऐ विविध परिवर्तनों को ध्यान में रखते

हुए नगरी पुलिस के लिए यह आवश्यक हो गया है, कि वह व्यावसायिक रूप से विकसित हो, और नये यर्थाथ या परिस्थितियों में अपने आप को इस प्रकार ढाले, ताकि वे अपनी ड्यूटियां प्रभावी तरीके से कर सके, और लोग उनके प्रति विश्वास उत्पन्न और बनाये रख सके । अन्तर्राष्ट्रीय अपराधों के बढ़ते हुए खतरों से निपटने के लिए केवल एक ही रास्ता है, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाकर, नये प्रकार के मैकनिज (व्यवस्था) को विकसित किया जाए और वर्तमान अधिनियमों को सही तरीके से लागू किया जाए । संगठित अपराध सिंडीकेट या गैंग का अर्थ है, ऐसे दो या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह जो या तो अकेले अथवा सम्मिलित रूप से एक सिडीकेंट अथवा गैंग के रूप में संगठित अपराध करने की गतिविधियों में संलिप्त होते हैं । संगठित अपराध ऐसे नेता और उसके सदस्यों, जो उसके प्रति बहुत वफादार होते है, के द्वारा सम्पत्ति, व्यक्तियों और मानव कल्याण के विरूद्ध किये जाते हैं । संगठित अपराध कानून और व्यवस्था, तथा लोक शांति को बडे स्तर पर प्रभावित करते हैं । अन्तर्राष्ट्रीय संचार नेटवर्क और सर्वविद्यमान इण्टरनेट ने राष्ट्रीय सीमाओं को धुंधला या समाप्त कर दिया है और कम्प्यूटर अपराध अपने विस्तार और परिणति दोनों में ही ज्यादा से ज्यादा अन्तर्राष्ट्रीय हो गये हैं । इसने पुलिस और दूसरी कानून लागू करने वाली एजेन्सियों के समक्ष एक नई चुनौती प्रस्तुत की है, कि वे यह सुनिश्चित कर सकें, कि कम्प्यूटर नेटवर्क का प्रयोग करने वाले कम्प्यूटर या साइबर अपराध के शिकारी न बने, और साथ ही वे आवश्यक स्वक्षमता और व्यावसायिक दृष्टि के साथ नये उत्पन्न होने वाले अपराधों का अन्वेषण भी कर सकें । नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ मानवों और जानवरों, दोनों की ही बीमारियों की पहचान, निवारण और उपचार व रोकथाम के लिए किया जाता है । जबकि चरित्रहीन और अपराधियों के द्वारा नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक्स पदार्थो के दुष्प्रयोग में विविध प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं और खतरों को उत्पन्न कर दिया हैं और उन्होंने स्थानीय, राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय स्तर पर ऐसी गतिविधियों की कड़ी को चालू कर दिया है, जिसमें उक्त मादक पदार्थो के दुष्प्रयोग और तस्करी को बढ़ावा दिया है । कानून लागू करने वाली प्रमुख संस्था के रूप में पुलिस से यह अपेक्षा है कि वह मादक द्रव्यों की तस्करी और उनके दुरूपयोग की पहचान और रोकथाम के क्षेत्र में प्रभावी और दक्ष भूमिका अदा करें।

7.8 अभ्यास प्रश्न

1. समसामायिक अपराधों के कौन-कौन से भिन्न स्वरूप है?
2. सफेदपोश अपराध और आर्थिक अपराधों की अवधारणा, प्रयोग और क्षेत्रों की व्याख्या कीजिए।
3. सफेदपोश अपराधों और आर्थिक अपराधों के अन्वेषण के विभिन्न स्तरों और प्रकारों का उल्लेख कीजिए।
4. संगठित अपराधों और संगठित आपराधिक गैंगो की विशेषतायें क्या हैं? वर्णन कीजिए ।
5. एन.डी.पी.एस. अधिनियम की शक्तियों, विधियों और अधिकरण पर एक निबन्ध लिखिए ।
6. संगठित अपराधों से निपटने की विभिन्न विधियों को विस्तृत रूप से समझाइए।

इकाई - 8

महिलाओं, बच्चों और समाज के अन्य असुरक्षित समूहो के विरुद्ध अपराध

इकाई की रूपरेखा

8.0 उद्देश्य
8.1 प्रस्तावना
8.2 महिलाओं के विरुद्ध अपराध
8.3 बच्चों के विरुद्ध अपराध
8.4 समाज के अन्य असुरक्षित समूहों के विरुद्ध अपराध
8.5 सारांश
8.6 अभ्यास प्रश्न

8.1 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप.

- महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों का अध्ययन कर पाऐंगे ।
- बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों का अध्ययन कर पाऐंगे ।
- समाज के अन्य असुरक्षित समूहों के विरूद्ध होने वाले अपराधों का अध्ययन कर पाऐंगे ।
- महिलाओं, बच्चों अन्य असुरक्षित समूहों के विरूद्ध होने वाले अपराधों से सम्बन्धित विभिन्न कानूनी प्रावधानों से अवगत हो पाऐंगे।

8.1 प्रस्तावना

विगत कुछ हजार वर्षा में भारत में महिलाओं की स्थिति में व्यापक परिवर्तन आए हैं । प्राचीन काल में पुरूषों की बराबरी के स्तर से लेकर, मध्यकाल में बदतर स्थिति से होते हुए कई समाज सुधारकों द्वारा समान अधिकारों की पैरोकारी तक, भारत में महिलाओं का इतिहास काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है । आधुनिक भारत में महिलाओं ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष समेत देश के उच्च पदों को सुशोभित किया है । अभी वर्ष 2011 में भारतीय राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा (संसद का निचला सदन) में नेता प्रतिपक्ष सभी महिलाएं हैं । इसके बावजूद हजारों महिलाएं बलात्कार, हत्या, दहेज हत्या, अपहरण, छेड़छाड़ जैसे अपराधों का शिकार हो रही हैं । बच्चे इस देश का भविष्य हैं । ये देश में विकास और समृद्धि लेकर आते हैं । लेकिन बच्चे समाज में सबसे अधिक असुरक्षित हैं और उन्हें आसानी से निशाना बनाया जा रहा है । भारत में हमने बच्चों से संबंधित कई कानून और अधिनियम बनाए हैं, ताकि उन्हें सुरक्षा मिले और उनकी बेहतर परवरिश हो सके।

भारत अपने सभी लोगों और खासकर असुरक्षित वर्गो के कल्याण और विकास के लिए संकल्पित है । भारत के संविधान में देश के सभी नागरिकों को स्थिति और अवसरों की समानता सुनिश्चित की गई है, साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध धर्म, जाति और लिंग

के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकार और विशिष्ट प्रावधान, जैसे, अनुच्छेद 38, 39 एवं 46 राज्य की इसके लोगों के प्रति वचनबद्धता के प्रमाण हैं। राज्य की नीति समाज के कमजोर वर्ग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडे वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के लिए कार्यक्रमों को समर्थन देने के लिए संसाधनों का आवंटन करना और वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करना है ताकि इनके विरूद्ध अन्याय और शोषण रोका जा सके।

8.2 महिलाओं के विरुद्ध अपराध

भारतीय दण्ड संहिता, 1880 -

भारतीय दण्ड संहिता, 1660 अपराधों और उनके दण्ड से संबंधित एक महत्वपूर्ण अधिनियम है । महिलाओं के खिलाफ होने वाले कई जुर्म इसके अंतर्गत आते हैं।

धारा 509 - किसी महिला के शील को अपमानित करने के उद्देश्य से बोले गए शब्द, इशारे या कार्य ।

दण्ड - अधिकतम एक वर्ष तक की अवधि का साधारण कारावास या जुर्माना अथवा दोनों ।

धारा - किसी महिला का शील भंग करने के उद्देश्य से आघात या आपराधिक बल प्रयोग ।

दण्ड - इनमें से किसी भी एक अपराध के लिए अधिकतम दो वर्ष तक की अवधि का किसी भी प्रकृति का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों ।

धारा 498 ए - किसी महिला के प्रति उसके पति या पति के संबंधियों द्वारा क्रूरता दिखाना ।

दण्ड - अधिकतम तीन वर्ष तक की अवधि का कारावास, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है ।

धारा 304 बी - दहेज हत्या

दण्ड - कम से कम सात वर्ष की अवधि का कारावास और अधिकतम उम्र कैद ।

धारा 366 - किसी महिला का उसकी शादी के उद्देश्य से अपहरण करना, भगा ले जाना या फुसलाना आदि ।

दण्ड - इनमें से किसी भी एक अपराध के लिए अधिकतम दस वर्ष तक की अवधि का कारावास, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

और जो कोई भी, इस संहिता में परिभाषित आपराधिक मकसद से डराने के तरीकों से या प्रभाव का दुरूपयोग कर अथवा अन्य किसी तरीके से बाध्य कर किसी महिला को किसी स्थान से जाने के लिए इस उद्देश्य से या यह जानते हुए प्रवृत करता है कि उस महिला को किसी अन्य पुरूष के साथ अवैध संसर्ग के लिए मजबूर किया जाएगा या बहकाया जाएगा, उसे भी पूर्वोक्तानुसार दण्ड दिया जाएगा।

धारा 366 ए - नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संसर्ग ।

दण्ड - अधिकतम दस वर्ष तक की अवधि का कारावास, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है ।

धारा 366 बी - बाह्य देश से किसी लड़की को लेकर आना ।

दण्ड - अधिकतम दस वर्ष तक की अवधि का कारावास, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है ।

धारा 498 - किसी विवाहित महिला को आपराधिक उद्देश्य से प्रलोभन देना या ले जाना अथवा रोक कर रखना ।

दण्ड - इनमें से किसी भी एक अपराध के लिए अधिकतम दो वर्ष तक की अवधि का किसी भी प्रकृति का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों।

धारा 376 - बलात्कार के लिए दण्ड

(1) उप-धारा (2) में उल्लिखित मामलों के अलावा, जो कोई भी व्यक्ति बलात्कार करता है, उसे इनमें से किसी भी एक अपराध के लिए कम से कम सात वर्ष की अवधि का कारावास और अधिकतम उम्र कैद या दस वर्ष तक का कारावास, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जब तक कि बलात्कार पीड़िता उस व्यक्ति की पत्नी न हो, इस मामले में बलात्कारी को अधिकतम दो वर्ष तक की अवधि का किसी भी प्रकृति का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

यह भी प्रावधान है कि अदालत निर्णय में उचित और विशेष कारण का उल्लेख करते हुए सात वर्ष से कम अवधि के कारावास का दण्ड भी दे सकती है।

(2) जो कोई -

(ए) पुलिस अधिकारी होते हुए बलात्कार करता है -

(i) जिस पुलिस थाने में वह नियुक्त है, उसकी सीमा में, या

(ii) किसी थाने के परिसर में, चाहे वह उस पुलिस थाने में नियुक्त है अथवा नहीं, या

(iii) ऐसी महिला से जो उसकी या उसके अधीनस्थ अधिकारी की अभिरक्षा में है, या

(बी) एक लोकसेवक होते हुए अपनी आधिकारिक स्थिति का फायदा उठाता है और बतौर लोकसेवक अपनी अभिरक्षा या अपने अधीनस्थ लोकसेवक की अभिरक्षा में किसी महिला से बलात्कार करे, या

(सी) किसी कारागर. सुधार गृह या उस समय प्रवर्तित किसी कानून द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित अभिरक्षा गृह अथवा महिलाओं या बच्चों के किसी संस्थान के प्रबंधन में या कर्मचारी रहते हुए अपनी आधिकारिक स्थिति का फायदा उठाता है और ऐसे कारागार, सुधार गृह, स्थान या संस्थान की किसी संवासी से बलात्कार करे, या

(डी) किसी अस्पताल के प्रबंधन में या इसका कर्मचारी रहते हुए अपनी आधिकारिक स्थिति का फायदा उठाता है और अस्पताल में किसी महिला से बलात्कार करता है, या

(ई) किसी भी महिला से यह जानते हुए भी बलात्कार करता है कि वह गर्भवती है, या

(एफ) 12 वर्ष से कम आयु की लड़की से बलात्कार करता है, या

(जी) सामूहिक बलात्कार करता है,

उसे कम से कम दस वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया जा सकता है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है ।

यह भी प्रावधान है कि अदालत निर्णय में उचित और विशेष कारण का उल्लेख करते हुए दस वर्ष से कम अवधि के किसी भी प्रकृति के कारावास का दण्ड भी दे सकती है ।

स्पष्टीकरण 1

जब एक समूह में शामिल व्यक्तियों में से एक या अधिक उनकी सामूहिक मंशा को आगे बढ़ाते हुए किसी महिला से बलात्कार करें, तो इस उप-धारा के अर्थ में माना जाएगा कि समूह में शामिल सभी व्यक्तियों ने सामूहिक बलात्कार किया है।

स्पष्टीकरण 2

"महिलाओं अथवा बच्चों के संस्थान' से अभिप्राय ऐसे संस्थान से है, जिसे महिलाओं या बच्चों के ठहरने और उनकी देखभाल के लिए स्थापित किया गया हो और चलाया जा रहा हो, चाहे इसे अनाथालय कहा जाए या उपेक्षित महिला गृह बाल गृह विधवा गृह या फिर कोई अन्य नाम।

स्पष्टीकरण 3

"अस्पताल" से अभिप्राय अस्पताल के परिसर से है और इसमें ऐसे किसी संस्थान का परिसर भी शामिल है, जहां स्वास्थ्य लाभ कर रहे व्यक्तियों को अथवा चिकित्सकीय देखरेख या सुधार की जरूरत रखने वाले लोगों को ठहराया जाता हो और उनका उपचार किया जाता हो।

धारा 376 ए - अलगाव के दौरान एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के साथ संसर्ग करना।

दण्ड - अधिकतम दस वर्ष तक की अवधि का किसी भी प्रकृति का कारावास, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

धारा 376 बी - लोकसेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में महिला से संसर्ग करना ।

दण्ड - अधिकतम पांच वर्ष तक की अवधि का किसी भी प्रकृति का कारावास, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

धारा 376 सी - कारावास, सुधारगृह अभिरक्षा गृह आदि के अधीक्षक द्वारा संसर्ग करना ।

दण्ड - अधिकतम पांच वर्ष तक की अवधि का कारावास, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है ।

धारा उर6 डी - किसी अस्पताल के प्रबंधन के सदस्य या कर्मचारी द्वारा अस्पताल में किसी महिला से संसर्ग करना ।

दण्ड - अधिकतम पांच वर्ष तक की अवधि का कारावास, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है ।

आपराधिक दण्ड प्रक्रिया संहिता, व 973 (सी.आर.पीसी.)

125 - पत्नी, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण का आदेश

प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, अनदेखी या इनकार का प्रमाण मिलने पर, किसी व्यक्ति को उसकी पत्नी, बच्चे, माता या पिता के भरण-पोषण के लिए उन्हें मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दे सकता है । ऐसे गुजारा भत्ते की दर मजिस्ट्रेट अपने विवेक से तय कर सकता है। संबंधित आश्रित को गुजारा भत्ता देने के लिए मजिस्ट्रेट समय-समय पर उस व्यक्ति को निर्देश जारी कर सकता है।

यह प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट यदि इस बारे में संतुष्ट हो जाता है कि किसी विवाहित नाबालिग लड़की का पति पर्याप्त साधन संपन्न नहीं है तो वह संबंधित नाबालिग लड़की के पिता को उसे गुजारा भला देने के लिए निर्देश दे सकता है, जब तक कि वह बालिग नहीं हो जाती।

आगे यह प्रावधान है कि इस उप-धारा के अंतर्गत यदि मासिक गुजारा भला तय करने की प्रक्रिया लंबित है, तो मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को उसकी पत्नी, बच्चे, माता या पिता के अंतरिम

भरण-पोषण के लिए उन्हें मासिक गुजारा और इस प्रक्रिया का खर्च, जो मजिस्ट्रेट को उचित लगे, देने का आदेश दे सकता है । यह भुगतान करने के लिए मजिस्ट्रेट समय-समय पर उस व्यक्ति को निर्देश जारी कर सकता है।

यह भी प्रावधान है कि अंतरिम भरण-पोषण के लिए मासिक गुजारा भत्ता और आगे की प्रक्रिया के लिए खर्च की अर्जी का निपटारा, जहां तक संभव हो, संबंधित व्यक्ति को अर्जी का नोटिस देने की तारीख से 60 दिन के भीतर हो जाए।

जिस व्यक्ति को यह आदेश दिया गया है, वह यदि बिना पर्याप्त कारण के निर्देश का पालन नहीं कर पाता है, तो मजिस्ट्रेट, ऐसे प्रत्येक आदेश के उल्लंघन के लिए, चलन के मुताबिक जुर्माना समेत देय राशि की वसूली के लिए वारण्ट जारी कर सकता है । यदि भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण का पूरा मासिक गुजारा भत्ता या उसका कोई हिस्सा और प्रक्रिया का खर्च, जो भी हो, वारण्ट निष्पादन के बाद भी बकाया रह जाता है, तो मजिस्ट्रेट संबंधित व्यक्ति को एक माह या भुगतान किए जाने की तिथि, जो भी जल्दी हो, की अवधि तक कारावास में भेजने का आदेश दे सकता है।

यह प्रावधान है कि इस धारा में किसी राशि की वसूली के लिए कोई वारण्ट जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि राशि बकाया होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर ऐसी राशि की वसूली के लिए अर्जी नहीं दी गई हो।

आगे प्रावधान है कि यदि संबंधित व्यक्ति उसकी पत्नी को साथ रहने की शर्त पर गुजारा भत्ता देने का प्रस्ताव रखता है, और वह उसके साथ रहने से इनकार कर देती है, ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट उसके द्वारा इनकार करने के आधारों पर विचार कर सकता है । यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो जाता है कि उसके इनकार करने का उचित आधार है, तो वह इस धारा के अंतर्गत संबंधित व्यक्ति के प्रस्ताव के बावजूद भी आदेश जारी कर सकता है।

दहेज प्रतिशेध अधिनियम, 1961

दहेज देने या लेने पर दण्ड -

कम से कम पांच साल के कारावास और कम से कम पंद्रह हजार रूपए या दहेज के मूल्य के बराबर राशि, जो भी अधिक हो, के जुर्माने की सजा का प्रावधान।

यह प्रावधान है कि अदालत उचित और विशेष कारण का फैसले में उल्लेख करते हुए पांच वर्ष से कम अवधि के कारावास की सजा भी सुना सकती है।

(2) उप-धारा (1) के प्रावधान इन पर या इनके संबंध में लाग नहीं होंगे -

विवाह के समय वधू को दिए गए उपहार (इस संबंध में कोई भी मांग नहीं की गई हो), बशर्ते कि ऐसे उपहारों की सूची इस अधिनियम के नियमों के अंतर्गत तैयार की गई हो,

विवाह के समय वर को दिए गए उपहार (इस संबंध में कोई भी मांग नहीं की गई हो), बशर्ते कि ऐसे उपहारों की सूची इस अधिनियम के नियमों के अंतर्गत तैयार की गई हो,

आगे प्रावधान है कि यदि ऐसे उपहार वधू या उसकी ओर से या वधू से संबंधित किसी व्यक्ति की ओर से दिए गए हों, तो ऐसे उपहार रिवाज के तौर पर दिए गए होते हैं और इनका मूल्य उस व्यक्ति की वित्तीय स्थिति से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसे उपहार दिए गए हों।

दहेज मांगने के लिए दण्ड

कम से कम छह माह और अधिकतम दो वर्ष तक की अवधि के कारावास और अधिकतम दस हजार रूपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान ।

यह प्रावधान है कि अदालत उचित और विशेष कारण का फैसले में उल्लेख करते हुए छह माह से कम अवधि के कारावास की सजा भी सुना सकती है ।

खास उद्देश्य के लिए संज्ञेय और जमानती और गैर-यौगिक अपराध

(1) इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराधों पर संज्ञेय और गैर-संयोजनीय अपराधों के तौर पर आपराधिक दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 लाग होगी -

(ए) ऐसे अपराधों की जांच के लिए और

(बी) इन मामलों के अलावा अन्य के लिए -

(i) सी॰आर॰पी॰सी की धारा 42 में आने वाले मामले, और

(ii) बिना वारण्ट या बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी.

(2) इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी अपराध गैर-जमानती और गैर-संयोजनीय होंगे ।

अनैतिक देह व्यापार (निरोध) अधिनियम 1956

धारा 3 - वेश्यालय चलाने या अपने परिसर के वेश्यालय के तौर पर उपयोग की अनुमति देने पर दण्ड

पहली बार दोषी ठहराए जाने पर कम से कम एक वर्ष और अधिकतम तीन वर्ष तक की अवधि का कारावास और अधिकतम दो हजार रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान,

और दूसरी या अधिक बार दोषी ठहराए जाने पर, कम से कम दो वर्ष और अधिकतम पांच वर्ष तक की अवधि का कारावास और अधिकतम दो हजार रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान।

(2) कोई व्यक्ति जो -

(ए) किराएदार, पट्टेदार, दखलदार या किसी परिसर का प्रभारी रहते हुए उस परिसर को या उसके किसी हिस्से को वेश्यालय के तौर पर इस्तेमाल करता है या जान-बूझ कर किसी अन्य व्यक्ति को वेश्यालय के तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति देता है, या

(बी) किसी परिसर के मालिक, पट्टादाता या भूस्वामी होने या ऐसे मालिक, पट्टादाता या भूस्वामी का प्रतिनिधि होने के नाते, यह जानते हुए परिसर के प्रयोग की अनुमति देता है कि उस परिसर या उसके किसी हिस्से को वेश्यालय के तौर पर इस्तेमाल किए जाने का उद्देश्य है

संबंधित व्यक्ति को पहली बार दोषी पाए जाने पर दो वर्ष के कारावास व अधिकतम दो हजार रुपए के जुर्माने और इसके बाद दोषी पाए जाने पर अधिकतम पांच वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है ।

(2-ए) उप-धारा (2) के संबंध में जब तक कि इसका विपरीत साबित नहीं हो जाए, उपधारा के खंड (ए) और खंड (बी) के तहत यह माना जाएगा कि संबंधित व्यक्ति जानते-बूझते परिसर या उसके किसी हिस्से को वेश्यालय के तौर पर इस्तेमाल की अनुमति दे रहा है या, उसे जानकारी है कि परिसर या उसके किसी हिस्से का इस्तेमाल वेश्यालय के तौर पर किया जा रहा है, यदि, -

(ए) इस एक्ट के अंतर्गत की गई जांच में यह पाया जाता है कि परिसर या उसके किसी हिस्से का इस्तेमाल वेश्यालय के तौर पर किया जा रहा है और इस बारे में कोई रिपोर्ट उस क्षेत्र में

वितरित होने वाले समाचारपत्र में प्रकाशित होती है, जिसमें कि संबंधित व्यक्ति निवास करता है ।

(बी) खंड (ए) में वर्णित खोज के अंतर्गत मिली वस्तुओं की सूची की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को दी जाती है।

(3) किसी व्यक्ति के उपधारा (2) के खंड (ए) और खंड (बी) में परिसर या उसके किसी हिस्से के उपयोग के संबंध में दोषी पाए जाने पर, उस समय लागू किसी अन्य कानून में चाहे जो उल्लेख हो, ऐसा कोई भी पट्टा या इकरारनामा जिसके द्वारा संबंधित परिसर पट्टे पर दिया गया है या किराए पर लिया गया है या उपयोग में लिया जा रहा है, अवैध और अप्रभावी माना जाएगा।

धारा 4 - वेश्यावृत्ति की आय पर जीवन-यापन करने पर दण्ड

अधिकतम दो वर्ष तक के कारावास या अधिकतम एक हजार रूपए तक के जुर्माने अथवा दोनों, और यदि इसका संबंध बाल या अवयस्क की वेश्यावृत्ति से है, तो कम से कम सात वर्ष और अधिकतम दस वर्ष तक का कारावास ।

(2) जब यह साबित हो जाए कि 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति -

(ए) किसी वेश्या के साथ रह रहा है या आदतन उसके संग में है, या

(बी) किसी वेश्या की गतिविधियों को यह दिखाने के लिए नियंत्रित. निर्देशित या प्रभावित करता है कि वह उसे वेश्यावृत्ति करने में मदद कर रहा है, उकसा रहा है अथवा मजबूर कर रहा है, या

(सी) किसी वेश्या के लिए दलाल या भडुआ के तौर पर कार्य कर रहा है,

यदि विपरीत साबित न हो जाए तब तक यह माना जाएगा कि संबंधित व्यक्ति उपधारा (1) में वर्णित अन्य व्यक्ति की वेश्यावृति से अर्जित आय पर जीवन-यापन कर रहा है।

धारा 13 - विशेष पुलिस अधिकारी और सलाहकार संस्था

(1) राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे प्रत्येक इलाके के लिए राज्य सरकार द्वारा या उसकी तरफ से एक विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जो उस इलाके में संबंधित कानून के अंतर्गत आने वाले अपराधों से निपटेगा ।

(2) ऐसा विशेष पुलिस अधिकारी पुलिस इंसपेक्टर से नीचे की रैंक का नहीं होगा ।

स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिशेध) अधिनियम, 1988

धारा 3- महिलाओं का अश्लील निरूपण करने वाले विलापनों पर रोक ।

कोई भी व्यक्ति महिलाओं को किसी भी रूप में अश्लील तौर पर निरूपित करने वाले विज्ञापनों को प्रकाशित नहीं करेगा या प्रकाशित करने का कारण नहीं बनेगा या व्यवस्था नहीं करेगा और न ही उसके प्रकाशन या प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेगा ।

धारा 4 - महिलाओं के अश्लील निरूपण वाली पुस्तक-पुस्तिकाओं आदि के प्रकाशन और इन्हें डाक से भेजने पर रोक।

कोई भी व्यक्ति महिलाओं के किसी भी रूप में अश्लील निरूपण वाली पुस्तकों, पुस्तिकाओं, पर्चो, स्ताइड, फिल्म, लेखों, हस्तचित्रों, पेंटिंग, फोटोग्राफ, चित्रण या आकृति का उत्पादन नहीं करेगा

या उत्पादन का कारण नहीं बनेगा, न ही बेचेगा, किराए पर देगा, वितरित, परिसंचारित करेगा या डाक से भेजेगा ।

यह प्रावधान है कि इस धारा का कोई भी हिस्सा नीचे दिए गए संदर्भ में लागू नहीं होगा -

(ए) कोई पुस्तक, पुस्तिका, पर्चा, स्लाइड, फिल्म, लेख, हस्तचित्र, पेंटिंग, फोटोग्राफ, चित्रण या आकृति-

(i) जिसका प्रकाशन जनहित में इस आधार पर न्यायोचित साबित किया गया हो कि ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, पर्चा, स्लाइड, फिल्म, लेख, हस्तचित्र, पेंटिंग, फोटोग्राफ, चित्रण या आकृति का प्रकाशन विज्ञान, साहित्य, कला, या ज्ञान या किसी अन्य उद्देश्य के सामान्य हित में हो, या

(ii) जिसे धार्मिक उद्देश्य से रखा या नेकनीयत से इस्तेमाल किया जा रहा हो

(बी) इनमें या इन पर गढ़ा हुआ, उत्कीर्ण, पेंट किया हुआ या अन्य रूप में चित्रित कोई भी चित्रण-

(i) प्राचीन स्मारक और पुरातत्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958(1958 के 24) के अंतर्गत कोई भी प्राचीन स्मारक, या

(ii) कोई मंदिर, या देवताओं के आवागमन के लिए प्रयोग किया जाने वाला या धार्मिक उद्देश्य के लिए रखा गया या प्रयोग किया जाने वाला कोई स्थल,

(सी) कोई फिल्म जिसके संदर्भ में सिनेमेटोग्राफ एक्ट, 1952 के भाग दो के प्रावधान लागू हों।

धारा 6 - दण्ड

धारा 3 व धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को पहली बार दोषी साबित होने पर दोनों में से किसी भी प्रकृति का अधिकतम दो वर्ष तक का कारावास और अधिकतम दो हजार रुपए तक का जुर्माना, और दूसरी या अधिक बार दोषी साबित होने पर कम से कम छह माह और अधिकतम पांच वर्ष तक की अवधि का कारावास, साथ ही कम से कम दस हजार रुपए और अधिकतम एक लाख रुपए तक का जुर्माना।

धारा 7- कम्पनियों द्वारा अपराध।

(1) यदि इस अधिनियम में कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो, ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध घटित होते समय कम्पनी का प्रभारी था और कम्पनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कम्पनी के प्रति उत्तरदायी था, साथ ही साथ कम्पनी भी, अपराध के दोषी माने जाएंगे और उनके खिलाफ अभियोग चलाए जाने के और तदनुसार दण्डित किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे,

यह प्रावधान है कि इस उपधारा में उल्लिखित कुछ भी ऐसे किसी व्यक्ति को दण्डित किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं मानेगा, जो यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसा अपराध घटित होने से रोकने के लिए पूरे परिश्रम से प्रयास किया था ।

(2) यदि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाता है और यह साबित हो जाता है कि अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौन सहमति से अथवा उसकी तरफ से किसी लापरवाही के कारण हुआ है,

तो उपधारा (1) में उल्लिखित किसी भी अंश के बावजूद, ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी के खिलाफ अभियोग चलाया जाएगा और उसे तद्नुसार दण्डित किया जाएगा।

व्याख्या - इस धारा के संबंध में -

(ए) कम्पनी का अर्थ किसी भी कॉरपोरेट से है और इसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का संघ भी शामिल है, और

(बी) 'निदेशक का अर्थ किसी फर्म के संदर्भ में फर्म के साझेदार से है ।

धारा 8 - संज्ञेय और जमानती अपराध ।

इस अधिनियम में वर्णित सभी अपराध संज्ञेय और जमानती होंगे ।

स्त्री घरेलू हिंसा बचाव अधिनियम, 2005

घरेलू हिंसा की परिभाषा :-

इस अधिनियम के संदर्भ में घरेलू हिंसा का आशय ऐसे किसी भी कार्य, लोप या करने या प्रतिवादी के आचरण से है, जो -

(ए) पीड़ित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, हाथ-पैर या कुशलक्षेम को मानसिक या शारीरिक तौर पर चोट पहुंचाता हो, नुकसान पहुंचाता हो या खतरे में डालता हो या ऐसा करने का इरादा रखता हो और इसमें शारीरिक प्रताड़ना, यौन, शाब्दिक, भावनात्मक और आर्थिक प्रताड़ना शामिल है, या

(बी) दहेज, कोई अन्य संपत्ति या कोई कीमती जमानत की गैरकानूनी मांग को मनवाने के लिए पीड़ित व्यक्ति को या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को उसे प्रताड़ित करने के उद्देश्य से परेशान करे, चोट या नुकसान पहुंचाए या खतरे में डाले, या

(सी) परिच्छेद (ए) या (बी) में वर्णित किसी भी आचरण द्वारा पीड़ित व्यक्ति या उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति को धमकाने का प्रभाव उत्पन्न किया हो, या

(डी) किसी अन्य प्रकार से पीड़ित व्यक्ति को, चाहे शारीरिक या मानसिक तौर पर, चोट या नुकसान पहुंचाए।

स्पष्टीकरण 1 - इस अनुच्छेद के संदर्भ में -

(i) "शारीरिक दुर्व्यवहार" का अभिप्राय ऐसे किसी भी कार्य या आचरण से है जो इस प्रकृति का हो कि उससे पीड़ित व्यक्ति को शारीरिक कष्ट, नुकसान पहुंचता हो अथवा जीवन, हाथ-पैर या स्वास्थ्य को खतरा होता हो या फिर उसके स्वास्थ्य या विकास को रूकावट पहुंचती हो,

(ii) "यौन दुर्व्यवहार" का अभिप्राय यौन प्रकृति के ऐसे किसी भी आचरण से है जो महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाता हो, अपमानित करता हो, नीचा दिखाता हो या फिर किसी अन्य प्रकार से उसे भंगकरता हो,

(iii) "शाब्दिक और भावात्मक दुर्व्यवहार" का अभिप्राय है -

(ए) अपमानित करना, उपहास उड़ाना, नीचा दिखाना, अपशब्द कहना और खासकर संतान या लड़का नहीं होने के कारण अपमानित करना या उपहास उड़ाना, और

(बी) जिस व्यक्ति में पीड़ित व्यक्ति की रूचि है उसे शारीरिक कष्ट पहुंचाने की बारम्बार धमकी देना।

(iv) "आर्थिक दुर्व्यवहार का अभिप्राय है -

(ए) पीड़ित व्यक्ति किसी कानून या प्रथा के अंतर्गत जिन आर्थिक या वित्तीय संसाधनों का हकदार है, उन सबसे या उनमें से किसी से भी पीड़ित व्यक्ति को वंचित रखना । चाहे ये संसाधन उसे कोर्ट के आदेश के अधीन देय हों या किसी अन्य प्रकार से या फिर पीड़ित व्यक्ति को अपनी अथवा अपने बच्चों की आवश्यकताओं सिर्फ घरेलू आवश्यकता तक ही - सीमित नहीं, की पूर्ति के लिए इनकी जरूरत हो या उसका स्त्रीधन या फिर पीड़ित व्यक्ति की साझे या एकल स्वामित्व की कोई संपत्ति हो अथवा साझी गृहस्थी का किराया या गुजारा खर्च हों,

(बी) घरेलू सामान पर अधिकार जमा लेना, चल अथवा अचल सम्पत्ति, बहुमूल्य वस्तुओं, शेयर, प्रतिभूतियों, बॉण्ड्स, पीड़ित व्यक्ति के स्त्रीधन या फिर उसके साझे या फिर एकल स्वामित्व की किसी वस्तु अथवा ऐसी किसी अन्य संपत्ति को बेच देना, जिसमें पीड़ित व्यक्ति की भी रूचि हो या फिर घरेलू संबंध के कारण वह इन्हें इस्तेमाल करने का हक रखता हो या फिर जिसकी उसे और उसके बच्चों समुचित रूप से जरूरत पड़ सकती हो, और

(सी) पीड़ित व्यक्ति को घरेलू संबंध के कारण जिन संसाधनों या सुविधाओं को इस्तेमाल करने या आनंद लेने का है, उन तक और साझा उपयोग के घरेलू सामान तक निर्बाध पहुंच पर रोक लगाना या बाधा डालना ।

स्पष्टीकरण 2 - यह तय करने के लिए कि क्या प्रतिवादी का कोई कार्य, लोप, अधिकार या आचरण इस अनुच्छेद के अंतर्गत 'घरेलू हिंसा' की परिधि में आता है, मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाएगा।

आर्थिक राहत -

(1) अनुच्छेद 12 की उपधारा (1) के अंतर्गत किसी आवेदन के निस्तारण के समय, मजिस्ट्रेट पीड़ित व्यक्ति और उसकी संतान के घरेलू हिंसा के कारण नुकसान और खर्च की क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिवादी को आर्थिक राहत देने के लिए कह सकता है और ऐसी राहत में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं, हालांकि राहत सिर्फ इन्हीं बिन्दुओं तक सीमित नहीं की गई है -

(ए) आय की हानि,

(बी) चिकित्सा खर्च,

(सी) पीड़ित व्यक्ति के नियंत्रण की किसी संपत्ति को नष्ट करने, उसे नुकसान पहुंचाने या उसके नियंत्रण से किसी संपत्ति को हटाने के कारण हुआ नुकसान, और

(डी) सी. आर. पी. सी की धारा 125 या उस समय लागू कानून के तहत जारी गुजारा भत्ते के आदेश को शामिल करते हुए या उसके अतिरिक्त भरण-पोषण ।

(2) इस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई आर्थिक राहत पर्याप्त, न्यायसम्मत व यथोचित होगी और पीड़ित व्यक्ति जिस जीवन स्तर पर रहने का अभ्यस्त है, उसके अनुरूप होगी ।

(3) मजिस्ट्रेट के पास मामले की प्रकृति और परिस्थितियों के अनुरूप उचित एकमुश्त भुगतान या भरण-पोषण के मासिक भुगतान तय करने की शक्ति होगी।

(4) मजिस्ट्रेट उपधारा (1) के अंतर्गत दिए गए आर्थिक राहत के आदेश की प्रति आवेदन की सभी पार्टियों को और उस' थाने के प्रभारी को भेजेगा, जिसकी भौगोलिक सीमा के अंदर प्रतिवादी निवास करता है।

(5) प्रतिवादी उपधारा (1) के अंतर्गत दिए गए आर्थिक राहत के आदेश में वर्णित समय के अंदर पीड़ित व्यक्ति को ऐसी राहत उपलब्ध कराएगा।

(6) उपधारा (1) के अंतर्गत दिए गए आर्थिक राहत के आदेश के अनुरूप भुगतान करने में प्रतिवादी के विफल रहने पर, मजिस्ट्रेट प्रतिवादी के नियोक्ता या किसी देनदार को सीधे पीड़ित व्यक्ति को ऐसा भुगतान करने के लिए कह सकता है या प्रतिवादी के हिस्से आने वाले वेतन-भत्ते या लेनदारी का एक हिस्सा कोर्ट में जमा करने के लिए कह सकता है, जिस रकम को प्रतिवादी पर निकलने वाली आर्थिक राहत में समायोजित कर लिया जाएगा।

अभिरक्षा आदेश -

उस समय प्रभावी किसी भी कानून के बावजूद मजिस्ट्रेट संरक्षण आदेश या इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी राहत के आवेदन पर सुनवाई करते हुए मजिस्ट्रेट पीड़ित व्यक्ति के बच्चे या बच्चों को अस्थायी रूप से पीड़ित व्यक्ति या उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति की अभिरक्षा में सौंप सकता है और यदि जरूरी हो तो ऐसे बच्चे या बच्चों से प्रतिवादी की मुलाकात की व्यवस्था का भी उल्लेख कर सकता है ।

यह प्रावधान है कि यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि प्रतिवादी से मुलाकात ऐसे बच्चे या बच्चों के हित के लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो वह मुलाकात के आग्रह को ठुकरा भी सकता है ।

क्षतिपूर्तिआदेश -

इस अधिनियम के अंतर्गत दी गई अन्य राहतों के अतिरिक्त, मजिस्ट्रेट पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर प्रतिवादी को घरेलू हिंसा के उसके आचरण के कारण पीड़ित को पहुंचे मानसिक त्रास और भावनात्मक दुःख समेत चोटों की क्षतिपूर्ति देने का आदेश जारी कर सकता है।

संरक्षण आदेश का उल्लंघन करने पर सजा -

दोनों में से किसी भी प्रकार की एक वर्ष तक की सजा या अधिकतम 20 हजार रूपए तक जुर्माना अथवा दोनों।

मामले की सुनवाई वही जज करेगा, जिसके आदेश का उल्लंघन कथित तौर पर आरोपी द्वारा किया गया है ।

(3) उपधारा (1) में आरोप तय करते समय, मजिस्ट्रेट आई॰पी॰सी की धारा 498 ए या इस कोड के अन्य किसी प्रावधान या दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के तहत भी आरोप तय कर सकता है, यदि तथ्य इन प्रावधानों में हुए किसी अपराध का खुलासा करते हों।

8.3 बच्चो के विरुद्ध अपराध

भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं ।

संवैधानिक प्रावधान :-

प्रस्तावना वचनबद्धता : बच्चों समेत देश के सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा संविधान के मुख्य उद्देश्य हैं।

अनुच्छेद 14 - 'कानून के समक्ष समानता' तथा कानून का समान सरंक्षण'- यह अधिकार बच्चों समेत प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है।

अनुच्छेद 15(3) - इसमें सरकार को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानूनी प्रावधान बनाने की इजाजत दी गई है । यह सरकार को संविधान के अनुरूप बाल कल्याण सुनिश्चित करने का आदेश देता है ।

अनुच्छेद 21 - यह 8 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य तथा मुफ्त शिक्षा देने का आदेश देता है ।

अनुच्छेद 24 - बंधुआ मजदूरी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाता है । अनुच्छेद 51 ए खण्ड (के) एवं (जे)- इसमें छह साल से 14 साल तक की आयु के बच्चे के माता-पिता या अभिभावक अथवा संरक्षक को अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्त्व भी बच्चों को अनुच्छेद 39 (ई), अनुच्छेद 39 (एफ), अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 47 में संरक्षण उपलब्ध कराते हैं ।

किशोर न्याय (देखरेख और सुरक्षा कानून), 2000

धारा 2 (के) - किशोर या बाल से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी न की हो,

धारा 2 (एल) - वे किशोर जिन्होंने संविधान सम्मत तरीके से स्थापित विधि का जाने-अनजाने उल्लंघन किया हो

धारा 23 - किशोर या बाल के प्रति क्रूरता का दण्ड -

6 माह तक की अवधि के कारावास या सजा या दोनों का प्रावधान

धारा 24 (1) - किशोर या बाल को भिक्षावृत्ति के काम पर लगाना -

अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान

(2) वह व्यक्ति, जिस पर किसी किशोर या बाल की जिम्मेदारी है या नियंत्रण है और वह उपधारा (1) में वर्णित अपराध को बढ़ावा देता है, उसे भी अधिकतम एक वर्ष तक की अवधि के कारावास और जुर्माने का दण्ड दिए जाने का प्रावधान है।

धारा 25 - किशोर या बाल को मादक पेय या नशीली दवा या मनःप्रभावी द्रव्य देने की सजा -

अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान

धारा 28 - किशोर या बाल कर्मचारी का शोषण -

अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान

बालश्रम इश्नषेध एवं नियामक) कानून, 1988

14. दण्ड - धारा 3,9, 11 और कानून के प्रावधानों के अंतर्गत उल्लंघनकर्ता को -

(1) कम से कम तीन माह और अधिकतम एक वर्ष तक के कारावास या कम से कम दस हजार रुपए अधिकतम 20 हजार रुपए तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान है ।

(2) कम से कम छह माह और अधिकतम दो वर्ष की अवधि के कारावास का प्रावधान है ।

(3) अधिकतम एक माह तक के साधारण कारावास या दस हजार रूपए तक के जुर्माने अथवा दोनों का प्रावधान है ।

बालश्रम के विरुद्ध ये कानून भी हैं -

फैक्ट्री अधिनियम, 1948

अपरारधी परिवीक्षा अधिनियम, 1959

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1988

प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) अधिनियम. 2002।

8.4 समाज के अन्य असुरक्षित समूहों के विरुद्ध अपराध

संवैधानिक अधिकार

संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा । साथ ही यह प्रत्येक नागरिक को स्थिति और अवसर की समानता की गारंटी भी देता है।

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955

धारा 3 - धार्मिक निर्योग्यता लागू करने के लिए दण्ड.

धारा 4 - सामाजिक निर्योग्यता लागू करने के लिए दण्ड

धारा 5 - किसी व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करने से इनकार करने पर दण्ड

धारा 6 - वस्तुओं की बिक्री या सेवाएं देने से इनकार करने पर दण्ड

धारा 7 - 'अस्पृश्यता से जुड़े अन्य अपराधों के लिए दण्ड

धारा 3 से धारा 7(1) और 7(2) तक के अपराधों के लिए दण्ड इस प्रकार है -

कम से कम एक माह और अधिकतम छह माह की अवधि के कारावास का प्रावधान । साथ ही कम से कम सौ रुपए और अधिकतम पांच सौ रुपए के जुर्माने का प्रावधान।

धारा 7(1ए) जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर या उसकी सम्पत्ति के विरुद्ध कोई अपराध उसके द्वारा किसी ऐसे अधिकार के, जो संविधान के अनुच्छेद 17 के अधीन 'अस्पृश्यता' का अन्त करने के कारण उसे मिला है, प्रयोग किए जाने के प्रतिशोध के रूप में या बदला लेने की भावना से करेगा, वह जहाँ अपराध दो वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय है, वहां कम से कम दो वर्ष की अवधि के कारावास से और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा ।

धारा 7 (ए) - विधिविरूद्ध अनिवार्य श्रम जब 'अस्पृश्यता का आचरण समझा जाएगा -

कम से कम तीन माह और अधिक से अधिक छः माह की अवधि के कारावास से, साथ ही कम से कम सौ रूपए और अधिकतम पांच सौ रूपए तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

धारा 3 - अत्याचार के अपराध के लिए दण्ड -

दोषी व्यक्ति को कम से कम 8 माह और अधिकतम पाँच साल तक के कारावास, साथ ही जुर्माने की सजा का प्रावधान है।

(2) कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है और -

(i) यदि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के खिलाफ झूठी गवाही देता है या झूठे साक्ष्य गढ़ता है जिसका आशय किसी ऐसे अपराध में फंसाना है जिसको सजा उस समय लागू कानून के मुताबिक मृतुदण्ड है, तो वह जुर्माने सहित आजीवन कारावास की सजा से दण्डनीय होगा । इस झूठी या गढ़ी हुई गवाही के कारणअनुचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी निर्दोष सदस्य को फाँसी की सजा सुनाई और दी जाती है तो ऐसी झूठी गवाही देने वाला मृत्युदंड की सजा से दण्डनीय होगा ।

(ii) यदि वह मिथ्या साक्ष्य के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी सिद्ध कराता है जिसमें सजा मृत्युदण्ड नहीं लेकिन सात वर्ष या उससे अधिक है तो वह कम से कम छह माह और अधिकतम सात वर्ष के कारावास, साथ ही जुर्माने की सजा से दण्डनीय होगा,

(iii) आग अथवा किसी विस्फोटक पदार्थ द्‌वारा किसी ऐसे मकान को नष्ट करता है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का है, वह कम से कम छह माह और अधिकतम सात वर्ष के कारावास के साथ जुर्माने की सजा से दण्डनीय होगा ।

(iv) आग अथवा किसी विस्फोटक पदार्थ द्‌वारा किसी ऐसे मकान को नष्ट करता है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्‌वारा साधारणत: पूजा के स्थान के रूप में या मानव आवास के स्थान के रूप में या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए किसी स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है, वह आजीवन कारावास के साथ जुर्माने की सजा से दण्डनीय होगा।

(v) भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरूद्ध दस वर्ष या अधिक की सजा से दण्डनीय कोई अपराध करता है और उस व्यक्ति या संपत्ति का संबंध अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से है, तो यह अपराध आजीवन कारावस और जुर्माने की सजा से दण्डनीय होगा ।

(vi) यह जानते हुए या इस पर विश्वास करने के पर्याप्त कारण होते हुए कि इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध किया गया है, अपराध कारित होने के किसी साक्ष्य को इस इरादे से गायब होने देता है ताकि अपराधी कानूनी सजा से बच जाए अथवा अपराध के संबंध में जानते-बूझते कोई असत्य जानकारी देता है, तो ऐसा व्यक्ति इस अपराध के लिए तय सजा से दण्डनीय होगा, या

(vii) लोक सेवक होते हुए इस धारा के अधीन कोई अपराध करेगा, वह कम से कम एक वर्ष से लेकर इस अपराध के लिए उपबंधित दण्ड से दण्डनीय होगा।

धारा 4 - कर्त्तव्यों की उपेक्षा के लिए दण्ड

कोई भी सरकारी कर्मचारी' /अधिकारी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, अगर वह जानबूझ कर इस अधिनियम के पालन करने में लापरवाही करता है तो उसे जुर्माने सहित 8 माह से एक साल तक की सजा दी जा सकती है।

धारा 5 - एक सें अधिक बार दोषी सिद्ध होने पर दण्ड

दोषी कम से कम एक वर्ष से लेकर इस अपराध के लिए उपबंधित दण्ड से दण्डनीय होगा;

8.5 सारांश

भारत के संविधान में देश के सभी नागरिकों को स्थिति और अवसरों की समानता सुनिश्चित की गई है, साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकार और विशिष्ट प्रावधान, जैसे, अनुच्छेद 38, 39 एवं 46 राज्य की इसके लोगों के प्रति वचनबद्धता के प्रमाण हैं । राज्य की नीति समाज के कमजोर वर्ग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के लिए कार्यक्रमों को समर्थन देने के लिए संसाधनों का आवंटन करना और वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करना है ताकि इनके विरूद्ध अन्याय और शोषण रोका जा सके । इतने अधिक कानून बनने और लागू होने के बावजूद महिलाओं, बच्चों और समाज के अन्य असुरक्षित समूहों के विरुद्ध अपराधों की बढ़ती दर ने सारी दुनिया में शोचनीय स्थिति पैदा कर दी है, क्योंकि ऐसे कानूनों का कुछ व्यक्तियों के अवैध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दुरूपयोग किया जा रहा है । प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह प्रथम उद्देश्य है कि वह महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास करे।

8.6 अभ्यास प्रश्न

1. भारतीय दण्ड संहिता, 1869 में उल्लिखित महिलाओं के विरुद्ध अपराधों का वर्णन कीजिए।
2. दहेज प्रतिशेध अधिनियम, 1961 के अंतर्गत सजा के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए।
3. घरेलू हिंसा अधिनियम, 205 में महिलाओं के संरक्षण के लिए दिए गए आर्थिक राहत के प्रावधान की चर्चा कीजिए।
4. किशोर न्याय (देखरेख और सुरक्षा) कानून, 2000 में बच्चों के विरूद्ध अपराधों का उल्लेख कीजिए।
5. अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत अपराधों की चर्चा कीजिए।

इकाई - 9

अपराधों की रोकथाम में पुलिस की भूमिका

इकाई की रूपरेखा

9.0 उद्देश्य

9.1 प्रस्तावना

9.2 अपराधों की रोकथाम भारतीय परिप्रेक्ष्य में पुलिस की भूमिका.

9.3 अपराधों की रोकथाम के लिए कानूनी प्रावधान

9.4 पुलिस नियम एवं अभिलेख. अपराधों की रोकथाम के उपाय

9.5 अपराधों की रोकथाम की शैलियां, नीतियां, पद्धतियां और प्रणालियां

9.6 निगरानी

9.7 अपराधों पर रोकथाम की स्थिति कुछ अनुभवजन्य वास्तविकताएं

9.8 सारांश

9.9 अभ्यास प्रश्न

9.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप :

- अपराधों की रोकथाम में पुलिस की भूमिका को समझ सकेंगे ।
- अपराधों की रोकथाम से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधानों का अवलोकन कर सकेंगे ।
- अपराधों की रोकथाम की शैलियों नीतियों, पद्धतियों और प्रणालियों को आँक सकेंगे ।
- अपराधों की रोकथाम के अनुभवों का आकलन कर सकेंगे ।
- निगरानी के विभिन्न तरीकों से अवगत हो सकेंगे ।

9.1 प्रस्तावना

सभी समाज में अपराधों का घटित होना स्वाभाविक है। हालांकि, समाज को सुरक्षा, सलामती और स्थायित्व देने और इसके सभी सदस्यों को शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन देने के लिए इससे प्रभावी ढंग से लड़ने और इस पर नियंत्रण करने की जरूरत है । इसलिए हर समाज अपने राजनीतिक चरित्र और स्थिति के अनुसार अपराधों की रोकथाम, पता लगाने और जांच करने के लिए पुलिस की स्थापना करती है । इस प्रकार पुलिस एक अपरिहार्य और सार्वभौमिक नियंत्रक अवधारणा का स्वरूप ले चुकी है । सरकार की कार्यकारी शाखा के रूप में वर्गीकृत पुलिस सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखने, विभिन्न पद्धतियों, तरीकों और तकनीकों के इस्तेमाल से व्यक्तिगत सुरक्षा व संपत्ति के संरक्षण और अपराधों की रोकथाम और जांच-पड़ताल के लिए जिम्मेदार है। दुनियाभर में पुलिस बल अपराधों पर रोकथाम के लिए बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए स्थापित और संचालित किए जाते हैं। शासन का मुख्य आधार वाक्य यह है कि प्रवर्तन एजेंसियों के अभाव में सार्वजनिक व्यवस्था और अमन-चैन खतरे में पड़ जाएंगे। किसी समाज में पुलिस प्रणाली पर जितना खर्च किया जाता है, वहां शांति और व्यवस्था की स्थिति भी उतनी ही अच्छी या बुरी होती है। पुलिस के परंपरागत काम जैसे कानून का

पालन करवाने, शांति-व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों की जांच-पड़ताल के अलावा भी उसके कार्यभार की प्रकृति और मात्रा में वृद्धि हुई है और पुलिस संगठन प्राथमिकताओं पर अपना दृष्टिकोण खो चुकी है। परिणामस्वरूप, अपराधों की रोकथाम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पुलिस की विविधतापूर्ण जिम्मेदारियों के कारण उसके समक्ष बडी और अभूतपूर्व ढंग की समस्याएं खड़ी हो रही हैं, जो पुलिस की कार्यप्रणाली के रोकथाम वाले पहलू पर गंभीर प्रभाव डाल रही है।

9.2 अपराधों की रोकथाम : भारतीय परिप्रेक्ष्य में पुलिस की भूमिका

अपराधों की रोकथाम पुलिस के सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में एक है । पुलिस की प्रभावशीलता और उसकी कार्यक्षमता के महत्वपूर्ण मापदण्डों में से एक यह है कि वह किस तरह से अपराधों पर रोक लगाती है । "उपचार से रोकथाम भली", "वक्त का एक टांका बेवक्त के सौ टांकों से बढकर है' और "रोका गया अपराध. ही सबसे अच्छी जांच-पड़ताल है- कुछ ऐसी कहावतें हैं जो अपराधों पर रोकथाम के महत्व को दर्शाती हैं । अपराधों पर रोकथाम उस मूलभूत अवधारणा के अंदर ही होनी चाहिए या की जा सकती है, जिसके आधार पर कोई समाज अपराधों पर रोक लगाने के लिए कानूनों का निर्माण करता है । भारत भी इस सामान्य नियम के लिए अपवाद नहीं है । विशेषकर दण्ड प्रक्रिया संहिता और अन्य कानून आम तौर पर यह ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं कि अपराधों की रोकथाम संभव हो सके।

पुलिस नियम, दण्ड प्रक्रिया संहिता, सभी मुख्य, गौण, विशेष एवं स्थानीय कानूनों में यही विचार है कि अपराधों की रोकथाम की जा सकती है और समाज के व्यापक हित को देखते हुए इनकी रोकथाम की जानी चाहिए । प्रत्येक पुलिस अधिकारी अपराधों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से बीच में रोक-टोक कर सकता है और अपनी क्षमता का अधिकतम प्रयोग करते हुए किसी भी संज्ञेय अपराध को घटित होने से रोकेगा । अपराधों पर रोकथाम के उद्देश्य से ही पुलिस को व्यापक विवेकाधीन और कानूनी शक्तियां दी गई है।

9.3 अपराधों की रोकथाम के लिए कानूनी प्रावधान

एक पुलिस अधिकारी संगय अपराध की साजिश के बारे में पता चलने पर, यदि उसे लगता है कि किसी अन्य प्रकार से अपराध के घटित होने पर रोक नहीं लगाई जा सकती, तो वह ऐसी योजना बनाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है । अपराध पर रोकथाम के उद्देश्य से कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को दं. प्र. सं. की धारा 41 और 42 के अंतर्गत गिरफ्तार कर सकता है । इन प्रावधानों में दी गई शक्तियों के बुद्धिमत्तापूर्ण और समयोचित उपयोग से एक पुलिस अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में व्यक्तियों और संपत्ति के खिलाफ अपराधियों, निवासियों और बाहरी लोगों को अपराध करने से रोक सकता है। दं. प्र. सं. की धारा 106 के अंतर्गत अपराधियों और दं॰प्र॰सं. की धारा 107 के अंतर्गत अन्य लोगों से शांति बनाए रखने के लिए जमानत ली जा सकती है । ऐसे प्रावधान प्रतिभूति या बिना प्रतिभूति के प्रतिज्ञा पत्र भरवाकर लागू किए जा सकते हैं । इन प्रावधानों का उद्देश्य यह है कि पुलिस हर अवसर पर आपराधिक प्रवृत्ति रखने वाले लोगों या अपराधों की साजिश रचने वाले लोगों के खिलाफ रोकथाम के कदम उठाए।

दं. प्र. सं. की धारा 109 के अंतर्गत कोई व्यक्ति, चाहे स्थानीय निवासी हो या बाहरी, यदि अपनी अपराध करने के उद्देश्य से अपनी उपरिथति छुपाता है, तो पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकता है और उसे अच्छे व्यवहार के लिए प्रतिभूति के साथ या उसके बिना प्रतिज्ञा पत्र भरने के लिए बाध्य किया जा सकता है । इसी तरह, दं॰प्र॰सं. की धारा 110 के अंतर्गत आदतन अपराधियों, जो अपराध करने के आदी हों, के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है । इन प्रावधानों के अंतर्गत की गई प्रभावी, सावधानीपूर्ण और उद्देश्यपरक कार्यवाही के विभिन्न प्रकार के अपराधों को रोकने की दिशा में दूरगामी परिणाम मिल सकते हैं । अक्सर सार्वजनिक या व्यक्तिगत स्तर पर किए गए उपद्रव लोगों की उत्तेजना, टकराव और क्रोध को भटकाते हैं, जिसकी परिणति अपराधों के घटित होने और शांति भंग होने में होती है । पुलिस दं॰प्र॰सं. की धारा 133 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू कर ऐसे अपराधों पर रोक लगा सकती है । इस प्रावधान के अंदर गैरकानूनी अवरोधों और उपद्रवों को हटाने, लोगों को द्वेषपूर्ण गतिविधियां करने से रोकने, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक व्यवसाय और वस्तुओं को रोकने या नियंत्रित करने, लोगों को नुकसान पहुंचा सकने वाले किसी भवन, टेंट या ढांचे को रोकने, हटाने या उसकी मरम्मत करवाने, खतरनाक जानवरों को नष्ट करने, कैद करने या उनसे छुटकारा पाने के कदम उठाए जाते हैं । सार्वजनिक व्यवस्था और अमन-चैन बनाए रखने के लिए और इनके बिगडने से होने वाले अपराधों को रोकने के उद्देश्य से गैरकानूनी सभाओं को तितर- बितर करने और नागरिक बल के इस्तेमाल के लिए पुलिस को दं॰प्र॰सं. की धारा 129 में व्यापक कानूनी और विवेकाधीन शक्तियां दी गईं हैं। किसी व्यक्ति को अवरोध, कष्ट या चोट पहुंचाने, मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरे, सार्वजनिक अमन-चैन में व्यवधान या दंगे की स्थिति में तात्कालिक कदम उठाने के लिए दं॰प्र॰सं की धारा 144 पुलिस और प्रशासन के पास एक प्रभावी उपाय है । इसी तरह, अचल संपत्ति, भूमि और पानी से जुड़े अपराध दं॰प्र॰सं की धारा 145 के अंतर्गत प्रभावी और समयबद्ध कार्यवाही कर निपटाए जा सकते हैं।

9.3.1 विधि विरूद्ध सभाओं का बंदोबस्त और नियंत्रण

धारा 129 किसी थानाध्यक्ष या एस॰आई से ऊपर की रैंक के पुलिस अधिकारी को किसी गैरकानूनी सभा को तितर-तितर होने का आदेश देने और यदि तितर-बितर नहीं होती है, तो आवश्यक होने पर बल का इस्तेमाल करने और गिरफ्तारी करने की शक्ति देती है । इस प्रावधान में पुलिस को दी गई शक्तियां रोकथाम वाली और दण्डात्मक दोनों ही हैं । इन कानूनी प्रावधानों का सहारा लेकर पुलिस गैरकानूनी सभाओं में उपस्थित होने वाले सदस्यों के द्वारा किए जा सकने वाले अपराधों को घटित होने से रोक सकती है।

9.3.2 संज्ञेय अपराधों की रोकथाम

हर पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए और इस उद्देश्य से उसे रोकथाम के उपाय के तौर पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति दी गई है (दं॰प्र॰सं. की धारा 151) लेकिन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कोई विशेष अपराध सामने आए बिना 24 घण्टे से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता । इसी प्रकार, दं॰प्र॰सं. की धारा 41 पुलिस अधिकारी को कुछ खास मामलों में बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति देती है।

9.3.3 जब्ती द्वारा रोकथाम के कार्यवाही

दं. प्र. सं. की धारा के अंतर्गत पुलिस अधिकारी को ऐसे समाचारपत्र, पुस्तक या दस्तावेज को जब्त करने की शक्ति दी गई है, जिसका प्रकाशन सरकार की अधिसूचना के द्वारा इस आधार पर प्रतिबन्धित किया गया है कि ऐसे प्रकाशन भा. दं. सं. की धारा 124ए, या 153ए, या 292, या 29, या 295ए के अंतर्गत दण्डनीय है ।

9.3.4 उपद्रव और भय पैदा करने वाले अत्यावश्यक मामले

द.प्र.सं. की धारा 144 के अनुसार उन मामलों में, जिनमें जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार द्वारा इसके लिए विशेषतया सशक्त किए गए किसी अन्य मजिस्ट्रेट की राय में यदि तुरंत रोकथाम या शीघ्र उपचार करना वांछनीय हो, तो वह लिखित आदेश तामील कर किसी व्यक्ति को निर्देश दे सकेगा कि वह अमुक कार्य से विरत रहे या अपने कब्जे की अथवा अपने प्रबन्धाधीन अमुक संपत्ति की निर्देशानुसार व्यवस्था करे । ऐसे निर्देश जारी करने का आधार यह है कि इससे विधिसम्मत नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति की जोखिम का या मानव जीवन, स्वास्थ्य या कुशल-क्षेम को खतरे का या लोक शांति भंग होने का या बलवे या दंगे की रोकथाम हो जाएगी । ऐसे आदेश प्रतिशेधात्मक या अनिवार्य हो सकते हैं । इस धारा के अधीन कोई आदेश उस आदेश को दिए जाने की तारीख से दो माह से अधिक और यदि राज्य सरकार की अधिसचूना द्वारा लाग किया गया हो, तो छह माह से अधिक लागू नहीं रहेगा । इस धारा के अधीन आदेश एकपक्षीय रूप में भी पारित किया जा सकेगा और किसी व्यक्ति को या किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को अथवा आम जनता को, जब वे किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में अक्सर जाते रहते हैं । इस धारा में जारी आदेश कार्यकारी आदेश होते हैं । 'कर्फ्यू' आदेश इसी धारा में जारी किए जाते हैं।

9.3.5 अचल सम्पत्ति के विवादों के कारण शांति भंग

धारा 145 तब लागू होती है जब दो पक्षों के बीच अचल सम्पत्ति को लेकर वाकई विवाद है और इससे शांति भंग होने की आशंका है। धारा 145 की विशेषता यह है कि किसी भूमि या जल या उसकी सीमाओं से सम्बद्ध ऐसा विवाद है, जिससे शांति भंग होना सम्भाव्य है । कार्यकारी मजिस्ट्रेट ऐसे विवाद के पक्षकारों को हाजिर होने का निर्देश दे सकता है और उनके पक्ष सुनने और सभी दस्तावेजों पर गौर करने के बाद अंतिम निर्देश देगा।

धारा 146 में संपत्ति की कुर्की और विशेष परिस्थितियों में रिसीवर नियुता करने की शक्ति समाहित है। धारा 147 भूमि, जल या समुद्र से जुड़े शांति भंग के मामलों से संबंधित है। यदि दो पक्षकारों के बीच वाकई विवाद है, दोनों बराबरी के दावे कर रहे हों और इससे शांति भंग का खतरा संभाव्य हो तो पुलिस को कार्रवाई करनी ही चाहिए।

9.3.6 दोष सिद्धि पर अच्छा आचरण और शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति

दं. प्र. सं. की धारा 106 में प्रावधान है कि जब सेशन न्यायालय या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट का न्यायालय इस धारा में दिए गए किसी अपराध के लिए या ऐसे किसी अपराध के दुष्प्रेरण के लिए दोषी ठहराए किसी व्यक्ति को सजा सुनाते समय अधिकतम तीन वर्ष के लिए कधपत्र निष्पादित करने

का आदेश दे सकता है । यदि दोषसिद्धि अपील पर या अन्यथा अपास्त कर दी जाए तो ऐसा निष्पादित बन्धपत्र भी शून्य हो जाएगा। इस धारा के अधीन आदेश अपील न्यायालय द्वारा या किसी उच्च न्यायालय द्वारा भी, जब वह पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, किया जा सकेगा। यथोचित मामलों में, न्यायालय में निर्णय सुनाए जाने के बाद और सजा सुनाए जाने से पहले थानाध्यक्ष को अभियोजक के सहयोग से प्रतिभूति मांगने का कारण स्पष्ट करते हुए ज्ञापन दाखिल करना चाहिए। न्यायालय संतुष्ट होने पर कैद से रिहा होने की तारीख से 3 वर्ष बाद तक की प्रतिभूति मांग सकता है।

9.3.7 शांति भंग रोकने के लिए प्रतिभूति

द. प्र. सं. की धारा 107 के अंतर्गत किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिले कि कोई व्यक्ति शांति या लोकशांति भंग कर सकता है अथवा कोई ऐसा सदोष कार्य करेगा कि जिससे सम्भवत: शान्ति या लोक शांति भंग हो जाएगी और यदि उसकी राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हो तो वह रोकथाम के कदम उठा सकता है। वह ऐसे व्यक्ति से कारण दर्शित करने को कह सकता है कि उसे एक वर्ष तक की अवधि के लिए बंधपत्र क्यों न जारी किया जाए। मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों में कार्रवाई कर सकता है चाहे वह व्यक्ति उसके न्यायाधिकार क्षेत्र में निवास कर रहा हो या फिर अन्यत्र निवास करते हुए उसके न्यायाधिकार क्षेत्र में शांति भंग कर रहा हो। धारा 107 धार्मिक जुलूसों, साम्प्रदायिक तनाव, त्यौहारों, मेलों, चुनावों, जाति संघर्ष, राजनीतिक आदोलनों और विभिन्न गुटों में अन्य तरह के विवादों से शांति या लोक शांति भंग होने को रोकने का प्रभावी उपाय है । हर मामले में यह जरूरी नहीं है कि दो पक्ष एक-दूसरे से लड़ रहे हों । हालांकि, यह स्पष्ट होना चाहिए कि यदि इस धारा में कार्रवाई कर रोकथाम नहीं की गई तो शांति भंग होना संभावित है ।

कार्यवाही शुरू करने से पहले पुलिस जिस अवसर पर शांति भंग होनी संभावित है, पुलिस अधिकारियों समेत ऐसे लोगों से मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य इकट्ठा करेगी जो, ऐसे अवसर, उसकी परिस्थितियों, आयोजन की समयावधि, ऐसे कारण, झगड़े या अन्य परिस्थितियां जिनसे शांति भंग होने की संभावना है, झगड़े के संबंध में पक्षों के संकल्प, उनकी ताकत और अनुगामियों, सुलह के प्रयासों और उनके परिणामों से परिचित हों। धारा 107 में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती । यदि शांति भंग की रोकथाम नहीं की जा सकती तो मजिस्ट्रेट ही दं.प्र.सं. की धारा 113 में वारंट जारी कर सकता है। जब पुलिस अधिकारी को लगता है कि गिरफ्तारी जरूरी है तो वह परिस्थितियों की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को देकर गिरफ्तारी वारंट प्राप्त कर सकता है । हालांकि, धारा 151 में वर्णित अत्यावश्यक मामलों में गिरफ्तारी की जा सकती है । दं॰प्र॰सं. की धारा 108 में व्यक्तियों, जो धारा 124-ए या 153-ए या 153-बी या 295-ए के अंतर्गत अपराध कर चुके हों या किसी जज को आपराधिक धमकी या मानहानि कर चुके हों या भा॰दं॰सं. की धारा 292 के अंतर्गत अपराध कर चुके हों अथवा करने की संभावना हो से अच्छे व्यवहार के लिए अधिकतम एक वर्ष तक की अवधि का बंधपत्र मांग सकता है । यह देखना होगा कि क्या वह व्यक्ति आपत्तिजनक सामग्री का प्रसार कर रहा है और क्या उसके यह अपराध दोबारा करने की संभावना है

i. दं. प्रं. सं. धारा 109 - यह धारा ऐसे व्यक्ति पर लाग होती है जो कोई संडोय अपराध करने की दृष्टि से अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए पूर्व सावधानियां बरत रहा हो । उपस्थिति छिपाने

और संज्ञेय अपराध करने का मकसद, दोनों बातें होने पर ही किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 109 में कार्यवाही की जा सकती है । इस धारा का उद्देश्य आपराधिक षड्यंत्रों को अमल में आने से पहले से ही विफल कर देना है । इस धारा के प्रावधान पूरी तरह रोकथाम परक है, न कि दण्डात्मक । अच्छे आचरण के लिए अधिकतम एक वर्ष की अवधि का बंधपत्र लिया जा सकता है । उपस्थिति छिपाने का आशय पहचान छिपाने से भिन्न है । पुलिस अधिकारी को दोषी व्यक्ति और डरपोक व्यक्ति में भेद करना आना चाहिए ।

ii. दं. प्रं. सं. धारा 110 - इस धारा का उद्देश्य भी पूरी तरह रोकथाम परक है, न कि दण्डात्मक। पुराने अपराधों की सजा के तौर पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए । इसका उद्देश्य आदतन अपराधियों, खतरनाक लोगों और असामाजिक तत्त्वों के अपराधों से समाज की रक्षा करना है । इसका मकसद कठोर अपराधियों की खतरनाक गतिविधियों पर रोक लगाना और उनके हाथों होने वाले नुकसान से समाज के हितों को सुरक्षित करना है ।

iii. विशेष और स्थानीय कानूनों में रोकथाम परक प्रावधान - दं॰प्र॰सं. में वर्णित रोकथाम परक प्रावधानों के अलावा विभि- विशेष और स्थानीय कानूनों में भी ऐसी स्थितियों के लिए प्रावधान हैं, जब कोई पुलिस अधिकारी निवारण की कार्यवाही कर सकता है । कानून के अभिप्राय और हर मामले की मागं के अनुरूप असरदार रोकथामपरक कार्रवाई करने के लिए पु[लिस अधिकारी को इन प्रावधानों का भली प्रकार ज्ञान होना चाहिए ।

iv. न्यूसेंस (बाधा) हटाना - दं.प्र.स. की धारा 133 में कार्यकारी मजिस्ट्रेट को किसी पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट या इत्तिला प्राप्त होने पर न्यूसेस या बाधा हटाने का आदेश देने की शक्ति प्राप्त है । इन न्यूसेंस या गैर-कानूनी बाधाओं को सार्वजनिक रथान से हटाया जा सकता है ।

- जनता द्वारा विधिपूर्वक उपयोग में लाए जाने वाले किसी सार्वजनिक स्थान, मार्ग, नदी या जनमार्ग (जलसरणी) मैं बाधा या न्यूसेंस ।
- ऐसे व्यापार या उपजीविका का संचालन अथवा ऐसा माल रखना या बेचना जो समुदाय के स्वास्थ्य या शारीरिक सुख के लिए नुकसानदेह है, इसमें तयशुदा डेसीबल से अधिक तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाना ।
- किसी इमारत का बनाया जाना या किसी पदार्थ का व्ययन जिससे अग्निकाण्ड या विस्फोट होना संभावित है ।
- कोई इमारत, तंबू संरचना बनाना या वृक्ष लगाना, जिसके गिरने और उससे लोगों को चोट पहुंचना संभावित हो ।
- सार्वजनिक स्थान या मार्ग के निकट बिना बाड के तालाब, टैंक, कुएं या गड्ढे ।
- ऐसे खतरनाक जीव-जन्तु जिनको नष्ट करना, बंद करना या निस्तारित करना जरूरी हो ।

दं. प्र. सं. की धारा 133 के अंतर्गत आने वाले मामलों में पुलिस का कर्त्तव्य नीचे बताई गई व्यवस्था के अनुसार त्वरित रूप से कार्यकारी मजिस्ट्रेट को सूचित करना है

- स्थानीय पुलिस, बीट और पेट्रोल कर्मी ऐसी किसी घटना को बिना समय गंवाए रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार हैं ।

- यदि कोई सूचना प्राप्त होती है तो उस बीट के पुलिस अधिकारी को उस स्थान पर जाकर इसका सत्यापन करना चाहिए।
- यदि उन्हें ऐसे किसी न्यूसेंस का पता चले तो पुलिस अधिकारी को फोटोग्राफ या स्केच समेत सारी जानकारी इकट्ठा कर थानाधिकारी को सौंपनी चाहिए ।
- व्यक्तिगत मुकदमेबाजी या निजी हित पुलिस कार्यवाही का आधार नहीं बनना चाहिए।
- यह जरूरी नहीं है कि जनता के लिए स्पष्टत: वर्तमान में कोई खतरा या असुविधा हो, ऐसा होने की आशंका है यही काफी है ।
- भा. द. सं. की धारा 268 में पब्लिक न्यूसेंस शब्द परिभाषित किया गया है, जिसे इस धारा के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है । भा॰द॰सं. की धारा 12 में उल्लेख है कि जनता शब्द में एक क्षेत्र विशेष में रहने वाला समुदाय या वर्ग शामिल है लेकिन ऐसा वर्ग जनता के रूप में परिभाषित किए जाने के लिए संख्यात्मक तौर पर पर्याप्त होना चाहिए ।
- इस धारा में कार्यवाही पर पर्यावरण संरक्षण कानून के अंतर्गत रोक नहीं है ।
- बिना उपचारित प्रदूषक, ठोस कचरा फेंकना, रासायनिक पदार्थ, गैस, भाप निकलने देना, भूसी, धूल उड़ाना । इरा संबंध में संबंधित अभिकरणों को भी शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं । पुलिस और संबंधित विभाग व अभिकरणों में पारस्परिक सम्पर्क होने चाहिए।

9.4 पुलिस नियम एवं अभिलेख : अपराधों की रोकथाम के उपाय

विभिन्न प्रकार के अपराधों पर तभी प्रभावी ढंग से रोक लगाई जा सकती है जब कि पुलिस के पास अपराध के घटित होने से संबंधित सही, पर्याप्त और उच्च स्तर की खुफिया सूचना हो । इस उद्देश्य के लिए पुलिस के पास आदतन गुनहगारों, दोषियों, घोषित अपराधियों, झगड़ालू और असामाजिक तत्वों, बदमाशों और अन्य सभी प्रकार के अपराधियों के बारे में अद्यतन जानकारी होनी चाहिए। पुलिस रिकॉर्ड (अभिलेख) इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । इस संबंध में राज्य, क्षेत्र और पुलिस थाना स्तर पर पुलिस रिकॉर्ड तैयार रखना बहुत जरूरी है । कांस्टेबल बीट पुस्तिका से लेकर अपराध आसूचना गजट तक ऐसे कई पुलिस रिकॉर्ड हैं, यदि ठीक तरह से तैयार किए जाएं तो अपराधों की रोकथाम में कारगर साबित हो सकते हैं । कांस्टेबल बीट पुस्तिका, निगरानी रजिस्टर, अपराध वृत (हिस्ट्री शीट), सूचक रजिस्टर (इंडेक्स रजिस्टर), ग्राम अपराध रजिस्टर, बुरे चरित्र वालों की सूची, पीओ रजिस्टर, सजायाफ्ता रजिस्टर, थानाधिकारी की गोपनीय पुस्तिका, अपराधी आसूचना गजट और अब पुलिस कम्प्यूटर तक सभी पुलिस रिकार्ड के बड़े-छोटे भाग हैं, जो पुलिस विभाग और इसके अधिकारियों को अपराधों पर एहतियात बरतने की उनकी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाने में मदद करते हैं ।

i. अपराध व अपराधियों से संबंधित पुलिस रिकॉर्ड और पुलिस स्टेशन व अन्य स्थानों पर रखे जाने वाले कानून-व्यवस्था से संबंधित पुलिस रिकॉर्ड, अपराधों की रोकथाम और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की पुलिस कर्मियों की जिम्मेदारियों के सार्थक निर्वहन में मददगार होते हैं और इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ii. पुलिस रिकॉर्ड एक विस्तृत डेटाबेस के तौर पर भी महत्वपूर्ण हैं और इस डेटाबेस में उपलब्ध जानकारी के आधार पर पुलिस अधिकारी अपराधियों के आवागमन और गतिविधियों पर नजर रखने और उन पर नियंत्रण रखने के तरीके ढूंढ सकते हैंसाथ ही उस वक्त की कानून-व्यवस्था की स्थिति की भी खबर रख सकते हैं । पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी पुलिस अधिकारियों को रोकथाम के तौर पर गिरफ्तारियां करने, अपराधों की रोकथाम और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मददगार साबित हो सकती

iii. कम्प्यूटर तकनीक के उद्भव और विभिन्न स्तरों पर कम्प्यूटरीकरण को अपनाए जाने से रिकॉर्ड रखना सुनियोजित, वैज्ञानिक और व्यवस्थित हो गया है । कम्प्यूटरों के-इस्तेमाल से बड़ी संख्या में रिकार्ड रखे जा सकते हैं और ऐसे रिकॉर्ड को तीव्रता से ढूंढकर निकाला भी जा सकता है । इसलिए विभिन्न रैंक वाले पुलिस कर्मियों को अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में पुलिस रिकॉर्ड के कम्प्यूटरीकरण का बुद्धिमत्ता से उपयोग करना चाहिए ।

9.5 अपराधों की रोकथाम की शैलियां, नीतियां,पद्धतियां ओर प्रणालियां

पहरा, गश्त, निगरानी, शेडोइंग (पीछा करना), एम्बुश (घात लगाना), नाकाबंदी और छापे अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस की विभिन्न शैलियां और पद्धतियां हैं।

9.5.1 पैद्रोलिंग

पेट्रोलिंग का उद्देश्य जनसामान्य को अपराध करने से रोकना होता है । निगरानी पहले से चिन्हित अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए की जाती है। शैडोइंग (पीछा करना) का मकसद किसी खास अपराधी के आवागमन और गतिविधियों पर नजदीकी, बारीकी और स्पष्टता से नजर रखना है । एम्बुश (घात लगाना) और नाकाबंदी का उद्देश्य अपराधियों के ज्ञात और अज्ञात रास्तों को रोकना होता है । छापा मारना अपराधियों को उनके छिपने के ठिकानों से गिरफ्तार करने का एक तरीका है।

अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस की विभिन्न शैलियों और पद्धतियों में गश्त करना सबसे प्रभावी, अधिक उपयोग में आने वाली और असरकारक पद्धति है । असल में, दुनिया के सभी देशों में पैट्रोलिग अपराधों की रोकथाम का एक मानक तरीका और समाजें में पुलिस सेवा का प्रतीक है । पैट्रोलिग का तरीका चाहे जो हो, इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानून का पालन करने वाले लोगों और अपराधियों दोनों से वास्तविक संपर्क बनाए रखना है ।

हर तरह की पैट्रोलिंग में अचम्भित कर देना मुख्य तत्त्व है । इन्हें इस तरह व्यवस्थित करना चाहिए कि किसी भी इलाके की पैट्रोलिग आमजन और अपराधियों के हिसाब से अनियमित अंतरालों पर और अनिश्चित समय पर हो । पैट्रोलिग दस्तों का मिलना, पार करना और पीछा करना वांछनीय है । जब पैट्रोलिग दस्ते का किसी क्षेत्र में पैट्रोलिग करने का कोई निश्चित अंतराल नहीं होता, तभी अपराधी को पकड़े जाने का खतरा मोल लेना पड़ता है । यानी पैट्रोलिग का नित्य नियम दरअसल नित्य नियम से बचना है । पैट्रोलिग के तरीका का चयन जमीनी हकीकत, अपराधों की प्रवृति, आपराधिक गतिविधियों और अपराधों की रोकथाम की जरूरत के अनुसार स्थानीय पुलिस प्रमुख पर निर्भर करता है ।

पैट्रोलिंग व्यवस्था इस तरह होनी चाहिए कि जब इसकी सबरने ज्यादा जरूरत हो, तब सर्वाधिक पैट्रोलिंग दस्ते हों और उनके कार्य समय व रूट में जितनी जल्दी संभव हो सके बदलाव किया जाना चाहिए । पैट्रोलिग दस्ते को डयूटी पर आने से पहले यह पता नहीं होना चाहिए कि उन्हें किस मार्ग पर भेजा जाएगा या किसी निश्चित समय पर वे किस निश्चित बिन्दु पर होंगे।

सादा कपड़ों में पैट्रोलिंग अधिक अपराध वाले क्षेत्रों में अधिक प्रभावकारी होती है । इस तरह की पैट्रोलिंग अधिक सीमा क्षेत्र में निवासियों या अपराधियों को चेताए बिना की जा सकती है । सादे कपड़ों में डयूटी करने वालों को पहचान पत्र अवश्य दिए जाने चाहिए।

उचित पर्यवेक्षण के अभाव में पैट्रोलिंग के निष्प्रभावी होने की आशंका रहती है । जैसा कि मानव स्वभाव है, किसी आदमी को यदि पूरी तरह उसके भरोसे छोड़ दिया जाए और उस का निरीक्षण नहीं किया जाए, तो वह आलसी हो जाता है और कुछ तो अपनी डयुटी में भी कोताही करने लगते हैं। अधीनस्थों में ड्यूटी का बंटवारा समानता से और आराम की अवधि देते हुए करना चाहिए।

9.5.2 पुलिस बीट

बीट का आशय पुलिस थाने के क्षेत्राधिकार के एक हिस्से या भाग से है, जिसमें कोई गांव, गांवों का समूह या किसी कस्बे या शहर का कोई इलाका शामिल होता है । हर बीट का पुलिस थाने में एक क्रमांक होता है । बीट सेवा से मतलब उस बीट क्षेत्र में नियुक्त पुलिस अधिकारी को सौंपे गए कार्यों और जिम्मेदारियों से है । बीट के मुख्य उद्देश्य हैः-

- समुदायों को आसान पहुंच के भीतर पुलिस सेवा उपलब्ध कराना । नियंत्रण योग्य किसी क्षेत्र या वहां रहने वाले परिवारों को कांस्टेबल व हेड कांस्टेबलों द्वारा पुलिस सेवा प्रदान करना।
- जागरूकता फैलाना, समुदाय की पुलिस जरूरतों को और समुदाय का कानून को प्रभावी ढंग से समझना।
- पुलिस के रोकथामपरक व खुफिया काम में, जीवन, सम्पत्ति और सम्मान की रक्षा में सहयोग के लिए सीएलजी, मैत्री समितियों, ग्राम अधिकारियों और समूहों द्वारा स्वयंसेवा और सहभागिता को बढ़ावा देना।
- जातियों, समुदायों और समूहों के द्वेषभाव के बारे में समझना और उनमें सुलह करवाना ।
- अपराध, अपराधियों, अजनबियों, उपद्रवियों, संगठित अपराध समूहों, आतंकवादियों, राष्ट्र-विरोधी और समाज-विरोधी तत्त्वों के बारे में जानकारी इकट्ठी करना, दस्तावेजबद्ध करना और उसका आदान-प्रदान करना ।
- कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों की रोकथाम और जरूरत पडने पर हस्तक्षेप करने के लिए दिन और रात में पैट्रोलिंग करना ।
- हिस्ट्रीशीटरों और सजा काट चुके लोगों पर प्रभावी निगरानी रखना ।
- दं. प्र. सं की धारा 41 के अंतर्गत लोगों की गिरफ्तारी ।
- अपराध के घटनास्थल को परिरक्षित करना और जांच-पड़ताल में सहयोग करना ।

9.5.3 बीट कांस्टेबल के कर्त्तव्य

बीट में नियुक्त कांस्टेबल को निम्न कर्त्तव्य निभाने चाहिए ।

- सावधानी से पूछताछ, अवलोकन और सत्यापन कर आदतन गुनहगारों, खासकर खतरनाक अपराधियों और जिस तरह के अपराधों के वे आदी हैं, उनकी पहचान करना । निगरानी की जरूरत वाले गिरोहों और संगठित अपराध समूहों की पहचान करना, फिर चाहे उनका जो भी कार्यक्षेत्र हो ।
- शिविर स्थलों, सराय, रेस्ट हाउसों, रेलवे परिसरों, घाटों और सार्वजनिक रूकने के स्थानों पर यात्रियों से और यात्रियो के बारे में जानकारी इकट्ठा करना ।
- अपराध और अपराधियों से संबंधित सूचना के केन्द्रों की पहचान और सत्यापन करना, समन पहुंचाना और वारंट तामील करना ।
- गांवों में बुरे चरित्र वालों, संदेहास्पद अजनबियों और घुमंतू गिरोहों की गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाना ।
- सजा काट चुके लोगों और हिस्ट्रीशीटरों की अच्छी-बुरी हरकतों और गतिविधियों के बारे में जानकारी करना, खासकर उनके विलासितापूर्ण रहन-सहन और उनसे सामान्य से अधिक संबंध रखने वाले अन्य लोगों के बारे में ।
- बुरे चरित्र वालों और अजनबियों से चोरी गई संपत्ति को प्राप्त करने वालों को ढूंढ निकालना।
- शराब की दुकानों, अवैध शराब के अड्डों, जुआ घरों, ड्रग्स पहुंचाने वालों और गैस्लाइसेंसी हथियारों की पहचान करना।
- राजनीतिक दलों अथवा अन्य संगठनों की उत्तेजना फैलाने वाली गतिविधियों, किसी संस्था, उसके सहयोगियों, सदस्यों अथवा उसके समर्थकों के गुप्त कार्यकलापों की सूचनाएं एकत्रित करना ।
- क्षेत्र में नए बसने वाले लोगों पर नजर रखना और पता लगाना कि वे किस स्थान से आए हैं एवं उस क्षेत्र में वे अपने किस मित्र या रिश्तेदार के यहां ठहरे हैं अथवा किन व्यक्तियों से उन्हें सहयोग प्राप्त हो रहा है।

9.6 निगरानी

निगरानी पुलिस की रोकथाम-परक कार्यवाही का महत्वपूर्ण हिस्सा है । इससे अपराध करने का इरादा रखने वाले व्यक्ति की योजनाओं पर रोक लगती है । निगरानी का स्वरूप और स्तर उस परिस्थिति एवं व्यक्ति पर निर्भर करता है जिसकी निगरानी की जा रही है । बहुत कम मामले अथवा अवसर ऐसे होते हैं जिनमें कुछ दिनों या हफ्तों तक लगातार निगरानी की जरूरत होती है । जिन मामलों में गूहन निगरानी की आवश्यकता हो, उनपर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

9.6.1 हिस्ट्रीशीटर एवं बुरे चरित्र वालों की निगरानी

i. बीट पुलिस अफसर को प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की जिसकी किसी भी स्तर. की हिस्ट्री शीट संधारित की गई है, की हर गतिविधि और उसके निवास स्थान में बदलाव के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उन्हे तत्परता से समुचित जानकारी थानाधिकारी को देनी चाहिए, ताकि वे संबंधित रजिस्टर में इसे दर्ज कर सकें। इस जानकारी के आधार पर थानाधिकारी को उस क्षेत्र के थानाधिकारी को शीघ्रता से रिपोर्ट देनी चाहिए, जहां वह व्यक्ति निवास करने वाला है या गुजर

रहा है । संबंधित व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलते ही थानाधिकारी को अपने क्षेत्र के संबंधित बीट अफसर को इसकी सूचना देनी चाहिए। यदि वह व्यक्ति पुन: किसी और स्थान पर जा रहा है तो उसे संबंधित थानाधिकारी को सूचित करने के लिए यही प्रक्रिया दोहरानी चाहिए। पहले और दूसरे संदेश को प्राप्त करने वाले थानाधिकारियो को इनकी प्राप्ति सूचना देनी चाहिए। जवाब मिल जाने पर संबंधित थानाधिकारी इसकी प्रविष्टि हिस्ट्री शीट और रिकॉर्ड में दर्ज करना चाहिए । जब किसी हिस्ट्रीशीटर के रेलवे से यात्रा करने की संभावना हो, तो उसकी गतिविधियों की सूचना निकटतम रेलवे पुलिस थाने में भी दी जानी चाहिए।

ii. बुरे चरित्र वाले - यदि कोई बुरे चरित्र वाला व्यक्ति अन्य प्रदेश में चला गया हो, तो उस प्रदेश में संबंधित थाने के थानाधिकारी को तीव्रतम माध्यम से सूचना भिजवाने के बाद बीसी रोल "ए" भीं भेजा जाना चाहिए । जवाब मिलने पर संबंधित रिकॉर्ड में इसकी प्रविष्टि दर्ज की जानी चाहिए । यदि अन्य राज्यों से भी ऐसे संदेश प्राप्त हु ए हों, तो इसकी पुष्टि कर संबंधित रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए । पूछताछ के आधार पर संबंधित थानाधिकारी को इसका जवाब भेजा जाना चाहिए ।

iii. संदेहास्पद अजनबी - जब कोई संदेहास्पद आचरण या चाल-चलन वाला कोई व्यक्ति किसी पुलिस थाने की सीमा में पाया जाता है, तो थानाधिकारी उस थाने में बीसी रोल भिजवाएगा जहां का निवासी होने का संबंधित व्यक्ति दावा कर रहा है । ऐसे रोल की प्राप्ति की पावती और जवाब तुरंत दिए जाने चाहिए। यदि संदेहास्पद अजनबी किसी अन्य राज्य में रहने का दावा कर रहा है, तो सीधे उस राज्य में संबंधित थाने के थानाधिकारी को बीसी रोल भिजवाया जाना चाहिए।

iv. बुरे चरित्र वाला व्यक्ति ओझल हो जाने पर - जब कोई बुरे चरित्र वाला व्यक्ति छुप जाता है या ओझल हो जाता है तो, चाहे वह किसी मामले में वांछित हो अथवा नहीं, तो ऐसे थानों में जहां उसके जाने की संभावना है और निकटवर्ती थानों में, चाहे वे राज्य के अंदर हों अथवा बाहर, सूचना भिजवाई जानी चाहिए । यदि उसे ढूंढ लिया जाता है और उसकी गिरफ्तारी की या अन्य कोई सूचना प्राप्त होती है तो उसकी गतिविधियों की सही व पूरी तस्वीर जानने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए और ऐसी जानकारी को रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए ।

v. मूल निवास स्थान की जेलों पर अपराधियों का स्थानांतरण - सभी खतरनाक कैदियों को उनकी रिहाई के दो महीने पहले उनके मूल निवास' स्थान की जेल पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। यदि मूल निवास स्थान की जानकारी नहीं तो इसे पता करने के लिए एस॰सी॰आर॰बी और एफपीबी के माध्यम से प्रयास किए जाने चाहिए । जिस जिले की जेल में कैदी बंद है, उस जिले के पुलिस अधीक्षक को इसकी सूचना संबंधित जेल के अधीक्षक को भिजवानी चाहिए और इसकी काउंटरफॉइल कैदी के मूल निवास स्थान वाले जिले के पुलिस अधीक्षक को भिजवानी चाहिए ।

vi. विदेशी कैदियों की रिहाई - विदेशी कैदी, जिसके फिंगर प्रिंट लिए गए है, की रिहाई से पहले उस जिले का, एसपी जहां उसके खिलाफ मामला दर्ज है, इंटेलीजेंस ब्यूरो के निदेशक को

सीआईडी के माध्यम से कैदी के देश छोड़ने के संभावित मार्ग और साधन के बारे में जानकारी देगा।

9.6.2 अपराधियों और खतरनाक लोगों का गुप्त तरीके से पीछा करना

सजा पूरी कर चुके अपराधियों की जेल से रिहाई के बाद उनका गुप्त तरीके से पीछा करने के निम्न नियम हैं :-

(ए) जिन खतरनाक अपराधियों के वापस अपने मूल निवास स्थान लौटने की संभावना नहीं है, उनका पीछा किया जाना चाहिए । जब किसी अपराधी का पीछा किया जाना है, तो यह तथ्य डी॰सी॰आर॰बी के एफ॰पी रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए और इसके बारे में जेल अधीक्षक को सूचित किया जाना चाहिए।

(बी) सजा पूरी कर चुके अपराधियों का पीछा करने के लिए लगाया गया पुलिस अधिकारी इसकी प्रविष्टि फैक्ट नोटबुक में करेगा । संबंधित पुलिस अधिकारी को ऐसे अपराधी के बारे में जानकारी देने वाला चालान दिया जाना चाहिए ।

9.7 अपराधों की रोकथाम की स्थिति: कुछ अनुभवजन्य वास्तविकताएँ

अपराधों की रोकथाम मामले दर्ज करना, छान-बीन और जांच से बेहतर है । समाज और पुलिस दोनों का हित इसी में है कि ज्यादा से ज्यादा अपराधों की रोकथाम की जाए । इस आदर्श स्थिति के विपरीत वास्तविकता यह है अपराधों की रोकथाम को पुलिस थानों के स्तर पर बहुत कम प्राथमिकता दी जाती है । ऐसा कर्मचारियों, श्रमशक्ति और संसाधनों की कमी के कारण हो सकता है या फिर पेशेवर दृष्टिकोण, स्पष्ट दृष्टि के अभाव और कार्यभार के कारण । पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम की असलियत जानने के लिए लेखक ने पुलिस और समाज में से चुने हुए एक सैम्पल में एक सर्वे किया। सर्वे के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष यहां नीचे दिए गए हैं :-

1. ज्यादातर थानाधिकारियों ने माना कि थानों के स्तर पर उनके द्वारा अपराधों की रोकथाम उस तरह नहीं हो पा रही है, जैसी होनी चाहिए। इस असंतोषजनक स्थिति के लिए जिम्मेदार कारणों में काम कीअधिकता, आकस्मिक ड्यूटी कॉल, कर्मचारियों व संसाधनों की कमी, थानों में मौजूद पुलिस स्टाफ में ज्ञान, कौशल और सोच का अभाव होना महत्वपूर्ण है।
2. पुलिस थानों पर तैनात कांस्टेबलों का कहना है कि अधिक कार्यभार और अलग-अलग तरह की ड्यूटी उन्हें दिए जाने से वे पूरी तरह थके हुए महसूस करते -हैं । इस कारण वे अपराधों की रोकथाम के लिए रात-दिन में पेट्रोलिंग की ड्यूटी अच्छी तरह कर पाने में समर्थ हैं ।
3. निरीक्षण स्तर के अधिकारी भी सोचते हैं कि जमीनी स्तर पर काम की अधिकता के कारण अपराध प्रबंधन के रोकथाम परक पहलू की अक्सर अनदेखी होती है । वैसे भी, पुलिस थाना स्तर पर तैनात स्टाफ के दोषपूर्ण पेशेवर नजरिए और दृष्टि के कारण अपराधों की रोकथाम को बहुत कम प्राथमिकता दी जाती है।
4. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के विश्लेषण और मूल्यांकन पर पाया गया कि प्रशिक्षण की पाठ्चसामग्री में अपराधों की रोकथाम के जरूरी पक्षों को अपर्याप्त और काल्पनिक ढंग से प्रस्तुत किया

गया है । परिणामस्वरूप पुलिस प्रशिक्षुओं को ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण दिया जाता है, वह अपराधों पर रोकथाम के लिए उन्हें उचित दृष्टि और पेशेवर रवैया नहीं दे पाता ।

5. सर्वे के नतीजों से यह भी सामने आया पैट्रोलिंग और अपराधों पर रोकथाम की अन्य पद्धतियां ग्रामीण क्षेत्रों के बजाय शहरी क्षेत्रों में बेहतर ढंग से संचालित और अमल में लाई जाती है। वास्तविकता तो यह है कि पुलिस की कार्यप्रणाली का यह पक्ष ग्रामीण क्षेत्रों से स्पष्ट रूप से नदारद है ।
6. सर्वे के परिणाम के अनुसार जो भी थोड़े से प्रयास अपराधों पर रोकथाम के लिए किए जाते हैं, वे भी कामचलाऊ प्रवृत्ति के होते हैं और इनका उद्देश्य सिर्फ विभाग और क्षेत्रीय इकाइयों के लिए आकड़े तैयार करना होता है । वास्तविक, तथ्यपरक और संतोषजनक काम किया ही नहीं जाता या बहु त कम होता है।
7. रोकथाम से जुड़े रिकॉर्ड(अभिलेख) तैयार करने की भी संबंधित पुलिस थाना स्तर पर अनदेखी की जाती है । रिकार्ड में प्रविष्टियां शायद ही की जाती हैं और यदि निरीक्षण स्तर से दबाव के कारण ऐसा किया भी जाता है तो सिर्फ कामचलाऊ तौर पर । परिणामस्वरूप, अपराधों की रोकथाम के लिए संकेत और सुराग न तो मिलते हैं और न ही इनकी छान-बीन और जांच में ये सहायक सिद्ध होते है ।
8. इससे भी बुरा यह है कि आदतन अपराधी तक ये समझते हैं कि उनके आपराधिक षड्यन्त्रों को विफल करने में पुलिस के रोक और नियंत्रण संबंधी उपाय प्रभावी साबित नहीं होते हैं ।
9. समाज का निचला तबका यह विश्वास ही नहीं करता कि पुलिस अपराधों को रोक सकती है या उनके इलाकों में पैट्रोलिग (गश्त) कर सकती है । उनकी भावनाओं का निचोड़ तब निकलकर आ जाता है, जब वे कहते हैं कि, "पुलिस वाले शायद ही कभी हमारे इलाके में गश्त पर आते हैं । असल में, हमें इसकी जानकारी ही नहीं है कि हमारे इलाके में पुलिस की बीट प्रणाली मौजूद भी है या नहीं । निचले और दीन-हीन लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने को पुलिस पहली प्राथमिकता कैसे दे सकती है । चाहे कितने भी विशेष प्रयास किए जाएं, उनका कोई नतीजा नहीं निकलेगा । बल्कि इससे तो दूसरे रास्तों से शोषण की बाढ़ आ जाएगी । इस कीमत पर हमें अपनी बस्ती में पुलिस नहीं चाहिए । गरीब और कमजोर की रक्षा तो भगवान करता है।

9.8 सारांश

अपराधों की रोकथाम की दिशा में बुरी स्थिति का कारण है कि इस क्षेत्र में पुलिस की कार्यप्रणाली की दशा में सुधार करने की पर्याप्त कोशिश नहीं की गई है । इस संबंध में सरकार द्वारा जो भी खर्च वहन किया जा रहा है, वह अपर्याप्त एवं अनियोजित है। अपराधों की रोकथाम में अधिक निवेश की जरूरत है ताकि पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम की दिशा में सुधार हो सके और वह अधिक मजबूती और लाभप्रद तरीके से अपराधों की रोकथाम कर सके। यदि अपराधों की रोकथाम पर खर्च में सुधार किया जाए तो अपराधों की रोकथाम की दिशा में एवं पुलिस की दक्षता एवं सामर्थ्य में स्पष्ट रूप से बदलाव आएगा।

अपराधों की रोकथाम पुलिस कार्यप्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है । यह दुःखद है कि उपेक्षा की वजह से यह महत्वपूर्ण कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है । इस पर संगठनात्मक, राजनीतिक एवं

प्रशासनिक स्तर पर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया जा रहा है । यहां तक कि पुलिस नेतृत्व एवं प्रशिक्षकों द्वारा भी इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । अपराधों की रोकथाम नहीं होने पर पुलिस और जनता दोनों की परेशानियां कई गुना बढ़ जाती हैं । इस क्षेत्र में इतने बुरे हालात का एक बड़ा कारण यह है कि अपराध रोकथाम के दृष्टिकोण से पुलिस के कार्य को इसके प्रोटोकोल, सुरक्षा व अन्वेषण पहलू की तुलना में काफी निचले स्तर पर रखा गया है । परिणामस्वरूप, पुलिस की अपराध रोकथाम में भूमिका को सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में उत्कृष्टता और सुधार लाने के लिए खर्च और निवेश को बढ़ाने के भी कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं । इसलिए यह आवश्यक है कि पुलिस के विभिन्न क्रियाकलापों को भलीभांति वर्गीकृत किया जाए एवं पुलिस की प्रत्येक इकाई को सही तरीके से पैसों का आवंटन किया जाए ताकि किसी भी प्रकार के कार्यात्मक भ्रम से बचा जा सके।

पुलिस की कार्यप्रणाली के अनुभव, उसके स्तर, उपलब्धियों और व्यवहारिक पहलुओं से यह सिद्ध हो चुका है कि भारत में पुलिस की गुणवत्ता अच्छी नहीं है । पुलिस की गुणवत्ता में सुधार के लिए बेहतर निवेश किए जाने की जरूरत है, खासकर अपराध रोकथाम के क्षेत्र में। भारत में पुलिस की छवि और जन-संपर्क खराब, अपर्याप्त और असंतोषजनक है । ऐसी धारणा के पीछे कारण यह है कि पुलिस अपराधों की रोकथाम प्रभावी तरीके से नहीं कर पा रही है और अपराध होने के बाद भी उसकी जांच पड़ताल और खोज में पूरी तरह सक्षम नहीं है । लोकतांत्रिक महत्वाकांक्षाएं, समानतावादी सिद्धान्त एवं मानविधकारो के लिहाज से यह अनिवार्य है कि पुलिस की कार्यक्षमता में सुधार होना चाहिए। दक्षता और योग्यता में नए मानदंड और स्तर को पाने के लिए पुलिस पर होने वाले खर्च और निवेश में बढ़ोतरी आवश्यक है, विशेषकर अपराध रोकथाम के क्षेत्र में । यदि पुलिस अपराध को प्रभावी रूप से रोकने में सक्षम बनेगी तो परिणामत: उनकी मुश्किलें आसान होंगी, उनकी छवि में सुधार होगा एवं उनके कार्य के प्रति लोगों के विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आएगा । अत: पुलिस के अपराध रोकथाम की गतिविधियों पर खर्च को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिए । यदि अपराधों में रोकथाम गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूप में होगी, तो सरकार को भी सामाजिक सुरक्षा, प्रगति एवं सम्पन्नता के रूप में लाभ प्राप्त होगा । अपराध की रोकथाम अपराध की जांच-पड़ताल से कहीं कम खर्चीला है । अपराध की रोकथाम निजी एवं पारिवारिक व्यथाओं के साथ ही सरकार की उलझनों को भी कम करेगी । अत: अपराध रोकथाम की दिशा में प्रारंभिक खर्च को बढ़ाना चाहिए, जिससे भारतीय पुलिस सकारात्मक और प्रभावी तरीके से विकसित हो सके और इसका लाभ समाज, सरकार और स्वयं संगठन को भी मिल सके । अपराधों की रोकथाम में एक प्रभावी माध्यम बनकर पुलिस कम खर्च में सकारात्मक रूप से प्रभावी सिद्ध हो सकती है । पुलिस के अपराध रोकथाम के पहलू पर खर्च बढ़ाकर बेहतर लाभ अनुपात भी बनाए रखा जा सकता है।

9.9 बोध प्रश्न

1. "बचाव उपचार से बेहतर है" इस कथन की अपराध रोकथाम के संदर्भ में व्याख्या कीजिए ।
2. अपराध रोकथाम के क्षेत्र में पुलिस की भूमिका पर संक्षिप्त लेख लिखिए ।
3. अपराध के रोकथाम के संबंध में विभिन्न कानूनी प्रावधान कौन से हैं । वर्णन कीजिए ।

4. अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा अपनाई गई विभिन्न शैलियां, नीतियां, पद्धतियां और प्रणालियां क्या हैं' उल्लेख कीजिए ।
5. संज्ञेय अपराधों की रोकथाम के उपाय लिखिए ।
6. पैट्रोलिंग, पुलिस बीट, बीट कान्हेबल के कर्त्तव्य लिखिए।

इकाई - 10

अपराधी सुधार एवं पुनर्वास-सुधारात्मक अवधारणा

इकाई की रूपरेखा

10.0 उद्देश्य
10.1 प्रस्तावना
10.2 कारागार-एक सामान्य अवधारणा
10.3 अपराधी सुधार-सामाजिक अपेक्षाएं
10.4 अपराधी सुधार - वास्तविक अर्थ एवं सही आयाम
10.5 अपराधियों के विधिक अधिकार
10.6 कारागृहों में श्रेष्ठ सुधारात्मक गतिविधियां
10.7 सारांश
10.8 अभ्यास प्रश्न

10.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप :

- अपराधी सुधार एवं पुनर्वास विषय पर जानकारी प्राप्त कर पाएँगे ।
- अपराधी सुधार की सामाजिक अपेक्षाओं से अवगत हो पाएँगे ।
- अपराधी सुधार के विभिन्न आयामों को जान पाएँगे ।
- अपराधियों के विभिन्न अधिकारों पर प्रकाश डाल पाएँगे ।
- कारागृह में अपनाई जाने वाली विभिन्न सुधारात्मक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर पाएँगे।

10.1 प्रस्तावना

सुधारात्मक अवधारणा-एक परिचय। (Reformative Approach-An Introduction)

अपराधियों का सुधार एवं उनके पुनर्स्थापन की अवधारणा यद्‌यपि बहुत पुरानी है, किन्तु राजनीतिक रूप से संगठित समाज में इसको वैज्ञानिक स्वीकृति बीसवीं शताब्दी के मध्य में प्राप्त हुई। यदि हम विश्व के दण्ड विधान का अध्ययन करें, तो हमें ज्ञात होगा कि सभी दण्ड-विधान अपराधियों को उनके द्‌वारा किये गये कृत्यों के प्रतिकार के रूप में ऐसे प्रतिशोधात्मक दण्ड का प्रावधान करते रहे, जिससे न केवल अपराधी को भविष्य में वैसा कृत्य पुन: करने में भय हो, बल्कि समाज के अन्य लोगों को यह सबक मिले कि समाज के स्थापित नियम-कायदों के विरूद्ध कृत्य करने वाले यातना के भागी होंगे।

दण्ड विधानों की प्रारम्भिक एवं मूल अवधारणा यही थी कि कानून को तोड़ने वाले व्यक्ति को उसकी कीमत चुकानी पड़े और उसे दी जाने वाली शारीरिक व मानसिक यातना समाज के सामान्य व्यक्तियों के लिए एक सबक का प्रतिमान हो।

दण्ड-विधान का प्रतिशोधात्मक एवं निरोधात्मक विचार मानव सभ्यता के एक बहुत लम्बे समय तक प्रबल (Predominant) रहें। वर्ष 1962 में टेरेंस मोरिस ने अपनी पुस्तकInTheNic(फटेहाल) में उस समय की जेलों के हालात का वर्णन करते हुए लिखा है कि भले ही अब पूर्व की तरह जेलों में भूखमरी, बीमारियों और आत्मा को दहला देने वाली यातनाएं एवं गंदगी न हो, फिर भी जेलों की दशाएं बेहद खराब एवं चिन्ता का विषय है । समाज के सामान्य लोग अभी तक कारागृह को एक सामाजिक कूड़ादान समझते हैं, और ऐसा मानते हैं कि वहां निवास कर रहे व्यक्तियों के प्रबन्धन पर खर्च किये जाने वाला पैसा एक बर्बादी (waste) है।

तथापि, अब यह माने जाना लगा है कि समाज इस ओर समुचित गम्भीरता पूर्वक ध्यान नहीं देगा, तो कारागृहों की दशा सुधर नहीं सकती। लगभग उन्हीं दिनों (1960 मे) एक पुस्तक एनोटॉमी ऑफ प्रिजन्स प्रकाशित हुई, जिसके लेखक ड्यू जे. क्लेयर थे । उन्होने लिखा है कि ' 'अपराधियों को अल्पावधि, दीर्घविधि या आजःविन कारावास की सजा दे दिये जाने से वे शायद अपराध की पुनरावृति या असामाजिक कृत्य नहीं करेंगे, लेकिन मेरा विश्वास है कि ऐसे व्यक्तियों के प्रति यदि सुधारात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया तो उनका कोई भविष्य नहीं होगा । क्रिस्टोफर हिबर्ट ने अपनी पुस्तक 'द रूटस ऑफ ईविल (The RootsofEvil) में बहुत जोर देकर यह लिखा है कि; ' 'जब तक कारागहो एवं वहा निरूद्ध व्यक्तियों (बन्दियों) के प्रति समाज की धारणा नहीं बदलेगी तब तक वहां किये जाने वाले छुटपुट सुधारात्मक कार्यो से कोई स्थायी सदपरिणाम प्राप्त नहीं हो सकते हैं। "

10.2 कारागार - एक सामान्य अवधारणा

अपराधियों को कारावास का दण्ड देने के पीछे हमेशा से यही मन्शा रही है कि जो व्यक्ति स्थापित विधि का उल्लंघन करे उसे समाज एवं परिवार से जबरन बहिष्कृत कर अस्थाई रूप से किसी ऐसे स्थान पर रखा जाये जहां कठिन हालात हो, अनुशासन के तौर पर कठिन नियम हो और पहल करने की आजादी न हो । इन्हीं भावना ने कारागहों को एक बन्द संस्था का स्वरूप दे दिया । जैसा हम देखते है कि कारागार ऊँची-. ऊँची दीवारों से घिरे हुये मजबूत दरवाजों पर तालों में बन्द बैरकों एवं कोठरियों की ऐसी सस्थाएं है, जहां खुले समाज से सम्पर्क लगभग न के बराबर होता है । जेलों में क्या चल रहा है इस पर कोई सामाजिक पर्यवेक्षण नहीं होता है । बन्दियों के लिए इन सस्थाओं में नीरसतापूर्वक दैनिक दिनचर्या इनके मनमस्तिष्क को अतिनकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। ऐसा नकारात्मक वातावरण बन्दियों के भावी जीवन के विकास में बाधक होता है, और उसकी कोई सकारात्मक भूमिका नहीं होती।

सुधारवादी विचारधारा के अनुसार बन्दियों की कारावास अवधि का सकारात्मक एवं सृजनात्मक उपयोग किया जाना चाहिये ताकि वे जेलों से रिहा होने के बाद एक उपयोगी जीवन का निर्वाह कर सकें । एक दण्डित व्यक्ति को समाज से अपलिखित (write off) नहीं किया जा सकता । उसे उसके विधि विरूद्ध कृत्य के लिए मिले दण्ड के कारण शेष जीवन एक सद्नागरिक के रूप में यापन के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता । इसलिए कारावास की अवधि को नीरस एवं अनुपयोगी बने रहने की बजाय उसे उपयोगी एवं सरस बनाये जाने के उपाय किये जाने चाहिए। यदि ऐसा किया जाये तो अपराधी व्यक्तियों का भी सामाजिक पुनर्वास किया जा सकता है । सुधारात्मक विचारधारा या अवधारणा का आशय कारावास की भौतिक दशाओं को बहुत आकर्षक बनाना नहीं बल्कि बन्दियों को ऐसे अवसर

उपलब्ध करवाना है जिसमें वे कारावास की अवधि का सृजनात्मक उपयोग कर सकें, तथा कारागार से मुक्त होने के बाद एक सामान्य अथवा अच्छे नागरिक की तरह जीवन निर्वाह कर सकें । आगे हम कुछ ऐसी विधियों / प्रक्रियाओं / कार्यकलापों की चर्चा करेगें जो बन्दियों के सुधार एंव सामाजिक पुनर्वास के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

10.3 अपराधी सुधार समाज के अपेक्षाएं

कारागृह की प्रकृति बहुत जटिल एवं विरोधाभासी है । हम जानते है कि जेल में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई विधि विरूद्ध कार्य करने का लांछन लेकर आता है । उसे अपराध न्याय व्यवस्था इस आदेश के साथ जेल में भेजती है कि उसे सुरक्षित रखा जाये और कारावास अवधि पूरी होने तक बिना अनुमति के समाज व परिवार से मिलने तक नहीं दिया जाये । ठीक इसके विरूद्ध यह भी अको की जाती है कि उसके सामाजिक व पारिवारिक पुनर्स्थापन के पूर्ण प्रयास किये जाये । यह सोचने की बात है कि किसी व्यक्ति को लम्बी अवधि तक परिवार एवं समाज से दूर रखकर उसका सामाजिक पुनर्स्थापन कैसे सम्भव है । समाज यह भी चाहता है कि बंदियों को पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ इस प्रकार सींखचों व तालों में रखा जाये कि उन्हें मुक्ता विचरण का कोई अवसर नहीं मिले, किन्तु साथ में समाज यह भी चाहता है कि उनका जीवन सरस, शिक्षापूर्ण हो वे व्यावसर्ग़येक. प्रशिक्षण प्राप्त करें और अन्ततः वे पुनः सामान्य एवं सुनागरिक बनें । समाज के विभिन्न वर्गो की ऐसी रिंग्रोधाभासी अपेक्षाओं के रहते कारागार प्रबन्धन अक्सर यह नहीं समझ पाता कि इन संस्थाओं में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और सृजनात्मक सुधारात्मक कार्यो को साथ-साथ कैसे संचालित किया जाये और किसे प्राथमिकता दी जाये । समाज के कुछ लोग इस बात पर जोर देते हैं कि जेलों की भौतिक दशाओं में सुधार होने चाहिये । वे बंदियों की बैरकों मे फ्लश-शौचालयों, बंद-स्नानघरों, मच्छर जाली वाले दरवाजों, विद्युत-पंखों, बेहतर चिकित्सा सुविधाओं, खेलकूद एवं मनोरंजन के लिए टीवी. आदि जैसे साधनों के पक्षधर हैं । वे यह मानते है कि दण्ड स्वरूप जेल में भेजा गया व्यक्ति भी इन्सान ही है और उसे जीवन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित नही किया जाना चाहिये । इसी समाज का एक दूसरा तबका अथवा वर्ग यह मांग करता हैं कि जेलों में भौतिक सुविधाओं में सुधार पर जोर देने की बजाय बंदियों के आचरण में सुधार के लिए जोर दिया जाना चाहिये, जिसे प्रोत्साहित करने के लिए कठोर अनुशासन व भौतिक सुविधारहित वातावरण की आवश्यकता हो तो ऐसी कठोर दशाऐं भी बनाये रखी जानी चाहिये । जबकि समाज के कुछ प्रबुद्ध लोग यह मानते हैं कि अपराधी सुधार के लिए उपर्युक्त दोनों तरह के सुधार आवश्यक हैं और उनकी अपेक्षा है कि कारागार प्रबन्धन ऐसी सन्तुलित व्यवस्था करें, जिसमें कारागृहों की भौतिक सुविधाओं में सुधार हो और कारावास काल में बंदियों के आचरण में भी समुचित सुधार हो ।

यहां समाज के एक और वर्ग की अपेक्षाओं से भी अवगत होना आवश्यक है, जो यह चाहता है कि जेलें ऐसी खौफजदा संस्थान होने चाहिये जिनकी कल्पना मात्र से भयभीत हो सामान्य जन विधि विरूद्ध कृत्य करने से परहेज करें, विरत रहें । यद्यपि समाज की यह सभी अपेक्षाएं परस्पर विरोधी हैं लेकिन एक सीमा तक वांछित भी है । कारागार कर्मियों का कर्त्तव्य अथवा काम इसीलिए बेहद जटिल एवं विवेकपूर्ण है, क्योंकि उन्हें उक्त विरोधाभासी अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर ही बंदियों के सुरक्षा

व सुधारात्मक कर्तव्यों का विरोधाभासी सीमाओं में संतुलन साधते हुए उनके कल्याणार्थ क्रियाशील रहना पड़ता है।

10.4 अपराधी सुधार - वास्तविक अर्थ एवं सही आयाम

महात्मा गाँधी ने अपने सपनों के आजाद भारत में जेलें कैसी हों इसके लिए कहा है कि "सभी अपराधियों / बंदियों के साथ रोगियों जैसा व्यवहार किया जाना चाहियें और जेलें इस श्रेणी के रूप में रोगियों के उपचार एवं देखभाल हेतु भर्ती करने वाले अस्पताल स्वरुप होनी चाहिए। जेल स्टॉफ का नजरिया अथवा दृष्टिकोण वैसा ही होना चाहियें, जैसा कि अरयताल में एक चिकित्सक का रोगियों के प्रति होता है । बन्दियों को यह महसूस होना चाहिए कि जेल अधिकारी उनके मित्र हैं, और वे यहां उन्हें किसी तरह की यन्त्रणा देने नहीं बल्कि मानसिक रूप से पुन: स्वस्थ होने में मदद करने के लिए सेवारत है। "आधुनिक मनोवैइग़निक तो अपराध के लिए व्यक्ति की जीन संरचना एवं मस्तिष्क विकास में रही अपूर्णताओं एवं विकृतियों को जिम्मेदार मानता है, और अपराधी को बीमार मानकर उसकी समुचित चिकित्सा कि पुरजोर वकालत करता है । अपराधी एवं बन्दी के प्रति सबसे अधिक परिवर्तनकारी दृष्टि का आधार नागरिक अधिकारों के साथ-साथ मानव अधिकारों की अवधारणा के विकास पर टिका है। न्यायालय ने विविध निर्णयों में यह निर्धारित किया है कि विधि के शासन के अनुरूप आरोपित दण्डाज्ञा व्यक्ति के स्वतन्त्र विचरण के अधिकार को अवश्य निर्बन्धित करती है, किन्तु इसके अतिरिक्त एक नागरिक एवं मानव के रूप में प्राप्त उसके अधिकार कारावास में भी अक्षुण्ण रहते हैं। इस दृष्टि से कारागहो में अपराधी सुधार के विविध आयाम निम्नानुसार है :-

10.4.1 कारागृह दशाओं का मानवीकरण

जेल के ऊँचे दरवाजों में प्रविष्ट होते ही कोई व्यक्ति से अव्यक्ति या अमानव (Non person) नहीं हो जाता है । इसलिए आधुनिक सुधारवादी विचारधारा बन्दियों के साथ सामान्य व्यवहार करने पर बल देती है । बन्दीगृह केवल समाज से दूर एक अनुशासित जीवन जीने और किये गये विांधे विरूद्ध कृत्य के लिए पश्चाताप करने के स्थान होने चाहिए, किन्तु वे किसी भी स्थिति में यातनागृह नहीं होने चाहिए । सामान्यतया बन्दीगृहों में जनाधिक्य (Overcrowding) से उत्पन्न होनी वाली गंदगी, बीमारियों, दुर्गन्ध, शारीरिक-शोषण आदि ऐसी बुराईया हैं, जिन्हें उचित प्रबन्धन से दूर किया जा सकता है । जेल सुधार की यह मूलभूत आवश्यकता है, कि वहां आवासियो के रहने, खाने, कार्य करने, विश्राम करने आदि सभी दशाओं का मानवीयकरण किया जाये । वे सभी न्यूनतम दशाऐं जो व्यक्ति की नैसर्गिक वांछनीयता हों और मानव ' मात्र की गरिमा बनाये रखने के लिये आवश्यक हों, उन्हे जेल में बन्द व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध कराया जाना चाहिये । यह कहना गलत होगा कि इन न्यूनतम मानवीय दशाओं को उपलब्ध कराना जेलों में विलासिता की स्थितियां पैदा करना है । सत्य यह है कि यह कार्य बन्दियों के सहज मानव जीवन के लिए अपरिहार्य है।

10.4.2 सुधारात्मक उपचार का वैयक्तिकरण

पूर्व लिखित महात्मा गाँधी का कथन सुधारात्मक विचाराधारा का सार है । इसलिये कहा जाता है कि किसी भी अपराधी को दण्डस्वरूप जेल में भेजा जाता है, दण्डित करने के लिए नहीं अर्थात जेल

में आना ही दण्ड है, उसे और अतिरिक्त दण्ड नहीं दिया जाना है । प्रत्येक व्यक्ति की पारिवारिक, शैक्षणिक एवं व्यक्तिगत पृष्ठभूमि के अनुसार ही उसके सुधार की दशाएं निर्धारित की जानी चाहिए।

10.4.3 आशा व आत्मसम्मान का पुनसंरचरण

यह एक सर्वविदित तथ्य है कि अपराध न्याय व्यवस्था की प्रक्रिया से गुजर कर अर्थात पुलिस, न्यायालय से होते हुये अन्ततः जेल में आने वाला हर बन्दी कुण्ठा, द्वेष, अवसाद, विशाद, प्रतिशोध, निराशा, हताशा जैसे नकारात्मक भावों से सराबोर, आत्मसम्मान रहित या आत्मग्लानी से भरा एक विखण्डित व्यक्ति होता है । सुधारवादी विचारधारा का मूल सिद्धान्त है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन की एक नई शुरूसात का अवसर उपलब्ध करवाया जाये किन्तु यह व्यक्ति उन अवसरों का उचित लाभ तभी प्राप्त कर सकता है जब उसके जीवन में नई आशा और आत्मसम्मान का संचार हो । कारागार के सुधार कार्यक्रम निर्धारण में ध्यान रखा जाना चाहिए कि बन्दी को ग्लानि एवं हीनतापूर्ण अतीत का बार-बार स्मरण नहीं करवाकर उसमें सकारात्मक विचारों एवं अपेक्षाओं का संचार किया जाये । उसको जिन कार्यो में लगाया जाए वे जीवनोपयोगी हों और उनका परिणाम भी नजर आये । ताकि उनके मन में इस सकारात्मक एवं आशावादी सत्य के प्रति दृढ़ आस्था कायम हो कि हर साधु का एक अतीत होता है और हर बुरे व्यक्ति (अपराधी) का एक बेहतर भविष्य हो सकता है।

10.4.5 पुनर्जीवन के अवसरों की उपलब्धता

किसी भी व्यक्ति को जीवन के बुरे से बुरे दौर में सर्वाधिक नैतिक एवं आत्मिक बल उसके परिजनों, मित्रों, परिचित लोगों के समर्थन सहयोग से मिलता है, वही उसके भावी जीवन के लिये जीवनी-शक्ति का अधार होता है । अत: बंदी के कारागार में रहते हुए नियमित अन्तराल से अपने परिवार एवं समाज से मेल-मुलाकात होती रहनी चाहिये । उसे अपने पारिवारिक व सामाजिक कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिये, पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता बनाये रखने के अवसर दिये जाने चाहियें । उसे व्यक्तित्व विखण्डन मनःस्थिति से उबरने व परिवार हेतु उपयोगी सदस्य का एहसास बनाये रखने के लिये निश्चित अन्तराल से पैरोल (कारावास कालीन अवकाश) देकर पुर्नजीवन के अवसर उपलब्ध करवाये जाने चाहिये, ताकि सजा समाप्ति पर रिहा होकर पुन: खुले समाज में पूरी तरह जाने से पूर्व जेल मे रहते हुए पैरोल के रुप में अल्पकालिक अवकाश द्वारा पुनर्सामाजीकरण का प्रशिक्षण होता रहे । रिहा होकर पुन: खुले समाज में भावी जीवन बसर करने के लिये आर्थिक आधार हेतु उसे कारावास कालीन व्यावसायिक प्रशिक्षण दे कर रोजगार योग्य हुनरमंद बनने का अवसर अवश्य दिया जाना चाहिये।

10.4.6 आर्थिक एंव सामाजिक पुनर्वास

दीर्घ अथवा अल्प काल के लिये दिया गया कारावास व्यक्ति के स्थापित आर्थिक व सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर देता है, यह सामाजिक कलंक उसका आर्थिक विश्वास भंग करने के लिये पर्याप्त है । ऐसे विखण्डित व्यक्ति, जिसकी जमी जमाई आर्थिक-व्यवस्था उजड़ गई हो उसको पुर्नस्थापित करने के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा हुनरमंद किया जाना ही उचित विकल्प है । उसे सरकारी, गैर सरकारी (NGO), स्वयं-सेवी संस्थाओं आदि के समर्थन सहयोग से वित्तीय व अन्य वांछित संबल द्वारा खुले समाज व तार्ध-जगत में पुर्नस्थापन हेतु कारागृह से रिहाई के उपरान्त भी अनुगामी (Follow -up) मार्गदर्शन सहयोग दिया जाना सुधारात्मक कार्यो का अभिन्न अंग है ।

10.5 अपराधियों के विधिक अधिकार

इस स्थापित तथ्य को विभिन्न न्यायालयों ने अनेक निर्णयों में यह निर्धारित किया है कि विधि के शासन के अनुरूप आरोपित दंडाज्ञा व्यक्ति के स्वतन्त्र विचरण के अधिकार को अवश्य निर्बन्धित करती है किन्तु इसके अतिरिक्त एक नागरिक एवं मानव के रूप में प्राप्त उसके अधिकार कारावास में भी अक्षुण्ण रहते हैं । अत: कारागृह प्रबन्धन या प्रशासन उक्त अधिकारों की रक्षा अथवा सम्मान करके अपराधी सुधार में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है । यह अपराध न्याय व्यवस्था में सम्पूर्ण तन्त्र के प्रति उसके मन में विश्वास एवं सम्मान उत्पन्न करने हेतु आवश्यक है । कारावासकाल में अपराधी के विधिक अधिकारों को विचाराधीन एंव दण्डित बन्दियों के अधिकारों के रूप में निम्नानुसार दो वर्गो में विभाजित किया जा सकता है :-

10.5.1 विचाराधीन बन्दियों के विधिक अधिकार

1. निजी वकील न होने पर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना ।
2. गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को न हो तो जेल से निःशुल्क पत्र / पोस्टकार्ड प्राप्त करने एवं परिजनों को सूचना भिजवाना।
3. नियत समय पर निर्धारित माप-तौल व गुणवत्ता का नाश्ता व भोजन प्राप्त करना ।
4. समय पर वांछित चिकित्सा व उपचार प्राप्त करना ।
5. जेल में सीमित निर्धारित स्थान व समय में घूमना व व्यायाम करना ।
6. परिजनों से 7 दिवस में एक बार मुलाकात ।
7. बन्दी खाता खोलकर राशि जमा कराना ।
8. नियत मात्रा में साबुन, तेल, दन्तमन्जनन, चप्पल आदि प्राप्त करना ।
9. निश्चित आवास स्थान प्राप्त करना ।
10. निर्धारित स्केल से बिस्तर व बर्तन प्राप्त करना ।
11. निर्धारित तारीख पेशी पर सम्बन्धित न्यायालय में पेश होना है ।
12. जेल कर्मियों द्वारा प्रताडना दुर्व्यवहार होने पर उच्चाधिकारियों न्यायालयों को शिकायत करने की सुविधा ।
13. पुरूष बन्दियों को बाल कटवाने व दाढ़ी बनवाने का हक ।
14. महिला बन्दी को मासिक धर्म के समय यथोचित सुविधा पाने का हक ।
15. महिला बन्दी को छह वर्ष तक अपने बच्चे को पास में रखने तथा उसके अतिरिक्त खुराक, शिक्षा, उपचार व पालनाघर का अधिकार ।
16. यदि माता-पिता दोनों जेल में हो तो घर पर रह गये 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिये “पालनहार” योजना का लाभ लेने की सुविधा ।
17. नित्यकर्म हेतु उपर्युक्त शौचालयस्नानघर की सुविधा ।
18. सर्दी-गर्मी में वाछिंत उचित सुरक्षा का हक ।
19. श्रम के शोषण के विरूद्ध अधिकार (जेल कर्मचारी निजी कार्य बन्दी से नहीं करवा सकते) ।
20. खेलकूद एंव मनोरंजन के साधनों का हक ।

21. आवश्यकता पर जेल अधिकारियों से मिलकर अपनी समस्या बताने का हक ।
22. पारिवारिक समस्या के लिए सम्बन्धित अधिकारी यथा-जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन देने का हक ।
23. उक्त अधिकारियों को आवेदन हेतु लेखन-सामग्री प्राप्त करने का हक ।
24. स्वयं के व्यय पर पढ़ने-लिखने हेतु लेखन सामग्री प्राप्त करने का अधिकार ।
25. सम्भाव्य अधिकतम सजा का आधा भाग जेल में रहने पर जमानत तथा सजा का पूर्णकाल होने पर रिहाई का अधिकार।

10.5.2 दण्डित - बंदियों के अधिकार

उक्त उल्लेखित विचाराधीन बन्दियों के समस्त अधिकारों सहित दण्डित बन्दियों को निम्न अतिरिक्त अधिकार हैं :-

1. परिजनों से 15 दिवस में एक बार मुलाकात ।
2. कठोर-कारावासी (सश्रम कारावास) के बन्दी को कार्य करने का अधिकार ।
3. आबंटित कार्य पूर्ण करने पर परिहार (Remission) प्राप्त करने का हक ।
4. फैक्ट्री / जेल सेवा में आबंटित कार्य से अतिरिक्त मात्रा में किये गये कार्य हेतु पारिश्रमिक पाने का हक।
5. नियमित व आपात पैरोल / समय पूर्व रिहाई हेतु आवेदन करने का हक ।
6. निजी बन्दी खाते में राशि न होने पर पैरोल / रिहाई पर किराया-भाड़ा एवं भोजन व्यय प्राप्त करने का अधिकार ।

मानवीय गरिमा को बनाये रखने हेतु उक्त अधिकारों की रक्षा किया जाना जरूरी है, क्योंकि यह एक स्थापित सत्य अथवा सिद्धान्त है कि जब तक किसी व्यक्ति के साथ मानव-मात्र की भांति बर्ताव नही किया जायेगा, तब तक वह अच्छे इन्सान की तरह प्रतिव्यवहार या प्रतिक्रिया में सद्व्यवहार नही करेगा। अत: उसे ग्लानि एवं अपराध-बोध से उभार कर प्रायश्चित मार्ग पर प्रशस्त करने व सुधार के लिए प्रेरित करने हेतु उसके उक्त मूलभूत मानवीय अधिकारों का सम्मान किया ही जाना चाहिए।

10.6 कारागृह में श्रेष्ठ सुधारात्मक गतिविधियां

10.6.1 समुचित वर्गीकरण

विभिन्न श्रेणी एवं वर्गो के अपराधियों के वर्गीकरण की अहमियत इस कथन से भली-भाँति प्रकट होती है कि 'अन्य किसी एक कारण से पुनर्स्थापन कार्यक्रमों का विकास इतना बाधित नहीं हुआ जितना कि जेल भवन की उपयुयुक्त शैली के अभाव के कारण' अर्थात सुधारात्मक कार्यक्रमों की सफलता एवं प्रभावशाली संचालन हेतु भिन्न श्रेणी के बन्दियों जैसे - पुरूष - महिला, विचाराधीन - दण्डित, वयस्क-किशोर न्यादपन-आकस्मिक, आतंकी(दुर्दता) -साधारण बंदी,फौजदारी-सिविल, स्वस्थ-बीमार (मानसिक रोगी) आदि. - धार पर बन्दियों का पृथक् रख-रखाव जरूरी है । इतना ही नहीं बल्कि सुधारात्मक व्यवहार के वैयक्तिकरण हेतु बन्दियों का शैक्षणिक आर्थिक एंव सामाजिक पृष्ठभूमि के

आधार पर भी पृथक्करण किया जाना चाहिए, जिसके लिए अलग-अलग आवास व्यवस्था हेतु उसी अनुरूप जेल भवन का निर्माण व पर्याप्त स्थान वांछित है।

एक संस्थागत व्यवस्था के रूप में कारागार मूलत: किसी अपराध के लिए दण्डित व्यक्तियों को निरूद्ध रखे जाने, उनके सुधार एवं पुर्नस्थापन के कल्याणकारी उद्देश्य से सुधार व्यवस्था स्वरूप स्थापित किये गये थे । किन्तु अब स्थित यह है कि गत पूरी 20वी शताब्दी में उक्त कल्याणकारी व्यवस्था एवं उद्देश्य के विपरीत आये मूलभूत बदलाव की तरफ शासन एवं समाज किसी का ध्यान नहीं गया । आज स्थिति यह है कि विचाराधीन बन्दियों की संख्या में अपूर्व, अप्रत्याशित एवं असन्तुलनकारी बढ़ोतरी हुई है । बढ़ते अपराधों के कारण ऐसे बन्दियों की संख्या पिछली सदी में बहुत तेजी से बढी है, जबकि आजादी के बाद जेल भवनों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई । परिणामत: सुधारात्मक सिद्धान्तों के विपरीत जेलों में जनाधिक्य (Overcrowding) एवं वर्गीकरण हीनता की दशाएं उत्पन्न हो गयी । नेशनल क्राईम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित वर्ष 201० की कारा-सांख्यिकी अनुसार देश में कुल 1393 जेलों में उपलब्ध कुल बन्दी क्षमता 32०45० के विरूद्ध कुल 368998 बन्दी निरूद्ध रहे । उक्त कुल बन्दी संख्या में से 34.1 प्रतिशत दण्डित, 65.1 प्रतिशत विचाराधीन एवं शेष के लगभग 1 प्रतिशत निरूद्ध (Detenue) व अन्य बंदी रहे । जहां तक पुरूष-महिला बन्दियों के अनुपात की बात है, तो इनमें 96 प्रतिशत पुरूष एवं 4 प्रतिशत महिला बन्दी संख्या थी। उक्त अनुपात सुधारवादी विचारधारा अथवा सिद्धान्तों के विपरीत ही नहीं बल्कि कैदी कल्याण एवं सुधारात्मक उद्देश्य के प्राप्ति में अत्यधिक बाधक है, क्योंकि दोनों प्रकार के बन्दियों की प्रकृति एवं हित अलग-अलग है, और कारागार प्रबन्धन विचाराधीन बन्दियों के रख-रखाव में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसको दण्डित बन्दियों के सुधारात्मक कार्यो में ध्यान देने का समय ही नहीं मिलता है।

10.6.2 शैक्षणिक कार्यक्रम

देश की जेलों में तीन - चौथाई से अधिक बंदीगण माध्यमिक स्तर से निम्न कक्षा तक ही शिक्षित हैं जबकि शेष बन्दी संख्या तुलनात्मक बेहतर शैक्षणिक योग्यता रखते है । उन कार्यक्रमों का उद्देश्य या लक्ष्य प्रत्येक निरक्षर बन्दी को साक्षर, अल्पशिक्षित को आधारभूत वांछित शिक्षा देना तथा बेहतर शिक्षितों को उनकी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता वृद्धि करने हेतु प्रोत्साहित करना है । ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रमों में शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, शैक्षिक, सामाजिक, व्यावसायिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक व सांस्कृतिक शिक्षा पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाना चाहिये । औपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम बन्दियों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS) इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त। विश्वविद्यालय, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, दूरस्थ शिक्षा मण्डल तथा औधोगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के सहयोग से तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रमों का आयोजन जेल प्रबन्धन द्वारा किया जाता है। जेल प्रशासन द्वारा शिक्षित बन्दियों को प्रशिक्षण देकर इस योग्य बनाया जाता है कि वे निरक्षर एवं अल्प शिक्षित बन्दियों को पढ़ा सकें । पूर्णत: निरक्षर बन्दियों पर विशेष ध्यान देकर उन्हे एक सप्ताह की अवधि में स्वयं का नाम लिखने व पढ़ने योग्य बनाया जाता है । उच्च शिक्षा के आकांक्षी बन्दियों के लिए सभी वांछित सुविधाएं जेल व्यवस्था ' नियमों के दायरे में उपलब्ध करवायी जाती हैं । प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले बन्दियों के लिए वांछित व्यवस्थाए सुनिश्चित करने हेतु विशेष ध्यान दिया जाता हैं । आर्थिक रूप से अक्षम बन्दियों के पाठ्यक्रम एवं परीक्षा शुल्क की व्यवस्था भी जेल प्रशासन

की ओर से सुनिश्चित की जाती है, कई जेलों में इग्नू अध्ययन केन्द्र (IGNOU Study Centre) संचालित कर बन्दियों एवं जेल कर्मियों दोनों को विविध शैक्षिक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा उपलब्ध करवायी जा रही है।

10.6.3 व्यावसायिक प्रशिक्षण एंव कौशल (Skill) उपयोग

किसी अपराध के लिए दण्डित होकर कारावासित हो जाने पर एक व्यक्ति केवल सामाजिक रूप से ही कलंकित नहीं होता, बल्कि लम्बे समय तक शेष समाज से उसका मेल-जोल नहीं रहने से व्यावहारिक रूप से भी वह समाज से अलग-थलग पड़ जाता है । रोजगार से बेरोजगार होकर आजीविका के साधन खो देना कारावासित होने के सर्व प्रमुख दुथरिणामों में से एक है । इसलिए किसी बन्दी के कारावास से मुक्ति के उपरान्त समाज के साथ पुर्नएकीकरण एवं उसको पुन: अपराध की ओर बढ़ने से रोकने का यदि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोई एक तत्त्व है तो उसका आर्थिक-पुर्नस्थापन ।

अत: कैदियों को उनके सजा काल में कारावासित रहने के दौरान व्यावसायिक या पेशेवर हुनर के प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध करवाये जाना निहायत आवश्यक है, जो उन्हें उपयोगी कामकाज में शारीरिक मानसिक रुप से व्यस्त रखकर न केवल नकारात्मक सोच एवं अपराध बोध के अवांछित चिन्तन से मुक्ति देता है बल्कि उनके परिश्रम के मूल्य के साथ एक ऐसे हुनर सीखने का अवसर देता है जिसे वे जेल से रिहाई के पश्चात जीविकोपार्जन स्वरूप अपना सकता है। किसी कारागृह में कैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करवाये जाये यह स्थानीय बाजार में उपलब्ध कच्चा-माल, स्थानीय बाजार की आवश्यकताएँ, निर्मित सामान की मांग एवं विपणन सम्भावनाओं आदि बातों पर निर्भर करते है । इनके आधार पर निर्णय कर उसी तरह के हुनर की प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवायी जाये। जेल में सामान्यत: जो पारम्परिक से आधुनिक व्यावसायिक हुनर सिखाये जाते हैं वे सुथारी व लुहारी कार्य, टेलरिंग, प्लम्बिग, बेकरी, जूते व अन्य चमडे के सामान बनाना, डेटा ऐन्ही ऑपरेशन, टाईपिंग, डेस्कटॉप-प्रिन्टिग, इलेक्द्रीशियन, ऑटो-रिपेयर, ब्यूटी पार्लर, साफ्ट- टॉयमेकिंग, योग-प्रशिक्षण, फोन-मोबाईल रिपेयर आदि हैं । उक्त सभी हुनर के प्रशिक्षण से जेल से मुक्ति उपरान्त बंदियों की रोजगार सम्मव्यता में अभिवृद्धि होती है । बंदियों द्वारा उपयोगी एवं लाभकारी कार्य किये जाने के परिणाम स्वरूप अपराधियों की मनःस्थिति में एक सकारात्मक सुधार ही नहीं होता, बल्कि उनके अन्तरमन में समाज के प्रति एक जिम्मेदारीपूर्ण एवं सम्मानजनक धारणा विकसित करने में दूरगामी प्रभाव उत्पन्न होता है । साथ ही अपने श्रम के उपयोगी एवं मूल्यवान कार्यो में नियोजित किया जाना न केवल बंदियों में आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान का संचार करता 'है बल्कि जेल से रिहाई के बाद खुले समाज में सम्मानपूर्ण आजीविका अर्जित करने योग्य बनाता है । इसलिए बन्दियों को ऐसे हुनर का प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे उन्हें जेल से रिहा होने पर आसानी से रोजगार मिल सके । इस हेतु अजमेर एव जयपुर केन्द्रीय कारागृहों में इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग ईन्हीट्यूट (आई॰टी॰आई) केन्द्रों की स्थापना तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा की गई, जहां फिटर व हाउस वायरिंग, कारपेन्द्री, कटाई व सिलाई, डीजल मैकेनिक आदि के एक व दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स संचालित किये जा रहे है । बंदी संचालित उद्योगों ' कार्यशालाओं में उत्पादित एवं निर्मित उल्लेखनीय कुछ सामान निम्नानुसार है - जेल फार्म्स के कृषि उत्पाद, लकड़ी एवं लोहे के फर्नीचर, रेडिमेड गारमेन्ट्स, वस्त्र-कम्बल-तौलिये आदि, साबुन

डिटर्जेन्ट, फिनाईल हैण्डलूम-उत्पाद, बेकरी-उत्पाद, जूते एवं अन्य चर्म सामान, स्टेशनरी एवं पेपर उत्पाद इत्यादि ।

10.6.4 तनाव मुक्ति कार्यक्रम - खेल एवं सांस्कृतिक आयोजन

यह शोध-सिद्ध सत्य है कि अपराध बोध एवं उसका दण्ड अपराध कारित करते समय नहीं बल्कि उसे करने के पश्चात भुगतना पड़ता है । इसलिए कारागृह वे स्थान हैं जो क्रोध-द्वेष, हिंसा-प्रतिहिंसा, प्रतिशोध-द्वन्द्व, हताशा-अवसाद आदि जैसे नकारात्मक भावों से दूषित रहते हैं । इसलिए तनाव मुक्ति कार्यक्रम यहां एक नियमित एवं निहायत वांछित आयोजन है । बंदियों को नियमित रुप से नशामुक्ति एवं एच. आई. वी. जैसे स्वास्थ्य विषयों पर संवेदनशील ही नहीं बनाये रखा जाता, बल्कि विविध गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) एवं सामुदायिक संस्थाओं के सहयोग से जेलों में अनेक आध्यात्मिक / नैतिक शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहता है, जैसे योग एवं ध्यान पाठ्यक्रम, नैतिक संभाषण एवं धार्मिक प्रवचन, आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स. प्रानिक हीलिंग कोर्स, विपाशना आदि।

इसी तरह बंदियों के नीरस एवं एकरस जेल जीवन में किंचित् सरसता एवं बदलाव लाने में खेल एवं सांस्कृतिक आयोजनों का महत्वपूर्ण योगदान है, जो बिना किसी जाति धर्म भेदभाव के देश भर की जेलों में सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्वो एवं धार्मिक उत्सवों, त्यौहारों पर आयोजित किये जाते हैं - जैसे बंदियों में सम्भाग व राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं, क्विज, निबन्ध व गीत प्रतियोगिताएं, नाटक व संगीत समारोह, नृत्य व सुगम संगीत आदि । साथ ही जेलों में बंदियों की अल्पकालिक मानसिक व्यस्तता, ज्ञानवर्धन एवं मनोरंजन के लिए टी. वी., ईन्द्वोर गेम्स, पुस्तकालय (वाचनालय) जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवायी जाती हैं।

10.6.5 कारागृह संदर्शन प्रणाली (prison Visiting System)

पण्डित नेहरू ने अपने निजी अनुभव से कितनी बखूबी यह सटीक उक्ति की कि ' 'किसी अन्य स्थान की अपेक्षा कोई व्यक्ति जेलों में आकर ही राज्य अथवा सत्ता की मूलभूत प्रकृति का सही अहसास करता है ।" जेलें ऐसी अल्प-दृश्यता या अपारदर्शिता वाले स्थान बन गये जहां अमानवीय एवं क्रूर दशाएँ व्याप्त रह सकती हैं । इन बन्द संस्थाओं के आवासियों या बन्दियों के साथ उत्पीड़न एवं अन्याय होने की सम्भावना सदा बनी रहती है । ऐसी संस्थाओं में दैनिक घटनाओं पर शासन का पर्यवेक्षण एक औपचारिकता मात्र बनकर रह गया है, और समाज की निगरानी तो नहीं के बराबर रहती है।

गत कुछ दशकों में कारागार व्यवस्था (प्रिजन सिस्टम) के भौतिक ढांचे एवं उसके उद्देश्यों दोनों में व्यापक परिवर्तनों के बावजूद बिना किसी जन समीक्षा के एक बन्द संस्था के रूप में जेलों का मूलभूत चरित्र आज भी कायम है ।

समाज से पृथक हुए कारावासियो को मानवीय सहयोग उपलब्ध करवाने में विजिटर्स सिस्टम के मूल्यवान योगदान की महत्ता को बहुत पहले वर्ष 1894 में ही प्रिजन्स एक्ट में स्वीकार कर जेलों में गैर-सरकारी दखल की आवश्यकता को पहचाना गया । जिसके परिणास्वरूप कारागृह प्रबन्धन में गैर-सरकारी हस्तक्षेप या मध्यस्थता की धारणा की सर्वप्रथम परिकल्पना प्रिजन्स एक्ट 1894 में की गई । इस अधिनियम की धारा 59 की उप धारा (25) में राज्य सरकारों को प्रिजन विजिटर्स की नियुक्ति एवं मार्गदर्शन के लिए नियम बनाने की शक्तियां प्रदान की गई । ऐसे विजिटर्स पैनल के मुख्य कार्य

जेल की दशाओं का नियमन, जेल सुधार लागू करवाना, विधिक एवमू मानसिक पुर्नस्थापन में सहयोग दिलाना तथा बन्दियों व स्टॉफ समस्याओं के समाधान में सहयोग करना है ।

प्रिजन विजिटिंग सिस्टम के अन्तर्गत समाज के कुछ प्रबुद्ध व संवेदनशील व्यक्तियों को जेलों के संदर्शन के लिये गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में मनोनीत किया जाता है । ये गैर-सरकारी संदर्शक जेलों पर नियमित अन्तराल पर जाते हैं और वहां सामाजिक पर्यवेक्षण के रूप में यह सुनिश्चित करते है कि जेलें निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित हो और बन्दियों के हितों की रक्षा हो । कारागार संदर्शन प्रणाली (Prison Visting System) जेल जैसी बन्द संस्थाओं के ऊपर सामाजिक पर्यवेक्षण की एक प्रभावी प्रणाली है । अत: इसे सशक्त और सुनियोजित किया जाना चाहिए।

10.6.6 अपराधी सुधार में सामुदायिक सहभागिता

देश की जेलों के सुधारात्मक कार्यक्रमों में सामुदायिक सहभागिता विश्वभर की जेलों के लिए एक मिसाल कायम करने वाली उपलब्धि है । जेल प्रशासन द्वारा स्वय अपने प्रयासों के अतिरिक्त अनेकों सुधारात्मक एवं पुनर्स्थापन गतिविधियों को गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के सहयोग से संचालित कर सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित की जाती है। एन. जी. ओ जेलों में विविध सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं, जैसे विभिन्न कार्यक्रमों हेतु सामुदायिक आर्थिक सहयोग, जेल के अन्दर व बाहर बन्दियों के बच्चों को शिक्षा हेतु मदद प्रायोजित करना, बन्दियों के छ: वर्ष से अधिक आयु के बच्चों (जो उनके साथ जेल में नहीं रह सकते) को हॉस्टल में प्रवेश दिलवाने की व्यवस्था करना आदि।

स्वंय सेवी संगठन एवं सामाजिक कार्यकर्ता न्यायिक अभिरक्षा में आने वाले विचाराधीन बन्दियों से सक्रिय रूप से तत्काल सम्पर्क कर उन्हें तनावपूर्ण दशाओं में सम्भलने, उनकी पारिवारिक एवं बच्चों सम्बन्धी समस्याओं के समाधान में वांछित सहयोग करता है । वे विचाराधीन बन्दियों के लिये उनका समय उपयोगी रूप में व्यतीत करने हेतु सकारात्मक गतिविधियों का आयोजन भी कर सकते है । ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जेल प्रबन्धन के लिए सामाजिक एवंसमूह-गतिविधियों (Group Dynamics) को समझकर उनका बन्दियों एवं अभिरक्षा कर्मियों (स्टाफ) के लाभ हेतु उपयोग लेने में एक महत्वपूर्ण साधन सिद्व हो सकते है। इसी तरह ये सामाजिक संस्थाऐं बन्दियों की रिहाई के पश्चात उनके पुर्नवास में भी महत्वपूर्ण भूमिकानिभाती है। वे उन्हें आपातकालीन आर्थिक सहयोग, अस्थाई निवास सुविधा, आर्थिक पुनर्वास के लिये बैंक लोन दिलाने, रोजगार उपलब्ध करवाने और सामाजिक पुनर्वास के लिये आवश्यक परामर्श देने में सहायक होते है । अनेक सामाजिक संगठन मुक्त बन्दियों को विधिक सहायता प्रदान करने और पुलिस प्रताड़ना से संरक्षण दिलाने में आवश्यक सहयोग करते हैं।

10.6.7 पैरोल एवं समय पूर्व रिहाई

यह सर्व स्वीकार्य तथ्य है कि कोई व्यक्ति माँ की कोख से अपराध सीखकर नहीं आता । मानव सामाजिक प्राणी है, वह समाज में जन्म लेता है, पालन पोषण पाकर वहीं बड़ा होता है, सद्कर्म-दुष्कर्म भी उसी समाज में सीखता है । इसलिए यह एक स्थापित सत्य है कि व्यक्ति के आपराधिक कृत्यों के लिए भी समाज जिम्मेदार है । अत: अपराध कारित करने पर खुले समाज से बन्द समाज (जेल) में भेजकर भले ही उसके स्वतन्त्र विचरण से नियन्त्रित कर दिया जावे, किन्तु उसे पूर्णत: समाज से अपलिखित (Write-off) अथवा समाजविहीन नहीं किया जा सकता । जेल में आ जाने के पश्चात् भी

उसकी अपने परिवार व समाज के प्रति कई जिम्मेदारियां अपेक्षित रहती हैं, जिनके निर्वहन के लिए ही जेल नियमों में पैरोल अथवा कारावास कालीन अवकाश का प्रावधान किया गया हैं । स्थापित नियमानुसार कारावास काल में कैदियों को उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियों, यथा रक्त- सम्बन्धी परिजनों को गम्भीर बीमारी, मृत्यु, विवाह आदि के निर्वहन हेतु पैरोल दिये जाना उनके जेल प्रवास काल में सदाचरण एवं अनुशासन बनाये रखने के लिये अभिप्रेरित ही नहीं करता बल्कि व्यवस्था एवं समाज के प्रति उनके मन में क्रोध-प्रतिशोध भाव को कम करता है । यह उनमें सद्भाव जगाकर उन्हें प्रायश्चित व सुधारात्मक पथ पर अग्रसर होने का अवसर प्रदान करता है । संक्षेप में राजस्थान प्रिजन्स रूल्स 1951 में पैरोल हेतु किये गये प्रावधान-नियम निम्नानुसार हैं :-

नियमित पैरोल :-

1. पैरोल सुविधा केवल दण्डित बन्दियों को देय है । जिनकी सजा अवधि एक वर्ष या अधिक हो ।
2. जेल में कैदी का आचरण उत्तम रहा हो ।
3. जिसने मय परिहार (Remission), यदि हो तो, अपनी दण्डावधि का 174 भाग पूरा कर लिया हो ।
4. अ-जेल में उत्तम आचरण वाले कैदी को 20 दिन के प्रथम पैरोल पर छोड़ा जाता है ।
   ब:-कोई विधि विरूद्ध कार्य किये बिना सदाचरण के साथ प्रथम पैरोल पूर्णकर लौट आने के एक वर्ष पश्चात् 30 दिवस की द्वितीय पैरोल दी जा सकती है।
   सः-द्वितीय पैरोल अवधि में पैरोल नियमों का उल्लंघन किये बिना सदाचरण के साथ पैरोल पूर्ण कर लौट आने के एक वर्ष बाद उसे 40 दिन की तृतीय पैरोल दी जा सकती है ।
5. यदि 40 दिवस की तृतीय पैरोल में भी किसी कैदी का व्यवहार उत्तम रहे व उसका आचरण ऐसा रहा हो कि उस की पुन: अपराध की ओर प्रवृत होने की कोई सम्भावना न हो तो उसका प्रकरण राज्य पैरोल समिति के माध्यम से राज्य सरकार को स्थाई पैरोल हेतु प्रस्तावित किया जा सकता है।
6. यदि किसी कारणवश किसी कैदी का स्थायी पैरोल प्रकरण खारिज हो जाता है तो शेष सजा अवधि के लिए वह प्रतिवर्ष 40 दिवस की पैरोल हेतु पात्र होगा, जिनके लिए शर्ते पूर्ववत रहेंगी।

आपात पैरोल :-

1. किसी कैदी के साथ कभी कोई पारिवारिक आकस्मिकता की दशा में आपात पैरोल देय होती है ।
2. ऐसी आकस्मिकता कैदी के निकट रक्त सम्बन्ध या प्रथम सम्बन्ध रिश्तेदार की मृत्यु गम्भीर-बीमारी, विवाह आदि जैसे कार्य है । जिसमें कैदी की अनुपस्थिति में वांछित रस्म आदि पूर्ण न हो सके, पर ही देय है।
3. सात या पन्द्रह दिवस की आपात पैरोल हेतु जेल अधीक्षक, जिलाधिकारी व दण्डनायक अथवा जेल महानिदेशक को आवेदन किया जा सकता है।

वांछित जमानत मुचलकों की आपूर्तिपश्चात् उक्त पैरोल अवधि हेतु कैदी को उस के विश्वास पर जेल से अवकाश पर अस्थाई रूप से रिहा कर दिया जाता है तथा पैरोल अवधि समाप्ति पर वह स्वत: ही पुन: जेल पर समर्पित हो जाता है।

समय पूर्व रिहाई

पैरोल के समान ही सुधारात्मक दृष्टिकोण से प्रिजन रूल्स में न्यायालय द्वारा दिये गये दण्ड की समाप्ति से पूर्व ही रिहा किये जाने का प्रावधान है । जो उसके पूरे कारावास काल में अपना आचरण उत्तम अनुशासित बनाये रखने के लिए पुरस्वपाृर स्वरूप है और उसे प्रायश्चित कर आत्मसुधार करने हेतु गम्भीर अभिप्रेरण का कार्य करता है । इसके अन्तर्गत किसी कैदी की कुल दण्डावधि का दो-तिहाई भाग मय परिहार एवं आजीवन कारावासी कैदी द्वारा न्यूनतम 14 वर्ष की सजा भुगत लिये जाने पर उसका प्रकरण समय पूर्व रिहाई हेतु सलाहकार मण्डल के समक्ष विचारणार्थ रखा जाता है, जिसके द्वारा हर दृष्टि से नियमानुसार पात्र होने पर समय पूर्व रिहा किये जाने की सिफारिश के साथ प्रकरण राज्य सरकार को अंतिम निर्णयादेश हेतु भेजा जाता है। राज्य सरकार के आदेश पर ऐसे कैदी को उसकी दण्डावधि समाप्ति से पूर्व जेल से रिहा कर उसे पुरस्कृत व अन्य बन्दियों को सुधार हेतु अभिप्रेरित किया जाता है।

10.6.8 बन्दी खुला शिविर

सुधारात्मक प्रक्रिया की एक उपयोगी लुप्तकड़ी (Missing Link) के रूप में खुली जेल / खुले शिविर अथवा दीवार रहित कारागृह एक वैज्ञानिक एवं सुविचारित चिन्तन का परिणाम है । यह एक कैदी के लिए अंतिम रिहाई उपरान्त बन्द समाज से खुले समाज में जाने से पूर्व प्रशिक्षण की तरह है, और एक पुर्नसामाजीकरण की प्रक्रिया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य कारावास एवं खुले समाज के उत्तरदायित्व के मध्य आये अन्तराल (Gap) को आपूरित करना है । किसी कैदी का ऐसे खुले शिविरों पर अपनी शेष सजा अवधि भुगतते हुए अपने परिवार के साथ रहने व आजीविका अर्जन करने, बच्चों की शिक्षा, विकास एवं विवाह जैसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का अवसर दिया जाता है । वर्तमान में राजस्थान में ऐसे 23 खुले बंदी शिविर हैं, ताकि प्रत्येक कैदी को अपने मूल निवास स्थान के निकटतम शिविर पर रहने का सहज अवसर उपलब्ध हो सके तथा खुले शिविर क्षमता वृद्धि से अधिकाधिक बंदियों को अपनी शेष सजावधि में खुले शिविर में जाने का मौका आसानी से मिल सके । खुले शिविर हेतु पात्र कैदियों सम्बन्धी नियम-प्रावधान संक्षेप में निम्नानुसार हैं :-

- मय परिहार जिस कैदी ने अपनी मूल सजा अवधि का एक तिहाई भाग पूरा कर लिया हो ।
- विवाहित कैदी ही सपरिवार खुले शिविर पर जाने योग्य है ।
- जो मूलतः राजस्थान का निवासी हो, अथवा साधारणतः जिसका निवास स्थान इसी राज्य में हों, अर्थात् अन्य राज्य में नहीं हो।
- जो विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के अधीन दंडित न हो ।- जो जेल अथवा किसी तरह से न्यायिक अभिरक्षा से फरार न हो । अथवा फरारी का प्रयास नहीं किया हो ।
- जिसे 05 वर्ष से अधिक अवधि हेतु दंडित किया हो ।
- जो दो से अधिक प्रकरणो में दंडित होकर आदतन अपराधी के रुप में कारावासित न रहा हो ।

- जिसका जेल में आचरण उतम रहा हो । अर्थात जिसे खुला बंदी शिविर पर भेजे जाने की सिफारिश किये जाने कि दिनाक से 02 वर्ष पूर्व की अवधि में जेल दण्ड नहीं दिया गया हो ।
- जिसकी आयु 25 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम हो ।
- जो कैदी पूर्णत: स्वस्थ हो अर्थात जिसके किसी तरह की शारीरिक विकलांगता या मानसिक विकृति न हो ।
- जिसका राजस्थान में निश्चित ठिकाना या घर हो।
- जो निरूद्ध (Detenue) या सिविल कैदी न हो ।
- जिसे आवारागर्दी के प्रकरण में सजा नहीं दी गई हो ।
- जिसने फैक्ट्री या जेल सेवा में आबंटित कार्य नियमित रुप से पूरा किया हो ।

दंडित बंदियो के सुधार एवं पुनर्वास को संदर्भ या दृष्टिगत रख कर देश में कारागृह कल्याण व्यवस्थाएं स्थापित की गई है । ये व्यवस्थाऐं कारागृह में मूलत: आपराधिक कृत्यों के लिए न्यायालय द्वारा दंडित बंदियों को आवासित करने हेतु अस्तित्व में आई।

जेल प्रशासन, समाज और राज्य का दायित्व है कि दण्डित बन्दियों के सुधार और सामाजिक पुनर्वास के लिये संचालित सभी योजनाओं को अधिक प्रभावशग़ली बनाएँ और समाज में आने वाले आधुनिक परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में नवीन सुधारात्मक कार्यक्रमों का सृजन एवं संचालन करें।

10.7 सारांश

सुधारवादी विचारधरा के अनुसार बन्दियों की कारावास अवधि का सकारात्मक एवं सृजनात्मक उपयोग किया जाना चाहिये ताकि वे जेलों से रिहा होने के बाद एक उपयोगी जीवन का निर्वाह कर सकें । एक दण्डित व्यक्ति को समाज से अपलिखित (Write off) नहीं किया जा सकता । उसे उसके विधि विरूद्ध कृत्य के लिए मिले दण्ड के कारण शेष जीवन एक सदनागरिक के रूप में यापन के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता । इसलिए कारावास की अवधि को नीरस एवं अनुपयोगी बने रहने की बजाय उसे उपयोगी एवं सरस बनाये जाने के उपाय किये जाने चाहिए।

गाँधी ने अपने सपनों के आजाद भारत में जेलें कैसी हों इसके लिए कहा है कि "सभी अपराधियों/ बंदियों के साथ रोगियों जैसा व्यवहार किया जाना चाहियें और जेलें इस श्रेणी के रूप में रोगियों के उपचार एवं देखभाल हेतु भर्ती करने वाले अस्पताल स्वरुप होनी चाहिए । जेल स्टाँफ का नजरिया अथवा दृष्टिकोण वैसा ही होना चाहियें, जैसा कि अस्पताल में एक चिकित्सक का रोगियों के प्रति होता है। बन्दियों को यह महसूस होना चाहिए कि जेल अधिकारी उनके मित्र हैं, और वे यहां उन्हें किसी तरह की यन्त्रणा देने नहीं बल्कि मानसिक रूप से पुन: स्वस्थ होने में मदद करने के लिए सेवारत है।"

जेल प्रशासन, समाज और राज्य का दायित्व है कि दण्डित बन्दियों के सुधार और सामाजिक पुनर्वास के लिये संचालित सभी योजनाओं को अधिक प्रभावशाली बनाऐं और समाज में आने वाले आधुनिक परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में नवीन सुधारात्मक कार्यक्रमों का सृजन एवं संचालन करें।

10.8 अभ्यास प्रश्न

1. अपराधियों के सुधार एवं पुनर्वास की अवधारणा क्या है? लिखिए।

2. कारावासित होने से क्या एक व्यक्ति गैर व्यक्ति या अमानव (Non-person) बन जाता है? विवेचना कीजिए ।
3. सुधारात्मक कार्यक्रमों में गैर सरकार संगठनों (N.G.O.) की क्या है? लिखिए।
4. क्या कारागहो में सुधार कार्यक्रमों में सामुदायिक सहभागिता होनी चाहिए, यदि हां तो कितनी होनी चाहिये? उल्लेख कीजिए।
5. कारागार संदर्शन प्रणाली (Prison Visiting System) का वर्णन कीजिए।

इकाई - 11

दंड की प्रकृति तथा प्राचीनकाल , मध्यकाल एवं वर्तमानकाल में दंड का स्वरूप

इकाई की रूपरेखा

11.0 उद्देश्य
11.1 प्रस्तावना
11.2 दंड के विभिन्न स्वरूप
11.3 दंड का सैद्धान्तिक रूप
11.4 प्राचीन काल में दंड की प्रकृति
11.5 भारत में मध्यकाल में दंड की प्रकृति
11.6 आधुनिक भारत में दंड की प्रकृति
11.7 दंड के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान
11.8 बच्चों के लिए दंड प्रावधान
11.9 सारांश
11.10 अभ्यास प्रश्न

11.1 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप :

- प्राचीनकाल, मध्यकाल व वर्तमानकाल में दंड के स्वरूप व प्रकृति की जानकारी प्राप्त कर पाऐंगे।
- दंड के सैद्धान्तिक स्वरूप को समझ पाऐंगे ।
- आधुनिक भारत में दंड की प्रकृति की जानकारी प्राप्त कर पाऐंगे ।
- दंड के संदर्भ में विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों से अवगत हो पाऐंगे ।
- बच्चों के लिए दंड के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी प्राप्त कर पाऐंगे ।
- संसार की विभिन्न-न्यायिक प्रणाली द्वारा प्रदत्त दंड के विभिन्न स्वरूपों को समझ पाऐंगे।
- दंड के विभिन्न स्वरूपों की जानकारी प्राप्त कर पाऐंगे ।

11.1 प्रस्तावना

किसी भी व्यक्ति द्वारा अपराध या अपकृत्य किये जाने के कारण, या कानून द्वारा समर्थित गतिविधि के लोप के कारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दंड कहा जाता है । समाज का दंडाधिकार इस सर्वमान्य सहमति पर आधारित होता है कि व्यक्ति जो आदिम समाज का अभिन्न घटक है इसकी व्यवस्था को बरकरार रखे और राज्य का अस्तित्व भी कायम रहे । कुछ चिन्तकों के अनुसार समाज में रहना व्यक्ति के हित में है और यह उसका कर्त्तव्य भी हैं समाज अपने अस्तित्वगत स्वरूप को नष्ट होने से बचाये रखने के लिए अपराधिक कृत्यों के लिए दंड व्यवस्था का पक्षधर है । इस सामाजिक

लक्ष्य की पूर्ति हेतु दंड अनुकरणी हो, उन लोगों के लिए अवरोध हो जो अपराध करने के लिए प्रवृत्त हो, दंड सुधारात्मक भी हो जो बन्दियों की व्यक्तिगत दुर्दशा को सुधार सके और उनके परिजनों की भावनाओं को बेरहमी से आहत न करे; दंड व्यक्ति के अपराध की स्थिति के अनुरूप और सापेक्ष्य हो तथा हर मामले में पुनर्विचार की संभावना से युक्त। हो क्योंकि मानवीय न्याय में पूर्णता नहीं हो सकती।

दंड का उद्देश्य अपराधी को सुधारना है, उसे अपराध करने से रोकना है औा यह मिसाल कायम करना है कि दूसरे लोग अपराध करने पर आमादा न हो. इसी में समाज का हित अन्तर्निहित है ।

11.2 दंड के विभिन्न स्वरूप

दंड की परिभाषा के पहलू

- दंडित करने का कार्य
- अपराध अपकृत्य के लिए दंडित किये जाने का तथ्य
- अपराध के लिए दी गयी सजा
- कठोरता से दंड निष्पादन

संसार की विभिन्न न्यायिक प्रणालियों द्वारा प्रदत्त दंड के विभिन्न स्वरूपों का विवरण

मुकदमें की औपचारितायें पूर्ण होने पर, अदालत अपराधी को दंडित करती है और उसे दिया गया दंड उसके अपराध की संगीनता के सापेक्ष्य होता है। दंड के अनेक स्वरूप हैं जो भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न उदाहरणार्थ किसी जघन्य अपराध में किसी देश में मृत्युदंड दिया जा सकता है जबकि किसी अन्य देश में आजीवन कारावास ही पर्याप्त दंड है । कहने का अभिप्राय यह है कि दंड की अवधारणा बहु त व्यापक है जिसकी अनेकानेक व्याख्यायें संभव हैं कुल मिलाकर दंड विमर्श का मूलाधार समाज में न्याय को सुनिश्चित करना है। अपराधियों को जिस प्रकार के दंड दिये जाते हैं वे कारावास जुर्माना, समाज-सेवा, नेकचलनी के आश्वासन पर दिया जाता है हालांकि यह सामान्य रूप से दिया गया दंड नहीं है।

कारावास -

कारावास पूरे संसार में दंड का सामान्य स्वरूप है । इसके पीछे बन्दी 7 अपराधी के सुधार की मंशा है । यही कारावास का उद्देश्य है । इसमें कई अन्य बातें भी सम्मिलित हैं जैसे अपराध की रोकथाम, अपराध के प्रति असमर्थता तथा बन्दी का समाज में पुनर्स्थापन ।

प्रोबेशन (परिवीक्षा) -

कारावास के बजाय दंड का एक प्रकार प्रोबेशन है जिसमें अपराधियों को सशर्त मुक्ति। दी जाती है । प्रोबेशन अधिकतर छोटे मौटे अपकृत्य और अपराधों में अमल में लाया जाता है । इसके अन्तर्गत पात्र अपराधी को अनिवार्य रूप से उन शर्तो की पालना करनी पड़ती है जो न्यायालय द्वारा उसके मामले में तय की गयी हों ।

जुर्माना तथा मुवावजा (हर्जाना भरपाइ)ई -

इन दोनों के दंडों में आर्थिक भुगतान से तात्पर्य है परन्तु दोनों प्रावधानों में अन्तर है । जुर्माना दंडित अपराधी द्वारा सरकार को देय होता है । जबकि हर्जाना उसे पीड़ित पक्ष को देना पड़ता है । इस प्रकार का दंड प्रावधान उन अपराधियों के लिए है जो आमतौर पर समाज व्यवस्था के लिए खतरनाक नहीं होते ।

समाज सेवा -

सजा के विकल्प के रूप में, अपराधी को अनिवार्यत: समाज सेवा करनी पड़ती है यह आशिक दंड भी हो सकता है और पूर्ण दंड भी । कुछ मामलों में इसकी एवज में जुर्माना किया जाता है । अक्सर अनेक प्रकार के अपकृत्यों के लिए समाज सेवा का दंड दिया जाता है विशेष रूप से अहिंसक दीवानी मामलात में । हालांकि अब यह परिपाटी बहुत सीम्ति प्रचलन में है।

मृत्युदण्ड-

मृत्युदण्ड, दंड का कठोरतम रूप है । प्राय: हत्या, जनसंहार, बलात्कार आदि अपराधों में मृत्युदण्ड की सजा का प्रावधान है । जो कुछ देशों में यह अभी भी जायज है । मृत्युदण्ड का प्रावधान समाज में अपराधों का सबसे महत्वपूर्ण अवरोधक है । जिससे यह सुनिश्चित संदेश जाता है कि हत्या और बलात्कार जैसे संगीन अपराधों को समाज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मृत्युदण्ड फांसी के रूप में कारित होता है।

11.3 दंड का सैदान्तिक रूप

दंड से तात्पर्य शब्दकोषीय परिभाषा के मुताबिक अपराधी को शारीरिक यंत्रणा देना अथवा सम्पत्ति से वंचित कर देना है या जुर्माना वसूलना है । वैसे अपराधी को शारीरिक यंत्रणा देने से दंड विधान का प्रयोजन पूर्ण नहीं होता । यदि दंड इस प्रकार का हो जिसमे अपराधी स्वयं अनुभव करे कि उसने गंभीर अपराध किया है और वह तत्काल प्रायश्चित के लिए तत्पर हो जाये तो यह माना जा सकता है कि कानून की मंशा पूर्ण हुई है । सेल्मन के अनुसार, न्याय के चार तत्त्व हैं जो दंड विधान द्वारा निष्पादित होना चाहिए । उनको निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है -

1. अपराध अवरोधकों के रूप में
2. अपराधों की रोकथाम के कारक के रूप में
3. अपराधों के सुधारात्मक रवैये के रूप में
4. अपराध के प्रतिकारात्मक कदम के रूप में ।

1. अवरोधक सिद्धांत

सर्वप्रथम दंड अपराध का अवरोधक है । विधिक दंड का प्रमुख प्रयोजन यह है कि अपराधी के समक्ष दंड से एक मिसाल कायम हो जाय और उनके लिए एक चेतावनी बन जाये जो अपराध की ओर प्रवृत हों । इस सिद्धान्त के मुताबिक, अपराध, अपराधी के निहित स्वार्थ और समाज के हितों के मध्य टकराहट. के परिणाम होते हैं । दंड का उद्देश्य अपराधी के निहत स्वार्थो और सामाजिक हितों के द्वन्ह से मुता करना है । इस सिद्धान्त की कटु आलोचना की गयी है क्योंकि यह उन अपराधों के संदर्भ में प्रभावहीन है जो घोर मानसिक तनाव की स्थिति में कारित किये जाते हैं । इस तरह के मामलात में अपराधी और अपराध के मध्य अवरोधक सिद्धान्त अर्थहीन हो जाता है ।

2. अपराधिक रोकथाम के कारक का सिद्धान्त -

दंड अपराधों की रोकथाम का कारक है और अपराध वृत्ति को निशक्त बना देता है । इसका प्रारम्भिक उद्देश्य भय उत्पन्न करके अपराध को कारित होने से रोकना है । दूसरा प्रयोजन है कि अपराधी को इतना निशक्त और निस्तेज कर दिया जाये कि वह अपने अपकृत्य की पुनरावृत्ति न कर सके । इसकी सबसे अधिक प्रभावी तरकीब मृत्युदंड है जो शान्ति काल में हत्या के अपराध में दंड के रूप में सीमित है । दूसरा उद्देश्य छोटे-मोटे दंड विधानों में परिलक्षित होता है जैसे कारावास, पद से मुति[

बर्खास्तगी, ड्राइविंग लाइसेंस का रद्द किया जाना या निष्कासित कर दिया जाना । उद्देश्य तो यही है कि अपराध की पुनरावृत्ति न हो । यह सिद्धान्त अपराध की रोकथाम में प्रभावी कारक हो सकता है परन्तु इससे अपराधी की मनोवृत्ति में सुधार सुनिश्चित नहीं किया जा सकता ।

3. सुधारात्मक सिद्धान्त -

अपराध अपराधी के चरित्र और स्वार्थ की टकराहट के परिणाम के रूप में कारित होता है । जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वह निहित स्वार्थ के लोभ का संवरn नहीं कर पाता या उसकी चारित्रिक दुर्बलता बहु त अधिक होती है अपराधिक अवरोधक सिद्धान्त के अनुसार अपराध कभी भी लाभ का सौदा नहीं होता हालांकि अपराधी कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है । सुधारात्मक सिद्धान्त व्यक्ति के चरित्र की शक्ति को रेखांकित करता है अर्थात् आत्ममुग्ध होकर अपने लोभ का संवरण करने में सक्षम हो सकता है। इस सिद्धांत के मद्देनजर दंड मनोरोग की चिकित्सा का पर्याय है और दवा की श्रेणी में आता है । इस सिद्धान्त के मुताबिक अपराध एक रोग है । सुधाद्रवादी अपराधी के व्यक्तित्व में बदलाव और चरित्र में सुधार चाहते हैं ताकि वह समाज के लिए उपयोगी हो सके।

4. क्षतिपूर्ति हर्जाना भरपाई का सिद्धान्त -

हरजाना भरपाई का सिद्धान्त निश्चित रूप से विवेकपूर्ण ढंग से पीड़ित पक्ष को न्याय उपलब्ध कराने का सिद्धान्त है क्योंकि यह भावनात्मक तल पर पीड़ितों के क्रोध का उपशमन कर देता है जो अन्याय के कारण स्वस्थ समाजों में उत्पन्न हो जाता है । इसके पीछे अतीत में हिंसक प्रतिशोध का सिद्धान्त था -- 'खून का बदला खून' जो आक्रामक और आवेशपूर्ण था।

आज न्याय का सिद्धान्त यह है कि दंड लाजिमी तौर पर अपराधिक दुष्परिणामों को निरस्त करने का रसायनिकी रूपान्तरणकारी साधन सिद्ध है । क्षतिपूर्ति के दंड सिद्धान्त की पृष्ठभूमइ में अपराधी के नैतिक आचरण का सुधारात्मक रूपान्तरण है और समाज की अशान्त अन्तरात्मा की समझ है । अपराध के कारित होने पर राज्य की शक्ति को ठेस पहु ंचती है और इसी वजह से दंड का प्रावधान कर व्यवस्था को बरकरार रखने का प्रयत्न किया जाता है । व्यक्तिगत और निजी प्रतिशोध की आदिम प्रवृत्ति एवं भावना अभी तक मौजूद है । इसलिए दंड के प्रावधान से समाज को जो नैतिक सन्तोष मिलता है उसे नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता।

कुल मिलाकर दंड का अवरोधक सिद्धान्त सर्वाधिक प्रभावी है ।

महात्मा गांधी का कथन कि ' 'पापी से नहीं, पाप से घृणा करो । "
मात्र दार्शनिक अवधारणा है और यह न्यायिक प्रशासन में व्यावहारिक रूप से पथ प्रदर्शन नहीं करती।

11.4 प्राचीनकाल मै सेक्शनकी प्रकृति

भारत की संस्कृति विश्व में सबसे प्राचीन है । प्राचीन भारत में ' 'सेक्शन' ' कानूनी और सामाजिक व्यवस्था का प्रमुख घटक था । समाज के नियमों का उल्लंघन ही दंड का कारक था । ये नियम शासक वर्ग द्वारा निर्मित और स्थापित किये गये थे और इनमें वर्ण-व्यवस्था / वर्ग व्यवस्था के सिद्धान्त को पोषित किया गया । राज्य द्वारा शक्तियों का निष्पादन तलवार के बल पर होता था जो शासक वर्ग पर निर्भर करता था । अनेक धर्मशास्त्र तथा अध्ययन के स्रोत बतलाते हैं कि न्यायपालिका सरकार की प्रमुख भुजा ही नहीं बल्कि राज्य की शक्ति संरचना के लिए अत्यावश्यक थी । हम सर्वप्रथम स्मृति ग्रंथों में प्राचीन भारत में अपराध और दंड के संदर्भ में चर्चा करे : स्मृति ग्रंथ विभिन्न अपराधों के लिए दंड के सम्बन्ध में कई नियम प्रतिपादित करते हैं । दुर्व्यवहार तथा अपमान अपकृत्य को संगीन

अपराध माना गया है । दंड विधान में जातिगत कटुता के नियंत्रण का उद्देश्य प्रतीत होता है तथा जातिगत समाज व्यवस्था, जैसा कि वेद और स्मृति ग्रंथो में प्रतिपादित है, के निर्वहन पर पूर्वाग्रह है । गौत्तम ऋषी के अनुसार यदि कोई शुद्र जो जानबूझकर किसी द्विज (ब्राह्मण) की अपशब्दों से निन्दा करता है अथवा उस पर हमला करता है तो उसे अंग से वंचित कर दिया जावे जिससे अपकृत्य को अंजाम दिया गया है । स्मृति की चिंतन में विभिन्न जातियों के अलग-अलग स्तर होने के कारण एक ही प्रकार के अपराध के लिए अलग-अलग दंडो की जातिगत व्यवस्था है । यदि कोई क्षत्रिय किसी द्विज (ब्राह्मण) की निन्दा करता है तो उसे पांच सौ कर्सापण (तत्कालीन मुद्रा) का जुर्माना देना होगा, यदि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय की निन्दा करता है तो उसे पचास कर्सापण का जुर्माना देना होगा, यदि कोई वैश्य अपराध करता है तो पांच कर्सापण का जुर्माना देना होगा और यदि कोई शूद्र के प्रति अपराध करता है तो उसे कोई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा । यदि कोई क्षत्रिय ब्राह्मण का अपमान करता है तो उसे एक सौ पण का जुर्माना देना पड़ेगा परन्तु वैश्य को ऐसे मामले में शारीरिक दंड भुगतना पड़ेगा। यदि कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय का अपमान करता है तो उसे पचास पण का जुर्माना देना पड़ेगा। यदि कोई वैश्य और शुद्र क्षत्रिय का अपमान करता है तो उसे क्रमश: पच्चीस और बारह पण का जुर्माना देना पड़ेगा।

यह सुस्पष्ट हो जाता है कि स्मृति में दंड का प्रावधान पक्षपातपूर्ण है । जिसे दुराग्रहपूर्वक उचित ठहराया गया है । इसका आधार अपराधी की जाति है । इसमें पीड़ित की जाति की भी विचारणा है। समेकित प्रयोजन यही है कि जाति व्यवस्था और इसकी पक्षपाती असमानताओं को राज्य की कठोर शक्तियों के निष्पादन के जरिये कायम रखा जावे।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि यदि कोई क्षत्रिय अरक्षित ब्राह्मण महिला के साथ व्याभिचार करता है तो उससे जुर्माने की सर्वाधिक राशि वसूल की जावेगी । यदि कोई वैश्य ऐसा करता है तो उसकी समस्त सम्पत्ति जप्त करली जावेगी और यदि कोई शुद्र ऐसा करे तो उसे जिन्दा जला दिया जावेगा । दंड का प्रावधान केवल विवाहित महिलाओं के साथ यौनापराधों के लिए ही नहीं बल्कि सभी बलात्कार के मामलों में है । यदि कोई व्यक्ति आर्य महिला के साथ बलात्कार करता है तो उसका जननेन्द्रिय काट दिया जावेगा और उसकी सम्पत्ति का राज्य द्वारा अधिग्रहण किया जावेगा।

11.5 भारत मेंमध्यकाल मै दण्ड की प्रवृत्ति

भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित होने तक मनु का विधान जारी रहा । मुस्लिम विधि कुरान के प्रसूत है जो ईश्वर द्वारा पेगम्बर को रहस्योदघाटित ग्रंथ माना जाता है । मुस्लिम कानून के मुताबिक फर्ज की अवधारणा में पाप, जुर्म, धर्म, नैतिक अपैर सामाजिक कर्त्तव्य के विचार गुस्फित कर दिये गये और उन्हें सापेक्ष्य महत्व की दृष्टि से देखा गया । न्यायिक प्रशासन मुगल शासन के फाजियों के द्वारा निष्पादित किया जाता था । जुर्म की संगीनता पर दंड का विधान सापेक्ष्य रूप से चलता था। मुस्लिम विधि में दंड व्यवस्था चार श्रेणियों में विभक्त थी (1)एप्रतिशोधात्मक,(2)स्वैच्छिक, (3 अनुकरणीय और (4)आर्थिक। फाजियों की विचारणा अपराधों के बारे में स्थिर नहीं थी और जो अपराधियों की आर्थिक हैसियत और सामर्थ्य या पहुंच के अनुसार बदल जाती थी ।

इसके परिणामस्वरूप न्यायिक प्रशासन में मुरिलम शासनकाल में देश में एकसूत्रता और एकरूपता का अभाव रहा । यह लगभग अराजकता और निरंकुशता की स्थिति थी । (के.डी. गौड? की पुस्तक मिडीवल पीरियड अध्याय - ' 'क्रिमिनल ली : केसेज एण्ड मटिरियल्स ' (छठे संस्करण) से उधृत)

11.6 आधुनिक भारत में दंड की प्रवृति

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमने संविधान की मान्यतानुसार प्राजातांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया। ताजिरात-ए-हिन्द (भारतीय दंड संहिता, 1660) मुख्य दंड विधान है । यह अपराधों को परिभाषित करते हु ए, उनके? दंडो को सुनिश्चित करता है 1 विविध श्रेणी के दंडो पर इसमें एक अध्याय है तथा उनके निष्पादन और सम्बन्धित विधिक प्रावधानों पर विमर्श है। सेमान-53 दंड विधान का स्रोत है जिसके अनुसार न्यायालयों द्वारा अपराधियों को दंडित किया जाता हैं दंड विधान के अन्तर्गत :

(1) मृत्यु दंड और

(2) आजीवन कारावास भी आता है । कारावास की भी दो श्रेणियां हैं

  (i) सश्रम / कठोर श्रम युक्त। कारावास

  (ii) सामान्य कारावास

(3) सम्पत्ति का अधिग्रहण

(4) आर्थिक दंड बतौर जुर्माना

11.7 दंड के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान

धारा - 21 भारतीय संविधान के तीसरे अध्याय मे मूलभूत अधिकारों का प्रावधान है । उन अधिकारों में से एक धारा 21 के अन्तर्गत निम्न प्रकार से उल्लिखित है -

धारा - 2 व : जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा

कोई भी व्यक्ति जीवन और व्यक्तिगत स्वततत्रा से वंचित नहीं किया जा सकता जब तक वह विधिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करे । जीवन से तात्पर्य उचित और विवेकपूर्ण परिस्थिति में जीवन यापन करने से है तथा कारावास से छूटने के उपरान्त उसके सामाजिक पुनर्स्थापन से है । उसको समुचित वातावरण मे जायज तरीके से जीविकोपार्जन करने का अधिकार है । अपेक्स कोर्ट ने द्वी कृष्णन् बनाम ए. पी. स्टेट के मामले में धारा 21 के प्रावधान को विस्तारित किया है । अपेक्स कोर्ट ने पूर्व निर्णयों पर आधारित कई अधिकारों को धारा-S 1 के संदर्भ में नीचे सूचीबद्ध किया है

1. विदेश जाने का अधिकार,
2. व्यक्तिगत निजता का अधिकार,
3. एकान्त कारावास के विरूद्ध अधिकार,
4. हथकड़ी लगाने विरोध अधिकार,
5. विलम्बित मृत्युदंड के विरूद्ध अधिकार,
6. शरण लेने का अधिकार,
7. बन्दीगृह में मृत्यु के विरूद्ध अधिकार ,
8. सार्वजनिक रूप से फांसी के विरूद्ध अधिकार,
9. चिकित्सक द्वारा सहायता प्राप्त करने का अधिकार।

धारा - 22 कतिपय मामलात में गिरफ्तारी और नजरबन्दी के विरूद्ध अधिकार

1. कोई भी व्यक्ति जो गिरफ्तार किया जा चुका हो मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बंदी गृह में नहीं रखा जा सकता। शीघ्रातिशीघ्र उसकी गिरफ्तारी का कारण सक्षम अधिकारी को बताया जाय

तथा बन्दी को अपने बचाव हेतु अपनी मर्जी के मुताबिक वकील के चयन और सम्पर्क करने के अधिकार से मना नहीं किया जा सकता।

2. 24 घंटे के अन्दर-अन्दर हर गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को, जो पुलिस-कस्टडी में हो, निकटतम हलका मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है । गिरफ्तारी की जगह से मजिस्ट्रेट के कोर्ट के बीच की दूरी की यात्रा हेतु समर्थ स्वीकृत किया जा सकता है । जिसके अलावा समयावधि में बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं रह सकता।
3. उपर्युक्त धारा के अनुच्छेद (1) और (2) (अ) विदेशी की गिरफ्तारी के मामले में लागू नहीं होते । (व) तथा जो व्यक्ति एहतियात के रूप में कानून और शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु बन्दी बनाया गया है।
4. एहतियातन गिरफ्तारी की अवधि 3 माह से ज्यादा नहीं हो सकती जब तक कि (अ) हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये जा सकने वाले, सक्षम या नियुक्ति की पात्रता रखने वाले सलाहकारों के बोर्ड द्वारा यह राय व्यक्त न की जाये कि अमुक व्यक्ति को 3 महिने की अवधि बीत जाने पर भी बन्दी बनाये जाने के लिए पर्याप्त कारण हैं।
5. यदि कोई व्यक्ति एहतियातन नजरबन्दी कानून के आदेश की अनुपालना में गिरफ्तार किया जाता है तो आदेश जारी करने वाला अधिकारी उसे शीघ्रातिशीघ्र सूचित करे कि उसे क्यों बन्दी बनाया गया है ताकि उसे इस आदेश के विरूद्ध प्रतिकार करने का अवसर उपलब्ध हो सके।
6. इस धारा के 5 वें अनुच्छेद में वर्णित तथ्यों को जनहित में उद्घाटित करने की आवश्यकता नहीं है ।
7. संसद को यह अधिकार है कि (अ) वह किसी व्यक्ति को जिसे एहतियातन् नजरबन्दी कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है; 3 माह से अधिक तक भी बन्दी रखा जा सकता है और 4 अनुच्छेद ज़) दे प्रावधान के मुताबिक सलाहकार बोर्ड की अनुमति प्राप्त करने की बाध्यता नहीं है । (व) उसे अधिकतम अवधि तक कानूनी प्रावधान के तहत बन्दी रखा जा सकता है । (स) सलाहकार बोर्ड अनुच्छेद (4) क वाक्यांश (अ) के अनुसार शोषण के विरूद्ध अधिकार के परिप्रेक्ष्य में जाँच-पड़ताल कर सकता है।

11.8 बच्चो के लिएदण्ड प्रावधान

यदि बच्चे अपराध करते हैं तो उन्हें युवापराधी कहा जाता है । उनके लिए विशेष युवा न्यायिक प्रावधान है। युवापराधी के मामलों का निस्तारण युवा न्याय प्रावधान (बाल रक्षण एवं बचाव एक्ट, 2000) के अन्तर्गत किया जाता है।

1. दंड 2 (क) - के अन्तर्गत बाल अपराधी उसे माना गया है जिसकी उम्र 18 वर्ष नहीं हुई है।

2. सेमान 2(i) - बाल अपचारी से तात्पर्य ऐसे बालक से है जिसने अपराध 7 अपकृत्य के समय तक 18 वर्ष की उम्र हासिल नहीं की है।

3. सेक्स्न10- बाल अपचारी की गिरफ्तारी

(i) ज्योंहि किसी बाल अपचारी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे विशिष्ट, पुलिस युनिट को या अधिकृत पुलिस अधिकारी को सौंप दिया जाता है जो तत्काल बोर्ड के सदस्य को इत्तला देता।

(ii) इस एक्ट के तहत राज्य-सरकार नियमों का निर्धारण कर सकती है -

(a) राज्य सरकार इस संदर्भ में नियम प्रतिपादित कर सकती है कि किसी व्यक्ति के द्वारा (i)चाहे वह पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था से सम्बन्धित हो (1) बाल अपचारी को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कियाजा सकता है।

(b) राज्य सरकार यह नियम बना सकती है कि किस प्रकार से बाल अपचरारी को सुधारगृह संप्रेक्षणार्थ भेजा जा सकता है।

4. सेमान 15 - बाल अपचारी के सम्बन्ध में आदेश :

(i) जब जांच पड़ताल के उपरान्त बोर्ड इस तथ्य से सन्तुष्ट हो जाये कि किशोर द्वारा अपराध किया गया है, तो कानून के तात्कालिक स्वरूप को, दरकिनार करते हुए बोर्ड -

(a) किशोर को उचित सलाह या चेतावनी के बाद तथा उसके अभिभावक / संरक्षक से सम्पर्क साध कर घर जाने की इजाजत दे सकता है।

(b) तथा बाल अपचारी को सामूहिक उपबोधन जैसी गतिविधि में सम्मिलित होने के लिए निर्देशित कर सकता है ।

(c) बाल अपचारी को समाज सेवा करने का आदेश दे सकता है ।

(d) बाल अपचारी के अभिभावक या स्वयं किशोर को जुर्माना अदा करने का आदेश दे सकता है यदि वह 14 वर्ष की उस का हो गया हो और कमाई करता हो ।

(e) बाल अपचारी को नेकचलनी के आश्वासन पर सजा से सशर्त छूट दे सकता है तथा उसे किसी संरक्षक अभिभावक / सक्षम व्यक्ति की निगरानी में रखवा सकता है । बोर्ड चाहे तो उससे साक्षी के साथ या उसके बिना बाल अपचारी की नेकचलनी और कुशल क्षेम बाबत 3 वर्ष तक की अवधि का बॉण्ड भरवा सकता है।

(ii) बोर्ड बाल अपचारी के बारे में सामाजिक जाँच पड़ताल की रिपोर्ट अधिकृत परिवीक्षा अधिकारी या मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थासंगठन से रिपोर्ट प्राप्त करेगा और इस रिपोर्ट की समीक्षा के बाद ही आदेश जारी करेगा।

(iii) दंड (1) के अनुच्छेद (d (e) और (f) के संदर्भ में यदि बाल अपचारी और जनहित में आवश्यक हो तो बोर्ड एक अतिरिक्त आदेश द्वारा बाल अपचारी को एक प्रोबेशन अधिकारी की निगरानी में पाबन्द रखा जा सकता है । यह अवधि अधिकतम 3 वर्ष की जा सकती है। प्रोबेशन में बोर्ड आवश्यकतानुसार शर्ते तय कर सकता है।

यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि परिवीक्षा की पाबन्दियों की अवधि में बाल अपचारी का आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है और उसके अभिभावक, अधिकृत संरक्षक उसकी नेकचलनी के प्रति आश्वासन देने में असमर्थता प्रकट करते हैं तो समुचित जाँच-पड़ताल के बाद बाल अपचारी को विशिष्ट (सुधार) राह में भेजा जा सकता है।

(iv) निगरानी बाबत आदेश जो अनुच्छेद (i)3 (i) के अनुसार पारित किया जाता है, बोर्ड बाल अपचारी को उसके अभिभावक, संरक्षक या सक्षम संस्था को समस्त शती से अवगत करायेगा तथा उन पाबन्दियों की एक-एक प्रति उन्हें उपलब्ध करायेगा । यदि कोई साक्षी हों तो उन्हें भी उपर्युक्त आदेश की प्रति उपलब्ध करायी जायेगी।

5. सेक्शन - 16. आदेश जो बाल अपचारी के विरूद्ध पारित नहीं हो सकता :-

(i) किसी भी स्थिति में बाल अपराधी को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता।

यद्‌यपि दंड विधान में अन्य कानून इसके विपरीत अर्थ ध्वनित करते हों । ऐसे बाल अपचारी के लिए जिसकी उम्र 16 वर्ष हो चुकी हो, तथा जिससे बोर्ड सन्तुष्ट हो कि अपराध की प्रकृति गंभीर नहीं है और उसका आचरण भी ऐसा नहीं है जिससे उसे स्पेशल बन्दी सुधार गृह में भेजा जाये । यह उसके हित में नहीं होगा । बोर्ड यदि चाहे तो उसे ऐसे स्थान पर रहने को पाबन्द कर सकता है जहाँ उसे उचित सुरक्षा एवं संरक्षण उपलब्ध हो सके । बोर्ड इस तरह के मामलात में राज्य सरकार को उचित आदेश हेतु रिपोर्ट प्रेषित कर सकता है।

(ii) बोर्ड द्‌वारा प्रेषित उपनुच्छेद (1)के अन्तर्गत प्रेषित रिपोर्ट के प्राप्त होने पर, राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था कर सकती है जिससे उसे उचित संरक्षण और सुरक्षा उपलब्ध हो सके। यह भी प्रावधान है कि उपर्युक्त संरक्षण अवधि कारावास की अवधि से अधिक नहीं होना चाहिए जो उसके जुर्म के मद्देनजर उसे दिया जा सकता था।

6. सेक्शन - 17दंड संहिता का आठवीं अध्याय बाल अपराधी की दंड व्यवस्था में सक्षम नहीं । दंड संहिता 1973 (i)अनुच्छेद (i) अनुच्छेद 1974 के प्रावधानों को दरकिनार करते हु ए आठवें अध्याय के मुताबिक बाल अपराधी के मामले में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती और कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

7. सेक्शन - 18. संयुक्त रूप से किशोर एवं व्यस्क अपराधी पर कार्यवाही नहीं। (1)सेक्स्न223दंड संहिता 1973(1)2 अनुच्छेद, 1974(1) के प्रावधानों के बावजूद भी या अन्य कोई कानून के प्रभावी होने की स्थिति में, किसी बाल अपराधी पर वयस्क अपराधी के साथ संयुक्त रूप से अभियोग-अभियोजन नहीं चल सकता।

11.9 सारांश

समाज का दंडाधिकार इस सर्वमान्य सहमति पर आधारित होता है कि व्यक्ति जो आदिम समाज का अभिन्न घटक है इसकी व्यवस्था को बरकरार रखे और राज्य का अस्तित्व भी कायम रहे। कुछ चिन्तकों के अनुसार समाज में रहना व्यक्ति के हित में है और यह उसका कर्त्तव्य भी हैं समाज अपने अस्तित्वगत स्वरूप को नष्ट होने से बचाये रखने के लिए आपराधिक कृत्यों के लिए दंड व्यवस्था का पक्षधर है।

दंड विधान के उपर्युक्त अध्ययन से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते है कि दंड शान्तिपूर्ण सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है । ये अपराधों की दर को कम करते हैं और आम नागरिक को निर्भयतापूर्वक जीने के लिए आश्वस्त करते' हैं।

11.10 अभ्यास प्रश्न

1. दण्ड को परिभाषित कीजिए ।
2. दण्ड की प्रकृति का वर्णन कीजिए ।
3. दण्ड के क्या सिद्धान्त हैं? उल्लेख कीजिए ।
4. भारतीय दंड संहिता (1860) में किस प्रकार के दण्ड का प्रावधान वर्णित है? वर्णन कीजिए।
5. बाल अपराध न्याय एक्ट, 2000 में मूल तत्वों की समीक्षा कीजिए ।
6. क्या आप समझते हैं कि दंड आवश्यक है? कारण लिखिए ।

इकाई - 12

अपराधशास्त्र में सामाजिक अनुसंधान का महत्व एवं उपयोगिता

इकाई की रूपरेखा

12.0 उद्देश्य
12.1 प्रस्तावना
12.2 अनुसंधान का अर्थ
12.3 सामाजिक अनुसंधान का अर्थ एवं परिभाषा
12.4 सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएँ
12.5 सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति
12.6 सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य
12.7 अपराधशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा
12.8 अपराधशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान के रूप में
12.9 अपराधशास्त्र में समाजिक अनुसंधान का महत्व
12.10 सारांश
12.11 अभ्यास प्रश्न

12.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप :-

- अनुसंधान किसे कहते है, यह समझ पायेंगे ।
- सामाजिक अनुसंधान किस प्रकार अनुसंधान से भिन्न हैं, यह जान सकेंगे।
- सामाजिक अनुसंधान का अर्थ एवं परिभाषा समझ पायेंगे ।
- अपराधशास्त्र किसे कहते है, यह जान पायेंगे ।
- अपराधशास्त्र में सामाजिक अनुसंधान का महत्व एवं उपयोगिता को जान सकेंगे ।
- अपराध शास्त्र को सामाजिक विज्ञान के रूप में समझ पाऐंगे।

12.1 प्रस्तावना

मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है । सदैव वह अज्ञात तथ्यों का पता लगाने की दिशा में निरन्तर प्रयत्नशील रहता है । पहले उसने प्राकृतिक घटनाओं को और फिर सामाजिक घटनाओं को समझने का प्रयास किया । सामाजिक घटनायें भी अपने आप में जटिल है । एक हौ घटना के पीछे अनेक कारण हो सकते हैं और उसके अनेक परिणाम भी । अत: उन सभी कारणों तथा परिणामों की खोज करना कोई आसान काम नहीं है । सामाजिक अनुसंधान द्वारा विभिन्न घटनाओं में निहित अन्तर संबंधों की खोज करना एव उनकी व्याख्या करना है । जब से समाज की उत्पत्ति हुई तभी से अपराधों ने भी जन्म लिया है । यों कहें कि मानव समाज एवं अपराध का प्रारंभ से ही परस्पर संबंध रहा है । समाज में दिन प्रतिदिन घटने वाली अपराधिक घटनाओं की प्रकृति, स्वरूपों एवं उनके कारणों की वैज्ञानिक खोज करना वर्तमान विद्वानों की जिज्ञासा को प्रेरित किया है । इसी क्रम में वैज्ञानिक खोज

के भी नवीन तरीके इजाद (आविष्कार) किये गये हैं । यही कारण है कि आज अपराध एवं अपराधियों से निपटने के लिए नये-नये तरीके अपनाये जाने लगे है । ये सब अपराधशास्त्र में सामाजिक अनुसंधान के नवीनतम प्रयासों का ही परिणाम है।

12.2 अनुसंधान का अर्थ

मनुष्य ने प्रारंभ में काल्पनिक या दार्शनिक आधार पर घटनाओं का विश्लेषण किया है। उसने ईश्वर या आलौकिक शक्ति को ही सभी प्रकार की घटनाओं का कारण माना । प्रारंभ से उसने ज्ञान का आधार अन्तःप्रज्ञा, परम्परा, वैयक्तिक अनुभव तथा ' 'प्रयत्न एवं भूल' ' की विधियाँ रही हैं । इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान में विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता का अभाव था । आज व्यक्ति इस स्थिति से आगे बढ़ गया है और अब वह उसी घटना पर विश्वास करने लगा है । जिसे वह नेत्रों से देख सके, स्पर्श द्वारा अनुभव कर सके, या कानों द्वारा सुन सके अर्थात अब वह तार्किक ढंग से घटनाओं को समझने और वास्तविकता का पता लगाने लगा है । इस प्रकार अब वह व्यवस्थित ढंग से ज्ञान को संचित करता हैं यही अनुसंधान का प्रारम्भ है । अनुसंधान, शोध अथवा खोज से तात्पर्य "बार बार खोजने" से है । इसमें दो भौतिक तत्त्वों की प्रधानता पायी जाती है । प्रथम, अवलोकन के माध्यम से घटनाओं का उद्देश्यपूर्ण ढंग से निरीक्षण करना तथा द्वितीय उन तथ्यों के अर्थ को जानकर घटना के पीछे छिपे कारणों को समझना। उपरोक्त दोनों तथ्यों को ध्यान मे रख कर जो ज्ञान संचित किया है उसे विश्वसनीय एवं प्रमाणिक माना जाता है। इस प्रकार के ज्ञान को संचित करने की संपूर्ण प्रक्रिया को ही अनुसंधान के नाम से जाना जाता है । व्यक्ति ने धीरे धीरे विश्वसनीय एवं प्रमाणिक ज्ञान प्राप्ति हेतु शोध की ऐसी विधि को खोज निकाला जिसे आज हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं । इस विधि में तथ्यों का संकलन भी निश्चित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है । इनमें प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, अवलोकन, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति तथा समाजनिति इत्यादि है।

अनुसंधान को परिभाषित करते हुए वेबस्टर शब्द कोश में बताया गया है कि ' 'तथ्यों एवं सिद्धान्तों या किसी भी घटना को ज्ञात करने हेतु सावधानीपूर्वक एवं विवेचनात्मक खोज या निष्ठापूर्वक किये गये अन्वेषण को अनुसंधान या शोध कहते हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते है कि जब नवीन ज्ञान की प्राप्ति तथा विद्यमान ज्ञान में संशोधन, परिवर्द्धन या परिमार्जन के उद्देश्य से कोई व्यवस्थित प्रत्यत्न किये जाते है तो उनसे ही अनुसंधान या शोध का नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से दी न्यू सेन्बुरी डिमानरी (शब्दकोश) के अनुसार ' 'किसी वस्तु या व्यक्ति अथवा घटनाओं के सम्बन्ध में सावधानी पूर्वक खोज करना एवं तथ्यों या सिद्धान्तों का पता लगाने के लिए विषय-सामग्री की लगातार सावधानीपूर्वक जांच-पड़ताल करना ही अनुसंधान है । " स्पष्ट है कि अनुसंधान घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने और उन घटनाओं के मूल तक पहुंचाने एवं कार्य कारण सम्बन्धों का पता लगाने का एक व्यवस्थित वैज्ञानिक तरीका है।

12.3 सामाजिक अनुसधान का अर्थ एव परिभाषा

सामाजिक अनुसंधान का अर्थ सामाजिक घटनाओं या तथ्यों के बारे में नवीन जानकारी प्राप्त करना, प्राप्त ज्ञान में वृद्धि करना अथवा जिन सिद्धान्तों एवं नियमों में दिया गया है उनमें किसी प्रकार का संशोधन करना है । सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक विधि को काम में लेते हुए अवलोकन तथा

सत्यापन का विशेषत: सहारा लिया जाता है । सामाजिक अनुसंधान में सर्वप्रथम किसी व्यवहार, समस्या या घटना से संबंधित मूलभूत तथ्यों का अवलोकन किया जाता है ताकि उसकी प्रकृति को भलीभाँति समझा जा सके । तत्पश्चात उन सामाजिक नियमों का पता लगाया जाता है जो एक विशेष घटना, व्यवहार या समस्या के पीछे-पीछे कारणों को प्रकट कर सकें । अत: हम यह कह सकते है कि समाज में सामाजिक यर्थाताओंयार्थताओ की वैज्ञानिक विधि द्वारा खोज कर बल दिया जाता है।

परिभाषा

श्रीमती पीवी. यंग के अनुसार ' 'सामाजिक अनुसंधान को ऐसे वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में पारभीषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों की खोज अथवा पुराने तथ्यों की परीक्षा और सत्यापन, उनके क्रमों, पारस्परिक सम्बन्धों, कार्यकारण की व्याख्या का विश्लेषण करना है।"

सी.ए. मोजर के अनुसार ' 'सामाजिक अनुसंधान सामाजिक प्रघटनाअऊाएं एवं समस्याओं के सम्बन्ध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित खोज को कहते है।"

ई. एस. बोगार्डस के अनुसार ' 'साहचर्य में अर्थात एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अन्तर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। '

रैडमैन एवं मोरी ने अपनी पुस्तक के पेज 10 पर लिखा है कि ' 'नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को हम अनुसंधान कह सकते है। '

उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सामाजिक अनुसंधान खोज की एक ऐसी विधि है जिसमें सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में किसी घटना, व्यवहार, सामाजिक जीवन अथवा समस्या के सम्बन्ध में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए सामाजिक यथार्थता को समझने का प्रयत्न किया जाता है।

12.4 सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएँ

1. सामाजिक अनुसंधान का सम्बन्ध वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग द्वारा सामाजिक प्रघटनों के सूक्ष्म रूप से अध्ययन से है।
2. सामाजिक अनुसंधान अपने को विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों, प्रविधियों एवं पद्धतियों के प्रयोग तक ही सीमित नहीं रखता बल्कि नवीन प्रविधियों के विकास पर भी बल देता है ।
3. सामाजिक अनुसंधान में नवीन ज्ञान का सृजन किया जाता है ।
4. सामाजिक अनुसंधान द्वारा विभिन्न सामाजिक तथ्यों अथवा घटनाओं के बीच पाये जाने वाले अन्तर सम्बन्धों (कार्य-कारण सम्बन्धो) की खोज करता है ।
5. सामाजिक अनुसंधान द्वारा न केवल नवीन तथ्यों की खोज की जाती है अपितु पुराने तथ्यों या पूर्व स्थापित सिद्धान्तों की पुनर्परीक्षा एवं सत्यापन किया जाता है ।
6. सामाजिक अनुसंधान द्वारा प्राकल्पना की उपयुक्तता की जाँच एवं परीक्षण किया जाता है।
7. सामाजिक अनुसंधान द्वारा अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सिद्धान्तों के निर्माण का एक वैज्ञानिक तरीका है ।
8. सामाजिक अनुसंधान द्वारा प्राप्त ज्ञान को अनेक बार समाज में व्याप्त अनेक प्रकार की व्यावहारिक समस्याओं को हल करने में प्रयोग किया जाता है । अत: इस प्रकार से सामाजिक

अनुसंधान द्वारा प्राप्त विज्ञान का प्रयोग सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दोनों ही प्रकार से समस्याओं को हल के लिए उपयोग में लाया जाता है।

12.5 सामाजिक अनुसधान की प्रकृति

अनुसंधान एवं सामाजिक अनुसंधान के अर्थ एवं परिभाषाओं से सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति का भी पता चल जाता है,। सामाजिक अनुसंधान की प्रकूति निम्नलिखित तथ्यों द्वारा स्पष्ट की जा सकती है :-

1. सामाजिक सम्बन्धों, घटनाओं. तथ्यों व प्रक्रियाओं की व्याख्या करना

सामाजिक अनुसंधान के अन्तर्गत मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है । समाज में रहने वाले अन्य सदस्यों एवं समूहों के साथ उसके सम्बन्ध, उनकी विभिन्न प्रक्रियाओं एवं अन्तक्रियाओं का अध्ययन तथा विभिन्न सामाजिक तथ्यों एवं घटनाओं जो कि व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है, का विश्लेषण सामाजिक अनुसंधान के अन्तर्गत किया जाता है।

2. सामाजिक सम्बन्धों के बारे में नवीन तथ्यों की खोज करना

सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य किसी घटना के सम्बन्ध या व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों में नवीन तथ्यों एवं नियमों की खोज करना है । इन नवीन तथ्यों की खोज द्वारा सामाजिक अनुसंधान सामाजिक सम्बन्धों द्वारा निर्मित संरचना एवं सामाजिक संगठन को भी समझने एवं उनका स्पष्टीकरण करने में सहायक होता है ।

3. सामाजिक समस्याओं की प्रकृति एवं कारणों का अध्ययन करना

सामाजिक अनुसंधान में विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं की प्रकृति एवं उनके कारणों का पता लगाने का भी प्रयास किया जाता है । जब तक सामाजिक समस्याओं की प्रकृति एवं कारणों का पता न हो तब तक उनका उपचार सम्मव नहीं है । पी. वी. यंग का कहना है कि सामाजिक अनुसंधान व्याद्यीकीय समस्याओं से केवल वहीं तक सम्बद्ध है जहाँ तक वे आधारभूत सामाजिक प्रक्रियाओं, मानव व्यवहार तथा व्यक्तित्व के विकास अथवा विघटन पर प्रकाश डालती है।

4. प्राचीन तथ्यों का पुनर्परीक्षण व सुधार करना

नवीन नियमों तथा सिद्धान्तों के निर्माण के साथ-साथ सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य प्राचीन तथ्यों की पुनर्परीक्षा, करना तथा उसमें सुधार करना भी है । समयानुकूल ज्ञान के आधार पर सामाजिक तथ्यों की व्याख्या करना मानव-जीवन को समझने के लिए अनिवार्य है।

5. वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग

सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है ताकि विश्वसनीय एवं प्रमाणित तथ्यों का संकलन किया जा सके और निष्पक्ष व्याख्या द्वारा मानव सम्बन्धों की प्रकृति को समझा जा सके।

6. सांख्यिकीय विश्लेषण का प्रयोग

सामाजिक अनुसंधान में विभिन्न स्रोतों द्वारा संकलित आकड़ों के विश्लेषण के लिए सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग भी किया जाता है। जिससे कि विभिन्न चरों अथवा घटनाओं में पाये जाने वाले सहसम्बन्ध का पता चल सके और अधिक विश्वसनीय निष्कर्ष निकाले जा सकें।

सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति से हमें पता चलता है कि इसका अध्ययन-क्षेत्र अति व्यापक है । वास्तव में यह क्षेत्र इतना ही व्यापक है जितना कि स्वयं सामाजिक अनुसंधान का इसके अन्तर्गत

विभिन्न सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण करना, उनके कारणों का पता लगाना, घटनाओं का समाधान प्रस्तुत करना, वर्तमान ज्ञान का परिवर्तित परिस्थितियों के संदर्भ में मूल्यांकन करके उपयुक्तता का पता लगाना इत्यादि विविध प्रकार के अध्ययनों को रखा जा सकता है।

12.8 सामाजिक अनुसधान के उद्देश्य

सामाजिक अनुसंधान सामाजिक वास्तविकता से सम्बन्धित है। अत: इसका उद्देश्य सामाजिक वास्तविकता को यथासंभव वस्तुनिष्ठ एवं क्रमबद्ध रूप में समझना है। इसका उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है अपितु प्राप्त ज्ञान को व्यावहारिक जीवन में पाई जाने वाली समस्याओं के समाधान के लिए प्रयोग में लाना भी है।

अत: सामाजिक अनुसंधान के निम्नलिखित तीन प्रमुख उद्देश्य हो सकते है :-

1. सामाजिक वास्तविकता के बारे में विशुद्व ज्ञान प्राप्त करना तथा सिद्धान्तों का विकास अथवा विस्तार करना

2. विशिष्ट समस्याओं का समाधान करना, तथा

3. प्रचलित एवं वर्तमान सिद्धान्तों की पुनर्परीक्षण करना ।

यह अनिवार्य नहीं है कि अनुसंधान का केवल एक ही उद्देश्य हो अपितु वास्तव में सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य नवीन तथ्यों की खोज, प्राचीन तथ्यों की नवीन ढंग से विवेचना करते हुए वर्तमान सिद्धान्तों की उपयुक्तता का परीक्षण करना तथा उनमें आवश्यक संशोधन करके नवीन सिद्धान्तों का निर्माण करना हो सकता है।

सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य अन्य अनुसंधानों की तरह ज्ञान की प्राप्ति करना है जिसे सैद्धान्तिक उद्देश्य कहते है । इस प्रकार के अनुसंधान में सामाजिक घटनाओं के बारे में नवीन तथ्यों की खोज, पुराने नियमों की जाँच या पहले से उपलब्ध ज्ञान में वृद्धि, मानव जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए की जाती है परन्तु सामाजिक अनुसंधान का व्यावहारिक उद्देश्य भी हो सकता है अर्थात इसका उद्देश्य प्राप्त ज्ञान का प्रयोग व्याधिकीय एवं विघटनकारी समस्याओं के समाधान के लिए भी हो सकता है। पी. वी. यंग, लैजाफील्ड तथा रोजन वर्ग ने सामाजिक अनुसंधान के व्यावहारिक पक्ष को अधिक महत्व दिया है। ज्ञान सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों ही दृष्टियों से तभी अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है जबकि इसके अन्तर्गत भविष्यवाणी करने की क्षमता हो क्योंकि इससे परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है।

12.7 अपराध शास्त्र का अर्थ एव परिभाषा

जैसे-जैसे समाजों का विकास होता जा रहा है वैसे-वैसे ही अपराध एवं अपरधियों के बारे में वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करने के तकनीक व तरीके भी बदलते जा रहे हैं । हमारे विकास के साथ हमारे ज्ञान और अनुभव के आयाम भी बढ़ते जा रहे है। ज्ञान में वृद्धि के साथ-साथ उसका विशेषीकरण होता जा रहा है और आधुनिक अपराधशास्त्र मानवीय ज्ञानके विशेषीकरण का ही एक स्वरूप है। वर्तमान में अपराधशास्त्र का एक पूर्ण विषय के रूप में अध्ययन-अध्यापन निरन्तर रूप से विश्व में अनेक विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम का हिस्सा बन चुका है। अत: यह ज्ञान जिसके द्वारा अपराध का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है, समाजव्यवस्था, कानून, दण्ड और सुधार की व्याख्या की जाती है, अपराधशास्त्र है । इसमें अपराध और अपराध सम्बन्धी ऐसे व्यक्तिवादी सिद्धान्तों की कठोर आलोचना

की जाती है जो अपराध के कारणों को निजी दोषों के रूप में देखते है। इस प्रकार अपराधशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 'टोपीनार्ड नामक एक फ्रांसीसी मानवशास्त्री ने 1879 ई. में किया था। किन्तु इसे एक पृथक विज्ञान के रूप में मान्यता जून 1918 में मॉरिस परमेली द्वारा लिखित क्रीमिलोजी पुस्तक से मिली।

अपराधशास्त्र शब्द का अर्थ जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, अपराध का ज्ञान अर्थात अपराधशास्त्र मानवीय समाज में होने वाले अपराधों का ज्ञान या शास्त्र है जो अपराध का वैज्ञानिक रूप से अध्यन विश्लेषण व निर्वचन करता है जिसमें विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। इसके अन्तर्गत मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले अपराधों के विभिन्न पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन ही नहीं अपित अपराधों पर नियंत्रण तथा अपराधियों का उपचार भी सम्मिलित है । अत: वह ज्ञान जो अपराध व्यवहार के कारणों, रोकथाम, अपराधों के नियंत्रण, अपराधियों को दण्ड सुधार आदि विषयों पर विचार करता है अपराधशास्त्र है।

रैकलैस के अनुसार "वह विज्ञान जो अपराधी संहिताओं या समाज के नियमों व कानूनों के उल्लंघन का अध्ययन करता है अपराधशास्त्र है"।

सदरलैण्ड तथा क्रेसी के अनुसार "अपराधशास्त्र का ज्ञान की वह शाखा है जिसमें सामाजिक घटना के रूप में अपराध का अध्ययन किया जाता है।

माइकेल एबं एडलर ने अपराधशास्त्र को अपराधियों के कार्य स्वभावों, उनके पर्यावरण तथा उनके सुधार के संबंध में सूचना प्राप्त करने वाल एक आधुनिक विषय माना है ।

रिचर्ड नाइस के अनुसार ' 'अपराधशास्त्र वह विज्ञान है जो अपराध, उसका निवारण तथा दण्ड की विधियों से सम्बन्धित है '।

अन्त में **बेबेस्टर डिक्यानरी** के अनुसार "अपराधशास्त्र सामाजिक पहलू के रूप में अपराध का और अपराधियों तथा उनके लक्षणों, व्यवहारों व अनुशासन का वैज्ञानिक अध्ययन है"।

12.8 अपराधशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान के रूप में

यह शायद ऐतिहासिक घटना के रूप में ही था कि जब अमेरिका के विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में प्रथम बार समाजशास्त्र विभाग स्थापित हो रहे थे लोम्ब्रोसों (LOMBROSO) एवं उसके अनुयायियों के निर्देशन में अपराधशास्त्र अत्यन्त रूचिपूर्ण विषय के रूप में प्रसिद्ध हो रहा था । अत: अमेरिकन लेखक जिन्हें आज समाजशास्त्री के रूप में पहचान मिली हुई है वे प्रारम्भ में लोम्ब्रोसों के सिद्धान्त से प्रभावित लगते थे यद्यपि कभी उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करते नहीं लगे । यूरोप के कई विश्वविद्यालयों में लोम्ब्रोसों से पहले भी तथा बाद में भी अपराध तथा अपराधिता के क्षेत्र में अनेक शोध कार्य हो रहे थे । ये सभी अध्ययन समाजशास्त्रीय प्रकृति के थे। गोरिंग (GORING) द्वारा किये गये महत्वपूर्ण शोध के उपरान्त अमेरीकन समाजशास्त्रियों एवं अपराधशास्त्रियो लोम्ब्रोसोंके जीव विज्ञान आधारित अपराध के आकार को नकारा तथा पर्यावरणीय आकार के प्रबल समर्थक हुए तब से ही वे अपराध, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाओं के बीच सम्बन्ध पर बल देने लगे। 1914 मे एक समाजशास्त्री ने लिखा है कि देश में जितनी अधिक अवधि तक अपराध शोध का विषय जारी रहा उतना ही अधिक संख्या में अपराध के कारणों की संख्या बढ़ी जिन्हें सामाजिक कहा जा सकता है । अमेरिकन स्कूल के रूप में स्थापित हुआ। आज तक यह क्रम जारी है। अपराध एव उसके कारणों की खोज में

जितने भी अध्ययन प्रविधियों का प्रयोग किया गया है उनमे सबसे अधिक उपयोगी समाजशास्त्रीय पद्धतियाँ हैं। यही कारण है कि अपराधशास्त्र को सामाजिक- विज्ञानों के रूप में जाना जाने लगा।

12.9 अपराध सामाजिक अनुसधान का महत्व

सांख्यिकीय रूप में प्रशिक्षित समाजशास्त्री कभी-कभी अपराध एवं अपराध के कारणों की खोज में मनोवैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग करते हैं । जबकि कुछ लम्बे साक्षात्कार विधि का प्रयोग करते है । किन्तु यह सर्वविदित तथ्य है कि अधिकांश समाज वैज्ञानिकों द्वारा बाह्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाओं तथा प्रक्रियाओं का अपराध कारकों के अध्ययन में प्रयोग करते हैं यद्यपि कभी वे अन्य विज्ञानों की प्रविधियों एवं विचारों को भी अपने अध्ययनों में स्थान देते हैं।

अपराधशास्त्रीय अध्ययनों से पता चलता है कि अपराध एवं अपराधिता उन्हीं सामाजिक दशाओं एवं प्रक्रियाओं का परिणाम है जो अन्य सामाजिक व्यवहार के प्रकारों को जन्म देते हैं । सामाजिक दशाओं एवं प्रक्रियाओं के विश्लेषण द्वारा दो तरह के सामान्य स्वरूप सामने आये है पहला, अपराध दर में भिन्नता तथा सामाजिक संगठनों में भिन्नता के बीच सम्बन्ध स्थापित करके शोध प्रयास किये गये है । अत: समाजों उप समाजों एवं समूहों की अपराध दर को प्रक्रियाओं एवं दशाओं से जोड कर दिखाया गया है जैसे गतिशीलता, प्रतिस्पर्द्धा, एवं संस्कृति, संघर्ष, राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक विचारधारा मे जनसंख्या घनत्व एवं आकार एवं सम्पदा आय एवं रोजगार का विवरण । इस तरह के विश्लेषण 1940 के बाद कम होने लगे क्योंकि शोधकर्ताओं को अपराध सम्बन्धी सामान्यीकरणों में अस्पष्टतायें लगने लगी । जिस तरह से कि अपराध सम्बन्धी आंकड़ूंए प्रस्तुत किये जाते थे। किन्तु फिर से इस विचारधारा ने जोर पकड़ा। द्वितीय: समाजशास्त्रियों द्वारा प्रक्रियाओं को परिभाषित तथा पहचान देने का प्रयास किया जिनसे लोग अपराधी बनते हैं । इस तरह के विश्लेषण प्रकृति से सामाजिक, मनोवैज्ञानिक है एवं जो अवधारणाऐं प्रयोग में ली जाती है वे सामान्यत: सामाजिक सीखने के सिद्धान्तों के निर्माण में उपयोग में ली जाती हैं । ऐसे विद्वानों का कहना है कि व्यक्ति जिस तरह से अन्य के व्यवहार को सीखता है उसी तरह आपराधिक व्यवहार को भी सीखता है जैसे व्यावसायिक भूमिका, एक लड़के की या लड़की की अथवा अल्प आयु वाले की भूमिका। अत: उक्त प्रकार के अध्ययनों ने अर्थशास्त्र में सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता को और महत्वपूर्ण बनाया है।

अपराधशास्त्र में आज सामाजिक अनुसंधान का महत्व दिनो-दिन बढ़ता जा रहा है । विकसित एवं विकासशील समाजों के समक्ष अपराध नियंत्रण की समस्या एक कठिन चुनौती के रूप में बनी हुई है । विभिन्न संस्थाओं द्वारा किये गये अध्ययनों के अनुसार विश्व में अपराध संख्या में प्रतिशत वृद्धि, जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि से भी अधिक है जो अत्यन्त चिन्तनीय है। इन परिस्थितियों में अपराधशास्त्र के क्षेत्र में सामाजिक अनुसंधानों की ओर भी आवश्यकता है । सभी देशों का ध्यान इस बात पर केन्द्रित है कि समाज में व्याप्त अपराध रोग को किस प्रकार प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जाए। लेकिन इसके लिए विद्यार्थियों को सर्वप्रथम यह जानकारी होना जरूरी है कि किस तरह के सामाजिक अनुसंधान किये जाने की जरूरत है। अर्थात सैद्धान्तिक अनुसंधान या फिर व्यावहारिक अनुसंधान की। इनसे प्राप्त ज्ञान वह है जिसके द्वारा मानवीय समाजों में होने वाले अपराधों की व्याख्या की जाती है। अपराध के स्वरूप, अपराधियों के प्रकार जैसे सफेदपोश अपराधी, पेशेवर अपराधी, संगठित अपराधी, साइबर अपराधी, महिला अपराधी, बाल अपराधी इत्यादि के सन्दर्भ में कानून एवं दण्ड व्यवस्था और सुधार के विकल्पों, अपराधियों की जीवन शैली, व्यवहार प्रक्रिया, उनकी अन्तर्निहित मनोवृत्तियां, उनके

आपसी सम्पर्क सूत्र, उनके द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली तकनीक इत्यादि का सामाजिक अनुसंधान द्वारा गूहन अध्ययन कर विश्लेषण करने एवं व्याख्या करने की आवश्यकता है । अत: इस सन्दर्भ में हम थार्सटेन सैलिन द्वारा कही बात को नहीं भूल सकते जिन्हौंने अपराधशास्त्रीय अध्ययनों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि' 'हमें अपराधों के सम्बन्ध में एक ऐसे मनोवैज्ञानिक ज्ञान की जरूरत है जिसमे अपराधी व्यवहार को उत्पन्न करने वाली प्रक्रियाओं की व्याख्या हो सके तथा उन पर सामाजिक प्रतिक्रियाओं के स्वभाव को जाना जा सके जो कानून के निर्माण तथा उनके पालन करने के पीछे छिपी हुई है । इसके साथ ही उन विधियों की जानकारी भी जरूरी है जिनका प्रयोग अपराधियों के सुधार तथा अपराध की रोकथाम में किया जाता है । इस प्रकार से अपराधशास्त्रीय अनुसंधान द्वारा किया गया ज्ञान विद्यार्थी को उन नवीन अंत्ड्श्यों को खोजने में मदद करेगा जो अपराधशास्त्रियों के सम्पूर्ण व्यावसायिक अनुभव तथा उनकी भूमिका को सक्षम आधार प्रदान करते है।

सामाजिक अनुसन्धान आज के युग में दैनिक जीवन का एक अंग बन गया है क्योंकि सामाजिक जीवन अत्यधिक जटिल होता जा रहा है । यद्यपि अनुसंधान कार्यो मे अधिक समय एवं धन लगता है फिर भी अधिक से अधिक लोग अनुसंधान कार्यो में रूचि लेने लगे हैं । इसका कारण सामाजिक अनुसन्धान की बढ़ती उपयोगिता है, जिन्हें निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है :-

1. सामाजिक अनुसन्धान अज्ञानता एवं अन्धविश्वास को मिटाने में अत्यन्त उपयोगी है । ये दोनों ही मनुष्य की अनेक समस्याओं के कारण होती है ।
2. सामाजिक अनुसंधान अपराध जगत के गूढ तथ्यों तथा अपराध सम्बन्धी ज्ञान के विकास में उपयोगी है।
3. सामाजिक अनुसन्धान अपराध एवं अपराधिता से सम्बन्धी विभिन्न प्रकार के कारणों एवं परिणामों तथा समाज एवं सामाजिक सम्बन्धों पर उनके पड़ने वाले प्रभावों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने में उपयोगी है ।
4. सामाजिक अनुसन्धान के द्वारा अपराध से -सम्बन्धित असामाजिक व्यवहारों जैसे : विचलन, अनैतिकता, अनाचार, दुष्कर्म इत्यादि का निष्पक्ष रूप से अध्ययन एवं उनका विश्लेषण करने में उपयोगी है ।
5. सामाजिक अनुसन्धान समाज सुधार से सम्बन्धित कार्यो को वैज्ञानिक आकार प्रदान करता है । समय समय पर बन्दीगहों, बाल सुधा_र गहो, जैसे व्यवस्था, खुली जेल एवं प्रतिपेषण गृह आदि के बारे में अनुसन्धान कर समुचित उपायों को बताता है । सामाजिक कुरीतियों को समझा जा सकता है तथा उन्हें दूर किया जा सकता है । हमारे समाज में अनेक जनजातियाँ परम्परागत रूप से समाज विरोधी कार्यो में लिप्त थीं । किन्तु सरकार एवं समाजशास्त्रिरग़ें एवं अपराधशास्त्रियों पर आधरित सुझावों के कारण वे जनजातियाँ अब राष्ट्रीय मुख्य धारा में आ गई है।
6. सामाजिक अनुसन्धान सामाजिक वास्तविकता को समझने तथा उसके बारे में नियमों एवं सिद्धान्तों का निर्माण करने मे सहायता प्रदान करता है । वर्तमान परिस्थितियों में समाज में घटने वाली आपराधिक घटनाओं का वैज्ञानिक तरीके से खोज एवं विश्लेषण कर भविष्य के बारे में अनुमान लगाने में उपयोगी।

7. सामाजिक अनुसंन्धान द्वारा प्राप्त आकड़ों के आधार पर अपराधों से निपटने वाले तंत्र का विकास सामाजिक नियन्त्रण में उपयोगी है । सामाजिक संगठन तथा इसकी भिन्न इकाइयों के बारे में सामाजिक अनुसन्धान द्वारा पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है तथा यह पता लगाया जा सकता है कि कौन सी विघटनकारी प्रवृत्तियाँ सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करती है । इसी प्रकार से अपराध जगत की शक्तियों से निपटने के लिए समय समय पर बनने वाली योजनाओं के निर्माण में भी सामाजिक अनुसन्धान अत्यन्त उपयोगी है।

12.10 सारांश

मनुष्य सदैव से जिज्ञासु रहा है । वह अज्ञात तथ्यों का पता लगाने की दिशा में निरन्तर प्रयत्नशील रहा है । अनुसंधान से तात्पर्य बार-बार खोजने से है । इसी खोज को यदि व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से किया जाये तो वैज्ञानिक विधि कहलाती है । अत: अनुसन्धान एक वैज्ञानिक विधि पर आधारित ऐसा प्रयास है जो विश्वसनीय एवं प्रमाणिक इप्तन को आधार प्रदान करता है । सामाजिक अनुसन्धान द्वारा समाज में घटने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं एवं प्रक्रियों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना, उनका विश्लेषण एवं व्याख्या की जाती है । सामाजिक अनुसन्धान का उद्देश्य नवीन तथ्यों की खोज करना तथा पुराने तथ्यों की पुन:जांच करना है । इसके द्वारा विभिन्न घटनाओं में पाये जाने वाले कार्य-कारण सम्बन्धों की प्रस्थापना की जाती है । अपराधशास्त्र में निरन्तर सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता बढती जा रही है । अपराधशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो अपराधी खंहइतओं या समाज के नियमों व कानूनों के उल्लंघन का अध्ययन करता है। अपराधशास्त्र में समाज मे घटने वोंले असामाजिक व्यवहारों के स्वरूपों का अध्ययन कर उनकी विवेचना की जाती है इसलिए यह एक सामाजिक विज्ञान के रूप में माना जाता है। अपराधशास्त्र में सामाजिक अनुसंधान की अत्यन्त महत्ता एवं उपयोगिता है । इसके द्वारा अपराध एवं आपराधिकता के कारणों एवं परिणामों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन कर समाज पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के असामाजिक व्यवहारों एवं प्रतिमानों की विवेचना की जाती है । अपराधों में लिप्त व्यक्तियों के व्यक्तित्व का अध्ययन कर विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किये जाते है । इसी प्रकार से वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का सामाजिक अनुसंधानों के माध्यम से अध्ययन कर भावी समाज के बारे में परिकल्पना की जाती है । विभिन्न प्रकार के अपराधों तथा उनके निपटने के उपायों के बारे में योजनाएं बनाने में सामाजिक अनुसंधान की अत्यन्त उपयोगिता है।

12.11 अभ्यास प्रश्न

1. सामाजिक अनुसन्धान को पारिभाषित कीजिये । सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति को समझाइये।
2. सामाजिक अनुसन्धान को पारिभाषित करते हु ए इसकी प्रकृति एवं विशेषताऐं बताइये ।
3. अपराधशास्त्र में सामाजिक अनुसंधान की महता पर प्रकाश डालिये।
4. अपराधशास्त्र की एक सामाजिक विज्ञान के रूप में विवेचना कीजिये ।
5. सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए ।
6. सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता' ' विषय पर लेख लिखिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. रार्बटके मटर्न एवं रार्बटनिशबेट. कन्टेम्परेरी सोशियल प्रॉबल्मस 1968
2. डी॰आर. टेपट : क्रिमिनोलॉजी 1959'
3. ई. सदरलैन्द. प्रिंसिपल्स ऑफ क्रीमिनोलोजी
4. गुड्डे एण्ड हाट : मेथड्स इन सोशियल रिसर्च
5. पी. वी. यंग : साइन्टिफिक सोशियल सर्वे एण्ड रिसर्च -

इकाई - 13

बाल अपराध प्रवृत्ति का निदानशास्त्र

इकाई की रूपरेखा

13.0 उद्देश्य

13.1 प्रस्तावना

13.2 बाल अपराधी. अर्थ एवं प्रकृति

13.3 बाल अपराधों के विभिन्न कारण

13.4 बाल अपराध एवं पुलिस की भूमिका

13.5 सुधारात्म,क समाधान

13.6 सासंश

13.7 अभ्यास प्रश्न

13.1 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप :

- बाल अपराधी का अर्थ व उसकी प्रकृति को समझ पाऐंगे ।
- बाल अपराधों के विभिन्न कारणों की जानकारी प्राप्त कर पाऐंगे ।
- बाल अपराध के क्षेत्र में पुलिस की भूमिका पर प्रकाश डाल पाऐंगे ।
- बाल अपराधों से सम्बन्धित विभिन्न सुधारात्मक समाधानों की जानकारी प्राप्त कर पाऐंगे।
- बाल अपराध प्रवृत्ति व दशा से परिचित हो पाऐंगे ।
- बाल अपराधों के विभिन्न पारिवारिक, मानसिक व सामाजिक कारणों पर प्रकाश डाल पाऐंगे।

13.1 प्रस्तावना

वे बच्चे जो बुरी आदतों, असामाजिक गतिविधियों और अपकृत्यों में लिप्त होते हैं, बाल-अपचारी कहलाते है । ये किशोर-वय के होते है । बाल अपराध अनैतिक व्यवहार तथा असामाजिक आचरण से सम्बन्धित होते हैं । बाल अपचारियों के मामलात बाल-न्यायालय के कार्यक्षेत्र मे आते हैं।

बाल अपकृत्यों की शुरूआत स्कूल में विलम्ब से पहुँचने, झूठ बोलने, छुटपुट चोरियों से होती है बाद में वे संगीन यौनापराध और हत्यायें करते है। ये किशोर लापरवाह और पढ़ने में फिसड्डी किस्म के होते हैं। वे गृहकार्य पूरा नहीं करने के कारण झूठ बोलते हैं और स्वद्रूल से गैर हाजिर रहने लगते हैं। आदतन ऐसे किशोर दूसरे बच्चों के बस्तों से स्टेशनरी की चीजें चुराने लगते हैं। शिक्षकों के क्रोध से बचने के लिए वे कक्षाओं मे जाना बन्द कर देते है तथा अभिभावकों और शिक्षकों से बहानेबाजी करते है। परन्तु उन सबको बाल अपचारी नहीं कहा जा सकता।

13.2 बाल अपराधी : अर्थ एवं प्रकृति

बाल अपराधी उसे कहते हैं जो आदतन गैर-कानूनी हरकते करता है और बार-बार असामाजिक आचरण और तोड़-फोडके कार्य करता है। जब किशोर वयस्कों जैसे अपराधों को अंजाम देने लगते हैं तो 18 वर्ष से कम आयु से कम होने के कारण बाल-अपचारियों की श्रेणी में आ जाते है।

बाल अपचारियों को निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है :-

1. माता-पिता से भावनात्मक अलगाव
2. सामान्य व्यवहार में अरूचि
3. अध्ययन में अरूचि
4. शिक्षकों एवं सुहपाठियों से शिकायत
5. चोरी की घटनाओं और सहपाठियों से झगड़ना
6. बिना अभिभावकों की इजाजत से घर छोड़ कर भाग जाना
7. माँ-बाप के नियंत्रण से बाहर आदतन उद्दंडता
8. निष्क्रियता से वक्त गुजारना
9. अपशब्दों का प्रयोग करना
10. गलियों में, बाजारों में, रेल की पटरियों पर भटकते फिरना
11. जुआ के अडों के पास फटकना
12. यौनापराधों में लिप्त होना
13. दुकानों में चोरी, घुसपेठ
14. स्कूल के प्रति असंतोष

13.3 बाल अपराधों के विभिन्न कारण

निम्नांकित कारणों से किशोर अपचारी हो जाते हैं :-

13.3.1 पारिवारिक प्रभाव

सिद्धान्तशास्त्री जो हम उम्र साथियों के प्रभाव की संरचना के पक्षधर हैं, यह भी विश्वास करते हैं कि पारिवारिक प्रभाव का बालअपचारी व्यवहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है । वे यह स्पष्ट करते हैं कि यह तथ्य बहु त अहमियत रखता है कि परिवार किस प्रकार का है । परम्परामुका परिवारों के बच्चों के बाल अपचारी होने की अधिक संभावना होती है न कि पारम्परिक परिवारों के बच्चों की। जहाँ एक ही अभिभावक (माँ / पिता) हो तो आर्थिक उत्तराधिकार के कारण किशोर के बिगड़ने का खतरा और अधिक होता है। एकल अभिभावक द्वारा भावनात्मक सम्बल भी इसमें योगदान देता है । पुनर्स्थापित परिवारों में भावनात्मक सम्बल और सम्प्रेषणीयता की दिक्कते रहती हैं।

बाल अपराधों में तलाक एक मुख्य कारण होते हैं क्योंकि इसके परिणामस्वरूप परिवारों में टूटन, विखंडन, अलगाव और पार्थक्य उत्पन्न हो जाते हैं । यह निर्विवाद है कि जिस बालक को माता का वात्सल्य और पिता का संरक्षण नहीं मिलता वह अपराध की तरफ आकर्षित होकर भ्रष्ट हो जाता है। तलाकशुदा परिवारों में बच्चों के मन में यह भावनात्मक द्वन्द्व उत्पन्न हो जाता है कि उनका लगाव माँ की ओर हो या पिता की ओर हो या दोनों के प्रति हो । अपने अभिभावकों से मिलने में समय

की दिक्कत रहती है । जैविक माँ या बाप की दूसरी शादी के बाद नये प्रभावों को झेलने में परेशानी होती है । ऐसे किशोर जिनके परिवार में अभिभावकों के तलाक या पुनर्विवाह होते हैं, आक्रामक, हिंसक, गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार करने पर उतारू हो जाते हैं।

13.3.2 मानसिक असन्तुलन

आचरण में मानसिक असंतुलन बचपन से ही प्रारंभ होता है जो किशोरवय में स्पष्ट होता है। यह आचरण में मानसिक असंतुलन बाल-अपचारिता के व्यवहार में बदलकर आचरणगत असंतुलन हो जाता है। ऐसे बाल अपचारी जिन्हें बार-बार उनके विरूद्ध फौजदारी कार्यवाही का सामना करना पड़ता है, वे आचरण असंतुलन के कारण स्वयं की और दूसरों की सुरक्षा की परवाह नहीं करते । जब बाल-अपचारी परिपक्व होते हैं तो शातिर- बदमाश हो जाते हैं और उनका सामाजिक रूप से अस्वीकार्य व्यवहार आपराधिक जीवन शैली में तब्दील हो जाता है । दुर्व्यवहार भी किशोरों को प्रभावित करता है । हालांकि इसका अपराधों से कोई खास तास्तुक नहीं है । जिन किशोरों के साथ दुर्व्यवहार होता है वे आक्रामक व्यवहार करने लगते हैं । कुछ बालक जो नि:शक्त और विकलांग है अपने संरक्षकों को कमाकर देते हैं । कई मामलों में अभिभावकों से उनकी निजी समस्याओं और दुविधाओं के समाधान में मदद भी मिलती है । कुछ किशोर जिन पर माँ-बाप ध्यान नहीं देते, घर से भागकर गलियों में और रेल्वे स्टेशनों पर छुटपुट अपराध करने लगते हैं । जिनके माँ-बाप अपराधी होते हैं उनके बच्चों के बाल-अपचारी होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है । जिन परिवारों में घरेलू हिंसा का बोलबाला है उनमें बाल अपचारी ज्यादा होते हैं बजाय एकल-अभिभावक वाले परिवारों के । इस तरह के परिवारों में किशोर अन्तर्मुखी हो जाते हैं।

बालक के आपराधिक व्यवहार में अशान्त परिवार मुख्य कारक हैं । यह अशान्ति तलाक से लेकर अवसाद तक की स्थिति हो सकती है । ऐसे अभिभावक जिनका स्थायी निवास नहीं रहता हो, और अपराधवृत्ति का व्यक्ति हो तो घोर अशांति और अवसाद की स्थिति बनी रहती है । बतौर निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि परिवार में स्थायित्व और एकसूत्रता का अभाव बाल-अपचारिता की आशंका उत्पन्न करता है । किशोरों की मानसिक रूग्णता और अस्वस्थ गतिविधियाँ उनके बाल-अपचारी व्यवहार में योगदान देती है । अध्ययन से पाया जाता गया है कि जेल में बन्द बाल अपचारियो में मानसिक रूग्णता बहुत अधिक होती है । यदि उनकी समुचित चिकित्सा न की जाये तो भविष्य में बालअपचारी संगीन व्यस्क अपराधी और मानसिक रोगी हो जाते हैं ।

13.3.3 सामाजिक पर्यावरण

सामाजिक पर्यावरण में बदलाव जैसे अनेक कारणों से आजकल परिवार व्यापक रूप से संकटग्रस्त हैं । पिछले 25 वर्षो में हमारे सामाजिक पर्यावरण में तरह-तरह के बदलाव आये हैं । इन परिवर्तनों ने युवाओं के सामाजिक पर्यावरण को नाजुक बना दिया है। शोध परक अध्ययन से प्रमाणित हुआ है कि किशोरों के आत्म सम्मान को चोट पहुँचाना बाल अपराधों का कारक है।

यह साबित होता है कि बाल-अपचारिता एक सोची समझी प्रतिक्रिया है । बाल अपराधी चरित्र अपने माँ-बाप अथवा पूर्वजों से नहीं बल्कि सामाजिक स्थितियों और प्रतिकूल पर्यावरण से ग्रहण करते हैं । बाल- अपराध का चरित्र व्यक्ति और समाज की टकराहट का प्रतिफल है । असामाजिक व्यवहार के महत्वपूर्ण कारण मूलरूपेण पर्यावरणीय और समाजशास्त्रीय ही होते हैं । हमें परिवार, स्कूल, पड़ोस

और समाज की प्रतिकूलताओं को ही दोष देना चाहिए क्योंकि इन परिस्थितियों से ही किशोर अपराधी व्यवहार सीखते है । अब हम विचार विमर्श करेंगे कि किस प्रकार पर्यावरण नाबालिगों में बाल-अपराधी चरित्र का निर्माण करता है।

बाल अपराध के लिए दोषपूर्ण, विकृत और अभावग्रस्त पारिवारिक पृष्ठभूमइ उर्वर भूमि है । वास्तव में, पारिवारिक जीवन और बाल-अपराधियों का चोली-दामन का साथ है। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि जिन परिवारों में निम्नांकित पारस्परिक सम्बन्ध और परिस्थितियाँ विद्यमान हों, वहाँ पर बाल अपचारिता की प्रबल सम्मावनायें होती है :-

1. टूटा हुआ घरःपरिवार जो अलगाव, तलाक, पार्थक्य, और मृत्यु की घटनाओं के कारण अस्त-व्यस्त हो,
2. जहाँ माँ-बाप का नियंत्रण अनुचित हो ।
3. जहाँ सन्तानों में सामान्य ईर्ष्या भाव, प्रतिद्वन्द्वता हो और परिवार में उसकी प्रतिक्रिया हो,
4. अन्य सदस्यों के साथ माँ-बाप का गैर-जिम्मेदाराना और आपराधिक व्यवहार हो,
5. घरेलू लड़ाई-झगड़े हो,
6. घर में आर्थिक दिक्कतें और दरिद्रता हो,
7. नीरस, ऊबाउ और अरूचिकर घरेलू वातावरण हो,
8. बच्चों की आजादी पर आवश्यकता से ज्यादा पाबन्दी हो,
9. जहाँ बच्चों की समुचित भावनात्मक एवं शारीरिक सुरक्षा का अभाव परिलक्षित हो।

इस प्रकार की स्थितियों एवं वातावरण में बच्चे को अपनी मूलभूत जरूरतों को सन्तुष्ट करने का उपयुक्त अवसर नहीं होता। वह अनेक भावनात्मक समस्याओं से ग्रस्त होने लगता है जैसे हीनता, असुरक्षा, ईर्ष्या दमन और उसका परिवार से तालमेल नहीं हो पाता । इस के फलस्वरूप वह आक्रामक, विद्रोही और असामाजिक व्यक्ति हो जाता है । इस प्रकार, बाल अपराधों के लिए प्रतिकूल पारिवारिक घरेलू परिस्थितियां पूर्णरूपेण दोषी हैं । सभी स्थितियों में, बाल अपचारिता के मूल कारणों की खोजबीन में घर-परिवार की पर्यावरणीय पृष्ठभूमिका को खंगालना चाहिए।

13.3.4 यौन अपकृत्य

बालकों के साथ यौन अपकृत्य के तात्कालिक और दूरगामी नुकसान होते हैं मसलन मानसिक रूग्णता और तत्पश्चात मनोरोग चिकित्सा । किशोरों के मन में अवसाद, स्वाभिमान का हास, चिन्ता, मनोवैज्ञानिक आघातजन्य तनाव और असंतुलन उत्पन्न हो जात है ।

13.3.5 घर के बाहर प्रतिकूल वातावरण

घर का वातावरण जब बाल अपकृत्यजनक व्यवहार का आधार बन जाता है तो घर के बाहर का वातावरण किशोरों की दमित प्रवृत्तियों को आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सन्तुष्टि के लिए विकल्प सुझाता है ।

13.3.6 स्कूल में ताल-मेल का अभाव

कई मामलात में, बाल अपचारिता को उकसाने में स्कूल का प्रतिकूल वातावरण भी महत्वपूर्ण कारक है । स्कूल के वातावरण से तालमेल नहीं बैठ पाना बाल अपराधी चरित्र का निर्माण करता है। प्रतिकूल वातावरण के अन्तर्गत् दोषपूर्ण पाठयक्रम, अनुचित शिक्षण प्रणाली, पाठ्येतर गतिविधियों का अभाव, अनुशासन और नियंत्रण की ढिलाई, स्कूल प्रशासन का प्रमादी ढर्रा, शिक्षकों का अवांछनीय और असामाजिक व्यवहार बच्चों के साथ बेइंसाफी, उनका पिछड़ापन, या परीक्षा में अनुत्तीर्ण होना इत्यादि तत्त्व हैं।

13.3.7 बौद्धिक कारण

कुछ मनोवैज्ञानिकों का विश्वास है कि बाल-अपचारिता स्वयं बालक के निहित स्वार्थ और इच्छा का परिणाम है । दूसरे शब्दों में, वह अपकृत्य इसलिए करता है कि वह इसे करना चाहता है । यह कारण बहु त नुकसानदेह है क्योंकि इससे उसके अपराधी मन को कुछ हद तक संतोष प्राप्त होता है और अपराध करने में कुछ भी गलत नहीं समझता ।

13.3.8 सामाजिक अस्त-व्यस्तता

पारम्परिक रूप से समाज में एकरूपता संयुक्त परिवार प्रणाली के कारण बनी रही । पहले स्कूल और घर का वातावरण पूर्णरूपेण अलग तरह का था । वह आज जैसा नहीं है । ज्यो-ज्यों सामाजिक जीवन शैली में बदलाव आ रहा है, परिवार द्वीप हो गये हैं । माँ और बाप दोनों ही नौकरी पैशा होने के कारण बालकों को संभालने वाला कोई नहीं है।

13.3.9 तनाव और दबाव

हमारे समाज में असमानता और पक्षपात के कारण किशोर आसानी से तनावग्रस्त हो जाते हैं और दबाव महसूस करने लगते हैं। पिछले दशक से हांलाकि भारत में तेजी से विकास हो रहा है और जीवन शैली में सुधार आया है, हम देखते हैं कि अमीर और ज्यादा अमीर और दरिद्र और अधिक दरिद्र हो रहे हैं अपराधों में किशोरों की महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं को संतुष्टि का अनुभव होता है।

13.3.10 बुरी संगत

किशोर बुरी संगत के कारण जाने-अनजाने में अपराधजगत् में प्रवेश कर जाते है और उसके अभिन्न अंग हो जाते हैं । किशोर अपने अपराधी मित्रों और साथियों के द्वारा अपराध करने के लिए उकसाये जाते है ।

13.3.11 अपराधी के रूप में नामित हो जाना

यह समाज का सामान्य रवैया है कि जब हम किसी को अपराध में लिप्त होना देखते सुनते हें तो उसे अपराधी के रूप में नामित कर देते हैं । स्कूलों में हम ऐसी शब्दावली जैसे 'बैक बेक' (कक्षा

की पिछली पंक्ति में पिछडे छात्र) और परीक्षा में अनुतीर्ण' सुनते हैं। इस शब्दावली से कमजोर छात्रों की पहचान कायम हो जाती है तथा वे हीनता की ग्रंथि से उबर नहीं पाते।

13.3.12 पुरूषों की गतिविधियों का परिदृश्य

अक्सर हम यह देखते हैं कि किशोर स्वभाव से आक्रामक और तेज तर्रार होते हैं। वे अधिक शक्तिशाली और दुस्साहसी होना प्रदर्शित करते हैं । अपनी जीवट को साबित करने की जबरदस्त मानसिकता में वे अपराध कर बैठते हैं।

13.3.13 घर का वातावरण

एक व्यक्ति को घर-परिवार में कुछ समस्यायें हो सकती है जो उसे कुसंगति की तरफ ले जाये. मसलन सौतेली माँ का व्यवहार, दरिद्रता, टीवी, इन्टरनेट या अन्य मीडिया के प्रभाव से ऐसा हो सकता है । वे बच्चे भी कुसंगति में पड़ जाते हैं (जिन्हें स्कूल से आने के बाद घर मे कोई देखभाल करने वाला नहीं होता) । अभिभावकों द्वारा ढिलाई और लापरवाही का रवैया अथवा कठोर अनुशासनात्मक नियंत्रण दोनों ही किशोरों को कुसंगति की ओर प्रवृत्त कर सकते है।

13.3.14पड़ौस

पड़ौस का वातावरण भी बाल अपचारिता में सहायक होता है । पड़ौस में जुआरियों, झगड़ते, दम्पत्तियों. शराबियों का बोलबाला है तो किशोर इन सबसे अछूता नहीं रह सकता ।

13.3.15 शिक्षकों का बर्ताव

यह सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि विद्यार्थी टापने शिक्षकों के व्यवहार से सीखते हैं । अत: शिक्षकों को विद्यार्थियों के समक्ष आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए क्योंकि किशोरवय के विद्यार्थी अपराध और अपकृत्यों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं।

13.4 बाल अपराधएव पुलिस के भूमिका

जुवनाईल जस्टिस (केयर और प्रोटेकान) एक्ट, 2000 के अन्तर्गत यह प्रावधान वर्णित है कि पुलिस बल की एक विशिष्ट युनिट (एस. जे. पी. यु.) बाल अपराधियों के मामलात में कार्यवाही करे। हर पुलिस थाने पर कम से कम एक विशेष रूप से प्रशिक्षित अधिकारी हो जिसका पदनाम बाल कल्याण अधिकारी (जुवनाईल और चाइल्ड वेल्फेयर ऑफिसर (जे.सी.डब्ल्यूओ) हो सकता है । पुलिस ही पहला व्यक्ति होता है जिससे बाल अपचारी का सम्पर्क होता है । अत: उसका बर्ताव अपचारी किशोर के प्रति मित्रवत् होना चाहिए । यह तथ्य विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि बाल अपचारियों के प्रति पुलिस का बर्ताव वैसा न हो जैसा अन्य अपराधियों के साश हुआकरता है।

13.4.1 प्रासंगिक विधिक प्रावधन

(अ) जुवनाईल जस्टिस (केयर एण्ड प्रोटेकान) एक्ट, 2000

सेक्सन विषय वस्तु

2(w) इसमें विशिष्ट जुवनाईल पुलिस युनिट (एस.पी.जे.यू) परिभाषित है ।

10 बाल अपराधी की गिरफ्तारी के बाद कार्यवाही करने बाबत।

13 बाल अपराधी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा उसके माँ-बाप. संरक्षक और परिवीक्षा (प्रोबेशन) अधिकारी को सूचित करने बाबत ।

22 भगोड़े बाल-अपचारी के बारे में प्रावधान

63 बाल अपराधियों पर कार्यवाही हेतु विशिष्ट पुलिस जुवानाइल युनिट का गठन

(ब) जुवनाइल जस्टि सुरक्षा एवं संरक्षण अधिनिथम 2007

नियम विषय वस्तु

11 बाल अपराधी के पकड़े जाने के पूर्व और पश्चात पुलिस कार्यवाही बाबत

13(2)(द) छोटे-मोटे अपराध पुलिस द्वारा रफा-दफा किये जा सकते हैं । बाल अपचारी के संदर्भ

75 में पुलिस अधिकारी, सिवाय गिरफ्तारी के वक्त, साधारण पोशाक में रहे ।

76 हथकड़ी या बेड़ियों के उपयोग पर पाबन्दी

84 जुवनाईल पुलिस युनिट का गठन एवं कार्यवाही

13.4.2 पुलिस बल संगठन

1. बाल-अपचारियों के मामलात में, एक पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक (आईजीपी) से कनिष्ठ पद धारण न करता हो, समन्वयन अधिकारी के रूप में कार्यशील रहे। (नियम 84(10))

2. प्रत्येक जिले और शहर में विशिष्ट पुलिस बल युनिट 4 माह के अन्दर-अन्दर संचालित हो जो बल-अपराधों के संदर्भ में कार्यवाही करें (संदर्भित नियम की अनुपालना 26.02.2008 तक हो जानी चाहिए(सेसान 63(3)रांडज्यू रूल अ(1))

3. जिले का पुलिस अधीक्षक पदेन बाल-अपराध विशिष्ट पुलिस बल युनिट का अध्यक्ष हो और उसके कार्यवाही पर निगरानी रखे (नियम 84(9))

4. उपर्युक्त विशिष्ट पुलिस बल युनिट में बाल कल्याण अधिकारी निरीक्षक के पद का होगा और उसके सानिध्य में दो सामाजिक कार्यकर्त्ता होंगे जिनमें एक महिला होनी चाहिए । इन दोनों को मानदेय राशि मिलेगी ।

5. प्रत्येक पुलिस थाने पर एक ऐसा अधिकारी बाल कल्याण अधिकारी के रूप में नियुक्त हो जो बल-अपचारिता के मामलात में कार्यवाही करने हेतु प्रशिक्षित हो । (सेमान 63(2)(3)राडज्यू नियम क्ष(उ))

6. विशिष्ट पुलिस बल युनिट (बाल कल्याण) के अधिकारी एवं मेम्बरान की सूची, पते और सम्पर्क सूत्र समेत पुलिस थाने में प्रमुखता से चस्पा किये जाने चाहिए ।(नियम 1(4))

7. इस विशिष्ट बाल कल्याण यूनिट को गैर-सरकारी संगठनों, पंचायतों. ग्राम सभाओं और स्थानीय समाज कल्याण संगठनों से सहयोग लेना अपेक्षित है ।(नियम अ(7)(8)

8. राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार इस बाल कल्याण विशिष्ट पुलिस युनिट की स्थापना और क्रियान्वयन सुनिश्चित करे ।(नियम अ(1))

13.4.3 कर्त्तव्य और क्रियान्वयन

(अ) बाल अपचारी को पकड़ना ागिरपतार करना :

1. ऐसे छुट-पुट बाल अपराधों के मामलों को जिनमें दण्ड स्वरूप रू. 1000 /- तक का जुर्माना हो सकता है, पुलिस थाने पर ही निपटाया जाना चाहिए (नियम 13(2)(द))

2. ऐसे अपराधो में (जिनमें अधिकतम 7 वर्ष की कारावास की सजा दी जा सकती हो, बाल अपचारी को गिरफ्तार किया जा सकता है(बशर्ते यह कार्यवाही उसके हित में हो ।(नियम 11(7)ए(9))

3. ऐसे गंभीर अपराधों में जिनमें 7 साल से अधिक का कारावास दिया जा सकता हो, बाल अपचारी की गिरफ्तारी जरूरी है ।(नियम 11(7)

(ब) गिरफ्तारी के पश्चात् पुलिस के कर्त्तव्य.

1. गिरफ्तार किये जाने पर, पुलिस बाल अपचारी को न हथकड़ी लगा सकती है, न बेड़ियों में कस सकती है ।

बाल अपचारी को पुलिस लोक-अप अथवा जेल में नहीं डाला जा सकता । (सेमान 10(1)एरांडज्यू नियम 11(3)

न्यायालयों द्वारा क्षतिपूर्ति राशि ऐसे मामलों में प्रदान की गयी है जिसमें बाल अपचारी को जेल या पुलिस लोक-अप में रखा गया हो।

(मास्टर सलीम इकरामुद्दीन अंसारी बनाम प्रभारी अधिकरी, 2005 क्रीमिनल एल. जे. 799,2004(4) एमएवएलजे. 725 (बम्बई); मास्टर राजीव शंकर लाल बनाम प्रभारी अधिकारी, 2000 क्री.एल.जे. यष्श)

2. (i) बाल अपचारी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस, निकटस्थ पुलिस थाने के बाल कल्याण अधिकारी को उसे उचित कार्यवाही हेतु सौंप देगी। (सेक्सन 10(1) आराडज्यू नियम 11 (1)(a)

(ii) पुलिस उसके मॉ-बाप / संरक्षक को उसके गिरफ्तार होने की सूचना दे और उसको प्रस्तुत करने के लिए बोर्ड से तारीख और समय के लिए विमर्श करे (सेमान 13(अ) आरॉडज्यू नियम 11 (1)(6)

(iii) पुलिस रिपोर्ट की एक प्रति बाल अपचारी के माँ-बापासंरक्षक को निःशुल्क उपलब्ध कराये । सेमान 5०(1) आर डज्यू सेसान 50(1) व 207 भारतीय दण्ड संहिता ।

(iv) पुलिस बाल अपचारी के माँ-बापासंरक्षक को उसकी उम्र से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहे ।

(v) पुलिस पर्यवेक्षण अधिकारी को सूचित करे । (सेमान 13(6) आराडज्यू नियम 11(1)(c)

(vi) पुलिस किशोर की सामाजिक पृष्ठभूमि को लिपिबद्ध करे और केस डायरी में गिरफ्तारी की परिस्थिति को लिखे तथा इसे बोर्ड को अग्रेषित करे। (नियम 1(6)

(vii) हिरासत की अवधि में किशोर की सुरक्षा, भोजन व्यवस्था तथा मूलभूत सुविधाओं की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। (नियम 11(13)

(viii) 24 घंटे के अन्दर-अन्दर पुलिस अपचारी को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करे । (दंड 1० आर 7 डज्यू नियम 11(2) यदि पूरा बोर्ड नहीं बैठ पा रहा हो तो बोर्ड के एक सदस्य

के समक्ष उसे पेश किया जा सकता है । यह सदस्य अन्तिम आदेश के अतिरिक्त अन्य आदेश जारी करने के लिए अधिकृत है । (दंड 5(2 क्षोरा डब्लू नियम 11(10)।

(ix) यदि बाल-अपचारी को जमानत नहीं होती है तो उसे सम्प्रेक्षा गृह भेजा जायेगा । (दंड 12(2)।

3. यदि पुलिस द्वारा उसे हिरासत में रखना उसके हित में हो तो पुलिस लिखित रिपोर्ट बोर्ड को उसको बाल कल्याण समिति को स्थानान्तरित करने की अनुशंसा करेगी । नियम 11 (प्तक्षोर 7 डज्यू नियम 13(1)

4. जो बाल-अपकृत्य गभीर प्रकृति के न हो, उनके लिए एफआईआर. दर्ज करना अथवा आरोप पत्र तैयार करना आवश्यक नहीं है । पुलिस तथाकथित घटना की प्राप्त सूचना को सामान्य डायरी में नोट कर सकती है । परन्तु सामाजिक पृष्ठभूमइ की रिपोर्ट, गिरफ्तारी और अपराध की परिस्थितियों का विवरण बाल अपचारी के बाबत बोर्ड के समक्ष पहली सुनवाई से पूर्व पेश किया जाना अनिवार्य है । नियम 11(11-c))

(स) दूसरे महत्वपूर्ण आयाम

1. संदर्भित एक्ट की अनुपालना में पुलिस द्वारा छानबीन 4 माह के अन्दर-अन्दर हो जाना चाहिए ताकि बोर्ड द्वारा पुछताछ पूर्ण हो सके । सेमान 14(1) का प्रावधान।
2. पुलिसकर्मी बोर्ड की कार्यवाही में सादे कपड़ों मे उपस्थित हो तथा सिर्फ गिरफ्तारी के वक्त ही वर्दी में हो । नियम 75।
3. प्रत्येक बाल अपचारी को जमानत पर रिहा होने का अधिकार है । सिवाय
   (i) ऐसी स्थिति में जब बाल अपचारी छूटने पर शातिर अपराधी के सम्पर्क में आ जाये,
   (ii) वह नैतिक, शारीरिक या मानसिक खतरा महसूस करे,
   (iii) या उसके छोड़े जाने से न्यायिक प्रयोजन नहीं सधता हो। सेमान 12(1)
4. यदि बाल अपचारी पुलिस हिरासत से भाग निकलता है तो पुलिस उसे फिर गिरफ्तार करने को अधिकृत है ।
   परन्तु इस मामले में उसके खिलाफ और कार्यवाही करना आवश्यक नहीं है । सेमान 22, नियम 18(2) (प्त))
5. विशिष्ट बाल कल्याण पुलिस यूनिट यह निगरानी रखेगी कि कहीं बाल अपचारी के साथ निर्दयता, शोषण और दुराचार का व्यवहार तो नहीं हो रहा है। (नियम 84 (5(a)
6. पुलिस द्वारा उसे उसके परिवार को सौंपा जायेगा। नियम 65(4)
7. यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी बाल अपचारी को शारीरिक यातना देने का दोषी पाया जाता है तो उसे सेवा से हटाया जा सकता है और एक्ट की धारा 23 के अन्तर्गत उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही हो सकती है । नियम 84(11)

13.5 सुधारात्मक समाधान

13.5.1 सुधारात्मक समाधान

बाल न्याय (सुरक्षा एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत अनेक सुधारात्मक समाधान उपलब्ध हैं । सम्प्रेक्षा गहो से निकलने के बाद ये किशोर यौन शोषण के शिकार हो जाते हैं । इसके अन्तर्गत वैश्यावृति, यौनअपकृत्य, यौन शोषण के विविध प्रकार, जबरन मजदूरी, बकुआ गुलामी तथा अंग काटकर पृथक् करना इत्यादि सम्मिलित हैं । इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति से बचने के लिए उपर्युक्त एक्ट में प्रावधान किये गये हैं।

13.5.2 गोद लेना

इस प्रावधान से तात्पर्य यह है कि बालक को उसके जैविक माँ-बाप के सानिध्य से अलग करके, दूसरे माँ-बाप के हवाले किया जाता है और उसको वही हक और लाभ हैं जो जैविक माँ-बाप से मिलते हैं । सरकार द्वारा ऐसी एजेन्सियाँ स्थापित की गयी हैं जो इस प्रकार गोद लिए बच्चों पर निगरानी रखती हैं । भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहार से बचाये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्देशिका जारी की गयी है तथा भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतंत्र रूप से इस कार्य के निष्पादन हेतु ऐसी गैर सरकारी सामाजिक संस्थाओं को अधिकृत किया है जिन्हें दत्तक बालकों के मामलों में कार्यानुभव हो । समाज कल्याण इंडियन कौंसिल ने जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, सभी राज्यों में निगरानी ऐजेन्सियों की शाखायें स्थापित की है । सेंत्रल अडोषान रिसोर्स अथोरिटी (कारा) भी दत्तक पुत्राधिकार नीति का निष्पादन करने हेतु स्थापित की गयी हैं । यह राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो महिला और बाल विकास के अन्तर्गत दत्तक पुत्राधिकार से संदर्भित मामलों का निपटारा करती है। सेमान 41(5) के तहत बाल न्याय (सुरक्षा एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 में एक और अधिकृत संस्था है। उक्त सेमान में कहा गया है कि कोई भी बालक तब तक किसी के द्वारा गोद नहीं लिया जा सकता -

(1) जब तक कमेटी के कम से कम दो सदस्य परित्यक्त बालक को कानूनन स्वतंत्र घोषित न क?र दें।

(2) समर्पण किये हुए बालकों के संदर्भ में जब तक माँबाप को विचार विमर्श हेतु दिया गया 2 माह का वक्त पूरा न हुआ हो।

(3) यदि बालक में इतनी बुद्धि है वह मामले को समझता हो और अपनी सहमति प्रकट कर सकता हो तो उसकी सहमति / स्वीकृति के बगैर उसे गोद नहीं लिया जा सकता ।

उपर्युक्त शर्तो के पूरा होने पर ही बालक को गोद लिया जा सकता है ।

बालक को गोद लेने में कौन सक्षम हे'

हिन्दू एडोपान तथा मेन्दीनेन्स अधिनियम (हामा) के अनुसार कोई भी स्वस्थ मना पुरूष किसी बालक को गोद ले सकता है और यदि वह शादीशुदा व्यक्ति है तो उसकी पत्नी की सहमति जरूरी है । ठीक इसी प्रकार कोई भी स्वस्थ महिला किसी बालक को गोद ले सकती है यदि वह अविवाहित हो / तलाकशुदा हो विधवा हो / उसका पति निम्न अयोग्यता रखता हो :-

1. वह हिन्दू धर्म त्याग चुका हो,

2. उसने वैराग्य धारण कर लिया हो,

3. वह न्यायालय द्वारा रूग्ण मस्तिष्क वाला व्यक्ति घोषित किया गया हो ।

बाल न्यायालय (सुरक्षा एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 41(6) के प्रावधान के मुताबिक बालक के गोद लेने बाबत एक बोर्ड गठित किया गया है। बोर्ड के द्वारा किशोर / बालक को गोद दिया जा सकता है :-

1. एकल पेरेन्ट को (पुरूष को बालक तथा महिला को बालिका)
2. उन फोस्टर एकल पेरेन्ट्स को चाहे उनके पहले से ही पुत्र या पुत्रियाँ हों ।

गार्डियन एण्ड वार्ड्स अधिनियम, 189० मुसलमानों, ईसाइयों, पारसियों और यहूदियों के लिए है । जो हिन्दू नहीं है उनके लिए दत्तक पुत्राधिकार का सक्षम कानून नहीं है। इसलिए वे गार्डियन एण्ड वार्ड्स अधिनियम, 1890 के तहत संरक्षक की हैसियत से बालक को अंगीकार कर सकते हैं यदि वे उसे गोद लेने के इच्छुक हों। इस कानून के मुताबिक जब संरक्षित बालक 21 वर्ष का हो जाय तो वह संरक्षक की पाबन्दी से मुक्त व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान कायम करता है।

13.5.3 पालन-पोषण

अभिभावक / माँ-बाप से परे संरक्षण / पालन पोषण (फोस्टर केयर)

अभिभावक / माँ-बाप से बाल को संरक्षण दिया जाना उसके भविष्य को सुरक्षा का समाधान प्रदान करता है । उक्त अधिनियम की धारा 42।

1. फोस्टर केयर उन बालकों के लिए एक अस्थायी परिस्थिति है जिन्हें दत्तक पुत्र के रूप में अन्ततः दिया जाना है ।
2. इस तरह से बालक किसी परिवार की देखरेख में अल्प अवधि के लिए रखे जा सकते हैं । यह अवधि आगे भी बढ़ायी जा सकती है. यह इस स्थिति पर निर्भर है कि उक्त बालक के जैविक माँ-बाप नियमित रूप से मिलने आते हों और अन्ततः पुनर्स्थापन के बतौर वे अपने घर-परिवार में लौट सके हैं।
3. जब बाल-अपचारी विशिष्ट सम्प्रेक्षा राहों से निकलते हैं तो उनके शोषण और कुसंगति में पड़ने की प्रबल संभावना रहती है । इसलिए फोस्टर केयर और गोद लिए जाने के अधिकार के माध्यम से शोषण के शिकार होने से उन्हें बचाया जा सकता है। बाल अपचारियों के लिए, अधिनियम की धारा 44 के अन्तर्गत।

फोस्टर पालन-पोषण प्रबन्धन संस्था का स्थान ही उचित रहता है । इस तरह की संस्थायें राज्य सरकार के अधीन कार्य करती है । यह वे स्थान हैं जहां बाल-अपचारी विशिष्ट सम्प्रेक्षा गहो बाल-गृहों से निकलने के पश्चात् सार्थक और ईमानदारी का जीवन जी सकते हैं । कानूनी प्रावधान में यह पाबन्दी करने वाली बाल-अपचारी को 3 वर्ष से ज्यादा अवधि तक नहीं रख सकते । अधिकतम 20 वर्ष की उम्र तक ही किशोर वहाँ निवास कर सकते हैं । विशालजीत बनाम भारत सरकार के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को ऐसे बच्चों को जो गलियों में भीख मांगते हैं या नाबालिग लड़कियां जो वेश्यावृत्ति में फंस गयी है, के पुनर्स्थापन की व्यवस्था बतौर भावी घर-परिवारों का प्रबन्ध करे।

13.6 सारांश

बाल शोषण बहुत पुरानी प्रथा हो चुकी है । बाल शोषण के तहत बालकों के साथ अनैतिक व्यवहार, किया जाता है। उन्हें शारीरिक, यौन-अपकृत्य, मानसिक यातनाओं को झेलना पड़ता है। इससे उनके भावी जीवन पर अमिट और स्थायी प्रभाव पड़ता है। यह कुप्रथा इतनी लम्बी चलते रहने का कारण समाज में बालकों के प्रति नकारात्मक रवैया है । पारिवारिक प्रभाव, सामाजिक पर्यावरण, मानसिक असंतुलन और यौन शोषण आदि अनेक कारण हैं । इससे युवाओं में हीनता की ग्रंथि पनपती है और वे मानसिक रूप से आतंकित अनुभव करते है । यही आगे जा कर अपराधी व्यवहार से जुड़ता है।

हमारे सामने यह यक्ष प्रश्न है । इस संदर्भ में क्या कार्यवाही आवश्यक है? पूर्ण रूपेण तो इस समस्या का उलूलन नहीं हो सकता परन्तु बाल अपचारिता को नियंत्रित करने के उपाय हैं। यह बाल अपचारी के हित में है कि उसे सामाजिक जीवन में पुनर्स्थापित किया जाये और शीघ्रातिशीघ्र समाज उसे अंगीकार करे।

सरकार से अपेक्षा है कि वह इन अभागे बालको के अधिकारों की रक्षा करे, उनके सुधार के तौर तरीकों की पहल करे, और उनमें स्वस्थ सामाजिक मूल्यों को विकसित कर उनके जीवन में विश्वास पैदा करे ताकि वे भविष्य में रचनात्मक भूमिका अदा कर सकें।

बाल अपचारिता सामाजिक पर्यावरणीय रोग है क्योंकि बाल अपकृत्य सीखकर किये जाते हैं। कोई भी बालक जन्म से अपचारी नहीं होता न ही अनैतिक अपराधी व्यवहार की पृष्ठभूमि में उसके जैविक गुण-सूत्र (जीन्स) का कोई वास्ता है । इस प्रकार बाल-अपचारी कोई विशेष प्रकार के व्यक्ति नहीं होते जिनमें कोई जन्मजात दैहिक, मानसिक या भावनात्मक विकारों या विकृतियों के लक्षण हों। वे सामान्य आकांक्षाओं और जरूरतों वाले सामान्य व्यक्ति होते हैं । सामान्य बच्चों की तरह वे मोहब्ब्त सुरक्षा और तवज्जो चाहते है । जब उनकी ये मूलभूत जरूरते भी पूरी नहीं होती हैं तो फिर सामाजिक तालमेल के बिगड़ने से उनमें विद्रोही और शत्रुतापूर्ण आचरण उत्पन्न होते है।

इस तरह बाल आपराधिक व्यवहार समाज की प्रचलित एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति पनपते नैराश्य की प्रतिक्रिया है । बाल-अपराध शिक्षकों, अभिभावकों, माँ-बाप तथा सामाजिक संस्थाओं के प्रति विद्रोह है क्योंकि ये सब युवाओं की मूलभूत भावनाओं, आकांक्षाओं, जरूरतों की पूर्ति हेतु उपयुक्त वातावरण का सृजन नहीं कर पाते ।

बाल अपचारिता के लक्षण प्रकट होने पर इसे प्रारम्भिक अवस्था में स्कूल और परिवार के स्तर पर नियंत्रित करने के लिए कदम उठाये जा सकते है । जैसा कि उपर्युक्त विमर्श से स्पष्ट है कि मात्र एक व्यक्ति की इच्छा से अपकृत्य नहीं होते, इसके लिए स्कूल, पड़ोस, परिवार और समाज की परिस्थितइयां युवाओं के नैतिक पतन और असफलता के जिम्मेदार कारक है।

इसलिए, बजाय युवाओं को अपराधी / अपचारी नामित करने से तो यह बेहतर है कि हम उन उपायों को तलाशने का प्रयत्न करें जिससे उनके अपराधी / अपचारी तौर तरीकों में सुधार और व्यवहार में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो । बाल मन तो लचीली मृदा होता है, हम जैसा चाहे वैसा ही उसे ढाल सकते है । इसके लिए आवश्यकता है विश्वास और धैर्य की; प्रवीणता और ज्ञान की। यदि हम युवाओं बालकों को सुसंस्कारित करने में चूक गये तो अपराधी और समाज कंटक बन जायेंगे ।

यह दोष हमारा ही होगा । अपराधी पैदा नहीं होते, बन जाते हैं । यदि समाज अपराधियों को पैदा करता है तो उनका उपचार भी कर सकता है।

3.7 अभ्यास प्रश्न

1. बाल-अपचारिता से आप क्या समझते हैं? लिखिए ।
2. बाल-अपचारिता के क्या कारण हैं? उल्लेख कीजिए ।
3. कौनसा अधिनियम बाल अपचारिता को नियंत्रित करता है' लिखिए ।
4. बाल न्यायालय (सुरक्षा एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अनुसार पुलिस की भूमिका बतलाइए ।
5. बाल अपराधों के विभिन्न कारणों पर प्रकाश डालिए ।
6. बाल अपराधों हेतु विभिन्न सुधारात्मक समाधान लिखिए ।

इकाई -14

पहचान और गिरफ्तारी में पुलिस की

इकाई की रूपरेखा

14.0 उद्देश्य

14.1 प्रस्तावना

14.2 आपराधिक अन्वेषण में वैज्ञानिक विधियों को अपनाए जाने के कारण

14.3 कार्य निष्पादन

14.4 आगे की कार्यवाही

14.5 अन्वेषण विइण्न के सिद्धान्त

14.6 पहचान करने की तकनीकें

14.7 पहचान करने के अन्य उपाय

14.8 पुलिस की भूमिका

14.9 सारांश

14.10 अभ्यास प्रश्न

14.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप

- पहचान व गिरफ्तारी में पुलिस की भूमिका को समझ पाऐंगे ।
- आपराधिक अन्वेषण में विभिन्न वैज्ञानिक विधियों को अपनाए जाने के कारणों पर प्रकाश डाल पाऐंगे।
- कार्य निष्पादन व अन्वेषण विज्ञान के विभिन्न प्रश्नों से अवगत हो पाऐंगे ।
- अन्वेषण विज्ञान के विभिन्न सिद्धान्तों की जानकारी प्राप्त कर पाऐंगे ।
- पहचान करने की विभिन्न तकनीकों व उपायों से अवगत हो पाऐंगे ।
- अन्वेषण में पुलिस की भूमिका को समझ पाऐंगे।

14.1 प्रस्तावना

अपराधियों की व्यक्तिगत रूप से पहचान करना तफ्तीश की मुख्य समस्या रहती है । सही पहचान नहीं हो पाने के कारण कई अपराधी सजा से बच निकलते हैं । ऐसे अपराधियों की पहचान करने में, जो कहीं अगुंलियों के निशानात नहीं छोड़ते न कोई प्रामाणिक साक्ष्य छोड़ते हैं, बहु त जटिल तकनीकों द्वारा विश्लेषित किया जाता है और उनके जुर्म करने के विशिष्ट ढंग पर ध्यान केन्द्रित किया जात है । उदाहरणार्थ उनका जबरन दाखिला होने से, विशेष वस्तु हथियाने से, या कोई व्यावसायिक चिह्नित चीज मौका-ए-वारदात पर छोड़े जाने से उनकी पहचान हो पाती है । अपराध-छानबीन शाखा द्वारा इन वस्तुओं का तथा चोरी की गयी और खोई वस्तुओं की फेहरिश्त तैयार की जाती है । वे उपयोग में लाये गये वाहनों, बन्दूकों 7 पिस्तोलों के लाइसेन्स ' रजिस्ट्रेशन सम्बन्धित दस्तावेजों को खंगालते

हैं और धोबियों द्वारा धुलाई के कपड़ों पर किये गये निशानात पानवाले दुकानदारों से बातचीत और कबाड़ियों से सम्पर्क कर खोजबीन की जाती है।

पुलिस को एजेन्टों/मुखबिरों से सूचनायें मिलती जाती है और गुप्त सूत्रों से जानकारी उपलब्ध हो जाती है । टेलीफोन और मोबाइल फोन जैसे इलैक्ट्रोनिक उपकरणों से प्राप्त सूचनायें बहु त महत्वपूर्ण होती है । यह सब अन्वेषण कार्य विधिक मर्यादाओं के अन्तर्गत किया जाता है।

संदिग्ध व्यक्तियों से कड़ी पूछताछ आपराधिक जाँच-पड़ताल का प्रमुख आयाम है । अधिकांश मुल्कों में. यह कार्य बहु त संवेदनशील और नाजुक है क्योंकि संदिग्ध व्यक्ति के तथाकथित मानव अधिकारों को ठेस पहुँचा कर जबरन कोई तथ्य कबूल करवाये जाने को अदालत में चुनौती दी जा सकती है । पोलीग्राफ उपकरण सत्य उगलवाने वाले यंत्र का उपयोग भी न्यायालय के द्वारा मान्य व्यापक मानवीय अधिकारों से सीमित होता है ।

अपराधों के अन्वेषण में सबसे महत्वपूर्ण सहायता फोरेन्सिक प्रयोगशाला से मिलती है । जहाँ यांत्रिक माध्यमों और रासायनिक विश्लेषण द्वारा भौतिक साक्ष्य जुटाये जाते है । आधुनिक आपराधिक अन्वेषण में पहचान करने के उपायों में डी. एन. ए. परीक्षण, अंगुलियों के निशानात रिकोर्डे आवाज का अध्ययन, - फोटोग्राफी, फोटोमाइक्रोग्राफी, दस्तावेज परीक्षण, विस्फोटक और आग्नेय पदार्थो का विश्लेषण इत्यादि फोरेन्सिक प्रयोगशाला के प्रमुख प्रायोगिक उपकरण हो गये हैं । फोरेन्सिक प्रयोगशालाओं में रक्त, मूत्र, आदि का परीक्षण कर हत्या के शिकार व्यक्तियों के र्शरीर में सेवन कराये गये रसायनों का पता लगाया जा सकता है । फोरेन्सिक वैज्ञानिक साक्ष्य मूक साक्ष्य है जिस पर फोरेन्सिक विशेषज्ञ ही चर्चा करने के लिए सक्षम है। यह फोरेन्सिक विश्लेषण विद्या अपराध अन्वेषण में काफी लम्बे अर्से से प्रचलित ऐतिहासिक प्रणाली है परन्तु नवीन अपराधों के परिप्रेक्ष्य में इसका महत्व और अधिक बढ़ता जा रहा है।

14.2 आपराधिक अन्वेषण में वैज्ञानिक विधियों को अपनाए जाने के कारण

आपराधिक अन्वेषण में वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा विश्लेषित विधियों को अपनाये जाने के निम्न कारण हैं:-

14.2.1 सामाजिक परिवर्तन

समाज में तेज गति से जबरदस्त बदलाव आ रहे हैं। भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश से लोकतांत्रिक गणराज्य में तब्दील हो गया है। उल्लेखनीय औद्योगिक संकुल विकसित हु आ है। आवागमन की सुविधाओं में क्रान्तिकारी परिवर्तन हु ए हैं । ग्रामीण अंचल मेंशहरीकरुण का रवैया पनप रहा है। अपराधों. की छानबीन के पुराने तौर तरीके पुराने और अनुपयोगी हो चुके हैं । ब्रिटिश शासन के दिनों में पुलिस से जनता इतनी भयाक्रान्त थी कि ज्योंहि कोई भी व्यक्ति पुलिस के हत्थे चढ़ता था, जुर्म कबूल कर लेता था भले वह उसने न किया हो। यह आतंक अब समाप्त हो चुका है । उन दिनों आरोपियों को घोर शारीरिक यातनायें (थर्ड डिग्री मेथड्स) दी जाती थी जिन्हें न तो आज की पीढ़ी के पुलिस अधिकारी उचित समझते हैं न न्यायाधीश।

14.2.2 छिप जाने की सुविधायें

आवागमन के साधनों में त्वरित विकास और शहरों में आबादी की सघनता के कारण अपराध करना अधिक आसान हो गया है । अपराधी के लिए शहर के किसी भी कोने में छिप जाना बहु त आसान है तथा वह कुछ ही घण्टों में हजारों मील दूर निकल कर जा सकता है । इस प्रकार वह पुलिस कार्यवाही और गिरफ्तारी से बच जाता है ।

14.2.3 तकनीकी जानकारी

आम आदमी के तकनीकी ज्ञान मे विगत कुछ वर्षो में अभूतपूर्व अभिवृद्धि हु ई है । अपराधियों की जुर्म करने की तकनीके भी इसी अनुपात में परिष्कृत होती जा रही है । इसलिए तफ्तीश कुनिन्दा अधिकारी को आधु निक अपराधी से निपटने के लिए आधु निक तौर तरीकों का इस्तेमाल करना जरूरी हो गया है ।

14.2.4 विस्तृत क्षेत्र

आपराधिक गतिविधियों के कार्यक्षेत्र का तीव्र गति से विस्तार हो रहा है । पहले अपराधी स्थानीय व्यक्ति हु आ करते थे परन्तु अपराधियों का राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय होना सामान्य बात हो गयी है ।मादक दवाओं और शराब की तस्करी, आर्थिक घोटाले और धोखाघडी के मामलात ने जुर्म के क्षेत्र को विस्तार दिया है।

14.2.5 श्रेष्ट साक्ष्य

विशेषज्ञों द्वारा भौतिक साक्ष्यों का आकलन वस्तुपरक होता है । यदि आपराधिक वारदात के स्थल पर अंगुलियों के निशानात पाये जाते हैं तो वे एक ही व्यक्ति के हो सकते हैं। यदि वह व्यक्ति संदिग्धा आरोपी है तो उसकीमौका-ए-वारदात पर उपस्थिति की छानबीन पक्की होनी चाहिए । इसी प्रकार, यदि मृतक के शरीर से बन्दूक की गोली निकाली जाती है, तो वह किसी एक बन्दूक से ही चली हु ई होती है । यदि उपर्युक्त आग्नेय अस्त्र आरोपी का होना पाया जाता है तो अपराध में उसकी सक्रिय भूमिका साबित होना चाहिए । इस प्रकार के साक्ष्य का सत्यापन किया जा सकता है।

14.3 कार्य निष्पादन

अन्वेषण विज्ञान निम्नांकित तीन प्रश्नों का उत्तर देता है :-

1. क्या आपराधिक वारदात हु ई है?

उदाहरणार्थ एक व्यक्ति की लाश मिलती है। हो सकता है कि वह व्यक्ति दुर्घटना में मरा हो या उसकी मृत्यु नैसर्गिक रूप से हु ई हो या उसकी हत्या की गयी हो । अपराध अन्वेषण विज्ञान मृत्यु की प्रकृति का पता लगता है और आपराधिक वारदात का होने या न होने के तात्विक साक्ष्य सुनिश्चित करता है।

2. जुर्म कब और किस तरीके से किया गया?

भौतिक साक्ष्य का परीक्षण अपराध के तरीके को प्रकट करता है और यह भी बतलाता है कि अपराध अमुक समय पर किया गया होगा।

3. अपराध किसने क्या?

अपराध अन्वेषण विज्ञान व्यक्तिगत भौतिक साक्ष्य जैसे अंगुलियों के निशाना खून के धबे, बालों इत्यादि से अपराधी की पहचान कर लेता है । वह मौका-ए-वारदात पर छोडे गये सबूत के आधार पर अपराधी तक पहुँचता है ।हो सकता है अपराध के शिकार को वारदात के बाद अन्य स्थान पर ले जाया गया हो ।

यदि उपलब्ध भौतिक साक्ष्यों का आरोपी से कोई ताल्लुक प्रकट नहीं होता है तो उसे निर्दोष मान लिया जाता है । इस प्रकार अन्वेषण विज्ञान व्यक्ति की सहायता करता है।

14.4 आगे की कार्यवाही

यदि तफ्तीश कुनिन्दा अधिकारी अपराध की छानबीन में निम्न बातों में निपुण होता है तो अन्वेषण विज्ञान बहुत कारगर होता है :-

1. कि किस प्रकार का भौतिकशास्त्र जुटाना है ।
2. और यह कहीं उपलब्ध हो सकता है ।
3. इसे किस प्रकार संग्रहित कर पैक किया जाये ।
4. किस प्रकार के स्टैण्डर्ड नमूनों की सामग्री से इसकी तुलना हो सकती है ।
5. नमूने के तौर पर कितनी सामग्री चाहिए ।
6. प्रतिचन कैसे किया जाता है ।
7. किस प्रकार जुर्म के सबूतों को अपराधी से जोड़कर देखा जाता है और किस हद तक अन्वेषण प्रयोगशाला के परिणामों से यह विधि मेल खाती है और अन्देषणकर्त्ता की मेहनत रंग लाती है।

इन सब बातों के लिए जरूरी है कि तफ्तीश कुनिन्दा अधिकारी सुप्रशिक्षित हो । उसे सैद्धान्तिक ही नहीं, व्यावहारिक अनुभव भी होना चाहिए।

14.5 अन्वेषण विज्ञान के सिद्धान्त

सभी नैसर्गिक विज्ञानों के सिद्धान्त ही अन्वेषण विज्ञान के मूलाधार हैं । इसके अतिरिक्त इसने अपने सिद्धान्त भी विकसित कर लिए हैं ।

वैयक्तिकता का नियम -

प्रत्येक वस्तु की, चाहे वह प्राकृतिक रूप से विद्‌यमान हो अथवा मनुष्य द्‌वारा कृत्रिम रूप से निर्मित हो, अपनी वैयक्तिकता होती है । यह धारणा प्रारम्भिक तौर पर सामान्य विश्वास और दर्शिता के विपरीत मालूम पड़ती है । रेत के कण, नमक के कण, पेड़ों के बीज, जुड़वां भाई बिल्कुल एक से दिखलाई पड़ते हैं । इसी प्रकार मनुष्य द्‌वारा निर्मित वस्तुयें जैसे एक ही मुल्याधिकृत सिक्के, जो एक ही टकसाल पर ढलते हैं तथा पेपर करेन्सी कागजात नोट जो एक ही ब्लोक से मुद्रित होते हैं (भले ही उनकी सुभिन्नकारी संख्या पृथक हो) तथा टाइप राइटर मशीनें जो एक ही मेक, मोडल और बैच की हो एक दूसरे नमूने से अभिन्न मालूम पड़ती है । फिर भी उनकी निजता अपनी जगह कायम है। प्रत्येक में निर्माण सामग्री की भिन्नता होती है और उनके सूक्ष्मातिसूक्ष्म कणों में भिन्नता होती है; उनके मुद्रण और छापे में कोई दोष या फर्क होता है; कोई बाहरी पदार्थ का मिश्रण हो सकता है आदि-आदि। यह भिन्नता कई क्षेत्रों में प्रमाणित हो जाती है । अंगुलियों के निशानात पर बहुत ही व्यापक शोधकार्य

हुआ है । लाखों अंगुलियों के प्रिंट्स का तुलनात्मक अध्ययन हो चुका है । यह पाया गया है कि एक ही व्यक्ति की दो अंगुलियों के निशान भी भिन्नता लिए हुए होते है।

अन्वेषण विज्ञान में वैयक्तिकता के सिद्धान्त का सर्वोपरि महत्व है । आपराधिक वारदात मे जो भी वस्तु प्रयुक्त होती है उसकी अपनी वैयक्तिकता होती है । इसी वजह से अपराध और अपराधी का पता चल जाता है ।

साक्ष्य छोड़ने का सिद्धान्त -

"सम्पर्क सबूत छोड़ता है । " यह साक्ष्य के आदान-प्रदान का सिद्धान्त है । इस सिद्धान्त का प्रतिपादन सर्वप्रथम एसमण्ड लोकर्ड नामक फ्रांसिसी वैज्ञानिक ने किया । इस सिद्धान्त के मुताबिक जब अपराधी अपने जुर्म के उपायों, उपकरणों और वस्तुओं के साथ अपने शिकार के सम्पर्क में आता है तो वह निश्चित रूप से सबूत छोड़ता है । वस्तुओं के उपयोग के कारण साक्ष्यों की अदला-बदली अपराधी और शिकार के बीच होती है और इनसे अपराधी की पहचान में बहुत आसानी हो जाती है। आपराधिक कृत्य के तुरन्त बाद मौका-ए-वारदात से निकल भागने के मामलात में भौतिक साक्ष्यों में इस सिद्धान्त का व्यावहारिक स्वरूप देखने को मिलता है । यह सिद्धान्त इस बात के सही उत्तर तलाशने में प्रभावी होता है कि अपराधी ने किस औजार / हथियार उपकरण से अपराध किया । छोडे गये निशानात के आधार पर तफ्तीश कुनिन्दा अधिकारी काफी भौतिक साक्ष्य जुटा कर सफल अन्वेषण कर लेते हैं। उदाहरणार्थ -

1. यदि कोई अपराधी किसी मकान में रोशनदान से घुसता है तो उसके पैरों के निशान दासे की धूल पर बन जाते हैं।
2. यदि वह खिड़की या दरवाजा तोड़ता है तो उसके औजार के उपयोग के निशानात लकडी के फ्रेम पर साफ दिखते हैं।
3. यदि कोई नकबजन किसी तिजोरी को किसी विस्फोटक द्वारा खोलता है तो उस स्थान पर कपड़े, जूतों पर विस्फोटक पदार्थ बिखरा पड़ा हो सकता है या जिसमें विस्फोटक भरा था उसका खोल पड़ा मिल सकता है ।

अपराधी सूक्ष्म साक्ष्य तो छोड़ता है । ऐसा शायद ही कभी होता है कि भौतिक साक्ष्य की वस्तुओं को साथ ' ले जाये हालांकि वह छोटे-मोटे साक्ष्य मिटाने में मुस्तैद हो सकता है । व्यापक अन्वेषण करने पर कुछ न कुछ छ प्रत्यक्ष साक्ष्य हमें जुर्म के मामले में प्रभावी तरीके से उपलब्ध हो जाता है।

निरन्तरबदलाव का नियम -

समय के साथ हर चीज बदलती है । अलग-अलग तरह की वस्तुओं में विविध बदलाव होते हैं । इसका प्रभाव अन्वेषण विज्ञान पर भी परिलक्षित होता है।

1. अपराधी अपने आप को त्वरित गति से बदल लेता है यदि जुर्म करने के बाद अपराधी जल्दी नहीं पकड़ा जाता है तोउसे पहचानना मुश्किल होता है क्योंकि हम मामले में उसके अंगुलियों के निशाना हड्डियों के फ्रेक्चर व चोट के लक्षण जो स्थायी प्रकृति के होते हैं, उपलब्ध नहीं होते ।
2. मौका-ए-वारदात में जल्दी परिवर्तन होता है । मौसम की बदलती स्थितियों के कारण, खरपतवार उग जाने के कारण, विशेषकर मनुष्यों की आवाजाही के कारण जल्दी ही घटनास्थल में बदलाव हो जाता है । घटनास्थल की छानबीन में जितनी देर होगी, उतनी ही ज्यादा स्थिति

बदल जायेगी । एक लम्बे अन्तराल के बाद उस जगह को पहचानना बहु त असाध्य हो सकता है।

3. जो औजार, उपकरण और अस्त्र-शस्त्र जुर्म करने में प्रयुक्त होते हैं उनमें भी बदलाव होता है जैसे धातु से षनो ' पर जंग लग जाता है, बहको की नाल ढीली हो जाती है, उपयोग में आने से जूते फट हैं, औजार ऊपर से बदरंग हो जाते हैं । काफी समय गुजर जाने पर अव्यावहारिक हो है कि अमुक औजार जुर्म विशेष में प्रयुक्त हु आ या नहीं । यह तय करना जाताइसलिए बदलाव के सिद्धान्त के कारण, पुलिस से अपेक्षा की जाती है कि जुर्म की तफ्तीश शीघ्रातिशीघ्र पर्ण की जाते।

तुलना का सिद्धान्त -

तु लना के सिद्धान्त के अन्तर्गत एक ही तरह की वस्तुओं में तु लना की जाती है । अत संदर्भित वस्तुओं के जैसे नमूने ही अनिवार्य रूप से जुटाये जाने चाहिए ।

1. मान लीजिए, एक हत्या के मामले में, मृतक के शरीर में से एक गोली निकाली जाती है । विज्ञान की टिप्पणी के मुताबिक यह गोली तेज गति से कार्य करने वाली बन्दूक से दागी गयी है जो सर्विस मशीनगन / राइफल हो सकती है । उपर्युक्त वारदात सामान्य बन्दूक, पिस्तोल / रिवाल्वर से किया जाना संभव नहीं है। अत: इनसे प्रयुक्त बन्दूक की तुलना नहीं हो सकती।
2. मृतक के हाथों में बालों का एक गुच्छा प्राप्त हु आ है । विशेषज्ञ की टिप्पणी के मुताबिक यह एक नीग्रो के बालों का गुच्छा है। इसकी तुलना श्वेत नस्ल के व्यक्ति के बालों से करना अर्थहीन है।
3. जो हस्तलिखित पुर्जा मिला है उसमें लिखावट बाल पेन की है । इसलिए बतौर नमूने के फाउन्टेन पेन का तुलनार्थ पेश किया जाना अर्थहीन है।

एक बार दीवार पर हाथ से लिखी गई इबारत के फोटोग्राफ की तु लना कागज पर लिखी गयी इबारत से की गयी तो कोई संतोषजनक परिणाम हासिल नहीं हु आ । इसी मामले में एक दूसरा नमूना जो दीवार पर उसी ऊँचाई पर लिखा हु आ था फोटोग्राफ के रूप में पेश किया गया तो तु लना संभव हो सकी।

विश्लेषण का सिद्धान्त -

नमूनों के विश्लेषण से श्रेष्ठतर कोई छानबीन का उपाय नहीं हो सकता। यदि नमूने उचित प्रकार के नहीं हो और दोषपूर्ण हो तो उनका विश्लेषण अनुपयोगी होता है । विश्लेषण के सिद्धान्त के मुताबिक आवश्यक है कि नमूनों का चयन सही हो और उनका पैकिंग भी ठीक हो ताकि विशेषज्ञों को समुचित विश्लेषण में सुविधा हो।

1. मान लीजिए एक अपराधी मौका-ए-वारदात से भागते वक्त रंग से पुती दीवार से सटकर निकलता है और रंग के विचुर्ण के कुछ अंश / कण उसके कपड़ों के लग जाते हैं । यदि तफ्तीश कुनिन्दा अधिकारी उस रंग का कुछ ग्राम विचूर्ण चाकू से खुरच कर नमूने के तौर पर विश्लेषण हेतु भेजता है । यदि दोनों प्रकार के रंगों में समानता न हो तो ऐसा क्यों?

2. मान लीजिए अपराधी के जूते की चिकनी सतह से कुछ धूल खुरची जाती है । तफ्तीश कुनिन्दा अधिकारी फिर घटनास्थल से लगभग 2 किलो मिट्टी वहाँ से लेकर, टिन में पेक करके विश्लेषण प्रयोगशाला में बतौर नमूने के भेजता है । यदि तुलनात्मक परिणाम सन्दिग्ध हैं तो क्यों?

3. एक बलात्कार के मामले में, तफ्तीश कुनिन्दा अधिकारी पीड़िता के वस्त्र इकट्ठे करता है । जिन पर खून और वीर्य के धब्बे हैं । वह उन्हें सुखा कर, पेक करता है और रेल्वे पार्सल के रूप में भेजता है । वह यह जानना चाहता है कि क्या कपड़ों पर वीर्य के धबे हैं, यदि हैं तो वह मालूम करना चाहता है कि अपराधी का ब्लड मूप कौन सा है । विश्लेषणकर्ता द्वारा वीर्य के धबे होने की तो पुष्टि करता है परन्तु अपराधी का ब्लड तप बताने में असमर्थ हैं क्योंकि वीर्य के धबो पर खून के कतरे चिपके हुए हैं।

तथ्य झूठ नहीं बोलते -

मनुष्य झूठ बोल सकते हैं परन्तु तथ्य कभी झूठे नहीं होते । इसलिए पारिस्थिति जन्य साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य में फर्क आ जाता है । मौखिक साक्ष्य गवाह की घटना बयान करने की योग्यता, समझ और आँखों देखी स्थिति पर आधारित होते है और उनकी योग्यता, बुद्धि और प्रत्यक्ष रूप से देखने की सामर्थ्य के अनुसार रूपान्तरित हो जाता है । इसमें उसके मन की विचारणा, बौद्धिक सूझबूझ, बाहरी प्रभाव, दूसरों की राय और बयानात गड्ड-मड्ड हो जाते हैं । इसलिए मौखिक साक्ष्य अतिरंजित और बुना हुआ हो सकता है परन्तु तथ्यात्मक भौतिक साक्ष्य इन दुर्बलताओं से ग्रस्त नहीं होता।

संभावना का नियम

सभी प्रकार की पहचान चाहे वह सुनिश्चित हो या अस्पष्ट हो, चेतन अथवा अवचेतन मस्तिष्क में संभावना के आधार पर कायम होती है । अक्सर 'संभावना' को लेकर लोग भ्रमित होते हैं । उदाहरणार्थ संभावना यह है कि उपलब्ध फिंगर प्रिंट अमुक स्रोत से है और बचाव पक्ष के वकील उसका पुरा लाभ उठाते हैं और दलील देते हैं कि यह तथ्य नहीं है, मात्र एक राय है । इसलिए, अभियोजन में संभावना और संभावित गणना को लेकुर अत्यधिक चर्चा नहीं होती । वास्तव में संभावना एक गणितीय अवधारणा है । इसके मुताबिक कुछ न कुछ घटित होने के अनेक विकल्प संभाव्य होते हैं । चूंकि विकल्प अनेक हो सकते है इसलिए उनमें से किसी भी एक विकल्प का घटित होना और न होना निश्चित नहीं होता । यदि P संभावना का प्रतीकाक्षर है, और N1निश्चित रूप से घटित होने वाले सकारात्मक विकल्प है और N2 घटित नहीं होने वाले नकारात्मक विकल्प हैं तो निम्नांकित सूत्र संभावना के विकल्प तय करता है -

$$P = N1 / N2$$

हमने अपनी चर्चा में सेक्स, उस और पोशाक के कारकों पर समुचित ध्यान नहीं दिया है । परन्तु इन अतिरिक्त कारकों के विमर्श के बगैर ही मृतक की निसंदेह रूप से पहचान की जा सकती है।

14.6 पहचान करने की तकनीकों

संसार में अन्वेषण विज्ञान बहुत प्रभावशाली विषय है: ज्यों-ज्यों अपराध का वर्तमान परिदृश्य बदल रहा है, अन्वेषण विज्ञान की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है और निवेश भी होने लगा है । परिणामस्वरूप पुलिस सेवा में वैज्ञानिक सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किये जा रहे हैं तथा वैज्ञानिकों

और पुलिस के बीच सम्प्रेषणीयता बढ़ जाने से परस्पर संवादहीनता बहुत ही कम हुई है । पुलिस तफ्तीश कुनिन्दा अधिकारी और अन्वेषण अधिकारी का व्यक्तित्व गड-मड्ड होने लगा है । यह संभव हुए बगैर भारतीय दंड संहिता की समुचित धारा में अपराधी को रेखांकित करना कठिन हो रहा है । अन्वेषण विज्ञान के द्वारा उपलब्ध कराये गये भौतिक साक्ष्य के अभाव में अपराधी प्रचलित दंड विधान की दुर्बलताओं और कमियों से लाभ उठा लेते है । अन्वेषण विज्ञान द्वारा जुटाये गये भौतिक साक्ष्य अनेक अपराधों में अपराधी का लिप्त होना बतलाते हैं। उदाहरणार्थ डी॰एन॰ए. साक्ष्य के आधार में एक अपराधी की अनेक अपराधों में और मोका-ए-वारदात में लिप्तता प्रमाणित हो जाती है।

14.6.1 शब्द चित्र विमर्श

"पोट्रिट पार्ल" का शाब्दिक अर्थ ' शब्द चित्र" होता है । यह शब्दावली फ्रांसिसी समाजविज्ञान बर्टिलों की नृवंश विज्ञान विधा से ग्रहण किया गया है । उसने शरीर के विभिन्न अंगों की पेमाइश कर अपराधियों के शब्द चित्र / वर्णन प्रस्तुत किए कि हिरासत से फरार और भगोड़े अपराधियों के पकड़े जाने पर उनकी पहचान करना बहुत सरल हो गया । हालांकि नृवंश विज्ञान बिधा परफेक्ट (सम्पूर्ण) नहीं थी और इस वजह से उसकी कई दुर्बलताओं के कारण पुलिस कई मामलों में धोखा खा गयी । फिर भी इस अन्वेषण विधा से पहचानने की प्रक्रिया में विशेष रूप से फिंगर प्रिंट के जरिये अपराधी की पहचान करने में बहुत मदद मिली।

मूल रूपेण बर्टिलों का नृवंश विज्ञान समाजशास्त्रीय विधा के रूप में जटिल है । अब इसका प्रयोग भी बहुत कम होता है । अब यह सरलीकृत और परिवर्तित रूप में, शब्द चित्र के माध्यम से, प्रारंभिक दौर में अपराधियों की पहचान और धरपकड़ में व्यापक तरीके से प्रयुक्त होती है । यह व्यक्ति के निम्नांकित लक्षणों पर ध्यान केन्द्रित करती है

1. नाम, उपनाम
2. सेक्स (लिंग)
3. रंग-रूप
4. नस्ल, राष्ट्रीयता
5. व्यवसाय
6. उम्र
7. लम्बाई
8. वजन
9. शारीरिक गठन (पतला, सुघड़, लम्बा इत्यादि)
10. चेहरा - साँवला, गोरा, सुर्ख, रूग्ण, आक्रोशित इत्यादि
11. बाल - रंग, मोटापन पतलापन, घुंघरालापन, गंजापन, लम्बी केश राशि इत्यादि
12. मस्तक - बड़ा, छोटा, सीधा, लम्बा, गोल, चौड़ा
13. पेशानी - आगे निकली हुई, सीधी, झुकी हुई, पीछे की ओर
14. कान - बड़े, छोटे, फैले हुए बाहर निकले हुए
15. मुखमंडल - लम्बा, गोल, मोटा, पतला, वर्गाकार, तिकोना
16. आँख - रंग, आकार, बाहर फूली हुई, वक्रदृष्टि, दोषपूर्ण

17. भोहें - सघन, घुमावदार, लहरदार, पतले, सीधे, मिले हुए 158
18. नाक - मुड़ी हुई सीधी, छोटी, बड़ी, नुकीली, नथुने
19. मुख - चौड़ा, संकड़ा, बन्द, खुला
20. दाँत -. बाहर निकले हुए, छोटे, मैले
21. होंठ - पतले, मोटे
22. ठोड़ी - छोटी, बड़ी, दोहरी, खडा पड़नेवाली
23. गर्दन लम्बी, छोटी, टेंदुआ निकला हुआ, टेंदुआ अन्दर घुसा हुआ
24. सतही निशाना - दाग, मस्से, चेचक के दाग, विकृति, त्वचा पर गुदी हुई आकृति
25. विशेषतायें - लटके-झटके, तुतलाना, हकलाना, स्वर आरोह-अवरोह, रूग्णता, दाड़ी, मूछें
26. आदतें - कपड़े पहनने की आदतें, खान-पान की आदतें, साफ-सुथरा पन, संगति
27. आवाज - क्षेत्रीय
28. बोली की शैली
29. शिक्षा का स्तर
30. व्यवहार
31. मुद्रायें - अंग संचालन

उपर्युक्त लक्षणों के आधार पर भगोड़े / फरार व्यक्तियों की पहचान की जाती है।

14.6.2 व्यक्तित्व के आयाम

हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है। कुछ लोगों का व्यक्तित्व विलक्षण और दुर्लभ होता है तो कुछ लोगों का सतही जिसकी कोई खास पहचान नहीं होती। शातिर अपराधियों की अलग पहचान होती है । अन्वेषण वैज्ञानिकों ने ऐसे आदतन अपराधियों के हावभावों का विश्लेषण कर उनके व्यक्तित्व को पूर्वानुमानित कर लिया है। जुर्म की तफ्तीश करने वालों ने इन पूर्वानुमानों के प्रयोग से कई मामलों में सफलता हासिल की है और उन्होंने बदमाशों का पता लगाकर धर दबोचा है। अन्वेषण अधिकारी यह भी पूर्वानुमान कर लेते हैं कि इन आदतन अपराधियों के द्वारा निकट भविष्य में किस क्षेत्र में, किस प्रकार की वारदात को अंजाम दिया जा सकता है और इनके शिकार किस प्रकार के लोग होंगे। अन्वेषण मनोविज्ञानी निम्न प्रकार के आकड़ों के आकलन से पूर्वानुमान लगाते हैं -

1. मौका-ए-वारदात पर किये गये कृत्यों के आधार पर अन्वेषण मनोविज्ञानी अपराधियों के व्यक्तित्व का स्केच तैयार-करते हैं। घटनास्थल के फोटोग्राफ से उनके कृत्यों के संकेत मिल जाते हैं - इनसे उनके आपराधिक अनुभव, शैतानी दिमाग, जुर्म करने की योजना और निर्दयी दुस्साहस का अनुमान लगाया जाता है ।
2. शव परीक्षण की रिपोर्ट. इस रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतक के शरीर पर कितने और किस प्रकार के घाव और चोटों के निशानात हैं; अपराधियों ने किस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया है तथा उनके इरादे और अपराध करने के तरीके का भी अन्दाजा हो जाता है ।
3. पीड़ित / मृतक का विस्तृत वर्णन पीड़ित के बारे में तैयार किये गये विवेचन से उसके व्यवसाय, आर्थिक स्तर, सम्पर्क, दुश्मनी, आवागमन, निजी विशेषताओं का पता लगता है। उदाहरणार्थ

उसका शराबी होना, मादक पदार्थो का व्यसनी होना, उसकी सेक्स सम्बन्धी आदतों का होना पता लगता है।

4. गवाहों के बयानात से पता चलता है कि अपराधियों / पीड़ितों पर निम्न जानकारी हासिल होती है :

आदतें: उनकी कपड़े पहनने की शैली, खान-पान की आदतें, साफ-सुथरापन और सामाजिक सम्पर्क

लहजा: यह पता लगता है कि वह किस क्षेत्र का निवासी है।

भाषागत: प्रयोग ठेठ शैली में प्रयुक्त शब्दों से अपराधियों के शैक्षिक स्तर, निवास के क्षेत्र.. अपराधी गैप विशेष से सम्बन्धित होने का अनुमान लगता है ।

घटनास्थल पर अपराधी ने क्या किया और क्या नहीं किया । उसके द्वारा तात्कालिक रूप से क्या भूल हुई, इसका पता लगता है ।

व्यवहार: क्या वह अपराध को अंजाम देते समय आक्रामक, हिंसक था? क्या गाली गलौज, गवोक्तियॉ कर रहा था? क्या वह भ्रमित और विकृत मानसिकता से ग्रस्त था?

उसके तौर तरीके और हावभाव

भाषा

14.6.3 पहचान परेड

गवाहों और पीड़ितों द्वारा अपराधियों को पहचानने के वास्ते, पहचान-परेड का आयोजन करना भारत में एक परम्परा बन गयी है । इस तरह की परेड में संदिग्ध / आरोपी से मिलते-जुलते व्यक्तित्व के 5 से 10 लोगों को करीब-करीब एक सी पोशाक में गवाह / पीड़ित को दिखाया जाता है । अक्सर अपराधी की पहचान हो जाती है । कभी-कभी पीड़ित / गवाहों द्वारा चूक हो जाती है क्योंकि उन्होंने अपराधी को कुछ ही क्षणों के लिए देखा था और वे उस वक्त तनावग्रस्त थे । विलम्ब और अनेक कारक भी पहचानने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं । पहचान परेड से प्राप्त सह-साक्ष्य की सीमित है । इस प्रकार की पहचान परेड भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा (9) में वर्णित प्रक्रिया के तहत आयोज्य होती है तथा भारतीय दंड संहिता की धारा (53) इस प्रकार की परेड़ के लिए आरोपियों की पहचान के लिए इजाजत देती है।

14.6.4 आवाज का रिकार्ड किया प्रिंट

किसी भी व्यक्ति की आवाज की रिकार्ड की गयी प्रिंट किसी भी दूसरे व्यक्ति की आवाज से मेल नहीं खाती । इस मामले में आमतौर से किसी भी विवाद / मतभेद की संभावना नहीं होती । समस्या तभी खड़ी होती है जब रिकार्ड में अधूरापन हो, आवाज को तोड़मरोड़ कर विकृत किया गया हो और आकलन अनुचित हो। कई संगीन अपराधों की छानबीन में आवाज को लेकर समस्या उपस्थित हो जाती है । आवाज के रिकार्ड की पद्धति को भारत में व्यापक तरीके से प्रयुक्त नहीं किया जाता है । बदलते हुए आपराधिक परिदृश्य के मद्देनजर आवाज द्वारा अपराधी की पहचान की पद्धति के प्रयोगी जरूरत महसूस की जाती है।

14.6.5 निगरानी

निगरानी से तात्पर्य व्यक्तियों, स्थानों और वाहनों के स्वैच्छिक और सतर्क पर्यवेक्षण से है। संदिग्ध अपराधियों का पता लग सके । इस कार्य से भौतिक साक्ष्य, अपराधियों के वारदात करने के रंग-ढंग, अपराध और अपराधियों की बीच की समीकरण, उनकी पहचान, रेकी, तस्करी, मादक द्रव्यों की तस्करी, वेश्यावृत्ति के दलालों, उनके गुर्गों, जुआरियों की पहचान करने, जुआ के अड्डों, मादक पदार्थों के सेवन के अड्डों का, अपराधियों के मिल-बैठने के स्थानों का, उनके अपकृत्यों का, सामान और मादक द्रव्यों के आदान-प्रदान का, गुप्त दस्तावेजों के हस्तान्तरण का पता लगाने में मदद मिलती है।

सतर्क निगरानी के जरिये भगोड़ों और फरार अपराधियों की शरणस्थलियो का पता लग जाता है और फलस्वरूप जुर्म की रोकथाम के लिए कदम उठाये जा सकते हैं । इस सतर्क निगरानी में कार्यकुशलता, योजना, समुचित तैयारी की दरकार है । यदि निगरानी असफल होती है तो समय की बर्बादी होती है और अपराधी सचेत हो जाता है क्योंकि उसे पता लग जाता है कि कोई उस पर निगरानी कर रहा है । वह ऐसे कदम उठाता है जिससे पर्यवेक्षक धोखा खा जाये और वह पकड़ में न आये । इसलिए निगरानी के लिए विशेष प्रतिभा, निपुणता और अनुभव आवश्यक है।

निगरानी गुप्तरूपेण पर्यवेक्षण है अर्थात् पर्यवेक्षक निगरानी करता रहे पर उस पर किसी का ध्यान नहीं जाये । इसके अतिरिक्त दर्शक-उपकरण - दूरबीन, दूरदर्शक यंत्र, इलेक्ट्रोनिक टोर्च, सीमित-क्षेत्र टेलीफोन, फोटोग्राफिक उपकरण जैसे टेलीफोटो कैमरा, सिने-केमरा, वीडियो केमरा, सेल फोन कैमरा, पर्यवेक्षण-कैमरा, ध्वनि रिकार्डिंग उपकरण जैसे वायर-टेपिंग, गुप्त माइक्रोफोन, ट्रान्समीटर, टेप रिकोर्डर चिप आदि से अपराधियों की धर पकड़ में मदद मिलती है ।

14.8.8 पूछताछ

अपराध और अपराधी के बारे में सूचना प्राप्त करने का चरणबद्ध तरीका पूछताछ है । पूछताछ के माध्यम से अपराध, अपराधी, पीड़ित, वारदात, मौका-ए-वारदात, प्रयुता हथियार और वाहन के बारे में जानकारी जुटाई जाती है । कड़ी पूछताछ के जरिये जुर्म करने के ढंग का पता लगाया जाता है । जुर्म के उद्देश्य की जानकारी मिलती है और यह भी पता चलता है कि अन्य कौन व्यक्ति वारदात में शामिल थे । कभी-कभी तो पूछताछ के दौरान अपराधी जुर्म कबूल कर लेते हैं जो फौजदारी अभियोग में सार्थक साक्ष्य होता है ।

14.6.7 वैज्ञानिक सहायता

वैज्ञानिक अन्वेषण में एक वैज्ञानिक पद्धति मदमत्त अवस्था में मनोविश्लेषण की है । ऐसी वैज्ञानिक अवधारणा है कि यदि किसी व्यक्ति को उसकी वाणी और स्मृति को प्रभावित किये बिना अतिमादक-द्रव्य सेवन करा दिया जाये तो वह सत्य ही बोलेगा । कुछ ड्रग्ज तो तन्द्रा की स्थिति उत्पन्न करते है । इस तरह की तीव्र असरदार अज विदेशी जासूसों और अपराधियों के मनोविश्लेषण हेतु प्रयुक्त होती हैं । ये मादक द्रव्य रक्तांश नहीं होते बल्कि दुर्लभ रसायन होते हैं । इनमें कुछ हायोसीन (हायोसीन पोलेमाइन), सोडियम पेन्धोल, सोडियम एमिटाल फनोबार्बिटाल हैं । ये व्यक्ति को अर्द्धचेतन अवस्था में ले आती हैं । इससे व्यक्तिगत विवेक में जड़ता आ जाती है ।

14.6.8 सम्मोहन

सम्मोहन की अवस्था में व्यक्ति, जिससे पूछताछ की जाती है, सम्मोहक के सुझाव को निर्विरोध भाव से स्वीकारता है । यह पद्धति आपराधिक अन्वेषण में सफलतापूर्वक प्रयुक्त की जा रही है । भारतवर्ष में सम्मोहन की तकनीक आपराधिक अन्वेषण में पुलिस द्वारा अभी सहज स्वीकार्य नहीं हो पायी है । इस तकनीक की असीमित और अनन्त संभावनायें हैं। यह तकनीक बहुत ही कामयाब है जिनमें बालक, महिलायें या अवसादग्रस्त' व्यक्ति पीड़ित या गवाह हों ।

14.6.9 धोखाधड़ी और असत्य की मनोवैज्ञानिक पड़ताल

अन्वेषण मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोग असत्य की पड़ताल में हुआ है । प्रयुक्त उपकरण को लाई डिटेक्टर या पोलीग्राफ कहा जाता है पिछली शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षा में मनोवैज्ञानिकों, मनोरोग चिकित्सकों और शरीर विज्ञानियों का ध्यान व्यक्ति के मनो-दैहिक विकारों की ओर आकर्षित हुआ। यह पाया गया कि शारीरिक विकार मनोवैज्ञानिक स्थितियों से प्रसूत होते हैं । इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की देह और मस्तिष्क में अन्तरंग सम्बन्ध हैं । इनकी अन्तक्रिया ही मनोदैहिक प्रतिक्रिया है । झूठ की वैज्ञानिक पड़ताल इसी अन्तःक्रिया पर निर्भर है । इसको दूसरे शब्दों में असत्य की मनोदैहिक पड़ताल कहा जाता है।

14.6.10 मनोवैज्ञानिक तनाव आकलन उपकरण

'लाई डिटेक्टर' की तरह मनोवैज्ञानिक तनाव आकलन-उपकरण होता है । वह उस तात्कालिक तनाव का आकलन करता है जो व्यक्ति झूठ बोलते समय झेल रहा होता है । वह काफी कुछ तो उसकी आवाज से ही प्रकट हो जाता है । मुख्य रूप से यह बोलने वाले की स्वरतत्रिकाओं के अमृव्य कम्पनों में प्रकट होता है जो तनाव के कारण इन्हें उत्पन्न करती है । यह उपकरण इन कम्पनों को रिकॉर्ड कर लेता है । इनसे व्यक्ति के सत्य अथवा असत्य कथन के संकेत उपलब्ध हो जाते हैं।

14.6.11 दिमाग की विद्युत-तरंगीय रिकॉर्डिग ब्रेंन प्रिंटिग)

एक ऐसा उपकरण विकसित कर लिया गया है और पेटेन्ट करा लिया गया है जो मस्तिष्क की विद्युत-तरंगों को उसके सह-साक्ष्य के आधार पर रिकॉर्ड कर लेता है। जब कोई अपराधी, गवाह या पीड़ित व्यक्ति वारदात के समय की कोई वस्तु दृश्य या स्थिति को दुबारा देखता है तो वह उसे पहचान लेता है । पहचानने की प्रक्रिया में उसके मस्तिष्क में विद्युतीय तरंगे उत्पन्न होती है । उन्हें 'इन्सेफेलोग्राम नामक उपकरण से रिकॉर्ड किया जाता है । इससे जो स्केच उभरता है उसे इलेक्ट्रो-इन्सेफेलोग्राम (ई॰ई॰जी.) कहा जाता है । इस मानसिक बौद्धिक गतिविधि की ब्रेन-प्रिंटिग से अपराधी, उसके अपराध और साक्ष्य की महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है।

14.7 पहचान करने के अन्य उपाय

व्यक्तियों की पहचान करने के अन्य उपाय भी हैं, उनमें से कुछ निम्नांकित हैं -

- फोटोग्राफी
- फिंगर प्रिंट
- पैरों के और शरीर के निशान

- हस्तलेख
- डी. एन. ए. परीक्षण (शरीर के अंश से)
- बाल
- अस्थि पंजर के अवशेष

व्यक्तियों की पहचान, देह की गंध, होठों के प्रिंट्स, नाखूनों पर बनी आकूतियों, नाक और कान के प्रिंट्स से भी संभव है । यदि तफ्तीश के दौरान इनसे सम्बन्धित साक्ष्य उपलब्ध होता है तो उसे अन्वेषण विज्ञान प्रयोगशाला में जाँच हेतु भेजा जाना चाहिए । इससे व्यक्ति की पहचान में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि नमूना उपलब्ध है ।

14.8 पुलिस की भूमिका

जुर्म की वारदात की तफ्तीश करने में, तफ्तीश के दौरान साक्ष्य जुटाने में, और अपराध को अपराधी से जोड़ने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

14.8.1 अपराध

अपराध एक विधिक अवधारणा है। यह कानून के उल्लंघन का कार्य है। अपराधी कृत्य बेशुमार हैं इसलिए इसका दंड विधान अलग-अलग हैं । सभी सभ्य समाजों की अपनी-अपनी दंड संहिताये पुख्ता की जा चुकी है जिनके अनुसार यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि जुर्म क्या है, जुर्म विशेष के लिए किस तरह का दंड देय है और जुर्म की तफ्तीश कैसे होनी चाहिए । अलग-अलग तरह के अपराधों के लिए अलग-अलग पद्धतियों की जरूरत है।

14.8.2 अपराध की जाँच पड़ताल (तफ्तीश)

जुर्म की तफ्तीश को जुर्म के संदर्भ में साक्ष्य के संग्रहण और सत्यान्वेषण के प्रयत्न और अपराधियों के विरूद्ध विधिक प्रामाणिकता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जाँच-पड़ताल की यह प्रक्रिया यहसुनिश्चित करती है कि

अपराध किया गया है,

- अपराध करने का अवसर मिला
- भौतिक साक्ष्य हैं,
- उद्देश्य क्या था?,
- वारदात का तरीका क्या था?

सामान्य रूप से, आपराधिक तफ्तीश बहु आयामी और विविध दिशात्मक कार्य हैं । इसमें कई बातें सम्मिलित हैं । जैसे -

- व्यक्तियों की, मृतकों की, अस्थिपंजर के अवशेषों की, घटनास्थल की, अपराध में प्रयुक्त हथियार की, भौतिक साक्ष्य के संकेतों की पहचान
- भौतिक साक्ष्य की पहचान एवं घटनास्थल
- पीड़ितों, संदिग्ध व्यक्तियों से एवं गवाहों से पूछताछ,
- मौका-ए-वारदात की जाँच और भौतिक साक्ष्य का संग्रहण
- सूचनाओं का एकत्रीकरण, सूचना देने वालों का जाल बिछाना तथा सतर्कता से निगरानी,

- अपराध और अपराधी, पीड़ित, इस्तेमाल किये गये हथियार, प्रयुक्त वाहन, प्रमाणिक साक्ष्य के आधार पर वारदात की कड़ी से कड़ी जोड़ना
- तफ्तीश अधिकारी यदि अपने कार्य में निपुण होता है, व्यक्तिगत रूप में सफल होता है । उसमें कुछ विशेषतायें होनी चाहिए जो निम्नांकित हैं -
  - वह प्रशिक्षित और सुशिक्षित हो
  - उत्साही और समर्पित हो,
  - आग्रही हो,
  - देखने-परखने की योग्यता रखता हो,
  - मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और निडर हो,
  - चरित्रवान, विश्वसनीय, निष्पक्ष तथा स्थिर दिमाग का हो,
  - विवेक और सूझबूझ के साथ मेधावी हो,
  - अपनी टीम के सहयोग में विश्वास करता हो और उसका सहयोग करता हो,
  - उसमें सम्प्रेषणीयता हो,
  - वह कानून का जानकार हो, उसमें निष्ठा रखता हो और विश्वासकर्त्ता भी हो
  - अपराध करने के तौर तरीकों से वाकिफ हो तथा तफ्तीश के नये का जानकार हो,

वास्तव में उससे बहुत अपेक्षायें हैं परन्तु इसका कोई विकल्प भी तो नहीं है ।

14.8.3 वैज्ञानिक आपराधिक अन्येषण

आजकल अन्वेषण विज्ञान से आपराधिक तफ्तीश में अधिक से अधिक मदद मिल रही है । नवीन सामाजिक बदलाव के मद्देनजर वैज्ञानिक ढंग से तफ्तीश करना अनिवार्य हो गया है। वैज्ञानिक तरीके से अन्वेषण बहुत खर्चीला है परन्तु सरकार वैज्ञानिक उपकरणों को इस कार्य हेतु उपलब्ध करवा रही है क्योंकि इनका विकल्प भी तो नहीं है।

विज्ञान चरणबद्ध ज्ञान है । विज्ञान की सभी शैक्षिक विधायें आपराधिक अन्वेषण में उपयोगी हैं । हर वैज्ञानिक विधा का अपना सीमित दायरा, प्रभावी तरीका और उपयोगितापूर्ण आवृत्ति है । विज्ञान की निम्न विधियों द्वारा आपराधिक अन्वेषण की बहुत व्यापकता हो गयी है

- भौतिक वैज्ञानिक विधायें
- रासायनिक विज्ञान
- जैविक और चिकित्सा विज्ञान
- अभियांत्रिक विज्ञान
- मनोविज्ञान
- सूचना एवं कम्प्यूटर तकनीकें ।

इनके अतिरिक्त, विगत कुछ वर्षो में आपराधिक जाँच पड़ताल हेतु कुछ विशेष वैज्ञानिक पद्धतियाँ विकसित की गयी हैं। जो निम्नांकित हैं

- जीवित और मृतक व्यक्तियों की चित्र-विमर्श, फोटाफिट, मनोवैज्ञानिक विवरण और आवाज के रिकार्ड के आधार पर पहचान ।
- अन्वेषण विज्ञान के अनेक रूप है झूठ का पता लगाना, ब्रेन प्रिंटिग इत्यादि ।

- अन्वेषण विज्ञान जो विज्ञान के सामान्य क्षेत्र से ग्रहण की गयी है, अनेक विशेषताओं से युक्त है। पुलिसकृत फोटोग्राफी, विस्फोटकों की पड़ताल, रक्त परीक्षण, हस्तलेख की पहचान, मादक और जहरीले सेवन किये गये द्रव्यों की जाँच, मनोत्तेजक इज का विश्लेषण, दन्त परीक्षण तथा डी. एन. ए. चित्रण इत्यादि प्रमुख हैं।

14.9 साराश

वैज्ञानिक आपराधिक जाँच पड़ताल का सीधा-सीधा अर्थ वैज्ञानिक उपकरणों और विधियों से जुर्म की तफ्तीश है। कई तरह के विधि-विधानियों के सहयोग की आवश्यकता तपतीश कुनिन्दा अधिकारी महसूस करता है और उनकी सेवायें ली जाती हैं। यह संभव नहीं है कि तफ्तीश कुनिन्दा पुलिस अधिकारी वैज्ञानिक ही हो । हालांकि उसके द्वारा संग्रहीत और एकत्रित वस्तुओं और सूचनाओं के आधार पर ही वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्न तथ्य ज्ञातव्य हैं -

- उपलब्ध द्रव्यों की प्रकृति,
- इन द्रच्चों के स्रोत,
- इन विश्लेषणार्थ प्रस्तुत. द्रव्यों की परस्पर कड़ी से कड़ी जोड़ने की निपुणता, निअक्षता, प्रामाणिकता और संकेतों की उपलब्धता तथा सूचना का संग्रहण आवश्यक है,
- वैज्ञानिक सहायता के स्रोत,
- वैज्ञानिक विश्लेषण की सीमा और संभावना ।

जुर्म की तफ्तीश करते वक्त तफ्तीश कुनिन्दा अधिकारी का रवैया वैज्ञानिक परीक्षणों के प्रति उदार और ग्राह्य होना चाहिए। निष्पक्ष और निर्लिप्त दृष्टिकोण से ही अपराध और अपराधी की दुरभि संधि को समझा जा सकता है। पुलिस अधिकारी के अनेक भ्रम और संशय तथ्यों की समुचित पहचान के परिणामस्वरूप समाप्त हो जाते हैं । अपराधी पकड़ा जाता है और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के प्रावधनों की गिरफ्त में आरोपित हो जाता है।

14.10 अभ्यास प्रश्न

1. "पहचान व गिरफ्तारी में पुलिस की भूमिका" विषय पर एक लेख लिखिए।

2. आपराधिक अन्वेषण में वैज्ञानिक विधियों के अपनाए जाने के कारणों पर प्रकाश डालिए ।

3. टिप्पणी लिखिए

अ. कार्य निष्पादन एवं अन्वेषण ।

ब. वैज्ञानिक अन्वेषण ।

4. अन्वेषण विज्ञान के विभिन्न सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए ।

5. अपराधी की पहचान करने के विभिन्न उपायों व तकनीकों के बारे में बताइए ।

6. अन्वेषण में पुलिस की भूमिका को समझाइए।

इकाई - 15

किशोर न्याय अधिनियम : क्रियान्वयन तथा पुलिस की

इकाई की रूपरेखा

15.0 उद्देश्य
15.1 प्रस्तावना
15.2 किशोर न्याय की अवधारणा एवं बुनियादी सिद्धान्त
15.3 बाल अधिकार एवं बाल सुरक्षा
15.4 भारत में बाल अपचार
15.5 किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के प्रमुख प्रावधान
15.6 सारांश
15.7 अभ्यास प्रश्न

15.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप :

- किशोर न्याय अधिनियम व पुलिस की भूमिका को समझ पाऐंगे ।
- किशोर न्याय की विभिन्न अवधारणओ व सिद्धान्तों की जानकारी प्राप्त कर पाऐंगे ।
- बाल अधिकार व बाल सुरक्षा सम्बन्धित पहलुओं पर प्रकाश डाल पाऐंगे ।
- भारत में बाल अपचार तथा किशोर न्याय अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी प्राप्त कर पाऐंगे ।
- किशोर न्याय में पुलिस की भूमिका व उत्तरदायित्व को समझ पाऐंगे ।
- बच्चों के आधारभूत अधिकारों की जानकारी प्राप्त कर पाऐंगे।

15.1 प्रस्तावना

भारत में विश्व के लगभग 19 प्रतिशत बच्चे निवास करते हैं । भारत की एक तिहाई जनसंख्या 18 वर्ष से कम आयु वर्ग की है। एक अनुमान के अनुसार इनमें से लगभग 40 प्रतिशत बच्चों को किसी न किसी प्रकार के देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता है । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत ने बाल शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाये हैं, किन्तु बाल संरक्षण की दिशा में विशेष ध्यान नहीं दिया जा सका । अब यह महसूस किया जा रहा है कि यदि हमने बालदुर्व्यवहार, ट्रैफिकिंग, कन्या भ्रूण हत्या, बाल - भेदभाव जैसे मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया तो देश का समग्र विकास संभव नहीं है । इसी को ध्यान में रखते हुए 18 वर्ष से कम उम्र के बाल अपराधियों तथा 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिन्हें देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता है के लिए किशोर न्याय अधिनियम 1986 लाया गया । इस अधिनियम के तहत 16 वर्ष से कम आयु के बालक तथा 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं को किशोर माना गया था । वर्ष 2000 में इस अधिनियम में संशोधन कर किशोर की परिभाषा में उन बालक-बालिकाओं को सम्मिलित किया गया जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है।

15.2 किशोर न्याय की अवधारणा के बुनियादी सिद्धान्त

15.2.1 किशोर न्याय की अवधारणा के बुनियादी सिद्धान्त निम्नानुसार हैं -

- निर्दोशिता की पूर्ण धारणा ।
- माता-पिता या अभिभावक को तुरन्त सूचित करना और उन्हें किशोर के पकड़े जाने के समय उपस्थित रहने का अधिकार देना ।
- मुकदमे से पहले यथासंभव हिरासत से बचना और यह सुनिश्चित करना कि मुकदमे से पहले कोई भी हिरासत अल्पमत संभव अवधि के लिए हो ।
- स्वास्थ्य और मानवीय गरिमा की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सुविधाओं और सेवाओं तथा निवारक और उपचारात्मक दोनों प्रकार की उपयुक्त चिकित्सा देखभाल पाने का अधिकार।
- ऐसे सभी अनुशासनात्मक उपायों का निषेध जिनमें शारीरिक दण्ड सहित, गम, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार शामिल हो, जो संबद्ध किशोर के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता हो ।
- मुलाकातों, निजता, बाहरी दुनिया के साथ सम्पर्क और दैनिक व्यायाम के लिए समय के अधिकार सहित निष्पक्ष और मानवीय व्यवहार पाने का टाधिकार ।
- किशोर की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था (जो योग्य शिक्षकों द्वारा हिरासत केन्द्र के बाहर दी जाए) जो उसे समाज में उसे वापसी के लिए तैयार करने में सहायक हो।
- यह सुनिश्चित करना कि एक ही परिवार के सदस्यों को छोड़कर अन्य बच्चों को हिरासत में व्यस्कों से अलग रखा जाए ।
- किशोर न्याय के प्रति उचित दृष्टिकोण अपनाने के लिए यह भी आवश्यक है कि बच्चों को कानून के साथ टकराव की स्थिति में आने से ही रोका जाए । सरकार से लेकर समुदायों और परिवारों तक सभी का यह दायित्व है ।

किशोर न्याय का उद्देश्य किन्हीं कारणवश मार्ग से भटके हुये किशोरों के प्रति सुधारात्मक दृष्टिकोण रखते हुये उन्हें समाज की मुख्य धारा में पुन्न समाविष्ट करना है ताकि युवा शक्ति को विकास कार्य में बराबर का भागीदार बनाया जा सके।

15.3 बाल अधिकार एवं बाल सुरक्षा

एक व्यक्ति होने के नाते हम सभी के कुछ प्राकृतिक अधिकार हैं जिन्हें मानवाधिकारों की श्रेणी में रखा गया है । हमारे मानवाधिकार रंग, रूप, जाति, धर्म, भाषा, नस्ल, स्तर या क्षेत्र आदि किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना हमारे लिये कुछ अधिकारों की व्यवस्था करते हैं जिससे मानव के रूप में हमारी गरिमा का सम्मान हो और हम सभी सुविधाओं के साथ अपना जीवनयापन कर सकें । बच्चों के लिये विशेष संरक्षण और प्रोत्साहन की व्यवस्था करते हुये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 नवम्बर, 1980 को एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार घोषणापत्र कहा गया। इसके अनुच्छेद-2 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि-

- इस समझौते में शामिल सभी देश अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक बच्चे को किसी भी भेदभाव के बिना समझौते में प्रदत्त सभी अधिकार प्रदान करेंगे ।

- समझौते में शामिल देश ऐसे सभी उपाय करेंगे जिस से बच्चों के माता-पिता, कानूनी अभिभावकों या परिजनों की हैसियत, गतिविधियों व्यक्त विचारों या विश्वासों के कारण बच्चे को किसी भी प्रकार का भेदभाव या दंड नहीं झेलना पड़े ।
- संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र के अनुच्छेद 54 में बच्चों के अधिकारों को चार भागों में बाटा गया है-
  1. उत्तरजीविता का अधिकार ।
  2. सुरक्षा का अधिकार ।
  3. विकास का अधिकार ।
  4. सहभागिता का अधिकार।

संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार घोषणा (UNCRC)' की प्रक्रिया -

- 26 सितम्बर, 1924 राष्ट्र संघ ने बच्चों के अधिकारों पर एक प्रक्रिया आरम्भ की ।
- 1948- संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य बैठक में मानवाधिकारों के विश्व स्टापक घोषणा-पत्र को मान्यता दी गई: जिसमें बच्चों के अधिकारों का भी उल्लेख किया गया है ।
- 1999-बच्चों के अधिकारों पर एक प्रारम्भिक प्रारूप तैयार किया गया ।
- 20 नवम्बर, 1959 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य बैठक में 78 देशों ने सर्व-सम्मति से बच्चों के अधिकारों को दस सिद्धांतों के साथ पारित किया ।
- 20 नवम्बर, 1989 में अनुच्छेद 54 वाले दस्तावेज को संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य बैठक में पारित किया गया।
- 26 जनवरी, 1990 में 60 देशों ने बच्चों के अधिकार के सम्बन्ध में हस्ताक्षर किये ।
- 30 सितम्बर 1990 - बच्चों के जीवन यापन, संक्षण और विकास को लेकर एक विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें एक विश्व घोषणा तैयार की गई।
- 11 दिसम्बर, 1992 - भारत ने इस विश्व घोषणा का अनुमोदन किया ओर अब तक 192 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किये हैं।

  संयुक्त राष्ट्र संघ के 54 अनुच्छेद को 4 मुख्य प्रकार से बांटा गया है जो हैं -

राष्ट्र संघ के 54 अनुच्छेद में बच्चों के आधारभूत अधिकार हैं -

उतरजीविता का अधिकार

- अनुच्छेद-3 बच्चे का सर्वोत्तम हित
- अनुच्छेद-1 प्रत्येक व्यक्ति जो (18) वर्ष से कम है वो बच्चा है ।
- अनुच्छेद-6 जीने का अधिकार व सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता
- अनुच्छेद-7 प्रत्येक का जन्म पंजीयन और नाम
- अनुच्छेद-8 प्रत्येक की पहचान, नाम और राष्ट्रीयता
- अनुच्छेद-9 देख रेख एवं पारिवारिक सहयोग
- अनुच्छेद-18 मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्तिबच्चों की देखभाल एवं विकास की माँ-बाप पर जिम्मेदारी
- अनुच्छेद-20 पर्याप्त जीवन स्तर व उचित आवास

- अनुच्छेद -24 सभी बच्चों को स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पोषण का अधिकार, विकास का अधिकार

विकास का अधिकार

- अनुच्छेद- 17 संचार माध्यमों का विकास
- अनुच्छेद-20 घर या घर जैसा वातावरण व बच्चों में सांस्कृतिक मानकों एवं मूल्यों को विकसित करने के अवसर
- अनुच्छेद-23 शारीरिक एवं मानसिक विकलांग बच्चों की विशेष देखरेख व विकलांग बच्चों को गरिमापूर्ण जीवन
- अनुछड़-24 स्वच्छ पर्यावरण व सबके लिये सुरक्षित पेयजल व मानव मल निपटाने के उचित उपाय।
- अनुच्छेद-27 प्रारम्भिक बाल्यावस्था में देखरेख व विकास की गतिविधियों के लिये सहयोग व विस्तार ।
- अनुच्छेद-28 प्रत्येक बच्चे के लिये प्राथमिक एवं न्यूनतम स्तर की शिक्षा
- अनुच्छेद-29 व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा व्यावहारिक ज्ञान और कार्य कौशल में बढ़ोत्तरी
- अनुच्छेद-3० जातीय, धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यक बच्चों को उनकी भाषा, संस्कृति, धर्म मानने की छूट
- अनुच्छेद-3 व खेल, आराम, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों की व्यवस्था
  सुरक्षा का अधिकार
- अनुच्छेद-2भेदभाव से मुक्ति - समानता. का हक, रंग, जाति, मत, धर्म, भाषा, लिंग, विकलांगता के आधार पर भेदभाव नहीं
- अनुच्छेद- 19 दुरूपयोग ओर उपेक्षा से संरक्षण अनुच्छेद-32 बालश्रम पर रोक
- अनुच्छेद-32 बाल विवाह पर रोक
- अनुच्छेद-32 यौन हिंसा से सुरक्षा
- अनुच्छेद-37 अवहेलना, कुरता, बन्धन एवं शोषण से सुरक्षा
- अनुच्छेद-33 नशीले पदार्थो से बचाव
- अनुच्छेद-35 बाल अपहरण, बिक्री व व्यापार से सुरक्षा
- अनुच्छेद-39 विपत्तियो में विशेष सुरक्षा (अकाल, बाढ़, भूकम्प, युद्ध)
- अनुच्छेद-40 बाल अपराधियों के लिये संस्थागत देखरेख । बच्चे द्वारा दण्ड विधान तोड़ने पर गरिमापूर्ण जीवन व दोषी साबित होने पर निर्दोष माना जाये ।

सहभागिता का अधिकार

- अनुच्छेद-12 बच्चों की राय, बच्चों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार
- अनुच्छेद-उ बच्चों में स्वतंत्र विचार व विवेक के प्रति आदर
- अनुच्छेद-15 संगठन व शांतिपूर्ण सभा
- अनुच्छेद-16 एकान्त की स्वतंत्रता
- अनुच्छेद-29 बच्चों को व्यक्तित्व, प्रतिभाओं, शारीरिक व मानसिक विकास का अधिकार
- अनुच्छेद-30 किसी भी धर्म की मान्यता

* अनुच्छेद-31 सांस्कृतिक गतिविधियों व कलाओं में सहभागिता

15.4 भारत में बाल उपचार Juvenile Delinquency

भारत में बाल अपराध के ऑकडों पर दृष्टिपात करें तो पाते हैं कि वर्ष 2010 में कुल 22740 किशोर अपराध आई॰पी॰सी. के अन्तर्गत रजिस्टर हुये जबकि वर्ष 2009 में 23926 किशोर अपराध आई॰पी॰सी. के अन्तर्गत रजिस्टर हुये। वर्ष 2009 की तुलना में वर्ष 2010 में किशोर अपराध (आई.पी॰सी.) में 5 प्रतिशत की कमी आई।

आई॰पी.सी. के अन्तर्गत बाल अपचार

Incidence rate ofJuvenileDekubquencyUnderIPC

(2000-2010)

Sl. No.	Year	Incidence of		Percentage of Juvenile Crime to Total Crimes	Estimated Mid-year Population(in Lakh)	Rate of Crime by Juveniles
		Juvenile Crime	Total Cognizable Crimes			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2000	9267	1771084	0.5	10021	0.9
2	2001	16509	1769308	0.9	10270	1.6
3	2002	18560	1780330	1.0	10506	1.8
4	2003	17819	1716120	1.0	10682	1.7
5	2004	19229	1832015	1.0	10856	1.8
6	2005	18939	1822602	1.0	11028	1.7
7	2006	21088	1878293	1.1	11198	1.9
8	2007	22865	11989673	1.1	11366	2.0
9	2008	24536	2093379	1.2	11531	2.1
10	2009	23926	2121345	1.1	11694	2.0
11	2010	22740	2224831	1.0	11858	1.9

* Source: NCRB: Crime in India 2010

मध्यप्रदेश (5,554), महाराष्ट्र (4,313), छत्तीसगढ़ (2,128), राजस्थान (1,787), गुजरात (1,458) तथा आन्धप्रदेश (1,368)ए में अधिसंख्य जुवेनाईल अपराध दृष्टिगोचर हुये। इन 6 प्राप्तों में समस्त देश के 73 प्रतिशत जुवेनाइल अपराध गठित हुये।

गिरफ्तार किये गये किशोर

वर्ष 2010 में कुल 30303 बाल अपचारियों को गिरफ्तार किया गया जिसमें से 28763 लड़के तथा 1540 लड़कियाँ थी । कुल बाल अपचारियों में अपचारी बालिकाओं का 5 प्रतिशत भाग रहा।

आई॰पी॰सी. एवं स्पेशल लोकल ली संबंधी अपराधों के अन्तर्गत निरुद्ध बाल अपचारी

JuvenileApprehendedUnderIPCSLL CrimesBySex

(2000-2010)

S.No.	Year	Boys	Girls	Total	% of Girls
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2000	13854	4128	17982	23.0

2	2001	31295	2333	33628	6.9
3	2002	33551	2228	25779	6.2
4	2003	30985	2335	33320	7.0
5	2004	28878	2065	30943	6.7
6	2005	30606	2075	32681	6.3
7	2006	30375	1770	32145	5.5
8	2007	32671	1856	34527	5.4
9	2008	32795	1712	34507	5.0
10	2009	31550	2092	33642	6.2
11	2010	28763	1540	30303	5.1

* Source: NCRB: Crime in India 2010

इस प्रकार कुल अपराधों में बालकों द्वारा कारित अपराधों का महत्वपूर्ण भाग है जिनको समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित कर उनका पुन:एकीकरण आवश्यक है ।

बालकी के विरूद्ध अपराध एवं दुर्व्यवहार

दूसरी ओर ऐसे बालक है जिन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया किन्तु जिन्हें विशेष देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 में बाल दुर्व्यवहार पर एक अध्ययन किया गया है । स्टडी के तहत देश को 6 जोन में विभाजित कर कुल 13 राज्यों से सेम्पलिंग स्टडी की गई जिसमें 17220 रैस्पोडेन्ट से सूचना प्राप्त की गई / स्टडी के प्रमुख निष्कर्ष निम्न हैं -

1. प्रत्येक 2 में से एक बालक के, साथ शारीरिक दुर्व्यवहार हुआ है ।
2. 13 सेम्पल राज्यों में 69 प्रतिशत शारीरिक दुर्व्यवहार से पीड़ित बालकों में 54 प्रतिशत लड़के थे।
3. ऐसे बच्चे जिनके साथ पारिवारिक परिस्थितियों में शारीरिक दुर्व्यवहार हुआ है में से88 प्रतिशत के साथ अभिभावकों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया ।
4. आन्धप्रदेश, असम, बिहार तथा दिल्ली में दुर्व्यवहार की दर अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक पाई गई ।
5. 50 प्रतिशत बच्चे सप्ताह के सातों दिन काम करते हैं ।
6. 5322 प्रतिशत बालकों ने एक या अधिक प्रकार के लैंगिक दुर्व्यवहार का सामना किया ।
7. 21 प्रतिशत बालक गंभीर किस्म के लैंगिक दुर्व्यवहार एवं 5० प्रतिशत बालक अन्य प्रकार के लैंगिक दुर्व्यवहार से पीड़ित हुये ।
8. प्रत्येक दूसरा बच्चा भावनात्मक दुर्व्यवहार से पीड़ित हुआ है ।
9. 484 प्रतिशत बालिकाओं ने चाहा कि काश वे लड़का होती ।

इस प्रकार बाल दुर्व्यवहार एक गंभीर समस्या है । दूसरी ओर बालकों के विरूद्ध अपराधों पर दृष्टिपात करें तो वर्ष 2010 में बालकों के विरूद्ध 26694 अपराध दर्ज हुये जबकि वर्ष 2009 में 24201 अपराध दर्ज हुये थे। इस प्रकार वर्ष 200० में बालकों के विरूद्ध अपराध में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

देश में वालकों के विरूद्ध अपराध तथा 2009 की तुलना में 2010 में प्रतिशत परिवर्तन

CrimeAgainstChildren in theCountryand%Variationin 2010 over 2009

S.No.	Crime Head	Year			% Variation in 2010 over 2009
		2008	2009	2010	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Murder	1296	1488	1408	-5.4
2	Infanticide	140	63	100	58.7
3	Rape	5446	5368	5484	2.2
4	Kidnapping & Abandonment	7650	8945	10670	19.3
5	Foeticide	73	123	111	-9.8
6	Abetment of Suicide	29	46	56	21.7
7	Exposure & Abandonment	864	857	725	-15.4
8	Procuration of Minor Girls	224	237	679	186.5
9	Buying of Girls for Prostitution	30	32	78	143.8
10	Selling of Girls for Prostitution	49	57	130	128.1
11	Other Crimes (Including Prohibition of Child Marriage Act. 2006)	6699	6985	7253	3.8
	Total	22,500	24,201	26,694	10.3

* Source: NCRB: Crime in India 2010

इस प्रकार दुर्व्यवहार के शिकार बालक हों या अपराध के शिकार बालक सभी को देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता है । किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम) 2005 में उक्त दोनो प्रकार के बालकों, वे बालक जिन्होने उपराध कारित किया है तथा वे बालक जिनके विरूद्ध अपराध, दुर्व्यवहार हुआ है या जो अन्य प्रकार से जरूरतमंद हैं के लिए विशेष प्रावधान करता है।

15.5 किशोर न्याय अधिनियम 2000 के प्रमुख प्रावधान

किशोर कौन है -

सर्व प्रथम यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि किशोर कौन है । अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकायें किशोर की परिधि में आते है।

दो प्रकार के किशोर -

किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत किशोरों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है ।

1. विधि के साथ संघर्ष में किशोर (ChildinConflictwithLaw) (CICL) - ये वे 18 वर्ष से कम आयु के बालक हैं जिनके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही विचाराधीन है।
2. वे बालक जिन्हें देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता है। (ChildinNeedofCareand Protection) (CNCP) - ये वे बालक होते हैं जिन्होने कोई अपराध नहीं किया है तथा उन्हे विशेष देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता है ।

विधि के साथ संघर्ष में किशोर (CICL) -

वे किशोर जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है या कानून विरुद्ध कार्य किया है वे विधि के साथ संघर्षरत किशोर है । धारा (2B)

किशोर न्याय बोर्ड (JuvenileJusticeBoard) (JJB) -

विधि के साथ संघर्षरत किशोरों से सम्बन्धित मामलों के लिए किशोर न्याय बोर्ड अधिकृत है । इस प्रकार के बालक किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं । बोर्ड के न बैठने की स्थिति में विधि के साथ संघर्षरत किशोर को व्यक्तिगत सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत किया जावेगा। धारा 4(1)

किशोर न्याय बोर्ड का गठन -

किशोर न्याय बोर्ड एक न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा 2 सामाजिक कार्यकर्त्ताओं से गठित होता है । 2 सामाजिक कार्यकर्त्ताओं में से एक का महिला होना आवश्यक है । सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, जिन्हें बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है उन्हें बालकों के कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक होता है । धारा-4

विशेष किशोर पुलिस इकाई (SpecialJuvenilPoliceUnit) (SJPU) -

प्रत्येक जिले में विधि के साथ संघर्षरत किशोरों एवं अन्य उपेक्षित बच्चों से सम्बन्धित मामलों को हैण्डल करने के लिए एक विशेष किशोर पुलिस इकाई का प्रावधान है । इसमें पुलिस उप अधीक्षकानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी, 2 सामाजिक कार्यकर्त्ता अथवा बाल कल्याण से जुड़े एन. जी. ओ सम्मिलित होने चाहिए । धारा-63(1)

थाना स्तर पर बाल कल्याण अधिकारी (ChildWelfareOffice) -

प्रत्येक थाने पर एक पुलिस अधिकारी बाल कल्याण अधिकारी के रूप में नामित किया जाना आवश्यक है । जिन्हें बालकों या किशोरों को हैण्डल करने के सम्बन्ध में विशेष तौर पर प्रशिक्षित तथा संवदेनशील होना चाहिए । महिला अधिकारी को बाल कल्याण अधिकारी के रूप में नामित किया जाना अपेक्षित है। धारा-63(2)

विधि के साथ संघर्ष में किशोर बाल कल्याण अधिकारी के मारसाधन में - :

विधि के साथ संघर्ष में किशोर को पकड़े जाने पर उसे थाना स्तर पर बाल कल्याण अधिकारी के रूप में नामित पुलिस अधिकारी की परिवीक्षा में रखा जाता है ।

निरूद्ध किये जाने के तुरन्त बाद किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना -

किशोर को पकड़े जाने के तुरन्त बाद लेकिन 24 घंटे के अन्दर किशोर न्याय बोर्ड (118) के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा । लॉक-अप या जेल में नहीं रखा जायेगा। धारा- 10(1)

किशोर को लॉक-अप में नहीं रखा जा सकता -

किशोर को माता-पिता या संरक्षक की मौजूदगी में पुलिस स्टेशन के कमरे में रखा जाना चाहिए।

विधि के साथ संघर्ष में किशोर (CICL) को पकड़े जाने पर परन्तु माता-पिता या परिवीक्षा अधिकारी को सूचना-

किशोर के पकड़े जाने पर तुरन्त किशोर के माता-पिता, संरक्षक या परिवीक्षा अधिकारी को सूचना दी जानी आवश्यक है ताकि परिवीक्षा अधिकारी किशोर की पारिवारिक पृष्ठभूमि इत्यादि के सम्बन्ध में सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट (SocialInvestigationReport) तैयार कर सके। धारा- 13 (क) (ख)

बोर्ड द्वारा जाँच (Inquiry) -

जब किसी किशोर को कानून विरूद्ध कार्य करने पर बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है तब बोर्ड उस किशोर के सम्बन्ध में ऐसी जाँच करेगा जो कि वह उचित समझता है। धारा- 14(1)

बोर्ड द्वारा जाँच की समयावधि -

किशोर न्याय बोर्ड द्वारा 4 माह की समयावधि के भीतर जाँच पूर्ण की जायेगी जब तक कि कोई अन्य कारण न हो। यदि इस समयावधि में जाँच पूर्ण नहीं हो पाती तो उसके कारणों को लेखबद्ध किया जायेगा।

आयु स्तर का निधीरण करने हेतु बोर्ड हारा लिये जाने वाले सास्प -

- जन्म प्रमाण-पत्र ।
- स्कूल रजिस्टर ।
- हाई स्कूल मार्कशीट ।
- मेडिकल जाँच ।

किशोर के विरूद्ध अपराध सिद्ध होने पर बोर्ड द्वारा पारित आदेश -

जाँच की प्रक्रिया के पश्चात जब बोर्ड को यह सुनिश्चित हो जाता है कि किशोर ने अपराध कारित किया है उस स्थिति में बोर्ड किशोर के विरूद्ध निम्नांकित आदेश दे सकता है -

- किशोर को उसके माता-पिता या संरक्षक के साथ जाने का आदेश ।
- ग्रुप काउंसलिंग में भाग लेने का आदेश दे सकता है ।
- सामुदायिक सेवा (CommunityService) में भाग लेने का आदेश दे सकता है।
- किशोर के माता-पिता को जुर्माना देने का आदेश दे सकता है ।
- किशोर की आयु यदि 14 वर्ष से अधिक है तथा यदि वह धन का उपार्जन करता है उस स्थिति में किशोर को जुर्माना देने का आदेश दे सकता है ।
- किशोर को सदाचरण की परिवीक्षा अधिकतम 3 वर्ष के लिए पर माता-पिता या संरक्षक के पास छोड़ सकता है ।
- किशोर को सदाचरण की परिवीक्षा पर अधिकतम 3 वर्ष तक किसी उपयुक्त संस्था (FitInstitutiion) के अधीन रखे जाने का निर्देश दे सकता है।
- किशोर को 3 वर्ष की अवधि के लिए विशेष गृह (SpecialHome) में भेजे जाने का आदेश दिगा जा सकता है । (धारा-15)

बोर्ड द्वारा आदेश से पूर्व सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट (Social InvestigationReport) प्राप्त की जायेगी-

बोर्ड परिवीक्षा अधिकारी या मान्यता प्राप्त स्वयंसेवी संगठन के माध्यम से किशोर के सम्बन्ध में सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त करेगा तथा रिपोर्ट के निष्कर्ष पर विचार करके निर्णय देगा । धारा-15(2)ए

सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट (Social InvestigationReport / SIR) -

पकड़े गये किशोर एवं उसके परिवार की सामाजिर्थिक पृष्ठभूमि आदि के सम्बन्ध में सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट तैयार कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है । इसमें निम्नांकित सूचनाएँ सम्मिलित होती हैं -

- परिवार में सदस्यों की संख्या ।
- व्यवसाय ।
- मासिक आय ।
- शिक्षा का स्तर ।

- बच्चे की शिक्षा का स्तर ।
- बच्चे की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की जानकारी ।

सदाचारण में असफल रहने पर विशेष गृह भेजे जाने का आदेश -

यदि परिवीक्षा अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्य किसी प्रकार से बोर्ड को यह स्पष्ट हो जाता है कि विधि के साथ संघर्ष में किशोर सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़े जाने के दौरान सदाचरण तथा भलाई सुनिश्चित करने में असफल रहा है तो वह जाँच के पश्चात उसे विशेष गृह में भेजे जाने का आदेश दे सकता है। (धारा-15 (3)

मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्डित नहीं किया जा सकता -

विधि के साथ संघर्ष में किशोर को किसी भी स्थिति में मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित नहीं किया जायेगा। (धारा-16)

गंम्भीर प्रकृति का अपराध करने पर सुआ के स्थान PlaceofSafety) में रखे जाने का आदेश -

16 वर्ष से अधिक के किशोर द्वारा यदि अत्यधिक गम्भीर प्रकृति का अपराध किया गया है तथा यदि बोर्ड को यह समाधान हो जाता है कि उस किशोर को विशेष गृह में रखा जाना स्वयं उस किशोर के लिए या विशेष गृह के अन्य किशोरों के लिए उपयुका नहीं है उस स्थिति में बोर्ड उस किशोर को किसी सुरक्षा के स्थान (PlaceofSafety) में रखे जाने का आदेश दे सकता है तथा इसके सम्बन्ध में आदेश के लिए राज्य सरकार को भी रिपोर्ट करेगा।

प्लेस ऑफ सेपटी-

राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वह स्थान है जहाँ गंभीर अपराध कारित करने वाले 16 वर्ष से अधिक आयु के बालक अपचारी को रखा जाता है । ऐसे अपचारियों को स्पेशल होम में रखा जाना अन्य बाल अपचारियों के हित में नहीं होता है ।

किशोर की सुपुर्दगी -

किशोर जिसने जमानतीय (Bailable) या अजमानतीय Nonbailable) अपराध किया हो, वह जब निरूद्ध किया जाता है तथा बोर्ड के सम्मुख लाया जाता है तब बोर्ड द्वारा उसे अपने माता-पिता के साथ जाने दिया जायेगा या किसी प्रोबेशन ऑफिसर के संरक्षण में रखा जायेगा । लेकिन यदि यह संभावना है कि छोड़े जाने पर वह पुन: अपराधियों की संगत में पड़ जायेगा या उसे किसी प्रकार का नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरा पहुँचने की संभावना हो तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार छोड़ा (release) नहीं जायेगा तथा जाँच के लम्बित रहने के दौरान उसे सम्प्रेषण गृह में भेजने का आदेश दिया जायेगा । धारा- 12, धारा 12(3)

किशोर तथा जो किशोर नहीं है, की संयुक्त कार्यवाही नहीं -

बोर्ड द्वारा किशोर तथा जो किशोर नहीं है, की संयुक्त कार्यवाही या एक साथ विचारण नहीं किया जायेगा । धारा - 18

दोषसिद्धी के फलस्वरूप होने वाली निर्हरता (Disqualification) को हटाना -

अपील की समयावधि के पश्चात् बोर्ड दोषसिद्धि रिकार्डो को हटाने का आदेश दे सकता है ताकि बालक के भविष्य पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। पुलिस के द्वारा भी इस प्रकार की कोई सूचना नहीं दी जायेगी जिसमें बालक के भविष्य या रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। धारा - 19(2)

विधि के साथ संघर्ष में किशोर से सम्बन्धित जाँच (Inquiry) का प्रकाशन वर्जित -

किसी अखबार, मैगजीन या इलैक्ट्रोनिक मीडिया में विधि के साथ संघर्ष में किशोर का नाम, पता, स्कूल या अन्य जानकारियाँ एवं फोटो प्रकाशित नहीं की जायेगी परन्तु यदि बोर्ड की राय में ऐसा किया जाना किशोर के हित में है तब बोर्ड कारणों को लिखकर अनुमति दे सकता है । इसका उल्लंघन करने पर बोर्ड द्वारा प्रसंइग़न लेकर सम्बन्धित के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है । धारा -21

किशोर यदि सम्प्रेषण गृह आदि से निकल भागता है तो भी उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं -

यदि कोई किशोर सम्प्रेषण राह या देखभालन करने वाले के अधीन से भाग जाता है तो उसे पुन: सम्प्रेषण गृह इत्यादि में भेज दिया जायेगा । परन्तु इस कारण उसके खिलाफ कोई अपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जायेगी । हालांकि सम्प्रेषण गृह आदि इस सम्बन्ध में आवश्यक उपाय कर सकते हैं। धारा-22

सम्प्रेषण गृह (ObservationHome) -

राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में सम्प्रेषण गृह स्थापित किये गये हैं जिनमें जाँच के लम्बित रहने के दौरान किशोर को अस्थाई रूप से रखा जाता है।

- किशोर गृह में किशोरियों के लिए पृथक सम्प्रेषण गृह ।
- सम्प्रेषण गृह में आयु के अनुसार किशोरों का 7- 11, 1 2- 16 एवं 1 6- 18 आयु वर्ग के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है।

विशेष गृह (Special Home) -

जाँच पूरी होने के पश्चात् आरोप संदेह से परे प्रमाणित हो जाता है । उस परिस्थिति में इस प्रकार के बालकों को स्पेशल होम में रखा जाता है । जहाँ उनका पुनर्वास हो सके । किशोर को विशेष गृह में रखा जाता है।

किशोर के खिलाफ क्रूरता करने पर दण्ड -

जिसके अधीन बच्चे की अभिरक्षा है यदि वह बच्चे के साथ किसी भी प्रकार की क्रूरता करता है जिससे उस बालक को शारीरिक या मानसिक कष्ट होता है उस परिस्थिति में वह छ महीने तक के कारावास से दण्डनीय है । धारा- 23

भीख माँगने के लिए किशोर को लगाने पर दण्ड -

अगर कोई व्यक्ति किशोर से भीख मँगवाता है या इस प्रकार के कार्य में नियोजित करता है. उस पाशलात में वह 3 वर्ष के कारावास से दण्डनीय है । धारा - 24

बालक को शराब, स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ का सेवन करवाने पर दण्ड -

किसी किशोर को उक्त पदार्थो का सेवन करवाना या देना 3 वर्ष के कारावास या जुर्माने से दण्डनीय है । धारा- 25

खतरनाक कार्य में कलक को नियोजित करने पर दण्ड -

यदि कोई किसी बालक को खतरनाक कार्य में नियोजित करता है तो वह 3 वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है । धारा - 26

उपर्युक्त धाराओं में अपराध संज्ञेय -

धारा- 23,24,25,26 के अन्तर्गत अपराध संज्ञेय है । धारा 242528 के अन्तर्गत अपराध अजमानतीय है । धारा - 27

देखरेख और संख्तण की आवश्यकता वाले बच्चे (CNCP) -

अधिनियम में विधि के साथ संघर्षरत किशोर के अतिरिक्त दूसरे किशोर वे हैं जिन्हें देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता है । इसमें निम्न प्रकार के बालक आते हैं -

- वे बालक जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है ।
- जीवन निर्वाह नहीं हो रहा है ।
- भीख माँगता पाया जाता है ।
- गली का बालक है ।
- कार्यरत बालक है । जिसके साथ वह बालक रहता है,, ने उसे जान से मारने की धमकी दी है ।
- जो शारीरिक और मानसिक रूप से चैलेच्छ या बीमार है या असाध्य रोग से पीड़ित है तथा कोई देखभाल करने वाला नही है।
- माता-पिता हैं लेकिन नियंत्रण करने में असमर्थ हैं ।
- जिसके माता-पिता नहीं है ।
- माता-पिता ने छोड़ दिया है या समर्पित (Surrender) कर दिया है।
- लैंगिक दुरूपयोग या अवैधानिक कार्यो के लिए दुरूपयोग, सताया या शोषण किया जा रहा है ।
- जो किसी सशस्त्र उपद्रव या प्राकृतिक आपदा का शिकार है ।
- जिसे नशीले पदार्थ के उपयोग एवं Trafficking में धकेले जाने की संभावना है।

इसमें बालश्रम (प्रतिशेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986, शोषण Traffickingके पीड़ित भी सम्मिलित है ।

बाल कल्याण समिति (ChildWelfareCommitte) CWC-

देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता (इp1एर्षेइप्प्त)ए वाले बच्चों से सम्बन्धित मामले एभp को प्रस्तुत किये जाते हैं । इसमें 1 अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनमें कम से कम एक महिला तथा शेष अन्य में से एक बालकों से सम्बन्धित मामलों का विशेषज्ञ होता है । धारा- 29

बाल कल्याण समिति के कार्य -

- बालक की देखरेख (Care)
- संरक्षण (Protection)
- उपचार (Treatment)
- विकास (Development)
- पुनरूद्धार (Rehabilitation,)

समिति के समझ बालकाक्च्चे को कौन पेश कर सकता है :-

- किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या विशेष किशोर पुलिस यूनिट के पुलिस अधिकारी।
- लोकसेवक
- चाइल्ड लाइन
- सामाजिक कार्यकर्ता
- अन्य सेवाभावी नागरिक
- स्वयं बालक

- उपेक्षित गृह (बाल गृह) के कर्मचारी
- किसी भी बालक को समिति के समक्ष २४ घण्टे के भीतर पेश करना आवश्यक है ।

बाल गृह (ChildrenHome) -

- बच्चों की दीर्घकालिक देखरेख एवं संरक्षण सम्बन्धी आवश्यकता हेतु बालगृह हैं । इस प्रकार के बच्चे सी. डब्लू सी. की अनुशंसा पर बालगृह में रखे जा सकते हैं जो बालक की देखरेख एवं संरक्षण करते हैं ।
- 10 साल तक के बच्चे-बच्चियां एक ही बालगृह में रखे जा सकते हैं । परन्तु 5 से 1० साल तक के बच्चे-बच्चियों के लिए पृथक व्यवथा की जायेगी ।
- बालगृह में 0-5 साल तक के बच्चों के लिए पृथक व्यवस्था की जानी आवश्यक है ।
- 10-18 साल के लड़के एवं लड़कियों के लिए पृथक-पृथक बालगृह आवश्यक है ।
- 10.18 साल के बच्चे पुन: 2 समूहों, 10-15 वर्ष एवं 15-18 आयु वर्ग में विभाजित किये जायेंगे।

आश्रय गृह (ShelterHome) -

राज्य सरकार द्वारा स्वयं या स्वयंसेवी संगठनों की मदद से आश्रय गहो की स्थापना की जाती है । आश्रय गृह अत्यावश्यक मदद की स्थिति में आश्रय गृह के रूप में कार्य करते हैं रूकने की अवधि के अनुसार आश्रय गृह तीन प्रकार के हैं

- ShortStayHome- जहाँ अधिकतम 1 वर्ष तक के तात्कालिक आश्रय की आवश्यकता है।
- TransitionalHome -जहाँ बच्चे को अधिकतम 4 महीने के लिए आश्रय दिया जा सके ।
- 24Hour Drop in Centres - उन बच्चों के लिए जिन्हें दिन में या रात्रि में आश्रय दिया जा सके। धारा -3

पुनर्रूद्धार तथा पुनएकीकरण -

बालक के बालगृह या विशेष गृह में रहने के दौरान निम्न प्रकार से उसके पुनर्रूद्धार एवं सामाजिक पुनएrएकीकरण का कार्य किया जायेगा ।

- Adoption - दत्तक गृहण
- FosterCare - अबोध शिशुओं को अन्तिम रूप से गोद दिये जाने से पूर्व तात्कालिक देखरेख की व्यवस्था
- Sponsorship - प्रायोजक
- SendingtheChildinaftercareorganization - बालक को आफ्टर केयर संगठन में भेजकर धारा-34

विशेष किशोर पुलिस यूनिट के पुलिस अधिकारियों के लिए निर्देशिका -

बच्चे किसी भी देश की अमूल्य धरोहर हैं । जिस प्रकार एक पौधा समुचित देखभाल, संरक्षण एवं उचित वातावरण से वृक्ष बनता है उसी प्रकार बच्चे भी उचित देखभाल संरक्षण, मार्गदर्शन तथा यथोचित वातावरण प्रदान किये जाने पर एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते है । विधि के साथ संघर्षरत किशोर तथा देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष देखरेख की जरूरत होती है ताकि उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके । आमतौर पर इस प्रकार के बच्चे सबसे पहले

पुलिस के सम्पर्क में आते है । अत: पुलिस अधिकारियों खास तौर पर विशेष किशोर पुलिस यूनिट के अधिकारियों को इस प्रकार के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय कानून के अनुसार ध्यान रखना आवश्यक है ।

विधि के साथ संघर्षरत किशोर के सम्बन्ध में पुलिस अधिकारियों द्वारा ध्यान रखने योग्य बातें -

- किशोर न्याय (किशोरों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम का पूर्णत: अनुसरण आवश्यक।
- कानून विरूद्ध कार्य करने वाले किशोर को पकड़ते ही निम्नांकित को सूचना दें
    - = पुलिस थाने के पदेन किशोर कल्याण अधिकारी को ।
    - = किशोर के माता-पिता को ।
    - = सम्बन्धित प्रोबेशन अधिकारी को ।
- विधि के साथ संघर्षरत किशोरों के सम्बन्ध में कार्यवाही के दौरान पुलिस अधिकारी सादे कपडों में रहेंगे ।
- ऐसे किशोरों का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए ।
- कानून तोड़ने वाले किशोर के हित को ध्यान में रखते हुए जब उसकी गिरफ्तारी की जाती है तब तुरन्त लेकिन 24 घंटे के अन्दर उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
- बोर्ड की बैठक न होने की सूरत में प्रधान मजिस्ट्रेट या किशोर न्याय बोर्ड के अन्य सदस्य के समक्ष पेश किया जाए।
- जब तक वह पुलिस थाने में रहता है तब तक लॉक-अप या हिरासत में नहीं रखा जाए ।
- किसी व्यस्क अभियुक्त के साथ नहीं रखा जाए।
- किशोर को अपनी बात कहने का पूरा अवसर दिया. जाए।
- किशोर को तुरन्त उसके खिलाफ आरोपों के बारे में सूचित करेंगे ।
- एफआईआर. दर्ज होने पर तुरन्त उसकी प्रतिलिपि उसके अभिभावकों या किशोर को दी जाए।
- आवश्यकता होने पर तुरन्त चिकित्सा सहायता उपलब्ध की जाए ।
- भाषा समझने में असमर्थ होने पर दुभाषियो की सहायता उपलब्ध की जाए ।
- कानून विरूद्ध कार्य करने वाले किशोर के परिवार को यथोचित माध्यम से जल्द से जल्द सूचइत करें । . कानून तोड़ने वाले किशोर के साथ किसी भी सूरत में अपमानजनक या क्रूर व्यवहार न करें ।
- गाली-गलोच, अपमान, सजा, मारपीट, दुर्व्यवहार न करें ।
- किसी भी सूरत में हथकड़ी या बेड़ियां न लगाई जाए ।
- किशोरी द्वारा कानून विरूद्ध कार्य किया जाने पर उसे महिला किशोर कल्याण अधिकारी की देखरेख में रखा जाए ।
- किशोर की निजता का पूरा सम्मान हो ।
- कानून विरूद्ध कार्य करने वाले किशोर के जीवन पर कोई दाग ना लगे एवं दुष्प्रचार न हो ।
- प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी ऐसी सामग्री का प्रकाशन न हो जिससे किसी किशोर की पहचान सुनिश्चित हो ।
- किशोर न्याय बोर्ड के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी हो । सदस्यों के नाम, पते, दूरभाष नम्बर की पूर्ण जानकारी हो ।

- किशोर कल्याण अधिकारियों तथा विशेष किशोर पुलिस इकाई के सदस्यों की सूची तथा सम्पर्को का विवरण थानों के सूची पट्ट पर स्थाई रूप से प्रदर्शित किया जाये ।
- किशोर अपराधियों का रिकॉर्ड गोपनीय रखा जाए ।
- हिरासत में लिये गये किशोर अपराधियों की जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जाए ।
- किशोर के खिलाफ एफआईआर. दर्ज किये जाने की स्थिति में या जीडी (रोजनामचा) एंट्री किये जाने की स्थिति में शीघ्रातिशीघ्र लेकिन 3 महीने के भीतर उसके खिलाफ जाँच या अनुसंधान पूर्ण किया जाए।
- किशोर अपराधियों के साथ उनकी मान-मर्यादा और योग्यता के अनुरूप बर्ताव किया जाए।

देखरेख एवं संस्थण की आवश्यकता वाले किशोरों के सम्बन्ध में पुलिस अधिकारियों द्वारा ध्यान रखने योग्य बातें-

- देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले किशोरों के साथ कार्यवाही के दौरान सादे कपड़ों में रहना चाहिए ।
- ऐसे किशोर की खाने-पीने सम्बन्धी एवं दूसरी मौलिक जरूरतों का ध्यान रखा जावे ।
- बाल कल्याण समिति की पूर्ण जानकारी हो । सदस्यों के नाम, पते, दूरभाष नम्बर की जानकारी हो । समिति के कार्य स्थल और बैठक दिवस की भी जानकारी होनी चाहिए ।
- किशोर कल्याण अधिकारी के पास समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ.) की सूची होनी आवश्यक है जहाँ से किशोर को आवश्यक सहायकता दिलाई जा सकती हो ।
- जाने पर भी एक इस प्रकार के संगठनों की सूची होना आवश्यक है ।
- मान्यता प्राप्त बाल गही, शैल्टर होम, चाइल्ड हैल्पलाइन की सूची होना आवश्यक है ।
- सम्बन्धित किशोर कल्याण अधिकारी के पास सरकारी अस्पतालों एवं उनकी बाल उपचार इकाई की सूची होनी चाहिए।

पाये गये बच्चे -

इस श्रेणी में घुमक्कड बच्चे, भिखारी, खोये हुए या लापता बच्चे, बेघर बच्चे, ऐसे किशोर व बच्चे जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है और घर से भागे हुए किशोर शामिल हैं ।

- किशोर या बच्चे के अभिभावकों / संरक्षकों का पता लगाने का प्रयास किया जाए।
- सभी पुलिस स्टेशनों में वायरलैस संदेश भी तुरन्त भेजा जाए ।
- किशोर / बच्चे के मिलने की सूचना जारी की जाए और इसे समाचार-पत्रों इत्यादि में प्रकाशित भी करवाया जाए ।
- बच्चे की पहचान के लिए उसका फोटोग्राफ भी अवश्य लिया जाए ।
- बच्चे की पहचान का पता लगाने के लिए जनता की मदद लेने हेतु बच्चे का हुलिया व अन्य विवरण इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से भी प्रसारित किया जाए ।
- यदि समिति की बैठक नहीं हो रही है तो बच्चे को समिति के किसी सदस्य के घर पेश किया जाए । यदि पुलिस अधिकारी की देखरेख में बच्चे को किसी चिकित्सा सहायता की जरूरत है तो उसे बिना किसी देरी के चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई जाए ।
- यदि बच्चे का शारीरिक या यौन उत्पीड़न होने की या बीमारी की आशंका है या बच्चा ऐसा कुछ बताता है, तो बिना देरी किये उसकी चिकित्सा जाँच करवाई जाए ।

- हिरासत के दौरान पुलिस अधिकारी को बाल कल्याण समितियों की पूरी जानकारी होनी चाहिए तथा साथ ही उसे उसके पदाधिकारियों के नाम, पते और दूरभाष नम्बरों की भी जानकारी होनी चाहिए ।
- बच्चों का वयस्कों द्वारा शोषण या यौन उत्पीड़न किया जाता है तो वहाँ तुरन्त हस्तक्षेप करते हुए पीड़ित बच्चें को संरक्षण प्रदान करना चाहिए और इस कार्य में स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता भी लेनी चाहिए । जरूरत वाले बच्चे के लिए कार्य करने वाली पुलिस अधिकारी को बाल कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं के सम्पर्क में भी रहना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनसे जरूरत मन्द बच्चों को भावनात्मक और कानूनी सहायता दिलाई जा सके ।
- परिस्थितियों को देखते हुए बालश्रम (प्रतिशेध और विनियम) अधिनियम, 1986 की धारा 14,16, किशोर न्यायालय अधिनियम, 2000 (अद्यतन संशोधित) की धारा 23,28 और बंधित श्रम पद्धति अधिनियम 1976 की धारा 16,17,18 और 19 के तहत प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए।
- बच्चे की चिकित्सकीय जाँच करवानी चाहिए और उसकी एमएलसी रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त की जाए।
- बच्चे को संबद्ध बाल कल्याण समिति के सम्मुख पेश किया जाए।

शोषित बच्चे-

इस श्रेणी में वे सभी बच्चे शामिल हैं जिन्हें किसी भी तरह से शारीरिक मानसिक 7 भावनात्मक क्षति पहुँचाई गई है और साथ ही बच्चे के यौन शोषण के मामले भी इसमें शामिल हैं ।

- संज्ञेय अपराध की शिकायत, जिसमें किसी भी तरह से शिकार बनाया गया है, के सम्बन्ध में संबद्ध पुलिस अधिकारी द्वारा बिना देर किये सही तरह से शिकायत दर्ज की जाए ।
- ऐसे मामलों की जाँच का कार्य किसी अधिकरी को दिया जाना चाहिए, जो कम से कम सब-इंस्पृरएक्टर के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए । संभव हो तो किसी ऐसी महिला अधिकारी को जाँच का कार्य सौंपना चाहिए ।
- पीड़ित बच्चे के बयान दर्ज करने वाला पुलिस अधिकरी पुलिस की वर्दी में नहीं होना चाहिए।
- पीड़ित बच्चे के बयान उसके घर पर या किसी ऐसे स्थान पर दर्ज किये जाएँ, जहाँ वह बिना किसी भय के खुलकर अपने बयान दे सके ।
- पीड़ित के बयान बिन्से समय गँवाए जल्द दर्ज किये जाएँ ।
- माता-पिता या कर्थे अन्य व्यक्ति, जिस पर बच्चा पूरा विश्वास करता है, उसे बच्चे के साथ मौजूद रहने की अनुमतिदी जानी चाहिए ।
- जाँचकर्त्ता अधिकारी को इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि पीड़ित बच्चा कभी भी अभियुक्त के सम्पर्क में ना आए।
- चिकित्सकीय जाँच या किसी भी अन्य आधार पर बच्चें को रात के समय पुलिस स्टेशन में नहीं रखना चाहिए।
- पीड़ित बच्चे का बयानकरने वाले जांचकर्त्ता 'अधिकारी को इस बात के प्रति आश्वस्त होना चाहिए कि बयान दर्ज करने से पहले पीड़ित सहज महसूस करें और बयान में मामले के सभी सम्बन्धित तथ्यों को शामिल करते हुए घटना का सही-सही विवरण दिया जाए।

- इस क्रम में यदि जाँचकर्ता अधिकारी आवश्यक समझे तो वह किसी परामर्शदाता / मनोवैज्ञानिक /मनोचिकित्सक की सहायता ले सकता है।
- जाँचकर्ता अधिकारी को चाहिए की सरकारी अस्पताल या सरकार से मान्यता प्राप्त अस्पताल में पीड़ित बच्चें की 24 घंटे के भीतर जल्द से जल्दचिकित्सकीय जाँच करवाए।
- बच्चे के यौन शोषण के मामत्तें कई. जाँच प्राथमिकता के आज़ब पर होनी चाहिए ।
- बच्चे का चिकित्सकीयपरीक्षण करवाया जाना चाहिए।
- यदि चिकित्सकपरामर्श दें तो बच्चे को अस्पताल में भर्ती किया जाना चाहिए ।
- अस्पताल से निकलने के बाद बच्चे को मूल दस्तावेजों के साथ बाल कल्याण सभिति के समक्ष पेश करना चाहिए ।
- यदि किसी परित्यक्त शिशु का मामला है तो किशोर न्याय अधिनियम 2000 आद्याहतन संशोधित) के तहत उसे बालक कल्याण समिति के सामने 24 घंटे के भीतर पेश करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त व प्रमाणित बालगृह' इकाई ' अभिग्रहण इकाई या सरकारी अस्पताल की शिशु इकाई में छोड़ना चाहिए।

सुपुर्द बच्चे

- जो अभिभावक या माता-पिता अपने बच्चे को सुपुर्द करना चाहते हैं तो उन्हे सम्बन्धित बाल कल्याण समिति के सम्मुख पेश करना चाहिए।
- इसके बाद की जिम्मेदारी बाल कल्याण समिति की होती है ।

किशोर न्याय के सम्बन्ध में उचित शब्दावली

अनुचित	उचित
आरोपी, अपराधी (Accused, Criminal)	विधि के साथ संघर्ष में किशोर (Child in Conflict with Law)
गिरफ्तार (Arrest)	निरूद्ध (Apprehension)
पुलिस अनुसंधान (Police Investigation)	पुलिस जाँच (Police Inquiry)
ट्रायल (Trial)	जाँच (Inquiry)
किशोर अदालत (Juvenline Court)	किशोर न्याय बोर्ड (Juveline Justice Board)
(Child Prostitute)	Child in need of Care and Protection
हिस्ट्रीशीटर (History Sheeter)	रिपीटर (Repeater)

15.8 सारांश

इस प्रकार समग्र विवेचन से यह स्पष्ट है कि बालक जो हमारी कुल जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण भाग हैं के प्रति विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता

(UNCRC) इसी दिशा में एक कदम है। 1 दिसम्बर 1992 को भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किये। समझौते के अनुसार बाल अधिकारों का संरक्षण आवश्यक है। किशोर न्याय अधिनियम (बालको की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऐसे बालक जो किसी कारणवश अपराध में प्रवृत हो गये हों उन्हे विधि के साथ संघर्षरत किशोर कहा गया है। ऐसे बालक जिनके साथ किसी भी प्रकार का अपराध घटित हुआ है या दुर्व्यवहार के शिकार हुये हैं उन्हें देखभाल तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक कहा गया है। किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत दोनो प्रकार के बालकों के लिए पृथक संस्थाओं तथा आश्रय गृहों की व्यवस्था की गई है।

15.7 अभ्यास प्रश्न

1. किशोर न्याय की मूल अवधारणा क्या है?
2. किशोर न्याय के बुनियादी सिद्धान्तों पर प्रकाश डालिये?
3. भारत में किशोर अपचार की स्थिति पर प्रकाश डालते हुये किशोर न्याय अधिनियम 2005 में विधि के साथ संघर्षरत किशोरों के संबंध में प्रमुख प्रावधान बताइये?
4. देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक कौनसे होते हैं? ऐसे बालकों हेतु अधिनियम कें प्रमुख प्रावधान बताइये?
5. संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 54 में बच्चों के आधारभूत सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए।

इकाई - 16

अपराध का बचाव और नियंत्रण – बाधाएँ और महत्व

इकाई की रूपरेखा

16.0 उद्देश्य

16.1 प्रस्तावना

16.2 अपराध परिभाषा

16.3 विश्व के इतिहास में अपराध. एक संक्षिप्त विवरण 164 भूतकाल से वर्तमान तक

16.5 बचाव एवं रोकथाम के उपाय

16.6 रोकथाम के लिए न्याय

16.7 भारत में किशोर न्याय विधान

16.8 पुलिस की भूमिका

16.9 किशोर न्याय तंत्र में पुलिस

16.10 आपराधिक तंत्र : सुझाव

16.11 सारांश

16.12 अभ्यास प्रश्न

16.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप :

- अपराध से बचाव व नियंत्रण सम्बन्धित पहलुओं की जानकारी प्राप्त कर पाऐंगे ।
- विश्व के इतिहास में अपराध के संक्षिप्त विवरण से अवगत हो पाऐंगे ।
- भारत में किशोर न्याय सम्बन्धित कानूनों के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी प्राप्त कर पाऐंगे।
- किशोर न्याय तंत्र में पुलिस की भूमिका को समझ पाऐंगे ।
- किशोर आपराधिक तंत्र पर नियंत्रण सम्बन्धित सुझावों पर प्रकाश डाल पाऐंगे ।
- किशोर अपराधों के विभिन्न आयाम, परिणाम और अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त कर पाऐंगे।

16.1 प्रस्तावना

किशोर अपराध एक अपमानजनक ऐसा कार्य है जो नाबालिगों द्वारा गैर-कानूनी व्यवहारागतिविधियो में भाग लेने से घटित होता है । (किशोर तुलनात्मक रूप से व्यस्क से कम उम्र का होता है) इसे सामान्यतया किशोर या युवा_ अपराध भी कहते है।

व्यापक रूप से, सभी देशों की कानून प्रणाली में किशोरों को संभालने की अलग विधि या तरीका है । वर्तमान में हमारे देश में किशोर अपराध पर नियन्त्रण की अलग एवं सही प्रणाली है, जो वर्तमान में इस समस्या (किशोर अपराध) को देख रही है, ताकि किशोर अपराध कानून 2006 के विभिन्न प्रस्ताव जैसे किशोरों के लिये सुधार केन्द्र हो जिसमें घर जैसे अलग से अवलोकन हो, अलग से किशोर पुलिस इकाई तथा इस क्षेत्र में प्रशिक्षित एवं आमुखीकृत और किशोर न्याय बोर्ड हो । इस परिप्रेक्ष्य में किशोर

न्याय वर्तमान की आवश्यकता है और किशोरों को (सामाजिक स्वीकृत पहुँच के साथ) न्याय उपलब्ध करवाना है । किशोर अपराध की कानूनी परिभाषा विभिन्न राज्यों में लिखित में उपलब्ध है, एक व्यक्ति जो 16 वर्ष से कम उस का है वह 18 वर्ष के बाद जब वयस्क हो जाएगा तो उस पर अपराध का आरोप माना जायेगा जबकि विभिन्न अन्य देशों में इस पर छूट है जैसे - अपराध के प्रकार पर निर्भर करना, अपराध को स्वीकार करना, यह सब उन लोगों के लिए जो 18 वर्ष से कम हैं और वयस्क होने की कोशिश करते हैं । सामाजिक रूप से न्याय के कार्य को समझाना, प्राय: विभिन्न सामाजिक परिभाषाओं, असामाजिक व्यवहार, विभिन्न काम जो कानूनी नहीं है, को प्रकृति में न्याय के रूप में परिभाषित किया गया है। न्याय कानून एक ऐसा कार्य है जो किशोर द्वारा आपराधिक न्यायालय में व्यस्क होने पर पूरा किया जा सकता है।

16.2 अपराध :

कानूनी तौर पर किशोर अपराध के अन्तर्गत उन बच्चों को शामिल किया जाता है जो गैर-कानूनी या आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं।

आपराधिक बालक एक ऐसा बच्चा है जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल है एवं उसके वयस्क होने पर अपराध घोषित किया जा सकता है । अपराध शब्द ऐसे बच्चों के लिए उपयोग में लिया है जो कलंक को नजरअंदाज करते है और वे आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते है।

16.3 विश्व के इतिहास में अपराध : एक संक्षिप्त विवरण

विश्व के इतिहास को देखा जाये तो यह दर्शाता है कि जो बच्चे अपराध करते थे, उन्हें दण्डित किया जाता था और सजा समान मिलती थी। उन पर वयस्क अपराधी के समान ही कानून लागू होते थे।

किंग एथेलबेस्ट (King Aethelbestकानून से पहले के कानूनी दस्तावेज अंग्रेजी भाषा में लिखे गये थे (Circa 600 Ad) जिसमें उम्र के आधार पर अपराध में कोई विशेष रियायत नहीं थी। ऐसे बहुत से केस पाये गए जिसमें 8 या 8 वर्ष के बच्चे जो अपराध करते थे उन्हें वयस्क के साथ बन्द किया जाता था । इसके विपरीत वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, बच्चों को कम उस के कारण और रियायत के आधार पर जो उनको दिये गये है उससे अलग नहीं किया जाता है।

इसी तरह उनके अपराधों, आपराधिक गतिविधियों और अन्य अनचाहे व्यवहार में ज्यादा अन्तर नहीं होता । इसके अन्य कारण जैसे पागलपन, मंदबुद्धि, निर्धनता सभी को समान तरीके से अपराध के रूप में माना जाता था ।

मध्यकाल में, बच्चों के समाज सुधारक जो पश्चाताप करते हैं, क्रिश्चियन चर्च से बहुत प्रभावित हुये । ऐसे बच्चे जो सात वर्ष से कम (किसी कारणवश) या किसी कारण से सात वर्ष तक नहीं पहुँचते उनकी जाँच पड़ताल चर्च द्वारा होती थी।

ब्रिटिश राज्य और प्राचीन समय में भारत में किशोर न्याय प्रणाली में एक आम कानून के अनुसार अनुसरण किया जाता था जिसमें बच्चे को माता-पिता की भूमिका के साथ हिरासत में रखा जाता था । जब वह सुधर जाता था तो सम्भवत: उन्हें जैविक माता-पिता को सौंप देते थे । ऐसा पूरा किशोर न्याय तंत्र विभिन्न देशों में माना जाता है । यही सही रास्ता है, जब वे परिपक्व उम्र तक पहुँच

जाते थे, तो उनके आपराधिक कृत्यों के लिए उन्हें उत्तरदायी नहीं कर सकते थे । तब यह कारावास का मुद्दा (बच्चों एवं वयस्क का) दोनों को साथ-साथ समान शर्तो के अन्तर्गत जेल के क्षेत्र की दशा में रखते थे। 1650 में शरणार्थियों, बाल सुधारालयों और अन्य सुधार संस्थानों को हिरासत में लेने का मुद्दा ओर कमजोर था। उनकी जगृह बाल सुधार ने ले ली थी।

16.4 भूतकाल सेवर्तमानतक

वर्तमान परिदृक्ष्य में किशोर अपराध की तस्वीरें छोटे-छोटे अपराधों से बड़े-बड़े अपराधों में प्रदर्शित हो रही है। अपराध को नियंत्रित करने की (पुरानी) पारम्परिक विधि असफल है।

किशोर गतिविधियाँ पाँच सिद्धान्तों पर आधारित थी जो निम्न थी :-

1. यह विश्वास किया जाता था कि उच्चवर्गीय सभी बच्चों के माता-पिता उसी सीमा में आते थे ।
2. यह विश्वास था कि धन की बचत और अदंडात्मक विधियाँ बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग की जानी चाहिए थी।
3. यह विश्वास था कि बच्चें पोषित होने चाहिए और तब ही वे कम उम्र में सुरक्षित होते है । नामांकिनीकरण या कलंकीकरण की विधियों से पूर्व न्यायिक विधियाँ ज्यादा प्रभावी थी ।
4. यह विश्वास था कि गैर-आपराधिक विधियों का प्रयोग बच्चों को प्राथमिक अवस्था में आवश्यक है जिससे उनका विचार बने और वे मान सके कि उन्हें दण्ड ना देकर उनकी मदद की जा रही है ।
5. यह माना जाता है कि सुधार के उद्देश्यों तक पहुँचने के लिए व्यक्तिगत की आवश्यकता से सभी बच्चे अलग हैं । आवश्यकता, माँग या चाह, रहने की स्थिति और यदि प्रत्येक बच्चे को सूचित किया जाता है या कोर्ट के द्वारा सूचना दी जाती है यह उनके लिए आन्तरिक रूप से सहायतार्थ होता है ।

इसलिए, आपराधिक बच्चे वो हैं जो कानून की हिंसा करते हैं, कानून को तोड़ते हैं ।

इस कारण वर्तमान दिनों में अलग प्रकृति के बच्चों की जांच करने के लिए किशोर न्याय एक आवश्यकता बन गई है। जो बच्चे आपराधिक कार्यो में संलग्न हैं, उन्हें वापस वास्तविक सामाजीकीकरण में नहीं ला सकते । भूतकाल के कुछ दशकों में ये मान्यता थी कि वयस्क और किशोर अपराधियों को साथ-साथ रखने का नुकसानदायक प्रभाव हो सकते हैं और ना ही यह स्वास्थ्यपरक पहुँच है । पृथक्करण का सिद्धान्त वर्तमान सालों में सुनवाई (किशोर कोर्स) के लिए अलग संस्थानों में आगे है जैसे आपराधिक विधि में बदलाव (किशोर कानून) विशेष शिशु गृह का निर्माण (अवलोकन गृह) और एक अलग किशोर पुलिस इकाई (जो बच्चों के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रशिक्षित होती है) । आपराधिक बच्चा वह बच्चा होता है जो आपराधिक कार्यकलापों में व्यस्त रहता है । व्यस्क अपराध शब्द ऐसे बच्चों के लिए काम में लिया गया है जो कलंक को नजर अंदाज करते हैं।

आयाम और परिमाण अवस्थाएँ.

किशोर अपराधों को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जो निम्न है:-

1. अपराध (किशोर कोर्ट द्वारा छोटा अपराध हल करना) और न्यायिक तंत्र
2. आपराधिक व्यवहार, आपराधिक न्याय तंत्र द्वारा अपराध को हल करना, और

3. स्थिति अपराध, इन्हें केवल इसी प्रकार वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि यह एक बहुत छोटे हैं, जैसे कमजोरी; ये भी किशोर कोर्ट द्वारा ही हल होते हैं ।

यहाँ दो विभिन्न प्रकार के अपराध है जो कि किशोर अवस्था में उभरते हैं :-

(Moffitt) की विकासात्मक शोध के अनुसार (2006).

1. इनमें से एक वह अपराध है, जिसका उल्लेख जीवनभर व्याप्त अपराध के रूप में, जो शुरू में किशोरावस्था में (या समान बचपन) और लगातार वयस्कावस्था में असामाजिक / उग्र व्यवहार में दिखा रहा है ।

2. विशेष अपराध की उम्र, किशोरावस्था सीमित अपराध के रूप में उल्लेखित है जो किशोरावस्था के समय किशोर अपराध शुरू और समाप्त करते है।

अधिकतर किशोरों में किशोरावस्था के दौरान देखा गया है कि कुछ असामाजिक, उग्र या अपराधी व्यवहार के किशोर होते हैं, यह महत्वपूर्ण करता है उन बच्चों के बचपन के व्यवहार पर जो यह निश्चित करता है कि वे जीवन पर्यन्त अपराधी होंगे या किशोरावस्था में भाग लेने तक सीमित होंगे।

यद्यपि किशोरावस्था के सीमित अपराधी जब वयस्क अवस्था में पहुँचते है तब वे अपनी सभी आपराधिक गतिविधियों को छोड़ देते है और जीवन पर्यन्त अपराधी की तुलना में कम अपराध दर्शाते हैं । जो कभी अपराधी नहीं हुऐ उनकी तुलना में वे ज्यादातर मानसिक स्वास्थ्य मादक द्रव्यों के सेवन और वित्तीय समस्याओं, किशोरावस्था और वयस्कावस्था दोनों में दर्शाते हैं।

परिमाण

1980 के मध्य में या 199० से पहले पश्चिमी यूरोपीयन देशों में किशोर हिंसा की दर सबसे तेज एवं ज्यादा थी । कुछ देशों में, कार्यालयी आकड़े 50 और 100 प्रतिशत के बीच बढ़ते हैं । इंग्लैण्ड और वेल्स में, उदाहरण के लिए, 14-16 साल की उम्र वालों में लगभग 100000 युवाओं में से 360 को पुलिस द्वारा "अपराधी घोषित या सावधान" किया जाता है हिंसक अपराध के लिए 1986,1994 में आकड़े लगभग 5807100000 बढ गये थे । पश्चिम जर्मनी 1984 में 14 से 18 साल उम्र वो लगभग 3007100000 बच्चे हिंसक अपराध के लिए संवेदनशील थे । 1995 में यह आकड़े लगभग दुगुने (760/100000) हो गये थे । पूर्व जर्मनी में दर 60-80प्रतिशत ज्यादा थी।

यह ध्यान देने योग्य है कि ज्यादातर देशों में अपराध की दर वयस्क के बीच पूरे वर्ष या स्थिर होती है या थोड़ी बहुत बढ़ती है । लेकिन ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर वयस्क अपराध दर किशोरों के समान्तर हो इसलिए किशोरों के बीच हिंसक अपराध केवल पूरे अपराध की तुलना में बहुत कम ही उत्पन्न हो रहा है ।

भारत में 2010 में किशोर IPCअपराध 50 प्रतिशत कम हो गया था। 2009 के दौरान 23926 IPCअपराध किशोरों द्वारा पंजीकृत किये थे। 2010 में 22740 केस ही रह गये थे।

2009 की तुलना में 201० में किशोर अपराध में सबसे ज्यादा कमी डकैती (35.3द्र), दहेज मृत्यु (34.5४) और आगजनी (25.3%) और दंगा (24.0%) में आकी गई या अवलोकित की गई ।

सबसे ज्यादा किशोर अपराध विश्वास की आपराधिक शाखा (64.7४०), मानव वध सम्बन्धी (4०.०४०) और अपहरण (32.3%) शीर्षकों के अन्तर्गत देखी गई है । (इसकी विस्तृत जानकारी भारत में अपराध 2011 की सारणी 102 में देखे)

स्पष्टीकरण

शिकागो विद्यालय - रोबर्ट पार्क, क्लिफोर्ड शाए हेनरी मेक के और अर्नेस्ट बर्जर (1920) यह एक सामाजिक मिसाल के प्रकार है जो जनसांख्यिकी पर (जनसंख्या समूह के लक्षणों) और जैव सांख्यिकी (ऐसे समूह जो एस्थ्यदूसरे से सम्बन्धित हैं उनका नमग्रे में स्थान) और सामाजिक असंगठनों जिनका आपराधिकता और जुल्म में ज्यादा योगदान है; उन पर ज्यादा जोर दिया है । पार्क और बर्जस ने शहरों को पहचाना, शिकागों उसमें सामाजिक लक्षणों के आधार पर नमो में हो सकता है - नमो का एक लक्ष्य (एक केन्द्र में बेल की ऑख) - ये संकीर्ण क्षेत्र स्वीकृत किये गये । जब महसूस किया कि क्षेत्र जो शहर के केन्द्र के बिल्कुल नजदीक थे वहाँ पर अपराध सबसे ज्यादा होते थे।

यह क्षेत्र पूरे समूह का सम्मान या राष्ट्रीयता का दमन करने वाला है जहाँ अपराध की उच्च दर पायी गई । संक्रमण का क्षेत्र (इसलिए कहते हैं क्योंकि नये अप्रवासी इसके अन्तर्गत हट गये जैसे पहले के अमेरिकन संस्कृति में विलीन हो गये) यह दर्शाता है कि अपराध शहर की सामाजिक संरचना के निर्धारित तथ्यों पर निर्भर था । डमौल ने कुछ संरचनात्मक तत्त्वों को पहचाना जैसे गरीबी, निरक्षरता, विद्यालयों की कमी, बेरोजगारी और दोगलापन । इन सब तत्त्वों के मिलान से सामाजिक असंगठनों की वृद्धि हो गई थी जोअपराध और विचलन के लिए साधारण कारक में बदल गये । इसलिए सामाजिक असंगठन एक ऐसी दशा है जिसके बारे में कहा गया है कि जब एक समूह जो सामाजिक परिवर्तन, संस्कृति के असमान विकास, अस्वीकृति, बेसुरापन, संघर्ष और सर्वसम्मति का अभाव सामना करता है ।

एनोमी का सिद्धान्त

एनोमी एक नियमरहित सामाजिक व्यापक दशा है। एक मान्य उद्देश्य / लक्ष्य और अर्थ के बीच की कड़ी है । एनोमी का फ्रेन्च शब्द नियमरहित होता है कि Durkhein (1800) सामाजिकता पूर्ण संकल्पना लिखित में है ।

रोबर्ट महीन (1910) ने एनोमी को 1938 में आपराधिक विज्ञान में उपयोग किया जब वह इस शब्द' का उपयोग ' 'अमेरिकन समाज में सामाजिक रूप से स्वीकृत उद्देश्य और अर्थो के बीच की जोड़ी को समझा रहे थे। Merton का विश्वास था कि समाज द्वारा समान उद्देश्य और अर्थ दिये गये थे वे सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध नहीं थे जिसमें सभी भाग लेने वालों की इच्छा थी । सामाजिक रूप से स्वीकृत उद्देश्य धन (Wealth), स्थिति (Status) और राजनीतिक शक्ति थे। स्वीकृत का मतलब इन सभी उद्देश्यों को बुद्धिमानी पूर्ण प्राप्त करना, शिक्षा निवेश, कड़ी मेहनत करना । दुर्भाग्यवश ये अवसर समान रूप से सदस्यों के लिए उपलब्ध नहीं थे । पूरे समाज के परिणामों में कुछ लोगों के पास ही हरामीपन के लिए विकल्प था मतलब इन तक पहुँचने का दबाव से वे इन उ्द्देश्यों को प्राप्त कर पाते थे।

रोबर्ट मटोन की एनोमी सिद्धान्त और आपराधिकता के प्रकार -

श्रेणी	लक्ष्य	अर्थ	उदाहरण
कंफूमिस्ट	+	+	कानून को मानने के व्यवहार के कारण

अन्वेषण	+	+	प्रोपर्टी अपराध में पडना, सफेद कॉलर अपराध
पश्चगामी	+	+	नशीली दवाएँ / लत / आवारगी / कुछ जल्म रहित अपराध
कर्मकांडी	+	+	पूर्णतया आध्यात्मिक प्रकार का व्यक्ति
विद्रोही	+/-	+/-	राजनीतिक अपराध (पूर्व समय के) कुछ सामाजिक गतिविधियाँ

चित्र में उपरोक्त कंफमिस्ट ने दोनों लक्ष्यों एवं अर्थो को स्वीकृत किया है जो समाज को वैध अर्थो तक पहुँचाता है, जबकि अन्वेषणों ने केवल लक्ष्यों को स्वीकृत किया है लेकिन अर्थो को रह कर दिया ।

दूसरे शब्दों में कर्मकांडी वो है जिन्होने. सफल लक्ष्यों को रह किया है लेकिन लगातार ये अपने रोज के कार्यो को सामाजिक उपेक्षाओं सहित पूरा कर रहे हैं । ये लगातार अपने कार्यो को रखना चाहते हैं लेकिन जीवन में बिना पूर्व इच्छा में।

पश्चगामी ने जिन दोनों लक्ष्यों और अर्थो को रह किया है वे सामान्यतया समाज द्वारा छोड़े हुये है ।

मतौन के अनुसार श्रेणियाँ किसी व्यक्तित्व द्वारा चयन नहीं की गई है जो उनके उपस्थित हैं लेकिन ये उन लोगों के ऊपर लागू होती थी जो समाज के संरचनात्मक तथ्य थे। मर्टोन (Mertonका एनोमी सिद्धान्त समानता. के अवसरों में कमी को दर्शाता है जो कि समाज में अब तक व्याप्त है।

16.5 बचाव एवं रोकथाम के उपाय

बाल अपराध की रोकथाम के लिए सामान्य रूप से बहुत सारे कानून हैं । इसके अन्तर्गत बच्चों के प्रति हिंसा, जो उनके मानव अधिकारों के लिए खतरनाक हो चुकी है । हमारे समाज के व्यक्तित्व और संस्थाओं को समझाने की आवश्यकता है, एक निश्चित समय, धन, अनुभव और अन्य स्रोत के अन्तर्गत जो इस वैश्विक समस्या को समझा सके। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों और संधि बड़ी संख्या में कानूनी पहुँच की तुलना में सामाजिकता के जरिये इस किशोर अपराध समस्या को सुलझा रहे हैं।

रियाद मार्गदर्शिका के अनुसार, किशोर अपराधों का बचाव एक समाज में पूरे अपराधों के बचाव के लिए आवश्यक हो गया है। किशोर न्याय के प्रशासन के लिए उपयुक्त नियम बीजिंग नियम है जो किशोरों को पूरी तरह से सही मजबूती के लिए संस्थाओं को सकारात्मक रूप से उपयोग किया गया है।

कुछ के अनुसार, यह विश्वास किया जाता है कि पूर्व स्तर हस्तक्षेप किशोर अपराध के बचाव में उत्तम पहुँच को प्रदर्शित करता था । विभिन्न देशों द्वारा विभिन्न विधियों से किशोर अपराध और उनके आपराधिक व्यवहारों को रोका जा रहा है । उनके दंडात्मक बचाव इरादे पर निश्चित ध्रुवीय अपराध द्वारा प्रकाश डाला जा रहा है । यह प्रमाणित हों कि वे सजा की संभावनाओं को समझ सके या शायद दुबारा अपराध की स्थिति के बचाव के लिए कुछ करे, जिसमें अपराधों को समझाना और अपराधों और उनके जुल्मों को समाधान करने का प्रयास करना आदि शामिल है। किशोरावस्था और युवा लोगों के साथ आर्थिक अवसरों, पेशेवर प्रशिक्षण और शिक्षा, नये काम स्थल और संगठनात्मक व्यापार में सहायता आदि उपलब्ध करवा सके जो कि आपराधिक गतिविधियों में युवाओं के दखल से बचाव कार्य में सहायता कर सकते हैं।

विभिन्न देशों में यह अवलोकन किया गया है कि शिक्षा कार्य युवा लोगों को जागरूक बनाता है कि कैसे सकारात्मक स्वयं अपना विकास, संघर्ष का सामना करना और गुस्से पर नियंत्रण करना आदि में मदद करते है ।

मनोरंजन और युवा विकास गतिविधियाँ प्रत्यक्ष रूप से रियाद मार्गदर्शिका को प्रेरित / उत्साहित करती है: "युवा व्यक्ति को किसी विशेष रूचि के मनोरंजन उपलब्दतां और सेवाओं के स्थापत्य और उनका आसानी से स्वीकृत बनाने वाले विस्तृत रेंज चाहिए। "

कुछ शोधकर्ता के अध्ययन ने किशोर अपराधों के स्तर को कम करने की संभावनाओं को बढ़ावा दिया है एक शहरी वातावरण के परिवर्तन द्वारा, स्थापत्य और परिदृश्य योजनाओं द्वारा भौतिक लक्षणों में बदलाव और ऐसे अवसरों की उपलखता जिसमें युवा लोग रूचि से व्यस्त रहें । उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्यों के एक कस्वे में शोध किया गया कि अधिकतर किशोर अपराध कस्वों के केवल उद्यानों के चारों और निश्चित होते हैं, उद्यानों के लेआउट को पुन: बनाया गया जिससे किशोर एवं उनके माता-पिताओं के खाली और मनोरंजक विकल्प पैदा हु ये ।

विद्यालयों एवं उद्यानों में दोपहर की गतिविधियों की संख्या भी सकारात्मक रूप से बढ़ी है। उपर्युक्त सभी उपायों से किशोर अपराधों की बढ़त में निश्चित कमी आयी है।

संयुक्त राज्यों में किशोर अपराध (हिंसक अपराधों सहित) सही ३ .०० 9 प्र के आस-पास होते हैं सामान्यतया जब विद्यालय बंद हो जाते हैं।

वर्तमान में, पूरे विश्व में स्थानीय समुदाय जिनकी किशोर अपराधों को नियन्त्रित करने की जिम्मेदारी है उनकी भूमिका को विशाल रूप से सतर्क किया जा चुका है । कुछ देशों में यह योजनाएँ बनाई जा रही हैं, जिसमें किशोर अपराधों से सम्बन्धित स्थानीय समुदाय के समूहों एवं व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है जिनमें युवा लोग जो निर्माणात्मक गतिविधियों के अन्तर्गत आते है को सूचनात्मक रूप से बढ़ाया गया है । युवा लोग:. वर्तमान विचारों के लिए समुदाय सहायक एवं स्वयंसेवक के लिए पूछते हैं।

सामान्यतया गिरोहा / दल अपराधों के बचाव के लिए कार्य होने चाहिए जिससे संगठनात्मक गतिविधियों में बच्चे एवं युवा प्रेरित हों। यह सामाजिक सेवा एजेन्सीज या संगठन जैसे YMCAYWCAलड़की गाइड और लड़का स्काउट के साथ ही साथ स्वतंत्र लड़के एवं लड़कियों के क्लब और सामुदायिक केन्द्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है । स्थानीय सरकारी मनोरंजक गतिविधियाँ भी बच्चों एवं किशोर अपराधों के बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं । यह बहु त प्रभावी बचाव कार्य उन परिवारों पर प्रकाश डाल रहे है जिनके युवा गंभीर व्यवहार समस्याओं के अन्तर्गत आते हैं।

हमारे देश में ऐसे बच्चे जो गंदी जगहों पर रह रहे है गलियों में उन पर और उनके पड़ोसियों के बच्चों के बचाव में समुदाय आधारित सुधार कार्य किये जा रहे हैं । दूसरा, बचाव कार्य का उद्देश्य गली के बच्चों की सहायता का होगा जो आशावादी आत्म मूल्यांकन में व्यस्त रहते हैं ।

बहु त सारे देश लगातार दंडात्मक बचाव कार्यक्रमों द्वारा कोशिश कर रहे हैं कि किशोर एवं युवा को अपराधों के साथ ही साथ गिरोह भर्ती, विस्तार और आपराधिक व्यवहार से, निगरानी के माध्यम (लगातार पुलिस द्वारा अवलोकित) और अभियोजन द्वारा बचाया जाये । कुछ विश्वास की धारणा है कि दमन एक सक्रिय हस्तक्षेप का रूप है जो पूर्णतया राज्य द्वारा वैध है । युवाओं के अपराधों में हेर-फेर के कारण बहु त सारे प्राधिकारी बहु त मामलों में योगदान दे सकते हैं । इसलिए केवल हल/

बचाव / दमन प्रभाव किशोर के. लिए ज्यादा प्रभावी नहीं है जो पहले से ही कानून के साथ मुसीबत / संघर्ष में है।

16.6 रोकथाम के लिएन्याय

रोकथाम के लिएन्याय एक साधन के रूप में मजबूत कर देने वाला न्याय

बार-बार होने वाले अपराध से मजबूत कर देने वाला न्याय के द्वारा उत्तम बचाव किया जा सकता है । जो कि उपयोगी रूप से समुदायों द्वारा चलाया जाता है । कुछ मजबूत कर देने वाला न्याय के अनुसार यह आपराधिक न्याय के सम्मान में दूसरा रास्ता है । इसलिए मजबूत कर देने वाला न्याय एक ऐसी विधि है जिसमें सभी बड़ी पार्टियां विशेष अपराध द्वारा साथ-साथ आती है और एक साथ निश्चय करती है कि कैसे अपराध और इसके आगे के निहितार्थ के प्रभावों के बाद उत्तम बात की जाये । इस विधि में अपराधी शिकार के साथ परिचय से, घटना की गंभीरता एवं समझना और शिकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं साथ-साथ एक स्तर की श्रेणी की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था के लिए विकास करना\। जिसमें शिकारी के नुकसान और उपलखता आवश्यकता का उपचारात्मक सहायता करना । केवल सफलतापूर्वक पुन: हल द्वारा, किशोरों को सही घरी में या अपराधों को नामांकित नहीं करना ताकि वातावरण (जेल) के प्रभाव से दूर रहें कि शायद आपराधिक व्यवहार समाप्त हो सके । सुलह विधि बहुत सावधानी पूर्वक चलती रहनी चाहिए ताकि अपराधी यह निश्चय नहीं कर सके कि यह एक शिकारी के साथ बात है । शिकारी एक खतरा है जो कि बहुत सारे शोधार्थियों द्वारा बताया गया है।

इनमें अपराधी और शिकारी के बीच का एक मजबूत कर देने वाला न्याय का मुख्य तत्व सुलह है । यह एक आवश्यक विधि है ना कि अपराधी के लिए सही की गई है, वरन् शिकारी और न्याय के मजबूती के लिए है । पूरे अपराध बचाव और अपराध रोकथाम योजना के साथ ही सुरक्षा शिकारी और गवाहों की सुरक्षा और सहायता का आधारीय तत्व है । इस प्रकार के सहायक उपाय अपराध के प्रभावों को कम करते हैं वो जो प्रत्यक्ष रूप से अपराध को प्रभावित करते हैं (जिसमें हमारा पूरा समाज आता है) और आपराधिक न्याय तंत्र में शिकारी और गवाहों की सुरक्षा आवश्यक होती है। जाँच पड़ताल और अपराध का अभियोग, शिकारी, गवाहों और पुलिस और अभियोग एजेन्सियों द्वारा असहयोग भी आवश्यक है।

16.7 भारत में किशोर न्याय बिधान

भारत न्याय किशोर न्याय के ऊपर सबसे पहला केन्द्रीय विधान 1986 में पारित हुआ था। संयुक्त संसद द्वारा, किशोर न्याय के ऊपर पूरे देश के लिए एक समान कानून उपलब्ध करवाया गया। इस कानून की प्राथमिकता के अनुसार प्रत्येक राज्य जो किशोर न्याय के ऊपर कार्य करते हैं उनमें अपने अन्तरों से जो किशोरों के विभिन्न राज्यों में कानूनी तंत्र द्वारा उपचारित किये जाते थे । किशोर न्याय कानून बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, उपचार, विकास और घृणित पुन: स्वभाविक या आपराधिक किशोर और कुछ मामले जो किशोर कानून से सम्बन्धित के लिए पारित किया गया।

यहाँ कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त है जो किशोर न्याय के प्रशासन के लिए आवश्यक है और वे आधार बनाते हैं जिसके ऊपर कानून और नियम बनते हैं । किशोर न्याय कार्यकारिण्ग़ी के निम्नलिखित सिद्धान्त होने चाहिए जो कि कानून को समझ सके, स्थिति के अनुसार जिसके अन्तर्गत बच्चे को हिरासत में रखा जाता है और अधिकतर अच्छे और प्रभावी कानून के स्थापत्य के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। वे

आधारीय रूप से सभी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के बच्चों के रख-रखाव के लिए बनाते है जहाँ पर बच्चों के अधिकारों को एक मजबूत सुरक्षा एवं आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है । बच्चों के परिवार तंत्र को ये विश्वास होना कि यहाँ बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा, सभी प्रकार की शोषणीय स्थितियों से मुक्त है।

नियमों के प्रशासन में सिद्धान्तों का अनुसरण -

1. बेगुनाही के अनुमान का सिद्धान्त ।
2. गरिमा एवं मूल्य का सिद्धान्त ।
3. सुनने के अधिकार का सिद्धान्त ।
4. सर्वोत्तम हित का सिद्धान्त ।
5. परिवार की जिम्मेदारी का सिद्धान्त ।
6. सुरक्षा का सिद्धान्त (हानि रहित, गाली-गलौच रहित, घृणा रहित, शोषण रहित और दुराचार रहित) ।
7. अधिकारों के गैर-छूट का सिद्धान्त ।
8. असमानता और गैर-भेदभाव का सिद्धान्त ।
9. गोपनीयता और प्राईवेसी के अधिकारों का सिद्धान्त ।
10. अन्तिम उपाय का सिद्धान्त ।
11. प्रत्यावर्तन और बहाली का सिद्धान्त ।
12. नये सिरे से शुक्लात का सिद्धान्त ।

ये सिद्धान्त पत्र इस भावना के परिचायक है कि प्रत्येक बच्चा जो किशोर न्याय तंत्र के सम्पर्क में आता हैं तो उसकी सुरक्षा, देखभाल, बचाव एवं न्याय का विश्वास इसमें निहित है ।

किशोर न्याय कानून 1988

किशोर न्याय कानून बीजिंग नियम 1965 के अनुसार CRCकी प्राथमिकता से कार्यरत हुआ था । किशोर या बच्चा की परिभाषा - लड़कों के लिए 16 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष । बच्चे आपराधिक किशोर और घृणित किशोर के रूप में बांटे गये थे । बच्चों की दोनों श्रेणियों को लम्बित पूछताछ के लिए अवलोकन गृह में साथ-साथ रखा जाता था । किशोर कल्याण बोर्ड ऐसे बच्चों को देखता जो घृणित होता है और किशोर कोर्ट आपराधिक बच्चों को संभालता था । घृणित किशोर, किशोर राह में थे और आपराधिक किशोर विशेष गहो में रहते थे । भारत सरकार ने 1992 में बच्चों के अधिकारों पर हुए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को इसके द्वारा सुनवाई के लिए एक फायदेमंद सम्मेलन बताया । तब 1986 में किशोर न्याय कानून पुन: देखा गया और उसमें बच्चों के उच्च रूचि की सुरक्षा के कौम में बदलाव किया गया और बच्चे के सामाजिक पुन: एकीकरण पर बिना मजबूत न्यायिक कार्यवाही के जोर दिया गया । किशोर न्याय कानून (1966) वापस बन्द कर दिया गया था और किशोर न्याय (देखभाल और बच्चों की सुरक्षा) कानून 2000 पारित किया गया था । किशोर न्याय (1985) के प्रशासन के लिए कम से कम स्तर के नियम (बीजिंग नियम), किशोर अपराध के बचाव के लिए UN मार्गदर्शिका को रियाद मार्गदर्शिका कहा गया, किशोर के बचाव के लिए 1990 और संयुक्त राष्ट्र नियमों को उनकी छूट दी गई।

किशोर न्याय (देखभाल एवं बच्चों की सुरक्षा) कानून 2000)

बच्चों की दोनों श्रेणियों (लड़के एवं लड़कियो) की सुरक्षा और देखभाल के लिए आवश्यक कानून चिंता का विषय है । दोनों लड़के एवं लड़कियों के लिए एक समान आयु - कोई भी बच्चा जो 18 वर्ष की आयु से कम का है या 18 वर्ष पूरे नहीं किये हो वो बच्चों की प्प्तp परिभाषा के साथ कानून की न्यायिकता में नहीं आ सकता है । देखभाल एवं बचाव की आवश्यकता में बच्चों को अलग रखा जाता है और बच्चे नियमों के साथ संघर्ष करते रहते हैं । बच्चों के कल्याण की समिति देखती है कि बच्चों के देखभाल एवं सुरक्षा के लिए क्या आवश्यक है और किशोर न्याय बोर्ड उन बच्चों को देखता है जो कानून के साथ संघर्ष करते हैं । बच्चों की श्रेणियाँ बनाना उनकी देखभाल व सुरक्षा करने के लिए आवश्यक था । ज्यादा कानूनी बचाव / सुरक्षा विश्वास दिलाती है उन बच्चों के लिए जो कानून होते हैं । पुराने रिकॉर्ड की अयोग्यता और प्राईवेसी प्रबन्धन इनका अंतिम विकल्प के रूप मे उपयोग किया जाता है । दंड 39 में कानून बनाया गया ऐसे बच्चों के साथ जिनकी देखभाल एवं बचाव के फोकल बिन्दु उनके गोद लेने वाले माता-पिता या फोस्टर माता-पिता होते है । बच्चों के लिए कानून के चार विकल्प होते हैं जिसमें बच्चों के राह और विशेष गृह जिसमें गोद लेना, फोस्टर देखभाल, स्पान्सरशिप और बाद में देखभाल शामिल है।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और बचाव) संशोधन कानून, 2008

किशोर न्याय कानून, 2000 में संशोधित किया गया था । संशोधित कानून 26 संशोधनों के बाद में आया जिसमें बल है । यह कानून कानूनी तंत्र और सुरक्षा का कवच, बचाव, उपचार और दोनो श्रेणियों के बच्चों के पुनर्वास में सहायक होता है।

कानून के उद्देश्यों में शामिल हैं :

1. देश में किशोर न्याय तंत्र के लिए एक कानूनी संरचना का निर्माण ।
2. किशारों के बचाव और उपचार के लिए एक विशेष पहुँच उपलब्ध करवाना ।
3. किशोर की देखभाल, बचाव, उपचार, विकास और पुनर्वास के लिए आवश्यक मशीनरी और इन्फ्रास्ट्रक्चर की आऊट लाइन बनाना ।
4. किशोर न्याय के प्रशासन के लिए नियम एवं स्तर को स्थापित करना ।
5. किशोरों के कल्याण में स्वैच्छिक प्रयास और किशोर न्याय के साधारण तंत्र के बीच कडी औरसमन्वयन स्थापित करवाना।
6. किशोरों के विशेष अपराधों में सम्बन्ध बनाना और सजा उपलब्ध करवाना ।

किशोर न्याय बोर्ड : कानून के साथ संघर्ष करने वाले बच्चों के लिए कार्यरत -

यह निम्नलिखित तथ्यों पर प्रकाश डालते है :-

1. बच्चे जो कानून के साथ संघर्ष करते हैं (CCL)।
2. CCLसे सम्बन्धित मुद्दे ।
3. समस्या को इंगित करने वाले जिम्मेदार कौन है?
4. किशोर न्याय तंत्र में प्रवेश करने वाले बच्चों का बचाव ।
5. वैकल्पिक न्यायिक प्रक्रियाऐ ।
6. किशोर न्याय बोर्ड को गहराई से समझना और विधि को बनाये रखना।

7. CCL के लिए संस्थाएँ ।

8. कानून के साथ संघर्ष करने वाले बच्चे कौन है?

किशोर न्याय बोर्ड 2000 और संशोधन कानून 2006 के अनुसार, बच्चे जो कानून के साथ संघर्ष करते हैं का मतलब एक किशोर जो अकानूनी तौर पर स्वीकृत एक कानून और जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर पाते हैं ऐसे अपराध जो कमीशन की दिनांक पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर पाते है। (दंड 2. धारा 1)

बच्चा किसी भी कानून के अन्तर्गत एक अपराध सजा के लिए समय पर बल कर सकते हैं। (संविधान, भारतीय पेनल कोड, अन्य Statutory कानून आदि के अन्तर्गत किया जा सकता है)

16.8 पुलिस की भूमिका

समाज में पुलिस के कार्यो में तकनीकी एवं ऑपरेअनल तथ्य ज्यादा होते हैं । समाज के बड़े मुद्दों में पुलिसिंग की दार्शनिकता को माना है। गिअसर Giasser(2000) के अनुसार - कूटनीति Policingएक विशेष अभ्यास में आवश्यक है (जो अन्तराल को नियंत्रित करती है) मैक्स वेबर्स MaxWeber's)1930 के अनुसार पुलिस राज्य एक संचालन लक्षण है जो कि बल के उपयोग प्रदेश, वैधता और एकाधिकार है।

पुलिसिंग के अन्य प्रकार के कार्यो जैसे - शिक्षण, दवाइयाँ रखना व पूरे समाज के साथ नजदीकी से जुड़ना है।

गोल्डस्टीन। 1977 के अनुसार - पुलिस के कार्य है -

1. जीवन के संकट और प्रोपर्टी की पहचान के रूप में विस्तृत रूप से बचाव एवं नियंत्रण करना । जो भौतिक हानि के खतरे में है उस व्यक्ति को बचाना जैसे किसी पर हिंसक हमले के रूप में।

2. लोगों एवं वाहनों के चलन को उपलब्धकरवाना।

जो अपनी स्वयं की देखभाल नहीं करता उसे गिरफ्तार करना, जैसे नशीले, व्यसनी, दिमागी रूप से विकृत, भौतिक रूप से विकलांग, बुजुर्ग और युवा आदि ।

व्यक्तियों समूह या व्यक्ति और सरकार के बीच संघर्ष को समाप्त करना ।

समस्याओं की पहचान करना जो आगे चलकर खतरनाक गंभीर समस्याओं में बदल न जाए। समुदायों में सुरक्षा के विश्वास के माध्यम उत्पन्न करना।

पूरे साल पुलिस बहुत सारी झूमइकाऐ निभाती रहती हैं, जो हमें सुरक्षित रखती हैं । यह भूमिका निभाना बहुत कठिन है । इगोन बीटनर EgonBittnerके अनुसार, पुलिस एवं निर्विवाद अधिकारी है । पुलिस हमें कोई समझाइश या कोई ठहाका लगाने नहीं देती जब वे बल आदि का प्रयोग करती हैं । जब वे कार्य करती हैं तो वे कानून के अनुसार अक्मा कार्य करती है । दूसरी अन्य महत्वपूर्ण चीज यह है कि पुलिस की सभी आवश्यक भूमिकाओं के अन्तर्गत स्थानीय एवं घरेलू स्थानों से अपने अनुभवो के आधार पर महत्चपूर्ण सूचनाओं'को एकत्रित करना।

पुलिस के दो प्रकार के -कार्य होते है जिसमें विचारवान और अविचारवान कार्य में पुलिस की भूमिका है उनके कारण भी शामिल है लेकिन विचारवान) कार्यो में सामान्य पब्लिक जिसमें नैतिक

कर्तव्यों, श्रेणी नियंत्रण अधिकारों पर नियंत्रण, क्रय का नियत्रंण, सुआ, सेवाऐं और आपराधिक लडाईयॉ शामिल है।

पुलिस अपने प्रशासनिक कार्यो को दिमाग में रखती है। उनके उद्देश्योंऔर आवश्यक कार्यो को बनाये रखती है। पुलिस के लिए भी, यह आदेश सभी समय एवं स्थानों पर, सम्मान और पद के लिए आवश्यक होता है । पुलिस अपनी एक कार्य प्रणाली एवं कार्यशैली के बारे में सोचता है - इसका मतलब है कैसे एक व्यक्सि या ऐजेन्सी सेना के अन्तर्गत कार्य करती है। यह शैली जन सांख्यिकी जनसंख्स से उच्च रूप से सम्बन्धित होती है। विश्वास का संघर्ष सामान्य रूप से समाज के द्वारा समस्या के रूप में आना है जो कि एक सामाजिक समस्या है। यह माना जाता है कि कुछ कि लोग इस पर विश्वास करते हैं, इसकी आबश्यकताओं में बदलाव होगा ओर मूल्यों का विकल्प होगा।

पुलिस की वैयक्तिकता यहाँ पर पुलिस की वैयक्तिकता के अध्ययन की दो पहुँच है :-

1. **पहले से ही प्रवृत्त या तैयार :-** पुलिस कार्य पर आने से पहले, रोजगार देने वाला केन्द्रों पर उसके / उसकी व्यक्तिकता को मजबूत तत्वों से युक्त कर देता है जो कि एक साधारण व्यक्तियों में नहीं होती है।
2. **सामाजिकता या समाजवादी :-** एक बार पुलिस कार्य में आने के बाद रोजगार देने वाले केन्द्र विभिन्न संगठनों की परतों / स्तरों के नियमों, तरीकों, विश्वास और मूल्यों, पसन्द और भावनाएँ आदि को घटाते है।

16.9 किशोर न्याय तन्त्र में पुलिस

न्याय तत्र किशोर न्याय तन्त्र में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुलिस ही किशोर अपराध करने वाले बच्चों को लाने वाली पहली ऐजेन्सी है । वर्तमान में, कुछ अन्य व्यक्तिगत और संगठन किशोर न्याय कानून के अन्तर्गत बच्चों की देखभाल एवं बचाव और कानून से संघर्ष करने वाले बच्चों का अध्ययन करते है। अब किशोर न्याय कानून (C . P) की आवश्यकता है कि सभी पुलिस जिला स्टेशनों पर किशोर पुलिस इकाई हो । सभी अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाये । जाँच पड़ताल के केन्द्रीय ब्यूरो के शोध विभाग में, 1965 में एक किशोर अपराध में पुलिस की भूमिका पर सेमीनार हुई जिसमें पूरे देश से वरिष्ठ पुलिस और प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अटेंड की गई । सभी डेलिगेट्स को वेमगाउड पेपर दिये गये जो कि किशोर अपराध और पुलिस की समस्याओं से सम्बन्धित थे । यह देखा गया कि पुलिस के बीच में समझदारी की अनुपस्थिति के कारण बहुत सारे बच्चों को अवलोकन गहों में भेजा जाता है । आपराधिक विधियों के कोड नहीं 1960 के कानून में एक अन्तर बनाथा जिसमें की ऐसे बच्चों को विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जाता हो । पुलिस सेमीनार ने सुझाव दिया कि इस कार्य के लिए विशिष्ट देखभाल की आवश्यकता है । यह तुरन्त आवश्यक नहीं है कि पुलिस विभाग किशोर सहायता ब्यूरों को सभी महत्वपूर्ण शहरों और कस्वों में स्थापित किया जाये । किशोर क्षेत्र कार्य में प्रशिक्षण ऐसी सेवाओं की स्थापना के लिए पूर्व स्थिति होनी चाहिए । सिन्हा -कमेटी ने यह सुझाव दिया कि, जहाँ तक संभव हो, विशेष किशोर पुलिस, जो कि बच्चों का कल्याण कर सके, उपलब्ध करवानी चाहिए । विशेष देखभाल होनी चाहिए ताकि बच्चा जाँच पड़ताल के समय कडे उपचार के लिए विषय नहीं बने । विशेष अपराध ब्यूरो के अनुसार किशोर अपराध की पहले या बाद में अनुशंसा हुई । कुछ स्रोतों ने पाया कि बोम्बे में किशोर सहायता पुलिस इकाई (JAPU) 1952 में स्थापित थी।

इसी क्रम में किशोर एण्ड पुलिस इकाई / ब्यूरो कलकत्ता में (1956 हैदराबाद (1958) मद्रास (1960 पटना और राँची (1961 पूना, सोलापुर और नागपुर (1967) कलीकट (1976) और भिलाई, इन्दौर और जलपरी (1974) में स्थापित हुई थी । भारत में ऐसे किशोर न्याय तंत्र के विकास के विषय के मामलों में, किशोर क्लब की रिपोर्ड आदि, कुछ स्थानों पर पुलिस द्वारा लागू जैसे दिल्ली के PRAYASनामक संस्था आते है।

सेमीनार में बेकग्राउण्ड पेपर के साथ ही साथ किशोर के नियंत्रण एवं बचाव की योजनायें, स्थल?इ अव्यवस्था पर सुझाव दिए कि पुलिस के लिए प्रशिक्षण कार्य होना चाहिए। किशोर न्याय (C.P) कानून के अन्तर्गत, 704 विशेष किशोर पुलिस इकाई आवश्यक है और लगभ 2112 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की जरूरत है।

16.10 आपराधिक तंत्र : सुझाव

कुछ विशेष प्रकार के कार्यक्रमों की शुरूयात करनी चाहिए जो लाचार, अन्याय, बेघर एवं समाज से पिछडे वर्गो के लिए हो ताकि अपराध को प्राथमिक स्तर पर कम किया जा सके।

साधारणतया, एक आपराधिक तंत्र को प्रभावी बनाकर सभी बिन्दुओं पर ध्यान रखा जाता है। सभी ऐजेन्सी के लिए कार्यात्मक अवसर समान रूप से हो जो समाज के अपराध को बन्द कच्छे समाज में युवा व किशोर वर्ग को अच्छे नागरिक बना सके। ये तंत्र या ऐजेन्सी समाज में रहकर स्थानीय रूप से कार्य करें । इन दुर्घटनाओं को रोकने का तंत्र मजबूत हो, समानता हो तथा बने हु ए नियमों को प्रभावी रूप से समाज पर लागू किया जाए । कुछ लोगों किशोर अपराध को एकल या व्यक्तिगत घटना मानते हैं जबकि दूसरे इसे सामूसिथा घटना मानते हैं या किसी समूह के विशेष मानकों के आधार पर घटना को अंजाम देने का कारक मानते है । अम्बर में यह कब जा सकता है कि यह एक व्यक्तिगत फ्टना नहीं होकर सामूहिक घटना है जो समाज के किशोर एवं युवाओं मे सही मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण समाज में बढ़ती ही जा रही है । इसको रोकने के लिए समय-समय पर नियम बनाने चाहिए जिससे समाज में अपराध कम हो सके।

16.11 सारांश

आधार रूप से एवं नवीनतम स्थितियों के आधार पर किशोर अपराध एवं अपराध के कारण हिंसा, अपराध आज सम्पूर्ण विश्व के युवा में बढ़ा है । बहु त सारी नशायुक्त दवाओं से अपराध में बढ़ोत्तरी हु ई है । वैश्वीकरण की प्रवृत्ति के कारण व्यक्तिगत या समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने-जाने की प्रवृत्ति बढ़ी है जिसके परिणामस्वरूप सांस्कृतिक गतिविधियों, आपराधिक गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला है जो किशोर अपराध को बढ़ाते हैं।

इन प्रवासियों की वजह से मुख्य समस्या यह है कि इनके द्वारा या इनके समूह के अन्य साथियों या इनकी पीढ़ियों या अनुयायियों ने साग्रह अपराध को बढ़ावा दिया है जो मुख्य रूप से किशोर अपराध को बढ़ावा देता है । बहु त से मामलों में किशोर पीढ़ी को अपराध के लिए प्रेरित किया जाता है, बहु त सारी क्रियाओं का प्रभाव उन पर पड़ता है उदाहरणार्थ संस्कृति का प्रभाव, प्रचलन एवं उनका अध्ययन या पढ़ाई, धार्मिक जड़ता तथा लिंग भेद के लिए हिंसा का प्रदर्शन करना इनके लिए अनिवार्य सा है । उग्रता, समाचार या आधुनिक मीडिया में प्रचार के लिए (जिसमें कार्टून, फिल्म एवं खेल आदि

को शामिल किया गया है) सामाजिक कार्यो एवं उद्देश्यों की गलत तस्वीर बनाकर प्रचार करना । -कुछ किशोर एवं युवा इसे एक अनिवार्यता की तरह लेकर अपराध जगत में प्रवेश करते है तथा सशस्त्र विरोध, मानव एवं नशा आदि को बढ़ाकर मानव एवं ड्रग तस्करी करना तथा लैंगिक प्रताड़ना एवं बलात्कार को अंजाम देते है । कुछ अन्य दुर्भाग्य की बाते हैं जैसे परिवार का बंटवारा, गरीबी, भुखमरी, माता-पिता की अचानक मृत्यु, सशस्त्र विरोध तथा एचआईवी. ओं एड्स जैसी भंयकर बीमारियों के शिकार युवा व किशोर हो रहे हैं जिसका परिणाम उसका उज्जवल संसार से अपराध के अंधेरे में प्रवेश करना है । प्रत्येक युवा या किशोर का इस तरह के कृत्य में भाग ले यह जरूरी नहीं है परन्तु युवा पीढ़ी का इन कृत्यों में भागीदार होना एवं दुःखद घटना है । गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, लाचारी आदि सभी ऐसे कारण हैं जो किसी व्यक्ति को इस तरह के कार्यो में भाग लेने के लिए मजबूर कर देते हैं।

आपराधिकतो एक सामूहिक घटना है जिसमें कुछ निश्चित लोग तीव्र गति से जुड़ते हैं तथा अपनी पहचान बनाते है । यह प्राथमिक एवं मुख्य रूप से पुरूषों द्वारा दर्शायी जाने वाली घटना है जिसमें युवा व किशोर शामिल होते है परन्तु महिलाओं के द्वारा तुलनात्मक रूप से कम भागीदारी दर्शायी जाती है । कुछ अपराधी गतिविधियाँ कुछ धर्म, संगठन, जातिगत समूहों या अन्य समूहों के लोगों के द्वारा असहनीय होती है । अत: इस आपराधिक तंत्र पर नियन्त्रण करने वाले नियम एवं कायदे कठोर एवं प्रभावी होने चाहिए । किशोर नियंत्रण में प्रशासन इस तरह से स्थानीय लोगों या प्रशासक को भागीदार बनाये जिससे वे युवाओं को अपराध करने से रोके तथा युवाओं को समाज के साथ जोड़कर अच्छा नागरिक बनाने में भूमिका निभाये।

16.11 अभ्यास प्रश्न

1. अपराध की विभिन्न परिभाषाएं, विश्लेषण सहित बताइए।
2. विश्व के इतिहास में अपराध का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
3. किशोर अपराधों से बचाव व रोकथाम के विभिन्न उपायों पर प्रकाश डालिए।
4. भारत के किशोर न्याय कानून, 1988 के प्रमुख प्रावधान बताइए।
5. भारत के किशोर न्याय कानून, 2002 के प्रमुख प्रावधान बताइए।
6. भारत के किशोर न्याय कानून, 2006 के प्रमुख प्रावधान बताइए।
7. "किशोर न्याय तंत्र में पुलिस की भूमिका" विषय पर लेख लिखिए।

इकाई -17

पीड़ित एवं पीड़ित विज्ञान : संकल्पना एवं महत्व

इकाई की रूपरेखा

17.0 उद्देश्य
17.1 पीड़ित विज्ञान एवं अपराध विज्ञान
17.2 पीड़ित शरण की संकल्पना
17.3 पीड़ित विज्ञान का लक्ष्य
17.4 पीड़ित विज्ञान की परिभाषा
17.5 पीडित विज्ञान के सिद्धान्त
17.6 दण्ड युगल संकल्पना
17.7 पीड़ित की संरचना
17.8 पीड़ित की परिभाषा
17.9 पीड़ित प्रतिकाव्यकता
17.10 पीड़ित अपराधी सम्बन्ध
17.11 पीडित का प्रभाव
17.12 सारांश
17.13 अभ्यास प्रश्न

17.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप :

- पीड़ित एवं पीड़ित विज्ञान को समझ पाऐंगे ।
- इसके सिद्धान्तों को समझ पाऐंगे ।
- पीड़ित प्रतीकात्मक सिद्धान्त को समझ पाऐंगे ।
- इसके सैद्धान्तिक, भौतिक, आर्थिक, मानसिक प्रभाव को समझ पाऐंगे ।

17.1 पीड़ित विज्ञान एव अपराध विज्ञान

अपराध विज्ञान में अपराध एवं उसका समाज पर प्रभाव एक सामाजिक परिकल्पना है । **इडविन एच. सदर लैण्ड (Edwin,H. Sutherland,1947)** के अनुसार साधारणतया अपराध विज्ञान में सिद्धान्त, कानून की जानकारी, अपराध तथा अपराध को रोकने का अध्ययन किया जाता है। इसमें अपराध विज्ञान के गुण, लक्षण तथा हेतु विज्ञान (Etology) का' अध्ययन किया जाता है । इसके विपरीत पीड़ित विज्ञान में पीड़ित प्रतिवादी एवं समाज का अध्ययन किया जाता है । पीड़ित विज्ञान में सामाजिक संरचना एवं अपराध का सम्बन्ध वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय. कोटा उसका अध्ययन, कानून एवं अपराध के सम्बन्ध का अध्ययन करते हैं । सामाजिक परिवर्तन को समझाना कोई आसान कार्य नहीं है परन्तु सालों के समग्र अध्यन से इसका पता लगाया जा सकता है । जैसे

1934 का वर्ष सबसे महत्त्वपूर्ण वर्ष है । जब संयुक्त राज्य अमेरिका में जबर्दस्त आर्थिक संकट देखा गया । इसी तरह 1939 को सबसे शान्तीपूर्ण वर्ष घोषित किया जब केवल लोगों में जानने की जिज्ञासा थी । 1944 में अलास्का द्वितीय विश्वयुद्ध में व्यस्त रहा। 1949 में सेवानिवृत्त (Veterans) वापस घर लौटे । 1964 में हिंसा एवं उग्रता तेजी से बढ़ी । 1970 में हिंसा या दोष तीव्रता से बढ़े । 1979 में (Bettered) महिला आन्दोलन ने महिला हिंसा पर ध्यान दिया। 1984 में कानूनी घटनाऐं एवं अवतरण बढ़े जो प्रतिवादी (०प्तटततला) एवं पीड़ित के अधिकारों के लिये जोड़े गये। 1990 में द्वेषता (hate) अपराध बढ़े। 2001 में अमेरिका की धरती पर आतंकवादियों का हमला बढ़ा। ये उपर्युक्त सभी घटनाऐं दोषी या पीड़ित का समाज पर हमला बताती है । मुख्यतया इन सब 'से जबकि जीवन की हानि है। 1940 व 1950 के दशक में बेंजामिन मेंडलसन (BenjaminMendelssohn) हस वान सेटिंग (HansVonHenting) ने पीड़ित विज्ञान पर कार्य शुरू किया एवं इसे एक नया उदयमान बताकर अन्य से इसे अलग किया । ऐतिहासिक रूप से पीड़ित विज्ञान को अपराध विज्ञान का ही एक भाग माना गया।

17.2 पीड़ित शरण की संकल्पना

वृहद् रूप से यदि बात करें तो पीड़ित विज्ञान मुख्य रूप से पीडित का अध्ययन है । जिसमें पीड़ित व प्रतिवादी के बीच सम्बन्ध, पीड़ित व प्रतिवादी के बीच टकराव, पीड़ित व अपराध निर्णय तन्त्र के बीच सम्बन्ध (कोर्ट, सुधार अधिकारी) आदि के बीच सम्बन्ध का अध्ययन किया जाता है । इसमें पीड़ित, सामाजिक समूह, सामाजिक संस्थाऐं, मीडिया, व्यवसाय व सामाजिक आन्दोलन आदि सभी का अध्ययन है अर्थात पीड़ित विज्ञान केवल पीड़ित एवं समाज के बीच का सम्बन्ध नहीं है बल्कि यह मानवाधिकार, मानव हिंसा आदि सभी का भी अध्ययन है ।

पीड़ित विज्ञान को आजकल अपराध विज्ञान का उदयमान होता विज्ञान माना जाता है । अपराध विज्ञान में मुख्य रूप से अपराध के कारण जबकि पीड़ित विज्ञान में प्राथमिक रुप से वे लोग आते हैं जो यह अध्ययन करते हैं कि क्यों लोग अपराध में पड़ते हैं? या अपराध बढ़ने का क्या कारण हैप्रतिवादी के द्वारा अपराधिक न्याय तंत्र का दुरूपयोग करके पीड़ित को परेशान करना उसे अपराधी बनने के लिए मजबूर करना है । इसके अलावा इसमें उन प्रादर्शो का अध्ययन किया जाता है जिससे दोषी को अपराधी बनने से रोका जा सके।

17.3 पीड़ित विज्ञानका लक्ष्य

विज्ञान के हिसाब से पीड़ित विज्ञान अध्ययन का मुख्य उद्देश्य पीड़ित जो अपराध से पीड़ित है उनकी परेशानियां दूर करना, समाज में उनके प्रति गलत रवैये को दूर करना तथा किसी भी तरह की गलत अवधारणा को दूर करने में पीड़ित की सहायता करना है । यह अपराध का विज्ञान में विशिष्टीकृत होने का एक दूसरा तरीका है । दूसरे शब्दों में अपराध शास्त्र या अपचार में कानून बनना, कानून का दूटना, सामाजिक प्रतिक्रियाऐं सामाजिक कानून का विदारण आदि सभी आते हैं, इसमें नियम या कानून बनाना व कानून तोड़ना आदि सभी का अध्ययन सामाजिक अपराधशास्त्र का भाग हैं । अत: अपराध शास्त्र में मुख्य रुप सें चार उपक्षेत्र (Subfield) आते हैं।

1. दण्डशास्त्र एवं कानून का सामाजिकीकरण

2. अपचार या अपराध गिरावट

3. तुलनात्मक एवं ऐतिहासिक अपराधशास्त्र

4. पीड़ितशास्त्र या पीड़ित विज्ञान

पीडितशास्त्र जो कि अपराधशास्त्र का भाग है इसे निम्न उपशाखाओं में दर्शाया है :-

1. पीड़ितता

2. पीड़ित - अपराधी सम्बन्ध

3. पीड़ित - अपराधी न्यायिक तन्त्र सम्बन्ध

4. पीड़ित - मीडिया सम्बन्ध

5. पीड़ित - अपराध का मूल्य

6. पीड़ित एवं सामाजिक प्रतिक्रियाऐं

7. क्षतिपूरक निदान एवं पीड़ित

बेंजामिन मेंडलसन को पीड़ित एवं अपराधी के बीच सम्बन्ध स्थापित करने के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है तथा इसका नाम 'दण्डित जोड़ा' (PanelCouple) कहा गया । इन्होंने इस क्षेत्र में सर्वप्रथम अग्रणी (Pioneer,) के रूप में कार्य किया।

17.4 पीड़ित विज्ञान की परिभाषा

पीड़ित विज्ञान (Victimology) शब्द का उपयोग सर्वप्रथम एक फ्रेंच वकील बेंजामिन मेंडलसन ने किया । उनके अनुसार पीड़ित (Victirm) वह है जिसका कोई नुकसान हु आ हो, चोट पहुँची हो, किसी कारण से उसके साथ कठोरता हु ई हो जबकि ग्रीक भाषा में (LOGOS) का अर्थ अध्ययन है ।

इसलिए पीड़ित विज्ञान का समग्र अर्थ उन लोगों का अध्ययन है जिनको कोई नुकसान पहुँचा हो, उनके साथ कठोरता हु ई हो । पीड़ित विज्ञान मुख्यतया उस अपराधिक अध्ययन के लिए है जिसमें पीड़ित को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया हो । यह प्रताड़ना व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों ही प्रकार की हो सकती है

मानविन ई. वोल्फगेंग के अनुसार पीड़ित विज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें पीड़ित एवं हेतुकी (Etiology) तथा उसके व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक प्रभावों का अध्ययन है । पीड़ित विज्ञान में सामाजिक प्रक्रिया, सामुहिक या व्यक्तिगत प्रक्रिया एवं प्रभाव जिसमें व्यक्ति विशेष का चरित्र, सुचरित्र में बदल गया हो तथा समाज में उसकी वजह से समस्याऐं पैदा हु ई हों।

षुल्टज (1970) के अनुसार पीडित विज्ञान में पीडित के द्वारा अपराध में शामिल होकर एवं निश्चित डिग्री तक अपराध को बढ़ाकर या उसे बढ़ावा देकर समाज में असमाजिकता फैलाई जाती है । इसमें यह अध्ययन कर इसका मूल्यांकन किया जात है कि किस तरह पीड़ितों का कल्याण किया जा सकता है।

17.5 पीड़ित विज्ञान के सिद्धान्त

यदि पीड़ित विज्ञान का और अध्ययन करें तो पीड़ित भागीदारी (इसका अर्थ पीड़ित या पीड़िता को उसके दोष कें लिए दोषी ठहराकर पीड़ित करना, अरितिक मुद्रा, अशोभनीय भंगिमा को सार्वजनिक स्थान पर महिला द्वारा दर्शाना) पीड़ित के द्वारा नकारात्मक भूमिका दर्शाना जो कि उसकी. समाज

में भागीदारी दर्शाती है । इसीलिए ज्यादातर अपराधशास्त्री इस सिद्धान्त को नकारते हैं क्योंकि वे इसकी प्रकृति मानते हैं।

मार्विन वोल्फगेंग जो पीड़ित प्रत्यक्षज्ञान पर आधारित एवं पीड़ित सरलीकरण पर आधारित है ना कि पीड़ित दोष पर आधारित है। उन्होंने पीडित को दोषी नहीं ठहरा कर इस बात पर जोर दिया है कि पीड़ित की अन्तरआत्मा क्या उसे अपराधी बनने की ओर बढाती है। इसलिए पीड़ित सरलीकरण का विचार यह दर्शाता है कि पीड़ित अपराध करने के लिए ज्यादा से अग्रसर हो जाता है बजाय एक सामान्य आदमी के।

बेंजामिन मेंडलसन ने पीड़ित विज्ञान को समझाने के लिए एक तीन स्तरीय या तीन मॉडल सिद्धान्त दिया तथा यह कहा कि तीन मुख्य अवस्थाऐं हैं जो पीड़ित की भागीदारी, अवस्था आदि के आधार पर तीन भागों में बांटी गई है -

1. समय एवं जगृह के परिप्रेक्ष्य में, पीड़ित गलत समय में गलत स्थान पर मौजूद था ।
2. आकर्षक कारक, जैसे जीवन शैली जो कि अपराध करने के लिए एक आधारभूत स्थान प्रदान करता है।
3. पूर्ववर्ती कारक जैसे जन्मजात गरीब होना, कम उम्र होना, अल्पसंख्यकता होना, बेरोजगार होना आदि सभी किसी पीड़ित को अपराधी बनने के लिए मजबूर करते हैं।

लेटर. कोहन एवं फेलसन (1979) ने अपनी नित्यक्रम क्रियाकलाप सिद्धान्त के आधार पर समझाया कि अपराध तभी होता है जबकि तीन पूर्ववर्ती हालात एक साथ हों जैसे -

(1) उपर्युक्त उद्देश्य

(2) प्रोत्साहित अपराधी

(3) पैतृक या अभिभावक सुरक्षा की कमी ।

शुरूआत में जब अपराध विज्ञान की शुरूआत हुई तब पीड़ित विज्ञान को केवल अपराधशास्त्र का हिस्सा माना जाता था जो यह दर्शाता था कि अपराध का कारण पीड़ितता है । **मेंडलसन** एवं **वान हेंटिंग** पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पीडित विज्ञान या पीडितशास्त्र को अपरांधशास्त्र के विकास से निकली एक स्वतन्त्र शाखा के रूप में माना । इसी कारण से इनको पीड़ितशास्त्र का जनक कहा जाता है ।

इसी के साथ, **वान हेंटिंग** ने पीड़ित के व्यवहार एवं उसकी मान्यताओं पर मी कार्य करने पर जोर दिया जैसे बलात्कारी का दमन उसे खून करने को उकसाता है । उन्होंने यह माना कि पीड़ित मुख्य रुप से अवसाद में रहने वाले होते हैं जो आसानी से अपराध करते हैं क्योंकि वे बहुत अधिक लापरवाह होते हैं ।

शेफर (Schaper,1968) ने निष्कर्ष निकाला कि पीड़ित अपराध को जानबूझकर या अनजाने में करता है क्योंकि वह इस पर ध्यान नहीं देता या जागरूक नहीं होता है । कुछ पीडिततों के साथ पुलिस असंवेदनशीलता से व्यवहार करती है, अभियोगी एवं कोर्ट अधिकारी आदि का दुर्व्यवहार पीड़ित को ओर शोक, विवाद में डालकर उत्तेजित कर देता है । अपराधी को न्यायिक तन्त्र के द्वारा सजा एवं जुर्माना दिये जाने पर पीड़ित को केवल मानसिक सुख ही प्राप्त होता है।

यह प्राय: देखा गया है कि पीड़ित एवं अपराधी ज्यादातर एक ही सामाजिक परिवेश या चरित्र वाले होते जो या तो एक साथ रहते हैं या एक उनके बीच शारीरिक समानताऐं आदि होती हैं ।

अब यह पूर्णतया स्पष्ट हो गया है तथा ज्यादातर लोग मानने लगे हैं कि पीड़ित वह व्यक्ति है जिसे व्यक्तिगत या' सामूहिक रूप से अपराधी के द्‌वारा परेशान किया गया है । अत: समाज में बहु त से प्रकार के अपराध हैं जो सीधे ही पहचाने जाते हैं अर्थात जिसमें अपराधी का सीधा सम्बन्ध अपराध से होता है जबकि दूसरे सफेदपोश अपराध हैं जो समाज को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है तथा अपराधी का अपराध से सीधा सम्बन्ध नहीं होता है अर्थात् इस सफेदपोश अपराधियों के कारण समाज में कानून रहित गतिविधियां सामान्य रूप से शुरु हो जाती हैं जिसका समाज पर प्रभाव पड़ता है । इनके अलावा अन्य अपराध हैं राष्ट्रीय धोखा, भ्रष्टाचार, आत्महत्या, मानवहत्या करना या करने वाला अपराधी आदि । आधुनिक समाज में नये तौर तरीकों के हिसाब से पीडितशास्त्र एक बहु आयामी विषय है । इसमें केवल पीड़ित व अपराधी पर ही ध्यान नहीं दिया जाता बल्कि पीड़ित अपराध, मानव तस्करी, प्राकृतिक आपदा अपराधियों की लड़ाई, शक्ति का दुरूपयोग, भ्रष्टाचार आदि।

17.6 दण्ड युगल संकल्पना

कुछ पीडितशास्त्री यह मानते हैं कि जब अपराध होता है तो इसके दो सहयोगी या साथी होते हैं एवं पीड़ित व दूसरा अपराधी, पीड़ित वह है जो अपराधी को अपराध करने का मौका देता है । यही एक तरीका है जिसमें अपराधी व पीड़ित दण्ड युगल की तरह कार्य करते हैं । उसे भी कहीं हद तक अपराधी का साथी मान सकते हैं । परन्तु ज्यादातर पीडितशास्त्री इसे स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि वे यह मानते हैं कि यह पीड़ित सहयोगिता सिद्धान्त जैसा ही है जिसे ज्यादातर आधुनिक पीडितशारत्री नकार चुके हैं।

17.7 पीड़ित की संकल्पना या अवधारणा

पीड़ित का कार्य, उपयोगिता एवं उपस्थिति या परिदृश्यता भारतीय समाज में बहु त अधिक विभिन्नता रखता है । यह सभी विभिन्नताऐं ऐतिहासिक मूल्यांकन एवं कानूनी अवधारणा को दर्शाती हैं तथा इन सभी के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी को महत्त्व देते हैं ना कि सामूहिक या सामाजिकता को ।

पीड़ित की अवधारणा पौराणिक चली आ रही है जो यह दर्शाती है कि पीड़ितता एक सांस्कृतिक एवं विकट तथा उकसाने वाली समस्या है जिसमें धार्मिक बलिदान की तरह ही संमझा जाता है । सम्पूर्ण विश्व के रीति-रिवाज जो विश्व को एक मूर्त रुप देते हैं दैवशक्ति मानवीय एवं पशु व्यक्तिदान को भी दर्शाता है । कथा एवं कहानियां ऐसे हजारों उदाहरण दर्शाती हैं जो पीड़ित को शाब्दिक बलिदान या प्रतीकात्मक बलिदान के द्‌वारा प्रकट करती हैं । समाज पहले व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से नियम व कानून बनाकर पीड़ित को सहारा देने की कोशिश करता है । पीड़ित स्वंय अपराधी के लिए दण्ड, सजा आदि तय करता एवं प्रभावित करता है परन्तु इसका सीधा प्रभाव हिंसा था । पुन: प्रताड़ित ना किया जाये या बदला ना लिया जाये इसके लिए हकशफा या पूर्व अधिकारी द्‌वारा हमला किया जाता था । इसलिए पूर्व में समाज अपराधी सम्बन्ध, अपराधी द्‌वारा सत्ता एवं शक्ति के लिए लड़ना एवं पीड़ित के द्‌वारा व्यक्तिगत प्रतिशोध की कोशिश लगातार जारी रहना है।

17.8 पीड़ित की परिभाषा

पीड़ित शब्द का अर्थ जानने के लिए पाँच मुख्य एवं आधारभूत कारक है - प्रकृति, समाज, ऊर्जा, सम्भरण, प्रेरकत्व एवं आपराधिकता है । प्रकृति में भूकम्प, बाढ़, सूखा, अकाल आदि आते हैं। समाज में समग्र रुप से सामूहिकता, जाति संहार, आतंकवाद एवं शक्ति का दुरूपयोग होते हैं । अन्य तथ्य भी समाज में जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, गरीबी, अज्ञानता, पीछड़ापन अशिक्षा, शराबी होना, नशीले पदार्थो का आदी होना, वैश्यावृति एवं व्यावसायिक बीमारियां आती हैं । प्रेरकृत्व एवं ऊर्जा सम्भरण में अचानक बहु त सारी ट्रेफिक दुर्घटनाऐं, जमीन पर, समुद्र में तथा हवा में दुर्घटनाऐं साथ ही औद्योगिक एवं घरेलू दुर्घटनाऐं आदि इसी में शामिल की जाती हैं । अन्त में पीड़ित की सबसे बड़ी समस्या पीड़ित अपराध है ।

UN की, पीड़ित के लिए एवं शक्ति का दुरूपयोग न्याय / घोषणा के अनुसार पीड़ित (सामूहिक्क या व्यक्तिगत) की परिभाषा दुःखी, निशान, तृला, शारीरिक एवं मानसिक चोट, मानसिक संताप आर्थिक हानि, मानवाधिकारों का हनन, कर्म से पीड़ित करना, अनाचरण के द्वारा अपराध को बढ़ाना तथा कानून की गरिमा को कम करना आदि को सम्मिलित किया गया है । पीड़ित यह जरूरी नहीं है कि अकेला या व्यक्तिगत हो । एक व्यक्ति को इस घोषणा के आधार पर पीड़ित घोषित किया जा सकता है, कि उसे पहचान लिया गया हो, अभियोजित किया हो, तथा कर्त्ता के द्वारा पीड़ित किया गया हो । इसे समग्र रूप से एक फिल्म, एक परिवार, एवं कॉरपोरेशन एक समूह या पूरे राष्ट्र के रूप में देखा जा सकता है।

17.9 पीड़ित प्रतीकात्मकता

विभिन्न बातों के आधार पर पीड़ित विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं । मेंडलसन (कृष्णा एवं सिंह 1982, के द्वारा) ने अपराध की डिग्री एवं योगदान के आधार पर पीडितता को 6 भागों में बांटा गया है ये हैं :-

1. पूर्णतया निर्दोष पीड़ित जैसे छोटे बच्चे जिनका बलात्कार होता है, अगवा किया जाता है जबकि उनको यह भी नहीं मालूम होता कि उनके साथ यह सब क्यों हो रहा है ।

2. पीड़ित जिसे थोड़ी ग्लानि हो जैसे गर्भवती महिला जो जबरदस्ती गर्भपात के लिए ले गई हो तो उसकी जिन्दगी खतरे में है ।

3. पीड़ित जो अपराधी है ।

4. पीड़ित जिन्हें अपराधी से ज्यादा ग्लानि महसूस होती है वे जो दूसरे को अपराध करने के लिए उकसाते है।

5. पीड़ित जो दूसरे को हानि पहुँचाना चाहते हैं तथा इसी बीच खुद ही अपनी जान के दुश्मन बन जाते हैं। पीड़ित के द्वारा बलात्कार करने वाले को मारे जाना।

6. संवेदनशील या बहाने बाज पीडित वह पीड़ित जो कोर्ट में किसी अपराधी को बचाने के लिए गवाही देता है।

वाल्टर रेकलेस (WalterReckless, 1961) ने पीड़ित दो प्रकार के बताए हैं -

(1) रिपोर्टिंग,

(2) नॉन- रिपोर्टिंग ।

दूसरा वह है जो रिपोर्ट नहीं करना चाहता वह समाज के बर्ताव एवं प्रत्यकार से डरता है । पहला वह जो अपने रिपोर्ट करने के परिणाम या नतीजों से बिल्कुल नहीं घबराता है तथा वह केवल अपनी मानसिक शान्ति के लिए अपराधी को सजा दिलवाना चाहता है ।

फट्टा (Fattah, 1967) ने पीड़ित पांच प्रकार के बताये हैं । असहयोगी, छुपे हुए उत्तेजक, सहयोगी एवं मिथ्या दोषी ।

वोल्फ गेंग ने पांच प्रकार की पीडितता बताई -

1. प्राथमिक पीडितता - व्यक्तिगत पीडितता को शामिल किया गया है ।
2. द्वितीयक पीडितता - यहां पीड़ित अपराधी का दूसरा मुद्दा होता है । एक डिपार्टमेन्टल स्टोर में चोर, एक व्यक्ति जो बिना टिकट के बस या रेल में सफर करता है ।
3. तृतीयक पीडितता - जो समाज एवं प्रशासन को प्रभावित करता है ।
4. पारस्परिक पीडितता - पीड़ित एवं अपराधी के बीच एक पारस्परिक समझदारी से जो दर्शाई जाती है।
5. पीड़ित - जिसका कोई अधिक प्रभाव पीड़ित क्या नहीं पड़ता तथा समाज भी उससे कम प्रभावित होते हैं।

वीन हेंटिंग (VonHentig) (TheCriminalandhis victim Yala University Press NewHaven1948) ने चार प्रकार की पीडितता बताई है :-

1. पीड़ित जिसकी चोट उसके लिए बहुत बड़ा मूल्य है जैसे - गर्भपात ।
2. पीड़ित जिस पर सीधा प्रभाव पडता है, जैसे - वैश्यावृत्ति ।
3. पीड़ित जो अपराधी को हिंसा के लिए उकसाता है । पीड़ित के द्वारा अपराधी को मानसिक रूप से उकसाना जिसमें पीड़ित को मारने के लिए उसे उकसाना है। परिणामस्वरूप एक और हत्या।
4. पीड़ित जो स्वंय चोटिल होना चाहता है ।

हेंटिंग ने पुन: पीड़ित की प्रवृत्ति के आधार पर इन्हें चार भागों में बांटा है -

1. आलसी प्रवृत्ति ।
2. दब्बूप्रव्रती
3. सहयोगी या योगदानी प्रवृत्ति
4. उकसाया हुआ या उग्र प्रवृत्ति या जांच पड़ताल करने वाली प्रवृत्ति ।

स्टेफन शेफर ने पीड़ितों को जिम्मेदारी के आधार पर सात कौटियों में बांटा ।

1. असम्बन्धी पीड़ित - गैर जिम्मेदारी ।
2. उकसाया गया पीड़ित - सहयोगी जिम्मेदारी ।
3. भागीदारी पीड़ित - कुछ जिम्मेदारी वाला पीड़ित ।
4. जैविक रूप से कमजोर पीड़ित - कोई जिम्मेदारी नहीं ।
5. सामाजिक रूप से कमजोर पीड़ित - कोई जिम्मेदारी नहीं ।
6. स्वयं पीड़ित - पूर्ण जिम्मेदारी ।

7. राजनैतिक पीड़ित - कोई जिम्मेदारी नहीं ।

17.10 पीड़ित - अपराधीसम्बन्ध

कुछ निश्चित ऐसे अपराध हैं जिन्हें अपराधी समाज के लिए उसके अहित में करता है । यहीं पर कुछ अपराधों में पीड़ित बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, उसी को पीड़ित अपराधी सम्बन्ध कहते हैं । एक पीड़ित यह निम्न प्रकार से करता है :-

- विरोधी या अपराधी को विरोधाभास वाले कार्य करने के लिए उकसाना जैसे - जब लड़ाई के समय वातावरण गर्म हो तब एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी के हाथों में बन्दूक देकर उसे मारने के लिए उकसाना ।
- अप्रत्यक्ष नियंत्रण जैसे -A ने Bको 5000 रुपये का लोन दिया लेकिन शर्त यह कि 2 महीनों में लौटाना होगा । जब B6 महीनों में भी लौटाने में असमर्थ रहे व साथ में यह कहे कि उसने A से कोई लोन नहीं लिया तथा वे चाहे जो करे Bने Bको परेशान किया परिणामस्वरूप हॉस्पिटल में भर्ती ।
- साधारण सावधानियों को नजर अंदाज करना जैसे - पीड़ित के द्वारा मोटर साइकिल या स्कूटर का ताला नहीं लगाने पर उसकी मोटर साइकिल या स्कूटर चोरी होना ।
- अनजाने में अपराधी को बुलाना या उसके द्वारा मानसिक रूप से बिमार होना जैसे - एक इन्जीनियरों की पत्नी को धूर्त ठेकेदार ने एक गिफ्ट दिया । जब इन्जीनियर को पता चला तो उसने पत्नी को बुरी तरह से बेइज्जत किया परिणामस्वरूप वह बहरी हो गई व अस्पताल में भर्ती हो गई ।

17.11 पीड़ितता का प्रभाव

पीड़ितता के दो अर्थ हैं । ऐसा व्यक्ति जो पीड़ित को या किसी का शोषण करे एवं प्रतिकूल रूप से दूसरे को पीड़ित बनने पर मजबूर करे । पीड़ितता प्राय: सदमा देती है यह सदमा उस व्यक्ति द्वारा कितना झेला जाएगा यह उसके जीवन के पूर्व अनुभवों पर निर्भर करेगा । साधारणतया पीड़ितता मनुष्य को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक स्तर पर प्रभावित करती है।

17.11.1 पीड़ितता के भावनात्मक प्रभाव

प्रारम्भिक रूप में यह पीड़ित के लिए विश्वास करने योग्य नहीं है कि वह अपराध की तरफ जा रहा है । वह अपने आपको धोखा देकर यह जताता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है । यह प्रतिक्रिया कुछ दिनों, घण्टे, महीने या वर्षो तक रह सकती है। यह साधारण रूप से बच्चों की तरह पीड़ित पर प्रभाव डालती है तथा पीड़ित यह मानता है कि यह सब कुछ समय के लिए है । यह पीड़ित के लिए स्वप्न जैसी बात है कि जब वह अपराध कर चुका है फिर भी उसे सब कुछ स्वप्न जैसा लगता है।

एक बार जब आरम्भिक अवस्था में पीड़ित को झटका लगता है तो उसके बाद भावनात्मक रुप से उसे डर, गुस्सा, अवसाद, ग्लानि, शर्म, शोक, विवाद आदि बहुत अधिक महसूस होता है ।

गुस्सा या बदला पीड़ित गुस्सा हो सकता है, अपराधी सेवा देने वाले, परिवार के सदस्यों, अपराधी न्यायिक तन्त्र या स्वयं को जिम्मेदार मानता है । बहुत सारे पीड़ित दूसरे से बदला लेने की तीव्र इच्छा रखते हैं । कभी-कभी पीड़ित स्वयं से या अपराधी से घृणा करने लगता है । ये तीव्र भावनात्मक

कारण ही समाज से पीड़ित को दूर करते हैं तथा यही पीड़ित को समाज से बाहर करते हैं । पीड़ित उन सभी व्यक्तियों के प्रति गुस्सा या नाराज होता है जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया है।

भय या डर

यह पीड़ित के लिए साधारण बात है कि वह अपराध करने के बाद अपनी सुरक्षा को लेकर अत्यधिक चिन्तित हो जाता है । जब कभी पीड़ित को किये हुए अपराध की याद आती है वह भय एवं डर से घबरा जाता है । यही भय कभी-कभी उसे दब डरपोक व मानसिक रोगी बना देता है । अत: ऐसी स्थिति में उसे तुरन्त मानसिक रोगालय या पागलखाने में भर्ती करवाना चाहिये या परिवार के लोगों को उसका साथ देना चाहिये ताकि वह भय से बाहर आ सके ।

अवसाद

कुछ पीड़ित शक्ति व सामर्थ्य के अभाव में अपने आपको अवसाद ग्रस्त मानते हैं तथा इसी अवसाद में अपराध करते है । यह तब ज्यादा होता है जब अपराधी भाग जाने या सहायता के लिए पुकारने पर कोई सहायता नहीं मिले ऐसे भी अपराधी बहुत अधिक अवसाद से घिर जाता है । तब उसे मानसिक चिकित्सालय या घर के सहानुग्रतइ पूर्ण वातावरण में ही ठीक किया जा सकता है।

असमंजसता या विभ्रम

यदि पीड़ित को वास्तव में यह पता नहीं हो कि क्या हुआ तो वह असमंजसता में लम्बे समय तक रहता है । वह अव्यवस्थित परेशान एवं निर्णय लेने में असमर्थ रहता है कभी - कभी तीव्र अवसाद के कारण वह ओर अपराध भी करता है। पीड़ित इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए और भ्रम में आ जाता है कि यह कैसे हुआ? यह हो सकता है कि वह यह सोचकर दुःखी हो कि क्यों उसे ही चोट पहुंचाई गई?

ग्लानि या स्व-बदनामी

खुद को ही बदनाम मानना स्वाभाविक है । कुछ पीड़ित विश्वास करते हैं कि वह गलत स्थान पर गलत समय था । ग्लानि तब ज्यादा होती है जब वह अपराधी को नहीं ढूंढ पाता है । पीड़ित अपने आपको यह मानकर दुःखी करता है कि बिना कुछ किये ही उसे यह सब सुनना पड़ रहा है । कुछ पीड़ित यह महसूस करता है कि उसे दूसरे लोग पीड़ित करते हैं या दूसरे लोगों ने उसके प्यारे / प्यारी की हत्या कर दी है।

शर्म एवं अपमान

दुःखी होकर, पीड़ित स्वंय को किसी गलती के लिए जिम्मेदार मानते हैं जैसे लैंगिक प्रताड़ित व्यक्ति, घरेलू, हिंसा से प्रताड़ित व्यक्ति । जब अपराध में, लैंगिक बातों के लिए अपराधी स्वंय को जिम्मेदार मानता है साथ ही वह अपमानित महसूस करता है । बलात्कार के पीड़ित जैसे लम्बे समय तक अपने आपको गन्दा मानते हैं तथा ऐसा वे मानते हैं कि वे कभी साफ नहीं होंगे । कुछ पीडित यह मानते हैं कि उसके अपने लोग जो उसे प्यार करते थे अब उसके साथ नहीं हैं।

विषाद या दुःख

तीव्र उदासी लम्बे समय तक रहने पर वह अपराध करने के लिए उकसाती है या बढ़ावा देती है । यह हो सकता है कि पीडित लम्बे समय तक दुःखी रहने पर वह अवसाद से ग्रस्त हो जाता है।

17.11.2 पीड़ितता पर शारीरिक प्रभाव

अपराध के समय या अपराध की जानकारी के समय या बाद में पीड़ित बहु त सारी शारीरिक प्रतिक्रियाऐ महसूस करती हैं। जैसे एन्ड्रीन की मात्रा रक्त में बढ़ना, हृदय गति दर बढ़ना, अधिक पसीना आना, कांपना, आसू आना, शरीर का जम जाना, धीमी गति होना, मुंह का सूखना, संवेदना का बढ़ना, खुशबू को अधिक महसूस करना, लड़ना या भाग जाना । यहां तक कि लोग अपने आप पर नियन्त्रण खो देते हैं तथा शारीरिक शक्ति अधिक होने के कारण अपराध अधिक प्रभावी ढंग से पीड़ित को प्रताड़ित करता है।

शारीरिक चोटों को निम्न भागों में मुख्य रुप से बांट सकते हैं :- सूक्ष्म (गुमडा, छिल जाना, कट जाना). मध्यम (हड्डी दूटना), खतरनाक (बन्दूक की गोली के घाव छुरा मारने के घाव) आदि । कुछ शारीरिक चोटों को देख सकते हैं जबकि दूसरी चोटों को नहीं देख सकते । यह सम्भव नहीं है कि सभी आन्तरिक चोटों को देख सके जैसे आन्तरिक अंगों की चोटें, मस्तिष्क की चोटें या बलात्कार के समय गुप्तांगों में आई चोटें आदि । घरेलू हिंसा में मुख्य रुप से जो चोटों के निशान आते हैं वे बाहरी होते हैं तथा दिखते हैं जो कपड़ों के नीचे ढके होते हैं फिर भी चोटों का दर्द आसानी से पीड़ित महसूस कर सकता है । शारीरिक चोटों के बाद पीड़ित अन्य शारीरिक प्रभावों को महसूस करता है जैसे - अनिद्रा, भूख में कमी, थकान, आलस्य, सिर दर्द, मसल दर्द, घबराहट, उल्टी तथा सहवास की इच्छा में कमी आदि । यह सभी प्रतिक्रियाऐं अपराध के बाद लम्बे समय तक पीड़ित महसूस करता रहता है।

कुछ पीड़ित इन दुष्प्रभावों को लम्बे समय तक महसूस करते हैं जैसे स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानियां, सिर दर्द, पेट दर्द, भावनात्मक विस्फोट आदि । अनेकों बार घाव भरने के बाद भी पीड़ित आरम्भ के समय दर्द महसूस करता है । अति तीव्र या उग्र हालत में पीड़ित पूर्ण रूप से अपाहिज हो जाता है । शोध के द्वारा पता चला है कि पीड़ित इस दर्द को लम्बे समय तक महसूस करता है परन्तु मानसिक रुप से उस भर इस दर्द को महसूस करता है तथा मानसिक रोगी भी हो जाता है । परन्तु पीड़ित की जाति, संस्कृति, लिंग, व्यवसाय आदि सभी उसके दर्द या अपाहिजता को प्रभावित करते हैं । कुछ पीड़ित पुन: अपनी सामान्य अवस्था में कभी भी लौट नहीं पाते हैं, अपने सामान्य कामकाज नहीं कर पाते हैं अर्थात् यह उनके जीवनभर की समस्या हो जाती है । तब अन्य लोग इन सबको देखकर परेशान हो जाते हैं तथा जीवनभर के लिए पीड़ित दूसरों पर निर्भर हो जाता है । अत: इस समस्या से बचने के लिए पीड़ित को समाज से अलग नहीं करके समाज में रखकर मनोरोगी की भी सहायता लेकर पीड़ित की सहायता करनी चाहिए । पीड़ित जो शारीरिक रुप से पीड़ित होता है वह अनदेखा करने पर या उसकी तौहीन करने पर भयानक भय, डर, गुस्सा या कड़वाहट से भर जाता है । यह पीडितता लम्बे समय तक चलने पर पीड़ित के मानवीय जीवन को प्रभावित करता है जो कई सालों तक उसे प्रताड़ित करता है।

17.11.3 पीड़ितता के आर्थिक प्रभाव

जिस पीड़ित का रूपया पैसा चुराया है या अधिकार या प्रोपर्टी बुराई है या अतिक्रमण किया गया हो वह आर्थिक रुप से पीड़ित है । कुछ स्थितियों में चुराया गया पैसा, इनाम आदि कभी भी वापस

प्राप्त नहीं होते । यह पीड़ित को परेशान करता है वह ग्लानि, गुस्सा या अवसाद महसूस करता है यदि वह परिवार के लिए पुन: इन आर्थिक वस्तुओं को वापस प्राप्त नहीं कर लेता है।

यह तय है कि आर्थिक प्रभाव को सामाजिक, शारीरिक एवं भावनात्मक की तुलना में आसानी से मापा जा सकता है।

- प्रोपर्टी को वापस प्राप्त करना या कब्जे को हटाना ।
- पीडितता के कारण उच्च इन्दयोरेंस प्रीमियम ।
- सुरक्षा चक्रों का इन्सटॉलेशन ।
- स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाऐं ।
- चिकित्सकीय खर्चे ।
- अपराध न्यायिक तन्त्र में भागीदार जैसे कोर्ट तक की यात्रा, बच्चों की देखभाल या ट्रायल।
- भावनात्मक काउंसलिंग लेना ।
- अन्तिम संस्कार के खर्चे ।

लम्बे समय तक के अपराध पीड़ित के व्यवसाय को प्रभावित करते हैं पीड़ित अपने काम पर वापस नहीं लौट पाता जिनके कारण उनके काम पर विपरीत प्रभाव पड़ता हैं । जिसका परिणाम पदावनति, कमाई में कमी या नौकरी से निकाला जाना आदि इसमें सम्मिलित हैं । शादी विवाह एवं अन्य सभी सम्बन्ध अपराध व अपराधी को विपरीत रूप से प्रभावित करते हैं तथा उसके परिवार की आर्थिक अवस्था को प्रभावित करते हैं । शोधों से यह पता चला है कि पीडितता का प्रभाव केवल पीड़ित पर ही नहीं उसके परिवार, सगे सम्बन्धी, पड़ोसी, जानकार सभी पर पड़ता है । यह प्रभाव भावनात्मक रूप से आर्थिक रूप से पीड़ित के परिवार को साल दर साल या जिन्दगी भर परेशान करते हैं । बाल मजदूरी या बाल हिंसा का दुरूपयोग आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते हैं यही सब आगे चलकर अपराध को बढ़ावा देता है । खून, हत्या, प्रताड़ना, बलात्कार, चोरी, डकैती, सेंधमारी, अपराध प्रताड़ना बेइज्जती आदि के साथ पीड़ित अपने आपको निःसहाय, कमजोर, शक्तिहीन, भयग्रस्त, त्रस्त, डर असुरक्षित महसूस करता है । समुदाय व संगठन लगातार पीड़ित के स्तर को कम से कम करते जाते है।

पीडितता का प्रभाव मुख्य से गरीब, जवान, शक्तिहीन, असहाय या समाज से अलग लोगों पर विशेषकर पड़ता है । शोध यह बता चुके हैं कि जो पहले से पीड़ित हो वह दूसरी किसी प्रताड़ना या पीडितता के लिए दूसरे अपराधों के लिए अधिक तीव्र रूप से संवेदी हो जाते हैं । यह प्रताड़ना लगातार या तीव्र होने पर कुछ देशों में उच्च अपराधी समुदाय हैं।

17.11.4 पीढ़ितता के मानसिक प्रभाव

यह बताना मुश्किल है कि पीड़ित किस तरह से अपराध के प्रति प्रतिक्रिया करेगा । मानसिक चोटें अपराधी के द्वारा जब दर्शाई जाती है तो वह लम्बे समय तक चलती है तथा इनका प्रभाव खतरनाक होता है। यह मानसिक चोट किसी शारीरिक चोट से अधिक हानिकारक व प्रभावी है तथा यह बताना मुश्किल होता है कि यह अपराध अपने आप हुआ है या जानबूझकर हुआ है।

साधारणतया अपराध प्रतिक्रियाओं को चार स्तरों में बांटा गया है -

1. प्रारम्भिक प्रतिक्रिया में डर, भय, असहायता, अविश्वास व ग्लानि को शामिल करते हैं । कुछ प्रतिक्रिया बाद में होती है।
2. संगठन में एकजुटता नहीं होने पर भी इस तरह की प्रतिक्रियाऐ होती हैं यह दशा अपने आप में अलग - होती है जैसे - संकट, ग्रस्त विचार, दु:स्वप्न, अवसाद, ग्लानि, डर एवं आत्मविश्वास में कमी आदि । जीवन धीमा एवं अर्थहीन हो जाता है । पहले का विश्वास एवं वफादारी पर अधिक विश्वास नहीं रहता है । व्यवहार में परिवर्तन होने से शराबी बनना, गालियां देना, सामाजिक सम्बन्धों में अलगाव, लोगों का अनदेखा करना आदि सभी समस्याओं का जन्म होता है ।
3. तीसरी अवस्था पुनर्निर्माण एवं स्वीकार करने की होती है जो चौथी अवस्था सामान्यीकरण या समायोजन करने की तरफ ले जाती है । भ्रान्तिक अवस्था में पीड़ित यह स्वीकार करना शुरू करता है कि वास्तव में क्या हुआ था ।

   विभिन्न अवस्थाओं के बीच कोई निश्चित या साफ-साफ दीवार नहीं होती है जो आसानी से देख सकें । जब कोई अपराध तीव्र रूप से समाज में फैलता है तो प्रभाव पीड़ित के परिवार, सगे सम्बन्धी जानकार सभी पर पड़ता है ।
4. तनाव

   जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है तो वह कोई कार्य सम्पूर्ण दक्षता से नहीं कर सकता उसका सोचना, समझना, भावनात्मक, शारीरिक व व्यवहारिक कार्य क्षमता में कमी आती है जो एक पीड़ित का यह सदमा की वह पीड़ित है या अपराधी व उसे कोई भी काम दक्षता से नहीं करने देता जिससे उसकी कार्यकुशलता में कमी आती है।

पीड़ित होना अपराधी के जीवन में एक उथल पुथल लाता है वह पीड़ित होने के तनाव से बाहर नहीं निकल पाता है । यह पीडितता पीड़ित को तनाव के कारण लम्बे समय तक परेशान करता है तथा पुन: अपनी सामान्य अवस्था में आने में पीड़ित को बहुत अधिक समय लगता है। उनके जीवन के जीने का तरीका बदल जाता है। कुछ पीड़ितों का पुन: अपना स्व विवेक भी विकसित नहीं होता है। यह सभी क्रियाऐं परेशानी लाने वाली तथा विध्वंसक होती हैं।

17.11.5 सामाजिक दुर्घटनाऐं एवं द्वितीयक पीडितता

सामाजिक दुर्घटनाऐं वे जो द्वितीयक रूप से अपराध के बाद का परिणाम है । कोई भी व्यक्ति यह सामाजिक दुर्घटना दर्शा सकता है चाहे वह परिवार का सदस्य हो, मित्र हो, कानूनी अधिकारी हो, अभियोज्य, धार्मिक अधिकारी हो, काउन्सलर या पीड़ित सेवा अधिकारी हो । ये सभी वे बातें पीड़ित के विरूद्ध करते हैं जो उसे अपराधी बनने पर मजबूर करती है।

द्वितीयक पीडितता का अर्थ है जो अप्रत्यक्ष रुप से कानूनी धाराओं के कारण उत्पन्न नहीं होती वरन् संस्थान के द्वारा व्यक्तिगत रुप से पीड़ित के लिए उत्पन्न की जाती है । निम्नलिखित कुछ उदाहरण है जो द्वितीयक पीडितता हेतु दिये गये है :-

- पुलिस या न्यायिक तन्त्र के अधिकारियों के द्वारा अनुचित व्यवहार किया जाना ।,
- अपराधी होने के अनुभव को नकारना ।

- सम्पूर्ण अपराधिक जांच पड़ताल एवं ट्रायल के दौरान (अभियोगी बनने का निर्णय, ट्रायल स्वंय, अपराधी के वाक्य, इसका या उसका तुरन्त बाहर आना आदि) ।
- स्कूल के लोगों का बच्चों का लताड़ना या गाली गलोच करना ।
- डॉक्टर को पति या पत्नी के बारे में सही जानकारी नहीं होना ।
- पीड़ित या अपराधी के द्वारा कमरे को तुरन्त लेने की इच्छा जो लैंगिक अवमानना या व्यक्तिगत हो कम करता है ।
- सम्बन्धी अपने प्यारे व्यक्ति के शरीर के लिए हॉस्पिटल पॉलिसी या प्रक्रिया के लिए प्रतिरोध।
- अपराधी न्यायिक तन्त्र का पीड़ित की ओर विशेष ध्यान नहीं देना ।
- पीड़ित का अपने अधिकारों को संतुलित नहीं कर पाना जिससे उसमें आक्रोश का जन्म होता है ।
- धार्मिक नेताओं का पीड़ित को माफी देने के लिए उकसाना जो चाहे उनकी इच्छाओं के विपरीत ही हो । मीडिया के द्वारा अनुचित रुप से पीड़ित को लेकर बनाई गई फिल्म, फोटोग्राफ आदि का अनुचित होना।

बहु त सारी ऐजेंसी भी पीड़ित को अपराध करने के लिए बाध्य करती है जो द्वितीयक पीडितता है। जैसे - पीड़ित सेवाऐं, पीड़ित कम्पन्सेशन तन्त्र, शरणार्थी सेवाऐं, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान आदि की विधि एवं पॉलिसी आदि।

पीड़ित का स्वयं व्यवहार भी मह:त्वपूर्ण है । कुछ लोग, जिनसे पीड़ित का सम्बन्ध होता है (परिवार, मित्र एवं साथी) वे पीड़ित से दूर रहना शुरू कर देते हैं । क्योंकि उनका मानना यह है कि वे भी उनसे फंस जाऐंगे या उन पर बदनामी का दाग लग जायेगा । वे पीड़ित को स्वत: ही अपराधी मानने लगते हैं एवं उनका व्यवहार बदलने लगता है । अत: द्वितीयक पीडितता को कम करने में परिवार के सदस्यों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है । परन्तु पीड़ित का अकेलापन एवं अलगाव उसे अधिक परेशान करता है तथा अपराधी बनने के लिए उकसाता है।

पीड़ित सदैव यह समझकर परेशान रहता है कि उसे क्यों परेशान किया जा रहा है । यह भी सोचता है कि लोग सत्ता का गलत फायदा उठाकर उसे परेशान कर रहे हैं । अत: पीड़ित का अकेलापन उसे बहु त अधिक परेशान करता है।

17.12 सारांश

पीडितशास्त्र नया विज्ञान है । अपराधाशास्त्र से ही 1940 के बाद निकला है जो पीड़ित एवं अपराधी के सम्बन्धों का समझाता है । पीडितशास्त्र पीड़ित की समस्याओं, पीड़ित होने के कारण, निदान, पीडितता का प्रभाव, समाज का पीड़ित पर एवं पीड़ित का समाज पर प्रभाव एवं पीड़ित के चाहने वालों पर प्रभाव का अध्ययन है। पीडितशास्त्र में पीड़ित का कानूनी दायरा, उसकी समस्याऐं, अपराधशास्त्र का कानून न्यायिक तन्त्र से सम्बन्ध तथा अपराधी की समस्याओं का अध्ययन है । इसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक पीडितता का भी स्पष्ट अध्ययन है।

17.13 अभ्यास प्रश्न

1. पीडितशास्त्र को परिभाषित कीजिये।

2. पीडितशास्त्र का लक्ष्य क्या है?

3. अपराधशास्त्र से पीडितशास्त्र कैसे उद्भवित हुआ।
4. अपराधी- पीड़ित सम्बन्धों को समझाओ ।
5. विभिन्न प्रकार के पीड़ितों के बारे में बताओ ।
6. पीडितता को पारिभाषित कीजिये। पीडितता का पीड़ित पर क्या प्रभाव पड़ता है?

इकाई - 18

आपराधिक उत्पीड़न :प्रतिमान एवं प्रभाव

इकाई की रूपरेखा

18.0 उद्देश्य
18.1 प्रस्तावना
18.2 आपराधिक उत्पीड़न मुख्य आधार
18.3 आपराधिक उत्पीड़न के तरीके एवं प्रभाव
18.4 समाज एवं आपराधिक न्याय तंत्र द्वारा द्वितीय उत्पीड़न
18.5 पश्च उत्पीड़न
18.6 सारांश
18.7 अभ्यास प्रश्न

18.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप :

- आपराधिक उत्पीडन-प्रतिमान एवं प्रभाव विषय की जानकारी प्राप्त कर पाऐंगे ।
- आपराधिक उत्पीड़न के मुख्य आधारों से अवगत हो पाऐंगे ।
- आपराधिक उत्पीड़न के तरीकों से अवगत हो पाऐंगे ।
- आपराधिक उत्पीड़न के भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक व आर्थिक प्रभावों की जानकारी प्राप्त कर पाऐंगे।
- द्वितीय एवं पश्च उत्पीड़न पर प्रकाश डाल पाऐंगे ।

18.1 प्रस्तावना

“In Justicewhereis athreattojustice everywhere Martin Lutherking”Jr.

सम्पूर्ण विश्व में आपराधिक उत्पीडन ने पिछले कुछ वर्षा में सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है चाहे वह जनता हो, पत्रकारिता जगत हौ, न्यायपालिका हो या मानवाधिकार आयोग हो, यही वह कारक है जो पूरे समाज के लिए अभिशाप बन गया है विशेषकर भारत जैसे देश में । इस लेख में आपराधिक उत्पीड़न को समझाने की कोशिश की गई है । यह लेख किसी पीड़ित के बारे में आधारीय ज्ञान, पूर्वधारणा, परिणाम, उसके सैद्धान्तिक पृष्ठभूइम के बारे में, बहु आयामी एवं महत्वपूर्ण जानकारी देने के साथ अपराधी उत्पीड़न पर उसके व्यक्तिगत, परिवार, समाज एवं वे सभी जो उससे प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सम्बन्धित है, उन सभी पर प्रकाश डालता है । यह लेख आपराधिक उत्पीड़न एवं उसके प्रभाव को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा । इसके अतिरिक्त यह लेख मुख्य रूप से विभिन्न सेवादाताओं या सेवा प्रदान करने वालों को मानवाधिकार एवं आपराधिक उत्पीड़न एवं पीड़ित (Victim) की अपंगता या लाचारी की सम्पूर्ण व्यथा को सामने रखकर उसे पुन: समाज की मुख्य धारा में लेने का प्रयास को समझाना है।

पीड़ित या शिकार (Victim)

यह एक नई शब्दावली है जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ (29 नवम्बर, 1985 के वक्तव्य के अनुसार अपराधी उत्पीड़न या शक्ति का गलत उपयोग करने पर पीड़ित हुए प्रभाव का अध्ययन) की साधारण सभा के नियम (40/34) के अनुसार, पीड़ित को विस्तृत या व्यापक रूप से इस प्रकार परिभाषित किया है कि पीड़ित वह व्यक्ति या समूह है जिसे मानसिक या शारीरिक रूप से, भावात्मक या आर्थिक रूप से या उसके मानवाधिकार या मूल अधिकारका हनन जानबूझकर या अनजाने में किया गया हो :-

इन सभी नियमोंके विरूद्ध लापरवाही राष्ट्रीय आपराधिक कानून (1पप्ताा ंं०ा1शं पणंध्रंअं छंभ) या विश्व स्तर पर मानवाधिकार सम्बन्धी अधिकार का हनन है ।

विस्तृत अध्ययन करने से पूर्व हमें विषय वस्तु से जुड़े महत्वपूर्ण बिन्दुओं को समझ लेना आवश्यक है जो निम्न हैं -

पीड़ित

वह व्यक्ति है जिसे आपराधिक न्यायिक तन्त्र में मूल स्थान दिया गया हो यह कथन Tim Murphy Judge(1971) का है। Tim कोलम्बिया के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं।

अत्याचार या उत्पीडन (Victimication)

यह पीड़ित को प्रताड़ित या परेशान करने से सम्बन्धित है ।

पीढ़ितपन (Victimhood)

वे दशायें जिससे व्यक्ति पीड़ित है ।

पीड़ित होने की जड़े या पीड़ित होने की शुरूआत धार्मिक कृत्यों, दुःख, त्याग या मृत्यु से सम्बन्धित है । यह धारणा प्राचीन काल से ही मुख्य रूप से ग्रीक, बेबिलिआन पुर्तगाल एवं रोम में जानी-पहचानी व मशहूर है । परन्तु इसको 1970 से 1990 के दशकों में अलग-अलग समय पर अलग-अलग लेखकों ने अपने-अपने अलग ढंग से प्रस्तुत किया एवं इसका अध्ययन किया । इनको मुख्य रूप से पहले भी पूर्व में विभिन्न अपराधशास्त्रियो ने बताया एवं वर्णन किया जैसे - बकरिया (Beccaria1764), लोम्नोसो (Lombroso, 1876), फेराई (Ferri, 1892), गैरोफलो (Garofalo, 1885), सदरलैंड (Sutherland, 1924), हैंटिग (Hentig, 1948), नेगल Negal (1949), एलनबर्जर Ellenberger(1956), बुल्फगेंग Wolfgang(1958), शैफर Schafer(1968)।

स्त्रोत :- John P.J Dussich.The Challengeof Vicitmology part,present and future. (Resource material series no.81 Publeshiedby UNAFFI,Aug.,2010).

जैसा कि परिभाषा में बताया गया है कि पीड़ित को अत्याचार न केवल आरम्भिक अवस्था में (जहाँ वह जख्मी होता है) सहन करना पड़ता है अपितु बाद में भी उसे यह सहन करना पड़ता है। यह उत्पीड़न केवल उनको ही परेशान नहीं करता बल्कि उनके परिवार को भी परेशान करता है । यह नित्य प्रति के नामों में भौतिक या प्रत्यक्ष जैसे कट जाना, नाक का रू जाना, दाँत का छ जाना, ठंड का महसूस होना या तापमान महसूस होना, सिर दर्द या हाथ पैरों में दर्द का अनुभव होना आदि के नाम से जाना जाता है । कार्यिकी या मानसिक रूप से; आरम्भिक रूप में होने वाली क्रियाओं में जैसे झटके आना, भय, प्रमाद, अकेलापन, गुस्सा, अविश्वास आदि पीड़ितों के द्वारा दर्शाये जाते हैं । परन्तु कुछ क्रियाएं इनसे बाद में होती हैं जब पीड़ित व्यक्ति को पूर्व (ट्रायल) के लिए ले जाते है या इलाज

के लिए हॉस्पिटल लेकर जाते है । इस समय में पीड़ित भय ग्रस्त, परेशान, गुस्से में होता है एवं कभी-कभी लाचारी महसूस करता है । पीड़ित लगातार यह जानने की कोशिश करता रहता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है । पीड़ित यह सोचता रहता है एवं परेशान रहता है कि वह किस पर विश्वास करे और किस पर नहीं । वह हमेशा परेशान रहता है कि वह अपनी सहायता के लिए किससे बात करे एवं कैसे? उसके मन में हमेशा एक भय व्याप्त रहता है । इस अवस्था में वे केवल शारीरिक रूप से ही नहीं वरन् मानसिक, भावात्मक एवं आर्थिक रूप से तो परेशान रहता ही है साथ ही कानूनी तंत्र एवं इसकी कार्य प्रणाली से भी दुःखी रहता हैं।

शोधकर्ताओं ने यह बताया है कि ये दिये गए झटके न केवल पीड़ित को ही परेशान करते है बल्कि उसके परिवार सगे सम्बन्धियों एवं जानकार, पड़ोसी सभी को परेशान करते है। 1970 एवं 1900 के दशक में पीड़ित एवं उसकी सुरक्षा न्यायिक हिरासत आदि सभी यू.एस. की राजनीति में राष्ट्रपति चुनाव का ऐजन्दा बन चुके है । आपराधिक उत्पीड़न को निम्न श्रेणियों में बांटा जा सकश है जैसे :- शारीरिक, कार्यिक आर्थिक, प्रोपर्टी हानि, सामाजिक एवं मानसिक प्रभाव।

दूसरे प्रकार का उत्पीड़न वह है जो न्यायिक तंत्र के द्वारा पीड़ित पर थोपा जाता है या न्यायिक तंत्र में उत्पन्न होता है । इस पेपर के द्वारा मैंने उन सभी आपराधिक उत्पीड़न समाज एवं पीड़ित पर इसके प्रभाव को स्पष्ट करने की कोशिश की है।

18.2 आपराधिक उत्पीड़न : मुख्य आधार

आपराधिक उत्पीड़न के बारे में अधिक विस्तृत रूप से जाने से पहले इस उत्पीड़न के बारे में कुछ समझेंगे:-

उत्पीड़न (Victimization)

उस घटना या व्यक्ति या समुदाय या संस्थान इन्हीट्यूट को इंगित करता है जिसका उचित नुकसान हुआ हो। व्यक्ति जो व्यक्ति के द्वारा प्रभावित किया जाता है और घटना जिसके द्वारा मानवाधिकार को तोड़ा जाता है या क्रान्ति को बढ़ावा दिया गया हो। (John P.J Dussich.(Resource material series no.81 Aug.,2010).PublishedbyUNAFFI,Japan).

बेन्यामिन मेण्डलसन (BenjaminMendelsohn, 1947) के अनुसार पीड़ित पाँच प्रकार के होते है :-

(1) पूर्णतया निर्दोष जैसे बच्चे या व्यक्ति जिनके द्वारा अपराध अनजाने में या अर्द्धचेतन अवस्था में हुआ हो ।

(2) पीड़ित जो छोटी-मोटी भूल कर चुका हो या जिसका अपराध भूल से हुआ हो या शेखी मारने के लिए किया गया हो।

(3) जान बूझकर किया जाने वाला अपराध जैसे आत्महत्या एवं सुख मृत्यु (द्दZ।तक्षक्षांप्त) के लिए किया गया हो ।

(4) पीड़ित जो दोषी हो उल्लंघन करने वाले से या जो स्वयं के बचाव में किसी को अपराध करने के लिए बाध्य करता हो।

(5) अचानक हुआ अपराध ।

आपराधिक उत्पीड़न, आज के युग में एक उदय होता मुद्दा है जो मानवाधिकार के साथ-साथ लोकतंत्र क विकास में रूकावट का कार्य करता है एवं समाज को प्रभावित करता है । यह उत्पीड़न पीड़ित के शारीरिक, मानसिक प्रभाव के साथ उसके परिवार, सगे सम्बन्धियों, पड़ोसियों, मित्रों पर भी विपरीत प्रभाव डालता है । पीड़ित इसके कारण बहु त लम्बे समय तक चिरस्थायी भय से पीड़ित रहता है तथा जब कभी वह इस यन्त्रणा, प्रताड़ना आदि को याद करता है तो वह समाज में एक सामान्य जीवन जीने में विश्वास भी नहीं कर पाता । भारत जैसे विकासशील देश में आपराधिक उत्पीड़न लगातार एवं लम्बे समय से चलता आ रहा है जो जटिल एवं कठोर है । भारत में बहु त सारे आपराधिक मामले पुलिस की लापरवाही, व्यक्तिगत या सम्पूर्ण पुलिस प्रशासन के कारण होते हैं। आपराधिक न्यायिक तन्त्र (CriminaljusticeSystemCJS) का निर्माण मानव समाज के लिए उत्तरदायी है जो समाज को अपराध से भय मुक्त करने के लिए लगाया गया है । परन्तु CJSकभी-कभी अपराधी या पीड़ित को उत्पीड़ित करता है जानबूझकर, व्यक्तिगत रूप से या अनजाने में । उत्पीड़न का कारण बहु त सारे कारक है जो मानवीय क्रियाओं, मानवीय अन्तर क्रियाओं एवं कुसमायोजन के कारण होता है । यह उत्पीड़न विभिन्न प्रकार का हो सकता है, जिसका सम्बन्ध, जीवन, शारीरिक, व्यवसाय आदि से हो सकता है। अपराध शास्त्र या उत्पीड़नशास्त्र (Criminologyorvictimology), एवं उनके प्रभावों से बचने हेतु उचित समाधान या दवाईयां, ऐसी दशायें या दवाईयां पूरे विश्व में उत्पादनानियम बनाने में लगा है जिससे मानवाधिकार की सुरक्षा पूरे विश्त में हो सके।

स्रोत :- VictimologyanewfocusBenjaminMendelsohn and Han Van Hentig Vol. 1 1973)

18.3 आपराधिक उत्पीड़न के तरीके एव प्रभाव

आपराधिक उत्पीड़न समाज एवं नागरिकों के लिए एक ऐसा कृत्य है जिसके परिणाम या नतीजे गंभीर होते है। यह समाज के लिए ही नही व्यक्तिगत, सगे सम्बन्धी, सभी पर हु ए कोई निश्चित प्रभावों का पता लगाने के मानदण्ड नहीं हैं । पिछले कुछ दशकों में आपराधिक उत्पीड़न के कृत्य एवं तरीकों में बहुत सारे अद्भू त परिवर्तन हु ए हैं अपराध के कारण समाज में डर, भय, आदि की हवा है परन्तु साथ ही साथ जीवन एवं प्रोपर्टी का नुकसान हु आ है तथा मानव जीवन में संरक्षण घटा है। यह सभी लोकतन्त्र एवं आर्थिक विकास को कम करते है जिसके परिणाम भयानक हैं। भारत में पिछले कुछ दशकों से अपराधों की लहर सी दौड़ गई है।

अपराधी कृत्यों को सं. का प्रतिशत IPCअपराध के अनुसार जहाँ 2010 की तुलना में 2011 में 2.5 प्रतिशत बढी है, जबकि SSLअपराधिक कृत्यों की संख्या वर्ष 2011 में 2010 की तुलना में 74 प्रतिशत घटी है, इसके, अतिरिक्त वर्ष 2011 में 2010 की तुलना में IPCअपराध दर 2.5 प्रतिशत बढ़ी है एवं अपराध दर 2010 की तुलना में 2010 में 15.00 प्रतिशत घटी है। (Crimein Indian 2011 Pub.NCRB INDIA)

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011 में सर्वाधिक कुल 120 अपराध संख्या की 334 प्रतिशत दर्ज की गई, जो कि अन्य राज्यों, तमिलनाडू (11.5%) आन्धप्रदेश 7.2 प्रतिशत एवं कर्नाटक में 6.7 प्रतिशत

दर्ज की गई, अकेले मध्यप्रदेश में कुल IPC अपराध कृत्य संख्या का 9.3 प्रतिशत एवं महाराष्ट्र में 8.8 प्रतिशत दर्ज किया गया।

अपराधी कृत्यों की दर IPC अपराध के अनुसार जहाँ 2008 में 18.15 से बढकर 2009 में 181.4 हो गई वहीं SSCअपराध 16.8 प्रतिशत की दर से बढ़कर 333.42008 में थी जो 2009 में 3894 हो गई। IPCअपराध 1999-2009 के दशक में 1.4 प्रतिशत बढ़ी है जो 1999 में 178.9 से 2009 में 191.4 हो गई है । यह 5.6 प्रतिशत सन् 2009 में बढी। पाण्डीचेरी में 418.5, केरल में 341.5, चण्डीगढ में 324.0, मध्य प्रदेश में 299.0, दिल्ली में 282.6 है जो भारत की औसत अपराध दर 181.4 से ज्यादा है। 2004-2008 में यही दर 171.7 थी।

प्रवृति विश्लेषण (TrendAnalyses)

SSLअपराध सं. दर सर्वाधिक छत्तीशगढु में दर्ज की गईं जो कि 1070 प्रतिशत थी, एवं अण्डमान एव निकोबार में 992.6 अपराध प्रतिशत व उत्तर प्रदेश में 941.4 दर्ज की गई।

वर्ष 2011 में देश में कुल 465184 अपराध प्रोपर्टी के विरूद्ध अपराध में निरूद्ध दर्ज किये गए, कि कुल अपराध का (23,25,575) 20 प्रतिशत रहा है एवं व्यक्ति विरूद्ध अपराधों की संख्यां 2011 (वर्ष) 525778 दर्ज की गई, जिनमें से सर्वाधिक घटनाओं 57.6 प्रतिशत (3,02,847) HutCasesके अन्तर्गत दर्ज की गई।

स्त्रोत वर्ष 2011CrimeinIndiaPolishedby National Crime RecordBureau India.

2008 की तुलना में 2009 में अपराध कृत्य एवं प्रवृति 0.9 प्रतिशत बढ़ी है । कुल IPCअपराध (देश के अपराध) में इसका हिस्सा सर्वाधिक आन्धप्रदेश में 35.65 है जो देश की औसत IPCअपराध 22.55 से अधिक है । शारीरिक अपराध की दर आन्धप्रदेश 77.2 प्रति लाख (कुल जनसंख्या) है जो पाण्डीचेरी के 111.1 है जो देश की औसत दर 40.8 प्रतिशत से अधिक है। प्रोपर्टी के विरूद्ध अपराध, चोरी, डकैती एवं एकजुटता आदि आपराधिक कृत्य है । इसी तरह के आपराधिक मामले 2009 में कुल 446110 रिपोर्ट किये गए जबकि 2008 में यही 438772 थे जो 1.7 प्रतिशत की दर से बढ़े । कुल अपराध का हिस्सा IPCअपराध में 21.0 प्रतिशत इस साल में रहें।

लैगिक परेशानी (Sexual Harassment

वर्ष 2011 में इस तरह के अपराधों में पिछले वर्ष की तुलना में 14.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अकेले आम्र प्रदेश में ऐसे अपराधों की संख्या 3658 (42.7%) दज की गई, जबकि महाराष्ट्र में 1071 (12.5%) दर्ज की गई। आन्ध्र प्रदेश में ऐसे अपराधों की अपराध सं. दर सर्वाधिक दर्ज की गई, जो कि 4.3 प्रतिशत थी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 0।7 प्रतिशत रही।

देश में कुल 11009 केस रिपोर्ट किये गए जो पिछले साल की तुलना में 9.9 प्रतिशत की गिरावट दर्शाते हैं। पिछले पाँच वर्ष की बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शाती है कि यह 2004-2008 में लगभग 3.6 प्रतिशत बढ़ी है। अकेले आश्वप्रदेश से देश के 32 प्रतिशत अपराध इस साल में रिपोर्ट किये गए।

देश में कुल 89,546 केस 2008 में रिपोर्ट किये गए जो 10.1 प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं जो 32.9 कुल 5 साल के औसत को दर्शाते हैं । इनमें से 18 प्रतिशत अकेले पश्चिमी बंगाल से 16112 रिपोर्ट किये गए हैं । त्रिपुरा से देश की औसत दर 7.7 प्रतिशत की तुलना में सर्वाधिक 22.8 प्रतिशत इस तरह के केस रिपोर्ट किये गए हैं।

पुलिस, कोर्ट एवं न्यायिक तंत्र इसको लम्बे समय तक आगे बढ़ाते हैं । इसके क्रियान्वयन के लिए व्यक्तिगत पीड़ित पर प्रभावों का अध्ययन करना होगा । इसका प्रभाव निम्न है :-

अ. भावात्मक प्रभाव (EmotionalImpact)

ब. मानसिक एवं सामाजिक प्रभाव

स. शारीरिक एवं आर्थिक प्रभाव

अ. भावात्मक प्रभाव (EmotionalImpact) :- यह उत्पीड़न अधिक प्रभावी रूप से कमजोर, गरीब, कम 'शक्तिशाली, कम प्रभावशाली, विकलांग एवं समाज से बहिष्कृत लोगों पर अधिक प्रभाव डालता है । मानसिक रूप से ये लोग स्वंय को समाज से अलग महसूस करने लगते हैं । आरम्भिक रूप में भावनात्मक प्रभाव में पीड़ित झटके, अविश्वास, गुस्सा, बदला, डर, भय, अवसाद, असमंजस, दोषी, शर्मिन्दा या अपने आप को दुःखी मानता है।

(1) झटके. अविस्वास एवं प्रतिवाद (Shocks,DisbeliefandDenila.) :- पीड़ित के लिए शुरूआत में यह मानना मुश्किल होता है कि वह पीडित है जिसे उत्पीड़ित किया जा रहा है। पीड़ित यह कल्पना करता है कि यह हमेशा नहीं होगा । यह प्रतिक्रिया कुछ घण्टों, दिनों या वर्षो तक रहती है । साधारण रूप से पीड़ित अपने आप को बच्चे की तरह निर्दोष मानता है तथा वह इस सपने में रहता है कि जो भी हुआ वह स्वप्न की अवस्था में ही हुआ है । परन्तु जैसे ही अपराधी को झटके या प्रताड़नाएं दी जाती हैं वह पीड़ित होने का अनुभव करता है तथा दूसरे भाव जैसे गुस्सा, बैचेनी, डर, तनाव, अवसाद, दोषी होना, शर्म आदि महसूस करने लगता है।

(2) गुस्सा या बदला :- पीड़ित अपने आप पर गुस्सा होने के साथ-साथ अन्य कारकों जैसे :- भगवान, परिवादी, सेवा देने वालों, परिवार वालों, पड़ोसी, सगे सम्बन्धी एवं अपराधी न्यायिक तंत्र से गुस्सा होकर, बदले का अनुभव करता है। यह घटना पीड़ित को अनुभव कराती है कि वह समाज में अकेला है तब कुछ पीड़ित स्वयं में बदला लेने की सोचते है जबकि कुछ समाज कोदोषी बताकर बदला लेने की सोचते हैं कभी-कभी वे उस व्यक्ति को भी दुश्मन मान लेते है जो उनके विपरीत कृत्य करता है।

(3) डर एवं भय (FearorTerror) :- पीड़ित के लिए यह साधारण सी बात है कि अपराध के परिणाम के कारण वह आतंक एवं भय ग्रस्त हो जाता है । जिसमें वह स्वयं के या किसी ओर के जीवन को लेकर डर जाता है । भय के कारण व्यक्ति बार-बार उस घटना या अपराध कोयाद करके घृणा करता है । यही भय पीड़ित के लिए जानलेवा भी हो सकता है अत: पीड़ित के घर वालों को लगातार उसे डाक्टरी परामर्श में रखना चाहिए।

(4) अवसाद :- कुछ पीड़ित, अपराध घटने के बाद या उस समय स्वयं को अकेला महसूस करते हैं । यह तब ज्यादा खतरनाक होता है जबकि बचाने वाला पीड़ित को छोड़कर भाग जाता है या वह सहायता के लिए पुकारता रहता है । अपराध के बाद पीड़ित तब तक लगातार अवसाद की अवस्था में रहता है जब तक कि सम्बल एवं सहायक द्वारा उस दुःख को कम करने के लिए कोशिश नहीं की जाएगी ।

(5) **असमंजस (Confusion) :-** पीड़ित कभी-कभी असमंजस की स्थिति में पहुंच जाता है जबकि उसे यह पता ना चले की वास्तव में क्या हुआ था? तथा अपराध तुरन्त हुआ या अव्यवस्थित तरीके से हुआ हो । वह अक्सर इन प्रश्नों के उत्तर छूता रहता है कि उसके साथ ये क्या हुआ? यह भी सोचता है कि क्यों कोई उसको जानबूझकर चोट पहुँच रहा है?

(6) **दोषी या दोषारोपण :-** दोषारोपण पीड़ित पर एक साधारण सी बात है कुछ पीड़ित ये मानते है कि वे गलत समय पर गलत स्थान पर थे । ये पीड़ित कभी-कभी किसी ओर पर दोषारोपण के बजाय स्वयं को दोषी मानते हैं । वे अपने आप को दोषी मानते है जब कोई दूसरा इसका जिम्मेदार नहीं मिलता । अन्त में पीड़ित यह मानता है कि वह इस तरह के कार्य भविष्य में अब ओर नहीं करेगा । कुछ लोग अपने आप में सर्वाधिक ग्लानि महसूस करते है क्योंकि वे मानते है कि उनकी जान किसी ओर की वजह से बची है जो कि घायल या मर गया है । यदि कोई बहुत प्यार करने वाला (Belovedone) मार दिया जाता है तो परिवार के जीवित लोग, मित्र सभी अपने आप को पीड़ित मानते है तथा समाज भी उन पर दोषारोपण करता है।

(7) **शर्म एवं अपमान (Shame and Humiliation) :-** कुछ पीड़ित अपने आप को ही दोषी मानते है विशेषकर लैंगिक दुर्व्यवहार या लैंगिक प्रताडना के बाद । लैंगिक दुर्व्यवहार में पीडित को अन्य तरह से अपमानित किया जाता है जैसे बलात्कार पीड़ित में बलात्कार की दुर्भावना उसके मन में हमेशा बनी रहती है यहाँ तक कि वह अपने आप को अछूत मानने लगता है । उसे स्वयं को अछूत मानने के लिए बाध्य किया जाता है । वे यह सोचते रहते हैं कि वे दोबारा उन लोगों के प्रिय नहीं बर सकते जो उनके अधिक नजदीक है।

(8) **शोक एवं दुःख (GriefandSorrow) :-** आपातकालीन या तीव्र अवसाद लम्बे समय तक रहने पर शक्तिशाली अपराध को बढ़ाता है । यह पीड़ित के साथ अक्सर होता है कि अपराध के बाद वह अवसाद में चला जाता है।

मेगुरू (Magure1982) ने अपने शोध में पाया कि 83 प्रतिशत लूटपाट पीड़ितों में परिवाद को ढूंढने के बाद कुछ विशेष प्रकार की प्रतिक्रियाएं देखी गई है । उन्होंने पाया कि 65 प्रतिशत लोग सप्ताह के बाद स्वयं पर कुछ प्रभाव महसूस करते हैं । ब्राउन एवं यन्तजी (BrownandYantzi, 1980) के द्वारा कनाडा में किये गए अध्ययन में पाया कि 45 प्रतिशत पीड़ित अपराध के बाद अधिकारियों द्वारा उचित कार्यवाही नहीं करने पर व्यवस्था के विरूद्ध टिप्पणी करते हैं तथा अन्य 37 प्रतिशत पीड़ित अन्य सहायता की भी मांग करते हैं । व्यक्तियों के विरूद्ध अपराध (लाकक दुर्व्यवहार / लैंगिक दोषारोपण व बलात्कार) उच्च कोटि की अपूर्ण आवश्यकताओं को दर्शाता है ।

ब. **मानसिक प्रभाव (Thepsychological Impactof victimization) :-** यह भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है कि किस तरह से एक व्यक्ति अपराध के प्रति प्रतिक्रिया एवं अपराध कैसे करेगा । मानसिक प्रकार के अपराध का प्रभाव पीड़ित पर बहुत लम्बे समय तक ज्यों का त्यों बना रहता है । जैसा कि एक अपराध को एक दुर्घटना एवं दुर्भाग्य से अधिक खतरनाक माना गया है ।

साधारण आपराधिक प्रतिक्रियाओं को चार स्तरों में बांट सकते है । आरम्भिक अवस्था में, झटके, डर, भय, असहायपन अविश्वास एवं ग्लानि आती है । जैसा पहले बताया जा चुका है कि इनमें से कुछ अवस्थाएं द्वितीय अवस्था के रूप में भी प्रकट होती हैं जब पीड़ित को हॉस्पिटल या ट्रायल रूम में ले जाया जाता है । अव्यवस्था काल में, उपरोक्त सभी आरम्भिक क्रियाओं के साथ बुरे या दुर्व्यवहारी विचार, रात में दुःस्वपन, अवसाद ग्लानि आदि भी महसूस होते है । पीड़ित जीवन को बेकार अर्थविहीन एवं धीमी गति से चलने वाला मानता है । इस समय पीड़ित के व्यवहार में परिवर्तन होते है जैसे वह शराब पीने लगे, दोस्ती व रिश्तेदारी टूटने लगे, लोगों से वह दूर रहने लगे तथा समाज को त्याग दे । तीसरी अवस्था पुनः निर्माण एवं स्वीकारोक्ति है जो चौथी अवस्था साधारणीकरण एवं समायोजन से पहले की अवस्था है । उपर्युक्त सभी चारों अवस्थाओं के बीच एक स्पष्ट रेखा या किनारों का अभाव है वस्तुतः अच्छे अनुभव से इन अवस्थाओं को आसानी से समझा एवं जाँचा जा सकता है।

शोधकर्त्ता ने यह बताया है कि लगभग 14 प्रतिशत पीड़ित, अपराधिक घटना के बाद पहले की अपेक्षा घर से कम बाहर निकलते हैं एवं लोगों से कम बोलते हैं । इन 14 प्रतिशत में केवल बुजुर्ग ही नहीं वरन् जवान भी शामिल है । Maquire (1902) के द्वारा लूटपाट के पीड़ितों पर किये अध्ययन से पता चलता है कि महिला पीड़िता अपने बुरे अनुभव लम्बे समय तक एवं उग्र रूप से दर्शाती है जैसे वह बलात्कार में अधिक घबराहट एवं तनाव महसूस करती है बजाय कि शारीरिक प्रहार या हमले के । यह भी निश्चित है कि पीड़ित एवं उसके सगे सम्बन्धी सभी दोषी के प्रति आक्रोश रखते हैं।

स. **शारीरिक एवं आर्थिक प्रभाव :-** जब अपराध होता है या अपराध की दलाली होती है तब पीड़ित बहुत सारी प्रतिक्रियाओं को महसूस करता है । ये सभी क्रियाएं शरीर में एड्रीनलीन हार्मोन का स्त्रावाण बढ़ाती है जिससे हृदय गति बढ़ती है, बहुत अधिक पसीना आता है, हाथ पैर कांपने लगते है, मुँह सूख जाता है, जड़त्व वाली स्थिति होती है तथा पीड़ित यह महसूस करता है कि लड़ो या भाग जाओ । ये सभी शारीरिक क्रियाएं तीव्र एवं धीमी गति से होती है तथा शारीरिक एवं मानसिक परेशानियों को जन्म देती है।

शारीरिक चोट को हम तीन भागों में बांटते है माइनर / सूक्ष्म (गोल एवं कटना छिलना), मध्यमी (टूटना या चोट या हडी का टूटना), स्वयं तीव्र (घाव या बन्दूक की चोट के निशान आदि) । कुछ शारीरिक चोट दिखाई देती है जबकि कुछ दिखाई नहीं देती है जैसे :- शरीर के आन्तरिक भागों, मस्तिष्क, जनन अंगों में बलात्कार के समय आई चोटे बाहर से दिखाई नहीं देती है । जब यह अपराध घर में होता है तो चोट वाले स्थान को सामान्य कपड़े से ढक कर रखा जाता है अर्थात उसे छुपाया जाता है । अपराध के बाद एक पीड़ित को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है जैसे :- अनिद्रा, थकान, सिरदर्द, चिड-चिडापन भूख का असामान्य या विचलित होना, आलसी होना तथा काम वासना में कमी होना । यह सामान्य है कि ये सभी परिस्थितियाँ कुछ समय के लिए रहती है परन्तु कुछ पीड़ित

इस परेशानी को लम्बे समय तक महसूस करते है । कभी-कभी घाव के भर जाने के बाद भी पीड़ित को दर्द एवं थकान का अनुभव होता है।

चरम सीमा पर पीड़ित असामान्य या स्थायी अपंग हो जाता है। शोध यह दर्शा चुके हैं कि इस तरह की स्थिति में नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है तथा बार-बार अपराध एवं अपराधी को याद कर करके पीड़ित मानसिक रूप से ठीक नहीं हो पाता है । पीड़ित का पेशा, उस, लिंग तथा संस्कृति भी स्थायी अपंगता को प्रभावित करती है । कुछ पीड़ित अपराध के भय के कारण पुन: अपने काम पर लौट नहीं पाते हैं । यह घटना पीड़ित को लगातार परेशान करता रहता है । जब अपराधी द्वारा पीड़ित का पैसा चुरा लिया गया हो या जमीन पर अधिकार कर लिया हो, प्रोपर्टी पर अधिकार लिया हो या आर्थिक नुकसान पहुँचायागया तो पीड़ित व्यक्ति के मन में भय, आक्रोश, अवसाद, गुस्सा, तनाव आदि पैदा होते है । यदि यह पुन: पीड़ित को ना मिले तो पीड़ित बहुत अशान्त होकर अवसाद में चला जाता है । जो उसे पुन: उसके पीरवोर में नहीं ला सकता है । यद्यपि आर्थिक केस शारीरिक की तुलना में कम लिखे गए है परन्तु फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य बीमा का उच्च प्रीमियम, प्रोपर्टी को ठीक करना, दवाईयों के खर्च, न्यायिक तन्त्र के खर्च, मंहगी व्यावसायिक काउन्सिलिंग लेना, मृत्यु के बाद के खर्च आदि भी पीड़ित को परोक्ष रूप से परेशान करते हैं ।

कुछ केस में जहाँ घरेलू झगड़े होते रहते है वहाँ पर प्रोपर्टी की दरें स्वत: ही घटती जाती है तथा पीड़ित के व्यवसाय को परोक्ष रूप से प्रभावित करती है । पीड़ित अपनी अवस्था पर लौट नहीं पाता और यदि लौटता है तो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाता जिसके फलस्वरूप पीड़ित का डिमोशन वेतन का घटना तथा कभी-कभी नौकरी से भी हटा दिया जाता है । मातृत्व एवं अन्य सम्बन्ध भी अपराध को प्रभावित करते है जिससे पीड़ित के साथ उसका परिवार, सगे-सम्बन्धी, दोस्त, पडौसी व समाज सभी प्रभावित होते है यह स्थिति या इसके परिणाम कुछ समय या दिनों या जीवन भर के लिए बने रहते है।

बच्चों के उत्पीड़न में पीड़ित का डर उसकी कई पीढ़ियों तक चलता रहता है जिसका कारण एकान्त, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, शक्ति का दुरूपयोग आदि है । उत्पीड़न का सबसे अधिक प्रभाव गरीब, कमजोर, लाचार, शक्तिहीन, अपंग व समाज से बहिष्कृत लोगों पर सर्वाधिक पड़ता है।

18.4 समाज एव आपराधिक न्याय तत्र द्वारा.द्वितीय उत्पीड़न

द्वितीयक उत्पीड़न का अर्थ सीधा आपराधिक क्रियाओं के कारण पीड़ित न होकर समुदाय का पीड़ित पर प्रभाव है । नीचे कुछ द्वितीयक उत्पीड़न के उदाहरण दिये गए है :-

आपराधिक उत्पीड़न एवं अनुभवों के लिए मना करना, पुलिस या अन्य आपराधिक न्याय तंत्र के द्वारा अनुचित व अवांछनीय व्यवहार (आपराधिक जाँच के दौरान या ट्रायल के दौरान अभियोज्य (prosecute) होना या नहीं होना, अपने आप में ट्रायल, अपराधी के वाक्य, उसका मुक्त होना), पीड़ित, अपने अधिकारों के सामजंस्य में बहुत कठिनाई महसूस करता है जो अपराधी द्वारा लगाये जाते है। न्यायिक अपराधी तंत्र में अभियोजी (Prosecute) पीड़ित के बारे में बहुत अधिक आक्षेप ध्यान नहीं देने, अस्पताल की पॉलिसी के कारण पीड़ित के चहेते के मृत शरीर को लेने के तौर तरीके व कागजी

कार्यवाही बहुत अधिक है, जल्दी के कारण लैंगिक प्रहारी (Sexualassult) पीड़ित को हॉस्पिटल के कमरे में प्राईवेसी का ध्यान न रखना, स्कूल के लोग बच्चे के गाली-गलौच पर ध्यान नहीं देते, आध्यात्मिक नेताओं के द्वारा पीड़ित को भगवान से माफी की ओर पीड़ित की इच्छा के विरूद्ध ले जाना, गलत जाँच एवं फोटोग्राफ, फिल्म एवं मीडिया को रिपोर्ट करना आदि।

यहाँ तक कि वे ऐजेन्सी एवं संस्थान जिनकी स्थापना पीड़ित की सुरक्षा, सेवा, पीड़ित मुआवजा तंत्र, भगौडापन (RefugeeSystem) तंत्र, मानसिक स्वास्थ्य इन्स्पीट्यूट आदि की कुछ पॉलिसी या कामकाज के तरीके द्वितीयक उत्पीड़न का कारण बन सकते हैं । कुछ लोग जिनके सम्पर्क में पीड़ित रहता है (जैसे परिवार, मित्र, साथी, सगे सम्बन्धी) पीड़ित से दूरी बनाना चाहते हैं तथा वे पीड़ित को दोषी मानते हैं । इनके व्यवहार का प्रभाव पीड़ित पर अत्यधिक पडता है । पीड़ित के खिलाफ शक्ति का प्रभाव पीड़ित को कुछ स्पष्ट समझने में सहायता. नहीं करता है । प्रभावशाली लोग जो अपराधी होकर भी पीड़ित को गलत बताते हैं तथा जो अपने प्रभाव से समाज एवं देश को बचाने का दावा करते हैं।

18.5 पश्च उत्पीड़न

क्या हो यदि अपराधी पर कोई अभियोग ना लगाया जायें? न्यायिक तंत्र शुरू होता है जब किसी अपराध को प्रस्तुत किया जाता है । संभावित अपराधी को न्यायिक दण्ड ना दिया जाये । पुलिस प्रश्न पूछना शुरू करती है परन्तु इसका मतलब यह नहीं कि कुछ सामान्य चार्ज उस पर लगाये जाने है । पीड़ित उस समय ज्यादा परेशान हो जाता है जब पुलिस, न्यायिक तंत्र, सभी अपराधी को अपराधी न ठहरा पाती जिसने पीड़ित परिवार को परेशान या नुकसान पहुँचाया है । इससे पीड़ित परेशान, दुःखी, अवसाद ग्रस्त एवं न्यायिक तंत्र के प्रति गुस्से में आ जाता है । यह बिल्कुल आशाहीन होता है कि सामाजिक तंत्र या समुदाय उनकी सुरक्षा या सहायता के लिए हैं जब कभी उनको जरूरत होगी । पीड़ित के मन में एक विचार आता है कि उसका कोई नहीं है, सब छोड़कर चले गए हैं या कोई कानून नहीं है ऐसा उसका विश्वास होने लगता है । कुछ पीड़ित दुर्भाग्य से ऐसा सोचते है कि कानून उनका साथ नहीं दे रहा है तथा उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा है।

अपराध के होने के बाद एक पीड़ित को क्या करना चाहिए? पीड़ित को बहुत सारी सहायक सेवाओं एवं उनको समझने की आवश्यकता होती है जो वे अपराध के बाद जानना चाहेंगें । अपराधी अपने आप को सुरक्षित रखना चाहेगा जबकि पीड़ित को असहाय, डरा हुआ देखना चाहेगा । पीड़ित को न्यायिक तंत्र की जानकारी व उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है । पीड़ित मीडिया का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगा ताकि उसका जीवन, प्रोपर्टी, पैसा सुरक्षित रह सकें।

18.6 सारांश

यह महत्वपूर्ण है तथा हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पीड़ित कभी भी उत्पीड़ित नहीं होना चाहिए । लैंगिक अपराध होने से बचाया जायें । माता-पिता अपने बच्चों को खूनी होने से बचायें एवं महिलाओं की शादी मारपीट या प्रताड़ित करने के लिए नहीं हो, उनका उचित संरक्षण हो । आपराधिक उत्पीड़न से व्यक्ति डर, भय, रोष, द्वेष, अवसाद, चिन्ता आदि की ओर बढ़ जाता है । भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक परेशानियाँ पीड़ित को ओर परेशान करती हैं । पीड़ित को परेशानियों

से बाहर आकर, सामान्य होना एक जटिल प्रक्रिया है । सभी पीड़ित सहायता करने वाली ऐजेन्सियों द्वारा पीड़ित को सही एवं उचित मार्गदर्शन करके पीड़ित सहायता के महत्व को समझाना चाहिए । न्यायिक तंत्र का फैल होना, राजनीति ब्यूरोक्रेट एवं अन्य फंडिंग तंत्र की कमी होना है। अपराधी को जेल में बन्द करके समाज से अलग तो किया जा सकता है परन्तु अपराध को खत्म नहीं किया जा सकता है। उसके लिए हमें अधिक पुलिस की आवश्यकता ही नहीं है बल्कि प्रशिक्षित प्रतिज्ञा संवीक्षा अधिकारियों (ParoleProbationOffecers) की आवश्यकता है जो अपराधियों की संख्या कम करने में सहायता करें तथा आज के ट्रायल ज्यूरी तंत्र की प्रासंगिकता का भी ध्यान रखे।

18.7 अभ्यास प्रश्न

1. आपराधिक उत्पीड़न के मुख्य आधारों का वर्णन कीजिए।
2. टिप्पणी कीजिए

   (क) प्रवृत्ति विश्लेषण उत्पीड़न (ख) लैंगिक परेशानी उत्पीड़न
3. आपराधिक उत्पीड़न के विभिन्न तरीकों पर प्रकाश डालिए ।
4. आपराधिक उत्पीड़न के विभिन्न प्रभावों का संक्षिप्त में विवरण दीजिए ।
5. समाज व आपराधिक न्याय तंत्र द्वारा द्वितीय उत्पीड़न को समझाइए ।
6. 'पश्च उत्पीड़न' से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में वर्णन कीजिए ।

इकाई - 19

भारत में पुलिस कार्य से जुड़े सामाजिक और सांस्मृतिक प्रश्न

इकाई की रूपरेखा

19.0 उद्देश्य

19.1 प्रस्तावना

19.2 पुलिस कार्य. कानून की क्रियान्विति

19.3 पुलिस कार्य. व्यवस्था बनाये रखना

19.4 पुलिस कार्य : अपराध निरोधक उपाय

19.5 पुलिस कार्य. दुर्गुणों पर नियंत्रण

19.6 पुलिसिंग के सामाजिक मुदे

19.7 सारांश

19.8 अभ्यास प्रश्न

19.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप :

- भारत में पुलिस कार्य से जुड़े सामाजिक व सांस्कृतिक पहलुओं की जानकारी प्राप्त कर पाऐंगे।
- पुलिस के कार्यो की जानकारी प्राप्त कर पाऐंगे ।
- कानून क्रियान्विति व न्याय व्यवस्था बनाए रखना सम्बन्धित पहलुओं पर चर्चा कर पाऐंगे।
- पुलिस सम्बन्धित कार्य जैसे अपराध निरोधक उपाय व दुर्गुणों पर नियंत्रण; पर प्रकाश डाल पाऐंगे ।
- पुलिसिंग के विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डाल पाऐंगे।

19.1 प्रस्तावना

पुलिस के दो दर्शन है । एक तो यह कि वह कानून और व्यवस्था (LawandOrder) का यंत्र है और दूसरा यह कि इसे सरकार की एक भुजा भी (ArmofExecutive) कहा जा सकता है। ये दोनों ही दृष्टियाँ पुलिस को कानून के माध्यम से सरकार और जनता से जोड़ती है । प्राय: यह माना जाता है कि पुलिस तंत्र राजनीति और प्रशासन का एक हिस्सा है और कानून के नियम और संहितायें होती है जिनसे राजनीति व्यवस्था को स्थायित्व और संतुलन प्रदान किया जाता है, परन्तु इस मान्यता का यदि गहराई से विश्लेषण किया जाये तो कानून की कोई भी व्यवस्था अपने मूल में कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक प्रश्नों से जुड़ी हुई होती है । जिसे समाज अपराध कहता है उसे संस्कृतियाँ पाप मानती है । सभ्यता चाहे पूर्व में हो या पश्चिम में, वह चाहे अतीत में रही है या उसे भविष्य में बचाये रखना है - पुलिसिंग के सारे प्रश्न समाज और संस्कृतियों से जुड़े हुए प्रश्न हैं क्योंकि कानून की सभी व्यवस्थायें उन मूल (Basic) मानव मूल्यों को बचाने के लिए ही की जाती है, जिन्हें कुछ समाजकंटक या अपराधी

तत्व समय-समय पर क्षति पहुँचाते रहते हैं । पुलिस कर्म किसी भी समाज के अस्तित्व को बनाये रखना है और कानून की अनुपालना का अर्थ भी यही है कि 'समाज" व्यवस्था में रहे और अपने सांस्कृतिक मूल्यों के साथ एक आनन्ददायी सामूहिक जिन्दगी जी सके, जिसे आज की भाषा में “विकास” या "आधुनिकीकरण" कहा जाता है।

समाजशास्त्री समाज को समूह और परिवार से भिन्न एक वृहततर इकाई मानते है । इसमें परिवार जैसे रक्त सम्बन्ध नहीं होते और न ही हितों की समानता मात्र से ही कोई समाज बन सकता है । जाति के लोग एक समाज है और एक रक्तवशीय समूह भी । महिला समाज, मजदूर समाज, कृषक समाज हित समूह हो सकते हैं और एक असंगठित भीड भी। "मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है" ऐसा लिखते समय अरसा ने उसे एक परिवार, समाज और राज्य की तीनों इकाइयों में रहने वाला "पोलिस" (POLIS) का एक जीव माना है । वर्तमान में ये समाज, समूह, समुदाय और संगठन इतने विशाल, बहुल और इतने विघटनकारी हो सकते हैं कि उन्हें एक भीड़ से एक समाज में बदल कर' 'सामाजिक' ' बनाये रखने के लिए पुलिस बल का प्रयोग आवश्यक लगता है । समाज एक ऐसी इकाई है जहाँ विरोधों के बीच में रहते हुए सहयोग को बनाये रखना पुलिस का एक अहम कार्य है (SocietyisSocialCo-operationcrossedbyConflict) अत: पुलिस को सामाजिक जीवन की पूर्व स्थिति कहा जा सकता है।

इसी प्रकार संस्कृति भी एक अत्यन्त स्पष्ट अवधारणा है। इसे जीवन शैली कहा जाता है, किन्तु किसी भी भू-भाग पर रहने वाले समूहों द्वारा इस सामूहिक जीवन शैली का विकास और निर्माण केवल एक मान्यता मात्र ही है । पश्चिमी संस्कृति फ्रास में और रूस में एक जैसी नहीं है। भारतीय संस्कृति के पंजाबी जीवन मूल्य केरल में नहीं पाये जाते हैं, पर हमें दोनों को भारर्तीय संस्कृति मानना पड़ता है। जीवन शैलियों में रहन-सहन, खान-पान, वेश-भूषा, भाषा, त्यौहार, पर्व, उत्सव, कला, धर्म इत्यादि के साथ-साथ वे बहुत्सी अन्तर दृष्टियों भी आती है जो अधिकतर नागरिक अपनी संस्थाओं और उनके मूल्यों के प्रति रखते हैं । भारतीय संस्कृति में गाय और गंगा प्रतीक रूप में पवित्र है । पश्चिम की संस्कृति नारी को समान मानती है जबकि पूर्व के जीवन में नारी माँ है और वह "समान" नहीं "महान" है। राष्ट्रकवि दिनकर ने संस्कृति के चार अध्यायों में इन मूल्यों की विषद् विवेचना करते हुए भारतीय मनीषियों द्वारा परिवार, पर्यावरण, ईश्वर और पुरूषार्थ, चतुष्टय के चार उद्देश्यों आदि के द्वारा एक आदर्श सामाजिक जीवन की एक सांस्कृतिक परिकल्पना प्रस्तुत की है । कालान्तर में यह भारतीय संस्कृति अपनी विविधता और बहुलता से एक गंगा जमनी संस्कृति बन गई । इस्लाम और ईसाइयत के मूल्यों को आत्मसात करने से भारतीय समाज ' 'शासक' ' और ' 'शासितों ' की संस्कृतियों में बह गया, जिसके कारण भारत के संविधान निर्माताओं को भी India that is Bharatलिखते हुए यह सांस्कृतिक विलम्बना स्वीकार करनी पड़ी । भारत में पुलिस कर्म समाज और संस्कृति के इस विभाजन की त्रासदी का ही एक परिणाम है । कानून शासकों ने बनाये और अभी भी वे ही लोग चुन कर आ रहे हैं जो इस शासकीय मानसिकता से भारतीय जनता को देखते हैं । अत: देश के कानूनों में इस अभिजन वर्ग (EliteGroup) की सोच का प्रभाव है, जो आधुनिक भारतीय समाज के निर्माण के लिए तथाकथित पश्चिमी संस्कृति के जीवन मूल्यों को अधिक सही मानती है। पुलिस और राजनीति का एक उच्च वर्ग कानूनों के माध्यम से इस वैज्ञानिक संस्कृति को भारतीय समाज में लाना चाहता है जबकि छोटे-छोटे

पुलिसकर्मी और समाज का आम आदमी भारतीय संस्कृति के अथाह समुद्र में परिवारवादी और जातिवादी संकीर्णताओं के कीचड में धंसा पड़ा है । सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है हमारे राज्य और कानून का दर्शन तो यह है कानून की नजरों में सब बराबर है पर समाज यह मानता है कि V.I.P. शासक वे हैं जिन्होने पिछले जन्म में पुण्य किये थे और यदि वे भ्रष्टाचारी और अपराधी हैं तो ईश्वर उन्हें उनके अगले जन्म में इसकी सजा दे देगा।

कोई भी समाज अपने अस्तित्व (SurvivalNeedvalue) की रक्षा और विकास (Development) की आकांक्षा से आगे बढ़ता है । जो लोग समाज को विकास या परिवर्तन की दृष्टि से देखते हैं वे यथास्थिति (Statusquo) को स्वीकार नहीं कर सकते । पर परिवर्तन के नये सांस्कृतिक मूल्य जैसे महिला समानता, मानव अधिकार, लोकतांत्रिक जवाबदेहिता उस सामान्तवादी समाज और जड़ सांस्कृतिक मूल्यों को झकझोरते हैं, जिनसे एक समाज में अव्यवस्था अपराध, विग्रह, तनाव और हिंसा बढ़ती है । अब पुलिस की दुविधा यह है कि समाज बदलना भी चाहिए, पर इतनी तेजी से और इस प्रकार की संस्कृति के साथ नहीं कि ऐतिहासिक समाज और पुरातन संस्कृति की जड़ें ही छिन्न-भिन्न हो जायें । पुलिसकर्मी स्वयं इस दुहरी संस्कृति की उपज है और कानून और सामाजिक मूल्यों के विरोध का यह संकट इतना गहरा है कि गत साठ वर्षो में पुलिस एक (Holdonoperation) मात्र बन कर रह गई है । परिवर्तन की यह प्रक्रिया ग्रामीण, शहरी स्वदेशी, विदेशी, धार्मिक और वैज्ञानिक आदि विरोधी मूल्यों को मथ कर एक नया भारतीय समाज अथवा एक्? आधुनिक भारतीय संस्कृति गढ़नेमें लगी हुई है । पुलिस अधिकारी तो यह भी नहीं जानते कि वे कौन से कानून की अनुपालना से कौनसा सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य बचा रहे हैं या नष्ट कर रहे हैं। पर उनका यह "राज्य बचाओ ' (Holdonoperation) अभियान समाज, परिवार और व्यक्ति तीनों को ही बदलने का एक अवसर प्रदान कर रहा है । चुनाव बूथ पर कर्मठता से ड्यूटी देने वाला एक सिपाही शान्तिपूर्ण ढंग से सरकार बदलने में मदद कर रहा है । महिलाओं को पुलिस थानेदार बनाने की नीति नये प्रकार के परिवार बनाने की क्रान्ति का आरम्भ है । दहेज, आ हत्या और महिला उत्पीड़न रोकने में पुलिस की सक्रिय सहभागिता भारतीय समाज को ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के उन मूल आदर्शो को भी हिला रही है जो युगों-युगों से अति पवित्र और अपरिवर्तनीय माने जा रहे थे । प्राचीन भारतीय समाज में पुलिस की अवधारणा तो एक शोध का विषय है । भगवान राम के संरक्षक बाहुबली हनुमान को पुलिस अधिकारी माना जाये या सेवक, इन बहसों से कोई लाभ नहीं होता । मुगल शासन में दरोगा और कोतवाल तो होते थे, पर उसे पुलिस प्रशासन भी माना जाये या नही, ये बुद्धिजीवियों के प्रश्न है । जिसे हम आज भारतीय पुलिस कहते और मानते है वह 1861 के भारतीय पुलिस अधिनियम की देन है । इसके अन्तर्गत जो पुलिस संगठन जन्मा और उसे जो कार्य दिये गये है उनहें ' 'पुलिसिंग ' कहा जाता है । आपराधिक न्याय और विधिशास्त्र जो अंग्रेजी राज्य में ही विकसित हुआ उसे "कानून का शासन' ' (RuleofLaw) कहा जाता है। यह तीन पेनोलॉजिकल परीक्षण (PenologicalTexts) पर आधारित है। ये हैं -

1. इण्डियन पैनल कोड (IndianPenalCode)
2. कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (CodeofCriminalProcedure)
3. इण्डियन एवीडेन्स एक्ट (IndianEvidenceAct)

ये विधि सहिताये और भारतीय पुलिस अधिनियम पुलिस की मूल संरचना और कार्य विधि का निर्धारण करते हैं । आजादी से पहले और आजादी के बाद इन कानूनी प्रस्थापनाओं और प्रक्रियाओं में भारी संशोधन हुए है, पर पुलिस प्रशासन की मूल मान्यतायें बदल कर भी इन्हें नहीं बदल सकी हैं । हमारा राज्य अब लोकतांत्रिक बन चुका है इसलिए नाना प्रकार की अन्य संस्थायें और अधिकार भी जनता को दिये जा रहे है। पर समाज और संस्कृति के मूल्य सापेक्ष दृष्टि से बहुत कम बदले हैं । भारतीय समाज का मूल ढांचा सामन्तवादी और जातिवादी है, इसलिए इन पुलिस कानूनों के अन्तर्गत जो कुछ भी हो रहा है, वह न्याय के स्थान पर अन्याय सा लगता है । संविधान नागरिक को मूल अधिकार देता है, किन्तु नागरिक न्याय के लिए थाना और न्यायालय में जाना ही नहीं चाहता क्योंकि उसे वहाँ की सामन्ती संस्कृति से डर लगता है । पुलिस को किसी के भी साथ केवल संदेह के आधार पर सख्ती करने का अधिकार नहीं है किन्तु किसी भी पुलिस थाने में ForensicAidकी वे सुविधायें ही उपलब्ध नहीं है जिनसे 'संतिधान में गारन्टी के साथ दी गई ' Dignity of the Individual की रक्षा हो सके । गवाही के नाम पर जो बयानबाजी पुलिस और कोर्ट में दर्ज की जाती है उसकी भाषा पर ही गवाही देने वाले को हँसी और शर्म आती है। आपराधिक न्याय की प्रक्रिया समाज का सहयोग चाहती है, परन्तु प्रक्रिया इतनी लम्बी, शर्मनाक और पीड़ाप्रद है कि कोई भी ईमानदार नागरिक गवाही देने के लिए पुलिस थाने के डरावने वातावरण और कोर्ट के सामन्ती माहौल में जाना ही नहीं चाहेगा। ये सामाजिक यथार्थ और शासकों के सामन्ती मूल्य पुलिस कर्म को कानून से दूर कर संस्कृति से जोड़ते है । सुप्रीम कोर्ट में तो हिन्दी बोलना भी मना है । वकीलों और न्यायाधीशों की कोर्ट उस व्यक्ति को न्याय देने का दिखावा कर रही है जो अंग्रेजी में अपना नाम भी नहीं लिख सकता । कानून पवित्र है और जनता का उसमें विश्वास होना चाहिए । पर कानूनी प्रक्रियायें यदि रीति-रिवाजों की तरह चलती है तो वे भी सामाजिक परम्पराओं की तरह आदरणीय भले ही हो, पर वे विश्वसनीय नही लगती।

अपराध चाहे वे संज्ञेय (Cognizasle) हो अथवा असंज्ञेय (Non-cognizasle) कानून का उल्लंघन या भंजन करते है । पुलिस को अनुशासन में रखने के लिए यह सिखलाया जाना आवश्यक भी है। पर एक सिपाही और " थानेदार को यह ट्रेनिग नहीं दी जाती कि कानून का सम्मान करने का वातावरण कैसे बनाया जाये । यदि कुछ लोग कानून से ऊपर है और स्वयं पुलिस पर भी कोई कानून लागू नहीं होता, तो शासित जनता ' कानून के इसतथा कथित शासन ' को कब तक और क्यों माने? पुलिस कर्म कानून के प्रति सघन निष्ठा और सम्पूर्ण समर्पण मांगता है, पर यदि पुलिसकर्मी स्वयं ही यह मूल्य लेकर चले कि बड़े आदमी तो सभी जगह कानून से ऊपर होते हैं और फिर एक रिकप्त चलाने वाला अदना सा व्यक्ति किसी पटवारी साहब या सरपंच जी के बराबर कैसे हो सकता है तो "लोकतांत्रिक पुलिसिंग ' शुरू ही नहीं हो सकती । अपराधों की दुनिया में छोटे-बड़े लोग नहीं होते और यदि समाज और संस्कृति के प्रश्न पुलिस कर्म में बाधा डालते है तो न केवल पुलिस की छवि ही खराब होती है वरन् उसकी प्रभावशीलता भी घटती है । भारतीय समाज में जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, सामाजिक स्टैटस, शिक्षा और आर्थिक स्थिति के इतने सारे भेदभाव और सांस्कृतिक विशेषाधिकार भरे पड़े हैं कि इन्हें समझे बिना कोई पुलिसकर्मी प्रभावी और सम्माननीय बन ही नहीं सकता।

भारतीय पुलिस अधिनियम, जिसके अन्तर्गत राज्यकीय पुलिस अधिनियम बनाये गये हैं एक पुलिसकर्मी को चार निश्चित कार्य देता है । यह अधिकारी तो इन चारों कार्यो को ही पुलिस कार्य समझता

है, पर पुलिस दर्शन (PolicePhilocophy) के दृष्टि से ये वे सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक कार्य भी है जो उसके कानूनी कार्यों में ही अन्तर्निहित है।

19.2 पुलिस कार्य: कानून की क्रियान्विति

कानून जैसे भी है, यदि उन्हें राजाज्ञा प्राप्त है तो पुलिस का कार्य है कि वह उन्हें लागू करे। जॉन आस्टिन ने लिखा है कि 'ली इज दा कमाण्ड ऑफ सोवरियन (Lawisthecommandof the Sovereign). किन्तु ऐसे भी दार्शनिक है जो दैवी कानून और शाश्वत कानून (Eternal Law) की परछाइयाँ राजा के कानूनों में देखते हैं । लोकतंत्र में ये कानून जन प्रतिनिधियों द्वारा इसलिए बनवाये जाते हैं क्योंकि वे अपने समाज की समस्याओं को अधिक अच्छी तरह समझते हैं । विकासशील देशों में ये कानून बहुत पहले से ही चले आ रहे है और इनमें नये और आत्म विरोधी कानून और जोड़ दिये गये है । कोई भी पुलिसकर्मी न तो इन सबको जानता है और न ही इनकी टकराहटों को समझता है। पुलिस के उच्च अधिकारी या मंत्री इन कानूनों की जो भी व्याख्या कर पुलिस बल को जो आदेश देते है वे उन्हें ईश्वर का आदेश समझते है । दुर्भाग्य से हमारे जनप्रतिनिधि चुने हुए होते हुए भी जनता के सच्चे प्रतिनिधि नहीं है । इसलिए प्रथम तो वे कानून पुराने है और फिर उन्हें मनवाने वाली पुलिस यह मानती है कि उन्हें वैसे ही मानना पड़ेगा जैसा उनके मंत्री या अधिकारी कहते है । यह स्थिति धीरे-धीरे सुधर तो रही है, पर कानून की अनुपालना में पुलिस के पास बहुत से विवेकाधिकार (DiscrationaryPowers) है। एक थानेदार जब इन कानूनों की व्याख्या करता है तो सोलहवीं शताब्दी की सामन्ती स्थिति उत्पन्न होती है । यह पुलिस अधिकारी कानून की आत्मा नहीं समझता इसलिए वह केवल मुर्दा शब्दों की व्याख्या कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है । उसके अपने सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य पुलिस को कानून की रक्षक बनाने के बदले शासकों के कृत्यों को कानून बतलाना बन जाता है । पुलिस का कार्य कानून बनाना तो नहीं है, पर कानूनों की क्रियान्विति से समाज बदलना अवश्य है और सदैव रहेगा । ' 'पुलिसिंग' ' का यह नैतिक दायित्व ही पुलिस आधिकारीको अपने समाज का संरक्षक और अपनी संस्कृति का संवाहक बनाता है । यदि वह नागरिकों में भेदभाव करता है, सख्ती के नाम पर स्वयं अपराध करता है तो कानून की क्रियान्विति ही ' 'कानून के शासन' ' का अन्त कर सकती है । इसे रोकने के लिए न्यायालय हैं पर उनकी स्थिति इतनी शोचनीय और अव्यवस्थित है कि पुलिस का विवेकाधिकार उसे राजनीतिक सामन्तों का एक एजेन्ट मात्र बनाकर ' पुलिस तानाशाही' और 'पुलिस आतंकवाद' ' तक को जन्म दे सकता है । पुलिस इन प्रश्नों को समझे, पर यह तभी संभव हो सकेगा जब प्रत्येक पुलिसकर्मी बौद्धिक दृष्टि से सजग और नैतिक दृष्टि से जागरूक होकर एक IPSअधिकारी जैसा व्यवहार करे ' ग्रेज्युट कान्स्टेबुलरी ' एक ऐसा ही सुधार है जो धीरे-धीरे आ रहा है।

19.3 पुलिस कार्य:: व्यवस्था बनाये रखना

पुलिस का एक दूसरा कार्य है व्यवस्था बनाये रखना जो कानून मनवाने की स्थिति का ही पर्याय माना जाता है । व्यवस्था बनाना या बनाये रखना राजनीति से अधिक सामाजिक सांस्मृतिक और आर्थिक प्रश्न है । गाँधी जी कानून तोड़ने के लिए सामाजिक अव्यवस्था फैलाते थे । इसलिए अंग्रेजो ने Low और Orderको एक सिक्के के दो पहलू बना दिया । उनकी औपनिवेशिक सरकार स्थायी थी

इसलिए पुलिस को आदेश था कि व्यवस्था बदलने वालों की आवाज को गैर-कानूनी माना जाये । इस दर्शन में प्रशिक्षित पुलिस लोकतांत्रिक विरोधों को भी कानूनों का विरोधी समझती है । व्यवस्था के प्रश्न शुद्ध राजनीतिक प्रश्न नहीं हुआ करते । व्यवस्थाओं को बदलने के लिए संविधान में ' राइट टू प्रोटेटेस्ट विदाउट ऑर्म्स' ' (Righttoprotestwithoutarms) नागरिकों को एक मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है। पुलिस यह तो मानती है कि सरकारी नीतियों का विरोध तो कीजिए, पर ऐसी हिंसा नहीं होनी चाहिए कि व्यवस्था ही चरमरा जाये। पर यह फैसला यदि शासक या उनकी पुलिस ही करेगी तो स्वाभाविक है कि आन्दोलन बढ़ेगें । फिर शासक तो चुनाव से बदल जायेंगे, पर नई सरकार द्वारा पुलिस अधिकारियों पर एक बदले की कार्यवाही शुरू होगी । पुलिस का राजनीतिकरण बढ़ेगा और नये शासक पुलिस का दुरूपयोग कर अपना शासन चलायेंगे । ' 'पुलिसिंग' ' ऐसी स्थिति में सामाजिक प्रश्नों के प्रति एक संवेदनशीलता चाहती है । यह समस्या राजनीति और कानून की नहीं बल्कि सामाजिक विकास की समस्या है जिसे सांस्कृतिक सौहार्द द्वारा ही सुलझाया जा सकता है । पुलिस वालों को कानून की अनुपालना "आज्ञाकारिता ' के रूप में ही पढ़ाई जाती है, पर जब उनके साथ राजनीतिक वैमन्स्प की कार्यवाही की जाती है तो उनका मनोबल दूटता है और वे जन विरोधी (Anti People) बन जाते हैं।

कानून और व्यवस्था के सभी प्रश्नों में सामाजिक और सांस्कृतिक निहितार्थ ढूंढे जा सकते हैं । जातीय आरक्षण के हंगामे, धार्मिक जूलूसों से उत्पन्न होने वाले साम्प्रदायिक दंगे, महिलाओं की भीड के साथ की गई अभद्रता, विद्यार्थियों द्वारा पुलिस पर पथराव, वी.आई.पी. सुरक्षा के नाम पर ट्रेफिक जाम और पुलिस दुर्व्यवहार आदि ऐसे अनन्त उदाहरण दिये जा सकते है जहाँ कानून के 'मुर्दा शब्द' ' समाज में जीवन्त समस्यायें पैदा करते है । जनता की भीड बदमाशी करती है पर पुलिस को उत्तर में उसी तरह की बदमाशी करने की आजादी नहीं दी जा सकती । फर्जी मुठभेड़ और पुलिस जाने में संदिग्धों के साथ की जाने वाली ज्यादती गंभीर अपराध है । खतरों के बीच में रहते हुए कानून और व्यवस्था को बनाये रखना एक सामाजिक चुनौती है । शासकों को चाहिए कि जल्दी-जल्दी चुनाव करवा कर जनमत से निपटें न कि पुलिस के बल प्रयोग को उचित बतलाकर पुलिस संगठन को बलि का बकरा बनायें।

19.4 पुलिस कार्य:अपराध निरोधक उपाय

कानून और व्यवस्था की कानूनी परिभाषा पुलिस को कुछ ऐसे कार्यो को करने की इजाजत देती है जिनसे घटना का घटित होने से पहले ही निपटाया जा सके । यह विवेकाधिकार लोकतंत्र में पुलिस पर एक भारी जिम्मेदारी डालता है । यह आवश्यक तो इसलिए है कि किसी आतंकवादी या नक्सलवादी ने यदि बम फोड दिया तो बाद में तो फिर कुछ भी नहीं हो सकेगा । किन्तु कोई बम फोड़ेगा पुलिस को सूचना मिली है और आमुक व्यक्ति पर शक है, ये कुछ ऐसे सामाजिक प्रश्न है जिनका कानून में कोई निश्चित जवाब नहीं है । एक हत्यारे को ढूंढने के लिए पाँच व्यक्तियों के साथ सख्ती की जा रही है तो ये चार निर्दोष संदिग्ध व्यक्ति क्यों पिटे? हत्यारे को ढूंढते-ढूंढते पुलिस तो अपने ही थाने में एक अपराधी की भी हत्या नहीं कर सकती । ये अपराध निरोधक एतिहाती उपाय यदि गलत अधिकारी के हाथों में आ जाते है तो सारा पुलिस दर्शन ही समाप्त हो जाता है । कानून का रक्षक कोई

भी इन्सान स्वयं कानून नहीं माना जा सकता । अत: पुलिस प्रशासन को विवेकाधिकार की आवश्यकता और उसके दुरूपयोग की संभावना के बीच का एक रास्ता निकालना होगा । विवेकाधिकार (Discration) कानून की कमजोरी है । पर उसका दुरूपयोग करना समाज और प्रशसन की एक ऐसी बर्बरता है, जिसके कारण सांस्कृतिक जीवन मूल्य जन्म ही नहीं ले पाते । अगर पुलिस का कार्य बेहद संवेदनशील और जोखिम भरा है तो पुलिस प्रशासन में अधिक योग्य, सच्चे समाज सेवी और भद्र सांस्कृतिक पुरूषों को ही इस सेवा में भर्ती करना होगा । पुलिस पर अधिक बजट, खर्च करना होगा जिससे शक्ति की निरंकुशता पर कानून से अधिक भले मनुष्यों की अपनी आत्मा का नियत्रंण संभव हो सके।

19.5 पुलिस कार्य:दुर्गुणों पर नियत्रंण

पुलिस का एक कार्य यह भी है कि वह समाज से दुर्गुणों और कुरीतियों को दूर करे । पारम्परिक पुलिस कार्य केवल अपराध नियत्रंण तक ही सीमित थे । बहुत से पुलिस अधिकारी समाज सुधार के कार्यो को आज भी पुलिस पर अनावश्यक कार्य भार मानते हैं । कूँकइ कल्याण राज्य की स्थापना अब एक सरकार का संवैधानिक दायित्व है और ऐसे सामाजिक कानून (SocialLegeslation) बनाये भी जा रहे हैं । इसलिए पुलिस द्वारा समाज सुधार को भी कानूनों की क्रियान्विति का ही एक कार्य माना जा सकता है। उदाहरण के लिए ये कानून है -

1. दहेज विवाह रोकना
2. आ हत्या पर अंकुश लगाना
3. घरेलू हिंसा
4. अस्पृशता निवारण
5. मेले, त्यौहारों आदि पर सुरक्षा प्रबन्ध करना
6. जातीय सम्बोधन से नागरिकों को अपमानित करने से रोकना इत्यादि ।

विकास के साथ आने वाली बहुत सी सामाजिक कुरीतियाँ जैसे -

1 शराब का प्रचलन 2. वेश्यावृत्ति 3. महिला तस्करी 4. मादक पदार्थो का सेवन 5. जुआ 6. धार्मिक अन्धविश्वास आदि को रोकना भी एक पुलिस कार्य है।

पहले ये कार्य परिवार की जिम्मेदारी हुआ करते थे और इन्हें रोकने का दायित्व भी समाज के बुजुर्गो, जातियों के पंच, पटेलों या समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों का ही हुआ करता था । अभी भी इन कार्यो को करते समय पुलिस इन सामाजिक नेताओं का सहयोग लेती है । प्रश्न यह है कि इन सामाजिक कुरीतियों या विकृतियों को अपराध मानकर दण्डात्मक कार्यवाही की जाये अथवा शिक्षा द्वारा जन चेतना को जगाकर इन्हें सकारात्मक ढंग से समाप्त किया जाये, जो वर्तमान की नकारात्मक पुलिस व्यवस्था द्वारा संभव नही है । PositivePolicingका यह दर्शन सामाजिक और सांस्कृति मुद्दों पर जनमत बनाने और जन सहयोग लेने का पक्षधर है । माना वर्तमान में पुलिस संगठन के पास समुचित मानव संसाधन नहीं है किन्तु समाज सुधार के ये केन्द्रीय कार्य और कोई संगठन कर ही नहीं सकता। प्रो. डी. एच. बेली ने अपनी युग परिवर्तनकारी कृति Police andPoliticalDevelopmentin India में यह विवेचना की है कि भारतीय पुलिस जब तक इन सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों से नहीं जुड़ती तब तक अन्य संस्थायें इन्हें प्रभावी ढंग से नहीं सुलझा सकती। उदाहरण के लिए यदि पुलिस केवल पुरूष वर्ग के ही योग्य व्यक्तियों को भर्ती करती रहेगी तो देश की आधी महिला जनसंख्या तो पुलिस

के थानों में अपनी पीड़ा को .FRI के माध्यम से दर्ज ही नहीं करवा सकेगी । पुलिस का महिलाकरण (Feminisation of Police) नारी हिंसा या "Crime Against women," को घटाने के लिए सबसे कारगार सुधार है । आ हत्या, वधू दहन वेश्यावृत्ति पर रोक तथा शराब बन्दी तो केवल महिला पुलिस ही सशक्त ढंग से रूकवा सकती है । पहले महिलाओं के लिए अपराध होते थे, अब महिलाओं के विरूद्ध अपराध हो रहे है और भविष्य में महिलायें स्वयं अधिक अपराध करेगी । क्राइम्य फॉर वीमेन, अगेन्स्त वीमेन एण्ड बाय वीमेन (Crimes for women,against women and by women) नया पुलिस दर्शन सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों की एक नई क्रान्ति चाहता है । पिछड़े वर्गो के लोग यदि पुलिस में आयेंगे तो उन पर होने वाले पुलिस के अत्याचारों में भी कमी आयेगी। ' 'समाज जब तक प्रबल नहीं होता, पुलिस की एक कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि वह सामाजिक शोषण, आरोपण और असामानताके हिंसक मूल्यों को समाज में पनपने से रोके । इस कार्य को दायरा बढ़ता जा रहा है और मानव अधिकारों के पक्षधर यह दबाव भी बना रहे हैं कि समाज को विषमता और परिवार के अनाचार पुलिस प्रशासन की परिधि में आने चाहिए चूँकि पुलिस कर्म अपनी प्रकृति से एक नैतिक कृत्य है और पुलिस वाला एक कानूनी अधिकारी से अधिक, एक समाजसेवी स्वयं सेवक और मिशनरी भी है । सरकार और कानून की सेवा की भांति समाज और सभ्यता की रक्षा करना भी एक पुलिस कर्म है जिसे पुलिस का धर्म भी कहा जा सकता है।

ये सभी कार्य और इन्हें करने की तकनीकें 'पुलिसिंग' कहलाती है । 'पुलिसिंग पुलिस संगठन के अलावा अन्य संस्थायें भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में करती रहती है । स्कूल, चर्च, N.G.O, मुहल्ला समितियाँ सभी पुलिस कार्य में सहयोग करती है । कोर्ट और जेल पुलिसिंग तो नहीं करते पर पुलिस कार्य को अंजाम देते हैं । इस 'पुलिसिंग प्रक्रिया'' में सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे पहचानना एक विवादास्पद कार्य है । (Social and Cultural Issues in Policing) पुराना दर्शन केवल कानूनी (Legal Issues) मुद्दों से ही जुड़ा हुआ था । अब पुलिस को कानून और व्यवस्था की अपेक्षा शान्ति और सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाता है। Low and order के मुद्दे पुलिस बनाम समाज के मुद्दे थे अब Peace and Security के मुद्दे (Police+Society+Government) पुलिस, समाज और सरकार तीनों के जुड़वां और समेकित मुद्दे हैं । तीनों को एक-दूसरे की केवल परवाह ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपस में सहयोग लेकर जनहित में जनसुरक्षा भी प्रदान करनी होगी।

19.6 पुलिसिंग के सामाजिक मुद्दों

इस व्यापक सन्दर्भ में यदि पुलिसिंग में सामाजिक (Issues) मुद्दों को पहचाना जाये तो उनमे से कुछ इस प्रकार होंगे :-

सामाजिक सहयोग और समर्थन

सामाजिक सहयोग और समर्थन के बिना एक समाज में पुलिस कार्य किया ही नहीं जा सकता । पुलिस किसी को सजा नहीं देती, वह तो निर्धारित दण्ड प्रक्रिया कं अनुसार संदिग्ध व्यक्ति का चालान कर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करती है । कोर्ट इस पुलिस अधिकारी के बयान को मान्यता तक नहीं देती और गवाह पुलिस से असहयोग कर बयान बदलते रहते है । परिणामस्वरूप 70 प्रतिशत से अधिक संदिग्ध व्यक्ति संदेह के लाभ में बरी हो जाते है । पुलिस का श्रम ईमानदारी, निष्ठा सब बेकार

हो जाती है क्योंकि समाज का एक सामान्य नागरिक ईमानदार पुलिस अधिकारी के साथ भी सहयोग नहीं करता । यह कानूनी मुद्दा नही, एक सामाजिक मुद्दा है । कोर्ट बिना साक्ष्य दण्ड नहीं दे सकती और कोई भी नागरिक पुलिस के साथ कोर्ट में जाने को तैयार ही नहीं हैं । जमानतें होती रहती हैं । ढाई करोड़ मुकदमें कोटों में लम्बित पडे है और न्याय सुधार पर सेमीनार भी होते रहते है।

पुलिस की छवि

इस मुद्दे से जुड़ा हु आ एक दूसरा सामाजिक मुद्दा है- पुलिस की छवि । लोकतंत्र में यह छवि (Image) वैसे तो सभी की खराब है, पर पुलिस प्रशासन में इसके जो प्रभाव पड़ते है वे आयकर विभाग और PWDप्रशासन से भिन्न है। राजनीतिज्ञों की छवि सबसे नीचे है पर इसे जनता भुगत रही है । न्यायपालिका की छवि को हम बचाना चाहते हैं। पुलिस की दण्डात्मक कार्यवाहियों के कारण मीडिया को अपना नमक-मिर्च लगाने से उनका अखबार ज्यादा बिकता है। कानून से यह समस्या सुलझ ही नहीं सकती क्योंकि लोकतंत्र में आलोचना का अधिकार मीडिया को देना ही होगा। पुलिस की छवि के कारण गवाह सहयोग नहीं करते और कोटों की छवि इससे सुधरती है कि उसके निर्णय जनता की स्वतंत्रता की रक्षा करते है और सरकार और पुलिस हारती रहती है।

समाज में फैलती हिंसा, कदुता, कदाचार तथा कानूनों में अविश्वास

इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप एक अन्य मुद्दा जो लोकतंत्र में निर्णायक होता जा रहा है वह है समाज में फैलती हिंसा कटुता, कदाचार तथा कानूनों में अविश्वास । समाज पुलिस को जन विरोधी (ल।; ज़दम्पाछ) समझता है और पुलिस भी समाज को गया गुजरा और स्वार्थी मानती है । पुलिस केवल सरकार का कहना मानती है, शासकों को बचाती है । अत: समाज की कटुता और घृणा, हिंसा में बदल जाती है । फिर पुलिस यदि मजबूर होकर हिंसा का सहारा लेती है और निरूत्साहित पुलिस अधिकारियों को सरकार द्वारा प्रताड़ित किया जाता है तो पूरा पुलिस व्यवहार जानता के लिए बहु त मंहगा पड़ता है । अनुशासित पुलिस शासकों की कमजोरियों को तो नजरन्दाज करती है और अपना गुस्सा वह निर्दोष और निरीह जनता पर निकालती है । परिणामस्वरूप कुछ सभ्य लोग तो पुलिस को भी ' 'अवांछनीय शासकों के चौकीदार तक कहने लग गये है। '

ये सभी सामाजिक मुद्दे राजनीतिक, गरीक्ई़ा, भ्रष्टाचार, जन असन्तोष आदि मुद्दों से जुड़कर एक जटिल स्थिति उत्पन्न करते है । सरकार के पास पुलिस ही एक मात्र अनुशासित तंत्र है, जो हड़ताल नहीं करती । उसे जनता और समाज का आक्रोश भुगतना पड़ता है । इससे बहु त से ऐसे मुद्दे जन्म लेते हैं जो दीर्घगामी परिणाम देने के कारण सांस्कृतिक हानि और सामाजिक प्रदूषण उत्पन्न करते है। उदाहरण के लिए यहाँ पर निम्न प्रश्न लिए जा सकते है।

(1) भारत एक बहु धर्मी, बहु भाषाई और बहु त संस्कृतियों का समाज है । संविधान इस बहु लता की आ: करने का वायदा करता है और सभी संस्कृतियों के सह अस्तित्व की गारन्टी देता है । ये आस्था, विश्वास, विचार और उपासना पद्धतियाँ आपास में टकरा न जाये, इसके लिए पुलिस बल का प्रयोग उचित माना जायेगा । छोटे-छोटे धार्मिक जूलूस ' च्छंद्धा के सैलाब' ' बनते जा रहे हैं । पुलिस बल की मामूली सी लापरवाही से दर्जनों लोग भीड़ से कुचल कर मर जाते है । साम्प्रदायिक दंगों के खून-खराबे अखबारों में चमकने लगते है और पुसिल पर धार्मिक पूर्वाग्रहों के आरोप लगाकर नाना प्रकार की राजनीति की जाती है । कानून और व्यवस्था का मुद्दा सांस्कृतिक और साम्प्रदायिक बन जाता है और पुलिस वाले यह जानते ही नहीं कि अगर उग्र भीड़ पर लाठी या गोली नहीं चलाई

जाये तो और रास्ता भी क्या है? पुलिसिंग का यह सांस्कृतिक मुद्दा राजनीति का प्रश्न है यह समाज के दुर्भाग्य को टुकड़े-टुकड़ों में बाँटकर नहीं देखा जा सकता।

(2) आज की बदली हुई परिस्थिति में व्यवस्था का अर्थ इतना व्यापक हो गया है कि पुलिस से यह आशा की जाती है कि वह जंगलों की अवैध कटाई रोके, शहरों में अवैध निर्माण ध्वस्त करे, नदियों में बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाये और औद्योगिक इकाइयों को कानूनों के अनुसार संचालित करवाये। यह सुरक्षा क्षेत्र आतंकवादी गतिविधियों के कारण विस्फोटक बनता जा रहा है । यहाँ पर पुलिस कार्यवाही केवल कानून तोड़ने वालों को सजा देने से बहुत आगे समाज के भविष्य और नव निर्माण के प्रश्नों से जुड़ी हुई है । पुलिस की ढिलाई या लापरवाही दुखान्तिकाओं (Tragedies) को जन्म दे सकती है । समाज का स्वास्थ्य खतरे में पड़ सकता है और कुल मिलाकर जन जीवन को एक अच्छी जिन्दगी के सांस्कृतिक मूल्यों से वंचित किया जा सकता है । एक शराबी ड्राइवर केवल कानून ही नहीं तोड़ता, वरन् समाज में विकलांगों की संख्या बढ़ाकर जीवन की गुणव:ता (Quality) के साथ खिलवाड़ करता है । उसकी पत्नी और बच्चे नारकीय यातनायें भोगते हैं क्योंकि पुलिस इन सामाजिक कानूनों को चोरी और हत्या के कानूनों की तरह नही देखती । परिणामस्वरूप इन सांस्कृतिक अपराधों में सख्ती नहीं बरती जाती है । स्वयं पुलिस वाले शराब पीते है और कानून यह है कि ड्यूटी के घंटो के अलावा शराब पीना अपराध नहीं है। फिर कहा यह जाता है कि पुलिस अधिकारी चौबीसों घण्टे ड्यूटी देता है।

(3) 'पुलिसिंग' सामाजिक जीवन की समग्रता से नाना रूपों में जुड़ी हुई है । वह आपराधिक को सजा दिएलवाने से अधिक समाज में ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न करती है जिससे सभ्य जीवन का विश्वास संभव बनता है । एक महिला अपना मंगलसूत्र पहनकर सड़क पर चले सके यह सभ्य जीवन की निशानी है । बच्चे सुरक्षा के साथ स्कूल से लौट सके । वृद्ध व्यक्ति अपने घरों में अपने नौकरों से न डरे । कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन शोषण न हो । गरीब और पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को अपमानजनक स्थितियों का सामना न करना पड़े । इन्हें मानव अधिकार कहा जाता है । पुलिसिंग का कार्य केवल अमीरों की सम्पत्ति या जिन्दगी बचाना मात्र नहीं है । उससे यह अपेक्षा करना लोकतंत्र की मांग है. कि वह सामाजिक न्याय दिलवाने में आगे आकर पहल करे । स्वयं किसी निःशक्त जन का मानव अधिकार न छीने । कानून द्वारा 'मरघट की शान्ति' बनाये रखना पुलिसिंग नहीं कहा जा सकता । सभ्यता और संस्कृति के प्रश्न सकारात्मक है इसलिए उन्हे गौण नहीं माना जा सकता । अगर क्रिकेट खेलने वाले मैच फिक्सिंग करते है तो वे समाज में सांस्कृतिक प्रदूषण और भ्रष्टाचार फैला रहे हैं । मानव अधिकारों की अभिभावक (Guardian) पुलिस अपने समाज के मनोरजंन को अनैतिकता में जाने की इजाजत नहीं दे सकती । शालीन और अश्लील की परिभाषायें कोर्ट कुछ भी देती रहें पर पुलिस का एक अदना सा सिपाही भी यह जानता है कि उसकी 'माँ' और ''बहिनों' का यह अपमान एक सांस्कृतिक अपराध है, जिसे रोकना उसका धर्म है और कर्म भी।

पुलिस कर्म को केवल कानून की पालना वाली हमारी न्याय व्यवस्था पुलिसिंग में सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक प्रश्नों की अवहेलना करती रही है । यह ''एक्वीजीट्री फिलासफी' (A quisitory Philosophy कार्यकारी और न्यायिक संस्थाओं को पृथक करके देखती है । इससे न्यायपालिका पुलिस

कार्य को पर्यवेक्षित (Supervison) करती है क्योंकि पुलिस मंत्रियों के आदेश मानती है । यह सही और उचित भी हो सकता है । पर इसी दर्शन के कारण हमारे देश में "वकीलों के माध्यम से' न्याय की एक ऐसी 'इण्डस्ट्री' खड़ी हो गई है, जो पुलिस के अन्याय की जितनी ही पीड़ाप्रद है । इसके विपरीत कार्ल मार्क्स ने न्याय के प्रश्न में समाज और संस्कृति के मुद्दे जोड़े हैं।

रूस तथा चीन में आपराधिक न्याय की एक इनच्चीजीट्री फिलासफी (Inquisitory Philosophy) प्रचलित है जिसमें कानून का एकोर्समेन्ट (Enforcement) उसके इण्टरप्रीटेशन (Interpretation) और न्याय केरेस्टोरेशन (Restoration) जितना ही महत्वपूर्ण है । न्याय वहाँ भी होता है, किन्तु पुलिस उपेक्षणीय नही है । फ्रॉस में तो Droit Adminictrilt की व्यवस्था के कारण सिविल न्यायालय ही गौण हो चुके है और Police Judicial की एक नई अवधारणाग़रणा के द्वारा पुलिस को भी अर्द्ध न्यायिक (QuariJudicial) स्थिति मिली हुई है। न्याय देना और दिलवाना पुलिस और कोटों दोनों का एक साझा (SharedTask) कार्य है और पुलिस तथा न्यायालयों को आपस में लड़ाने से जनता के साथ भारी अन्याय होता है । भारत में पुलिस की दुर्गति का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि पुलिस को एक Executive Arm मानकर न्यायालय की निअक्षता के अधीन कर दिया गया है । यदि पुलिस भी स्वतंत्र, स्वशासी (Autonomus) और आदरणीय हो तो वह सरकारी तंत्र को भी कानून की सीमाओं में बाँधकर रख सकती है । पुलिस बनाम न्यायपालिका के द्वन्ह में "न्याय" को उलझा कर हमने "पुलिसिंग" की सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिकाके साथ भारी अन्याय किया है । आखिर एक पुलिसवाला हमारे समाज और कानून को उसी तरह जनहित में क्यों नहीं देख सकता जिस तरह एक निष्पक्ष न्यायाधीश वकीलों की दलीलों के बीच में भी देखता है । विधि का शासन आवश्यक है, पर पुलिस केवल सरकार की ही कार्यकारी भुजा (ExecutiveArm) क्यों हो? व्यवहार में तो पुलिस की जाँच, साक्ष्य और खोजबीनों पर ही न्यायालय के निर्णय आधारित होते हैं । पुलिस कार्य भी एक अर्थ न्यायिक (Quari Judicial) कार्य है। निहित स्वार्थो के कारण वकीलों से परिपूर्ण हमारी न्यायपालिका चाहे इसे स्वीकार न करे, किन्तु केवल कानूनी न्याय प्रियता से न्याय के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रश्न उपेक्षित हो जाते है और वे न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करते है । यह अभिजनवादी दर्शन (Elitist Philosophy) वकीलों के निजीकरण (Privaterisation) की व्यवस्था को व्यक्ति की स्वतंत्रता मानता है और 'पुलिसिंग' को केवल एक"बाध्यकारी शक्ति संरचना"Coercive starcture of Power) मात्र घोषित करता है। इस व्यवस्था के फलस्वरूप भारत की पुलिस कल्वर (Police Culture) भारतीय समाज की सिविक कल्वर (Civec Culture) नहीं बन पा रही है । यूनिफ़ोम पहनते ही एक पुलिस वाला अपने समाज का सदस्य नहीं रहता और वह उस कानून का प्रतीक चिह्न बन जाता है जिसे राज्य और सरकार बनाते है । किसी भी कानून के सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकार व्याख्याओं के विषय होते हैं । ये सरोकार पुलिस की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि पुलिस को तो अपराध के घटते ही उसकी कोई न कोई व्याख्या करनी ही पड़ती है । न्यायपालिका कानूनों को भंग करने वालो को सजा देने के नाम पर इन कानूनों को पुनर्परिभाषित करती रहती है । एक अच्छी और सशक्त पुलिस एक महिला को बलात्कार के अपराध से बचा सकती है किन्तु उस अपराधी को फांसी पर लटकाने के बावजूद भी कोई न्यायमूर्ति उस पीडिता को प्राकृतिक न्याय नहीं दिलवा सकता। कोई भी निष्पक्ष न्यायपालिका एक प्रभावी पुलिस का विकल्प नहीं बन सकती पुलिस को समाज और

संस्कृति के प्रश्नों से जोड़े बिना वह न्यायपालिका की पूरक भूमिका को भी नहीं निभा सकती । अब जब न्यायपालिका यह कह रही है कि जेल नहीं, जमानत (Bail,NotJail) तो पुलिस भी यह चाहती है कि नागरिकों के मानव अधिकारों को पुन: स्थापना करने से पूर्व सुनिश्चित करें (Please Ensure,Before you Restore Them लोकतंत्र दोनों के आपसी विरोध के स्थान पर दोनों में एक सद्भाव और सामंजस्य चाहता है।

19.7 सारांश

पुलिसिंग के सारे प्रश्न समाज और संस्कृतियों से जुड़े हुए प्रश्न हैं क्योंकि कानून की सभी व्यवस्थायें उन मूल (Basic) मानव मूल्यों को बचाने के लिए ही की जाती है, जिन्हें कुछ समाजकटक या अपराधी तत्व समय-समय पर क्षति पहुँचाते रहते हैं। पुलिस का कर्म किसी भी समाज के अस्तित्व को बनाये रखना है । कानून की अनुपालना का अर्थ भी यही है कि ' समाज ' व्यवस्था में रहे और अपने सांस्कृतिक मूल्यों के साथ एक आनन्ददायी सामूहिक जिन्दगी जी सके, जिसे आज की भाषा में "विकास" या "आधुनिकीकरण' कहा जाता है ।

भारतीय पुलिस अधिनियम, जिसके अन्तर्गत राजकीय पुलिस 'अधिनियम बनाये गये हैं एक पुलिसकर्मी को चार निश्चित कार्य देता है । यह अधिकारी तो इन चारों कार्यो को ही पुलिस कार्य समझता है, पर पुलिस दर्शन की दृष्टि से ये वे सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक कार्य भी है जो उसके कानूनी कार्यो में ही अन्तर्निहित है।

सभी सामाजिक मुद्दे राजनीतिक, गरीबी, भ्रष्टाचार, जन असन्तोष आदि मुद्दों से जुड़कर एक जटिल स्थिति उत्पन्न करते हैं । सरकार के पास पुलिस ही एक मात्र अनुशासित तंत्र है, जो हड़ताल नहीं करती । उसे जनता और समाज का आक्रोश भुगतना पड़ता है । इससे बहुत से ऐसे मुद्दे जन्म लेते है जो दीर्घगामी परिणाम देने के कारण सांस्कृतिक हानि और सामाजिक प्रदूषण उत्पन्न करते हैं।

19.8 अभ्यास प्रश्न

1. "पुलिस कार्य से जुड़े विभिन्न सामाजिक व सांस्कृतिक पहलू ' विषय पर लेख लिखिए ।
2. पुलिस के निम्न कार्यो को विस्तार से समझाइए ।
(क) कानून की क्रियान्विति (ख) न्याय व शान्ति व्यवस्था बनाए रखना ।
3. पुलिसिंग के विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कीजिए ।
4. निम्न पर टिप्पणी कीजिए
(क) सामाजिक सहयोग (ख) पुलिस की छवि
5. 'पुलिस कार्य एक अर्द्ध न्यायिक कार्य है" इस कथन को विस्तार से समझाइए ।
6. पुलिसिंग के सामाजिक व सांस्कृतिक पहलूओं की विस्तार से चर्चा कीजिए।

संदर्भ ग्रंथ

1. डी. एस. बेले पुलिस एण्ड पोलिटिकल डेवलपमेन्ट इन इण्डिया, एन वाई प्रिन्ट्स हॉल, 1969
2. रिर्पोट्स ऑफ धर्मवीर नेशनल पुलिस कमीशन, जी. 01, न्यू देहली, 1982
3. पी. डी. शर्मा पुलिस एण्ड क्रिमिनल जस्टिस इन इण्डिया, उप्पल, देहली, 1985

4. पी. आई. अलेक्लेण्डर : पुलिसिंग इण्डिया इन द मिलेनियम, 2002
5. इण्डियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (स्पेशल पुलिस इश्झु, देहली, 1982
6. पी. डी. शर्मा, पुलिस एण्ड इन्टरनल सिक्योरिटी, उप्पल, देहली, 1988
7. एस. सी. मिश्रा : स्टेट पुलिस ऑरगेनाइजेशन इन इण्डिया, सीआरपीएफ, अबू 1975
8. शंकर सुरोलिया इण्डियन पुलिस इश्यूज एण्ड पर्सपेक्टिव, गौरव पब्लिशर्स, जयपुर, 1987
9. के. एम. माथुर. इण्टरनल सिक्योरिटी चैलेन्तेज एण्ड पुलिस इन डवलपिंग सोसाइटी, आरएसबीए पब्लिशर्स, जयपुर, 1989
10. बी.एम. शर्मा. -भारतीय पुलिस, पंचशील, जयपुर, 1989
11. मनीमथ कमेटी रिपोर्ट ऑन क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, जी. 01,2002

ISBN 13/978-81-8496-377-9